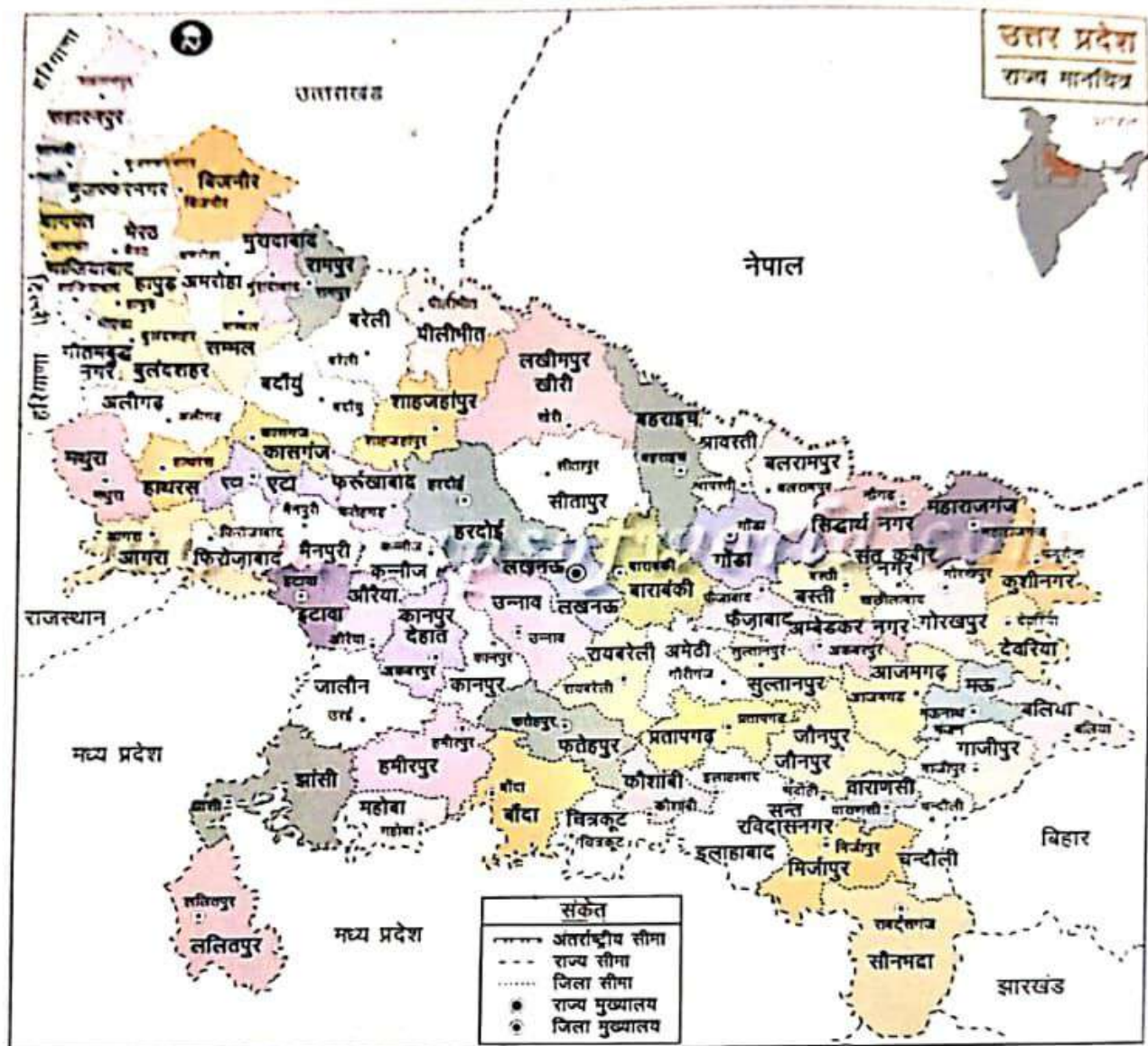


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2019-2020
भाग-5**

चाहिए। अनुमोदन पत्रावली के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली धनराशि रुपए 24868.00 ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-18)

प्रस्तर संख्या 252-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रशासनिक व्यय से संबंधित धनराशि रुपए 34740.00 केवल प्रमाणिक एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि इससे संबंधित कार्य आदेश एवं अनुमोदन पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई तथा व्यय प्रमाण अभी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं पाए गए यह आपति का विषय है । इस वितीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री आनंद कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश चंद्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। अनुमोदन पत्रावली के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपति संख्या-19)

12-ग्राम पंचायत- गौरीअभयपुर

प्रस्तर संख्या 253-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वॉल पेंटिंग का कार्य/ स्वच्छता के नारे अनुमानित लागत की धनराशि रुपए 0.32 लाख हेतु व धनराशि रुपए 16800.00 विजय पेंटर को भुगतान दर्शाया गया है किंतु इससे संबंधित अनुमोदन पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रही,जबकि संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुमोदन पत्रावली प्रस्तुत की जानी अपेक्षित रहे। व्यय प्रमाण के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस वितीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि वर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। अनुमोदन पत्रावली के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-11)

13-ग्राम पंचायत - रौतापुर खुर्द

प्रस्तर संख्या 254-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वितीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित दिवस 700 रहे जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 05रही जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 01 रही जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 85.46% रहा । वितीय वर्ष 2019-20 के पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वितीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपय 1.36 लाख रहा । जिसमें से रुपए 1.36 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए निल लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का प्रतिशत निल रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 170.61 रही तथा ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत100%रहा । 15 दिवस के अंतर्गत किये गए भुगतान का प्रतिशत 100% रहा । योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी हैं। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र से रुपए 136000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-08)

14-ग्राम पंचायत - निवादा तारापति

प्रस्तर संख्या 255-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वितीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित दिवस 2955 रहे जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 20 रही जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 10 रही जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 73.71% रहा। वितीय वर्ष 2019-20 के पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वितीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपय 4.34 लाख रहा। जिसमें से रुपए 3.81 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए 0.54लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का प्रतिशत 12.40% रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 138.65 रही तथा ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100% रहा। 15 दिवस के अंतर्गत किये गए भुगतान क प्रतिशत 88.22% रहा। योजनाओं से संबंधित

अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भानू प्रसाद दीक्षित तथा ग्राम पंचायत अधिकारी-श्री शिव प्रताप सिंह से रुपए 434000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-05)

15-ग्राम पंचायत - कुर्मीखेड़ा खुर्द

प्रस्तर संख्या 256-ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि 14 वें वित्त योजना अंतर्गत नाली निर्माण कार्य शीलू के घर से वीपी सिंह के घर तक कराया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति संख्या 10/15.08.2018 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 10/15.08.2018 रही है एवं अनुमानित लागत 0.70 लाख कार्ययोजना अनुसार दर्शाई गई है जबकि निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं रहे वर्ष दौरान धनराशि रुपए 40906.00 निर्माण सामग्री बिल हेतु संलग्न है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। समस्त भुगतान अनियमित रहा। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुशीला देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए। पत्रावली के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या 257-ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में पाया गया कि 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत जयसिंह के मकान से देवीमंदिर निर्माणार्थक इंटरलॉकिंग का कार्य आईडी संख्या 11497201 द्वारा अनुमानित लागत 2.48 लाख हेतु तकनीकी स्वीकृति संख्या 97/31.08.2018 एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 194/14.12.2018 द्वारा कराया गया है निर्माण पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के अनुसार निम्नलिखित विवरण अनुसार निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना था जबकि श्रीजी वाटर पंप कंपनी के बिल के अनुसार सप्लाई किए गए निर्माण सामग्री की मात्रा में काफी अंतर रहा। जोकि लेखा आपति का विषय है। निर्माण सामग्री के उपयोग में इतना अधिक अंतर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है अतः इस स्थिति में कराए गए निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच अवश्य की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए की एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट एवं वास्तविक निर्माण सामग्री के उपयोग की मात्रा में इतना अधिक विचलन क्यों रहा। निर्माण कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में संलग्न नहीं की गई जिससे कार्य की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी।

सामग्री विवरण	एब्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में मात्रा /कुल धनराशि	सप्लाई बिल में मात्रा/ कुल धनराशि
सीमेंट	10बोरी दर रुपए 307.20	05 बोरी दर रुपए 307.20 प्रति बोरी=1536.00
80एम एम रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग	5888 यूनिट दर 23.60	1488 यूनिट दर 23.60 रुपए =35116.80
एम -150 ब्रिक्स	2627 यूनिट दर 5.95/	1886यूनिट दर 23.60 रुपए= 1886.15
जी एस बी	13.62 क्यूबिक मीटर दर 3187.80/ / क्यूबिक मीटर	1.62 क्यूबिक मीटर दर 3187.80/ क्यूबिक मीटर / रुपए 5164.24

उपरोक्त विवरण अनुसार सप्लाई ऑफ बिल की मात्रा के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया गया है इसकी गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए।

1. संलग्न बिल भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं पाया गया। समस्त। भुगतान अनियमित रहा। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुशीला देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-14)

प्रस्तर संख्या 258-ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ वित्त योजना अंतर्गत गोकुल के घर से राजनारायण के घर तक का कार्य वित्तीय वर्ष 2018 -19 का है। प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति संख्या 05/12.08.2018 तथा वित्तीय स्वीकृति संख्या 04/12.08.2018 प्रपत्रों में दर्शित है एवं कार्य की अनुमानित लागत धनराशि रुपए 248000.00 दर्शाई गई है। दिनांक 08.04.2019 को धनराशि रुपए 25292.00 भुगतान निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों के श्रमांश हेतु देना दर्शाया गया है। जबकि संलग्न मस्टररोल धनराशि रुपए 15052.00 का लेखापरीक्षा में प्राप्त हुआ। यह कार्य दिनांक 02.09.2018 प्रारंभ किया गया। संत निर्माण पत्रावली में संलग्न निर्माण सामग्री खरीद हेतु श्रीजी वाटर पंप कंपनी का बिल प्रस्तुत रहा जिसकी कुल धनराशि रुपए 61117.0 दर्शाई गई है। प्रस्तुत बिल में दर्शित निर्माण सामग्री की मात्रा एवं एकट ऑफ कॉस्ट में निर्माण कार्य हेतु वांछित निर्माण सामग्री की मात्रा में काफी अंतर रहा जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। अतः निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच अवश्य की जानी चाहिए।

निर्माण सामग्री विवरण एवं धनराशि	क्रय बिल में सामग्री का विवरण एवं धनराशि	एक्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में सामग्री का विवरण	
सीमेंट	08 बोरी/307.20 रुपए प्रति बोरी/2457.60 रुपए	13 बोरी/307.20 रुपए प्रति बोरी/2457.60 रुपए	
इंटरलॉकिंग टाइल	1550 यूनिट/23.60 रुपए प्रति यूनिट	5950 यूनिट/23.60 रुपए प्रति यूनिट	
M-150	3174 यूनिट /5.95 रुपए प्रति यूनिट GSबी 2.34 क्यूबिक मीटर /3187.80 आर एस / क्यूबिक मीटर	864 यूनिट/5.95 रुपए प्रति यूनिट 14.34 क्यूबिक मीटर/ 7459.45 आर एस /	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में दर्शित सामग्री के सापेक्ष क्रय बिल में सामग्री की मात्रा में भारी अंतर रहा जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। कार्य का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच की जानी अपेक्षित है। संलग्न निर्माण सामग्री खरीद का बिल सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं रहा। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुशीला देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं इनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-15)

प्रस्तर संख्या 259-मनरेगा की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित दिवस 1423 रहे जबकि मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कुल कार्य की संख्या 11 रही जिसके सापेक्ष पूर्ण कार्यों की संख्या 05 रही जबकि एन.आर.एम व्यय के अंतर्गत व्यय प्रतिशत 53.02 % रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता दर्शाता है। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय रुपय 4.03 लाख रहा। जिसमें से रुपए 2.58 लाख का व्यय मजदूरी भुगतान हेतु तथा रुपए 1.45 लाख का व्यय सामग्री क्रय पर किया गया है। सामग्री क्रय पर व्यय का प्रतिशत 35.94 % रहा। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी रुपये 181.16 रही तथा ईएफएमएस के द्वारा व्यय का प्रतिशत 100 % रहा। 15 दिवस के अंतर्गत किये गए भुगतान का प्रतिशत 100 % रहा।

योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जिससे संबंधित की जांच न की जा सकी है। पुष्टि के अभाव में समस्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भानू प्रसाद दीक्षित तथा ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री शिव प्रताप सिंह से रुपए 145000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-12)

विकास खंड -कल्यानपुर

1-ग्राम पंचायत-कटरी लौधवा खेड़ा,

प्रस्तर संख्या 260 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि:2019-20 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वा वित्त मद से रुपए 281923-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल -पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 281923.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती निर्मला देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री आशीष कटियार से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-1)

2-ग्राम पंचायत-मकसूदाबाद

प्रस्तर संख्या 261-आलोच्य वर्ष:2019-20 में कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 1 अगस्त,2019 से 31मार्च,2020 की अवधि में रुपए 1116260 का व्यय दर्शित है.उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल -पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध संदर्भित व्यय की धनराशि रुपए-1116260में तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री वीरेंद्र कुमार से तथा सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी) श्री गजेंद्र प्रताप वर्मा से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपति संख्या-3)

3-ग्रामपंचायत-नौरंगाबाद

प्रस्तर संख्या 262-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि:2019-20 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वा वित्त मद से रुपए 1121393-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल -पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 1121393.00 में से 50% धनराशि रुपए 560696.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री अनुराग कश्यप से तथा शेष 50%धनराशि रुपए में रुपए 442796.00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्रीमती अल्का से तथा रुपए 678597.00 सचिव ग्राम

पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)श्री गजेंद्र प्रताप वर्मा से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-1)

4-ग्राम पंचायत-पकरी

प्रस्तर संख्या 263-आलोच्य वर्ष:2019-20 की कैशबुक में दिनांक 29-03-2020 को हैंडपंप मरम्मत हेतु कुल रूपए 10120.00(सामग्री रु06220.00,मरम्मत मजदूरी रु03900.00)का व्यय अंकित है.उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूल प्रति(बिल,मस्टर रोल/भुगतान प्राप्तकर्ता की रशीद)एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे-हैण्ड पम्प की स्थल सूची,हैण्डपम्प मरम्मत मांग का प्रार्थना पत्र,स्वीकृत प्राक्कलन,सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन की पत्रावलियां,डेड स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध इ ग्रामस्वराज्य/कैशबुक के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रूपए-10120.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती **प्रभा देवी** से तथा सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री **राकेश झा** से जांचोपरांत उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-3)

5-ग्राम पंचायत- रेकेपुर

प्रस्तर संख्या 264-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि:2019-20 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वा वित्त मद से रूपए 1596793-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल - पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रूपए 1596793.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती रेखा से तथा सचिव ग्राम पंचायत (ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्री नवल किशोर कनौजिया से तथा रूपए 1137457.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- सुश्री सुनिधि से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-1)

6-ग्राम पंचायत- रौतेपुर

प्रस्तर संख्या 265-आलोच्य वर्ष:2019-20 की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान हेतु कुल व्यय रूपए 59500 दर्शित है.जबकि लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में केवल रूपए 42000 के भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है.इस प्रकार रूपए 17500 का प्रधान मानदेय मद में अधिक भुगतान किया गया है.बकाया मानदेय की पुष्टि में दिनांक 31-03-2019 को देयता रजिस्टर व प्रधान मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है.अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कैशबुक के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रूपए 17500 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरज बलि कुशवाहा से तथा सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी) श्री अतुल सचान से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-4)

7-ग्राम पंचायत- सोना

प्रस्तर संख्या 266-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि:2019-20 में ई-ग्राम स्वराज/प्रियासॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14 वा वित्त मद से रुपए 1350727.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल,मस्टररोल,ट्रांसफरविवरण),मूल - पत्रावली.एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं लेखा परीक्षा मेंअनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक,अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई-ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए 1350727.00 में तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्रीमती ममता देवी से तथा सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)-श्री अनिल अवस्थी से उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि-प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा.। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्रामस्वराज/ प्रियासॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उक्त क्रय सामग्री की पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान वाउचर पत्रावली में संलग्न पाये गये किन्तु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश,डेड स्टॉक रजिस्टर,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां अप्राप्त रही जो कि गंभीर अनियमितता है. जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान पर उक्त धनराशि रु. 1350727.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-1,5)

8-ग्राम पंचायत-सुरार

प्रस्तर संख्या 267 -आलोच्य वर्ष:2019-20 में ग्राम पंचायत की कैशबुक में विभिन्न तिथियों में आलोच्य व गत वर्ष का बकाया ग्राम प्रधान मानदेय के भुगतान पर कुल रुपए 49000 का व्यय दर्शित है.किन्तु लेखा परीक्षा में 31-03-2019 की देयता रजिस्टर व प्रधान मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है.अतः गत वर्ष के बकाया मानदेय की लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी.साथ ही बकाया मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश भी अप्राप्त रहा.इस प्रकार रुपए 7000 का ग्राम प्रधान को अधिक भुगतान करके उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध कैशबुक के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए-7000 में तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री सूरज प्रकाश सचिव ग्राम पंचायत(ग्रामपंचायत/विकासअधिकारी)- श्रीअतुल सचान से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूल आपति संख्या-4)

प्रस्तर संख्या 268-आलोच्य वर्ष की कैशबुक में निम्नलिखित व्यय दर्शित है-

दिनांक	क्रय सामग्री	धनराशि
24-12-2019	ट्रॉली स्पीकर	8500.00
„	दरी क्रय	4800.00
„	तस्ला, फवड़ा क्रय	9480.00
13-01-2021	इन्वर्टर, बैटरी आदि	40600.00
	योग	63380.00

उक्त क्रय सामग्री की पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान वाउचर पत्रावली में संलग्न पाये गये किन्तु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश,डेड स्टॉक रजिस्टर,सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां अप्राप्त रही जो कि गंभीर अनियमितता है. जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल सचान वी ग्राम प्रधान श्री सूरज

प्रकाश उत्तरदायी है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल सचान व ग्राम प्रधान श्री सूरज प्रकाश पर उक्त धनराशि रु.63380.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-5)

विकास खण्ड-ककवन

1-ग्राम पंचायत- ककवन

प्रस्तर संख्या 269-आलोच्य वर्ष दौरान दिनांक 30.01.2020 को रु0 10000.00 तथा दिनांक 23.3.2020 को रु0 10000.00 कुल रु0 20000.00 का मानदेय भुगतान श्री घनश्याम, आपरेटर पेयजल परियोजना को किया गया है। भुगतान की दर, भुगतान किस माह का है, इत्यादि का कैशबुक में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आपरेटर पेयजल परियोजना की नियुक्ति, मानदेय भुगतान रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पत्रावलियों, मानदेय रजिस्टर प्रमाणक के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण भुगतान अनियमित रहा। उक्त समस्त अभिलेख दिखाया जाना अपेक्षित रहा अन्यथा की स्थिति में अनियमित धनराशि रु0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुकेश उपाध्याय, ग्राम वि0अ0 एवं श्रीमती प्रीति सोनी, ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-25)

प्रस्तर संख्या 270-आलोच्य वर्ष दौरान दिनांक 30.01.2020 को रु0 10000.00 तथा दिनांक 23.3.2020 को रु0 10000.00 कुल रु0 20000.00 का मानदेय भुगतान श्री घनश्याम, आपरेटर पेयजल परियोजना को किया गया है। भुगतान की दर, भुगतान किस माह का है, इत्यादि का कैशबुक में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आपरेटर पेयजल परियोजना की नियुक्ति, मानदेय भुगतान रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पत्रावलियों, मानदेय रजिस्टर, प्रमाणक के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण भुगतान अनियमित रहा। उक्त समस्त अभिलेख दिखाया जाना अपेक्षित रहा अन्यथा की स्थिति में अनियमित धनराशि रु0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुकेश उपाध्याय, ग्राम वि0अ0 एवं श्रीमती प्रीति सोनी, ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-25)

2-ग्राम पंचायत- आराजी इसेपुर

प्रस्तर संख्या 271-कैशबुक के अनुसार आलोच्य वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष रु0 72969.00 अंकित है जबकि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रु0 110419.00 है। अन्तर रु0 37450.00 है। कैशबुक के अनुसार वर्ष दौरान व्यय धनराशि रु0 1247232.30 है तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रु0 1284682.30 है, जिसका अन्तर भी रु0 37450.00 है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 03-4-2019 को रु0 37450.00 बृजेश कुमार, बिल्हौर को चेक सं0-221 से भुगतान किया गया है। कैशबुक में यह धनराशि व्यय पक्ष में खारिज नहीं किया गया, एवं न ही इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि धनराशि किस हेतु व्यय किया गया है। यह व्यय धनराशि व्यय पक्ष में शामिल नहीं करने के कारण ही उपरोक्त में रु0 37450.00 का अन्तर है। अतः कैशबुक में धनराशि खारिज न करने एवं व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि अपुष्ट रही। अपुष्ट धनराशि अपहरण योग्य हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रभात मोहन श्रीवास्तव, ग्राम वि0अधि0 एवं श्रीमती विरोसा देवी, ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22)

3-ग्राम पंचायत- कसिगवां

प्रस्तर संख्या 272-दिनांक 10-01-2020 को रु0 18790.00 का भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हुआ है। कैशबुक में भी यह अंकन नहीं है कि यह भुगतान किस फर्म, व्यक्ति को किया गया है। कैशबुक और स्टेटमेन्ट दोनों ही अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि भुगतान किसे किया गया है। व्यय धनराशि के सापेक्ष पत्रावली में पम्पू मशीनरी स्टोर्स का रु0 18790.00 का व्यय प्रमाणक संलग्न पाया गया। इस व्यय प्रमाणक पर टिन नं0-09637519390 प्रिन्टेड है तथा जी0एस0टी0एन0नं0-99ए ओ एल पी एन 8624सी। जेड क्यू तथा पैन नंबर - ए ओ एल पी एन 8624सी की मुहर लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वाउचर पर 4 प्रतिशत वैट एवं 1 प्रतिशत सैट भी प्रिन्टेड

है। अतः वाउचर से स्पष्ट है कि पुराना वाउचर इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूर्णतः कूट रचित है। व्यय के सापेक्ष प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, आई0डी0, सम्बन्धित कार्य का कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया एवं मागे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कूट रचित तरीके से पुराने वाउचर के सहारे रू0 18790.00 का हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धनराशि का वित्तीय अनियमितता किया गया है, जिसके लिए श्री मुकेश उपाध्याय, ग्राम वि0अधि0 एवं श्री छेदी लाल, ग्राम प्रधान कसिगवां संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इसलिए अपहरण किये गये धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या 273- कैशबुक के अनुसार दिनांक 04.02.2020 को रू0 6690.00 वॉल पेन्टिंग हेतु व्यय किया गया है। परन्तु कैशबुक में भुगतान किये जाने वाले व्यक्ति / फर्म का नाम अंकित नहीं है एवं न ही इसका व्यय प्रमाणक जाँच में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 04.02.2020 को रू0 6690.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 से हुआ है अन्य को विवरण या फर्म का नाम स्टेटमेन्ट में भी अंकित नहीं है। इसलिए भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं विवरण के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः वित्तीय नियमों का पालन किये बिना, कैशबुक में पूर्ण विवरण दर्ज किये बिना भुगतान किये जाने तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय धनराशि रू0 6690.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए श्री मुकेश उपाध्याय, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री छेदी लाल, ग्राम प्रधान उत्तरदायी है व अनियमित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-23)

4-ग्राम पंचायत- गढ़ेवा

प्रस्तर संख्या 274- दिनांक 24.3.2020 को कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार रू0 19240.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है। कैशबुक में यह अंकित नहीं पाया गया कि यह भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत हेतु किसे एवं किस लिए अर्थात् सामग्री क्रय के लिए या मजदूरी के लिए भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय का कोई व्यय प्रमाणक, प्राक्कलन, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि भी पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया गया है, परन्तु विवरण के अभाव में भुगतान प्राप्त कर्ता के बारे में जानकारी नहीं हो सकी। रू0 19240.00 हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से भुगतान करवाकर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि रू0 19240.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुकेश उपाध्याय, ग्राम.वि.अ. एवं श्री राजेन्द्र बाजपेई, ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-21)

5-ग्राम पंचायत-मैंदो

प्रस्तर संख्या 275- कैशबुक के अनुसार दिनांक 26.9.18 को चेक सं0 34 के द्वारा रू0 70800.00 ग्राम पंचायत में स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु कबाड़ी को भुगतान किया गया। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली सचिव द्वारा आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा। उक्त व्यय अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि रू0 70800.00 में से श्रीमती रामदेवी, ग्राम प्रधान से तथा श्री जितेन्द्र सिंह, सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी) से उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति सं0-25)

प्रस्तर संख्या 276- कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.1.19 को आर.टी0जी0एस0 के द्वारा रू0 26414.00 का भुगतान किया गया है। कैशबुक में भुगतान का पूरा विवरण अंकित नहीं है। बैंक स्टेटमेन्ट से भी स्पष्ट नहीं कि भुगतान किसे एवं किस लिए किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा। उक्त व्यय अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन सन्दर्भित व्यय की धनराशि रू0 26414.00 में से

श्रीमती रामदेवी , ग्राम प्रधान से तथा श्री जितेन्द्र सिंह, सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी)से उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपति सं0-25)

6-ग्राम पंचायत-मौजमपुर

प्रस्तर संख्या 277-वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम निधि-प्रथम के बैंक स्टेटमेन्ट तथा ई-ग्राम स्वराज से ही निर्धारित तिथि में ही लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 व 2019-20 के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के बैंक स्टेटमेन्ट के आय-व्यय का विवरण निम्नवत है-

वर्ष-2018-19

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014262	बैंक का नाम-बैंक आफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
891547.00	1260873.00	1371052.00
		781368.00

वर्ष-2019-20

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014262	बैंक का नाम-बैंक आफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
781368.00	1034784.00	916583.65
		899568.35

बैंक स्टेटमेन्ट की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 1371052.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 916583.65 है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 1371052.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 916583.65 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है। अतः दोनों वर्षों की अपहृत कुल धनराशि रु0 1371052.00+916584.00=2287636.00 (बाइस लाख सत्तासी हजार छः सौ छत्तीस) की ब्याज सहित वसूली निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं श्रीमती कृष्णा देवी, प्रधान व सचिव श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियमानुसार अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-1)

7-ग्राम पंचायत-मुनीवरपुर

प्रस्तर संख्या 278- वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 व 2019-20 के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के बैंक स्टेटमेन्ट के आय-व्यय का विवरण निम्नवत है-

वर्ष-2018-19

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014261	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बड़ौदा ककवन	
गत वर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
361870.00	1378558.00	1709282.00
		31146.00

वर्ष-2019-20

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014259	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
31146.00	1348621.00	685162.00
		694605.00

बैंक स्टेटमेन्ट की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 1709282.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि

रु0 685162.00 है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 1709282.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 685162.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अतः दोनों वर्षों की अपहृत कुल धनराशि रु0 1709282+685162=2394444 की ब्याज सहित वसूली निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं प्रधान श्रीमती दीवान सिंह व सचिव श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियमानुसार अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-1)

8-ग्राम पंचायत- रहीमपुर विषधन

प्रस्तर संख्या 279- वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 व 2019-20 के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के बैंक स्टेटमेन्ट के आय-व्यय का विवरण निम्नवत है-

वर्ष-2018-19

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014258	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	
1483372.50 3859588.00 5203309.00	139651.50	

वर्ष-2019-20

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014258	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	
139651.50 3758623.00 2827042.20	1071232.30	

बैंक स्टेटमेन्ट की जांच करने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 5203309.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 2827042.20 है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 5203309.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि रु0 2827042.20 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अतः दोनों वर्षों की अपहृत कुल धनराशि रु0 5203309.00+2827042.20=8030351.20 की ब्याज सहित वसूली तातारीख ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं श्रीमती खुरशीदा बेगम , प्रधान व सचिव श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियमानुसार अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

9-ग्राम पंचायत- सिहरा दाराशिकोह

प्रस्तर संख्या 280-आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान को रु0 56000.00 मानदेय भुगतान किया गया है। इसके सापेक्ष मानदेय प्राप्तगी रसीद/ मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। 12 माह में प्रधान मानदेय रु0 3500.00 की दर से रु0 42000.00 ही भुगतान किया जाना चाहिए था। कैशबुक में दिनांक 23.1.2020 को रु0 56000.00 एकमुश्त प्रधान मानदेय भुगतान किया गया है, परन्तु इसमें विवरण अंकित नहीं किया गया है कि किस माह से किस माह तक का मानदेय भुगतान हुआ है। साथ ही ग्राम निधि-प्रथम में धनराशि होने के बावजूद प्रत्येक माह में भुगतान न करके एक साथ किया जाना भी संदिग्ध है। मानदेय भुगतान एक मुश्त करने सम्बन्धी कोई वित्तीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित तरीके से रु0 14000.00 अधिक मानदेय भुगतान प्राप्त किया गया जिसके लिए सचिव एवं ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अनियमित तरीके से रु0 14000.00 अधिक भुगतान प्राप्ति की ब्याज सहित वसूली श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-21)

प्रस्तर संख्या 281- केशबुक की जांच दौरान पाया गया कि दिनांक 22.05.19 को ₹0 1400.00 का भुगतान बावत ग्रामीण स्वच्छता किट हेतु मैनेजर बैंक आफ बड़ौदा को किया गया है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान अपुष्ट रहा। अतः धनराशि ₹0 1400.00 (₹0 एक हजार चार सौ मात्र) की ब्याज सहित वसूली श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम प्रधान एवं श्री अमित कुमार द्विवेदी, ग्रामवि0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-22)

प्रस्तर संख्या 282- केशबुक के अनुसार दिनांक 24.4.19 को ₹0 4950.00 का भुगतान आराध्या इन्टरप्राइजेज को निर्वाचन कार्य हेतु कुर्सी क्रय के लिए किया गया है। जांच दौरान सचिव द्वारा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिससे भुगतान की गई धनराशि अपुष्ट रही। बैंक स्टेट के अनुसार भुगतान आराध्या इन्टरप्राइजेज को ही हुआ है। डेड स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कुर्सी क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः धनराशि ₹0 4950.00 अनियमित तरीके से व्यय किया गया है। अनियमित तरीके से व्यय की गई ₹0 4950.00 (₹0 चार हजार नौ सौ पचास मात्र) की ब्याज सहित वसूली श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम प्रधान एवं श्री अमित कुमार द्विवेदी, ग्रामवि0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-23)

10 -ग्राम पंचायत- शाहपुर डुलु

प्रस्तर संख्या 283- वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 व 2019-20 के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम निधि-प्रथम के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के बैंक स्टेटमेंट के आय-व्यय का विवरण निम्नवत है-

वर्ष-2018-19

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014259	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	
686072.00 1517000.00 2202006.00	1066.00	

वर्ष-2019-20

ग्राम निधि खाता संख्या-12520100014259	बैंक का नाम-बैंक ऑफ बड़ौदा ककवन	
गतवर्ष अवशेष प्राप्त अनुदान व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	
1066.00 1491276.00 1062958.60	429383.40	

बैंक स्टेटमेंट की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि ₹0 2202006.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि ₹0 1062958.60 है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि ₹0 2202006.00 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से से आहरित/डेबिट/व्यय की गई धनराशि ₹0 1062958.60 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अतः दोनों वर्षों की अपहृत कुल धनराशि ₹0 2202006.00 + 1062958.60 = 3264964.60 की ब्याज सहित वसूली तातारीख ब्याज सहित निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है। तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं श्री सुरेश चन्द्र, प्रधान व सचिव श्री जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियमानुसार अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

विकास खण्ड -चौबेपुर

1-ग्राम पंचायत -दुर्गापुर

प्रस्तर संख्या 284- वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटिमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटिमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का

तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	1559419.50	1402843.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु- 1402843.00 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु- 1402843.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु- 1402843.00 की ब्याज सहित नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता व सचिव ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री महेंद्र गौतम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

2-ग्राम पंचायत -इंदलपुर शिवराजपुर

प्रस्तर संख्या 285-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंडीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंडीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	2535033.35	1831737.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1831737.00 है वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1831737.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-1831737.00 की ब्याज सहित नियमानुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं ग्राम प्रधान श्री मेवालाल व सचिव श्री विनोद दीक्षित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

3-ग्राम पंचायत- जरारी

प्रस्तर संख्या 286-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंडीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंडीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि

---	1420023.00	1312988.00	---

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वें /15वें से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1312988.00 है। वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वें /15वें से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1312988.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अपहृत कुल धनराशि रु-1312988.00 की ब्याज सहित नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन/अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना एवं ग्राम प्रधान श्री महावीर व सचिव श्री विनोद दीक्षित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी उक्त नियम के अनुसार अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

4-ग्राम पंचायत -खरगपुर

प्रस्तर संख्या 287-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था। जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1227806.00	1462151.00	1727522.70	962434.30

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वें /15वें से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1727522.70 है वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वें /15वें से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-545081.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अपहृत कुल धनराशि रु-545081.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्री बीरेंद्र पाल व ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा किया जाना अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या-01)

5-ग्राम पंचायत -प्रधानपुर

प्रस्तर संख्या 288-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था। जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
983757.00	1318975.80	1275737.50	1026995.30

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वें /15वें से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1275737.50 है। वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वें /15वें से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-692246.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अपहृत कुल धनराशि रु-692246.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्री बीरेंद्र पाल व ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत -बिरैचामऊ

प्रस्तर संख्या 289-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1512668.05	1981207.00	2338638.65	1155236.40

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु०-2338638.65 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु०-1155964.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु०-1155964.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्री बीरेंद्र पाल व ग्राम प्रधान श्री सुबोध दीक्षित से किया जाना अपेक्षित है ।

7-ग्राम पंचायत -अमिलिहा

प्रस्तर संख्या 290-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	4731733.25	4248092.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु०-4248092.00 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु०-4248092.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु०-4248092.00 की ब्याज सहित नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री अमित कटियार व ग्राम प्रधान श्रीमती आभा से किया जाना अपेक्षित है ।

8-ग्राम पंचायत -विशुनपुर

प्रस्तर संख्या 291-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	1225338.44	1111280.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु०-1111280.00 है वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु०-1111280.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण

अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-1111280.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्री असीम सोनकर व ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

9-ग्राम पंचायत -बहरामपुर

प्रस्तर संख्या 292-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	1549129.00	1343225.50	---

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1343225.50 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1343225.50 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-1343225.50 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्री राजकिशोर यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

10-ग्राम पंचायत- चौधरीपुर

प्रस्तर संख्या 293-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	1286274.74	1171487.80	---

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1171487.80 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1171487.80 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु- 1171487.80 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- कुमारी प्रीति यादव व ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

11-ग्राम पंचायत- निगोहा

प्रस्तर संख्या 294-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
60143.76	1924473.04	983292.00	1001324.80

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु0-983292.00 है। वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु0-137243.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अपहृत कुल धनराशि रु0-137243.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा व कुमारी सलोनी कुशवाहा व ग्राम प्रधान- श्रीमती उषा सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

12-ग्राम पंचायत- ततारपुर

प्रस्तर संख्या 295-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था। जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था

। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1158981.90	1398641.00	1366186.00	1191436.90

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु0-1366186.00 है। वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु0-155878.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अपहृत कुल धनराशि रु0-155878.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती व ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा व कुमारी सलोनी कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

13-ग्राम पंचायत- रामगोपालपुर

प्रस्तर संख्या 296-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था। जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
922507.87	2364205.00	2631466.00	655246.87

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु0-2631466.00 है। वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु0-46250.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है। अपहृत कुल धनराशि रु0-46250.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा व कुमारी सलोनी कुशवाहा व ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीदेवी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

14-ग्राम पंचायत- शेरपुरबैरा

प्रस्तर संख्या 297-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था। जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का

तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
318784.00	1596419.00	1663445.56	251757.44

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1663445.56 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-57890.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-57890.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा व ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी- श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा व कुमारी सलोनी कुशवाहा से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

15-ग्राम पंचायत- इटरा

प्रस्तर संख्या 298-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था । ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	2256346.20	1436568.40	---

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1436568.40 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1436568.40 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण प्रतीत होता है । अपहृत कुल धनराशि रु- 1436568.40 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला व ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी-श्री राजकिशोर यादव से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

16-ग्राम पंचायत- बंसठी

प्रस्तर संख्या 299-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	2671725.40	1742868.00	---

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1742868.00 है वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1742868.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-1742868.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी-श्री राजकिशोर यादव व ग्राम प्रधान श्री सिपाही लाल से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

17-ग्राम पंचायत- बनी

प्रस्तर संख्या 300-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	3669565.50	1286681.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-1286681.00 है वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-1286681.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-1286681.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी-श्री राजकिशोर यादव व ग्राम प्रधान श्री महादेव से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

18-ग्राम पंचायत- विरोहा

प्रस्तर संख्या 301-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	3595602.00	3059699.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-3059699.00 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु-3059699.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-3059699.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी-श्री राजकिशोर यादव व श्री बीरेंद्र पाल व ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-01)

19-ग्राम पंचायत- सहज्योरा

प्रस्तर संख्या 302-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था । ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	2732128.55	2350703.00	---

ऑनलाइन दर्ज आँकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु-2350703.00 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/व्यय की धनराशि रु-2350703.00 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु-2350703.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी-श्री राजकिशोर यादव व ग्रामप्रधान-श्री बालसुमित राव से किया जाना अपेक्षित है ।

19-ग्राम पंचायत- महाराजपुर

प्रस्तर संख्या 303-वित्तीय वर्ष -2019-20 की लेखा परीक्षा करने के लिए इंटीमेशन लेटर ऑनलाइन भेजा गया था । जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त इंटीमेशन भेजने के पूर्व भी ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तिथीवार दर्शित कार्यक्रम का पत्र खण्ड विकास अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी प्रेषित किया गया था ।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार आय-व्यय विवरण निम्नवत है ।

गतवर्ष अवशेष	प्राप्त अनुदान	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
---	5886347.00	5388157.70	---

ऑनलाइन दर्ज ऑकड़ों की जाँच करने पर वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित/डेविट/व्यय की धनराशि रु0-5388157.70 है । वित्तीय वर्ष -2019-20 में ग्राम निधि खाता-1 से तथा 14वे /15वे से आहरित /डेविट/ व्यय की धनराशि रु0-5388157.70 उक्त नियम के अनुरूप व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपहरण है । अपहृत कुल धनराशि रु0-5388157.70 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी-श्री असीम सोनकर व श्री अमित कटियार व ग्राम प्रधान श्री पवन सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-01)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 त्रिस्तरीय पंचायत राज**प्रारूप-04****जनपद- हरदोई****मण्डल- लखनऊ****ग्राम पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर**

ग्राम पंचायत - हन्न पसिगवा विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 46,04,261-00

प्रस्तर-1 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 1431425.00 व 2019-20 में रु0 3172836.00 कुल रु0 4604261.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्रीमती निर्मला से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - कोरिगावा विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि- 32,12,789-00

प्रस्तर-2 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 1799580.00 व 2019-20 में रु0 1413209.00 कुल रु0 3212789.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी

वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री विमलेश कुमार वर्मा व प्रधान श्री नागेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - अब्दुल्ला नगर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 83,01,494-00

प्रस्तर -3 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 4646106.00 व 2019-20 में ₹0 3655388.00 कुल ₹0 8301494.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री लाल बाहादुर व प्रधान श्रीमती विनीता देवी से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - अम्बारी विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 25,72,302-00

प्रस्तर-4 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 15,54,301-00 व 2019-20 में ₹0 10,18,001-00 कुल ₹0 25,72,302-00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्री कृष्ण कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

जायेगी।

ग्राम पंचायत - बहिरमा विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 16,08,575-00

प्रस्तर -5 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 1069236.00 व 2019-20 में ₹0 539339.00 कुल ₹0 1608575.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री अजय प्रताप सिंह व प्रधान श्री देश राज से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - बन्दरहा विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 38,25,137-00

प्रस्तर -6 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 2880721.00 व 2019-20 में ₹0 944416.00 कुल ₹0 3825137.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री विवेक कुमार कश्यप व प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - बरी विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - 6,02,856-00

प्रस्तर-7 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 602856.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री विवेक कुमार कश्यप व प्रधान श्री सददीक से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - बिजगवां विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - 29,42,447.00

प्रस्तर - 8 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 2942447.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित संयुक्त रूप से सचिव श्री ज्ञानेन्द्र कुमार , श्री विजय कुमार वर्मा, श्री बृजपाल यादव व प्रधान श्रीमती माया सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - डेल पण्डरवा विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - 1,05,075-00

प्रस्तर -9 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 105075.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री लाल बहादुर व प्रधान श्री राम आसरे से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - देवमलपुर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 से 2019-20 धनराशि - 22,67,050-00

प्रस्तर - 10 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 910252.00 व 2019-20 में ₹0 1356798.00 कुल ₹0 2267050.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री अजय प्रताप सिंह व प्रधान श्रीमती सेमा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरिहरपुर विकासखण्ड- पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि- 4,33,086-00

प्रस्तर- 11 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 433086.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री लाल बहादुर व प्रधान श्री अवधेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हिन्दूनगर विकासखण्ड- पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - 4,53,815-00

प्रस्तर- 12 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 453815.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री प्रदीप कुमार वर्मा व प्रधान श्रीमती शीला देवी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुँअरपुर बसीठ विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि- 36,73,935-00

प्रस्तर-13 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 2068462.00 व 2019-20 में ₹0 1605473.00 कुल ₹0 3673935.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से सचिव श्री जितेन्द्र कुमार , श्री अमित कुमार , श्री मनोहर लाल व प्रधान श्री बाबू खाँ से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - कुँअरपुर बघेला विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - 14,61,313-00

प्रस्तर-14 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 1461313.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री विवेक कुमार कश्यप व प्रधान श्रीमती द्रोपदी से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - मनिकापुर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 28,20,596-00

प्रस्तर-15 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 1886012.00 व 2019-20 में ₹0 934584.00 कुल ₹0 2820596.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्रीमती छोटक्की से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - रैगाई विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - 56,17,842-00

प्रस्तर-16 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 2697167.00 व 2019-20 में ₹0 2920675.00 कुल ₹0 5617842.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री लाल बहादुर व प्रधान श्रीमती कुल प्रिया गौतम से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - ररी विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - ₹0 4,02,989-10

प्रस्तर- 17 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम

पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 402989.10 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री विमलेश कुमार वर्मा व प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रसूलपुर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - ₹0 58,86,348-00

प्रस्तर-18 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 2945913.00 व 2019-20 में ₹0 2940435.00 कुल ₹0 5886348.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्री कुबेर से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहिजना विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - ₹0 23,01,670-00

प्रस्तर-19 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 1639611.00 व 2019-20 में ₹0 662059.00 कुल ₹0 2301670.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री विवेक कुमार कश्यप व प्रधान श्रीमती मिस्कूना से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सकरा विकासखण्ड- पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - ₹0 6,96,484-10

प्रस्तर- 20 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 696484.10 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री विमलेश कुमार वर्मा व प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सलेमपुर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि - ₹0 6,59,648-00

प्रस्तर- 21 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 659648.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्री अनिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सन्तरहा विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि - ₹0 14,14,160-00

प्रस्तर- 22 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 562340.00 व 2019-20 में ₹0 851820.00 कुल ₹0 1414160.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री विमलेश कुमार वर्मा व प्रधान श्री छत्रपाल से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरावर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2019-20 धनराशि- ₹0 11,99,163-00

प्रस्तर- 23 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ₹0 1199163.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री विमलेश कुमार वर्मा व प्रधान श्री प्रदीप कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तबक्कलपुर विकासखण्ड - पिहानी वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि- ₹0 71,64,201-00

प्रस्तर- 24 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹0 3446589.00 व 2019-20 में ₹0 3717612.00 कुल ₹0 7164201.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से वर्तमान सचिव श्री राजेश कुमार व प्रधान श्री शत्रोहन से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अण्डौआ विकासखण्ड - टोडरपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि- ₹ 14,02,496-00

प्रस्तर- 25 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹ 1073163.00 व 2019-20 में ₹ 329333.00 कुल ₹ 1402496.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्रीमती रुपाली यादव ग्रा० वि०अ०/ग्रा० पं० अधि० व अन्य जो भी लेखा परीक्षा वर्ष के कार्यकाल में कार्यरत रहे हो व प्रधान श्री नन्हे से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डिघिया विकासखण्ड - टोडरपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 धनराशि- ₹ 24,34,693-00

प्रस्तर- 26 अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹ 1923276.00 व 2019-20 में ₹ 511417.00 कुल ₹ 2434693.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्रीमती रुपाली यादव ग्रा० वि०अ०/ग्रा० पं० अधि० व अन्य जो भी लेखा परीक्षा वर्ष के कार्यकाल में कार्यरत रहे हो व प्रधान श्रीमती पूनम देवी से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -आशा , 2017-18 से 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 1,17,01,030.00

प्रस्तर-27 वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 37,21,137.00 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 43,46,666.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 36,33,227.00 तीनों वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 1,17,01,030.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 1,17,01,030.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका) रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 1,17,01,030.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसका ब्याज सहित वसूलीसंयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवरी , 2013-से 14 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 23,06,933.00

प्रस्तर-28 वर्ष 2013-14 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 6,62,161.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 5,37,433.00 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 1,72,360.00 एवं वर्ष 2016-17 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के- अनुसार व्यय ₹ 9,34,979.00 उपरोक्त चार वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 23,06,933.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 23,06,933.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोईबाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2013-201 से 2016-17 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 23,06,933.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामलली व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र वर्मा विमलेश गुप्ता ,व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे होसंयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,जिगनिया खुर्द -2017-से 18 2019-20, विकास खण्ड टडियावां,धनराशि -₹ 27,65,078.00

प्रस्तर-29 वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 22,07,709.00 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 4,72,399.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 84,970.00, तीनों वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 27,65,078.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 27,65,078.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 27,65,078.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो० शाहिद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अभिषेक सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कुआँमऊ सेमरौली, 2018-से 19 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 029,53,458.00

प्रस्तर-30 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया / सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 12,01,721.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया- सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 17,51,737.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु०. 29,53,458.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 29,53,458.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 और 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 29,53,458.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विटोली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,फुकहा तेलियानी -2017-से 18 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु० 78,84,971.80

प्रस्तर-31 वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 20,97,108.00 वर्ष 2018-19 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 19,94,198.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 37,93,665.80 , तीनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 78,84,971.80 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 78,84,971.80 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोईबाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 78,84,971.80 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकमल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,साखिन रमुआपुर -2017-से 18 2019-20,विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 069,59,566.05

प्रस्तर-32 वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के- अनुसार व्यय रु० 13,30,112.65/-; वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 36,85,635.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 19,43,818.40 , तीनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 69,59,566.05/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 69,59,566.05/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोईबाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 69,59,566.05/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सड़िला ,2018-से 19 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 083,04,425.48

प्रस्तर-33 वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया- सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 57,13,655.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया- सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 25,90,770.48/-, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु०. 83,04,425.48/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 83,04,425.48/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाणपत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोईबाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 और 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 83,04,425.48/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बृजरानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अभिनव मेहरौत्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,भौता कमालपुर-2004-से 05 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 048,09,666.20

प्रस्तर-34 वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 4,35,795.00 वर्ष 2011-12 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 4,51,840.00 वर्ष 2012-13 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 6,54,357.00 वर्ष 2013-14 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 7,71,157.00 वर्ष 2014-15 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 3,97,725.00 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 4,14,756.20 वर्ष 2016-17 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया-सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 5,87,033.00 एवं वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुस-ार व्यय रु० 10,97,003.00 उपरोक्त आठ वर्षों 2010-11 से 2017-18 के व्यय का कुल योग रु० 48,09,666.20 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 48,09,666.20 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2017-18 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 48,09,666.20 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लडैते व श्री कालीदत्त त्रिपाठी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री सोबरन सिंह यादवश्री अभिनव मेहरौत्रा, श्री मानवेन्द्र प्रताप, श्री कृष्ण गोविन्द मिश्रा ,, अमर सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,सारीपुर छछेटा - 2016-से 17 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 06,85,111.60

प्रस्तर-35 वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 3,77,214.25/- एवं वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 3,07,897.35/- उपरोक्त दो वर्षों 2016-17 से 2017-18 के व्यय का कुल योग रु० 6,85,111.60 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 6,85,111.60 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय

पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2016-17 से 2017-18 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 6,85,111.60 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जगरानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री अजय मिश्रा एवं श्री सोमेश मिश्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बहोरा, 2005-06से2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 027,16,356.00

प्रस्तर-36 वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010-11 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के-अनुसार व्यय रु० 2,20,240.00 वर्ष 2011-12 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 3,88,925.00 वर्ष 2012-13 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 4,41,634.00 वर्ष 2013-14 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के-अनुसार व्यय रु० 7,71,691.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 5,77,765.00 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 3,16,101.00 उपरोक्त छ वर्षों 2010-11 से 2015-16 के व्यय का कुल योग रु० 27,16,356.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 27,16,356.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/

विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2015-16 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 27,16,356.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम बिहारी श्रीमती जयदेवी, श्री मोहन लाल, श्री दया शंकर , एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री सोबरन लालश्री कृष्ण गोविन्द मिश्रा , व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सखौरा, 2012-से 13 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 027,45,164.00

प्रस्तर-37 वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 6,38,124.00 वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 8,83,246.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 9,48,442.00 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज प्रिया सॉफ्ट के/अनुसार व्यय रु० 2,75,352.00 उपरोक्त चार वर्षों 2012-13 से 2015-16 के व्यय का कुल योग रु० 27,45,164.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 27,45,164.00 धनराशि के

सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2015-16 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 27,45,164.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी व श्रीमती रामकिशोरी व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री विमलेश गुप्ता श्री मन्नी , लाल, श्री अरविन्द चौरसिया व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जयराजपुर ,2016-से 17 2019-20 विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 090,47,296.00

प्रस्तर-38 वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 19,82,388.00 वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 19,54,333.00 और वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 51,10,575.00 उपरोक्त तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 के व्यय का कुल योग ₹ 90,47,296.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 90,47,296.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2016-17 से 2018-19 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 90,47,296.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री अमर सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सगरापुर ,वर्ष 2018-19 से 2019-20,विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 016,08,239.00

प्रस्तर-39 वर्ष 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- कुल व्यय ₹ 16,08,239.00 जो विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 16,08,239.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा

में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 16,08,239.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -काला आम ,2012-से 13 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 051,81,986.43

प्रस्तर-40 वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 2,60,494.00 वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 5,09,137.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 4,49,768.00 वर्ष 2015-16 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 3,02,691.80 वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 6,04,904.93 वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 1,52,176.00 वर्ष 2018-19 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया-सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 20,04,310.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 8,98,504.70 उपरोक्त आठ वर्षों 2012-13 से 2019-20 के व्यय का कुल योग रु० 51,81,986.43 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 51,81,986.43 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 51,81,986.43 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -महमदापुर ,2011-से 12 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 084,38,166.83

प्रस्तर-41 वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011-12 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 4,37,536.00 वर्ष 2012-13 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 3,65,725.00 वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 15,78,426.00 वर्ष 2014-15 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 11,40,765.70 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 3,88,097.80 वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 8,23,489.93 वर्ष 2017-18 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया-सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 6,79,350.00 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 18,03,043.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु०. 12,21,733.40 , उपरोक्त नौ वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 84,38,166.83 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 84,38,166.83 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2011-12 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 84,38,166.83/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेशम व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जगरोली , 2013-से 14 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 065,90,397.73

प्रस्तर-42 वर्ष 2013-1 से 2019-20 में वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 6,63,700.00 वर्ष 2014-15 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 5,53,075.00 वर्ष 2015-16 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया-सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 1,59,050.10 ; वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 21,94,274.93/-; वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 8,79,896.00 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 16,22,730.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 5,17,671.70 , उपरोक्त सात वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 65,90,397.73 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 65,90,397.73 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2013-1 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 65,90,397.63/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देशराज व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - सिकन्दरपुर ,2012-से 13 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 025,10,064.00

प्रस्तर-43 वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 5,00,246.00 वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 8,62,814.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 8,57,462.00 वर्ष 2015-16 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के- अनुसार व्यय ₹ 2,89,542.00 उपरोक्त चार वर्षों 2012-13 से 2015-16 के व्यय का कुल योग ₹ 25,10,064.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 25,10,064.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2015-16 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 25,10,064.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता रानी व श्री नवाब सिंह व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री अमरनाथ ,श्री अमरनाथ पाल , श्री अभिनव, श्री विमलेश गुप्ताव अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकीब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - निबुआई ,वर्ष- 2015-16 से 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -₹ 02,57,456.80

प्रस्तर-44 वर्ष 2015-16 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट-के अनुसार व्यय ₹ 2,57,456.80 रहा जो विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 2,57,456.80 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2015-16 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 2,57,456.80 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री परमेश कुमार व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री कमल तिवारी एवं श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लालपुर भैंसरी ,वर्ष-2013-से 14 2019-20,विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 020,44,037.00

प्रस्तर-45 वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 5,61,992.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 6,15,784.00 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 1,00,135.00 एवं वर्ष 2016-17 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के- अनुसार व्यय ₹ 7,66,126.00 उपरोक्त चार वर्षों 2013-14 से 2016-17 के व्यय का कुल योग ₹ 20,44,037.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 20,44,037.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2013-14 से 2016-17 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 20,44,037.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवान शरण एवं श्रीमती ऊषा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री सोबरन सिंह श्री ,जितेन्द्र गुप्ता श्री कृष्ण , गोविन्द मिश्रा, श्री जितेन्द्र वर्मा और अभिनव मेहरोत्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नेवादा ,2016-से 17 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -₹ 027,74,280.05

प्रस्तर-46 वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 3,93,699.50 ; वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 5,20,893.55/-; वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 11,89,241.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया-सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 6,70,446.00, उपरोक्त चार वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 27,74,280.05/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 27,74,280.05/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2016-201 से 2019-2020 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 27,74,280.05/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूपसे किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परसनी ,2014-से 15 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 085,46,458.00

प्रस्तर-47 वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 16,76,200.00 वर्ष 2015-16 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 13,87,500.00 वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 3,74,240.00 वर्ष 2017-18 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 11,49,322.00 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 26,75,455.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु०. 12,83,741.00, उपरोक्त छः वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 85,46,458.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 85,46,458.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2014-2015 से 2019-2020 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 85,46,458.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अयारी, 2012-से 13 2019-20 विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 030,56,921.00

प्रस्तर-48 वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2012-13 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट-के अनुसार व्यय रु० 5,65,951.00 वर्ष 2013-14 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 6,97,157.00 वर्ष 2014-15 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 5,26,984.00 वर्ष 2015-16 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 3,29,089.00 एवं वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 9,37,740.00 उपरोक्त पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 के व्यय का कुल योग रु० 30,56,921.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 30,56,921.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.

आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2016-17 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 30,56,921.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी व श्रीमती पूजा कटियार अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / विकास अधिकारी श्री अवधेश सिंह गौर , जितेन्द्र गुप्ता, जितेन्द्र वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - काकूमऊ ,2016-से 17 2019-20 विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 047,19,376.28

प्रस्तर-49 वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की लेखा परीक्षा में वर्ष 2016-17 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 13,43,434.93/-; वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 10,28,378.35/- और वर्ष 2018-1 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 23,47,563.00 रहा, उपरोक्त तीनों वर्षों की कुल व्यय धनराशि रु० 47,19,376.28/- जो विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 47,19,376.28/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2016-17 से 2018-19 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 47,19,376.28/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मन्नी लाल व अन्य सम्बंधित ग्राम प्रधान जो भी इस कार्यकाल में रहे हो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा प्रवीण कुमार, संतोष कुमार, जितेन्द्र कुमार ,व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - राम नगर ,2017-से 18 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 053,00,069.00

प्रस्तर-50 वर्ष 2017-18 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2017-18 की ई /ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 12,61,715.00 वर्ष 2018-19 की ई /ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 24,59,465.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई /ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 15,78,889.00, तीनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 53,00,069.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 53,00,069.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा

लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 53,00,069.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमेठिया मसिनहा, 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि ₹ 014,42,812.80

प्रस्तर-51 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹ 14,42,812.80 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 14,42,812.80 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 14,42,812.80 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बरौली , 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि ₹ 011,10,004.30

प्रस्तर-52 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹ 11,10,004.30 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 11,10,004.30 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 11,10,004.30 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामविलास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भड़ायल , 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 064,83,582.00

प्रस्तर-53 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 64,83,582.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 64,83,582.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 64,83,582.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रविप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री बीरेंद्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सं रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दानियालगंज , 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 016,64,080.00

प्रस्तर-54 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 16,64,080.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 16,64,080.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 16,64,080.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देविया फत्तेपुर , 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 013,29,285.40

प्रस्तर-55 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 13,29,285.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 13,29,285.40 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 13,29,285.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गढ़ी , 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 010,52,277.30

प्रस्तर-56 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 10,52,277.30 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 10,52,277.30 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय -8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से कीजायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 10,52,277.30 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजुम शहनाज़ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अभयराज वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खेरवा दलौली , 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 07,71,328.70

प्रस्तर-57 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 7,71,328.70 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 7,71,328.70 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 7,71,328.70 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेश पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अभिनव मेहरौत्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - कोटरा, वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 018,50,086.00

प्रस्तर-58 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 18,50,086.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 18,50,086.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 18,50,086.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मदन पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रावल , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 013,62,073.00

प्रस्तर-59 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 13,62,073.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 13,62,073.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 13,62,073.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्रीमती सुनीता वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सैंती , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड ,टडियावां - धनराशि रु 011,95,713.40

प्रस्तर-60 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 11,95,713.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 11,95,713.40 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 11,95,713.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोनू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अभिनव मेहरोत्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -टडियावां , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि -रु 031,38,682.40

प्रस्तर-61 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 31,38,682.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 31,38,682.40 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 31,38,682.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,आदमपुर -2018-19से2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि रु० -38,30,336.00

प्रस्तर-62 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 21,93,171.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 16,37,165.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 38,30,336.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 38,30,336.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेतथा अ "ध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से कीजायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 और 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 38,30,336.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्नैया लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,भरांव -वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि रु० -37,08,367.00

प्रस्तर-63 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 13,94,409.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 23,13,958.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 37,08,367.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 37,08,367.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 और 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 37,08,367.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ईश्वरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्तरूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,बोझवा -वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि रु० -20,24,447.40

प्रस्तर-64 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 13,59,656.00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 6,64,791.40 , दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 20,24,447.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 20,24,447.40 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 और 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 20,24,447.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,गौरा डांडा -वर्ष- 2018-19से2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि रु०-40,50,507.00

प्रस्तर-65 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 16,75,490.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 23,75,017.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु०. 40,50,507.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 40,50,507.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 40,50,507.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कृष्ण पाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अभिनव मेहरोत्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,जपरा -वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि ₹0 -59,91,517.00

प्रस्तर-66 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 35,18,813.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 24,72,704.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 59,91,517.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 59,91,517.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 59,91,517.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्राणी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री देशराज गौड़ व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,सरदापुर -वर्ष- 2018-19से2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि ₹0 -31,45,304.40

प्रस्तर-67 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 20,38,245.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 11,07,059.40 , दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 31,45,304.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 31,45,304.40 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबनमानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 31,45,304.40 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री केशव शुक्ला व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-थोक खाला, वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि रु० -58,58,003.43

प्रस्तर-68 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 31,75,550.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई/ग्राम स्वराज-प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 26,82,453.43/-, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु०. 58,58,003.43/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 58,58,003.43/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 58,58,003.43/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री रविकान्त वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उनाँती , वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकास खण्ड टडियावां, धनराशि रु० -45,13,518.04

प्रस्तर-69 वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 21,97,668.00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 23,15,850.04 दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 45,13,518.04 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 45,13,518.04 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 45,13,518.04/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगेश्वरी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री

अभिनव मेहरौत्रा व अन्य सम्बन्धित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -सोनिकपुर , वर्ष- 2018-19से 2019-20, विकास खण्ड -भरावनधनराशि रु0 ,97,31,270-00

प्रस्तर-70 वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1969,67,880-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 20 27,63,390-00 कुल रु 097,31,270-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1969,67,880-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 रु027,63,390-00 कुल रु 097,31,270-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जैकोरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री/सुन्दरलाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -राममदारपुर, वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावनधनराशि रु0 , 11,81,801-00

प्रस्तर-71 वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 11,81,801-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 11,81,801-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -महुआडांडा, वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन, धनराशि रु0 11,20,841-00

प्रस्तर-72 वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11,20,841-00 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11,20,841-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उमाकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -कोयली , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावनधनराशि ₹0 , 11,90,393-00

प्रस्तर-73 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11 20,90,393-विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वसूली के साथ साथ जिलापंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11 20,90,393- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित 00 किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीनग्राम प्रधान श्री रघुरई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्रीसुन्दरलाल व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -खसरौल , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावनधनराशि ₹0 , 17,82,569-00

प्रस्तर-74 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 17 20,82,569-विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में 00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा/में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीनग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 17 20,82,569-विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्रीधीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार

ग्राम पंचायत -गोनी , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन , धनराशि ₹0 21,66,563-00

प्रस्तर-75 वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 2021,66,563-00विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 2021,66,563-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री/ धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -भरावन , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन, धनराशि ₹0 71,98,235-00

प्रस्तर-76 वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 2071,98,235-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 2071,98,235-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा पाण्डे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारी

श्रीधीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - बकवा , वर्ष- 2018-19 व 2019-20, विकास खण्ड-भरावन ,धनराशि ₹0 41,91,337-00

प्रस्तर-77 वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 27 19,44,120-व वर्ष 2019 00- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 20 14,47,217-कुल ₹0 41 00,91,337-विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रामविकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 27 19,44,120-व वर्ष 2019 00- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 20 14,47,217-कुल ₹0 41 00,91,337- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण 00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुन्दरलाल व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - बहुती , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन, धनराशि ₹0 58,30,316-00

प्रस्तर-78 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 58 20,30,316-विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 58 20,30,316- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित 00 किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्रीधीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - अतरौली , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन , धनराशि ₹0 58,22,706-00

प्रस्तर-79 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 58 20,22,706- विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 58 20,22,706-विभिन्न माह 00 के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्री राजनारायन सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - ठिकुन्नी , 2018-19 व 2019-20, विकास खण्ड -भरावनधनराशि ₹0 , 45,31,110-40

प्रस्तर-80 वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 1925,54,049-40 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 ₹0 19,77,061-कुल ₹0 45 00,31,110- 40विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये/ गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 1925,54,049-40 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 20 19,77,061-कुल ₹0 45 00,31,110- 40विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कुमार मौर्या एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनारायन/ सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - वृन्दावन , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन , धनराशि ₹0 10,69,381-00

प्रस्तर-81 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 10 20,69,381- विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशिको गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 10 20,69,381- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियो मे आहरित 00 किये गये है जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहां व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि मे रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - छावन , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन , धनराशि रु0 27,80,717-70

प्रस्तर-82 वर्ष 2019-के अनुसार रु0 27 20,80,717- 70विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियो मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी दवारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख/ प्रस्तुत नही किये गये है, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-के अनुसार रु0 27 20,80,717- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियो मे आहरित किये गये है जिसका 70 अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामसुख व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री आनन्द गौतम अन्य/ वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - घेरवा , वर्ष- 2019-20, विकास खण्ड -भरावन , धनराशि रु0 17,78,513-64

प्रस्तर-83 वर्ष 2019- के 20अनुसार रु17 0,78,513- विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियो मे 64आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी दवारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गयेव्यय के सम्बन्ध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली

के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-के अनुसार ₹0 17 20,78,513- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका 64 अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आनन्द गौतम अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - गोडवा खेम ,2018-19 व 2019-20, विकास खण्ड -भरावन, धनराशि ₹0 20,95,416-42

प्रस्तर-84 वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 13 19,23,503-व वर्ष 2019 42- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 ₹0 7,71,913-कुल ₹0 20 00,95,416- 42विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 13 19,23,503-व वर्ष 2019 42- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 20 7,71,913-कुल ₹0 20 00,95,416- 42विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जसवन्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण/ कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - गोडवा , वर्ष- 2018-19 व 2019-20, विकास खण्ड -भरावन, धनराशि ₹0 55,91,436-00

प्रस्तर-85 वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 27 19,78,874-व वर्ष 2019 00- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 ₹0 28,12,562-कुल ₹0 55 00,91,436- 00विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा/लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 27 19,78,874-व वर्ष 2019 00- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 ₹0 28,12,562-कुल ₹0 55 00,91,436- 00विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका

अपहरण तत्कालीन ग्राम श्री प्रधान आशा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण कुमार व/ अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - कनौरा आंट , वर्ष- 2019-20 , विकास खण्ड -भरावन , धनराशि रु0 13,29,170-00

प्रस्तर-86 वर्ष 2019-के अनुसार रु0 13 20,29,170- विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2 -कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-के अनुसार रु0 13 20,29,170- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका 00 अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - महम्मदापुर , वर्ष- 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड -भरावन ,धनराशि रु0 26,09,133-00

प्रस्तर-87 वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1916,95,850-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के 20अनुसार रु 0 9,13,283-कुल रु0 26 00,09,133- 00विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1916,95,850-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 20 9,13,283-कुल रु0 26 00,09,133- 00विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री र/ाजनारायन सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - रूदौली नेवादा ,2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड -भरावन , धनराशि रु0 37,09,601-00

प्रस्तर-88 वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 23 19,25,605-व वर्ष 2019 00- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 रु0 13,83,996-कुल रु0 37 00,09,601- 00विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 23 19,25,605-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 20 13,83,996-कुल रु0 37 00,09,601- 00विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्यामा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण कुमार व/ अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -सिकन्दरपुर ,2018-19व2019-20 ,विकास खण्ड -भरावनधनराशि रु0 , 62,83,350-31

प्रस्तर-89 वर्ष 2018 -की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 40 19,37,810-व वर्ष 2019 31- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 रु0 22,45,540-कुल रु0 62 00,83,350- 31विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में/उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018-की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 40 19,37,810-व वर्ष 2019 31- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 22,45,540-कुल रु0 62 00,83,350- 31विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता अवस्थी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण/ कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - टिकराकला , वर्ष- 2019-20 विकास खण्ड -सण्डीला धनराशि रु0, 10,09,650-00

प्रस्तर-90 वर्ष 2019- के अनुसार रु0 0,09,650- विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-के अनुसार ₹0 10 20,09,650- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका 00 अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीर बहादुर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रत्नेश वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तलौली , वर्ष- 2019-20 , विकास खण्ड -सण्डीला , धनराशि ₹0 37,81,647-00

प्रस्तर-91 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 37 20,81,647- विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 37 20,81,647- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित 00 किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री रत्नेश/ वर्मा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -सरवागोसवा ,वर्ष- 2019-20 , विकास खण्ड -सण्डीला धनराशि ₹0, 27,43,308-00

प्रस्तर-92 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 27 20,43,308- विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 27 20,43,308-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्री रत्नेश वर्मा व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - रहीमाबाद ग्रान्ट , वर्ष- 2019-20 , विकास खण्ड -सण्डीला धनराशि ₹0 , 9,09,937-00

प्रस्तर-93 वर्ष 2019-के अनुसार ₹0 9 20,09,937- विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं/ किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-के अनुसार ₹0 9 20,09,937- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका 00 अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचरण व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सर्वेश अग्निहोत्री व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मण्डीली , वर्ष- 2019-20 ,विकास खण्ड -सण्डीला धनराशि ₹0 , 14,56,946-00

प्रस्तर-94 वर्ष 2019-के अनुसार ₹0 14 20,56,946- विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत/ नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-के अनुसार ₹0 14 20,56,946- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका 00 अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अतीकुर्रहमान व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रत्नेश वर्मा अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोगावां उमराव , 2019-20 , विकास खण्ड -सण्डीला धनराशि ₹0 , 11,61,186-80

प्रस्तर-95 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11 20,61,186- विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में 80आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11 20,61,186- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित 80 किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती समीना व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्री सर्वेश अग्रहोत्री व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - छनोड़िया , 2019-20 , विकास खण्ड -सण्डीला , धनराशि ₹0 20,44,294-00

प्रस्तर-96 वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 20 20,44,294- विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में 00आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2019-की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 20 20,44,294- विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित 00 किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ श्री रत्नेश वर्मा व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिलहरी , 2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड -शाहाबाद धनराशि ₹0 , 15,04,301-88

प्रस्तर-97 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 5,59,614-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 9,44,687-88 कुल ₹0 15,04,301-88 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 5,59,614-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 9,44,687-88 कुल ₹ 15,04,301-88 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित अवस्थी व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - बूढामऊ , वर्ष- 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड -शाहाबाद धनराशि ₹ 0 , 27,77,377-31

प्रस्तर-98 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 15,92,722-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 11,84,655-31 कुल ₹ 27,77,377-31 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

1-राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 15,92,722-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 11,84,655-31 कुल ₹ 27,77,377-31 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित अवस्थी व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुसेपुर लुकमान ,2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड-शाहाबाद धनराशि ₹ 0, 35,54,947-00

प्रस्तर-99 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 16,48,673-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 19,06,274-00 कुल ₹ 35,54,947-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 16,48,673-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 19,06,274-00 कुल ₹ 35,54,947-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित अवस्थी व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खनिगवां खुर्द ,2018-19 व 2019-20 ,विकास खण्ड -शाहाबाद धनराशि रु0, 46,36,231-08

प्रस्तर-100 वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1922,49,628-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 रु023,86,603-08 कुल रु 046,36,231-08 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये/ गये है, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1- राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018- की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1922,49,628-00 व वर्ष 2019- की प्रिया साफ्ट के अनुसार 20 रु023,86,603-08 कुल रु 046,36,231-08 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों मे आहरित कर व्यय किये गये है। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री/ अनिल कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि मे रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोडरा सरैया , 2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड -शाहाबाद , धनराशि रु0 32,48,939-00

प्रस्तर-101 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 16,58,041-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 15,90,898-00 कुल रु० 32,48,939-00 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 16,58,041-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 15,90,898-00 कुल रु० 32,48,939-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों मे आहरित किये गये है जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुंशी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित अवस्थी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि मे रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुर हृदय , 2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड -शाहाबाद , धनराशि रु0 25,42,792-00

प्रस्तर-102 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 16,72,447-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 8,70,345-00 कुल रु० 25,42,792-00 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 16,72,447-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 8,70,345-00 कुल ₹ 25,42,792-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित अवस्थी व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सकरौली, 2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड -शाहाबाद , धनराशि ₹ 24,71,789-30

प्रस्तर-103 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 18,54,840-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 6,16,949-30 कुल ₹ 24,71,789-30 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 18,54,840-00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 6,16,949-30 कुल ₹ 24,71,789-30 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रानी मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित अवस्थी व अन्यसम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -दरियापुर बलभद्र ,2018-19 व 2019-20 , विकास खण्ड -शाहाबाद , धनराशि ₹ 11,30,429-00

प्रस्तर-104 वर्ष 2018-19 के अनुसार ₹ 05,88,230-00 व 2019-20 में ₹ 5,42,199-00 कुल ₹ 11,30,429-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

2- राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22)) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु 05,88,230-00 व 2019-20 में रु 5,42,199-00 कुल रु 11,30,429-00 विभिन्न माहों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बलराम सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन/ व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : अलीपुर टंडवा, 2019 से 2020, विकासखण्ड : बेहंदर, धनराशि : 31,38,168.00

प्रस्तर-105 वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु- 31,38,168.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु 31,38,168.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु 31,38,168.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : अकोहरा नेवादा, 2018-19से2019-20, विकासखण्ड : बेहंदर , धनराशि :28,42,273.00

प्रस्तर-106 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु 16,98,622.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु 11,43,651.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु 28,42,273.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु 28,42,273.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु 28,42,273.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अब्बास

रजा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : बहलोलपुर, 2019-20, विकासखण्ड : बेहंदर , धनराशि :18,72,836.00

प्रस्तर-107 वर्ष 2019-20 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया-सॉफ्ट के अनुसार रू० 18,72,836.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 18,72,836.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रू० 18,72,836.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अयोध्या प्रसाद व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : भटौली नंदोली वर्ष 2019-20, विकासखण्ड : बेहंदर , धनराशि :12,00,399.00

प्रस्तर-108 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू०- 12,00,399.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 12,00,399.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रू० 12,00,399.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अन्नपूर्णा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री नीरज मिश्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत: बिरौली ,2018-19से2019-20, विकासखण्ड : बेहंदर, धनराशि :रू० 38,93,134.00

प्रस्तर-109 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रू० 19,96,656.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रू० 18,96,478.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रू० 38,93,134.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 38,93,134.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा

में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 38,93,134.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रबिता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अयोध्या प्रसाद व अन्य सम्बन्धित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: फतेपुर पथरौली 2019-20 , विकासखण्ड : बेहंदर, धनराशि : ₹12,58,509.00

प्रस्तर-110 वर्ष 2019-20 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹/ 12,58,509.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 12,58,509.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 12,58,509.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनूप सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री राजेश गुप्ता व अन्य सम्बन्धित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: गौरी दायमपुर, 2018-19 से 2019-20 , विकासखण्ड: बेहंदर, धनराशि: ₹45,58,917.00

प्रस्तर-111. वर्ष 2018-19 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय ₹ 27,45,178.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई- राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 18,13,739.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 45,58,917.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 45,58,917.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11.

समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 45,58,917.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री मनीष व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: गौरी सैयेद तालिब, 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर, धनराशि: 26,75,216.00

प्रस्तर-112 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 20,83,004.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 5,92,212.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 26,75,216.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 26,75,216.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 26,75,216.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जमुना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री राजेश गुप्ता व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : घुघेरा, 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर धनराशि: 58,05,113.00

प्रस्तर-113 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 32,50,827.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 25,54,286.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 58,05,113.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 58,05,113.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 58,05,113.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हुसन जहाँ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री मनीष व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: घुसपाहा, 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर , धनराशि: 23,86,212.00

प्रस्तर-114 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 15,78,972.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 8,07,240.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 23,86,212.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 23,86,212.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 23,86,212.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: हिया , 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर :धनराशि, रु० 25,91,382.00

प्रस्तर-115 वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 25,91,382.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 25,91,382.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये (

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 25,91,382.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भल्लन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री गौरव मिश्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: जरहा , 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर , धनराशि: 28,14,807.00

प्रस्तर-116 वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 28,14,807.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 28,14,807.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 28,14,807.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शैल कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री गौरव मिश्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: कासिमपुर , 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर , धनराशि: 46,51,984.00

प्रस्तर-117 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 29,51,899.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 17,00,085.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 46,51,984.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 46,51,984.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 46,51,984.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री

अनिल कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: माडर , 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर , धनराशि: रु० 29,71,183.00

प्रस्तर-118 वर्ष 2019-20 की ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के-अनुसार रु० 29,71,183.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 29,71,183.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 29,71,183.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू गुप्ता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री संजय कुमार व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: पिलखनी दमगढ़ा, वर्ष- 2018-19से2019-20 ,विकासखण्ड:बेहंदर:धनराशि, 78,97,692.00

प्रस्तर-119 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 48,19,652.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया- सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 30,78,040.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 78,97,692.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 78,97,692.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 78,97,692.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नन्हेलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत :रामपुर भटौली, वर्ष- 2018-19से2019-20, विकासखण्ड:बेहंदर, धनराशि :28,73,718.00

प्रस्तर-120 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 17,26,276.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 11,47,442.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 28,73,718.00

विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 28,73,718.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 28,73,718.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अब्बास रज़ा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: सरेहरी, 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर, धनराशि : रु० 58,17,127.00

प्रस्तर-121 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 32,61,450.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 23,55,677.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 58,17,127.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 58,17,127.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास/ अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 58,17,127.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री नीरज मिश्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: सर्वै, वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड: बेहंदर, धनराशि: रु० 59,23,010.00

प्रस्तर-122 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 35,14,033.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय रु० 24,08,977.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 59,23,010.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 59,23,010.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा

में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 59,23,010.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री साहेब लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: सिरौली, वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड:बेहंदर, धनराशि: रु० 16,58,731.00

प्रस्तर-123 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 10,64,262.00 एवं वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 5,94,469.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 16,58,731.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 16,58,731.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये" व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 16,58,731.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सगीर व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत: सुखनखेडा वर्ष-2019-20, विकासखण्ड:बेहंदर, धनराशि: रु० 8,21,644.00

प्रस्तर-124 वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 8,21,644.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 8,21,644.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक

सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 8,21,644.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री राजेश गुप्ता व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत:कुतुबपुर, वर्ष- 2018-19 से 2019-20, विकासखण्ड:बेहंदर, धनराशि:रु० 20,49,989.00

प्रस्तर-125 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 11,27,863.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 9,22,126.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 20,49,989.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 20,49,989.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 20,49,989.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री मनीष व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत:भीठी, वर्ष- 2018-19 से 2019-20 विकासखण्ड:बेहंदर, धनराशि:रु० 16,48,283.00

प्रस्तर-126 वर्ष 2018-19 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार- व्यय रु० 8,10,201.00 एवं वर्ष 2019-20 की ई ग्राम-स्वराजप्रिया सॉफ्ट के अनुसार/ व्यय रु० 8,38,082.00, दोनों वर्षों के व्यय का कुल योग रु० 16,48,283.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 16,48,283.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। 1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये"

व्यय के सम्बन्ध में कोईबाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 16,48,283.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पोहकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री नीरज मिश्रा व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत: रसूलपुर ब्रम्हनान वर्ष- 2019-20, विकासखण्ड:बेहंदर, धनराशि:रु०11,06,184.00

प्रस्तर-127 वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु०- 11,06,184.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु० 11,06,184.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि" दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोईबाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी"

इस प्रकार वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 11,06,184.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री अयोध्या प्रसाद व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अहिरोरी 2014-15 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि रु0-2,88,93,378=85

प्रस्तर 128 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष2014-15 में रु0 26,24,472=00 वर्ष 2015-16 में रु0 1,02,91,245=85 वर्ष 2016-17 में रु0 13,79,764= वर्ष 002017-18 में रु0 62,54,303=00, वर्ष 2018-19 में रु0 59,09,987=00 एवं 2019-20 में रु 024,33,607=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 2,88,93,378=85 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2014- 15 में ₹0 26,24,472= 00 वर्ष 2015-16 में ₹0 1,02,91,245=85 वर्ष 2016-17 में ₹0 13,79,764= 00 वर्ष 2017-18 में ₹0 62,54,303=00, वर्ष 2018-19 में ₹0 59,09,987=00 एवं 2019-20 में ₹0 24,33,607=00 कुल व्यय ₹0 2,88,93,378=85 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता गुप्ता व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री दिनेश गुप्ता श्री मनमोहन अग्रवाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो ,द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बरखेरवा-2016-17 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि ₹0-71,31,956=50

प्रस्तर 129 - वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 26,43,162=00, 2018-19 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 25,03,180=00, वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 3,73,780=00 एवं वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 16,11,834=50 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर कुल ₹0 71,31,956=50 व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेतथा " अध्याय -8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि (दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 में व्यय की गयी कुल धनराशि ₹0 71,31,956=50 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमाणको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिनेशपाल व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येन्द्र सिंह,श्री लाल बिहारी,श्री विमलेश गुप्ता ,श्री सोमेश मिश्रा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत , भीठा महासिंह -2016-17 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि-₹0 45,23,079=30

प्रस्तर 130 - वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2019-20 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 10,22,525=00, 2018-19 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 14,27,912=00, वर्ष 2017-18 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 7,11,021=00 एवं वर्ष 2016-17 की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार ₹0 13,61,621=30 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर कुल ₹0 45,23,079=30 व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक

सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेतथा " अध्याय -8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि (दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 45,23,079=30 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येन्द्र सिंह,श्री लाल बिहारी,श्री रजनीश त्रिपाठी अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भुडिया, 2016-17 से2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि-रु0 24,04,393=00

प्रस्तर 131- वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2019-20 की ई-ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 7,32,132=00, 2018-19 की ई-ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 11,82,172=00, वर्ष 2017-18 की ई-ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 2,56,757=00 एवं वर्ष 2016-17 की ई-ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 2,33,332=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर कुल रु0 24,04,393=00 व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये "तथा अध्याय -8 के खंड -8 (क)के अनुसार" यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2016-2017 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 24,04,393=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री मनमोहन अग्रवाल ,श्री राजेश वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भुडिया, वर्ष-2016-17से2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि-रु0 33,851=00

प्रस्तर 132 - वर्ष 2018- के ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत भुडिया का वर्ष 19 2018-का कैशबुक का अंतिम अवशेष 19 रु0 1,28,217=00 दर्शित हो रहा है जबकि वर्ष 2019 ,के ऑनलाइन ई- 20 राम स्वराज / प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत भुडिया का वर्ष 2019-ग-का कैशबुक का प्रारम्भिक अवशेष रु 200 94,366=00 दर्शित हो रहा है। इस प्रकार वर्ष के अन्तिम अवशेष से वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष रु0 33,851=00 से कम दर्शाया गया है । विभागीय अधिकारियों से जाँच कराकर अन्तर की स्थिति लेखा परीक्षा में कि जानी अपेक्षित है । अन्यथा कि स्थिति में रु0 33,851=00 कि जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित

है। ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवम् सम्बन्धित ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- थोक माधव, वर्ष-2017-18 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी, धनराशि-रु0 47,03,828=00

प्रस्तर 133 - प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 14,02,853=00, वर्ष 2018-19 में रु0 22,12,300=00 एवं 2019-20 में रु0 010,88,675=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 47,03,828=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा - 1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 14,02,853=00, वर्ष 2018-19 में रु0 22,12,300=00 एवं 2019-20 में रु0 010,88,675=00 कुल व्यय रु0 47,03,828=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री घनश्याम व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कौशलेन्द्र भारतीश्री लाल बिहारी, श्री सत्येन्द्र सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गड़ेउरा, वर्ष-2016-17 से 2019-20, विकासखण्ड अहिरोरी, धनराशि रु-01,23,63,963=00

प्रस्तर 134 - प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 32,75,256=00 वर्ष 2017-18 में रु0 24,75,673=00, वर्ष 2018-19 में रु0 40,60,266=00 एवं 2019-20 में रु0 025,52,768=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 1,23,63,963=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 32,75,256=00, वर्ष 2017-18 में रु0 24,75,673=00, वर्ष 2018-19 में रु0 40,60,266=00 एवं 2019-20 में रु0 025,52,768=00 कुल व्यय रु0 1,23,63,963=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चक्रपाल व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विमलेश गुप्ता श्री मनमोहन अग्रवाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अठौवा, 2016-17 से 2019-20, विकासखण्ड अहिरोरी ,धनराशि रु-0 45,20,521=65

प्रस्तर 135- प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 13,49,371=65 वर्ष 2017-18 में रु0 6,19,053=00, वर्ष 2018-19 में रु0 17,18,266=00 एवं 2019-20 में रु 08,33,831=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 45,20,521=65 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 13,49,371=65 वर्ष 2017-18 में रु0 6,19,053=00, वर्ष 2018-19 में रु0 17,18,266=00 एवं 2019-20 में रु 08,33,831=00 कुल व्यय रु0 45,20,521=65 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कौशलेन्द्र भारतीश्री लाल बिहारी ,श्री सत्येन्द्र सिंह,,श्री विमलेश गुप्ता व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो,द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कमोलिया, वर्ष-2018-19से2019-20,विकासखण्डअहिरोरी ,धनराशि रु-0 28,03,303=00

प्रस्तर 136 - प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 16,38,364=00 एवं 2019-20 में रु 011,64,939=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 28,03,303=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष वर्ष 2018-19 में रु0 16,38,364=00 एवं 2019-20 में रु 011,64,939=00 ,कुल व्यय रु0 28,03,303=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अहिबरन लाल व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विजय वर्मा श्री रजनीश त्रिपाठी , एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो,द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- केशवन, वर्ष-2016-17 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि रु-0 43,50,388=00

प्रस्तर 137- प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 9,09,534= वर्ष 002017-18 में रु0 8,45,651=00, वर्ष 2018-19 में रु0 13,43,471=00 एवं 2019-20 में रु 012,51,732=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में

आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 43,50,388=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 9,09,534= वर्ष 002017-18 में रु0 8,45,651=00, वर्ष 2018-19 में रु0 13,43,471=00 एवं 2019-20 में रु 012,51,732=00 , कुल व्यय रु0 43,50,388=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति रीता शर्मा व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येन्द्र सिंह श्री मनमोहन अग्रवाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त , अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पिपौना, वर्ष-2017-18 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी ,धनराशि रु-0 44,80,142=00

प्रस्तर 138 - प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 11,43,648=00, वर्ष 2018-19 में रु0 21,13,384=00 एवं 2019-20 में रु 012,23,110=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 44,80,142=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 11,43,648=00, वर्ष 2018-19 में रु0 21,13,384=00 एवं 2019-20 में रु 012,23,110=00, कुल व्यय रु0 44,80,142=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति उषा वर्मा श्रीमती माधुरी व /ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विमल श्रीवास्तव एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सारीपुर हीरालाल, वर्ष-2018-19 से 2019-20, विकास खण्ड अहिरोरी, धनराशि रु-0-28,29,174=00

प्रस्तर 139 - प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 18,01,485=00 एवं 2019-20 में रु 010,27,689=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 28,29,174=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 18,01,485=00 एवं 2019-20 में रु 010,27,689=00 कुल व्यय रु0 28,29,174=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति शन्नो व ग्रा0प0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश वर्मा श्री मनमोहन अग्रवाल एवं , अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये - तथा अध्याय "8 के खंड -8 (क के अनुसार "यदि दर्शाये गये (व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्रामपंचायत से की जायेगी"

ग्राम पंचायत - सैदापुर कौशिया वर्ष-2010-से 2019 11-विकास खण्ड- भरखनी धनराशि- 2954592 20=00

प्रस्तर 140 -वित्तीय वर्ष 2016- से 172019-20, तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे जिसमें आय व्यय सही पाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2010- के अभिलेख ना प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध है और ना ही ऑफलाइन संबंधित ग्राम 11 विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारीद्वारा उपलब्ध कराया गया है जिससे उस वर्ष के आंकड़ों की सूचना नहीं दी जा सके वर्ष 2011-से 2015 12- तक के 16कैशबुक और स्टेटमेंट उपलब्ध रहे लेकिन व्यय पत्रावलीव्यय , वाउचर ,एमबी आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जिससे उक्त वर्षों में की गई व्यय धनराशि संदिग्ध रही वर्ष 2011- में रु0 12 530000=वर्ष 2012 00-में रु0 487600 13=वर्ष 2013 00-में रुपया 475085 14=वर्ष 2014 00- 15में रु1048468 0= 00 वर्ष 2015-16 में रु0 413439= इस प्रकार 00कुल रु० 2954592=00 ग्राम पंचायत सैदापुर कौशिया में विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किया गया है/ उक्त समय अवधि में कार्यरत रहे ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं श्री हेतराम व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री ओम शिव पांडे एवं अन्य संबंधित जो भी हो /द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित उत्तरदाई व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर खेरिया वर्ष-2010-11से2019-विकासखण्ड-भरखनी 20 धनराशि2280471 -=00

प्रस्तर 141 -वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे जिसमें आय व्यय सही पाए गए हैं वित्तीय वर्ष /2010-11 से 2015-16 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए जिसकी लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों से किया गया है वर्ष 2010-11 के अनुसार रु० 139200-00, वर्ष 2011-12 में रु० 298699=00, वर्ष 2012-13 में रु० 346500=00 . वर्ष 2013-14 में रु० 726100=00, वर्ष 2014-15 में रु० 478963=00, वर्ष 2015-16 में रु० 291009=00, इस प्रकार कुल रुपया 2280471= 00प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सुल्तानपुर खेरिया विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक

सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे जिसमें आय व्यय सही पाए गए हैं वित्तीय वर्ष / 2010-11 से 2015-16 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए जिसकी लेखा परीक्षा प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों से किया गया है वर्ष 2010-11 के अनुसार रु० 139200-00, वर्ष 2011-12 में रु० 298699=00, वर्ष 2012-13 में रु० 346500=00, वर्ष 2013-14 में रु० 726100=00, वर्ष 2014-15 में रु० 478963=00, वर्ष 2015-16 में रु० 291009=00, इस प्रकार कुल रुपया 2280471= 00 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सुल्तानपुर खेरिया में विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विवेक कुमार जबाहर लाल , व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विकाश अग्निहोत्री व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुल्लापुर पतौरा वर्ष-2018 -से 2019 19- -20 विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 1843429=00

प्रस्तर 142 -वर्ष 2019-20 में रु० 210591-00 एवं वर्ष 2018-19 में रु० 1632838=00 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत हुल्लापुर पतौरा में कुल रु0 1843429=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस वर्ष 2019-20 में रु० 210591-00 एवं वर्ष 2018-19 में रु० 1632838=00 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत हुल्लापुर पतौरा में कुल रु0 1843429=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री गौरव मिश्रा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिलवरी वर्ष- 2019- 20 विकास खण्ड भरखनी - धनराशि -2533923=0 0

प्रस्तर 143 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 2533923=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 2533923=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री पदम कुमार पाठक अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुरारी वर्ष- 2019- 20 विकास खण्ड भरखनी - धनराशि -7,49,522=00

प्रस्तर 144 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 749522=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 749522=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुन्ना सिंह व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री गौरव मिश्रा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भाहपुर सपहा वर्ष- 2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -19,88,710- 00

प्रस्तर 145 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1988710=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1988710=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजाराम (मृतक) पंकज कुमार वग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री गौरव मिश्रा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - असंमधा वर्ष- 2019 -20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -4,96,235=00

प्रस्तर 146 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 496235=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उप्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 496235=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हबीब खां व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री पदम कुमार पाठक अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भोरापुर वर्ष- 2019 - 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -13,48,683=00

प्रस्तर 147 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1348683=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1348683=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री पदम कुमार पाठक सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहजनपुर 2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -9,76,881=00

प्रस्तर 148 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 976881=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 976881=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री पदम कुमार पाठक अन्य सम्बन्धित

कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मदनापुर वर्ष- 2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -9,71,334=00

प्रस्तर 149 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 971334=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 971334=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री पदम कुमार पाठक अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -राम दासपुर वर्ष- 2018-से 2019 19--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 20 14,45,281=00

प्रस्तर 150 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 353226=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1092055=00 इस प्रकार कुल रु0 1445281=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष (्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 353226=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1092055=00 इस प्रकार कुल रु0

1445281=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुरेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बाबरपुर वर्ष- 2018-से 2019 19--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2042,03,681=00

प्रस्तर 151 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1878504=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 2325177=00 इस प्रकार कुल रु0 4203681=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक

सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क)के अनु (सार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1878504=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 2325177=00 इस प्रकार कुल रु0 4203681=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी देवी ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुरेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दहिरापुर वर्ष- 2018-से 2019 19--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2025,87,917-00

प्रस्तर 152 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1062516=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1525401=00, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 2587917-00, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1062516-00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1525401=00, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 2587917-00, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती उर्मिला देवी देवी चन्द्रव ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुरेश यादव अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रमापुर मिश्र वर्ष- 2018-से 2019 19--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2015,77,884-80

प्रस्तर 153 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 552072-80 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1025812=00, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 15,77,884-80, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 552072-80 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1025812=00, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 1577884-80 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधानश्रीमती

मीना देवी चन्द्रव ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुरेश यादव अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मानपारा वर्ष- 2018-से 2019 19-20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -12,76,337=00

प्रस्तर 154 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 880004=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 396333=00 इस प्रकार कुल रु0 1276337=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के (अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 880004=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 396333=00 इस प्रकार कुल रु0 1276337=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजेश ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुरेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-फरिगहना अलियारपुर वर्ष-2018-19से2019--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2043,92,273=00

प्रस्तर 155 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1805658=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 2586615=00 इस प्रकार कुल रु0 4392273=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1805658=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 2586615=00 इस प्रकार कुल रु0 4392273=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री दिलीप पटेल अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रमपुरा खमरिया वर्ष- 2018-19से2019--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2031,30,458=00

प्रस्तर 156 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1457920=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1672538=00 इस प्रकार कुल रु0 3130458=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1457920=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1672538=00 इस प्रकार कुल रु0 3130458=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनुराधा ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धीरेन्द्र पाण्डेय अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -चांदपुर वर्ष- 2018-से 2019 19--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2015,03,422=00

प्रस्तर 157 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 559252=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 944170=00 इस प्रकार कुल रु0 1503422=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनु (सार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 559252=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 944170=00 इस प्रकार कुल रु0 1503422=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुग्रीव कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री प्रवीन सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मुरतजा नगर वर्ष- 2018-19से2019--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2020,90,232=00

प्रस्तर 158 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1377393=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 712839=00 इस प्रकार कुल रु0 2090232=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1377393=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 712839=00 इस प्रकार कुल ₹0 2090232=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सरन ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री प्रवीन सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बहोरा वर्ष-2018 -से 2019 19- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -14,56,854=00

प्रस्तर 159 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 671882=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 784972=00 इस प्रकार कुल ₹0 1456854=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 671882=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 784972=00 इस प्रकार कुल ₹0 1456854=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री पदम कुमार पाठक अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -सवायाजपुर वर्ष- 2018-19 से 2019--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2066,80,232=00

प्रस्तर 160 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 2612631=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 4067601=00 इस प्रकार कुल ₹0 6680232=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 2612631=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 4067601=00 इस प्रकार कुल ₹0 6680232=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री किरन सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विकास अग्निहोत्री अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मलिकापुर विल्सरी वर्ष- 2018-19से2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -20,96,324=00

प्रस्तर 161 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 811526=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 1284798=00 इस प्रकार कुल ₹0 2096324=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/

अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क)के अनु (सार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 811526=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1284798=00 इस प्रकार कुल रु0 2096324=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्य पाल सिंह चौहान ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विकास अग्निहोत्री अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -लखमापुर वर्ष- 2018-19से2019-20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -22,18,227=96

प्रस्तर 162 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 756680=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1461547=96 इस प्रकार कुल रु0 2218227=96 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 756680=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1461547=96 इस प्रकार कुल रु0 2218227=96 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अंसुल ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विकास अग्निहोत्री अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -गौरा उदयपुर वर्ष- 2018-से 2019 19--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2018,23,518=00

प्रस्तर 163 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 937458=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 886060=00 इस प्रकार कुल रु0 1823518=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 937458=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु० 886060=00 इस प्रकार कुल रु० 1823518=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सोबरन लाल ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री विकास अग्निहोत्री अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -भरखनी वर्ष- 2018-19 से 2019- 20 विकास खण्डभरखनी - धनराशि-69,90,956=00

प्रस्तर 164 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 3943657=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु० 3047299=00 इस प्रकार कुल रु० 6990956=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 3943657=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु० 3047299=00 इस प्रकार कुल रु० 6990956=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोष कुमारी ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री आलोक सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -महमूदपुर अटरिया वर्ष- 2018-19से2019--विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 2020,59,364=44

प्रस्तर 165 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 1350213=64 एवं 2018-19 के अनुसार रु० 709150=80 इस प्रकार कुल रु० 2059364=44 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 1350213=64 एवं 2018-19 के अनुसार रु० 709150=80 इस प्रकार कुल रु० 2059364=44 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री

सुरेंद्र सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री दिलीप सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -घसो वर्ष- 2018-से 2019 19-20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -12,93,455=00

प्रस्तर 166 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 371975=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 921480=00 इस प्रकार कुल रु0 1293455=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 371975=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 921480=00 इस प्रकार कुल रु0 1293455=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अखिलेश कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -पाण्डेयपुर वर्ष-2017-18 से 2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -27,23,503=00

प्रस्तर 167 -वर्ष 2017-18 में रु० 688969=00, वर्ष 2018-19 में रु० 21000=00, व वर्ष 2019-20 में रु० 2013534=00 इस प्रकार कुल रु0 2723503=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु० 688969=00, वर्ष 2018-19 में रु० 21000=00 व वर्ष 2019-20 में रु० 2013534=00 इस प्रकार कुल रु0 2723503=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती योजना व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विकास अग्निहोत्री व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -खनिकला जहानपुर वर्ष-2018-19से2019- 20 -विकास खण्ड-भरखनी धनराशि 39,05,169=00

प्रस्तर 168 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1917002=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1988167=00 इस प्रकार कुल रु0 3905169=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1917002=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1988167=00 इस प्रकार कुल रु0 3905169=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मोनी देवी ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री विकास अग्निहोत्री अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -पैतापुर पचरेया वर्ष-2017-18से2019- विकास खण्ड- भरखनी 20धनराशि-80,97,179=00

प्रस्तर 169 -वर्ष 2017-18 में रु0 2655997=00, वर्ष 2018-19 में रु0 2972074=00, व वर्ष 2019-20 में रु0 2469108=00 इस प्रकार कुल रु0 8097179=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि (दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु0 2655997=00, वर्ष 2018-19 में रु0 2972074=00, व वर्ष 2019-20 में रु0 2469108=00 इस प्रकार कुल रु0 8097179=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मोरकली व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अलोक सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -गौरखेडा वर्ष-2018-19से2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -19,96,835-30

प्रस्तर 170 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 456830=30 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1540005=00 इस प्रकार कुल रु0 19,96,835-30 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 456830=30 एवं 2018-19 के अनुसार ₹ 1540005=00 इस प्रकार कुल ₹ 19,96,835-30 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कौशल किशोर पाल व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री अखिलेश कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -विनैका मेन्दीयारपुर 2018-से 2019 19-20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -33,51,877-00

प्रस्तर 171 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 1676459=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹ 1675418=00 इस प्रकार कुल ₹ 33,51,877-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 1676459=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹ 1675418=00 इस प्रकार कुल ₹ 33,51,877-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री पदम कुमार पाठक अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रहतौरा वर्ष-2018 -19 से 2019- 20 विकास खण्ड-भरखनी धनराशि - 22,95,342-90

प्रस्तर 172 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 709618=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹ 1585724=90 इस प्रकार कुल ₹ 22,95,342-90 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 709618=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹ 1585724=90 इस प्रकार कुल ₹ 22,95,342-90 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री

नन्द किशोर व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुनील मिश्रा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -गिरधरपुर वर्ष-2018 -से 2019 19-20

-विकास खण्ड- भरखनी धनराशि 20,58,956-

96

प्रस्तर 173 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1080186=76 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 978770=20, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 2058956-96 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1080186=76 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 978770=20, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 2058956-96 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्रव ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अखिलेश कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जलपापुर वर्ष-2018-से 2019 19- 20

विकास खण्ड- भरखनी धनराशि-

31,09,794-00

प्रस्तर 174 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1460693=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1649101=00 इस प्रकार कुल धनराशि रु० 31,09,794-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1460693=00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 1649101=00 इस प्रकार कुल धनराशि रु० 31,09,794-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कौशल किशोर पाल व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अखिलेश कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बरुआरा वर्ष-2018-से 2019 19- 20

विकास खण्ड-भरखनी धनराशि -27,57,643=00

प्रस्तर 175 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 861336=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 1896307=00 इस प्रकार कुल ₹0 2757643=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के ₹0 861336=00 एवं 2018-19 के अनुसार ₹0 1896307=00 इस प्रकार कुल ₹0 2757643=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम वेदी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री आलोक सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -परनखा वर्ष-2019- 20 विकास खण्ड-माधोगंज धनराशि - 7,34,853=04

प्रस्तर 176 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 734853=04 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 734853=04 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री योगेंद्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -समुखानेवादा वर्ष- 2019- 20 विकास खण्डमाधोगंज धनराशि - -7,05,684-32

प्रस्तर 177 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 705684.32 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 705684.32 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आत्माराम ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री योगेंद्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -डकौली वर्ष-2019- 20 विकास खण्ड-माधोगंज धनराशि -9,23,941.00

प्रस्तर 178 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 923941.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 923941.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुभाष चंद्र ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री योगेंद्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जलिहापुर वर्ष-2019- 20 विकास खण्ड-माधोगंज धनराशि -3,09,335.00

प्रस्तर 179 -वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 309335.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 309335.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री योगेंद्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कुरसठ खुर्द देहात वर्ष-2019- 20 विकास खण्ड माधोगंज - धनराशि-6,43,774=00

प्रस्तर 180 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 643774=00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 643774=00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री योगेंद्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कुरसठ बुजुर्ग देहात वर्ष-2016-17से2019-20

-विकास खण्ड

माधोगंज

-धनराशि 46,01,560.00

प्रस्तर 181 -वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1693486.90, 2018-19 के अनुसार ₹0 1563771.90, 2017-18 के अनुसार ₹0 887317.00 एवं 2016-17 अनुसार ₹0 456984.20 इस प्रकार कुल रुपया 4601560.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1693486.90, 2018-19 के अनुसार ₹0 1563771.90, 2017-18 के अनुसार ₹0 887317.00 एवं 2016-17 अनुसार ₹0 456984.20 इस प्रकार कुल रुपया 4601560.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदीन ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री योगेंद्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -भजेहटा तिगावाँ वर्ष-2012-13से2019-20 विकास खण्ड माधोगंज - धनराशि-2,77,000.00

प्रस्तर 182 -लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 के बैंक विवरण की जांच के उपरांत पाया गया की धनराशि ₹0 277000 आहरित कर व्यय की गयी है, परंतु उक्त अवधि के कोई भी अभिलेख यथा कैशबुक, वाउचर पत्रावली एवं एम0बी0 और कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। ऐसी स्थिति में उपरोक्त लेखों का न पाया जाना गबन अपहरण की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि के लिए तत्कालीन सचिव श्री श्रीकृष्ण सविता एवं प्रधान श्रीमती अनीता देवी समान रूप से उत्तरदायी है। लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खंड-7-ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये तथा अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि (दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीकृष्ण सविता से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी-द्वारा भारतीय दंड संहिता कि धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकद्दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में व्यय कि गयी धनराशि रु0 277000 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं सचिव श्री श्री कृष्ण सविता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली कि धनराशि ब्याज समेत संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- ककेड़ी वर्ष-2012-13 से 2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि:- रु० 47,02,952=00

प्रस्तर:-183 ग्राम पंचायत ककेड़ी मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 में रु0 419500=00, वर्ष 2013-14 मे रु० 2365460-00, वर्ष 2014-15 मे रु० 1445035=00 एवं वर्ष 2015-16 मे रु० 472957=00, इस प्रकार कुल रु० 4702952=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2012-13 में रु0 419500=00, वर्ष 2013-14 मे रु० 2365460-00, वर्ष 2014-15 मे रु० 1445035=00 एवं वर्ष 2015-16 मे रु० 472957=00, इस प्रकार कुल रु० 4702952=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमा देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- सादुल्लापुर वर्ष-2012-13 से 2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि:- रु0 36,34,619=00

प्रस्तर:-184 ग्राम पंचायत सादुल्लापुर मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 में रु0 1053556=00, वर्ष 2013-14 मे रु० 1261933-00, वर्ष 2014-15 मे रु० 911486=00 एवं वर्ष 2015-16 मे रु० 407644=00, इस प्रकार कुल रु० 3634619=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2012-13 में ₹0 1053556=00, वर्ष 2013-14 में ₹0 1261933-00, वर्ष 2014-15 में ₹0 911486=00 एवं वर्ष 2015-16 में ₹0 407644=00, इस प्रकार कुल ₹0 3634619=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राकेश पाल अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- खुटेहना वर्ष- 2012-13 से 2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि:- ₹0 2,81,589=00

प्रस्तर:-185 ग्राम पंचायत खुटेहना की लेखा परीक्षा में यह पाया गया की विभागीय साइट प्रिया सॉफ्ट ई-ग्रामस्वराज पर / उक्त ग्राम पंचायत के वर्ष 2015-16, की सम्पूर्ण रूप में कैशबुक अपलोड नहीं पायी गयी जिससे उक्त वर्ष 2015-16, के प्रारंभिक अवशेष एवं अंतिम अवशेष की स्थिति अज्ञात रही ई-ग्रामस्वराज पर केवल वर्ष में आय एवं वर्ष में व्यय का / विवरण पाया गया/ जिसके अनुसार वर्ष 2015-16, में ₹0 281589=00, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2015-16, में ₹0 281589=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राममूर्ति वर्मा अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- खुटेहना वर्ष-2012-13 से 2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि:- आंकड़े अनुपलब्ध

प्रस्तर:-186 ग्राम पंचायत खुटेहना की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक की कैशबुक व अन्य सम्बन्धित अभिलेख विभागीय साइट प्रिया सॉफ्ट ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड नहीं पायी गयी / और न ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिवद्वारा ऑफलाइन उपलब्ध कराई गयी इस प्रकार उक्त तीन वर्षों (वर्ष /2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) के आय व्यय के धनराशि प्रारंभिक अवशेष, वर्ष में प्राप्त, वर्ष में व्यय एवं अंतिम अवशेष (/की पुष्टि किसी श्रोत से न हो सकी

इस प्रकार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक ग्राम पंचायत को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विवरण ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध न होना ग्राम पंचायत के विकास हेतु आवंटित/धनराशि के अपहरण गबन की श्रेणी में/ वर्गीकृत किया जाता है/ उक्त तीन वर्षों (वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) में ग्राम पंचायत को कितनी धनराशि अनुदान व अन्य स्रोत से प्राप्त हुई व उसके सापेक्ष कितनी धनराशि ग्राम पंचायत में व्यय की गयी, की पुष्टि सम्बन्धित सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराकर कराई जानी अपेक्षित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत:- संगेचामऊ वर्ष-2012-13 से 2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि - ₹0 30,34,182=00

प्रस्तर:-187 ग्राम पंचायत संगेचामऊ में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 में ₹0 458672=00, वर्ष 2013-14 में ₹0 1290477-00, वर्ष 2014-15 में ₹0 700018=00 एवं वर्ष 2015-16 में ₹0 584925=00, इस प्रकार कुल ₹0 3034182=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2012-13 में ₹0 458672=00, वर्ष 2013-14 में ₹0 1290477=00, वर्ष 2014-15 में ₹0 700018=00 एवं वर्ष 2015-16 में ₹0 584925=00, इस प्रकार कुल ₹0 3034182=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा सिंह व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राम मूर्ति वर्मा अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- सैतियापुर वर्ष-2012-13 से 2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि:- ₹0 44,03,280=00

प्रस्तर:-188 ग्राम पंचायत सैतियापुर में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 में ₹0 839665=00, वर्ष 2013-14 में ₹0 1852362=00, वर्ष 2014-15 में ₹0 1244332=00 एवं वर्ष 2015-16 में ₹0 466921=00, इस प्रकार कुल ₹0 4403280=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2012-13 में ₹0 839665=00, वर्ष 2013-14 में ₹0 1852362=00, वर्ष 2014-15 में ₹0 1244332=00 एवं वर्ष 2015-16 में ₹0 466921=00, इस प्रकार कुल ₹0 4403280=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रमा व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राम मूर्ति वर्मा अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-कटरी छोछपुर वर्ष-2016-17से2019-20 विकासखंड:- साण्डी धनराशि:-₹0 49,43,595=00

प्रस्तर:-189 वर्ष 2016-17 में ₹0 985344=00, वर्ष 2017-18 में ₹0 949433=00, वर्ष 2018-19 में ₹0 1576747=00, व वर्ष 2019-20 में ₹0 1432071=00 इस प्रकार कुल ₹0 4943595=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में रु० 985344=00, वर्ष 2017-18 में रु० 949433=00, वर्ष 2018-19 में रु० 1576747=00, व वर्ष 2019-20 में रु० 1432071=00 इस प्रकार कुल रु० 4943595=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील यादव व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री आर्यन राज व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-अखवेलपुर मलवा 2016-17से2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:-रु० 51,95,863=95

प्रस्तर:-190 वर्ष 2016-17 में रु० 1049495=95, वर्ष 2017-18 में रु० 870535=00, वर्ष 2018-19 में रु० 1634672=00, व वर्ष 2019-20 में रु० 1641161=00 इस प्रकार कुल रु० 5195863=95 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में रु० 1049495=95, वर्ष 2017-18 में रु० 870535=00, वर्ष 2018-19 में रु० 1634672=00, व वर्ष 2019-20 में रु० 1641161=00 इस प्रकार कुल रु० 5195863=95 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री सिंह व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री गौरव मिश्रा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- ऐडा भदर वर्ष- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 19,73,380=00

प्रस्तर:-191 वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 1973380=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 1973380=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री धर्मेन्द्रपाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-बेहटा हारी वर्ष-2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 8,13,537=00

प्रस्तर-192 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 813537=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 813537=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मायावती व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मेन्द्रपाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-बखरिया वर्ष- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:-₹0 15,16,852=00

प्रस्तर:-193 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1516852=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 कद्ध के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1516852=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राकेश वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-चंदसौरा वर्ष-2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 5,34,029=00

प्रस्तर-194 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 534029=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 534029=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम बेटी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मन्द्रपाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-दस्योली वर्ष- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 15,66,881=00

प्रस्तर-195 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1566881=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1566881=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीतू सिंह व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राकेश वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-कैखाई वर्ष- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 18,22,521=00

प्रस्तर:-196 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1822521=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 1822521=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राकेश वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-जिगनी चौगवा वर्ष-2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 9,84,227=00

प्रस्तर:-197 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 984227=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक

सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 984227=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुकेश व ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री धर्मन्द्रपाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-छोछपुर वर्ष- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 14,26,421=00

प्रस्तर:-198 वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 1426421=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 1426421=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिववती व ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री आर्यनराज व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- महितापुर वर्ष:- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 27,38,381=00

प्रस्तर:-199 वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 2738381=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 2738381=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती देवी व ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री धर्मन्द्रपाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- श्रीमऊ वर्ष- 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 29,12,430=00

प्रस्तर:-200 वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 2912430=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 2912430=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मेन्द्रपाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- बानामऊ वर्ष-2017-18 से 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 41,44,133=00

प्रस्तर:-201 वर्ष 2017-18 में ₹0 1350209=00 वर्ष 2018-19 में ₹0 1099325=00 एवं वर्ष 2019- में ₹0 201694599=00 , इस प्रकार कुल ₹0 4144133=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में ₹0 1350209=00 वर्ष 2018-19 में ₹0 1099325=00 एवं वर्ष 2019- में ₹0 201694599=00 इस प्रकार कुल ₹0 4144133=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता यादव व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री आर्यन राज अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- औरैनी वर्ष-2016-17 से 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- ₹0 16,77,436=00

प्रस्तर:-202 वर्ष 2016-17 में ₹0 316592=00, वर्ष 2017-18 में ₹0 629444=00 वर्ष 2018-19 में ₹0 502916=00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹0 228484=00, इस प्रकार कुल ₹0 1677436=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार 2016-17 में रु० 316592=00, वर्ष 2017-18 में रु० 629444=00 वर्ष 2018-19 में रु० 502916=00 एवं वर्ष 2019-20 में रु० 228484=00, इस प्रकार कुल रु० 1677436=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री राम बरन व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राकेश वर्मा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- बेहथर वर्ष-2017-18 से 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 15,09,190=00

प्रस्तर:-203 वर्ष 2017-18 में रु० 338555=00 वर्ष 2018-19 में रु० 738012=00 एवं वर्ष 2019- में रु० 20432623=00 , इसप्रकार कुल रु० 1509190=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु० 338555=00 वर्ष 2018-19 में रु० 738012=00 एवं वर्ष 2019- में रु० 20 432623=00 इस प्रकार कुल रु० 1509190=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नछत्रपाल सिंह व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री आर्यन राज अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- मगरौरा वर्ष- 2017-18 से 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 17,74,242=00

प्रस्तर:-204 वर्ष 2017-18 में रु० 329766=00 वर्ष 2018-19 में रु० 898882=00 एवं वर्ष 2019- में रु० 20545594=00 , इसप्रकार कुल रु० 1774242=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु० 329766=00 वर्ष 2018-19 में रु० 898882=00 एवं वर्ष 2019- में रु० 20 545594=00 इस प्रकार कुल रु० 1774242=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री आर्यन राज अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-साण्डी देहात वर्ष-2016-17 से 2019-20 विकासखंड:-साण्डी धनराशि:- रु० 85,16,522=00

प्रस्तर:-205 वर्ष 2016-17 में रु० 1732269=00 वर्ष 2017-18 में रु० 1355784=00 वर्ष 2018-19 में रु० 3277092=00 एवं वर्ष 2019- में रु० 202151377=00 इस प्रकार कुल रु० 8516522=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में रु० 1732269=00 वर्ष 2017-18 में रु० 1355784=00 वर्ष 2018-19 में रु० 3277092=00 एवं वर्ष 2019- में रु० 202151377=00 इस प्रकार कुल रु० 8516522=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बिटा देवी व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री राकेश पाल अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- श्यामपुर पंजा वर्ष-2019-20 विकासखंड:-हरपालपुर धनराशि:- रु० 10,32,245=00

प्रस्तर:-206 वर्ष 2019- में रु० 201032245=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019- में रु० 201032245=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकान्ती व ग्रा०प०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री कौशलेन्द्र व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- धर्मपुर वर्ष-2018-19 से 2019-20 विकासखंड:-हरपालपुर धनराशि:-रु० 50,66,836=05

प्रस्तर- 207 वर्ष 2018-19 में रु० 2725127=05 वर्ष 2019- में रु० 202341709=00 इस प्रकार कुल रु० 5066836=05 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 में रु० 2725127=05 वर्ष 2019- में रु० 202341709=00 इस प्रकार कुल रु० 5066836=05 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमला वीरेन्द्र सिंह व/ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कौशलेन्द्र व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- भुसेहरा वर्ष-2008-09 से 2019-20 विकासखंड:- हरपालपुर धनराशि :-:44,19,149=00

प्रस्तर:-208 ग्राम पंचायत भुसेहरा की लेखा परीक्षा में यह पाया गया की विभागीय साइट प्रिया सॉफ्ट ई-ग्रामस्वराज पर / उक्त ग्राम पंचायत के वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, एवं वर्ष 2017-18 की सम्पूर्ण रूप में कैशबुक अपलोड नहीं पायी गयी जिससे उक्त वर्षों के प्रारंभिक अवशेष एवं अंतिम अवशेष की स्थिति अज्ञात रही-ई /ग्रामस्वराज पर केवल वर्ष में आय एवं वर्ष में व्यय का विवरण पाया गया जिसके अनुसार वर्ष /2015-16, में रु० 272800=00, वर्ष 2016-17 में रु० 1056214=00, वर्ष 2017-18 में रु० 877132=00, वर्ष 2018-19 में रु० 1176958=00 एवं वर्ष 2019-20 में रु० 1036045=00 इस प्रकार कुल रु० 4419149=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2015-16, में रु० 272800=00, वर्ष 2016-17 में रु० 1056214=00, वर्ष 2017-18 में रु० 877132=00, वर्ष 2018-19 में रु० 1176958=00 एवं वर्ष 2019-20 में रु० 1036045=00 इस प्रकार कुल रु० 4419149=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता मिश्रीलाल व / ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्रीमती गरिमा कुशवाहा अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- मलौथा वर्ष-2014- से 152019-20 विकासखंड:- हरपालपुर धनराशि :-:5,35,353=00

प्रस्तर:-209 लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई ग्राम स्वराज प्रिया सॉफ्ट की फीडिंग में वर्ष/2016-17 के क्लोजिंग बैलेंस व वर्ष 2017-18 के ओपनिंग बैलेंस में कुल रुपया 535353=00 का अंतर पाया गया जो कि गबन अपहरण/

की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है चूंकि लेखा परीक्षा में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए एवं उक्त तीन वर्ष)2015-16 वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017- 18 की लेखा परीक्षा विभागीय साइट प्रिया सॉफ्ट ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है अतः रुपया/535353=००के अंतर का कारण अस्पष्ट रहा जिसे गबन अपहरण की सूची में वर्गीकृत करते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव जो उक्त अवधि में/ कार्यरत रहे हो, एवं ग्राम प्रधान श्री आशीष पांडे संयुक्त रूप से उत्तरदाई हैं जिनकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत:- मलौथा वर्ष-2014- से 152019-20 विकासखंड:- हरपालपुर धनराशि :-51,55,734=00

प्रस्तर:-210 ग्राम पंचायत मलौथा मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 मे रु0 1316097=00, वर्ष 2015-16 में रु0 395770=00, एवं वर्ष 2016-17 मे रु० 1635065-00, एवं वर्ष 2017-18 रु 1808802 इस प्रकार कुल रु० 5155734=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के (अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2014-15 मे रु0 1316097=00, वर्ष 2015-16 में रु0 395770=00, एवं वर्ष 2016-17 मे रु० 1635065-00, एवं वर्ष 2017-18 रु 1808802 इस प्रकार कुल रु० 5155734=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामतीर्थ मिश्र आशीष पांडे व/ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कौशलेन्द्र कुमार अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- टिलिया घटवासा 2008-09 से 2019-20 विकासखंड:- हरपालपुर धनराशि:- 9,87,596=00

प्रस्तर:-211 ग्राम पंचायत टिलिया घटवासा मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 मे रु0 322600=00, वर्ष 2011-12 में रु0 406068=00, एवं वर्ष 2012-13 मे रु० 258928-00, इस प्रकार कुल रु० 987596=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 मे रु0 322600=00, वर्ष 2011-12 में रु0 406068=00, एवं वर्ष 2012-13 मे रु० 258928-00, इस प्रकार कुल रु० 987596=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सुभाष कुमार सिंह अथवा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत आदमपुर- विकास खण्ड कोथावां- वर्ष -2019-20 धनराशि -0 13,23,496.00

प्रस्तर - 212 वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 1323496.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1323496.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम किशन व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मवीर अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी कार्यरत रहे, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ममरेजपुर विकास खण्ड , कोथावां-2018-19से2019-20 धनराशि -0 66,23,417.00

प्रस्तर- 213 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 3431630.00 और वर्ष 2019-20 में 3191787.00 कुल रु० 6623417.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 3431630.00 और वर्ष 2019-20 में 3191787.00 कुल रु० 6623417.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायतसिकंदरपुर ,विकास खण्ड -कोथावां- 2018-19से2019-20 धनराशि -0 90,22,869-00

प्रस्तर-214 प्रियासॉफ्ट में कुल धनराशि रु0 90,22,869-00 के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 7236891.00 और वर्ष 2019-20 में 1785978.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 7236891.00 और वर्ष 2019-20 में 1785978.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हरपालपुर- विकास खण्ड,कोथावां- 2017-18से2019-20 धनराशि रु० -28,12,543.00

प्रस्तर-215 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु0 493865.00, 2018-2019 के अनुसार रु0 1185370.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु0 1133308.00 कुल रु० 2812543.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु0 493865.00, 2018-2019 के अनुसार रु0 1185370.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु0 1133308.00 कुल रु० 2812543.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती नज़रीना बानो व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जुगराजपुर,विकास खण्ड -कोथावां- 2017-18से2019-20 धनराशि रु० -0 31,31,459.00

प्रस्तर-216 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु0 543279.00, 2018-19 के अनुसार रु0 1428662.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु0 1159518.00 कुल धनराशि रु0 3131459.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 के अनुसार ₹0 543279.00, 2018-19 के अनुसार ₹0 1428662.00 एवं 2019-20 के अनुसार ₹0 1159518.00 कुल धनराशि ₹0 3131459.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायतउगपुर,विकास खण्ड- ,कोथावां- 2017-18 से 2019-20 धनराशि- ₹ 1,09,34,141.00

प्रस्तर-217 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में 1910167.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 4477664.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार ₹0 3218939-00 कुल धनराशि ₹0 9606770.00 के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में 1910167.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 4477664.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार ₹0 3218939-00 कुल धनराशि ₹09606770.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कृपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

साथ ही प्रियासॉफ्ट में अंकित आंकड़ों के मिलान में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अंतिम शेष की धनराशि ₹ 02155805.00 है जबकि, 2018-2019 के प्रारंभिक शेष की धनराशि 828434.00 दर्शित है जिसके कारण ₹ 0 1327371.00 का अंतर है अंतर का कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में, दर्शित व्यय की धनराशि को, गबन मानते हुए समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृपाल सिंह से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायतपिपरी ,विकास खण्ड -कोथावां,वर्ष- 2018-19 से 2019-20 धनराशि- ₹0 69,33,120.00

प्रस्तर-218 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार ₹0 5354926.00 और वर्ष 2019-20 में 1578194.0 0 कुल धनराशि ₹0 6933120.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 5354926.00 और वर्ष 2019-20 में 1578194.00 कुल धनराशि रु0 6933120.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात, विकासखण्ड -कोथावां-2018-19 से 2019-20 धनराशि रु0 2,06,14,269.00

प्रस्तर -219 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 20032264.00 और वर्ष 2019-20 में 582005.00 कुल धनराशि रु0 20614269.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 20032264.00 और वर्ष 2019-20 में 582005.00 कुल रु0 20614269.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नूर जहां ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कल्यानमल, विकास खण्ड -कोथावां-2018-19 से 2019-20 धनराशि रु0 73,34,136.00

प्रस्तर-220 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु. 3155521.00 एवं वर्ष 2019-20 में 4178615.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 7334136.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में रु. 3155521.00 एवं वर्ष 2019-20 में 4178615.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 7334136.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सोबरन लाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कोरोकला, विकास खण्ड -कोथावां- 2018-19 से 2019-20 धनराशि रु0 40,74,542.00

प्रस्तर -221 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु. 2516961.00 एवं वर्ष 2019-20 में 1557581.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 4074542.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में रु. 2516961.00 एवं वर्ष 2019-20 में 1557581.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 4074542.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सोबरन लाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हरैया, विकास खण्ड -कोथावां - वर्ष -2018-19 से 2019-20 धनराशि रु0 68,39,628.00

प्रस्तर -222 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार 2866129.00 और वर्ष 2019-20 में 3973499.00 कुल धनराशि रु0 6839628.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगा

वर्ष 2018-19 के अनुसार 2866129.00 और वर्ष 2019-20 में 3973499.00 कुल धनराशि रु0 6839628.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कामता प्रसाद एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बड-सरा, विकास खण्ड कोथावां - वर्ष-2018-19से2019-20 धनराशि रु0 39,72,611.00

प्रस्तर-223 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार 1946872.00 और वर्ष 2019-20 में 2025739.00 कुल धनराशि रु0 3972611.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 के अनुसार 1946872.00 और वर्ष 2019-20 में 2025739.00 कुल धनराशि रु0 3972611.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कामता प्रसाद एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-जरौआ विकास खण्ड -कोथावां,2018-19 से 2019-20 धनराशि,रु0 41,54,961.00

प्रस्तर-224 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में 1287904.00 और वर्ष 2019-20 में 2847057.00 कुल धनराशि रु0 4154961.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में 1287904.00 और वर्ष 2019-20 में 2847057.00 कुल धनराशि रु0 4154961.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सतेन्द्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पुरवा बाजीराव-विकास खण्ड,कोथावां-वर्ष,2014-15से2019-20 धनराशि रु0 1385098.00

प्रस्तर - 225 प्रिया सॉफ्ट में अंकित आंकड़ों के मिलान में पाया गया कि पुरवा बाजीराव ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 की धनराशि की फीडिंग नहीं होने के कारण सूचना अप्राप्त रही ,जिसके कारण व्यय की धनराशि वर्ष 2014-15 में अज्ञात दर्शित है। प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में रु0 1214121.00 वर्ष 2016-17 में रु0 670850.00 और वर्ष 2017-18 में रु0 1239578.00 ,2018-19 में रु0 937988.00 एवं वर्ष 2019-20 में रु0 714248.00 कुल व्यय धनराशि रु0 1385098.00 [वर्ष 2014-15 का व्यय सम्मिलित नहीं है]इस प्रकार विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु [0 1385098.00 आहरित कर व्यय किये गये। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु० 1385098.00 आहरित कर व्यय किये गये। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा सिंह व ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि० श्री कौशलेन्द्र कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मल्हपुर, विकास खण्ड कोथावां- 2017-18 से 2019-20 धनराशि, रु० 13,18,212.00

प्रस्तर-226 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु० 599000.00, 2018-2019 के अनुसार रु० 354546.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु० 364666.00 कुल धनराशि रु० 1318212.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु० 599000.00, 2018-2019 के अनुसार रु० 354546.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु० 364666.00 कुल धनराशि रु० 1318212.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नेमपाल तथा तत्कालीन ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री राजाराम अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-शाहपुर विकास खण्ड-कोथावां, 2017-18 से 2019-20 धनराशि, रु० 37,62,178.00

प्रस्तर-227 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु० 1376800.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 954124.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु० 1431254.00 कुल धनराशि रु० 3762178.00

विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में 1376800.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 9,54,124.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु० 14,31,254.00 कुल धनराशि रु० 37,62,178.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये

गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी वर्मा ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कृपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-आंट साट ,विकास खण्ड-कोथावां-2017-18 से 2019-20 धनराशि,रु0 92,80,286.00

प्रस्तर- 228 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में 23,97,285.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 36,27,694.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु0 32,28,153-00 कुल धनराशि रु0 92,53,132.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में 2397285.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 3627694.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु0 3228153-00 कुल धनराशि रु0 92,53,132.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कृपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18 के अन्तिम अवशेष की धनराशि 622459.00 है जबकि 2018-19 के प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि 595305.00 दर्शित है। जिसके कारण 27154.00 की धनराशि का अंतर है अंतर का कारण स्पष्ट करना, अपेक्षित है जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं तत्कालीन सचिव श्री कृपाल सिंह से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-लोधीरा विकास खण्ड-कोथावां,वर्ष 2018-19 से 2019-20 धनराशि,रु0 18,81,052.00

प्रस्तर- 229 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 972428.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु0 820375.00 कुल धनराशि रु0 1792803.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 972428.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु0 820375.00 कुल धनराशि रु0 1792803.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्री राम पाल वर्मा व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

साथ ही प्रिया सॉफ्ट में अंकित आंकड़ों के मिलन में पाया गया की वर्ष 2018-19 के अंतिम शेष की धनराशि रु0 384447.00 है ,जबकि 2019-2020 के प्रारंभिक शेष की धनराशि रु 296198.00 दर्शित है जिसके कारण रु0 88249.00 का अंतर है ,अंतर का कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है,अन्यथा की स्थिति में दर्शित व्यय की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामपाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी भी उक्त अवधि में कार्यरत रहा हो ,द्वारा सयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-थानगाँव विकास खण्ड-कोथावां,2017-18 से 2019-20 धनराशि रु0 67,17,332.00

प्रस्तर-230 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु. 1012427.00 और वर्ष 2018-19 में रु. 2939874.00 एवं वर्ष 2019-20 में रु. शून्य कुल धनराशि रु0 3952301.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में रु. 1012427.00 और वर्ष 2018-19 में रु. 2939874.00 एवं वर्ष 2019-20 में रु. शून्य विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 3952301.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मवीर एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के मिलान में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्तिम अवशेष की धनराशि 3162127.00 है जबकि वर्ष 2018-19के प्रारम्भिक शेष की धनराशि 397096.00 दर्शित है। जिसके कारण 2765031.00 की धनराशि का अंतर का कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में दर्शित व्यय की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन सम्बन्धित सचिव श्री धर्मवीर से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भैनगाँव विकास खण्ड-कोथावां,2018-19 से 2019-20 धनराशि,रु0 29,30,376.00

प्रस्तर -231 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 से रु. 1033947.00 एवं वर्ष 2019-20 में 1896429.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 2930376.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में रु. 1033947.00 एवं वर्ष 2019-20 में 1896429.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 2930376.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशि देवी ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सोबरन लाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-काकूपुर / जाजपुर विकास खण्ड-कोथावां-वर्ष,2019-20 धनराशि,रु0 16,60,992.00

प्रस्तर-232 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में 1660992.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में 1660992.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दु देवी ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कामता प्रसाद एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नेवादा लोचन, विकास खण्ड- कोथावां- वर्ष 2019-20 धनराशि,रु0 28,45,548.00

प्रस्तर-233 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 2845548.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 2845548.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अमर सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-महमूदपुर , विकास खण्ड- कोथावां- वर्ष 2019-20 धनराशि,रु0 668766.00

प्रस्तर- 234 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 मे 668766.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 मे 668766.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहन लाल ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अटवा , विकास खण्डकोथावां- 2018-19से 2019-20 धनराशि,रु0 55,03,768.00

प्रस्तर- 235 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 मे रु. 4457366.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 1046402.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 5503768.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष मे ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 मे रु. 4457366.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 1046402.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 5503768.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मवीर एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बेरुआ विकास खण्ड-कोथावां, 2018-19 से 2019-20 धनराशि,रु0 1,18,30,967.00

प्रस्तर-236 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 मे रु. 6821041.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 5009926.00 कुल धनराशि रु011830967.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में रु. 6821041.00 एवं वर्ष 2019-20 में रु. 5009926.00 कुल धनराशि रु011830967.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वाहीदा ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मवीर एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महुआकोला, विकास खण्ड - कोथावां- वर्ष 2019-20 धनराशि,रु0 8,91,203.00

प्रस्तर-237 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में 891203.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में 891203.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। ।

ग्राम पंचायत,तेरिया- विकास खण्ड - कोथावां- वर्ष 2019-20 , धनराशि रु0 10,26,541.00

प्रस्तर-238 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में 1026541.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में 1026541.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0

श्री लाल बिहारी एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, मुठिया- विकास खण्ड कोथावां- 2018-19 से 2019-20 धनराशि, ₹0 57,34,475.00

प्रस्तर-239 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹. 4286668.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹. 1447807.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि ₹0 5734475.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 में ₹. 4286668.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹. 1447807.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि ₹0 5734475.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धरम वीर एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुलमिन खेडा ,विकास खण्ड-कोथावां-2018-19से2019-20 धनराशि, ₹0 19,24,427.00

प्रस्तर-240 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹. 1155675.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹. 768752.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि ₹0 1924427.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में ₹. 1155675.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹. 768752.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि ₹0 1924427.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं । जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी तथा ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कौशलेन्द्र कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, कल्हेपुर- विकास खण्ड-कोथावां- 2018-19 से 2019-20 धनराशि, ₹0 37,57,432.00

प्रस्तर-241 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार ₹0 1915787.00 एवं 2019-2020 के अनुसार ₹0 1841645.00 कुल धनराशि ₹0 3757432.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय

किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 1915787.00 एवं 2019-2020 के अनुसार रु0 1841645.00 कुल धनराशि रु0 3757432.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित **ग्राम पंचायत- चपरतला, विकास खण्डकोथावां-, वर्ष -2019-20, धनराशि- रु0 5,59,412.00**

प्रस्तर-242 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 मे 559412.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 मे 559412.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शिवपुरी, विकास खण्डकोथावां-, वर्ष -2019-20धनराशि , - रु0 12,28,040.00

प्रस्तर-243 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1228040.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1228040.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना पाल व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजाराम अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उमरारी, विकास खण्डकोथावां-, वर्ष -2019-20, धनराशि- रु0 27,07,747.00

प्रस्तर-244 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 2707747.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 2707747.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुष्मा सिंह व ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अमर सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, त्योना- विकास खण्डकोथावां-, 2017-2018 से 2019-20 धनराशि , - रु0 58,29,661.00

प्रस्तर-245 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-2018 मे 1349046.00, 2018-19 के अनुसार 2833175.00 और वर्ष 2019-20 मे 1647440.00 कुल रु० 5829661.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-2018 मे 1349046.00, 2018-19 के अनुसार 2833175.00 और वर्ष 2019-20 मे 1647440.00 कुल रु० 5829661.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कौशलेन्द्र कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, पिरकापुर - विकास खण्डकोथावां- 2018-19 से 2019-20 धनराशि , - रु0 67,41,390.00

प्रस्तर- 246 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 2606834.00 और वर्ष 2019-20 मे 1286067.00 कुल रु0 3892901.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 2606834.00 और वर्ष 2019-20 मे 1286067.00 कुल रु0 3892901.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित ।

वर्ष 2018-19 के प्रिया सॉफ्ट के जाच मे पाया गया की अन्तिम शेष की धनराशि 7120819.00 है जबकि 2019-20 के प्रारम्भिक शेष की धनराशि 4272330.00 दर्शित है। जिसके कारण 2848489.00 की धनराशि का अंतर है इस कारण सभी मदों के सम्पूर्ण आकड़ों का मिलान करने के बाद भी संबन्धित वर्षों के योग मे अंतर बना रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, कन्सुआ - विकास खण्डकोथावां-, 2018-19 से 2019-20 धनराशि , - रु0 16,08,837.00

प्रस्तर -247 वर्ष 2018-19 मे रु. 644010.00 एवं वर्ष 2019-20 मे 964827.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 1608837.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। इसके सापेक्ष मे ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

वर्ष 2018-19 मे रु. 644010.00 एवं वर्ष 2019-20 मे 964827.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु0 1608837.00 आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सोबरन लाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, झरोइयां - विकास खण्डकोथावां-, 2018-19 से 2019-20 धनराशि , -रु0 1,30,86,095.00

प्रस्तर-248 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 8147666.00 और वर्ष 2019-20 मे 4938429.00 कुल रु0 13086095.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के अनुसार रु0 8147666.00 और वर्ष 2019-20 मे 4938429.00 कुल रु0 13086095.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशि सिंह ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, नगवां - विकास खण्डकोथावां, वर्ष 2017-18 से 2019-20 धनराशि, -रु0 1,19,84,329.00

प्रस्तर-249 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 मे रु. 1895814.00 और वर्ष 2018-19 मे रु. 3390085.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 6698430.00 कुल धनराशि रु0 11984329.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 मे रु. 1895814.00 और वर्ष 2018-19 मे रु. 3390085.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 6698430.00 कुल धनराशि रु0 11984329.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री धर्मवीर एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

ग्राम, पंचायत-पलिया रायसिंह- विकासखण्डकोथावां- 2017-18 से 2019-20 धनराशि, -रु0 27,49,093.00

प्रस्तर- 250 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 मे रु. 870499.00 और वर्ष 2018-19 मे रु. 1157201 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 721393.00 कुल धनराशि रु0 2749093.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹. 870499.00 और वर्ष 2018-19 में ₹. 1157201 एवं वर्ष 2019-20 में ₹.721393.00 कुल धनराशि ₹0 2749093.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत-जनिगांव, विकास खण्ड-कोथावां, वर्ष 2017-18 से 2019-20 धनराशि, -₹0 1,07,33,463.00

प्रस्तर-251 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 2352995.00 वर्ष 2018-19 में ₹. 2717274.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹05663194.00 कुल धनराशि ₹0 10733463.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 2352995.00 वर्ष 2018-19 में ₹. 2717274.00 एवं वर्ष 2019-20 में ₹05663194.00 कुल धनराशि ₹0 10733463.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी राजेश कुमार ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम, पंचायत-श्यामपुर- विकासखण्डकोथावां, वर्ष-2017-18 से 2019-20 धनराशि, -₹038,80,151.00

प्रस्तर-252 प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 1119143.00 और 2018-19

के अनुसार ₹0 870978.00 और वर्ष 2019-20 में 1890030.00 कुल धनराशि ₹0 3880151.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 मे 1119143.00 और 2018-19 के अनुसार रु० 870978.00 और वर्ष 2019-20 मे 1890030.00 कुल धनराशि रु० 3880151.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री लाल बिहारी एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत-गेगलापुर- , विकास खण्डकोथावां-, 2017-18से2019-20, धनराशि-रु० 35,72,178.00

प्रस्तर-253 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 1001208.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 1391467.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु० 1179503-00 कुल धनराशि रु० 3572178.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 1001208.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 1391467.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु० 1179503-00 कुल धनराशि रु० 3572178.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनाथ ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री कृपाल सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम-पंचायत- रायपुर एन०पी०जनिगांव, वि०ख०कोथावां-, वर्ष-2018-19से2019-20, धनराशि-रु० 27,73,443.00

प्रस्तर-254 प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 मे रु. 1214833.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 1558610.00 के विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल रु .2773443.00 की धनराशि आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 मे रु. 1214833.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 1558610.00 के विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल रु .2773443.00 की धनराशि आहरित कर व्यय किये गये

है। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम भोली एवं ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री राजेश कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत-भीखपुर ऐमा- ,विकास खण्डकोथावां-,वर्ष-2018-19से2019-20धनराशि , -रु० 38,12,043.00

प्रस्तर-255 प्रिया सॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु० 1055076.00 वर्ष 2018-19 में रु० 1690055.00 एवं 2019-20 में 1062721.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रु० 3807852.00 का व्यय किया गया परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु० 1055076.00 और वर्ष 2018-19 में रु० 1690055.00 एवं 2019-20 में 1062721.00 कुल धनराशि रु० 3807852.00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ,ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री राजा राम एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

साथ ही प्रिया सॉफ्ट में अंकित आंकड़ों के मिलान में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्तिम शेष की धनराशि रु० 4,73,993-00 है, जबकि वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक शेष की धनराशि रु० 4,69,802-00 दर्शित है जिसके कारण रु० 4,191-00 का अन्तर है ,अन्तर का कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में दर्शित अन्तर की धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा तत्कालीन ग्रा०पं०अधि० /ग्रा०वि०अधि० श्री राजा राम से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत- ,रायपुर एन०पी० जरीआवि,०ख०कोथावां-, वर्ष-2018-19से2019-20धनराशि , -रु० 51,03,376.00

प्रस्तर-256 प्रिया सॉफ्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु. 4459497.00 एवं वर्ष 2019-20 में रु. 643879.00 कुल धनराशि रु० 51,03,376.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम०बी० बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 मे रु. 4459497.00 एवं वर्ष 2019-20 मे रु. 643879.00 कुल धनराशि रु0 51,03,376.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कृष्ण ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री सत्येंद्र वीर सिंह एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत,भदसेन- विकास खण्ड,कोथावां- वर्ष-2014-15 से 2019-20 धनराशि रु 5126625.50

प्रस्तर-257 प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 मे रु 776348.00, 2015-16 में रु 392527.50, 2016-17 में 778525.00 2017-18 में 460020.00 ,2018-2019 में 1298329.00 एवं 2019-20 के अनुसार रु0 1420876.00 कुल व्यय रु 5126625.50 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8;कद्ध के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष प्रियासॉफ्ट के अनुसार 2014-15 में 776348.00, 2015-16 में 392527.00 2016-17 में 778525.00 2017-18 में 460020.00 ,2018-2019 में 1298329.00 का व्यय एवं 2019-20 के अनुसार रु0 1420876-00 कुल व्यय रु 5126625.50 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सोमपाल सिंह ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री कृपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-,मंझिगवाँविकास, खण्डकोथावां-,वर्ष-2017-18से2019-20धनराशि,-रु0 2,09,08,976.00

प्रस्तर-258 प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-2018 मे 7239415.00, 2018-19 के अनुसार 5379299.00 और वर्ष 2019-20 मे 8290262 कुल धनराशि रु0 20908976.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-2018 मे 7239415.00, 2018-19 के अनुसार 5379299.00 और वर्ष 2019-20 मे 8290262 कुल धनराशि रु0 20908976.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री

कौशलेन्द्र कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गौरी कोथावां, विकासखण्डकोथावां- 2017-18से2019-20धनराशि,-रु0 1,28,20,894.00

प्रस्तर-259 प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 3633232.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 4867193.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु0 4320469.00 कुल धनराशि रु0 12820894.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। प्रिया सॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 3633232.00 का व्यय वर्ष 2018-2019 में 4867193.00 का व्यय 2019-20 के अनुसार रु0 4320469.00 कुल धनराशि रु0 12820894.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री कृपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत, ऐमा- विकास खण्डकोथावां-, वर्ष-2017-18 से 2019-20धनराशि,-रु0 9,04,397.00

प्रस्तर-260 प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु0 270105.00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 339092.00 और वर्ष 2019-20 मे 295200.00 कुल धनराशि रु0 904397.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र-22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार प्रियासॉफ्ट मे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 के अनुसार रु0 270105.00 एवं 2018-19 के अनुसार रु0 339092.00 और वर्ष 2019-20 मे 295200.00 कुल धनराशि रु0 904397.00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं।, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विशेश्वर यादव ग्रा0पं0अधि0 /ग्रा0वि0अधि0 श्री राजाराम एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अकबरपुर , विकास खंड – मल्लावां वर्ष 2019-20 धनराशि रु० 19,42,400.22

प्रस्तर-261- ग्राम पंचायत अकबरपुर , विकास खंड मल्लावां, हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुसार, वर्ष 2019-20 में कुल रु० 1942400.22 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यो की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 1942400.22 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामसजीवन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत -हरैया साहिमपुर , विकास खंड -मल्लावां वर्ष 2004-05से2019-20 धनराशि रु० 63,46,947.66

प्रस्तर-262 ग्राम पंचायत -हरैया साहिमपुर विकास खंड -मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2010-11से वर्ष 2019-20 अनुसार, वर्ष 2010-11 रु०157605.00, वर्ष 2011-12 रु०363954.00, वर्ष 2012-13(रु०232780.00), वर्ष 2013-14 (रु०563940.00), वर्ष 2014-15(रु०233304.00) ,वर्ष 2015-16 (रु०738904.31), वर्ष 2016-17(रु०504028.35) वर्ष 2017-18(रु०814629.00), वर्ष 2018-19(रु०567157.00) व वर्ष 2019-20(रु०2170646.00), कुल रु०6346947.66 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यो की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 6346947.66 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बेरिया नजीरपुर , विकास खंड - मल्लावां , वर्ष 20-11-12से2019- 20 रु० 97,08,279.22

प्रस्तर-263 ग्राम पंचायत बेरिया नजीरपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 20 -11-12 से वर्ष 2019-अनुसार, वर्ष 20 2011-12 (रु०590380.00)वर्ष, 2012-13 (रु०525186.00)वर्ष, 2013-14 (रु०797148.00), वर्ष 2014-15 (रु०536550.00) ,वर्ष 2015-16 (रु०786504.00), वर्ष 2016-17 (रु०973137.00) वर्ष 2017-18 रु०1319778.00), वर्ष 2018-19 (रु०2371396.00) व वर्ष 2019-20 (रु०1808200.22), कुल रु० 9708279.22 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम / विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रक्षेपण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 9708279.22 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत हजरतपुर औसानपुर , वि० ख०- मल्लावां वर्ष 2001-02 से 2019-20 रु० 36,09,328.83

प्रस्तर-264 - ग्राम पंचायत हजरतपुर औसानपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक - वित्तीय वर्ष 2010-से वर्ष 2019 11-अनुसार, वर्ष 20 2010-11 (रु०161498.00), वर्ष 2011-12 (रु०336110.00) , वर्ष 2012-13 (रु०284384.00), वर्ष 2013-14 (रु०542176.00), वर्ष 2014-15 (रु०436034.00) , वर्ष 2015-16 (रु०376629.83) , वर्ष 2016-17 (रु०192349.00) वर्ष 2017-18 रु०522448.00), वर्ष 2018-19 (रु०407577.00) व वर्ष 2019-20 (रु०350123.00) , कुल रु०3609328.83 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रक्षेपण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 3609328.83 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत के वर्ष से वर्ष 2009-10 तक के अभिलेख जांच में असुलभ रहे। विभागीय वेबसाइटों पर भी इन 2001-02 वर्षों के संबंधित आंकड़ें सुलभ नहीं हैं । फलस्वरूप इन वर्षों के आय-व्यय जांच में अस्पष्ट रहे । इस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं । अतः उक्त वर्षों के अभिलेख जांच में सुलभ करायें जाने अपेक्षित हैं । :

ग्राम पंचायत - ईश्वरपुर साई , विकास खंड-मल्लावां वर्ष 2012-13 से 2019- रु० 2098,13,294.00

प्रस्तर-265 - ग्राम पंचायत - ईश्वरपुर साई , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2012-13 (रु०650596.00) , वर्ष 2013-14 (रु०1168235.00), वर्ष 2014-15 (रु०810699.00) , वर्ष 2015-16 (रु०568746.00), वर्ष 2016-17 (रु०634948.00) वर्ष 2017-

18(रु०1907985.00)),वर्ष2018-19(रु०1245509.00) व वर्ष 2019-20(रु०2826576.00) कुल रु०9813294.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12 - प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्धमें कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 9813294.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अरुणा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत - लच्छीपुर , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2011-12 से 2019-20 रु०86,56,117.61

प्रस्तर-266 - ग्राम पंचायत - लच्छीपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2011-12(रु०363407.00) ,वर्ष2012-13(रु०703316.00) ,वर्ष2013-14(रु०967010.00), वर्ष2014-15(रु०1018168.70) ,वर्ष 2015-16 (रु०370430.98),वर्ष2016-17(रु०234982.93) वर्ष 2017-18(रु०1303712.00)),वर्ष2018-19 (रु०2222750.00) व वर्ष 2019-20(रु०1472340.00), कुल रु०8656117.61 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी / द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 8656117.61 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भभूती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत-मझिया जाफरपुर , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2006-07से2019-20 रु० 68,44,024.00

प्रस्तर-267 - ग्राम पंचायत - मझिया जाफरपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2010-से वर्ष 2019 11-अनुसार 20, वर्ष2010-11(रु० 210968.00(,वर्ष2011-12(रु० 387347.00(, वर्ष2012-13(रु०429927.00) ,वर्ष2013-14(रु०1101556.00), वर्ष2014-15(रु०649910.00) ,वर्ष 2015-16

(रु०518675.00),वर्ष2016-17(रु०104113.00), वर्ष2017-18(रु०959083.00),वर्ष2018-19(रु०1557849.00) व वर्ष 2019-20(रु०924596.00) , कुल रु० 6844024.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 6844024.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फखरुद्दीन तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत मेहंदीपुर , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 20 -11-12 से 2019-20 रु० 27,76,217.26

प्रस्तर-268 ग्राम पंचायत मेहंदीपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की -प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 अनुसारवर्ष ,2011-12(रु०359850.00)वर्ष, 2012-13 (रु०534156.00)वर्ष, 2013-14 (रु०821528.00), वर्ष 2014-15 (रु०559759.08) ,वर्ष 2015-16 (रु०500395.25), वर्ष 2016-17 (रु०528.93) , कुल रु० 2776217.26 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी / द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु०2776217.26 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वकीला बेगम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत मुर्तजा कुल्लीपुर-, विकास खंड-मल्लावां वर्ष 2017-18से2019-20 रु० 10,14,074.00

प्रस्तर-269 ग्राम पंचायत मुर्तजा कुल्लीपुर -, विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2017-से वर्ष 2019 18-अनुसार 20, वर्ष2017-18(रु०324419.00),वर्ष2018-19(रु०364526.00) व वर्ष 2019-20(रु०325129.00) कुल रु० 1014074.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं ।

ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायतद्वारा वर्ष 20 17-18 से 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु०1014074.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत नेवादा परस -, विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2019-20 रु० 7,27,785.00

प्रस्तर-270 ग्राम पंचायत नेवादा परस -, विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2019- अनुसार 20, वर्ष 2019-20 में कुल रु० 727785.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायतद्वारा वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु०727785.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फखरुद्दीन तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत -फूलई , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2019-20 रु० 9,36,698.00

प्रस्तर-271 ग्राम पंचायत फूलई -, विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2019- 20 अनुसार, वर्ष 2019-20 में कुल रु० 936698.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10-

समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12 - प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायतद्वारा वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 936698.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छेदी लाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - पुरनमऊ नेकपुर , विकास खंड-मल्लावां वर्ष 2008-09सेवर्ष2019-20 रु० 70,10,125.00

प्रस्तर-272 - ग्राम पंचायत - पुरनमऊ नेकपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2010-11(रु०340410.00) ,वर्ष2011-12 (रु०663791.00), वर्ष2012-13 (रु०593400.00) ,वर्ष 2013-14 (रु०1122320.00), वर्ष2014-15 (रु०671589.00) ,वर्ष 2015-16 (रु०767709.00),वर्ष 2016-17 (रु०902340.00) वर्ष2017-18(रु०867200.00), वर्ष2018-19 (रु०649248.00) व वर्ष 2019-20 (रु०432118.00) कुल रु०7010125.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12 - प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 7010125.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नन्हें लाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - सुमेरपुर , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2017-18से2019- 20 रु०45,42,445.00

प्रस्तर-273- ग्राम पंचायत - सुमेरपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2017-18 रु०1636550.00),वर्ष 2018-19(रु०730731.00) व वर्ष 2019-20(रु०2175164.00), कुल रु०4542445.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍमबीबुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुलधन राशि रु० 4542445.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गौरा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - तेंदुआ , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2015-16 से 2019- 20 रु०51,34,305.40

प्रस्तर-274 - ग्राम पंचायत - तेंदुआ , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2015-16 (रु०691665.00), 2016-17 (रु० 785619.00) वर्ष 2017-18 रु०)446878.40),वर्ष2018-19 (रु०1055198.00) व वर्ष 2019-20 (रु०2154945.00) ,कुल रु० 5134305.40 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2 -- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍमबीबुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु) 8क (के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोईव्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 5134305.40 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता वर्मा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - अटवारा चकोला , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2011-12से2019-20 रु० 72,71,335.08

प्रस्तर-275 - ग्राम पंचायत - अटवारा चकोला , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष2019 -अनुसार 20, वर्ष2011-12(रु०449668.00) ,वर्ष2012-13(रु०467880.00) ,वर्ष2013-14(रु०622493.00), वर्ष2014-15(रु०838764.00) ,वर्ष 2015-16 (रु०338552.08),वर्ष 2016-17 (रु०327739.00) वर्ष 2017-18 रु०)1134025.00), वर्ष2018-19(रु०1824319.00) व वर्ष 2019-20(रु०1267895.00), कुल रु०7271335.08 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी / द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍमबीबुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10-

समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 7271335.08 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत गंजजलालाबाद -, विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2019- 20 रु० 21,62,190.00

प्रस्तर-276 - ग्राम पंचायत गंजजलालाबाद -, विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2019-20 में कुल रु० 2162190.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

- इस प्रकार ग्राम पंचायतद्वारावर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 2162190.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चित्रा कटियार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

- **ग्राम पंचायत कल्याणपुर -, विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2019- 20 रु० 6,48,831.00**

प्रस्तर-277 ग्राम पंचायत कल्याणपुर -, विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2019-20 में कुल रु० 648831.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से

की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायतद्वारा वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु०648831.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रताप सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत -मंसूरपुर तिगावा , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2006-07से2019-20 रु०50,70,859.00

प्रस्तर-278 - ग्राम पंचायत - मंसूरपुर तिगावा , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2010-11से वर्ष 2018-19 अनुसार, वर्ष2010-11(रु०184300.00) , वर्ष2011-12(रु०428900.00) ,वर्ष2012-13(रु०527628.00) ,वर्ष2013-14(रु०685348.00), वर्ष2014-15(रु०380803.00) ,वर्ष 2015-16 (रु०713827.00),वर्ष2016-17(रु०144016.00), वर्ष2017-18(रु०920020.00)) व वर्ष2018-19(रु०1086017.00) , कुल रु०5070859.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारीद्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रक्षेपण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय- 8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवसे की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2018-19 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 5070859.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियोंसे की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत - तेजीपुर , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2017-18 से 2019-20 रु० 73,13,718.00

प्रस्तर-279 - ग्राम पंचायत - तेजीपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष2017-18 रु०2292086.00),वर्ष 2018-19(रु०1370246.00) व वर्ष 2019-20(रु०3651386.00), कुल रु०7313718.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रक्षेपण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्धमे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की

जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 7313718.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बहादुर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - औसानपुर , विकास खंड - मल्लावां वर्ष 2016-17 से 2019-20 रु०12,46,691.00

प्रस्तर-280- ग्राम पंचायत - औसानपुर , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-अनुसार 20, वर्ष 2016-17(रु०72995.00(,वर्ष2017-18(रु०389131.00)),वर्ष2018-19(रु०385862.00) व वर्ष 2019-20(रु०398703.00), कुल रु०1246691.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र12 - प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहींकराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु०1246691.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगमोहन व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत - इस्लामपुर जगाई, विकास खंड -मल्लावां वर्ष 2017-18से2019-20 रु०70,09,003.00

प्रस्तर-281 - ग्राम पंचायत - इस्लामपुर जगाई , विकास खंड - मल्लावां , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष अनुसार 2019-20, वर्ष(2017-18रु०2018263.00)),वर्ष2018-19(रु०3508622.00) व वर्ष 2019-20(रु०1482118.00), कुल रु०7009003.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी /द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं - किये गये जो की महत्वपूर्ण थे

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र12 - प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र 22)) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 7009003.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती व ग्राम विकास अधिकारी सुश्री शिप्रा देवी तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरैया विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2015-16 से 2019-20 धनराशि - 34,55,47,800

प्रस्तर-282 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-से 2019 16- की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार 20 वर्ष 2015-से 2019 16-में कुल आहरित धनराशि रु० 3455478 2000 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक-आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत ग्राम विकास / अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारीद्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत गबन का 409 कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रहीमपुर विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2017-18से2019-20 धनराशि - 38,36,780.00

प्रस्तर-283 लेखा परीक्षा वर्ष 2017-से 2019 18- की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार 20 वर्ष 2017-से 2019 18- में कुल आहरित धनराशि रु० 203836780.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक-आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सधिनवा विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2018-19व2019-20 धनराशि - 62,68,325.00

प्रस्तर-284 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु० 6268325.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा-

हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम बेटी व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) /के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत (ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पडरी विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2018-19व2019-20 धनराशि - 67,15,211.00

प्रस्तर-285 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-व 2019 19- की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार 20 कुल आहरित धनराशि रु0 6715211. 00रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा- हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अब्दुल रिजवान व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे होद्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत 1990 क्रमांक 8(क) /के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत (ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारीद्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बाबूपुर कचनारी विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 18,39,903.00

प्रस्तर-286 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल आहरित धनराशि रु0 1839903.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख- लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशुमती व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार

रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास (अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारीद्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - टण्डौना विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 22,56,813. 00

प्रस्तर-287 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 2256813 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क)के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास (स अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मरई विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 31,89,317. 00

प्रस्तर-288 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 3189317 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास (अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हिंगुआपुर विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 9,29, 278.00

प्रस्तर-289 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 929278 2000 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा-परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता व ग्राम विकास अधिकारी उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारीद्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहमदी विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 7,30,318.00

प्रस्तर-290 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 20730318.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा-परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8 1990(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अटवाअसिगांव विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 41,12,920.00

प्रस्तर-291 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 4112920 2000 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा-परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नमिता सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खेरियां विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 11,93,651. 00

प्रस्तर-292 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20- में कुल आहरित धनराशि रु0 1193651 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प् प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अछुआपुर विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 8,26, 696.00

प्रस्तर-293 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20- .में कुल आहरित धनराशि रु0 826696 2000 रही। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है जिनकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास (अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिजगवां विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 28,30,290.00

प्रस्तर-294 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 2830290 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क)के अ (नुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत ग्राम / विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बखरिया विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 23,73,764.00

प्रस्तर-295 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 2373764 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कामना सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत 1990 क्रमांक 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भदेउरा विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 51,19,176.00

प्रस्तर-296 लेखा परीक्षा वर्ष 2019- 20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019- 20 में कुल आहरित धनराशि रु0 5119176.00 रही। जिसके

सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं -बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे उक्त धनराशि का अपहरण , तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शरीफ सिद्दीकी व ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - टेनी विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 54,84,389.00

प्रस्तर-297 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20- .में कुल आहरित धनराशि रु0 **5484389** 2000 रही। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम मोहन व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है जिनकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धाराके अन्तर्गत गबन कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मोदीपुर विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 23,13,619.00

प्रस्तर-298 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20- में कुल आहरित धनराशि रु0 2313619 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लेखनी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क/के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत (ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। 409

ग्राम पंचायत - थमरवा विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 29,12,412.00

प्रस्तर-299 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 2912412 20. रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा 00 परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बीना सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। 409

ग्राम पंचायत - हरियावां विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 31,63,621.00

प्रस्तर-300 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 3163621 20. रही। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आरती व ग्राम 00 विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है जिनकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

1-कैश बुक 2-राजकीय ऋण पंजिका 3-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 4-सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-ऐजेन्डा रजिस्टर 7-एमबी.बुक. 8-स्टाक पंजिका 9-आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट 10-समेकित सार रजिस्टर 11-समाशोधन विवरण पत्र 12-चलअंचल सम्पत्ति पंजिका- 13-माँग समाहरण व अवशेष पंजिका 14-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22 आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 1990 8(कके अनुसार (र अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत ग्राम विकास / अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारीद्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अरवागजाधरपुर विकासखण्ड - हरियावां वर्ष 2019-20 धनराशि - 22,60,702.00

प्रस्तर-301 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2019 20-में कुल आहरित धनराशि रु0 2022,60,702.00 रही। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना व ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है जिनकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था यथा- कैश बुक,राजकीय ऋण पंजिका,कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका,भण्डार सूची पंजिका,ऐजेन्डा

रजिस्टर,एमबी.बुक.,स्टाक पंजिका,आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट,समेकित सार रजिस्टर,समाशोधन विवरण पत्र,चल अंचल-सम्पत्ति पंजिका,माँग समाहरण व अवशेष पंजिका,मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22आदि। (

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अन्तर्गत 1990 क्रमांक 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम (विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। 409

ग्राम पंचायत - सोनेपुर विकासखण्ड - बावन वर्ष 2016-17 से 2019-20 धनराशि - 16,57,591.50

प्रस्तर-302 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है। जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 1657591.50 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु-अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लेखनी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था। यथाकैश बुक -, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एमबी.बुक., स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चलअंचल सम्पत्ति पंजिका-, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका -रूप पत्र)22) आदि।

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास (अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से कीजाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ,महरी- विकास खण्ड ,कछौना- वर्ष-2019-20 धनराशि-50,56,202.00

प्रस्तर -303वर्ष 2019- की कैश 20बुक एवं बैंक विवरण के अनुसार रु50 0,56,202.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु50 0,56,202.00/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये जो कि महत्वपूर्ण थे।)1) राजकीय ऋण पंजिका)2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र)3) आय व्यय अभिलेख)4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका)5) भंडार सूची पंजिका)6) एजेंडा रजिस्टर)7) एम) बी0 बुक 08) स्टॉक रजिस्टर)9) सामकेतिक सार रजिस्टर)10) समाशोधन विवरण पत्र)11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका)12) चल-) अचल संपत्ति पंजिका)13) माँग समाहरण पंजिका)14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र),22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय -8 के खंड -7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - के खंड 8 -8 क)) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

इसप्रकार वर्ष 2019-में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 50 20,56,202.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, अतः :दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजु सिंह तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मेवा लाल से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत,त्योरी मतवा - विकास खण्ड,कछौना- वर्ष-2019-20, धनराशि-32,66,453.00

प्रस्तर- 304 वर्ष 2019-की कैश बुक एवं बैंक विवरण के अनुसार रु0 32 20,66,453.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु32 0,66,453.00/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये

जो कि महत्वपूर्ण थे।)1) राजकीय ऋण पंजिका)2) कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र)3) आय व्यय अभिलेख)4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका)5) भंडार सूची पंजिका)6) एजेंडा रजिस्टर)7) एम) बी0 बुक 08) स्टॉक रजिस्टर)9) सामकेतिक सार रजिस्टर)10) समाशोधन विवरण पत्र)11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका)12) चल-) अचल संपत्ति पंजिका)13) माँग समाहरण पंजिका)14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र),22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय -8 के खंड -7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय -8 के खंड -8 क)) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019-में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 32 20,66,453.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, अतः दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत- पतसेनी देहात , विकास खण्ड ,कछौना- वर्ष-2019-20, धनराशि रु0 46 -,74,52400

प्रस्तर-305 वर्ष 2019-की कैश बुक एवं बैंक विवरण के अनुसार रु0 46 20,74,524.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु46 0,74,524.00/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये जो कि महत्वपूर्ण थे।)1) राजकीय ऋण पंजिका)2) कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र)3) आय व्यय अभिलेख)4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका)5) भंडार सूची पंजिका)6) एजेंडा रजिस्टर)7) एम) बी0 बुक 08) स्टॉक रजिस्टर)9) सामकेतिक सार रजिस्टर)10) समाशोधन विवरण पत्र)11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका)12) चल-) अचल संपत्ति पंजिका)13) माँग समाहरण पंजिका)14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र),22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय -8 के खंड -7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - के खंड 8 -8 क)) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2019 -में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 46 20,74,524.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, अतः दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान शिव पाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार द्वितीय से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत- महराकला, विकास खण्ड-सुरसा -वर्ष,2016-17 से 2019-20 धनराशि- रु0,20,73,525-16

प्रस्तर-306 ग्राम पंचायत महराकला की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष 2016-17 में रु0 2,57,960-00 वर्ष 2017-18 में रु0 1,89,611-00 वर्ष 2018-19 में रु0 7,65,148-16 में वर्ष 2019-20 में रु0 8,60,806-00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं ग्रा0प0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय रु0 20,73,525-16 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा :-

राजकीय ऋण पंजिका)2) कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र)3) आय व्यय अभिलेख)4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका)5) भंडार सूची पंजिका)6) एजेंडा रजिस्टर)7) एम) बी0 बुक 08) स्टॉक रजिस्टर)9) सामकेतिक सार रजिस्टर)10) समाशोधन विवरण पत्र)11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका)12) चल) अचल संपत्ति पंजिका-13) माँग समाहरण पंजिका)14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र),22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ 0प्र0द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय -8 के खंड -7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - के खंड 8 -8 क)) के अनुसार यदि

दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 2,57,960-00 वर्ष 2017-18 में ₹0 1,89,611-00 वर्ष 2018-19 में ₹0 7,65,148-16 में वर्ष 2019-20 में ₹0 8,60,806-00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं ग्रा0प0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय ₹0 20,73,525-16 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं सचिव श्री संजय प्रताप सिंह, श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा, श्री शशि कान्त दिवेदी, श्री श्रीश मिश्रा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो उत्तरदायित्व है। दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत- महुआकला, विकास खण्ड-सुरसा -वर्ष, 2016-17 से 2019-20 धनराशि- ₹0,29,91,214-00

प्रस्तर-307 ग्राम पंचायत महुआकला की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 8,52,674-00 वर्ष 2017-18 में ₹0 9,12,998-00 वर्ष 2018-19 में ₹0 5,10,471-00 में वर्ष 2019-20 में ₹0 7,15,071-00 विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं ग्रा0प0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय ₹0 29,91,214-00 से सम्बन्धित जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये वह अपूर्ण थे एवं नियमानुसार नहीं पाये गये जिससे उपरोक्त व्यय की गई धनराशि निर्माण कार्यों पर जो व्यय की गई है वो अनियमितता की श्रेणी में आती है यथा एम0बी0बुक, स्टाक रजिस्टर, प्राप्त एवं देय पंजिका, मास्टर रोल अधूरे पाये गये जिस पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं प्रविष्टियां पूर्ण रूप से अंकित नहीं की गई है जो आवश्यक थी। टेंडर एवं कोटेशन का पालन नियमानुसार नहीं किया गया है उक्त अनियमिता हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं सचिव श्री संजय प्रताप सिंह, श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा, श्री शशि कान्त दिवेदी, श्री श्रीश मिश्रा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो उत्तरदायित्व है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- सिकंदरपुर-विकास खण्ड, सुरसा -वर्ष, 2017-18 से 2019-20 धनराशि- ₹0 38,,90,151-00

प्रस्तर-308 ग्राम पंचायत सिकंदरपुर विकास खण्ड सुरसा हरदोई में ,वर्ष 201 7- 18 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 1142782-00, वर्ष 2018- 19 के अनुसार ₹0 1503380- 00 एवं वर्ष 2019- के अनुसार ₹ 1243989 20- 00, कुल रूपया 38,90,151- 00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास/ अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।
1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3-आय व्यय अभिलेख 4-सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5-भण्डार सूची पंजिका 6-एजेन्डा रजिस्टर 7-एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क के (, अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 11,42,782- 00 एवं वर्ष 2018-19 के अनुसार ₹0 15,03, 380- एवं वर्ष 2019 00- के अनुसार ₹ 12 20,43,989- कुल ₹ 38 00,90,151- विभिन्न माहों के विभिन्न 00 तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय तिवारी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक, जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में/ रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। .

ग्राम पंचायत- फर्दापुर, विकास खण्ड-सुरसा -वर्ष, 2017-18 से 2019-20, धनराशि ₹0 -26,54,323-00

प्रस्तर-309 ग्राम पंचायत फर्दापुर विकास खण्ड सुरसा हरदोई में वर्ष, 201 7- की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 180 9,99,168-00 वर्ष ,2018- के अनुसार ₹ 190 10,06,885-00 एवं वर्ष 2019- के अनुसार ₹ 206,48,270 -00 कुल

रूपया 26,54,323-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम/ विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को , गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-की प्रिया साफ्ट के अनु 18सार रू0 9,99,168-00 एवं वर्ष 2018- के अनुसार 19 रू0 10,06,885-00 एवं वर्ष 2019- के अनुसार रू 206,48,270-00 कुल रूपया 26,54,323-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक, जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में/ रहेहो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बड़ौआ ,विकास खण्ड-सुरसा -वर्ष,2018-19 से 2019-20, धनराशि रु 39,01,411=00

प्रस्तर-310 ग्राम पंचायत बड़ौआ विकास खण्ड सुरसा ,हरदोई में वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 1504461-00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रू0 2396950=00 कुल रूपया 3901411=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त/ से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 1504461=00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रू0 2396950=00, कुल रूपया 3901411=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्हई लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री शिरीष मिश्रा व अन्य/ सम्बन्धित कार्मिक, जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भैनामऊ ,विकास खण्ड-सुरसा -वर्ष,2018-19 से 2019-20, धनराशि रु 43,11,124=00

प्रस्तर-311 ग्राम पंचायत भैनामऊ, विकास खण्ड सुरसा, हरदोई में वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रू0 24,33,696=00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रू0 18,77,428-00 कुल रूपया 43,11,124=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त/ से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक

सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹ 24,33,696=00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 18,77,428=00 कुल रूपया 43,11,124=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी श्री अमरेश पाण्डेय व अन्य/ सम्बन्धित कार्मिक, जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हडहा ,विकास खण्ड-सुरसा -वर्ष,2017-18 से 2019-20, धनराशि 0 रु 61,98,836=00

प्रस्तर-312 ग्राम पंचायत हडहा, विकास खण्ड सुरसा हरदोई में, वर्ष 2017-18 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹ 11,51,185=00 ,वर्ष 2018-19 के अनुसार ₹ 18,92,358=00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 31,55,293=00 कुल रूपया 61,98,836=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण थे।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9- आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार (,यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ₹ 11,51,185=00 ,वर्ष 2018-19 के अनुसार ₹ 18,92,358=00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 31,55,293=00 कुल रूपया 61,98,836=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/श्री श्रीश मिश्रा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक, जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जसरेनामऊ ,विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष,2017-18से2019-20, धनराशि 0 रु 34,74,671=84

प्रस्तर-313 वर्ष 2017-18 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 7,44,622=00, वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 21,53,760=00 एवं वर्ष 2019-20 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार व्यय ₹ 5,76,289=84, तीनों वर्षों के व्यय का कुल योग ₹ 34,74,671=84 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय ₹ 34,74,671=84 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल

सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मांग समाहारण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय -8 के खंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 34,74,671=84 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री शिवओम बाजपेई व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुतुवापुर ,विकास खण्ड- बिलग्राम -वर्ष,2018-19 से 2019-20, धनराशि रु० 33,64,767=00

प्रस्तर-314 ग्राम पंचायत कुतुवापुर विकास खण्ड बिलग्राम हरदोई में, वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 17,62,090=00 एवं ,वर्ष 2019-20 के अनुसार रु 16,02,677=00 कुल रूपया 33,64,767=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियो मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/द्वारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है,जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 17,62,090=00 एवं ,वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 16,02,677=00 कुल रूपया 33,64,767=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियो मे आहरित किये गये है, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीवन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/श्री सुशील कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक, जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि मे रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ककराखेडा ,विकास खण्ड- बिलग्राम -वर्ष,2017-18से2019-20, धनराशि रु० 29,60,791=00

प्रस्तर-315 वर्ष 2017- 18की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 5,91,385=00 , 2018-19 के अनुसार रु० 13,99,029=00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु० 9,70,377=00 कुल रूपया 29,60,791=00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियो मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारीग्राम विकास अधिकारी दवारा ल/ेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है,जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी व तत्कालीन

ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव ओम बाजपेयी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहें हों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रहला ,विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष,2017-18 से 2019-20,धनराशि रु० 88,89,015=00

प्रस्तर-316 ग्राम पंचायत रहला की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 22,66,838=00, वर्ष 2018-19 में रु0 44,28,798=00 एवं 2019-20 में रु0 21,93,379=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारीग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित/ कुल व्यय रु0 88,89,015=00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार वर्ष अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 22,66,838=00, वर्ष 2018-19 में रु0 44,28,798=00 एवं 2019-20 में रु0 21,93,379=00 कुल व्यय रु0 88,89,015=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुडडी व ग्रा0पं0अधि0/ ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवओम बाजपेई एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो,द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सिराईचमऊ ,विकास खण्ड- बिलग्राम-वर्ष,2018-19 से 2019-20,धनराशि रु०34,25,084=49

प्रस्तर-317 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1955535-00 , एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1469549-49 कुल रूपया 3425084.49 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये/ गये हैं,जो कि महत्वपूर्ण था।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- माँग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहें हों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिराईचमऊ ,विकास खण्ड- बिलग्राम -वर्ष,2018-19 से 2019-20, धनराशि रु०12,53,421=20

प्रस्तर-318 ग्राम पंचायत बिराईचमऊ की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 791887=30 एवं 2019-20 में रु0 461533=90 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारीग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित/ कुल व्यय रु0 1253421=20से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार **ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट-** के अनुसार वर्ष अनुसार वर्ष 2018-19 में रु0 791887=30 एवं 2019-20 में रु0 461533=90 कुल व्यय रु0 **1253421=20** विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री होरी लाल व ग्रा0पं0अधि0/ ग्रा0वि0अधि0 श्री सुशील कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जरौली शेरपुर, विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष, 2018-19 से 2019-20, धनराशि रु० 1,39,91,350=07

प्रस्तर-319 वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 6059910 -00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 79,31,440-07 कुल रूपया 1,39,91, 350-07 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3-आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेण्डा रजिस्टर 7- एम0बी0 बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9- आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 60,59, एवं वर्ष 9102019-20 के अनुसार रु० 79,31,440-07 कुल रूपया 1,39,91,350-07 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव ओम बाजपेयी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भौगैतापुर, विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष, 2017-18 से 2019-20 , धनराशि रु० 79,38,716=80

प्रस्तर-320 ग्राम पंचायत भौगैतापुर की **ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट-** के अनुसार वर्ष 2017-18 में रु0 22,45,645=00, वर्ष 2018-19 में रु0 18,03,882=00 एवं 2019-20 में रु0 38,89,189=80 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित/ कुल व्यय रु0 79,38,716=80 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार **ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट-** के अनुसार वर्ष अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹0 22,45,645=00, वर्ष 2018-19 में ₹0 18,03,882=00 एवं 2019-20 में ₹0 38,89,189=80 कुल व्यय ₹0 79,38,716=80 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मलखे व गा0पं0अधि0/ गा0वि0अधि0 श्री सुशील कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अजमत नगर, विकासखण्ड-बिलग्राम -वर्ष, 2016-17 से 2019-20, धनराशि ₹0 46,23,604=48

प्रस्तर-321 ग्राम पंचायत अजमत नगर की **ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट-** के अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 10,03,153=00 , वर्ष 2017-18 में ₹0 7,20,776=48, वर्ष 2018-19 में ₹0 16,00,658=00 एवं 2019-20 में ₹0 12,99,017=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा/ परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय ₹0 46,23,604=48 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार **ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट-** के अनुसार वर्ष अनुसार वर्ष 2016-17 में ₹0 10,03,153=00 , वर्ष 2017-18 में ₹0 7,20,776=48, वर्ष 2018-19 में ₹0 16,00,658=00 एवं 2019-20 में ₹0 12,99,017=00 कुल व्यय ₹0 46,23,604=48 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कुमार व गा0पं0अधि0/ गा0वि0अधि0 श्री सुशील कुमार एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- धौंधी, विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष, 2018-19 से 2019-20, धनराशि ₹0 57,82,605=00

प्रस्तर-322 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 3355325.00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹0 2427280.00 कुल रूपया 5782605.00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3-आय व्यय अभिलेख 4-सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेण्डा रजिस्टर 7- एम0बी0 बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- माँग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 3355325.00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार ₹ 2427280.00 कुल रूपया 5782605.00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शेष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव ओम बाजपेयी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिरौरी, विकास खण्ड -बिलग्राम -वर्ष, 2019-20 ,धनराशि ₹ 31,66,189=00

प्रस्तर-323 वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 31,66,189-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2019-20 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹ 31,66,189-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामरती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गुजरई, विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष,2017-18 से 2019-20,धनराशि ₹ 67,30,467=00

प्रस्तर-324 ग्राम पंचायत गुजरई की ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹ 1319798=00 , वर्ष 2018-19 में ₹ 2925826=00 एवं 2019-20 में ₹ 2484843=0 0 माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित/ कुल व्यय ₹ 0 **6730467=00** से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मांग समाहारण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र), 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार ईग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट- के अनुसार वर्ष अनुसार वर्ष 2017-18 में ₹ 1319798=00, वर्ष 2018-19 में ₹ 2925826=00 एवं 2019-20 में ₹ 2484843=0 0 कुल व्यय ₹ 0 **6730467=00** विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार वग्रा0पं0अधि0/

ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश मिश्र एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो,द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी प्रधान एवं सचिव से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- परसापुर,विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष,2017-18 से 2019-20, धनराशि रु० 39,00,725=00

प्रस्तर-325 वर्ष 2017-18 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1412085.00 ,2018-19 के अनुसार रु0 950593.00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1538047.00 कुल रूपया 3900725.00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं,जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

वर्ष 2017-18 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 1412085.00,2018-19 के अनुसार रु0 950593.00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 1538047.00 कुल रूपया 3900725.00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीनू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी कु0 प्रिया त्रिपाठी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- तेरिया, विकास खण्ड-बिलग्राम , -वर्ष2017-18 से 2019-20 धनराशि रु० 35,23,673=00

प्रस्तर-326 वर्ष 2017-की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु 180 12,16,897.00 , 2018-19 के अनुसार रु0 14,09,291.00 एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 8,97,485.00 कुल रूपया 35,23,673.00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास/ अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं,जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका रूप पत्र)22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव कु 0 प्रिया त्रिपाठी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहें हों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रसूलपुर गोवा,विकास खण्ड-बिलग्राम -वर्ष,2018-19से2019-20,धनराशि रु० 19,57,834=00

प्रस्तर-327 वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 11,67,802-00 , एवं वर्ष 2019-20 के अनुसार रु0 7,90,032-00 कुल रूपया 19,57,834-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये/ गये हैं,जो कि महत्वपूर्ण था ।

1 राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम0बी0बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका)रूप पत्र 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क के अनुसार (यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धवल चन्द्र व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहें हों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद-लखीमपुर

ग्राम पंचायत -पटुआ

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत पटुआ में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान	03-10-2018	24590.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य का भुगतान	30-03-2019	352680.00
3-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान	03-08-2019	6006.00
4-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य का भुगतान	03-08-2019	58780.00
5-	ग्राम पंचायत पटुआ में कुण्डली फार्म के हैण्डपम्प के पास सोकपिट कार्य का भुगतान	03-08-2019	10348.00
6-	ग्राम पंचायत पटुआ के पास कुण्डली फार्म के हैण्डपम्प के पास रिचार्ज पिट सोकपिट निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	07-01-2020	7049.00
योग:-			459453.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 459453.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹० 229726.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 229726.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत पटुआ में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट अवस्थापना कार्य	23-10-2018	197400.00
योग:-			197400.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि - कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाइट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गई है जिसके लिये लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का

प्रस्ताव एवं सट्रीट लाइट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 197400.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 98700.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 98700.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत पट्टा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छता कार्यक्रम पर प्रचार प्रसार पर व्यय का भुगतान	09-01-2019	21600.00
2-	डस्टबिन स्थापना कार्य का भुगतान	04-02-2019	230080.00
3-	सफाई कार्य हेतु ठेलिया कार्य पर भुगतान	14-02-2020	19900.00
योग:-			271580.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि -

1- यह स्पष्ट नहीं है कि - कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 271580.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 135790.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 135790.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत पट्टा में नाली निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बाबूराम के घर से राजू के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	16-10-2018	197583.00
योग:-			197583.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिए था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि का एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 197583.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹० 98791.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 98791.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-05 ग्राम पंचायत पट्टा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन रोड से केवल के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	06-10-2018	102675.00
2-	बिल्लू के घर से मीता के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	06-10-2018	97779.00
3-	राम ससोधन की दुकान से मेन रोड भगवानदीन के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	07-10-2018	69862.00
4-	रामविलास के घर से मेन रोड तक खडन्जा कार्य का भुगतान	08-10-2018	47855.00
5-	मेन रोड से अंग्रेज सिंह के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	21-10-2018	117344.00
6-	रब्बानी के घर से मेन रोड तक खडन्जा कार्य का भुगतान	22-12-2018	22268.00
7-	देवी स्थान के कोने से मटिया बाबा मन्दिर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	24-12-2018	107321.00
8-	दीदार सिंह के घर से स्वरूप के खेत तक खडन्जा कार्य का भुगतान	09-01-2019	221077.00
9-	सोनू के घर से कमलेश के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	28-01-2019	152597.00
10-	कमलेश के घर से मटिया बाबा मन्दिर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	01-02-2019	152597.00
11-	मेन रोड से भगवानदीन के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	11-02-2019	73450.00
12-	रामू के घर से होरीलाल के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	20-02-2019	66724.00
13-	मुकेश के घर से पाना देवी के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर सामग्री भुगतान	27-01-2020	38889.00
14-	मुकेश के घर से पाना देवी के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर सामग्री भुगतान	30-01-2020	11400.00
15-	हरद्वारी के घर से छब्बू के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर सामग्री भुगतान	19-03-2020	109804.00
16-	हरद्वारी के घर से छब्बू के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर सामग्री भुगतान व लेबर	20-03-2020	32800.00
योग:-			1424442.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय

की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1424442.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 712221.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 712221.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत पटुआ में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बाबूराम के घर से नारायण के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सामग्री भुगतान	10-02-2020	197720.00
2-	फूलचन्द्र के घर से गोकर्ण के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सामग्री भुगतान	10-02-2020	197358.00
3-	मेन रोड से राजेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	10-02-2020	200626.00
4-	फूलचन्द्र के घर से गोकर्ण के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर भुगतान	22-03-2020	30600.00
5-	बाबूराम के घर से नारायण के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का लेबर भुगतान	22-03-2020	30750.00
6-	मेन रोड से राजेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का लेबर भुगतान	22-03-2020	15050.00
योग:-			672104.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 672104.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 336052.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 336052.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत पटुआ में हयूम पाइप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जल निकास हेतु हयूम पाइप का भुगतान	20-01-2019	244042.00
योग:-			244042.00

हयूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना का के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि:-कितनी हयूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति हयूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं हयूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 672104.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹० 336052.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 336052.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत पटुआ में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आपरेशन कार्याकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में फर्श टाइलिंग कार्य का भुगतान	31-03-2019	175959.00
2-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर श्रमिक भुगतान	08-01-2020	10500.00
3-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर श्रमिक भुगतान	21-01-2020	14650.00
4-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में बाउण्ड्री वॉल निर्माण पर श्रमिक भुगतान	21-01-2020	19050.00
5-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	27-01-2020	66772.00
6-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में बाउण्ड्री वॉल निर्माण पर सामग्री भुगतान	27-01-2020	50927.00
7-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	28-01-2020	42126.00
8-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	30-01-2020	60202.00
9-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में बाउण्ड्री वॉल निर्माण पर सामग्री भुगतान	30-01-2020	32508.00
10-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर लेबर भुगतान	16-02-2020	1500.00
11-	प्राइमरी स्कूल कुण्डली फार्म के समीप मठिया मन्दिर के पास सोकपिट निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	16-02-2020	3000.00
12-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर लेबर भुगतान	21-02-2020	5700.00
13-	ग्राम पंचायत पटुआ के प्राथमिक विद्यालय कुण्डली फार्म में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य पर लेबर भुगतान	28-02-2020	4500.00
योग:-			487394.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय

पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 487394.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 243697.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 243697.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत पट्टा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाव खरीद का भुगतान	19-09-2018	50000.00
2-	पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्य का भुगतान	24-12-2018	21933.00
3-	प्रधान के मानदेय का भुगतान	30-03-2019	63000.00
4-	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	31-03-2019	124254.00
5-	जल भराव वाले स्थानों पर मिट्टी पटाई कार्य का भुगतान	31-03-2019	13773.00
6-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय का भुगतान	29-06-2019	11000.00
7-	ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय का भुगतान	10-07-2019	10500.00
8-	अन्य नागरिक सुविधा के अन्तर्गत जल भराव वाले स्थलों पर मिट्टी पटाई कार्य का भुगतान	03-08-2019	24000.00
9-	ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान	22-10-2019	10500.00
10-	ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद से फोटो कापी व फोटो ग्राफ आदि का भुगतान	24-10-2019	6010.00
11-	ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद से प्रिया साफ्टवेयर पर फीडिंग का भुगतान	24-10-2019	2000.00
12-	ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान	22-12-2019	7000.00
13-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	08-01-2020	6426.00
14-	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	11-01-2020	6426.00
15-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	27-02-2020	3210.00
16-	स्टेशनरी पर व्यय	11-03-2020	7490.00
17-	स्टेशनरी पर व्यय	12-03-2020	7490.00
योग:-			375012.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 375012.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 187506.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 187506.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत पट्टा में अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री/निर्माण/मजदूरी पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान	15-02-2020	90312.00
2-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान	15-02-2020	100100.00
3-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान	21-02-2020	16640.00
4-	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर टेण्डर प्रकाशन का भुगतान	27-02-2020	3210.00

5-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान	28-02-2020	9600.00
6-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान व लेबर भुगतान	02-03-2020	42950.00
7-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान	05-03-2020	145437.00
8-	अन्त्येष्टि स्थल पर सामग्री भुगतान	08-03-2020	120924.00
9-	अन्त्येष्टि स्थल पर लेबर भुगतान	19-03-2020	41050.00
10-	अन्त्येष्टि स्थल पर मजदूरी फार्म रिजेक्टेड भुगतान	20-03-2020	2750.00
11-	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	20-03-2020	15410.00
12-	अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य पर लेबर भुगतान	27-03-2020	40650.00
योग:-			629033.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 629033.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹० 314516.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 314516.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसन्तापुरकलां

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोना अल्वी को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर भुगतान	15-09-2018	11200.00
2-	सोना अल्वी को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर भुगतान	20-09-2018	5560.00
3-	सोना अल्वी को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर भुगतान	03-11-2018	18200.00
4-	सोना अल्वी को हैण्डपम्प स्थापना पर भुगतान	24-11-2018	30100.00
5-	सोना अल्वी को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर भुगतान	04-12-2018	15000.00
6-	सोना अल्वी को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत पर भुगतान	18-01-2019	52538.00
7-	सेमरीपुरवा में सोना अल्वी को हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान	18-01-2019	236421.00
8-	हैण्डपम्प रिबोर	16-05-2019	6960.00
9-	हैण्डपम्प रिबोर	18-07-2019	131345.00
10-	प्राथमिक विद्यालय में रिचार्ज पिट निर्माण कार्य	28-02-2020	18123.00
योग:-			525447.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 525447.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी

से रू० 271823.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से रू० 271823.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट	10-07-2019	227500.00
2-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय	04-03-2020	81250.00
3-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट क्रय	04-03-2020	81250.00
4-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	04-03-2020	65000.00
योग:-			455000.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि - कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 455000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रू० 227500.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से रू० 227500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां में नाली निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	यकूम के घर से साबिर के घर तक नाली मरम्मत कार्य हेतु न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को ईट क्रय हेतु भुगतान	03-11-2018	18200.00
2-	यकूम के घर से साबिर के घर तक नाली मरम्मत कार्य हेतु लेबर कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	03-11-2018	15400.00
3-	परशुराम के घर से राजकुमार के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर मौर्या ट्रेडर्स को सीमेन्ट क्रय पर भुगतान	03-11-2018	51714.00
4-	परशुराम के घर से राजकुमार के घर तक नाली मरम्मत पर लेबर कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	10-01-2019	19600.00
5-	परशुराम के घर से राजकुमार के घर तक नाली मरम्मत पर सीमेन्ट क्रय हेतु मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	10-01-2019	57855.00
6-	यकूम के घर से साबिर के घर तक नाली मरम्मत कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	16-01-2019	19600.00
7-	परशुराम के घर से राजकुमार के घर तक नाली मरम्मत पर लेबर कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	16-01-2019	18200.00
8-	परशुराम के घर से राजकुमार के घर तक नाली मरम्मत पर कोर्स सैण्ड हेतु मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	16-01-2019	45600.00
9-	परशुराम के घर से राजकुमार के घर तक नाली मरम्मत पर ईट क्रय हेतु न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	16-01-2019	45600.00
योग:-			291769.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है,

जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिए थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 291769.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से ₹ 145884.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 145884.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	राजेन्द्र कुमार के घर से रामसागर के घर तक ईट क्रय कार्य हेतु दुर्गा इण्टर प्राइजेज को भुगतान	07-10-2018	99946.00
2-	राजेन्द्र कुमार के घर से रामसागर के घर तक ईट क्रय कार्य हेतु गोयल ब्रिक को भुगतान	07-10-2018	43734.00
3-	पक्की रोड से शिवराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	03-12-2018	49590.00
4-	पक्की रोड से शिवराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु अटल कुमार को कार्टेज का भुगतान	03-12-2018	3434.00
5-	पक्की रोड से शिवराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु लेबर कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	03-12-2018	14350.00
6-	बकसिंदर के खेत से मोहन सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर न्यू ब्रिक फील्ड को भुगतान	03-12-2018	144637.00
7-	बकसिंदर के खेत से मोहन सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	03-12-2018	42525.00
8-	जसपाल के चौराहे से बकसिंदर के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	07-12-2018	132240.00
9-	जसपाल के चौराहे से बकसिंदर के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य पर लेबर हेतु निर्भय कुमार झा को भुगतान	07-12-2018	28000.00
10-	जसपाल के चौराहे से बकसिंदर के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य पर लेबर हेतु अटल कुमार को भुगतान	12-12-2018	10850.00
11-	राजेन्द्र के घर से राजकुमार की दुकान के पास तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय पर न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	12-12-2018	12096.00
12-	राजेन्द्र के घर से राजकुमार की दुकान के पास तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय पर न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	17-12-2018	33060.00
13-	शिवपाल के घर से सुमित के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	18-03-2019	37855.00
14-	पिन्टू के खडन्जा से नरेन्द्र के खडन्जा तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	18-03-2019	95466.00
15-	रामश्री के घर से दाताराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	18-03-2019	41655.00
16-	रामश्री के घर से दाताराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	18-03-2019	35910.00

17-	शिवपाल के घर से सुमित के घर तक खडन्जा निर्माण पर मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	18-03-2019	13832.00
18-	रामश्री के घर से दाताराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	18-03-2019	15960.00
19-	फकीरा के घर के पीछे से सूफ ज्वाला खडन्जा निर्माण पर मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	20-03-2019	7665.00
20-	पिन्ट के खडन्जा से नरेन्द्र के खडन्जा तक खडन्जा निर्माण पर मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	20-03-2019	27405.00
21-	बांके के घर से सदानन्द के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	20-03-2019	10745.00
22-	खडन्जा निर्माण	20-03-2019	15106.00
23-	रमेश्वर के खडन्जे के पास मोहन के घर तक	28-02-2020	59017.00
24-	प्रेमपाल सिंह खडन्जे से गनेश पाल सिंह के खडन्जे तक	03-03-2020	82876.00
योग:-			1057954.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1057954.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से ₹० 528977.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 528977.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	निर्भय कुमार झा को भुगतान विक्रम के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग लेबर कार्य	05-10-2018	17500.00
2-	अटल कुमार को भुगतान विक्रम के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग लेबर कार्य	05-10-2018	10380.00
3-	अटल कुमार को भुगतान राजेन्द्र के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग लेबर कार्य	05-10-2018	19950.00
4-	निर्भय कुमार झा को भुगतान राजेन्द्र कुमार के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग लेबर कार्य	05-10-2018	13215.00
5-	राजेन्द्र कुमार के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु पंचम ट्रेडर्स को भुगतान सीमेन्ट क्रय हेतु	07-10-2018	36821.00
6-	विक्रम के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	09-10-2018	23702.00
7-	विक्रम के घर से रामसागर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु दुर्गा इण्टर प्राइजेज को भुगतान	09-10-2018	113185.00

8-	विक्रम के घर से रामसगर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु गोयल ब्रिक फील्ड को ईट क्रय हेतु भुगतान	09-10-2018	29152.00
9-	राधा कृष्ण मन्दिर से कैलाश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर बड़ी विशाल इण्टर प्राइजेज को भुगतान	01-12-2018	104726.00
10-	राधा कृष्ण मन्दिर से कैलाश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	01-12-2018	21490.00
11-	रामस्वरूप के घर से बाबूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सीमेन्ट क्रय हेतु मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	04-12-2018	30309.00
12-	रामस्वरूप के घर से बाबूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सीमेन्ट क्रय हेतु बड़ी विशाल इण्टर प्राइजेज को भुगतान	04-12-2018	99000.00
13-	रामस्वरूप के घर से बाबूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर ईट क्रय हेतु न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	04-12-2018	34506.00
14-	रामस्वरूप के घर से बाबूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	04-12-2018	30945.00
15-	राधा कृष्ण मन्दिर से कैलाश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	05-12-2018	25640.00
16-	याकूब के घर से यूसुफ की राह तक इण्टर लॉकिंग हेतु मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	22-03-2019	19950.00
17-	याकूब के घर से यूसुफ की राह तक इण्टर लॉकिंग हेतु मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	22-03-2019	24200.00
18-	याकूब के घर से यूसुफ की राह तक इण्टर लॉकिंग हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु कुमार मंगलम कान्सट्रक्शन को भुगतान	22-03-2019	20779.00
19-	याकूब के घर से यूसुफ की राह तक इण्टर लॉकिंग हेतु ईट क्रय पर ए०ए०एच० ब्रिक फील्ड को भुगतान	22-03-2019	39753.00
20-	याकूब के घर से यूसुफ की राह तक इण्टर लॉकिंग हेतु जय भोले ट्रेडर्स को भुगतान	22-03-2019	127588.00
21-	इण्टर लॉकिंग कार्य से छोटे के घर तक खडन्जा कार्य	28-02-2020	21377.00
योग:-			864168.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 884168.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से ₹० 432084.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 432084.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुर में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग कार्य, मजदूरी कार्य पर भुगतान	05-10-2018	23475.00
2-	टाइल्स	07-10-2018	121493.00
3-	ब्रिक	07-10-2018	26279.00
4-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुर में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग कार्य, पंचम ट्रेडर्स को भुगतान सीमेन्ट क्रय	07-10-2018	16840.00
5-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुर में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग कार्य, दुर्गा इण्टर प्राइजेज को भुगतान	07-10-2018	114613.00
6-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुर में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग कार्य, ईट क्रय हेतु गोयल ब्रिक को भुगतान	07-10-2018	15193.00
7-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में इण्टर लॉकिंग मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	07-10-2018	31725.00
8-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य पर दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	07-10-2018	129410.00
9-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	07-10-2018	28786.00
10-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईअ क्रय हेतु गोयल ब्रिक को भुगतान	07-10-2018	32847.00
11-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	07-10-2018	25575.00
12-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	07-10-2018	24192.00
13-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां शौचालय निर्माण कार्य पर ईट क्रय पर अतुल कुमार को भुगतान	30-11-2018	11200.00
14-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य पर सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	01-03-2019	163548.00
15-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य पर सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	01-03-2019	18010.00
16-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय पर वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान	01-03-2019	24843.00
17-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	01-03-2019	34110.00
18-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु फाइन सैण्ड पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	01-03-2019	7440.00
19-	बसन्तापुरकलां में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	05-03-2019	83072.00
20-	बसन्तापुरकलां में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय पर वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान	05-03-2019	20542.00
21-	बसन्तापुरकलां में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	05-03-2019	15510.00
22-	बसन्तापुरकलां में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	05-03-2019	80736.00
23-	बसन्तापुरकलां में रसोई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	05-03-2019	40305.00
24-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां शौचालय के पास इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	07-03-2019	164457.00
25-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां शौचालय के पास इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	07-03-2019	16325.00
26-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां शौचालय के पास इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय हेतु वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान	07-03-2019	20354.00

27-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां शौचालय के पास इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	07-03-2019	41425.00
28-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	15-03-2019	75284.00
29-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	15-03-2019	88264.00
30-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय पर वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान	15-03-2019	30030.00
31-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	15-03-2019	19177.00
32-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	15-03-2019	34110.00
33-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	16-03-2019	169778.00
34-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय पर वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान	16-03-2019	19635.00
35-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	16-03-2019	15052.00
36-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	16-03-2019	41245.00
37-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में शौचालय निर्माण पेन्ट पाल क्रय हेतु जय भोले ट्रेडर्स को भुगतान	18-03-2019	5360.00
38-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी कार्य हेतु अटल कुमार को भुगतान	18-03-2019	4250.00
39-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी कार्य पर न्यू इण्डिया ब्रिक फील्ड को भुगतान	18-03-2019	32977.00
40-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सुमन इण्टर प्राइजेज को भुगतान	18-03-2019	59968.00
41-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मजदूरी कार्य हेतु निर्भय कुमार झा को भुगतान	18-03-2019	12169.00
42-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट क्रय पर मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	18-03-2019	5376.00
43-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय हेतु वर्मा ब्रिक फील्ड को भुगतान	18-03-2019	6960.00
44-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में रसाई घर के पास इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु फाईन सैण्ड हेतु निर्भय कुमार झा को भुगतान	18-03-2019	7680.00
45-	प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी कार्य पर अटल कुमार को भुगतान	22-03-2019	14525.00
46-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में टाइल्स निर्माण कार्य	15-03-2020	215902.00
47-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बसन्तापुरकलां में अतिरिक्त कक्ष, किचन में टाइल्स निर्माण कार्य	15-03-2020	107411.00
48-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य	16-03-2020	35112.00
49-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स निर्माण कार्य	16-03-2020	17010.00
50-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में किचन व मानदेय टाइल्स निर्माण कार्य	16-03-2020	19530.00
51-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में आफिस व स्टोर में टाइल्स निर्माण कार्य	16-03-2020	20062.00

52-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में आफिस व बरामदे में टाइल्स निर्माण कार्य	19-03-2020	33852.00
53-	उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य	19-03-2020	187728.00
54-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य	19-03-2020	197356.00
55-	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स निर्माण कार्य	19-03-2020	96363.00
56-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य	19-03-2020	105842.00
57-	प्राथमिक विद्यालय सेमरीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य	19-03-2020	118749.00
योग:-			3129062.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 3129062.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से ₹० 1564531.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 1564531.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत बसन्तापुरकलां अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अतुल कुमार को ग्राम प्रधान मानदेय	10-08-2018	7000.00
2-	लाल बहादुर को भुगतान ग्राम प्रधान मानदेय, पेन्टर	10-08-2018	5240.00
3-	साहनी बुक डिपो को भुगतान प्रधान मानदेय/स्टेशनरी खरीद	10-08-2018	2200.00
4-	जनसंदेश को भुगतान ग्राम प्रधान मानदेय/टेण्डर प्रकाशन	01-10-2018	7570.00
5-	प्रधान मानदेय सत्यपाल को भुगतान	07-12-2018	1925.00
6-	बैंक चार्ज हेतु ग्राम प्रधान मानदेय का भुगतान	15-02-2019	660.00
7-	ग्राम प्रधान मानदेय हेतु क्षेत्र पंचायत पलिया का भुगतान	01-03-2019	106000.00
8-	वृक्षारोपण	27-06-2019	59919.00
9-	प्रशासनिक व्यय	30-06-2019	4897.00
10-	गोल्डी कम्प्यूटर को भुगतान	05-12-2019	50.00
11-	जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक	19-02-2020	70000.00
योग:-			265461.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 265461.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी

से रू० 132730.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से रू० 132730.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – विशेषपुरीकालोनी विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत विशेषपुरीकालोनी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान	15-09-2018	14220.00
2-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान	08-01-2019	212608.00
योग:-			226828.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 226828.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से रू० 113414.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से रू० 113414.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत विशेषपुरीकालोनी में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में तिराहे व चौराहे पर स्ट्रीट लाइट पर भुगतान	23-11-2018	420000.00
2-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट कार्य का भुगतान	02-08-2019	97500.00
योग:-			517500.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 517500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से रू० 258750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से रू० 258750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत विशेषपुरीकालोनी में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में डस्टबिन कार्य पर भुगतान	20-09-2018	216000.00
2-	स्वच्छता प्रचार-प्रसार नारा लेखन	07-10-2018	42250.00

3-	ग्राम पंचायत विशेषपुरी में कूड़ादान बॉक्स स्थापना कार्य	22-02-2020	144000.00
	योग:-		402250.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय किया जाता है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 402250.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से ₹ 201125.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 201125.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत विशेषपुरीकालोनी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कुंवरजीत से जीत सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	25-09-2018	139878.00
2-	वजीर सिंह के घर से लखविन्दर सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	28-09-2018	199844.00
3-	लखविन्दर सिंह के घर से नक्षत्र सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	01-10-2018	198156.00
4-	पुरानी चक्की से मुख्य मार्ग तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	12-10-2018	213658.00
5-	मेन खडन्जे से जगतार सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	15-11-2018	76916.00
6-	पुरानी चक्की से मुख्य मार्ग तक खडन्जा निर्माण पर भुगतान	20-11-2018	134757.00
7-	दीपक के घर से जगदेव सिंह के खेत तक खडन्जा कार्य	05-12-2018	67000.00
8-	पुरानी चक्की को जाने वाली मेन रोड से दीपा के घर तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	08-01-2019	51712.00
9-	जगदेव सिंह के घर से बमनगर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	10-01-2019	58310.00
10-	भदूर से ज्वाला के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	31-03-2019	40513.00
	योग:-		1180744.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित

है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1180744.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से ₹ 590372.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 590372.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत विशेषपुरीकालोनी में इण्टर लॉकिंग मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पुरानी चक्की को जाने वाली डामर रोड से सौदानगर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	16-03-2019	179793.00
2-	विचित्र नगर सेमरी को जाने वाले खडन्जे से इन्दर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	17-03-2019	241934.00
3-	भनसूरी जाने वाले खडन्जे से निशान सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	18-03-2019	178899.00
4-	भनसूरी जाने वाले खडन्ज से गुरमुख सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	18-03-2019	208814.00
5-	भनसूरी जाने वाले खडन्जे से सतपाल सिंह व गुरमुख सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	165643.00
योग:-			975083.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 975083.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से ₹ 487541.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 487541.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत विशेषपुरीकालोनी में हयूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हयूम पाइप पर भुगतान	17-10-2018	197985.00
2-	ग्राम पंचायत में जल निकासी हेतु हयूम पाइप का भुगतान	02-08-2019	76840.00
3-	ग्राम पंचायत में हयूम पाइप स्थापना कार्य	05-03-2020	148558.00
4-	ग्राम पंचायत में हयूम पाइप स्थापना कार्य	07-03-2020	148558.00
5-	हयूम पाइप स्थापना कार्य	21-03-2020	145058.00
योग:-			716999.00

हयूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियाँ जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों में इतर किसी भी प्रकार से हयूम पाइप का क्रय

किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। जबकि उक्त क्रय हयूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 716999.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से ₹ 358499.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 358499.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत विशेनपुरीकालोनी में स्थिति प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय मरम्मत कार्य	22-03-2019	13710.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय मरम्मत कार्य	17-02-2020	52012.00
3-	प्राथमिक स्कूल नर्सरी विशेनपुरी में शौचालय मरम्मत कार्य	17-02-2020	108849.00
4-	नर्सरी स्कूल में शौचालय मरम्मत कार्य	22-02-2020	47017.00
5-	प्राथमिक विद्यालय विशेनपुरी में शौचालय मरम्मत कार्य	22-02-2020	9931.00
6-	प्राथमिक विद्यालय बहादुरनगर में इण्टर लॉकिंग कार्य	27-03-2020	127881.00
	योग:-		359400.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 359400.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से ₹ 179700.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 179700.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत विशेनपुरीकालोनी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	22-09-2018	54730.00
2-	ग्राम पंचायत में शौचालय मरम्मत पर भुगतान	02-12-2018	98920.00
3-	मॉडल शौचालय मरम्मत	20-03-2019	29370.00
4-	ग्रा0पं0 में वृक्षारोपण और स्टेशनरी में व्यय का भुगतान	02-08-2019	50350.00
5-	बैंक कटौती	07-08-2019	533.00
6-	कार्य योजना लेखन कार्य	04-01-2020	18500.00

7-	ग्राम प्रधान मानदेय जनवरी 2018 से दिसम्बर 2019 24 महीने @ 3500.00	17-02-2020	84000.00
8-	ग्राम पंचायत में स्लोगर वॉल पेन्टिंग का कार्य	02-03-2020	14250.00
9-	ग्राम पंचायत में स्टेशनरी व्यय कार्य	02-03-2020	7210.00
योग:-			357863.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 357863.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लखजीत कौर से ₹ 178931.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 178931.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मिर्चिया विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत मिर्चिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिपेयर वर्क भुगतान	20-09-2018	51300.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर वर्क भुगतान	22-09-2018	12150.00
योग:-			63450.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 63450.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹ 31725.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 31725.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत मिर्चिया में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट का निर्माण कार्य	03-11-2018	180000.00
योग:-			180000.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय

पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 180000.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹० 90000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 90000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत मिर्चिया में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन खरीद भुगतान	15-02-2019	74000.00
	योग:-		74000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कंराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 74000.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹० 37000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 37000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत मिर्चिया में नाली निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हामिद के घर से जंगल तक नाली निर्माण वर्क पर सामग्री क्रय का भुगतान	29-11-2018	121254.00
2-	हामिद के घर से जंगल तक नाली निर्माण वर्क पर लेबर का भुगतान	25-01-2019	56960.00
	योग:-		178214.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी

अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 174214.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹ 89107.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 89107.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत मिर्चिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पिच रोड से तरसेम सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर ईंट क्रय का भुगतान	08-11-2018	104312.00
2-	पिच रोड से तरसेम सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर लेबर का भुगतान	09-11-2018	21600.00
3-	रानीनगर में मेन खडन्जा से मंजीत सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर लेबर भुगतान	04-12-2018	27100.00
4-	रानीनगर में मेन खडन्जा से मंजीत सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर ईंट खरीद का भुगतान	25-01-2019	46863.00
5-	दलनगर में सुक्खा सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा वर्क पर ईंट खरीद का भुगतान	25-01-2019	126236.00
6-	दलनगर में सुक्खा सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा वर्क पर लेबर का भुगतान	25-01-2019	36410.00
7-	रानीनगर में पिच रोड से सरदार सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर ईंट क्रय का भुगतान	25-01-2019	171829.00
8-	कुलदीप सिंह के घर से मेन खडन्जे तक मिट्टी खडन्जा वर्क पर ईंट खरीद का भुगतान	15-03-2019	54403.00
9-	कुलदीप सिंह के घर से मेन खडन्जे तक मिट्टी खडन्जा वर्क पर लेबर का भुगतान	15-03-2019	42420.00
10-	पिच रोड से बलवेन्द्र सिंह के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	11-07-2019	111789.00
11-	खडन्जे से जगदेव सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	14-07-2019	128204.00
12-	मिर्चिया पिच रोड से मलकीत सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	16-03-2020	28390.00
13-	मिर्चिया में हरबंश सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	17-03-2020	106498.00
14-	रानीनगर में सुखदेव सिंह के घर से खडन्जा तक मिट्टी खडन्जा कार्य	17-03-2020	71504.00
15-	मिट्टी/खडन्जा	17-03-2020	94899.00
16-	हंसनगर पिच रोड से मनजीत कौर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	24-03-2020	46498.00
17-	हंसनगर पिच रोड से अमरप्रीत के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	24-03-2020	58824.00
18-	मिर्चिया में बक्शीष सिंह के घर के सामने से भूपेन्द्र सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	24-03-2020	91871.00
	योग:-		1369650.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन

तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1369650.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹० 684825.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 684825.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत मिर्चिया में स्थिति प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राइमरी स्कूल मिर्चिया में फर्श टाइल्स निर्माण वर्क पर सामग्री खरीद पर भुगतान	09-11-2018	132632.00
2-	प्राइमरी स्कूल मिर्चिया में फर्श टाइल्स निर्माण वर्क पर सामग्री खरीद का भुगतान, सीमेन्ट, मौरंग, ईट का भुगतान	11-11-2018	37330.00
3-	प्राइमरी स्कूल मिर्चिया में फर्श टाइल्स निर्माण वर्क पर लेबर का भुगतान	12-11-2018	33720.00
4-	प्राथमिक विद्यालय हसनागढ़ में टाइल्स निर्माण कार्य का भुगतान	25-07-2019	171516.00
योग:-			375198.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 375198.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹० 187599.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 187599.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत मिर्चिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्टेशनरी और वृक्षारोपण का भुगतान	22-01-2019	24750.00
2-	स्टेशनरी विज्ञापन व्यय	25-01-2019	18950.00
3-	कटौती फार टेक्निकल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन फण्ड	04-02-2019	243.00
4-	स्टेशनरी एवं कैमरा क्रय का भुगतान	18-02-2019	14500.00
5-	बैंक चार्ज	18-02-2019	472.00
6-	बैंक चार्ज	27-02-2019	472.00
7-	स्टेशनरी फोटो कापी भुगतान	05-03-2019	31550.00
8-	स्टेशनरी फोटो कापी भुगतान	13-03-2019	13800.00
9-	स्टेशनरी फोटो कापी भुगतान	15-03-2019	33231.00
10-	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	10-07-2019	6500.00
11-	ग्राम प्रधान का मानदेय का भुगतान	14-07-2019	52500.00
12-	ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य का भुगतान	16-07-2019	28000.00
13-	गोल्डी कम्प्यूटर	10-12-2019	1980.00
14-	स्टेशनरी वं फोटो कापी पर व्यय	17-03-2020	8650.00
योग:-			235598.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय

की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 235598.00 में से ग्राम प्रधान श्री रूपेन्द्र सिंह से ₹० 117799.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 117799.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मकनपुर विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत मकनपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोना अलवी से फार हैण्डपम्प रिपेयर वर्क	20-06-2018	12320.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोना अलवी से फार हैण्डपम्प रिपेयर वर्क	07-09-2018	7360.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोना अलवी से फार हैण्डपम्प रिपेयर वर्क	03-03-2019	23540.00
योग:-			43220.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 43220.00 में से ग्राम प्रधान श्री करमजीत सिंह से ₹० 21610.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 21610.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत मकनपुर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू माडर्न स्टील फार स्वच्छता प्रचार प्रसार वर्क	28-01-2019	13550.00
योग:-			13550.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि –

- 1- यह स्पष्ट नहीं है कि-कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।
- 2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।
- 3- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके

कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 13550.00 में से ग्राम प्रधान श्री करमजीत सिंह से ₹ 6775.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 6775.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत मकनपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	करमजीत से मेन रोड से बलवीर सिंह के घर तक खडन्जा लेबर का कार्य	10-04-2018	30479.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय झा मेन रोड से जसवन्त सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	10-04-2018	17325.00
3-	बींग एमाउन्ट भरत ब्रिक फील्ड फार जूनियर हाईस्कूल मकनपुर में खडन्जा निर्माण ब्रिक परचेज	10-04-2018	41040.00
4-	बींग एमाउन्ट भरत ब्रिक फील्ड फार जूनियर हाईस्कूल मकनपुर में खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	10-04-2018	19950.00
5-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय झा फार चेम्बर बोझ से खडन्जा तक खडन्जा निर्माण वर्क	10-04-2018	18900.00
6-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक्स फील्ड फार बाबा जी के घर से करमजीत सिंह के घर तक खडन्जा रिपेयर ब्रिक्स परचेज	12-02-2019	68156.00
7-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक्स फील्ड फार गुरुद्वारा चौराहे पर खडन्जा निर्माण वर्क ब्रिक्स परचेज	12-02-2019	76545.00
8-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय कुमार बाबा जी के घर से करमजीत सिंह के घर तक खडन्जा रिपेयर मिट्टी परचेज लेबर वर्क	18-02-2019	57575.00
9-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय कुमार झा फार गुरुद्वारा चौराहे पर खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	28-02-2019	63875.00
10-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय कुमार झा फार गुरुद्वारा चौराहे पर खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	05-03-2019	16100.00
11-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक्स फील्ड फार मेन रोड से दिनेश के घर तक खडन्जा निर्माण ब्रिक्स परचेज	10-03-2019	152737.00
12-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय कुमार मेन रोड से दिनेश के घर तक खडन्जा निर्माण वर्क मिट्टी परचेज	10-03-2019	49789.00
13-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक्स फील्ड फार दुधवा रोड से चौकीदार सहेन्द्र सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण ब्रिक्स परचेज	12-03-2019	48299.00
14-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक्स फील्ड फार दुधवा रोड से चौकीदार सहेन्द्र सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	12-03-2019	15852.00
15-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय कुमार झा फार खडन्जे से मगर सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	14-03-2019	39123.00
16-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक फील्ड फार खडन्जे से मगर सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण ब्रिक परचेज	14-03-2019	152923.00
17-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक फील्ड फार मेन रोड से बलजीत सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण ब्रिक्स परचेज	15-03-2019	32917.00
18-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक फील्ड फार मेन रोड से बलजीत सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण ब्रिक्स परचेज	15-03-2019	307781.00
19-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक फील्ड फार मेन रोड से दौलत के घर तक खडन्जा निर्माण ब्रिक्स परचेज	16-03-2019	17356.00
20-	बींग एमाउन्ट पेड टू खाजा ब्रिक फील्ड फार मेन रोड से दौलत के घर तक खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	16-03-2019	4700.00
	योग:-		1231422.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे

भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1231422.00 में से ग्राम प्रधान श्री करमजीत सिंह से ₹० 615711.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 615711.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत मकनपुर में स्थिति प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू विजय सेल्स फार प्राइमरी विद्यालय मकनपुर टायलट में टायल्स निर्माण	28-02-2019	51620.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू विजय सेल्स फार प्राइमरी विद्यालय मकनपुर टायलट निर्माण ब्रिक्स परचेज	03-03-2019	31290.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू निर्भय कुमार झा फार प्राइमरी विद्यालय मकनपुर टायलट निर्माण लेबर वर्क	05-03-2019	8225.00
योग:-			91135.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 91135.00 में से ग्राम प्रधान श्री करमजीत सिंह से ₹० 45567.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 45567.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत मकनपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू चावला कम्प्यूटर फार प्रिन्टिंग वर्क	12-04-2018	10000.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू रमा प्रिन्टिंग फार प्रिन्टिंग वर्क	14-04-2018	2300.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू माडर्न स्टील फार मेज कुर्सी आलमारी एण्ड एक्सपेण्डीचर	20-06-2018	37800.00
4-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोनी टेन्ट फार टेन्ट मटीरियल	07-09-2018	9775.00

5-	बींग एमाउन्ट पेड टू सलीम नर्सरी फार ट्रीज परचेज	30-09-2018	21969.00
6-	बींग एमाउन्ट पेड टू वर्ड्स आफ लखनऊ फार टेण्डर वर्क	30-09-2018	6622.00
7-	बींग एमाउन्ट पेड टू करमजीत सिंह फार प्रधान मानदेय	15-03-2019	42000.00
8-	बींग एमाउन्ट पेड टू चावला कम्प्यूटर फार कैमरा परचेज एण्ड फीडिंग वर्क	16-03-2019	13090.00
9-	बींग एमाउन्ट पेड टू ब्राइट इण्डिया लिमिटेड फार स्ट्रीट लाइट परचेज	22-03-2019	198006.00
10-	स्टेशनरी	25-05-2019	3442.00
11-	वृक्षारोपण	03-08-2019	31950.00
12-	गोल्डी कम्प्यूटर्स	06-12-2019	50.00
	योग:-		377004.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 377004.00 में से ग्राम प्रधान श्री करमजीत सिंह से ₹ 188502.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 188502.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरियापारा विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत सरियापारा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान	10-09-2018	172055.00
2-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का रिबोर का भुगतान	23-07-2019	106308.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	10-01-2020	86235.00
	योग:-		364598.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 364598.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 182299.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्द्र से ₹ 182299.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत सरियापारा में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोलर लाइट पर भुगतान	29-01-2019	127350.00
	योग:-		127350.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 127350.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹० 63675.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्द्र से ₹० 63675.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत सरियापारा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छता प्रचार-प्रसार हेतु	25-09-2018	42250.00
2-	ग्राम पंचायत कूड़ादान कार्य पर भुगतान	25-09-2018	216000.00
	योग:-		258250.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि-कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 258250.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹० 129125.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्द्र से ₹० 129125.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत सरियापारा में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मन्दिर से आदर्श तालाब तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	01-04-2019	42630.00
2-	मन्दिर से आदर्श तालाब तक नाली निर्माण कार्य	23-11-2019	140679.00
3-	मन्दिर से आदर्श तालाब तक नाली निर्माण कार्य	25-11-2019	140679.00
	योग:-		323988.00

क्रमांक 02 तथा 03 पर दर्शित कार्य हेतु डबल भुगतान प्रदर्शित हो रहा है अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण डबल भुगतान की गहन जाँच नहीं की जा सकी।

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें"

एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 323988.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 161994.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्दर से ₹ 161994.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत सरियापारा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन रोड से पंचायत घर तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	02-12-2018	29845.00
2-	अनिल के घर से छोटेलाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य का भुगतान	22-07-2019	84576.00
योग:-			114421.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 114421.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 57210.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्दर से ₹ 57210.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत सरियापारा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन रोड से सूधन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	22-07-2019	13776.00
2-	मेन रोड से भाजी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	30-11-2019	82354.00
3-	मेन रोड से भाजी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	02-12-2019	94776.00
4-	लछी के घर से मेन रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य	02-12-2019	109675.00
5-	लछी के घर से मेन रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-12-2019	49002.00
6-	मन्दिर रोड से भाजी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-12-2019	155006.00
7-	आर०सी०सी० रोड से रामबहादुर के घर तक इण्टर लॉकिंग का कार्य	08-12-2019	47584.00
योग:-			552173.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं

लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 552173.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 276086.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्दर से ₹ 276086.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत सरियापारा में पंचायत भवन के निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	16-12-2018	44170.00
2-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य का भुगतान	25-02-2020	30797.00
	योग:-		74967.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 74967.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 37483.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्दर से ₹ 37483.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत सरियापारा में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में खडन्जा निर्माण का भुगतान	22-07-2019	40385.00
2-	प्राथमिक विद्यालय में टायल्स निर्माण कार्य का भुगतान	25-07-2019	178300.00
3-	प्राथमिक विद्यालय रिचार्ज पी०आई०टी० निर्माण कार्य	09-01-2020	17701.00
4-	प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्री वॉल मरम्मत कार्य	10-01-2020	23173.00
5-	प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्री वॉल मरम्मत कार्य का भुगतान	26-02-2020	23856.00
	योग:-		283415.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें"

एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 283415.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 141707.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्दर से ₹ 141707.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत सरियापारा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान	23-08-2018	45500.00
2-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	02-11-2018	82429.00
3-	ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान	17-07-2019	17500.00
4-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय का भुगतान	03-08-2019	10026.00
5-	प्रधान मानदेय जुलाई से नवम्बर तक	26-12-2019	17500.00
6-	स्टेशनरी व दीवार पेन्टिंग का भुगतान	25-02-2020	22000.00
7-	फैसीलेटर का भुगतान	08-03-2020	2500.00
8-	प्रधान मानदेय	17-03-2020	10500.00
योग:-			207955.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 207955.00 में से ग्राम प्रधान श्री बहादुर से ₹ 103977.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्दर से ₹ 103977.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – इब्राहिमपुरी विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जी०पी० इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लेबर कार्य पर भुगतान	10-01-2019	186032.00
2-	हैण्डपम्प लेबर कार्य	02-08-2019	97331.00
योग:-			283363.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित

है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 283363.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 141681.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 141681.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जी०पी० में स्ट्रीट लाइट पर भुगतान	11-01-2019	240000.00
2-	स्ट्रीट लाइट स्थापना	02-08-2019	97500.00
	योग:-		337500.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 337500.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 168750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 168750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में कूड़ादान स्थापना कार्य	22-02-2020	144000.00
	योग:-		144000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 144000.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 72000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 72000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	लालू से मोतीलाल के घर तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	08-12-2018	97158.00
2-	भगवानदीन से खेद के घर तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	11-12-2018	75846.00
3-	मुरली के खेत से अनुराग के घर तक	13-12-2018	112855.00

4-	मेन पक्की सड़क से राजू शर्मा के घर तक	09-01-2019	101540.00
5-	पक्की सड़क से चन्द्रप्रकाश	13-01-2019	64489.00
6-	मेन सड़क से भीम यादव तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	21-01-2019	76140.00
7-	मेन पक्की सड़क से सुनील राय तक खडन्जा कार्य	27-01-2019	82573.00
8-	मेन खडन्जे से रवीन्द्र के घर तक	28-01-2019	29005.00
9-	धर्मराज से मेन खडन्जे तक खडन्जा पर भुगतान	28-01-2019	34345.00
10-	निरंकार से कच्ची सड़क तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	18-02-2019	72352.00
11-	पक्की सड़क से सुखवीर सिंह के घर तक	19-02-2019	148780.00
12-	धर्मवीर से विजय के घर तक	20-02-2019	112910.00
13-	श्रीकृष्ण से राधा के घर तक खडन्जा कार्य	22-02-2019	43219.00
14-	विजय के घर से झील तक खडन्जा	23-02-2019	175583.00
15-	मेन खडन्जे से दीन दयाल के घर तक	25-02-2019	43088.00
16-	जगदीश से नीमचन्द के घर तक	08-03-2019	219090.00
17-	मेन खडन्जे से रामनाथ के घर तक	10-03-2019	32618.00
18-	मेन खडन्जे से इन्द्रजीत मौर्य के घर तक	12-03-2019	89752.00
19-	पक्की रोड से मंगल सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	06-03-2020	9050.00
योग:-			1620393.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1620393.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 810196.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 810196.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रामप्रीत के घर से पोरन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	15-03-2019	200747.00
2-	माया से सुरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर भुगतान	17-03-2019	228872.00
3-	दीना से माया के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	19-03-2019	243070.00
4-	गुलाब के घर से दीनानाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-03-2019	239430.00
5-	मेन खडन्जा से दुर्गा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	17-07-2019	86540.00
6-	मेन खडन्जा से रामविलास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	18-07-2019	82744.00
7-	सुरेश के घर से मोहर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	14-12-2019	198738.00
8-	पक्की रोड से मन्दिर के प्रांगण तक इण्टर लॉकिंग कार्य	14-12-2019	120532.00
9-	पक्की रोड से मन्दिर के प्रांगण तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-12-2019	17800.00
10-	सुरेश के घर से मोहर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-12-2019	30970.00
11-	मोहर के घर से राजेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	21-12-2019	72072.00

12-	रामनारायण के घर से उमा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-12-2019	230778.00
13-	मेन खडन्जा से उमा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-07-2020	27940.00
14-	मन्दिर के पीपल से होते हुए मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-01-2020	29720.00
15-	मेन खडन्जा से उमा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	09-01-2020	181189.00
16-	मन्दिर के पीपल से होते हुए मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	09-01-2020	191870.00
17-	मन्दिर के पीपल से होते हुए मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	25-01-2020	103840.00
18-	राजेश्वरनगर स्कूल से मनिराज के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	25-01-2020	108440.00
19-	मोहर के घर से राजेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	21-02-2020	3310.00
20-	मेन खडन्जा से उमा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-02-2020	9780.00
21-	मन्दिर के पीपल से होते हुए मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-02-2020	10315.00
22-	पक्की रोड से मन्दिर के प्रांगण तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-02-2020	6780.00
23-	सुरेश के घर से मोहर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	21-02-2020	10550.00
योग:-			2436027.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन है एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों एवं व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ एवं सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2436027.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹० 1218013.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹० 1218013.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप पर भुगतान	17-03-2019	234082.00
2-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	23-03-2020	132667.00
योग:-			366749.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। जबकि उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 366749.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 183374.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 183374.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में फर्श मरम्मत कार्य	13-03-2019	170235.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में टेल निर्माण	20-07-2019	120990.00
3-	प्राथमिक विद्यालय में टेल निर्माण	02-08-2019	36442.00
4-	प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	20-03-2020	113629.00
5-	प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में बाउण्ड्री वॉल एवं गेट निर्माण कार्य	20-03-2020	100875.00
6-	प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	21-03-2020	81002.00
7-	प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में बाउण्ड्री वॉल एवं गेट निर्माण कार्य	21-03-2020	93259.00
	योग:-		716432.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 716432.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 358216.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 358216.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान के मानदेय का भुगतान	04-09-2018	42000.00
2-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	20-12-2018	68818.00
3-	वॉल पेन्टिंग कार्य पर भुगतान	23-03-2019	42250.00
4-	प्रशासनिक मद	02-08-2019	50510.00
5-	ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में स्लोगन वॉल पेन्टिंग कार्य	21-02-2020	14250.00
6-	ग्राम प्रधान मानदेय अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक	22-02-2020	35000.00
7-	स्टेशनरी	23-03-2020	11620.00
8-	कार्य योजना लेखन कार्य	24-03-2020	18500.00
	योग:-		282948.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित

किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 282948.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से ₹ 141474.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 141474.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मंहगापुर विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत मंहगापुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पर भुगतान	05-01-2019	234078.00
	योग:-		234078.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 234078.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रणजीत कौर से ₹ 117039.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 117039.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत मंहगापुर में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट पर भुगतान	25-10-2018	240000.00
	योग:-		240000.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 240000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रणजीत कौर राजेन्द्र से ₹ 120000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 120000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत मंहगापुर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छता पर भुगतान	06-10-2018	57250.00
2-	स्वच्छता पर भुगतान	18-10-2018	183768.00
3-	ग्राम पंचायत मंहगापुर में कूड़ादान बाक्स का स्थापना कराया	23-02-2020	144000.00
	योग:-		385018.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 385018.00 में से ग्राम प्रधान श्री रणजीत कौर से ₹० 192509.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹० 192509.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत मंहगापुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मंहगापुर गाँव में गुरुदेव सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	10-11-2018	140697.00
2-	मंहगापुर गाँव से हैप्पी के घर तक	16-11-2018	145479.00
3-	मेन रोड से गुरुदेव के घर तक	01-01-2019	70000.00
4-	मेन सड़क से बन्ता सिंह के घर तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	05-02-2019	199566.00
5-	मेन खडन्जे से दलजीत सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	09-03-2019	86266.00
6-	मेन खडन्जे से गोकर्न के घर तक	10-03-2019	92046.00
7-	पेजाब गेट से हरदीप सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	11-03-2019	45174.00
8-	रामदीप से गुरुबचन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	14-03-2019	66985.00
9-	आंध्रा रोड से विचित्र सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	05-08-2019	16600.00
10-	आंध्रा फार्म खडन्जा से विचित्र के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	09-12-2019	29925.00
11-	आंध्रा फार्म खडन्जा से विचित्र सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	23-02-2020	92250.00
12-	प्रेमनगर रोड से राधेश्याम के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	19-03-2020	134400.00
13-	मेन रोड से दीपू के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	19-03-2020	134400.00
14-	मंहगापुर से सुपारी के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	19-03-2020	100800.00
15-	मंहगापुर खडन्जे से हर्दम सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	23-03-2020	149549.00
योग:-			1504137.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति,

निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1504137.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रणजीत कौर से ₹ 752068.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 752068.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत मंहगापुर में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप पर भुगतान	18-03-2019	17522.00
2-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया	23-03-2020	180000.00
	योग:-		197522.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। जबकि उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 197522.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रणजीत कौर से ₹ 98761.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 98761.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत मंहगापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	02-03-2020	107772.00
2-	प्राथमिक विद्यालय मंहगापुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	26-03-2020	81200.00
	योग:-		188972.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 188972.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रणजीत कौर से ₹ 94486.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 94486.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत मंहगापुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	13-08-2018	55806.00
2-	ग्राम प्रधान मानदेय पर भुगतान	31-03-2019	45500.00
3-	ग्राम पंचायत मंहगापुर में स्लोगन वॉल पेन्टिंग कार्य	21-02-2020	14250.00
4-	ग्राम पंचायत मंहगापुर में स्टेशनरी क्रय	21-02-2020	10860.00
5-	ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान 04/2019 से 01/2020 तक	23-02-2019	35000.00
6-	कार्य योजना लेखन कार्य	04-03-2020	18500.00
योग:-			179916.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 179916.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रणजीत कौर से ₹ 89958.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 89958.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मलिनिया विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत मलिनिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आंगनबाड़ी केन्द्र में हैण्डपम्प स्थापना हेतु सोना आर्वी को भुगतान	24-11-2018	30100.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर के लिये बाजुआ इम्पिलीमेन्ट को भुगतान	27-12-2018	240993.00
3-	आंगनबाड़ी केन्द्र में हैण्डपम्प स्थापना हेतु बाजुआ इम्पिलीमेन्ट को भुगतान	29-12-2018	80331.00
4-	प्राथमिक विद्यालय में 300 फिट गहरा हैण्डपम्प	22-02-2020	78386.00
योग:-			429810.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 429810.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर से ₹ 214905.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 214905.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत मलिनिया में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट क्रय पर ब्राइट इण्डिया को भुगतान	26-03-2019	198006.00
2-	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	03-03-2020	81250.00
3-	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	03-03-2020	81250.00
योग:-			360506.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 360506.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर राजेन्द्र से ₹० 180253.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 180253.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत मलिनिया में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ईटइया में शौचालय निर्माण कार्य के लिये टाइल्स खरीद पर जय वैष्णो को भुगतान	05-11-2018	39300.00
2-	ठेलिया क्रय पर भशीन साईकिल स्टोर को भुगतान	16-11-2018	13450.00
3-	ईटइया में शौचालय निर्माण पर सीमेन्ट क्रय हेतु मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	26-11-2018	9800.00
4-	ईटइया में शौचालय निर्माण पर ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी को भुगतान	26-11-2018	11200.00
5-	ईटइया में शौचालय निर्माण पर मजदूरी कार्य पर राजवीरा के भुगतान	30-11-2018	11200.00
6-	स्वच्छ भारत मिशन रैली के लिये सतपाल को भुगतान	12-02-2019	2840.00
7-	स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय पेन्टिंग के लिये लाल बहादुर को भुगतान	12-02-2019	47890.00
8-	स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय पेन्टिंग के लिये लाल बहादुर को भुगतान	12-02-2019	3500.00
9-	शौचालय निर्माण	28-07-2019	40532.00
10-	शौचालय में जल आपूर्ति	16-03-2020	14109.00
योग:-			193821.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 193821.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर से ₹० 96910.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 96910.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत मलिनिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जल सिंह के खेत से भूत सिंह के खडन्जा तक खडन्जा मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	01-11-21018	15400.00
2-	दीपचन्द के खडन्जे से गुरुदीप सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण हेतु राजवीर सिंह को भुगतान	01-11-2018	15400.00
3-	दीपचन्द के खडन्जे से गुरुदीप सिंह के खेत तक ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी ब्रिक फील्ड को भुगतान	02-11-2018	65550.00
4-	दीपचन्द के खडन्जे से गुरुदीप सिंह के खेत तक ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी ब्रिक फील्ड को भुगतान	02-11-2018	91200.00
5-	कमल के खेत से गुरुदीप सिंह के घर तक खडन्जा कार्य पर ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी ब्रिक फील्ड को भुगतान	03-11-2018	28500.00
6-	जल सिंह के खेत से भूत सिंह के खडन्जा तक खडन्जा ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी ब्रिक फील्ड को भुगतान	03-11-2018	65550.00
7-	जल सिंह के खेत से भूत सिंह के खडन्जा तक खडन्जा ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी ब्रिक फील्ड को भुगतान	03-11-2018	79800.00
8-	दीपचन्द के खडन्जे से गुरुदीप सिंह के खेत तक मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	10-11-2018	18200.00
9-	कमल के खेत से गुरुदीप सिंह के घर तक खडन्जा कार्य पर मजदूरी कार्य पर निर्भय कुमार झा को भुगतान	16-11-2018	14000.00
10-	कमल के खेत से गुरुदीप सिंह के घर तक खडन्जा कार्य पर ईट क्रय हेतु न्यू वार्शी ब्रिक फील्ड को भुगतान	16-11-2018	91200.00
11-	जल सिंह के खेत से भूत सिंह के खडन्जा तक खडन्जा कार्य पर मजदूरी कार्य हेतु निर्भय कुमार झा को भुगतान	05-03-2019	38500.00
12-	खडन्जा निर्माण	27-06-2019	46680.00
13-	खडन्जा कार्य	28-06-2019	21438.00
14-	खडन्जा कार्य	03-07-2019	12932.00
15-	मलिनिया में ऐनम सेन्टर से विनय शुक्ला के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	21-01-2020	21287.00
16-	राजा बाबू के घर से रेशमलाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	21-01-2020	12897.00
17-	रामप्रसाद पुरवा से मंगरे के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	21-01-2020	91791.00
18-	इटईया प्रा०वि० से रामलखन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	21-01-2020	19391.00
19-	इटईया में पी०डब्लू०डी० रोड से ओमप्रकाश के घर तक खडन्जा	03-03-2020	87737.00
20-	इटईया में अवधराम के घर से खूबलाल के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	03-03-2020	76498.00
21-	होलिका दहन स्थान से विशाल श्रीवास्तव के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	03-03-2020	40799.00
22-	राजा बाबू के घर से रोशन के घर तक खडन्जा कार्य	03-03-2020	13108.00
23-	रामप्रसाद के घर से मंगरे के घर तक खडन्जा कार्य	03-03-2020	2961.00
24-	इटईया में प्रा०वि० से रामलखन के घर तक खडन्जा कार्य	03-03-2020	2961.00
	योग:-		973780.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते

हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 973780.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर से ₹० 486890.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 486890.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत मलिनिया में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर शिवम् स्पन पाइप को भुगतान	25-03-2019	132142.00
योग:-			132142.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। जबकि उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 132142.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर से ₹० 66071.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 66071.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत मलिनिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मलिनिया विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु पेन्टर कार्य पर राजवीर सिंह को भुगतान	24-11-2018	5016.00
2-	मलिनिया विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु सीमेन्ट क्रय हेतु मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान	24-11-2018	15050.00
3-	मलिनिया विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु ईंट क्रय हेतु न्यू वार्शी को भुगतान	25-11-2018	19950.00
4-	मलिनिया विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु टाइल्स क्रय वैष्णो ट्रेडर्स को भुगतान	30-11-2018	11350.00
5-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया प्रांगण में मिट्टी पट्टाई कार्य हेतु टाली हेतु भाड़ा पर हरपाल सिंह को भुगतान	26-01-2019	52450.00
6-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया प्रांगण में मिट्टी पट्टाई कार्य हेतु टाली हेतु भाड़ा मजदूरी कार्य पर राजवीर सिंह को भुगतान	28-01-2019	16260.00
7-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया प्रांगण में मिट्टी पट्टाई कार्य हेतु टाली हेतु भाड़ा पर हरपाल सिंह को भुगतान	28-01-2019	65400.00
8-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया प्रांगण में मिट्टी पट्टाई कार्य हेतु टाली हेतु भाड़ा मजदूरी कार्य पर राजवीर सिंह को भुगतान	30-01-2019	11400.00

9-	प्राथमिक विद्यालय इटईया के प्रांगण में मिट्टी पटाई पर मजदूरी कार्य पर शाखा प्रबन्धक को भुगतान	05-02-2019	30000.00
10-	प्राथमिक विद्यालय इटईया के प्रांगण में मिट्टी पटाई ट्राली भाड़ा हेतु हरपाल सिंह को भुगतान	05-02-2019	91193.00
11-	प्राथमिक विद्यालय इटईया के प्रांगण में मिट्टी पटाई हेतु मजदूरी कार्य पर राजवीर सिंह को भुगतान	07-02-2019	21360.00
12-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया में मिट्टी पटाई कार्य हेतु ट्राली हेतु भाड़ा पर हरपाल सिंह को भुगतान	07-02-2019	50316.00
13-	प्राथमिक विद्यालय इटईया के प्रांगण में मिट्टी पटाई हेतु भाड़ा पर हरपाल सिंह को भुगतान	10-02-2019	80250.00
14-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया में शौचालय निर्माण पर प्लम्बर मिस्त्री हेतु रफ़ीक को भुगतान	12-02-2019	5960.00
15-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया में शौचालय निर्माण पर मोटर खरीद पर बाजुआ इम्प्लीमेंट को भुगतान	12-02-2019	3500.00
16-	प्राथमिक विद्यालय मलिनिया में शौचालय निर्माण पर मोटर खरीद पर बाजुआ इम्प्लीमेंट को भुगतान	12-02-2019	3500.00
योग:-			482955.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 482955.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर से ₹० 241477.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 241477.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत मलिनिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रिया साफ्ट हेतु दानिश को भुगतान	28-09-2018	4560.00
2-	प्रशासनिक मद पद जशनरेश को भुगतान	24-10-2018	7260.00
3-	प्रशासनिक मद पर, कार्य योजना आवास वॉल पेन्टिंग पर लाल बहादुर पेन्टर को भुगतान	01-11-2018	14250.00
4-	वृक्षारोपण कार्य के लिये सलीम नर्सरी को भुगतान	01-11-2018	21969.00
5-	प्रशासनिक मद पर भुगतान शौचालय लिस्ट और आवास सूची पर शाह कम्प्यूटर पर भुगतान	05-03-2019	6500.00
6-	बैंक स्टेटमेन्ट प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	05-03-2019	3560.00
7-	प्रशासनिक व्यय	05-07-2019	42650.00
8-	गोल्डी कम्प्यूटर को भुगतान	06-12-2019	50.00
9-	प्रधान मानदेय	19-03-2020	52500.00
योग:-			153299.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते

हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 153299.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती परमजीत कौर से ₹ 76649.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 76649.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मुजहा

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-69

ग्राम पंचायत मुजहा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत	16-02-2019	25000.00
2-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत	01-07-2019	5278.00
3-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य	03-08-2019	117560.00
योग:-			147838.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 147838.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 73919.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 73919.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70

ग्राम पंचायत मुजहा में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट स्थापना	23-10-2019	164500.00
योग:-			164500.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाईट की खरीद रुपये एक लाख से अधिक की गयी है जिसके लिये लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाईट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी

अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 164500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 82250.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 82250.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत मुजहा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में डस्टबिन का कार्य	25-01-2019	230080.00
2-	स्वच्छता कार्यक्रम पर प्रचार-प्रसार पर व्यय	14-03-2019	37200.00
3-	सफाई कार्य हेतु ठेला क्रय पर भुगतान	14-02-2020	19900.00
4-	सफाई किट	17-02-2020	10100.00
5-	सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर कूड़ादान स्थापना कार्य	21-02-2020	72000.00
योग:-			369280.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि

1- यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

2- सफाईकर्मी की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 369280.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 184640.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 184640.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत मुजहा में नाली निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	राधेश्याम के घर से महातम के घर तक नाली निर्माण	03-08-2019	25830.00
2-	राधेश्याम के घर से महातम के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री भुगतान	27-01-2020	81750.00
3-	राधेश्याम के घर से महातम के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री भुगतान	27-01-2020	35120.00
4-	राधेश्याम के घर से महातम के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री भुगतान	30-01-2020	7800.00
5-	राधेश्याम के घर से महातम के घर तक नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान	24-03-2020	6258.00
योग:-			156758.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिए था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त

दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलि में जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 156758.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 78379.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 78379.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत मुजहा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन रोड से छोटे के घर तक खडन्जा कार्य	30-09-2018	31470.00
2-	मेन रोड से लालाराम के घर तक खडन्जा कार्य	30-09-2018	30200.00
3-	मेन रोड से राधेश्याम के घर तक खडन्जा कार्य	04-10-2018	50650.00
4-	गुरुद्वारा चौराहा से जरनैल सिंह के घर तक खडन्जा कार्य	11-10-2018	214247.00
5-	बाबू के खेत से भारत के बाग तक खडन्जा कार्य	23-10-2018	212773.00
6-	बालगोविन्द की बाग से ओमप्रकाश के खेत तक	30-10-2018	207259.00
7-	बलजीत सिंह के खेत से बलबुझिया बाबा तक खडन्जा कार्य	05-11-2018	213568.00
8-	मेन रोड से भीम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	19-11-2018	78936.00
9-	खलिहान रोड से करनैल सिंह के घर तक खडन्जा कार्य	21-11-2018	217830.00
10-	राममूर्ति के खेत से सिकन्दर के खेत तक खडन्जा कार्य	01-12-2018	216619.00
11-	मेन रोड से गुरुमीत सिंह के घर तक खडन्जा कार्य	15-12-2018	189046.00
12-	मेन रोड से सीताराम के घर तक खडन्जा कार्य	15-12-2018	215122.00
13-	गजरौरा बार्डर से छैलू के खेत तक खडन्जा कार्य	30-12-2018	220326.00
14-	जल भराव वाले स्थानों पर मिट्टी पटाई कार्य	28-01-2019	19500.00
15-	राधे के खेत से जसवन्त के खेत तक खडन्जा कार्य	28-01-2019	221361.00
16-	पक्की रोड से शमशेर सिंह के घर तक खडन्जा कार्य	29-01-2019	72159.00
17-	मेन रोड से बाबूलाल के घर तक खडन्जा कार्य	30-01-2019	96483.00
18-	मेन रोड से चन्द्रभाल के खेत तक खडन्जा कार्य	31-01-2019	136639.00
19-	मेन रोड से रामाशीष के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	01-02-2019	21548.00
20-	शरीखा के घर से गनेश के घर तक खडन्जा कार्य	01-02-2019	27452.00
21-	मेन खडन्जे से जगदीश लाल श्रीवास्तव के मकान तक खडन्जा कार्य	01-02-2019	43223.00
22-	मेन खडन्जे से राजाराम के घर तक खडन्जा कार्य	31-07-2019	152363.00
23-	मेन खडन्जे से राजाराम के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर खडन्जा ईट का भुगतान	08-01-2020	73615.00
24-	गुरुद्वारा रोड से तरसेम सिंह के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर सामग्री	27-01-2020	66864.00
25-	गुरुद्वारा रोड से तरसेम सिंह के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर सामग्री	01-02-2020	3750.00
26-	संजय तिवारी के घर से छिन्दर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान	29-02-2020	168672.00
27-	संजय तिवारी के घर से छिन्दर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	18-03-2020	20000.00
28-	गुरुद्वारा रोड से तरसेम सिंह के घर तक मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर मजदूरी भुगतान	24-03-2020	16300.00
29-	संजय तिवारी के घर से छिन्दर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	24-03-2020	21400.00
	योग:-		3259375.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 3259375.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 1629687.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 1629687.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत मुजहा में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	13-10-2018	249472.00
योग:-			249472.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि-कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 249472.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 124736.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 124736.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत मुजहा में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मुजहा में फर्श टाइल्स कार्य	25-02-2019	181108.00
2-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय	07-03-2019	179278.00
3-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया में फर्श टाइल्स कार्य	22-03-2019	212697.00
4-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया में शौचालय निर्माण कार्य	31-03-2019	181509.00

5-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया में शौचालय निर्माण कार्य	31-03-2019	202416.00
6-	प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया में शौचालय निर्माण कार्य	22-06-2019	49939.00
7-	उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया में शौचालय निर्माण कार्य	22-06-2019	28314.00
8-	ग्राम पंचायत में मुजहा के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय और फलवरिया के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैण्डपम्प के पस रिचार्ज सोख्ता पिट निर्माण	03-08-2019	41392.00
9-	ग्राम पंचायत में मुजहा के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय और फलवरिया के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैण्डपम्प के पस रिचार्ज सोख्ता पिट निर्माण	08-01-2020	28203.00
10-	उच्च प्रा०वि० के पूरब गजोधर के खेत के मेड़ से प्रा०वि० फुलवरिया दक्षिण के कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	30-01-2020	10700.00
11-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम में गजोधर की मेड़ से पूरब में गजोधर की मेड़ तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	01-02-2020	11250.00
12-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम कोने से उच्च प्रा०वि० के उत्तर कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	01-02-2020	8100.00
13-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम कोने से उच्च प्रा०वि० के उत्तर कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	14-02-2020	61753.00
14-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पूरब में गजोधर के खेत की प्रा०वि० फुलवरिया दक्षिण कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	14-02-2020	68182.00
15-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम कोने से उच्च प्रा०वि० के उत्तर कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	15-02-2020	11250.00
16-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पूरब में गजोधर के खेत की मेड़ से प्रा०वि० फुलवरिया दक्षिण कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	15-02-2020	18750.00
17-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम में गजोधर की मेड़ से पूरब में गजोधर की मेड़ तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	15-02-2020	14800.00
18-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पूरब में गजोधर की मेड़ से पूरब में गजोधर की मेड़ तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	21-02-2020	102300.00
19-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पूरब में गजोधर की खेत की मेड़ से प्रा०वि० फुलवरिया दक्षिण कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	21-02-2020	800.00
20-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम में गजोधर की मेड़ से पूरब में गजोधर की मेड़ तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	21-02-2020	720.00
21-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम कोने से उच्च प्रा०वि० फुलवरिया उत्तर कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान	21-02-2020	480.00
22-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम में गजोधर की मेड़ से पूरब में गजोधर की मेड़ तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	24-02-2020	47204.00
23-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पूरब गजोधर की मेड़ से प्रा०वि० फुलवरिया दक्षिण पूरब कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	24-02-2020	53068.00

24-	उच्च प्रा०वि० फुलवरिया के पश्चिम कोने से उच्च प्रा०वि० फुलवरिया उत्तर कोने तक बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	24-02-2020	36210.00
योग:-			1550423.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1550423.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹० 775211.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 775211.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत मुजहा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम प्रधान का मानदेय	31-08-2018	21000.00
2-	नाव खरीद	05-09-2018	50000.00
3-	फर्नीचर क्रय	23-10-2018	27800.00
4-	प्रशासनिक व्यय	31-03-2019	150182.00
5-	ग्राम पंचायत में ठेलिया क्रय	22-06-2019	19000.00
6-	ग्राम प्रधान का मानदेय	30-06-2019	24500.00
7-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद का भुगतान	05-08-2019	39715.00
8-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद से फोटो कापी व फोटो ग्राफ आदि का कार्य	24-10-2019	6265.00
9-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद से प्रिया साफ्ट का भुगतान	24-10-2019	2000.00
10-	ग्राम प्रधान का मानदेय	24-10-2019	24500.00
11-	ग्राम प्रधान का मानदेय	26-12-2019	7000.00
12-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	08-01-2020	3213.00
13-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	08-01-2020	3213.00
14-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	08-01-2020	3213.00
15-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय का भुगतान	11-01-2020	3213.00
16-	फोटोकापी आदि का भुगतान	02-03-2020	3521.00
योग:-			388335.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन

तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 388335.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से ₹ 194167.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 194167.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पटिहन

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत पटिहन में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	01-10-2018	236421.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	05-10-2018	210152.00
योग:-			446573.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 446573.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से ₹ 223286.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 223286.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत पटिहन में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट कार्य	30-01-2019	145000.00
2-	स्ट्रीट लाइट कार्य	30-01-2019	215500.00
3-	स्ट्रीट लाइट कार्य	30-01-2019	105000.00
4-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट कार्य	30-03-2020	97500.00
5-	ग्राम पंचायत पठियान में स्ट्रीट लाइट कार्य	30-03-2020	97500.00
6-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की स्थापना	30-03-2020	97500.00
योग:-			758000.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाइट की खरीद रुपये एक लाख से अधिक की गयी है जिसके लिये लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाइट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी

अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 758000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से ₹ 379000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 379000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत पटिहन में नाली निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण	18-01-2019	131699.00
2-	नाली निर्माण	19-01-2019	130892.00
3-	रामजीत के घर से ओमप्रकाश के घर तक नाली	21-03-2020	108852.00
4-	रामदती के घर से बनवारी के घर तक नाली निर्माण	21-03-2020	85374.00
5-	ओमप्रकाश के घर से अनिरुद्ध के घर तक नाली	21-03-2020	71354.00
योग:-			528171.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिए था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 528171.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से ₹ 264085.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 264085.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत पटिहन में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण कार्य	01-10-2018	157325.00
2-	खडन्जा निर्माण कार्य	05-10-2018	181864.00
3-	खडन्जा निर्माण कार्य	14-12-2018	111550.00
योग:-			450739.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि

को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 450739.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से ₹० 225369.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 225369.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत पटिहन में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	21-10-2018	197181.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	22-10-2018	235379.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य	06-12-2018	232282.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य	07-12-2018	233982.00
5-	इण्टर लॉकिंग कार्य	08-12-2018	235188.00
6-	इण्टर लॉकिंग कार्य	09-12-2018	243469.00
7-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-12-2018	243494.00
8-	इण्टर लॉकिंग कार्य	11-12-2018	224381.00
9-	इण्टर लॉकिंग कार्य	11-12-2018	228081.00
10-	इण्टर लॉकिंग कार्य	13-12-2018	235489.00
11-	इण्टर लॉकिंग कार्य	16-12-2018	162919.00
12-	इण्टर लॉकिंग कार्य	16-12-2018	181748.00
13-	इण्टर लॉकिंग कार्य	17-12-2018	202268.00
14-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-12-2018	216672.00
15-	इण्टर लॉकिंग कार्य	19-12-2018	201655.00
16-	इण्टर लॉकिंग कार्य	22-12-2018	182277.00
17-	इण्टर लॉकिंग कार्य	24-12-2018	239682.00
18-	इण्टर लॉकिंग कार्य	07-01-2019	152505.00
19-	इण्टर लॉकिंग कार्य	08-01-2019	210934.00
20-	इण्टर लॉकिंग कार्य	09-01-2019	226621.00
21-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-01-2019	241688.00
22-	इण्टर लॉकिंग कार्य	12-01-2019	118863.00
23-	इण्टर लॉकिंग कार्य	13-01-2019	243469.00
24-	इण्टर लॉकिंग कार्य	14-01-2019	237481.00
25-	इण्टर लॉकिंग कार्य	15-01-2019	237860.00
26-	इण्टर लॉकिंग कार्य	16-01-2019	100887.00
27-	इण्टर लॉकिंग कार्य	17-01-2019	62834.00
28-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-01-2019	210290.00
29-	इण्टर लॉकिंग कार्य	01-03-2019	367750.00
30-	इण्टर लॉकिंग कार्य	03-03-2019	224005.00
31-	इण्टर लॉकिंग कार्य	05-03-2019	105757.00
32-	इण्टर लॉकिंग कार्य	06-03-2019	342132.00
33-	इण्टर लॉकिंग कार्य	07-03-2019	164976.00
34-	इण्टर लॉकिंग कार्य	08-03-2019	108783.00
35-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-03-2019	225442.00
36-	महेन्द्र यादव के घर से सियाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	199435.00
37-	सियाराम के घर से मिश्रीलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	168028.00
38-	मिश्रीलाल के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	203977.00
39-	रामनरेश के घर से रामस्वरूप के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	138745.00
40-	शैलेश के घर से रामपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	194849.00
41-	रामपाल के घर से अवधेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	195525.00
42-	अवधेश के घर से मेवालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	194833.00
43-	मेवालाल के घर से सुदर्शन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	183306.00
44-	राजबली के घर से सुभाष के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	05-03-2020	127204.00

45-	प्रदीप के घर से छब्बालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	05-03-2020	119676.00
46-	छब्बालाल के घर से सोहन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	05-03-2020	101763.00
47-	ऋषिकेश के घर से विष्णुदयाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	05-03-2020	103061.00
48-	ग्राम पंचायत नयागाँव में सभा स्थल योगा केन्द्र इण्टरलॉकिंग कार्य	05-03-2020	203786.00
49-	नयागाँव पठियान में चबूतरा व इण्टर लॉकिंग कार्य	05-03-2020	84370.00
50-	नयागाँव में रामजीत के घर से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	141482.00
51-	महेन्द्र यादव के घर से सियाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	33712.00
52-	सियाराम के घर से मिश्री के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	19-03-2020	26530.00
53-	मिश्रीलाल के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	28938.00
54-	रामनरेश के घर से रामस्वरूप के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	28364.00
55-	शैलेश पलकधारी के घर से रामपाल महादेव के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	39844.00
56-	प्रदीप के घर से छब्बालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	70952.00
57-	छब्बालाल के घर से सोहन के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	62521.00
58-	इन्दिरा आवास कालोनी ऋषिकेश के घर से शिवदयाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	62521.00
59-	नयागाँव पठियान में चबूतरा पर इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	11061.00
60-	नयागाँव में चबूतरा व इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	18813.00
61-	राजबली के घर से सुभाष के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	68575.00
62-	महेन्द्र यादव के घर से सियाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	2184.00
63-	सियाराम के घर से मिश्री के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	2184.00
64-	राजेश के घर से रामबली के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	112277.00
65-	बिहारी के घर से राजेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	111628.00
66-	मिश्रीलाल के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	4200.00
67-	रामनरेश के घर से रामस्वरूप के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	3500.00
68-	रामपाल महादेव के घर से राजेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	40194.00
69-	अवधेश के घर से मेवालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	36344.00
70-	मेवालाल धर्म के घर से सुदर्शन के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	37338.00
71-	नयागाँव में रामजीत के घर से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग	21-03-2020	76929.00
योग:-			10517073.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन है एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों एवं व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ एवं सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्य की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 10517073.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से ₹० 5258536.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 5258536.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत पटिहन में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	शौचालय निर्माण कार्य	21-10-2018	109069.00
2-	पंचायत घर मरम्मत	14-12-2018	53026.00
3-	पौधरोपण कार्य	28-12-2018	21933.00
4-	शौचालय निर्माण कार्य	20-03-2019	15400.00
5-	कमरो में टाइल्स निर्माण कार्य	20-03-2019	106100.00
6-	प्रधान मानदेय	09-04-2019	56661.00
7-	टाइल्स कार्य	30-07-2019	15288.00
8-	स्टेशनरी का भुगतान	16-12-2019	250.00
9-	प्रधान मानदेय	04-03-2020	29946.00
10-	पूरनपुरवा में पहलवान बाबा स्थान पर चबूतरा निर्माण कार्य	21-03-2020	70092.00
योग:-			477765.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 477765.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से ₹० 238882.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 238882.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - निबुआबोझ विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत निबुआबोझ में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान	07-03-2019	58780.00
योग:-			58780.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 58780.00 में से ग्राम प्रधान श्री अमोलक सिंह से ₹० 29390.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹० 29390.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत निबुआबोझ में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	गंदी के खेत से भोला सिंह के खेत तक	02-09-2018	101402.00
2-	मेन रोड से रंजीत सिंह के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	10-09-2018	107721.00
3-	रेशम सिंह से भूपेन्द्र सिंह के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य	17-09-2018	65515.00

4-	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से गुरुदेव सिंह के घर तक खडन्जा कार्य	10-12-2018	59024.00
5-	पुराने खडन्जे से फरमान के घर तक	08-02-2019	127259.00
6-	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से पप्पू के घर तक खडन्जा कार्य	17-02-2019	115034.00
7-	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से रंजीत के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	07-03-2019	80411.00
8-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	22-11-2019	29925.00
9-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	23-11-2019	29925.00
10-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	25-11-2019	29925.00
11-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	28-11-2019	36972.00
12-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	11-12-2019	149490.00
13-	लंबू छंदा के घर से मोटर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	04-01-2020	156719.00
14-	लंबू छंदा के घर से मोटर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	07-01-2020	3800.00
15-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	08-01-2020	3800.00
16-	मिट्टू के घर से चरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	09-01-2020	4488.00
17-	लंबू छंदा के घर से मोटर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	09-01-2020	7000.00
18-	पुराने खडन्जे से गुलजारी के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-02-2020	31382.00
19-	पुरानी रोड से लंबू छंदा के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-02-2020	105067.00
20-	राप्ता पुल से गुरुद्वारा तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-02-2020	16934.00
21-	पुरानी रोड से लंबू छंगा के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-02-2020	26100.00
22-	रेशम सिंह से भूपेन्द्र सिंह के खेत तक खडन्जा मरम्मत कार्य	23-03-2020	118675.00
23-	राप्ता पुल से गुरुद्वारा तक मिट्टी खडन्जा कार्य	24-03-2020	4950.00
24-	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से गुरुदयाल के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	06-03-2020	105638.00
25-	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से गुरुदयाल के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-03-2020	27300.00
26-	पुराने खडन्जे से गुलजारी के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-03-2020	8100.00
योग:-			1552556.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1552556.00 में से ग्राम प्रधान श्री अमोलक सिंह से ₹ 776278.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 776278.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत निबुआबोझ में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम निरुआ में शौचालय मरम्मत कार्य	06-03-2019	16162.00
2-	स्कूल में शौचालय मरम्मत कार्य पर भुगतान	06-03-2019	21024.00
योग:-			37186.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 37186.00 में से ग्राम प्रधान श्री अमोलक सिंह से ₹ 18593.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 18593.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत निबुआबोझ में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	21-09-2018	20540.00
2-	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से ज्योति के घर तक	13-12-2018	67365.00
3-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	03-01-2019	45500.00
4-	पर्यावरण संरक्षण पर भुगतान	15-02-2019	21933.00
5-	ग्राम पंचायत निबुआबोझ में स्लोगन वॉल पेन्टिंग कार्य	21-02-2020	14250.00
6-	ग्राम प्रधान मानदेय	23-02-2020	45500.00
7-	स्टेशनरी पर व्यय	24-03-2020	6995.00
8-	कार्या योजना लेखन कार्य	16-03-2020	18500.00
योग:-			240583.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 240583.00 में से ग्राम प्रधान श्री अमोलक सिंह से ₹ 120291.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय से ₹ 120291.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परसपुर विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत परसपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रेम के घर से गिरिजाशंकर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	01-02-2019	96342.00
2-	मेन रोड प्रेम के घर से रपटा पुल तक खडन्जा निर्माण कार्य	04-02-2019	185480.00
3-	पारसपुर में फर्श निर्माण कार्य पर भुगतान	08-02-2019	172052.00
4-	फर्श निर्माण कार्य पर व्यय	12-02-2019	211609.00
5-	पारसपुर में बरामदा से कार्यालय तक फर्श मरम्मत कार्य पर भुगतान	15-02-2019	152592.00
6-	मेन रोड से सोसायटी तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	19-02-2019	71992.00

7-	विक्रम के घर से रमाशंकर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	27-02-2019	15771.00
8-	मेलाराम के घर से खडन्जा तक खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	27-02-2019	26963.00
9-	मेन रोड से पुलिस चौकी तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	27-02-2019	56108.00
10-	जंगल से कुलवन्त सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	15-03-2019	124984.00
11-	गुरूनाम सिंह के घर से जंगल तक खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	15-03-2019	80101.00
12-	जंगल से जनरैल सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	16-03-2019	81528.00
13-	जंगल से गज्जन सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	16-03-2019	83809.00
14-	खडन्जा निर्माण	04-07-2019	123125.00
15-	खडन्जा निर्माण	04-07-2019	127621.00
16-	मेन रोड दिनेश के घर से अयोद्धी के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	19-12-2019	46263.00
17-	प्रेम के घर से शिवचरन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	19-12-2019	23221.00
18-	मेन रोड दिनेश के घर से अयोद्धी के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	28-01-2020	16902.00
19-	प्रेम के घर से शिवचरन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	28-01-2020	8944.00
20-	परवीन के घर से जगदेव के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	13-02-2020	43136.00
21-	परवीन के घर से जगदेव के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	29-02-2020	13330.00
22-	मेन रोड से गुरदीप सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	27-03-2020	177024.00
योग:-			1938897.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1938897.00 में से ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से ₹ 969448.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 969448.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत परसपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन खडन्जा से गुरूद्वारा तक इण्टर लॉकिंग कार्य	10-01-2020	109943.00
2-	मेन खडन्जा से गुरूद्वारा तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-02-2020	22460.00
योग:-			132403.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक

जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन है एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों एवं व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियाँ एवं सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 132403.00 में से ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से ₹ 66201.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 66201.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत परसपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक	30-06-2019	209.00
2-	गोल्डी कम्प्यूटर	11-12-2019	7580.00
3-	प्रधान मानदेय मार्च 2019 से नवम्बर 2019	08-01-2020	31500.00
4-	बाउण्ड्री वॉल कार्य का भुगतान	29-02-2020	15723.00
5-	टेण्डर प्रकाशन भुगतान	29-02-2020	3213.00
6-	वर्ष 2019-20 की कार्य योजना वॉल पेन्टिंग का भुगतान	14-03-2020	18500.00
7-	बाउण्ड्री वॉल कार्य का भुगतान	28-03-2020	183450.00
8-	वृक्षारोपण कार्य का भुगतान	28-03-2020	46300.00
योग:-			306475.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 306475.00 में से ग्राम प्रधान श्री दर्शन सिंह से ₹ 153237.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 153237.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जमकोहना विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2017-18

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत-जमकोहना में वर्ष 2017-18 में हैण्डपम्प मरम्मत/स्थापना एवं रिबोर पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	16-06-2017	18000.00
2	16-06-2017	18000.00
3	17-06-2017	36000.00
4	18-06-2017	18000.00
5	13-07-2017	18000.00
6	13-07-2017	44000.00
7	21-07-2017	98000.00
8	09-08-2017	18850.00
9	07-10-2017	13830.00
10	07-10-2017	45645.00

11	08-10-2017	19950.00
12	06-11-2017	23740.00
13	12-02-2018	6500.00
14	21-03-2018	16532.00
15	23-03-2018	16532.00
16	31-03-2018	19650.00
योग:-		431229.00

उक्त व्यय राशि रू० 431229.00 की पुष्टि में हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 431229.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला से रू० 215614.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से रू० 215614.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत जमकोहना में वर्ष 2017-18 में डस्टबिन स्थापना पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	01-11-2017	75000.00
2	06-11-2017	37500.00
3	26-01-2018	37500.00
4	27-01-2018	37500.00
योग:-		187500.00

उक्त व्यय राशि रू० 187500.00 की पुष्टि में डस्टबिन अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में डस्टबिन पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 187500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला से रू० 93750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से रू० 93750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोरैयासंजर

विकास खण्ड - नकहा

वर्ष - 2017-18

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत-कोरैयासंजर में वर्ष 2017-18 में हैण्डपम्प मरम्मत/स्थापना एवं रिबोर पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	06-06-2017	18000.00
2	06-06-2017	18000.00
3	08-06-2017	30000.00
4	14-06-2017	37650.00
5	03-07-2017	81000.00
6	10-07-2017	18000.00

7	15-07-2017	48000.00
8	02-08-2017	70000.00
9	10-08-2017	81000.00
10	05-09-2017	11550.00
11	08-09-2017	5400.00
12	20-01-2018	3500.00
13	20-01-2018	14000.00
योग:-		436100.00

उक्त व्यय राशि रू० 436100.00 की पुष्टि में हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 436100.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती कादिरी देवी से रू० 218050.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से रू० 218050.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत कोरैयासंजर में वर्ष 2017-18 में डस्टबिन स्थापना पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1-	12-01-2018	37500.00
2-	12-01-2018	37500.00
3-	12-01-2018	37500.00
4-	06-02-2018	37500.00
5-	06-02-2018	37500.00
योग:-		187500.00

उक्त व्यय राशि रू० 187500.00 की पुष्टि में डस्टबिन अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में डस्टबिन स्थापना पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 187500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती कादिरी देवी से रू० 93750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से रू० 93750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पनगीकलां विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत-पनगीकलां में वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/स्थापना एवं रिबोर पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	27-09-2018	मजदूरी	29500.00
2	27-11-2018	सामग्री	25930.00
3	28-11-2018	मजदूरी	47200.00
4	29-11-2018	सामग्री	3900.00
5	03-12-2018	सामग्री	51020.00

6	15-12-2018	मजदूरी	18900.00
7	25-01-2019	मजदूरी	3600.00
8	29-01-2019	सामग्री	15410.00
9	08-03-2019	मजदूरी	19700.00
10	11-03-2019	मजदूरी	3600.00
11	12-03-2019	मजदूरी	36992.00
योग:-			255752.00

उक्त व्यय राशि रू० 255752.00 की पुष्टि में हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 255752.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से रू० 127876.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष कुमार से रू० 127876.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत पनगीकलां में वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक व्यय पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1-	23-10-2018	9500.00
2-	10-12-2018	15000.00
3-	08-02-2019	12000.00
4-	28-02-2019	20000.00
5-	18-03-2019	5350.00
योग:-		61850.00

उक्त व्यय राशि रू० 61850.00 की पुष्टि में प्रशासनिक व्यय का विवरण, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 61850.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से रू० 30925.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष कुमार से रू० 30925.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पनगीकलां विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2017-18

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत-पनगीकलां में वर्ष 2017-18 में हैण्डपम्प मरम्मत/स्थापना एवं रिबोर पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	15-06-2017	27000.00
2	17-06-2017	81000.00
3	18-06-2017	81000.00
4	19-06-2017	81000.00
5	19-06-2017	81000.00
6	24-06-2017	42000.00

7	26-06-2017	81000.00
8	26-06-2017	81000.00
9	26-08-2017	19505.00
10	23-09-2017	18300.00
11	26-09-2017	3500.00
12	27-03-2017	10780.00
योग:-		607085.00

उक्त व्यय राशि ₹ 607085.00 की पुष्टि में हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 607085.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से ₹ 303542.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से ₹ 303542.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत पनगीकलां में वर्ष 2017-18 में डस्टबिन स्थापना पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1-	14-10-2017	36500.00
2-	14-10-2017	37500.00
3-	10-11-2017	37500.00
4-	11-11-2017	37500.00
5-	24-01-2018	37500.00
6-	30-01-2018	52500.00
7-	28-01-2018	45000.00
8-	18-02-2018	37500.00
9-	31-03-2018	37500.00
10-	31-03-2018	99000.00
योग:-		458000.00

उक्त व्यय राशि ₹ 458000.00 की पुष्टि में डस्टबिन अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में डस्टबिन स्थापना पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 458000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से ₹ 229000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से ₹ 229000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रंगीलानगर विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत-रंगीलानगर में वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/स्थापना एवं रिबोर पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	05-07-2018	लेबर	3000.00

2	03-08-2018	सामग्री	19950.00
3	15-08-2018	सामग्री	22030.00
4	16-08-2018	लेबर	9600.00
5	04-11-2018	लेबर	15925.00
6	22-11-2018	लेबर	7200.00
7	22-11-2018	सामग्री	17734.00
8	26-12-2018	सामग्री	76646.00
9	26-12-2018	सामग्री	46594.00
10	27-12-2018	लेबर	7350.00
11	27-12-2018	लेबर	21700.00
12	27-12-2018	लेबर	5460.00
13	28-12-2018	लेबर	17500.00
14	28-12-2018	लेबर	9100.00
15	25-02-2019	लेबर	9725.00
16	02-03-2019	लेबर	8750.00
17	02-03-2019	लेबर	14500.00
18	02-03-2019	लेबर	13150.00
19	29-03-2019	सामग्री	59067.00
20	29-03-2019	सामग्री	17552.00
21	29-03-2019	लेबर	21700.00
22	29-03-2019	सामग्री	50066.00
23	29-03-2019	लेबर	18550.00
24	29-03-2019	लेबर	19950.00
25	29-03-2019	लेबर	15750.00
योग:-			528549.00

उक्त व्यय राशि ₹ 528549.00 की पुष्टि में हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 528549.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रफीकुननिशां से ₹ 264274.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से ₹ 264274.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत रंगीलानगर में वर्ष 2018-19 में डस्टबिन स्थापना पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है -

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1-	03-10-2018	55000.00
2-	03-10-2018	45000.00
योग:-		100000.00

उक्त व्यय राशि ₹ 100000.00 की पुष्टि में डस्टबिन अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में डस्टबिन अवस्थापना पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 100000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रफीकुननिशां से ₹ 50000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से ₹ 50000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रंगीलानगर

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2016-17

प्रस्तर-100

ग्राम पंचायत-रंगीलानगर में वर्ष 2016-17 में स्ट्रीट लाईट पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है –

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	25-01-2017	99000.00
2	25-01-2017	93500.00
3	07-03-2017	93500.00
4	07-03-2017	99000.00
योग:-		385000.00

उक्त व्यय राशि ₹ 385000.00 की पुष्टि में स्ट्रीट लाईट अवस्थापना की सूची, व्यय प्रमाणक, मजदूरी सम्बन्धी मस्टररोल, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, विद्युत विभाग से विद्युत संयोजन की अनुमति एवं स्ट्रीट लाईट की वारण्टी पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट अवस्थापना पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 385000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रफीकुननिशां से ₹ 192500.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से ₹ 192500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101

ग्राम पंचायत रंगीलानगर में वर्ष 2016-17 में प्रिया साफ्ट व फीडिंग पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है –

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1-	27-10-2016	सिंह कम्प्यूटर्स	20000.00
योग:-			20000.00

उक्त व्यय राशि ₹ 20000.00 की पुष्टि में प्रिया साफ्ट व फीडिंग व्यय प्रमाणक, कार्य की स्टीमेट, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" एवं खण्ड-8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रिया साफ्ट व फीडिंग पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 20000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रफीकुननिशां से ₹ 10000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से ₹ 10000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – दुबहा

विकास खण्ड – निघासन

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-102

ग्राम पंचायत दुबहा में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-07-2019	7410.00	हैण्डपम्प मरम्मत
योग –		7410.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर / मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 7410.00 में से 50% ₹ 3705.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मुमताज बानो से तथा शेष 50% ₹ 3705.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत दुबहा में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-07-2019	24934.00	नालियों की सफाई
2-	03-08-2019	131947.00	नाली निर्माण कार्य
	योग –	156881.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 156881.00 में से 50% ₹ 78440.50 ग्राम प्रधान श्रीमती मुमताज बानो से तथा शेष 50% ₹ 78440.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत दुबहा में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

1-	03-04-2019	15166.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
2-	11-04-2019	53803.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
3-	12-04-2019	45025.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
4-	12-04-2019	27369.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
5-	16-04-2019	12425.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
6-	16-04-2019	7525.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
7-	20-04-2019	17936.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
8-	20-04-2019	2016.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
9-	22-04-2019	3092.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
10-	25-07-2019	18200.00	मिट्टी व खडन्जा मरम्मत कार्य
11-	26-07-2019	19947.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य
12-	29-07-2019	27549.00	मिट्टी व खडन्जा मरम्मत कार्य
13-	29-07-2019	27146.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य
14-	29-07-2019	48474.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य
15-	29-07-2019	65599.00	मिट्टी व खडन्जा मरम्मत कार्य
16-	30-07-2019	112720.00	खडन्जा निर्माण कार्य
17-	30-07-2019	101776.00	खडन्जा निर्माण कार्य
18-	03-08-2019	136160.00	मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य
19-	03-08-2019	16716.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य
20-	31-07-2019	13441.00	मिट्टी व खडन्जा मरम्मत कार्य
21-	31-07-2019	53289.00	मिट्टी व खडन्जा मरम्मत कार्य
22-	03-08-2019	52837.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		878211.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण / मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **878211.00** में से 50% ₹० **439105.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **439105.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत **दुबहा** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-04-2019	12341.00	उ०प्रा०वि० में शौचालय मरम्मत
2-	03-04-2019	84720.00	जूनियर हाईस्कूल में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
3-	05-04-2019	71290.00	प्राथमिक विद्यालय मंशापुरवा में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
4-	06-04-2019	2067.00	प्राथमिक विद्यालय मंशापुरवा में बाउण्ड्री वॉल निर्माण

5-	08-04-2019	4504.00	प्राथमिक विद्यालय मंशापुरवा में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
6-	23-04-2019	11674.00	प्राथमिक विद्यालय मंशापुरवा में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
योग -		186596.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **186596.00** में से 50% ₹० **93298.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **93298.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत **दुबहा** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-08-2019	100002.00	हयूम पाइप निर्माण कार्य
योग -		100002.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **100002.00** में से 50% ₹० **50001.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **50001.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत **दुबहा** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-04-2019	23451.00	इण्टर लॉकिंग से नीचे रैम्प निर्माण
2-	12-04-2019	38607.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	16-04-2019	51920.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	18-04-2019	48389.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	22-04-2019	6315.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	23-04-2019	11198.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	30-07-2019	152623.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	30-07-2019	152624.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	03-08-2019	139833.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	03-08-2019	138748.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग -		763708.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **763708.00** में से 50% ₹० **381854.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **381854.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत **दुबहा** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कूप निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-07-2019	91854.00	चबूतरा निर्माण कार्य
2-	30-07-2019	32862.00	कुआँ मरम्मत एवं चबूतरा निर्माण
योग -		124716.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कूप निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **124716.00** में से 50% ₹० **62358.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **62358.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत **दुबहा** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वृक्षारोपण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-07-2019	42500.00	वृक्षारोपण
	योग -	42500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वृक्षारोपण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **42500.00** में से 50% ₹० **21250.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **21250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत **दुबहा** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **आंगनवाड़ी निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-08-2019	206667.00	आंगनवाड़ी की बाउण्ड्री वॉल
	योग -	206667.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 206667.00 में से 50% ₹ 103333.50 ग्राम प्रधान श्रीमती मुमताज बानो से तथा शेष 50% ₹ 103333.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत दुबहा में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक व्यय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-06-2019	1708.00	प्रशासनिक व्यय
2-	31-07-2019	10634.00	प्रशासनिक व्यय
3-	02-08-2019	7500.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	19842.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 19842.00 में से 50% ₹ 9921.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मुमताज बानो से तथा शेष 50% ₹ 9921.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत दुबहा में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य व्यय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-05-2019	2000.00	डी०पी०आर०ओ० को भुगतान
2-	15-07-2019	14000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	16000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य व्यय मद** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **16000.00** में से 50% ₹० **8000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुमताज बानो** से तथा शेष 50% ₹० **8000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विमल वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कड़िया

विकास खण्ड – निघासन

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-113

ग्राम पंचायत **कड़िया** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-04-2019	174882.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
2-	03-04-2019	94024.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
3-	04-04-2019	15476.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
4-	04-04-2019	45399.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
5-	08-04-2019	11725.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
6	09-04-2019	9275.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
	योग –	350781.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण पर** किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **350781.00** में से 50% ₹० **175330.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती मीना देवी** से तथा शेष 50% ₹० **175330.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114

ग्राम पंचायत **कड़िया** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-07-2019	92225.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	92225.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप पर** किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **92225.00** में से 50% ₹० **46112.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती मीना देवी** से तथा शेष 50% ₹० **46112.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत **कड़िया** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	05-04-2019	93527.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
2-	02-07-2019	86458.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	15-07-2019	165153.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	17-07-2019	202060.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
5-	18-07-2019	17836.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
6-	19-07-2019	11900.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
7-	20-07-2019	207536.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
8-	22-07-2019	8304.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग –	792774.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग पर** किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **792774.00** में से 50% ₹० **396387.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मीना देवी** से तथा शेष 50% ₹० **396387.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत **कड़िया** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-04-2019	7200.00	प्रशासनिक व्यय
2-	10-07-2019	5000.00	प्रशासनिक व्यय
3-	18-07-2019	13800.00	प्रशासनिक व्यय
4-	25-07-2019	4200.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	30200.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक व्यय पर** किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 30200.00** में से 50% **रु० 15100.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मीना देवी** से तथा शेष 50% **रु० 15100.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत **कड़िया** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	01-07-2019	21000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	21000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य व्यय पर** किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 21000.00 में से 50% ₹ 10500.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती मीना देवी** से तथा शेष 50% ₹ 10500.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गंगानगर

विकास खण्ड – निघासन

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-118

ग्राम पंचायत गंगानगर में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-07-2019	81375.00	हयूम पाइप क्रय
2-	16-07-2019	54250.00	हयूम पाइप क्रय पर व्यय
	योग –	135625.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 135625.00 में से 50% ₹ 67812.50 ग्राम प्रधान **श्री मलूक सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 67812.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119

ग्राम पंचायत गंगानगर में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वृक्षारोपण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-07-2019	38500.00	वृक्षारोपण पर व्यय
	योग –	38500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वृक्षारोपण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **38500.00** में से 50% रू० **19250.00** ग्राम प्रधान **श्री मलूक सिंह** से तथा शेष 50% रू० **19250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत गंगानगर में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-07-2019	5000.00	कार्य योजना फिडिंग पर प्रशासनिक व्यय
2-	22-07-2019	8000.00	कुर्सी क्रय पर प्रशासनिक व्यय
	योग -	13000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक व्यय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **13000.00** में से 50% रू० **6500.00** ग्राम प्रधान **श्री मलूक सिंह** से तथा शेष 50% रू० **6500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत गंगानगर में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-05-2019	14000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	14000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य व्यय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार

योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 14000.00 में से 50% ₹ 7000.00 ग्राम प्रधान श्री मलूक सिंह से तथा शेष 50% ₹ 7000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बड़ागाँव विकास खण्ड – नकहा वर्ष – 2018-19 व 2019-20
प्रस्तर- 122 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	13-12-2018	162511.00
	योग:-		162511.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	21-12-2019	34950.00
2-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लेबर	21-12-2019	11250.00
3-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	20-01-2020	33236.00
4-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री लेबर	20-01-2020	11250.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	20-03-2020	43136.00
6-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	29-03-2020	205071.00
	योग:-		338893.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय है ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 162511.00, 338893.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोकपिट निर्माण	24-03-2019	217852.00
	योग:-		217852.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोकपिट निर्माण कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	18-01-2020	86063.00
2-	न्यू वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी से उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय	20-01-2020	115612.00
3-	उक्त कार्य हेतु लेबर	20-01-2020	37982.00
	योग:-		239657.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सोकपिट निर्माण एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 217852.00, 239657.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य	16-10-2018	166928.00
2-	नाली निर्माण कार्य	16-10-2018	166726.00
3-	नाली निर्माण कार्य	31-10-2018	146494.00
4-	नाली निर्माण कार्य	31-10-2018	148657.00
5-	नाली निर्माण कार्य	23-11-2018	88978.00
6-	नाली निर्माण कार्य	26-11-2018	79588.00
7-	नाली निर्माण कार्य	28-11-2018	120799.00
8-	नाली निर्माण कार्य	26-12-2018	168082.00
	योग:-		1086252.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	विभिन्न स्थानों पर नाली पर पत्थर लगवाई	13-03-2020	72272.00
2-	बड़ागाँव में इस्माइल से तालाब तक नाली निर्माण	27-03-2020	149196.00
3-	मनकौड़ा में जलालुद्दीन से मेन नाली तक नाली निर्माण कार्य	29-03-2020	72180.00
4-	बड़ागाँव में जलील राय से अच्छन तक नाली मरम्मत कार्य	29-03-2020	87042.00
	योग:-		380690.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन व्यय है ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1086252.00, 380690.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य	30-09-2018	235584.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य	04-10-2018	238643.00
3-	खडन्जा मरम्मत कार्य	10-10-2018	195819.00
4-	खडन्जा मरम्मत कार्य	14-10-2018	96720.00
5-	खडन्जा मरम्मत कार्य	19-10-2018	72027.00
6-	खडन्जा मरम्मत कार्य	31-10-2018	90213.00
7-	खडन्जा मरम्मत कार्य	31-10-2018	120294.00
8-	खडन्जा मरम्मत कार्य	07-11-2018	135241.00
9-	खडन्जा मरम्मत कार्य	07-11-2018	112150.00
10-	खडन्जा मरम्मत कार्य	07-11-2018	22022.00
11-	खडन्जा मरम्मत कार्य	09-11-2018	146970.00
12-	खडन्जा मरम्मत कार्य	13-11-2018	116158.00
13-	खडन्जा मरम्मत कार्य	23-11-2018	40542.00
14-	खडन्जा मरम्मत कार्य	09-01-2019	147668.00
15-	खडन्जा मरम्मत कार्य	04-02-2019	100308.00
16-	खडन्जा मरम्मत कार्य	06-02-2019	142583.00
17-	खडन्जा मरम्मत कार्य	15-03-2019	150207.00
योग:-			2163149.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मनकोड़ा में इण्टर लॉकिंग से अजीज के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	04-02-2020	36893.00
2-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	04-02-2020	2699.00
3-	उक्त कार्य हेतु लेबर	04-02-2020	10248.00
योग:-			49840.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2163149.00, 49840.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में पंचायत भवन के निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	26-01-2019	192443.00
	योग:-		192443.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 192443.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	30-01-2019	185885.00
2-	बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	24-03-2019	49008.00
	योग:-		234893.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को वास्ते प्राथमिक विद्यालय खींचिनपुरवा में गेट मरम्मत, बाउण्ड्री मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य	25-12-2019	18220.00
2-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	25-12-2019	13709.00
3-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	25-12-2019	9275.00
4-	प्राथमिक विद्यालय नयापुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य	14-03-2020	117750.00
5-	प्राथमिक विद्यालय बड़ागाँव में इण्टर लॉकिंग कार्य	14-03-2020	155735.00
6-	प्राथमिक विद्यालय बड़ेहरा में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	140534.00
	योग:-		455223.00

क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी था अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 234893.00, 455223.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती

अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-10-2018	244734.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	31-10-2018	294436.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य	01-11-2018	122176.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य	01-11-2018	149750.00
5-	इण्टर लॉकिंग कार्य	03-11-2018	199582.00
6-	इण्टर लॉकिंग कार्य	03-11-2018	148755.00
7-	इण्टर लॉकिंग कार्य	09-11-2018	160025.00
8-	इण्टर लॉकिंग कार्य	09-11-2018	298990.00
9-	इण्टर लॉकिंग कार्य	13-11-2018	222198.00
10-	इण्टर लॉकिंग कार्य	30-11-2018	157667.00
11-	इण्टर लॉकिंग कार्य	04-12-2018	163161.00
12-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-12-2018	161315.00
13-	इण्टर लॉकिंग कार्य	16-12-2018	242092.00
14-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-12-2018	182457.00
15-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-12-2018	225924.00
16-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-12-2018	225663.00
17-	इण्टर लॉकिंग कार्य	24-12-2018	231812.00
18-	इण्टर लॉकिंग कार्य	31-12-2018	186950.00
19-	इण्टर लॉकिंग कार्य	31-12-2018	220714.00
20-	इण्टर लॉकिंग कार्य	06-01-2019	235482.00
21-	इण्टर लॉकिंग कार्य	09-01-2019	238053.00
22-	इण्टर लॉकिंग कार्य	09-01-2019	145250.00
23-	इण्टर लॉकिंग कार्य	12-01-2019	107823.00
24-	इण्टर लॉकिंग कार्य	13-01-2019	113149.00
25-	इण्टर लॉकिंग कार्य	14-01-2019	111959.00
26-	इण्टर लॉकिंग कार्य	17-01-2019	382778.00
27-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-01-2019	203064.00
28-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-01-2019	213003.00
29-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-01-2019	241407.00
30-	इण्टर लॉकिंग कार्य	29-01-2019	317089.00
31-	इण्टर लॉकिंग कार्य	07-02-2019	156258.00
32-	इण्टर लॉकिंग कार्य	08-02-2019	115521.00
33-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-02-2019	220261.00
34-	इण्टर लॉकिंग कार्य	12-02-2019	220819.00
35-	इण्टर लॉकिंग कार्य	12-02-2019	381624.00
36-	इण्टर लॉकिंग कार्य	15-03-2019	245855.00
37-	इण्टर लॉकिंग कार्य	17-03-2019	1182035.00
38-	इण्टर लॉकिंग कार्य	24-03-2019	221640.00
39-	इण्टर लॉकिंग कार्य	24-03-2019	220188.00
40-	इण्टर लॉकिंग कार्य	24-03-2019	211081.00
योग:-			9322740.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	12-07-2019	120230.00
2-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	12-07-2019	11100.00

3-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	12-07-2019	20871.00
4-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को सामग्री क्रय हेतु वास्ते बड़कन के घर से अशोक सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	04-01-2020	24581.00
5-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	04-01-2020	36915.00
6-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय	04-01-2020	145038.00
7-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	04-01-2020	7613.00
8-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को सामग्री क्रय हेतु वास्ते मुन्ना के घर से तारिक के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	04-01-2020	22838.00
9-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	04-01-2020	32322.00
10-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	04-01-2020	149581.00
11-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	04-01-2020	8062.00
12-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को सामग्री क्रय हेतु वास्ते यूसुफ के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	07-01-2020	21430.00
13-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	07-01-2020	31815.00
14-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	07-01-2020	117805.00
15-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	07-01-2020	6808.00
16-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को सामग्री क्रय हेतु वास्ते मनकोड़ा के इण्टर लॉकिंग से यूसुफ के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड	10-01-2020	20871.00
17-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	10-01-2020	23431.00
18-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	10-01-2020	104151.00
19-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	10-01-2020	5243.00
20-	उक्त कार्य हेतु लेबर	10-01-2020	21175.00
21-	लेबर वास्ते रामनरेश से यूसुफ तक इण्टर लॉकिंग	12-01-2020	26208.00
22-	लेबर वास्ते मुन्ना से तारिक तक इण्टर लॉकिंग	12-01-2020	31234.00
23-	लेबर वास्ते मनकोड़ा से यूसुफ तक इण्टर लॉकिंग	13-01-2020	31234.00
24-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को सामग्री क्रय हेतु वास्ते रामकिशोर के घर से हारून के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-01-2020	26255.00
25-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	15-01-2020	37807.00
26-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	15-01-2020	143766.00
27-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	15-01-2020	8103.00
28-	उक्त कार्य हेतु मिस्त्री व लेबर	15-01-2020	31598.00
29-	वर्मा इण्टर प्राइजेज को सामग्री क्रय हेतु वास्ते मनकोड़ा में जाहिद अली से कितुबुद्दीन तक इण्टर लॉकिंग	23-01-2020	21230.00
30-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	23-01-2020	23494.00
31-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	23-01-2020	104930.00
32-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	23-01-2020	5277.00
33-	उक्त कार्य हेतु मिस्त्री व लेबर	24-01-2020	21742.00
34-	रामनगर में ओमप्रकाश से मक्का तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज से सामग्री क्रय	23-01-2020	25665.00
35-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	23-01-2020	38212.00
36-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	23-01-2020	143195.00
37-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	23-01-2020	8025.00
38-	उक्त कार्य हेतु लेबर	24-01-2020	31528.00
39-	गुड्डू भुर्जी से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज से सामग्री क्रय	28-01-2020	11100.00
40-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	28-01-2020	14672.00
41-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	28-01-2020	54516.00
42-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	28-01-2020	4898.00
43-	उक्त कार्य हेतु लेबर	28-01-2020	13468.00

44-	भजन से विश्राम तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज से सामग्री क्रय	28-01-2020	21262.00
45-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	28-01-2020	31947.00
46-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	28-01-2020	113808.00
47-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	28-01-2020	6288.00
48-	उक्त कार्य हेतु लेबर	28-01-2020	24906.00
49-	बड़ेहरा में त्रिभुवन लाल के घर से मुन्नालाल तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज से सामग्री क्रय	04-02-2020	22071.00
50-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट क्रय	04-02-2020	32452.00
51-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	04-02-2020	139119.00
52-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	04-02-2020	7911.00
53-	उक्त कार्य हेतु लेबर	04-02-2020	29372.00
54-	बड़ेहरा में मेन रोड से बंटू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु न्यू वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी से सामग्री क्रय	06-02-2020	13099.00
55-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	06-02-2020	19831.00
56-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	06-02-2020	72246.00
57-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	06-02-2020	4152.00
58-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	06-02-2020	15946.00
59-	बड़ागाँव में आरिफ के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज से सामग्री क्रय	06-02-2020	22127.00
60-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	06-02-2020	31329.00
61-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	06-02-2020	127255.00
62-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	06-02-2020	7138.00
63-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	06-02-2020	27230.00
64-	खींचिनपुरवा में डामर रोड से राजकिशोर गौतम तक इण्टर लॉकिंग हेतु न्यू वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी से सामग्री क्रय	09-02-2020	24672.00
65-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	09-02-2020	36701.00
66-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	09-02-2020	139924.00
67-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	09-02-2020	7525.00
68-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	09-02-2020	30450.00
69-	बड़ागाँव में सी०सी० रोड से रामसहारे के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज से सामग्री क्रय	09-02-2020	24483.00
70-	उक्त कार्य हेतु राजीव ईट उद्योग से ईट व रोड़ा क्रय	09-02-2020	36924.00
71-	उक्त कार्य हेतु सात्विक ट्रेडर्स से टाइल्स क्रय	09-02-2020	147997.00
72-	उक्त कार्य हेतु बालू व मिट्टी क्रय	09-02-2020	7624.00
73-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	09-02-2020	31346.00
74-	चकई में मेन इण्टर लॉकिंग से रामशंकर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	15-02-2020	102877.00
75-	उक्त कार्य हेतु	15-02-2020	139612.00
76-	उक्त कार्य हेतु	18-02-2020	172426.00
77-	चकई में त्रिभुवन से निर्मल तक इण्टर लॉकिंग कार्य	15-02-2020	85406.00
78-	उक्त कार्य हेतु	15-02-2020	110796.00
79-	चकई में रामशंकर से गोबरे ठेकेदार तक इण्टर लॉकिंग	18-02-2020	210685.00
80-	उमाकान्त के घर से रामजानकी मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग	27-02-2020	197620.00
81-	शिवकुमार के घर से दुलारे सिंह तक इण्टर लॉकिंग कार्य	28-02-2020	121711.00
82-	नवल किशोर के घर से विश्राम तक इण्टर लॉकिंग कार्य	28-02-2020	227752.00
83-	सादिक अली के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	28-02-2020	136495.00
84-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	28-02-2020	198666.00
85-	रामसहारे के मकान से मुक्कन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	03-03-2020	166335.00
86-	कुर्बान के घर से जिला सहकारी बैंक तक इण्टर लॉकिंग कार्य	18-03-2020	235960.00

87-	जलील राय के घर से सैद कुरैशी तक इण्टर लॉकिंग कार्य	18-03-2020	237767.00
योग:-			5391280.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 9322734.00, 5391280.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय, प्रशासनिक व्यय	24-03-2019	47917.00
योग:-			47917.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	फीडिंग, स्टेशनरी व कम्प्यूटर कार्य	14-12-2019	498.00
2-	प्रधान मानदेय	30-03-2020	42000.00
योग:-			42498.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 47917.00, 42498.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनुज माधुरी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव व श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोरैयाऑल विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत कोरैयाऑल में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु	20-11-2018	279189.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु	04-01-2019	84500.00
	योग:-		363689.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	25-06-2019	16850.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	15-07-2019	120944.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	16-07-2019	85217.00
4-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	14-01-2020	31300.00
	योग:-		254311.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 363689.00, 254311.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत कोरैयाऑल में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोकपिट कार्य हेतु	24-10-2018	51287.00
2-	डस्टबिन निर्माण कार्य हेतु	30-01-2019	99000.00
3-	सोकपिट कार्य हेतु	18-03-2019	79351.00
	योग:-		229638.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 229638.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत कोरैयाऑल उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य	12-03-2019	256524.00
2-	नाली निर्माण कार्य	15-03-2019	250525.00
3-	कायाकल्प योजना कार्य	28-03-2019	267607.00
योग:-			774656.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 774656.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत कोरैयाऑल में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	13-12-2018	42846.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	18-12-2018	74101.00
योग:-			116947.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण	29-07-2019	61310.00
2-	खडन्जा से राधे के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	26-02-2020	39152.00
3-	खडन्जा से राधे के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	20206.00
योग:-			120668.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलिओं एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि

को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 116947.00, 120668.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत कोरैयाऑल में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-07-2019	100695.00
2-	रामखेलावन के मकान से लालाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2019	112852.00
3-	लालाराम के मकान से उमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2019	210792.00
4-	रामखेलावन के मकान से लालाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	14-02-2020	14028.00
5-	लालाराम के मकान से उमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	14-02-2020	28952.00
योग:-			467319.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 467319.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत कोरैयाऑल में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वॉल पेन्टिंग कार्य हेतु	18-02-2019	25500.00
2-	प्रशासनिक व्यय हेतु	11-03-2019	48125.00
योग:-			73625.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	22-07-2019	35000.00
2-	ठेलिया खरीद	07-01-2020	19600.00
3-	प्रशासनिक व्यय	20-12-2020	19550.00
योग:-			74150.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक

एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 73625.00, 74150.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सिरैचा

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत सिरैचा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	07-10-2018	54300.00
योग:-			54300.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 54300.00 में से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत सिरैचा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ठेलिया क्रय व डस्टबिन	13-10-2018	133450.00
योग:-			133450.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 133450.00 में से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत सिरैचा में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य	27-02-2019	207404.00
2-	नाली निर्माण कार्य	26-03-2019	132524.00

	योग:-	339928.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 339928.00 में से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-139 ग्राम पंचायत सिरैचा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा कार्य हेतु	26-11-2018	72364.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	05-02-2019	125318.00
योग:-			197682.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 197682.00 में से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-140 ग्राम पंचायत सिरैचा में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	05-01-2019	54280.00
योग:-			54280.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों को भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि - कितनी ह्यूम पाइप का काग्न कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम

पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 54280.00 में से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत सिरैचा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय व वॉल पेन्टिंग	07-01-2019	82013.00
2-	काम्पलेक्स शौचालय निर्माण	08-01-2019	25000.00
3-	कुआँ मरम्मत कार्य	09-02-2019	107789.00
योग:-			214802.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 214802.00 में से ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दोनवा विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-142 ग्राम पंचायत दोनवा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	27-03-2019	76825.00
योग:-			76825.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22-07-2019	62382.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22-07-2019	39395.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	14-01-2019	20750.00
योग:-			122527.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त

दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 76825.00, 122527.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत दोनवा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय मरम्मत कार्य	07-12-2018	161625.00
2-	शौचालय मरम्मत कार्य	05-02-2019	16233.00
योग:-			177858.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 177858.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत दोनवा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य	18-10-2018	91341.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य	23-10-2018	120590.00
3-	खडन्जा मरम्मत कार्य	07-02-2019	23500.00
योग:-			235431.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक

एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 235431.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत दोनवा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हयूम पाइप क्रय	15-02-2019	62953.00
2-	प्रधान मानदेय	16-03-2019	45500.00
3-	प्रशासनिक और वॉल पेन्टिंग कार्य	17-03-2019	47300.00
	योग:-		155753.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	26-06-2019	35300.00
2-	आंगनबाड़ी मरम्मत	22-07-2019	96535.00
3-	प्रधान मानदेय	22-07-2019	21000.00
4-	ठेलिया क्रय	07-01-2019	18480.00
5-	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण	08-02-2020	178409.00
6-	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण	22-02-2020	29306.00
7-	प्रधान मानदेय	22-02-2020	17500.00
8-	अशोक के घर से प्रताप के घर तक खडन्जा मरम्मत	02-03-2020	98649.00
9-	प्रधान मानदेय	16-03-2020	10500.00
	योग:-		505679.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 155753.00, 505679.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहजनी

विकास खण्ड - नकहा

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-146 ग्राम पंचायत सहजनी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	07-03-2019	269813.00
	योग:-		269813.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय

पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 269813.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-147 ग्राम पंचायत सहजनी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य	16-07-2018	75511.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य	18-07-2018	63171.00
3-	खडन्जा मरम्मत कार्य	20-07-2018	154667.00
4-	खडन्जा मरम्मत कार्य	28-08-2018	90899.00
5-	खडन्जा मरम्मत कार्य	18-09-2018	51398.00
योग:-			435646.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 435646.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-148 ग्राम पंचायत सहजनी में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोकपिट निर्माण कार्य	20-07-2018	230732.00
2-	सोकपिट निर्माण कार्य	05-03-2019	193843.00
3-	कूड़ादान क्रय	29-01-2019	99000.00
योग:-			523575.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय

पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 523575.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-149 ग्राम पंचायत सहजनी में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य	18-07-2018	80716.00
2-	नाली निर्माण कार्य	18-07-2018	66582.00
3-	नाली निर्माण कार्य	26-07-2018	185637.00
4-	नाली निर्माण कार्य	13-08-2018	197332.00
5-	नाली निर्माण कार्य	15-02-2019	235207.00
योग:-			765474.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 765474.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव सचिव से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-150 ग्राम पंचायत सहजनी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	07-02-2019	42000.00
2-	प्रशासनिक व्यय	25-03-2019	29208.00
योग:-			71208.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि

को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 71208.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अम्बरसोत

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-151

ग्राम पंचायत अम्बरसोत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर भुगतान	19-05-2018	190181.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	20-01-2019	19545.00
योग:-			209726.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 209726.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी वर्मा से ₹ 104863.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास अवस्थी से ₹ 104863.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-152

ग्राम पंचायत अम्बरसोत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	20-10-2018	35000.00
2-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	15-09-2018	2045.00
3-	वॉल पेन्टिंग कार्य	21-03-2019	22400.00
4-	बाउण्ड्री वॉल	25-03-2019	15265.00
5-	इण्टर लॉकिंग	22-02-2019	16839.00
योग:-			91549.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 91549.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी वर्मा से ₹ 45774.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास अवस्थी से ₹ 45774.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जमकोहना

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-153

ग्राम पंचायत जमकोहना में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	07-03-2019	20000.00
योग:-			20000.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 20000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत जमकोहना में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य	03-07-2018	198350.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य	04-07-2018	171750.00
योग:-			370100.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 370100.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-155 ग्राम पंचायत जमकोहना में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	02-07-2018	14000.00
2-	अन्य कार्य	16-02-2019	45000.00
योग:-			59000.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 59000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अहमद हसन सिद्दीकी से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पटना विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-156 ग्राम पंचायत पटना में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अकबर के घर से लतीफ के घर तक	17-12-2019	212000.00
2-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	26-12-2019	20726.00
योग:-			232726.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित

वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 232726.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नेताईन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष कुमार से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-157 ग्राम पंचायत पटना में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में कामरान के घर से रहमान के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	27-12-2019	244725.00
योग:-			244725.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 244725.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नेताईन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष कुमार से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-158 ग्राम पंचायत पटना में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	लेबर मिस्त्री का भुगतान	27-12-2019	33250.00
2-	फर्म भुगतान	28-12-2019	27370.00
3-	फर्म भुगतान	08-01-2020	139924.00
योग:-			200544.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 200544.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नेताईन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष कुमार से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रवही विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत रवही में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	24-10-2018	138956.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	06-03-2019	91025.00
योग:-			229981.00

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मिस्त्री और सामग्री क्रय	15-07-2019	45300.00
2-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत	19-03-2019	8250.00
3-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत	20-03-2020	18360.00
	योग:-		71910.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 229981.00, 71910.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदायल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-160 ग्राम पंचायत रवही में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय मरम्मत कार्य	10-07-2018	87681.00
2-	शौचालय निर्माण कार्य	28-09-2018	33728.00
3-	कूड़ादान निर्माण कार्य	13-03-2019	106875.00
	योग:-		228284.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 228284.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदायल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-161 ग्राम पंचायत रवही में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण कार्य	25-09-2018	114501.00
2-	खडन्जा निर्माण कार्य	17-10-2018	70673.00
	योग:-		185174.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत रवही ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 185174.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदायल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-162 उक्त ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रामअचल के मकान से छत्रपाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	25-12-2019	182436.00
2-	छत्रपाल के मकान से राजेन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग	25-12-2019	182436.00
3-	रामअचल के मकान से छत्रपाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	01-02-2020	30212.00
4-	छत्रपाल के मकान से राजेन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग	01-02-2020	29680.00
5-	राजेन्द्र के घर से बराती के घर तक इण्टर लॉकिंग	30-03-2020	149477.00
	योग:-		574241.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 574241.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदायल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-163 उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2016-17			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अज्ञात व्यय	अक्टूबर 2016	47698.00
2-	अज्ञात व्यय	दिसम्बर 2016	48000.00
3-	अज्ञात व्यय	जनवरी 2017	41000.00
4-	अज्ञात व्यय	फरवरी 2017	40739.00
5-	अज्ञात व्यय	मार्च 2017	407384.00
	योग:-		584821.00
वर्ष 2017-18			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अज्ञात व्यय	अक्टूबर 2017	73829.00
2-	अज्ञात व्यय	नवम्बर 2017	91770.00
3-	अज्ञात व्यय	जनवरी 2018	97396.00
4-	अज्ञात व्यय	मार्च 2018	97824.00
	योग:-		360819.00
वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सफाई कार्य हेतु ठेलिया क्रय	29-12-2018	26525.00
2-	प्रशासनिक व्यय	18-02-2019	37475.00
3-	मिट्टी पटाई कार्य	06-03-2019	83475.00
	योग:-		147475.00

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ठेलिया खरीद पर व्यय	17-12-2019	17920.00
2-	प्रधान मानदेय	17-02-2020	52500.00
	योग:-		70420.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 584821.00, 360819.00, 147475.00, 70420.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदायल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महोला

विकास खण्ड - नकहा

वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-164 ग्राम पंचायत महोला में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु	04-02-2019	34200.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु	22-02-2019	210419.00
	योग:-		244619.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 244619.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव, ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-165 ग्राम पंचायत महोला में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोबरन के घर से त्रिभुवन के घर तक दोनों तरफ नाली निर्माण हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी	20-03-2020	54066.00
2-	उक्त कार्य हेतु लखीमपुर ब्रिक फील्ड से ब्रिक और रोड़ा	20-03-2020	49149.00
3-	इन्दल के घर से राजेश के घर तक नाली निर्माण हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी	21-03-2020	75519.00
4-	उक्त कार्य हेतु लखीमपुर ब्रिक फील्ड से ब्रिक और रोड़ा	21-03-2020	94345.00
5-	विश्वनाथ के घर से जगन्नाथ के घर तक नाली निर्माण हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी आदि	21-03-2020	76866.00
6-	उक्त कार्य हेतु लखीमपुर ब्रिक फील्ड से ब्रिक और रोड़ा	21-03-2020	94544.00
7-	उक्त कार्य हेतु मिस्त्री और लेबर	26-03-2020	68138.00
8-	उक्त कार्य हेतु मिस्त्री और लेबर	26-03-2020	67410.00
9-	सोबरन के घर से घर से त्रिभुवन के घर तक दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य में मिस्त्री और लेबर	26-03-2020	49098.00
	योग:-		629135.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 629135.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव, ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-166 ग्राम पंचायत महोला में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	03-05-2018	87465.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	16-05-2018	102636.00
3-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	10-10-2018	71637.00
4-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	20-11-2018	59892.00
5-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	25-11-2018	61576.00
6-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	11-12-2018	99766.00
योग:-			482972.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण हेतु सामग्री क्रय	10-07-2019	117186.00
2-	राजेश के घर से खडन्जा तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु लखीमपुर ब्रिक फील्ड से ब्रिक क्रय	21-03-2020	99488.00
3-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	21-03-2020	7875.00
4-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	21-03-2020	28525.00
योग:-			253074.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 482972.00, 253074.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव, ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत महोला में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डामर रोड से अनिल के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-05-2019	223589.00
2-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	04-07-2019	154466.00
3-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	04-07-2019	264677.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ब्रिक क्रय	28-07-2019	154466.00
5-	उक्त कार्य हेतु राज ट्रेडर्स कम्पनी से इण्टर लॉकिंग टाइल्स	18-03-2020	137717.00

6-	रामदयाल के घर से विश्वनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु क़ण्डा ट्रेडर्स से सीमेन्ट, मौरंग, गिट्टी क्रय	18-03-2020	34779.00
7-	उक्त कार्य हेतु कुमार ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	18-03-2020	38822.00
8-	उक्त कार्य हेतु लेबर और मिस्त्री	18-03-2020	30975.00
9-	उक्त कार्य हेतु लोकल मिस्त्री	18-03-2020	1895.00
	योग:-		1041386.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1041386.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव, ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत महोला में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय और प्रशासनिक व्यय हेतु	04-02-2019	114292.00
	योग:-		114292.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	06-03-2020	31500.00
	योग:-		31500.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 114292.00, 31500.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव, ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रूखिया विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-169 ग्राम पंचायत रूखिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22-07-2019	31830.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	17-12-2019	90509.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-12-2019	61698.00
4-	लेबर भुगतान	01-01-2020	35672.00
5-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	11-01-2020	45864.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	11-01-2020	7644.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22-03-2020	15700.00
	योग:-		288917.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 288917.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-170 ग्राम पंचायत रूखिया में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2016-17			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट क्रय	20-03-2017	102200.00
	योग:-		102200.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 102200.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत रूखिया में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय हेतु	24-12-2018	49050.00
	योग:-		49050.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय मरम्मत	28-06-2019	41356.00
2-	शौचालय निर्माण कार्य	27-02-2020	36987.00
	योग:-		78343.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 49050.00, 78343.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-172

ग्राम पंचायत रूखिया में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली मरम्मत	10-09-2018	56540.00
2-	नाली मरम्मत	10-09-2018	49715.00
	योग:-		106255.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 106255.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-173

ग्राम पंचायत रूखिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2016-17			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मजदूरी	19-09-2016	23826.00
2-	ईंट क्रय	23-09-2016	60705.00
3-	ठेलिया क्रय	03-10-2016	16500.00
4-	सामग्री क्रय	04-10-2016	71645.00
5-	मिट्टी पटाई पर व्यय	21-10-2016	9000.00
6-	मजदूरी	30-12-2016	13350.00
7-	मजदूरी	28-11-2016	18096.00
8-	मजदूरी	02-02-2017	43220.00
9-	ईंट क्रय	27-02-2017	30000.00
	योग:-		286342.00
वर्ष 2017-18			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ईंट क्रय	05-04-2017	56800.00
2-	मजदूरी	05-04-2017	42016.00
3-	ईंट क्रय	10-08-2017	58000.00
4-	मिट्टी पटाई पर व्यय	10-08-2017	32000.00
5-	सामग्री क्रय	14-02-2018	53450.00
6-	मजदूरी भुगतान	22-02-2018	48535.00
7-	सामग्री क्रय	01-03-2018	62960.00
8-	मजदूरी भुगतान	03-03-2018	30060.00
9-	मजदूरी भुगतान	05-03-2018	85040.00
10-	ईंट क्रय	18-03-2018	48000.00
	योग:-		516861.00
वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सामग्री क्रय	01-04-2018	90566.00
2-	प्यारे से काशी तक खडन्जा कार्य	04-05-2018	106300.00
3-	मिट्टी पटाई पर व्यय	04-05-2018	83450.00
4-	बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य हेतु	09-09-2018	101241.00
5-	खडन्जा कार्य हेतु	10-09-2018	84670.00
	योग:-		466227.00
वर्ष 2019-20			

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बहादुर से रामपाल तक खडन्जा मरम्मत	23-07-2019	102398.00
2-	ठेलिया क्रय	03-12-2019	19500.00
3-	सामग्री क्रय	18-03-2020	39953.00
	योग:-		161851.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 286342.00, 516861.00, 466227.00 व 161851.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-174 ग्राम पंचायत रूखिया में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2017-18			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप डलवाई मजदूरी	20-02-2018	38660.00
	योग:-		38660.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रूपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 38660.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-175 ग्राम पंचायत रूखिया में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	फर्श निर्माण कार्य हेतु	02-02-2019	76755.00
	योग:-		76755.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	केशर से प्राइमरी स्कूल तक खडन्जा मरम्मत	14-07-2019	97364.00
	योग:-		97364.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 76755.00, 97364.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-176 ग्राम पंचायत रूखिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2016-17			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	23-09-2016	20000.00
2-	कुर्सी मेज क्रय	30-10-2016	22300.00
3-	फ्रीडिंग	09-03-2017	2000.00
4-	डी०पी०आर०ओ०	06-10-2016	2000.00
5-	प्रशासनिक व्यय	20-03-2017	2015.00
	योग:-		48315.00
वर्ष 2017-18			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कुर्सी मेज क्रय	29-09-2017	28000.00
2-	प्रशासनिक व्यय	29-09-2017	86912.00
3-	वॉल पेन्टिंग कार्य	12-10-2017	52650.00
4-	प्रधान मानदेय	07-02-2018	56500.00
	योग:-		224062.00
वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यवस्था	10-09-2018	47355.00
2-	प्रशासनिक व्यय	20-03-2019	69934.00
	योग:-		117289.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	03-07-2019	31100.00
2-	सोलर लाईट मरम्मत	15-07-2019	39968.00
3-	ग्राम पंचायत में कुर्सी, मेज, अलमारी क्रय	17-12-2019	19000.00
4-	प्रधान मानदेय	26-12-2019	59500.00
5-	प्रधान मानदेय	20-03-2020	42000.00
	योग:-		191568.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 48315.00, 224062.00, 117289.00 व 191568.00 में से ग्राम प्रधान श्री अखिलेश वर्मा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बाजूडीह विकास खण्ड – नकहा वर्ष – 2018-19 व 2019-20
प्रस्तर-177 ग्राम पंचायत बाजूडीह में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	27-02-2019	59625.00
	योग:-		59625.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	10-07-2019	205143.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	10-07-2019	14000.00
	योग:-		219143.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 59625.00, 219143.00 में से ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-178 ग्राम पंचायत बाजूडीह में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण कार्य	27-02-2019	96908.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु	05-03-2019	174897.00
	योग:-		271805.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण	27-06-2019	77183.00
2-	खडन्जा मरम्मत	25-07-2019	157347.00
	योग:-		234530.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 271805.00, 234530.00 में से ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-179 ग्राम पंचायत बाजूडीह में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु	06-12-2018	221811.00

2-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु	06-12-2018	222812.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु	10-02-2019	223875.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु	20-03-2019	134186.00
योग:-			802684.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	10-07-2019	227643.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-07-2019	227643.00
3-	पंचायत घर से वीरेन्द्र के घर तक इण्टर लॉक निर्माण	22-03-2020	181858.00
4-	पंचायत घर से वीरेन्द्र के घर तक इण्टर लॉक निर्माण	31-03-2020	9800.00
योग:-			646944.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 802684.00, 646944.00 में से ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-180 ग्राम पंचायत बाजूडीह में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय हेतु	12-10-2018	42000.00
2-	हयूम पाइप क्रय	08-11-2018	61108.00
3-	प्रशासनिक व्यय हेतु	05-03-2019	40700.00
योग:-			143808.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	25-07-2019	50327.00
2-	मिट्टी पटाई कार्य	27-06-2019	28350.00
3-	प्रधान मानदेय	10-07-2019	14000.00
4-	प्रधान मानदेय	13-03-2020	28000.00
योग:-			120677.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 143808.00, 120677.00 में से ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल राजवंशी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सैदीपुर हरिया

विकास खण्ड - नकहा

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-181

ग्राम पंचायत सैदीपुर हरिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	15-03-2019	70650.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	15-03-2019	216245.00
	योग:-		286895.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 286895.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-182 ग्राम पंचायत सैदीपुर हरिया में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन क्रय	15-03-2019	138900.00
	योग:-		138900.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 138900.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-183 ग्राम पंचायत सैदीपुर हरिया में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	16-03-2019	60603.00
	योग:-		60603.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 60603.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-184 ग्राम पंचायत सैदीपुर हरिया में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-07-2018	238379.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-07-2018	248753.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-07-2018	239103.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-07-2018	234246.00
5-	इण्टर लॉकिंग कार्य	15-10-2018	199902.00
6-	इण्टर लॉकिंग कार्य	16-03-2019	236835.00
7-	इण्टर लॉकिंग कार्य	16-03-2019	139444.00
8-	इण्टर लॉकिंग कार्य	17-03-2019	136000.00
योग:-			1672662.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1672662.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-185 ग्राम पंचायत सैदीपुर हरिया में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य	18-10-2018	45000.00
2-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	26-01-2019	175950.00
योग:-			220950.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 220950.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-186 ग्राम पंचायत सैदीपुर हरिया में शौचालय निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय निर्माण कार्य	26-03-2019	96400.00
योग:-			96400.00

प्रिया साफ्ट पर शौचालय निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 96400.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-187 ग्राम पंचायत सेदीपुर हरिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रासंगिक व्यय	19-03-2019	65214.00
योग:-			65214.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 65214.00 में से ग्राम प्रधान श्री नेपाल राज से और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कटकुसुमा विकास खण्ड - नकहा वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-188 ग्राम पंचायत कटकुसुमा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	23-03-2019	149850.00
योग:-			149850.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	02-06-2019	20080.00
2-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री क्रय हेतु वर्मा लोहा भण्डार को	30-12-2019	24768.00
3-	उक्त कार्य हेतु मिस्त्री को	13-03-2020	7500.00
4-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	27286.00
5-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	27213.00
6-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	27285.00
7-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	27105.00
8-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	26997.00
9-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	27359.00
10-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री, मिस्त्री और लेबर	13-03-2020	26745.00
योग:-			242338.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 149850.00, 286895.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-189 ग्राम पंचायत कटकुसुमा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोकपिट क्रय	24-03-2019	200772.00
2-	स्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत कार्य	25-03-2019	83300.00
	योग:-		284072.00
वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय निर्माण	04-06-2019	28424.00
2-	सोकपिट निर्माण	05-06-2019	36572.00
3-	स्वास्थ्य केन्द्र में मरम्मत कार्य	12-06-2019	13290.00
4-	ग्राम पंचायत में सोकपिट निर्माण कार्य हेतु देविका इण्टर प्राइजेज से सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी, बालू आदि क्रय	21-03-2020	93814.00
5-	उक्त कार्य हेतु पूजा ईट उद्योग से ईट, रोड़ा क्रय	21-03-2020	87947.00
	योग:-		260047.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 284072.00, 260047.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-190 ग्राम पंचायत कटकुसुमा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण	09-06-2019	22814.00
2-	खडन्जा निर्माण और मिट्टी पटाई	12-06-2019	7852.00
3-	खडन्जा मरम्मत	13-06-2019	11223.00
4-	खडन्जा से सुभाष के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु गोविन्द ईट उद्योग से ईट क्रय	13-03-2020	42840.00
5-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	13-03-2020	2500.00
6-	ठाकुरद्वारा से शिवकुमार के घर तक ब्रिक क्रय हेतु गोविन्द ब्रिक उद्योग	13-03-2020	76944.00
7-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	13-03-2020	9760.00
8-	रामस्वरूप के घर से जयन्ती के घर तक खडन्जा हेतु गोविन्द ईट उद्योग से ईट क्रय	13-03-2020	58054.00
9-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	13-03-2020	7000.00
10-	रोड से रामलखन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु गोविन्द ईट उद्योग से ईट क्रय	13-03-2020	54702.00
11-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	13-03-2020	8483.00
12-	रामलखन के घर से रपटा पुल तक खडन्जा निर्माण हेतु पूजा ईट उद्योग से ईट क्रय	21-03-2020	81312.00
13-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय	21-03-2020	6240.00
14-	रोड से रामलखन के घर तक खडन्जा मरम्मत को लेबर	26-03-2020	40054.00
15-	रामस्वरूप के घर से खडन्जा निर्माण लेबर	26-03-2020	36834.00
16-	बबलू से ठाकुर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	26-03-2020	26446.00
17-	बहादुर से असलम तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	26-03-2020	20328.00

18-	ग्राम पंचायत में सोकपिट निर्माण को लेबर	26-03-2020	33796.00
19	रामलखन से रपटा पुल तक खडन्जा निर्माण लेबर	26-03-2020	23016.00
20-	हयूम पाइप डलवाई लेबर	26-03-2020	4732.00
21-	ठाकुरद्वारा से शिवकुमार तक खडन्जा मरम्मत लेबर	26-03-2020	45976.00
22-	खडन्जा से सुभाष तक खडन्जा निर्माण को लेबर	26-03-2020	11172.00
योग:-			632078.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 632078.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-191 ग्राम पंचायत कटकसुमा में हयूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	27-03-2019	121445.00
योग:-			121445.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत हेतु हयूम पाइप क्रय	13-03-2020	192850.00
योग:-			192850.00

हयूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी हयूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति हयूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं हयूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से हयूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय हयूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 121445.00, 192850.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-192 ग्राम पंचायत कटकसुमा में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में इण्टर लॉकिंग हेतु ईट और रोड़ा क्रय हेतु गोविन्द ईट उद्योग को	13-03-2020	14937.00

2-	उक्त कार्य हेतु सीमेंट, मौरंग, मिट्टी, बालू आदि क्रय हेतु देविका इण्टर प्राइजेज को	13-03-2020	8960.00
3-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी और बालू क्रय	13-03-2020	9750.00
4-	उक्त कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय श्रीराम इण्टर प्राइजेज	13-03-2020	189948.00
5-	प्राथमिक विद्यालय कटकुसुमा में इण्टर लॉकिंग को लेबर	26-03-2020	25900.00
योग:-			249495.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 249495.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-193 ग्राम पंचायत कटकुसुमा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु	26-03-2019	51700.00
योग:-			51700.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	14-05-2019	44058.00
2-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	18-05-2019	7905.00
3-	बहादुर के घर से असलम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से सीमेंट, मौरंग, मिट्टी, बालू आदि	23-02-2020	14085.00
4-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी और बालू क्रय	23-02-2020	5042.00
5-	उक्त कार्य हेतु पूजा ईट उद्योग से ईट और रोड़ा क्रय	23-02-2020	22335.00
6-	उक्त कार्य हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से इण्टर लॉकिंग टाइल्स	23-02-2020	93040.00
7-	रावी हाउस से रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से सीमेंट, मौरंग, मिट्टी, बालू आदि सामग्री क्रय	23-02-2020	9604.00
8-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी, बालू क्रय	23-02-2020	2696.00
9-	उक्त कार्य हेतु पूजा ईट उद्योग से ईट और रोड़ा क्रय	23-02-2020	15268.00
10-	उक्त कार्य हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से इण्टर लॉकिंग टाइल्स	23-02-2020	47818.00
11-	ग्राम पंचायत में कुआं मरम्मत हेतु बालू क्रय	23-02-2020	3662.00
12-	ग्राम पंचायत में कुआं मरम्मत हेतु ईटा क्रय	23-02-2020	101661.00
13-	उक्त कार्य हेतु सीमेंट, मौरंग, मिट्टी क्रय	23-02-2020	70891.00
14-	बबलू के घर से ठाकुर घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ईटा उद्योग से ईट क्रय	21-03-2020	36531.00
15-	उक्त कार्य हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से इण्टर लॉकिंग टाइल्स	21-03-2020	19072.00
16-	उक्त कार्य हेतु श्रीराम इण्टर प्राइजेज से इण्टर लॉकिंग टाइल्स	21-03-2020	141871.00
17-	उक्त कार्य हेतु मिट्टी और बालू	21-03-2020	7750.00
18-	रवि के घर से रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण लेबर	21-03-2020	12418.00
योग:-			655707.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 51700.00, 655707.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-194 ग्राम पंचायत कटकसुमा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	गत वर्ष का बकाया भुगतान	14-06-2018	102788.00
2-	प्रधान मानदेय और प्रशासनिक व्यय	19-07-2018	83256.00
3-	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	27-03-2019	331875.00
4-	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	27-03-2019	478273.00
	योग:-		996192.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	फोटो कापी कार्य योजना फीडिंग और प्रिया साफ्ट फीडिंग कार्य		2998.00
2-	कुआं मरम्मत कार्य को लेबर		41398.00
	योग:-		44396.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 996192.00, 44396.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती शुक्ला से और ग्राम पंचायत सचिव पंकज श्रीवास्तव, श्री ब्रम्हानन्द श्रीवास्तव व से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिचपरी विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-195 आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में 14वें वित्त मद में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु किया गया।

कार्य आई०डी०	दिनांक	आहरणकर्ता	धनराशि	योग
14020808	01-07-2019	अवनीश इण्टर प्राइजेज	91125.00	136725.00
	03-08-2019	मोहित इण्टर प्राइजेज	45600.00	
20217758	23-12-2019	अवनीश इण्टर प्राइजेज	91125.00	182250.00
	03-02-2020	अवनीश इण्टर प्राइजेज	91125.00	
		योग:-		318975.00

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में उक्त कार्य पृथक कार्य के रूप में दर्शित है और ये किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 318975.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनिवास व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुरमिश्र

विकास खण्ड - मोहम्मदी

वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-196 आलोच्य वर्ष में 2018-19 में ग्राम पंचायत में दिनांक 31-08-2018 को अवनीश इण्टर प्राइजेज से चेक संख्या 099400 द्वारा ₹ 45600.00 का ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य जिसकी वर्क आई०डी० 11205059 है, के रूप में दर्शित है और ये किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 45600.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री गुरदीप सिंह व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुरदीना विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-197 आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 16-04-2018 को 14वें वित्त के अन्तर्गत मॉडल शौचालय निर्माण (कार्य आई०डी० 9888265) हेतु सामग्री क्रय पर "सिंह सीमेन्ट स्टोर" को चेक संख्या 076341 द्वारा ₹ 40672.00 भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। और न ही आलोच्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी श्रमांश, ईट क्रय, सैनिटरी फिटिंग, दरवाजे, चौखट, बिजली फिटिंग पर भुगतान किया गया। कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र तथा कार्य किस तिथि को आरम्भ हुआ और किस तिथि को समाप्त हुआ, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रमाण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार मात्र कुछ सामग्री क्रय कर शौचालय निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 40672.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत खण्ड-8(क) यह कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 40672.00 अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी तथा सचिव श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ - साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - पालअभयकचनार विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-198 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में राज्य वित्त मद में दिनांक 08-02-2019 को तिवारी सप्लायर्स से चेक संख्या 013811 द्वारा ₹ 91222.00 का ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य, जिसकी वर्क आई०डी० 10996253 है, के रूप में दर्शित है और ये किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 91222.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजुम व सचिव श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में 14वें वित्त मद में दिनांक 09-07-2019 को अवनीश इण्टर प्राइजेज से चेक संख्या 027324 द्वारा ₹ 91125.00 का ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य, जिसकी वर्क आई०डी० 15561178 है, के रूप में दर्शित है और ये किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 91125.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजुम व सचिव श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुरकलां विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-199 ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरकलां के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही अपूर्ण पायी गई। कोषबही में 01 अगस्त 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-08-2019 एवं 31-12-2019 के मध्य 14वें वित्त आयोग मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	PFMS भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	वृक्षारोपण	14817763	खान इण्टर प्राइजेज	07-02-2019	49500.00
			खान इण्टर प्राइजेज	07-02-2019	49500.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	19982256	खान इण्टर प्राइजेज	12-12-2019	97200.00
			खान ट्रेडर्स	19-12-2019	32200.00
3-	ह्यूम पाइप क्रय	19982254	मोहित इण्टर प्राइजेज	12-12-2019	91125.00
			खान ट्रेडर्स	19-12-2019	46900.00
			खान ट्रेडर्स	19-12-2019	46950.00
4-	नाली खडन्ज निर्माण	16405645	शिवमहिमा सीमेन्ट स्टोर	19-12-2019	40818.00
			नरेन्द्र ब्रिक फील्ड	19-12-201	58264.00
5-	नाली निर्माण	16405646	शिवमहिमा सीमेन्ट स्टोर	19-12-2019	69520.00
			नरेन्द्र ब्रिक फील्ड	19-12-2019	48695.00
			योग -		630672.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 630672.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 630672.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण मिश्रा उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - झाराखेमपुर विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-200 आलोच्य वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त मद से कार्य आई०डी० 9898639 के अन्तर्गत दिनांक 06-03-2019 को मैनुअल कोषबही के अनुसार श्रीमती रामदेवी को प्रधान मानदेय का ₹ 42000.00 का भुगतान किया जाना अंकित है। उक्त भुगतान में निम्न कमियाँ पाई गयी:-

- 1- उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, प्रधान मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। प्रधान मानदेय का भुगतान श्रीमती रामदेवी को किया गया, जबकि उक्त समयावधि के दौरान ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव रहे हैं।
- 2- प्रधान मानदेय का भुगतान प्रधान के अतिरिक्त किसी अन्य को कैसे किया जा सकता है। उक्त मानदेय प्रधान को ही प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 3- मानदेय का भुगतान राज्य वित्त से न कर 14वें वित्त से किया जाना नियमहीनता है।

"किसी व्यय को नियमों की अनदेखी करके किया जाना वित्तीय अनियमितता है।" अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित धनराशि कुल ₹ 42000.00 अधिभार एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान व सचिव का संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पोखनापुर विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2017-18 से 2019-20

प्रस्तर-201 आलोच्य वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोषबही के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त मद से निम्न विवरणानुसार व्यय किए गये -

कार्य का नाम (मैनुअल कोषबही के अनुसार)	कार्य आई०डी०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु भुगतान	15471645	24-02-2020	ओमजी ट्रेडर्स	72200.00

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है एवं किसी भी कार्य में श्रमांश भुगतान नहीं किया गया है। बिना श्रमांश के निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही उक्त सम्पूर्ण व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 72200.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 72200.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वैशाली गुप्ता तथा सचिव श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की

तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टाक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-202 आलोच्य वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में दिनांक 14-03-2019 को अवनीश इण्टर प्राइजेज से चेक संख्या 017577 से रू० 91125.00 व चेक संख्या 017560 से रू० 44625.00, इस प्रकार कुल रू० 135750.00 का ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य, जिसकी वर्क आई०डी० 9883033 है, के रूप में दर्शित है और यह किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर रू० 135750.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वैशाली गुप्ता व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) यह कि व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-203 आलोच्य वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोषबही के अनुसार 14वें वित्त मद से निम्न विवरणानुसार व्यय किए गए -

कार्य का नाम (मैनुअल कोषबही के अनुसार)	कार्य का नाम (ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार)	कार्य आई०डी०	दिनाँक	पीएफएमएस भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
प्रा०वि० रेहरिया में दक्षिण वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	उ०मा०वि० रेहरिया में दक्षिण बाउण्ड्री वॉल निर्माण	20345684	17-01-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	89943.00
			19-01-2020	विशेन बिल्डिंग मटेरियल लगुचा	69634.00
प्रा०वि० रेहरिया में पूरब वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	उ०मा०वि० रेहरिया में पूरब वाली बाउण्ड्री वॉल व गेट निर्माण	20345661	17-01-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	97729.00
			19-01-2020	विशेन बिल्डिंग मटेरियल लगुचा	74477.00
प्रा०वि० रेहरिया में उत्तर वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	उ०मा०वि० रेहरिया में उत्तर वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	20345685	08-02-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	80976.00
			08-02-2020	विशेन बिल्डिंग मटेरियल लगुचा	65410.00
प्रा०वि० रेहरिया में पश्चिम वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	प्रा०वि० रेहरिया में पश्चिम वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	20345686	08-02-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	87486.00
			08-02-2020	विशेन बिल्डिंग मटेरियल लगुचा	65410.00
प्रा०वि० रेहरिया में दक्षिण वाली बाउण्ड्री वॉल निर्माण	प्रा०वि० रेहरिया में दक्षिण बाउण्ड्री वॉल निर्माण	20345683	08-02-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	81679.00
			08-02-2020	विशेन बिल्डिंग मटेरियल लगुचा	45000.00
नरेन्द्र के घर से खाद गोदाम तक नाली निर्माण	नरेन्द्र के घर से खाद गोदाम तक नाली निर्माण	20345673	19-01-2020	राठौर ट्रेडर्स	44336.00
			03-02-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	48057.00
नरेन्द्र के घर से खाद गोदाम तक नाली निर्माण	वीरपाल के खाद गोदाम से खाद गोदाम तक नाली निर्माण	20345672	19-01-2020	राठौर ट्रेडर्स	36259.00
			03-02-2020	जुनैद अली हुमेर अली ब्रिक फील्ड	43396.00
				योग:-	929792.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है एवं किसी भी कार्य में श्रमांश भुगतान नहीं किया गया है। बिना श्रमांश के निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही उक्त सम्पूर्ण व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 929792.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 929792.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती वैशाली गुप्ता तथा सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाणपत्र, जिओ टैगिंग

का प्रमाण, उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठे का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत – खंदेवरा
प्रस्तर-204

विकास खण्ड – मोहम्मदी

वर्ष – 2018-19 से 2019-20

आलोच्य वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोषबही के अनुसार 14वें वित्त से निम्न विवरणानुसार व्यय किए गए

कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	पी०एफ०एम०एस० भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय	20222867	23-12-2019	गिरिराज ब्रिक फील्ड	56211.00
नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	20222868	10-01-2020	मुनेन्द्र यादव एण्ड फर्टीलाइजर	39232.00
मेन रोड से राकेश के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	14406179	17-01-2020	मुनेन्द्र यादव एण्ड फर्टीलाइजर	21663.00
		19-01-2020	मैनुअल कोषबही में मेसर्स किसान ईट उद्योग अंकित, जबकि ई-ग्रामस्वराज पर एन०के० फील्ड दर्शित	101598.00
			योग:-	218704.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त निर्माण कार्यों में मात्र सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है। एवं किसी भी कार्य में श्रमांश भुगतान नहीं किया गया है। बिना श्रमांश के निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही उक्त सम्पूर्ण व्ययों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रुपये 218704.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 218704.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुताना देवी तथा सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्तीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाणपत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्य में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठे का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत – साहबगंजग्रंट विकास खण्ड – मोहम्मदी
प्रस्तर-205

वर्ष – 2016-17 से 2019-20

आलोच्य वर्ष 2016-17 व 2017-18 में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत पर क्रमशः रू० 2087023.00 व रू० 2057460.00 इस प्रकार कुल रू० 4144483.00 व्यय दर्शित है। इस दौरान क्रय की गई सोलर स्ट्रीट लाइट नेडा से क्रय नहीं की गई है। प्रावधानानुसार, बीस हजार से अधिक व एक लाख तक के व्यय की स्थिति में कोटेशन लिया जाना आवश्यक है तथा एक लाख से अधिक के व्यय की स्थिति में निविदा निकाली जानी आवश्यक है। स्ट्रीट लाइट का क्रय टुकड़ों में किया गया है। यहाँ तक कि कई स्ट्रीट लाइट एक ही माह में अथवा एक ही तिथि को विभिन्न चकों के माध्यम से एक लाख रुपये से ऊपर तक क्रय की गयी है। लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइट क्रय से सम्बन्धित कोटेशन/निविदा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। स्ट्रीट लाइट की स्थापना किन स्थानों पर की गई, इसकी जानकारी व फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर किए गए व्यय के सन्दर्भ में कई तथ्य अज्ञात रहे। यथा स्ट्रीट लाइट में क्या खराबी थी, इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिन पूर्व स्थापित स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करायी गयी और इनका वारन्टी/गारन्टी पीरियड क्या था, इसकी भी जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपर्युक्त स्ट्रीट लाइट क्रय व मरम्मत से सम्बन्धित व्यय के सन्दर्भ में बिल, बाउचर, इस्तीमेट, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट क्रय व मरम्मत से सम्बन्धित व्यय, संगत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, प्रमाणकविहीन व्यय है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी हैं। उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए। आगे, उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) में उल्लिखित है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।" अतः समयान्तर्गत उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में समस्त व्यय धनराशि रू० 4144483.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरजीत कौर व सचिव श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-206

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत पर क्रमशः रू० 3589620.00 व रू० 1400760.00 इस प्रकार कुल रू० 4990380.00 व्यय दर्शित है। इस दौरान क्रय की गई सोलर स्ट्रीट लाइट नेडा से क्रय नहीं की गई है। प्रावधानानुसार, बीस हजार से अधिक व एक लाख तक के व्यय की स्थिति में कोटेशन लिया जाना आवश्यक है तथा एक लाख से अधिक के व्यय की स्थिति में निविदा निकाली जानी आवश्यक है। स्ट्रीट लाइट का क्रय टुकड़ों में किया गया है। यहाँ तक कि कई स्ट्रीट लाइट एक ही माह में अथवा एक ही तिथि को विभिन्न चकों के माध्यम से एक लाख रुपये से ऊपर तक क्रय की गयी है। लेखा परीक्षा में स्ट्रीट लाइट क्रय से सम्बन्धित कोटेशन/निविदा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। स्ट्रीट लाइट की स्थापना किन स्थानों पर की गई, इसकी जानकारी व फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर किए गए व्यय के सन्दर्भ में कई तथ्य अज्ञात रहे। यथा स्ट्रीट लाइट में क्या खराबी थी, इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिन पूर्व स्थापित स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करायी गयी और इनका वारन्टी/गारन्टी पीरियड क्या था, इसकी भी जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपर्युक्त स्ट्रीट लाइट क्रय व मरम्मत से सम्बन्धित व्यय के सन्दर्भ में बिल, बाउचर, इस्तीमेट, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट क्रय व मरम्मत से सम्बन्धित व्यय, संगत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, प्रमाणकविहीन व्यय है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी हैं। उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। आगे, उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) में उल्लिखित है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।" अतः समायन्तर्गत उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में समस्त व्यय धनराशि ₹ 4990380.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरजीत कौर व सचिव श्री अमन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-207 आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया जो कि आपत्तिजनक रहा। दिनांक 18-02-2019 को कोषबही के अनुसार ईट क्रय "राज ब्रिक फील्ड" को चेक संख्या 047716 द्वारा ₹ 65000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त क्रय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। ध्यातव्य है कि जब संस्था द्वारा सम्पूर्ण वर्ष में कोई निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया, तो उक्त ईट क्रय का कोई औचित्य नहीं था। लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त क्रय की गई ईट स्टॉक पंजिका में अंकित की गई या नहीं इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त क्रय से सम्बन्धित व्यय, संगत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, प्रमाणकविहीन व्यय है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी हैं। उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। आगे, उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) में उल्लिखित है कि, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।" अतः समायन्तर्गत उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में समस्त व्यय धनराशि ₹ 65000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरजीत कौर व सचिव श्री अमन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कैमहरा विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-208 आलोच्य वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में दिनांक 13-07-2018 को अविनीश इण्टर प्राइजेज से चेक संख्या 059361 द्वारा ₹ 45000.00 का ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य, जिसकी वर्क आई०डी० 9505753 है, के रूप में दर्शित है और यह किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 45000.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समायन्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान किस्तों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - फिरोजपुर विकास खण्ड - मोहम्मदी वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-209 ग्राम पंचायत फिरोजपुर में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में निम्न विवरणानुसार प्रधान मानदेय का भुगतान किया गया है:-

वर्ष 2018-19					
वर्क आई०डी०	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान	अवधि	अभ्युक्ति
9900467	058751	14-05-2018	17500.00	उल्लेख नहीं	राज्य वित्त से व्यय
	058752	18-05-2018	17500.00	उल्लेख नहीं	राज्य वित्त से व्यय
	058727	06-02-2019	17500.00	उल्लेख नहीं	राज्य वित्त से व्यय
	058728	12-02-2019	17500.00	उल्लेख नहीं	राज्य वित्त से व्यय
योग:-			70000.00		
वर्ष 2019-20					
वर्क आई०डी०	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान	अवधि	अभ्युक्ति
015213289	050736	02-07-2019	10500.00	उल्लेख नहीं	14वें वित्त से व्यय
	050737	02-07-2019	10500.00	उल्लेख नहीं	14वें वित्त से व्यय
20085310	PFMS से भुगतान	17-01-2020	31500.00	अप्रैल-19 से दिसम्बर-19	राज्य वित्त से व्यय
	PFMS से भुगतान	30-03-2020	10500.00	जनवरी-20 से मार्च 20	राज्य वित्त से व्यय
योग:-			63000.00		

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 70000.00 का प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है, जबकि इस दौरान ₹ 3500.00 प्रतिमाह के हिसाब से ₹ 42000.00 प्रधान मानदेय के रूप में देय होगा। मानदेय किस अवधि का दिया गया है, इसका उल्लेख केशबुक में नहीं किया गया है। अतः मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से बकाया देय मानदेय की पुष्टि भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार ₹ 28000.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 14वें वित्त से ₹ 21000.00 का प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। यह मानदेय किस अवधि का है, इसका उल्लेख केशबुक में नहीं है। 14वें वित्त से प्रधान मानदेय का भुगतान किया जाना 14वें वित्त के अभीष्ट के प्रतिकूल होने से अनियमित भी है। पुनः केशबुक के अनुसार राज्य वित्त से अप्रैल-2019 से मार्च-2020 तक की अवधि का ₹ 42000.00 प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में ₹ 21000.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः ₹ 28000.00 व ₹ 21000.00 कुल ₹ 49000.00 का अधिक भुगतान किया गया है। प्रधान मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं किये जाने, मानदेय अवधि का उल्लेख नहीं किये जाने अन्य समुचित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने व देय

मानदेय से अधिक भुगतान किये जाने से मानदेय के रूप में आहरित यह अधिक भुगतान धन का अपहरण है, जिसके लिए प्रधान श्रीमती राजकुमारी व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से यह अपेक्षा की गयी है कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को समस्त बाउचर व नियमों में विहित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। आगे, इस मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, बाउचर व नियमों में विहित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 49000.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-210 आलोच्य वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में दिनांक 25-07-2019 को अविनीश इण्टर प्राइजेज से चेक संख्या 055719 द्वारा ₹ 45600.00 का ह्यूम पाइप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य, जिसकी वर्क आईडी 15213288 है, के रूप में दर्शित है और यह किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्यपूति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही, आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है। सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 45600.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी व सचिव श्री अमन सिंह उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह दायित्व है कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - खजुरिया

विकास खण्ड - मोहम्मदी

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-211 ग्राम पंचायत खजुरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	14126210	32300.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	20345167	228422.00
3	फोटोकापी	14126220	3560.00
4	ह्यूम पाइप	14126226	182250.00
5	स्ट्रीट लाइट	14126212	145500.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	20345156	58750.00
7	हैण्डपम्प प्लेटफार्म निर्माण	20345162	99000.00
8	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	20345157	83061.00
9	ठेलिया क्रय	20345165	28000.00
10	वॉल पेन्टिंग	14126221	19600.00
योग:-			880443.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 880443.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 880443.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शाबिरा बेगम व तत्कालीन पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ - साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्टर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाणपत्र, जिआँ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - करौदा

विकास खण्ड - मोहम्मदी

वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-212 आलोच्य वर्ष 2018-19 की कोषबही में माह मार्च 2019 का अन्तिम अवशेष ₹ 79999.00 अंकित है, जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 27-03-2019 को अवशेष ₹ 79999.00 है। लेखा परीक्षा में दिनांक 27-03-2019 से 31-03-2019 तक बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं रहा, जिस कारण दिनांक 31-03-2019 क अन्तिम अवशेष अपुष्ट रहा। तथा आलोच्य वर्ष 2019-20 की कोषबही में दिनांक 01-04-2019 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 17510.00 है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 27-03-2019 से 31-03-2019 के मध्य ₹ 62489.00 का आहरण किया गया, जिसे न तो कोषबही में अंकित किया गया और न ही उक्त आहरण से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आहरित की गयी धनराशि ₹ 62489.00 को कोषबही में अंकित न कर गबन कर लिया गया। इसके साथ ही उक्त आहरण से सम्बन्धित व्यय, संगत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, प्रमाणकविहीन व्यय है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव उत्तरदायी

हैं। उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। आगे, उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) में उल्लिखित है कि, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि रू० 62489.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।" अतः समयान्तर्गत उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में समस्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रविपाल सिंह व सचिव श्री अमन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसहाभूड

विकास खण्ड - फूलबेहड़

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-213

ग्राम पंचायत बसहाभूड में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	11-05-2018	74155.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	29-06-2018	152670.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	30-06-2018	152670.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	01-03-2019	24610.00
योग:-			404105.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 404105.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-214

ग्राम पंचायत बसहाभूड में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट पर व्यय	29-06-2018	196000.00
योग:-			196000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 196000.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-215

ग्राम पंचायत बसहाभूड में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय निर्माण	16-10-2018	56858.00
2-	शौचालय निर्माण कार्य	28-03-2018	90513.00
योग:-			147371.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित

वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 147371.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-216 ग्राम पंचायत बसहाभूड में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा मरम्मत कार्य	29-06-2018	230720.00
2-	खडन्जा मरम्मत कार्य	12-07-2018	56055.00
3-	खडन्जा मरम्मत कार्य	27-12-2018	122369.00
4-	खडन्जा निर्माण पर	14-11-2018	135183.00
5-	खडन्जा मरम्मत हेतु सामग्री और लेबर	15-03-2019	52555.00
6-	उक्त को मजदूर	22-03-2019	4090.00
7-	उक्त को ईट	22-03-2019	37662.00
योग:-			638634.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 638634.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-217 ग्राम पंचायत बसहाभूड में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	06-01-2019	232273.00
2-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	30-03-2019	232273.00
योग:-			464546.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 464546.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-218 ग्राम पंचायत बसहाभूड में भवन/आंगनबाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	01-03-2019	25000.00
	योग:-		25000.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 25000.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-219 ग्राम पंचायत बसहाभूड में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	07-05-2018	28000.00
2-	न्यू कार्य	02-09-2018	36000.00
3-	स्टेशनरी, अलमारी, फोटोकापी आदि	28-09-2018	64489.00
4-	फीडिंग कार्य	20-10-2018	3000.00
5-	वॉल पेन्टिंग	03-01-2019	24000.00
6-	प्रधान मानदेय	01-03-2019	14000.00
	योग:-		169489.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 169489.00 में से प्रधान श्री मस्त राम दीक्षित से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रेहुआ विकास खण्ड - फूलबेहड़ वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-220 ग्राम पंचायत रेहुआ में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	05-10-2018	29975.00
	योग:-		29975.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर श्रम और सामग्री	02-07-2019	48687.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	05-07-2019	14940.00
3-	अवशेष हैण्डपम्प रिबोर कार्य में सामग्री क्रय	19-03-2020	63764.00
	योग:-		127391.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 29975.00, 127391.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-221 ग्राम पंचायत रेहुआ में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट खरीद	02-02-2019	95000.00
योग:-			95000.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट खरीद	07-07-2019	99000.00
2-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट खरीद	17-07-2019	98000.00
योग:-			197000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 95000.00, 197000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-222 ग्राम पंचायत रेहुआ में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन खरीद कार्य	28-01-2019	193200.00
योग:-			193200.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 193200.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-223 ग्राम पंचायत रेहुआ में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रिबोर हेतु सीमेंट, पड़प, सामग्री क्रय	01-08-2018	160465.00
2-	रिबोर पाइप, सामग्री, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लेबर	12-09-2018	143566.00
3-	ब्रिक, मिट्टी, लेबर	04-12-2018	81966.00
4-	ब्रिक, मिट्टी, लेबर	02-01-2019	76952.00
5-	ब्रिक, मिट्टी, लेबर	14-01-2019	123686.00
6-	ब्रिक, मिट्टी, लेबर	22-02-2019	74391.00
7-	सीमेंट, मोरंग, ब्रिक, शौचालय, सामग्री, पेन्ट, बालू, मिस्ती, लेबर	28-02-2019	61570.00
8-	सीमेंट, मोरंग, ब्रिक, शौचालय, सामग्री, पेन्ट, बालू, मिस्ती, लेबर	11-03-2019	51808.00
9-	सीमेंट, मोरंग, ब्रिक, शौचालय, सामग्री, पेन्ट, बालू, मिस्ती, लेबर	18-03-2019	114442.00
10-	ठेलिया क्रय	21-03-2019	34700.00
11-	ट्राली ओनर, लेबर	25-03-2019	107874.00
12-	ट्राली ओनर, लेबर	26-03-2019	88784.00
	योग:-		1120204.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रेम देवी के मकान से रामकृपा के मकान तक खडन्जा निर्माण, श्रम और सामग्री क्रय	01-07-2019	84628.00
2-	ग्राम पंचायत में सोकपिट निर्माण में श्रम और सामग्री	10-07-2019	226676.00
3-	उक्त कार्य पर ईंट क्रय	28-12-2019	127463.00
4-	उक्त कार्य पर सीमेंट क्रय	28-12-2019	22666.00
5-	उक्त कार्य पर ईंट क्रय	28-12-2019	38304.00
6-	उक्त कार्य पर बालू आपूर्ति	28-12-2019	11505.00
7-	उक्त कार्य पर लेबर	28-12-2019	1274.00
8-	उक्त कार्य पर ईंट व रोड़ा क्रय	28-12-2019	38304.00
9-	उक्त कार्य पर ईंट व बालू आपूर्ति	28-12-2019	11505.00
10-	उक्त कार्य पर लेबर और मिस्ती	28-12-2019	30898.00
11-	लालधर के घर से जगतपाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	17-03-2020	59001.00
12-	उक्त कार्य पर मिट्टी आपूर्ति	17-03-2020	14777.00
13-	उक्त कार्य पर लेबर और मिस्ती	17-03-2020	41524.00
14-	महावीर के घर से उमेश के घर तक खडन्जा निर्माण में ईंट क्रय	20-03-2020	77440.00
15-	उक्त कार्य पर लेबर और मिस्ती	20-03-2020	20580.00
16-	उक्त कार्य पर मिट्टी आपूर्ति	20-03-2020	7320.00
17-	ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों हेतु सफाई किट कार्य	29-03-2020	35000.00
18-	झाड़ू, फावड़ा, चूना आदि	17-07-2019	2000.00
	योग:-		850865.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1120204.00, 850865.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-224 ग्राम पंचायत रेहुआ में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप भुगतान	22-11-2018	89700.00
	योग:-		89700.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जल निकासी हेतु स्पन पाइप स्थापना	23-07-2019	89600.00
	योग:-		89600.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 89700.00, 89600.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-225 ग्राम पंचायत रेहुआ में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ब्रिक इण्टर लॉक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	11-09-2018	163899.00
2-	ब्रिक, सीमेन्ट, बालू, मिस्त्री, लेबर	12-09-2018	227058.00
3-	ब्रिक इण्टर लॉक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	02-11-2018	123577.00
4-	ब्रिक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	10-12-2018	226745.00
5-	ब्रिक इण्टर लॉक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	04-01-2019	215556.00
6-	ब्रिक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	18-01-2019	23710.00
7-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	21-01-2019	132033.00
8-	ब्रिक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	12-02-2019	55367.00
9-	ब्रिक इण्टर लॉक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	15-02-2019	212308.00
10-	ब्रिक इण्टर लॉक, सीमेन्ट, बालू, मौरंग, मिस्त्री, लेबर	16-02-2019	194784.00
	योग:-		1575037.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ब्रम्हादीन के मकान से धर्मेन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग, श्रम व सामग्री	05-05-2019	127463.00
2-	मेन रोड से मलखान के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य में श्रम व मजदूरी	14-07-2019	193527.00
3-	बबलू की दुकान से शिवराज के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य में श्रम व सामग्री	17-07-2019	236955.00
4-	ब्रजेश के घर से मनीष के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य में श्रम व सामग्री	23-07-2019	227023.00
5-	सोहन लाल के घर से शत्रोहन लाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य में श्रम व सामग्री	23-07-2019	222696.00
6-	ओमप्रकाश के घर से कदिले के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य में लेबर	21-12-2019	29624.00

7-	ब्रम्हादीन के मकान से धर्मेन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में सीमेन्ट आदि कार्य	28-12-2019	22666.00
योग:-			1059954.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1575037.00, 1059954.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-226 ग्राम पंचायत रेहुआ में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रिया साफ्ट फीडिंग कार्य	15-08-2018	3000.00
2-	ट्री रोपड़ कार्य	18-09-2018	18800.00
3-	प्रशासनिक मद में कुर्सी, मेज, अलमारी, बैंक चार्ज	21-01-2019	20572.00
4-	प्रधान मानदेय	21-03-2019	35000.00
योग:-			77372.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रिया साफ्ट फीडिंग कार्य	23-07-2019	5000.00
2-	डोंगल निकलवाई	03-08-2019	1778.00
3-	प्रधान मानदेय	28-12-2019	31500.00
4-	ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग पर भुगतान	23-02-2020	8400.00
5-	ग्राम पंचायत में अभिलेख, कार्य योजना फीडिंग, स्टेशनरी, फोटोकापी	29-03-2020	7750.00
योग:-			54428.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 77372.00, 54428.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चपरतला विकास खण्ड - फूलबेहड़ वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-227 ग्राम पंचायत चपरतला में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22-10-2018	15210.00
2-	रिबोर हेतु सामग्री, सीमेन्ट, पाइप, मस्टररोल आदि	28-11-2018	119454.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत व बैंक चार्ज	26-12-2018	16785.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत, मिट्टी कार्य	12-03-2019	38240.00
योग:-			189689.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 189689.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-228 ग्राम पंचायत चपरतला में सोकपिट निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य में सामग्री	27-02-2020	26291.00
2-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य में सामग्री	27-02-2020	41687.00
3-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य में सामग्री	27-02-2020	25504.00
4-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य में सामग्री	27-02-2020	6858.00
5	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	27-02-2020	37436.00
6-	उक्त कार्य पर ईंट क्रय	27-02-2020	69004.00
	योग:-		206780.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 206780.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-229 ग्राम पंचायत चपरतला में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल का भुगतान	12-01-2019	71762.00
2-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल का भुगतान	18-01-2019	51459.00
	योग:-		123221.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मैकू के घर से जगदीश के घर तक खडन्जा निर्माण में ईंट क्रय	24-12-2019	66407.00
2-	पिपरावां रोड से देवी मन्दिर तक खडन्जा निर्माण में ईंट व रोड़ा क्रय	24-12-2019	118944.00
3-	पिपरावां रोड से देवी मन्दिर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	04-02-2020	25158.00
4-	पिपरावां रोड से देवी मन्दिर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी आपूर्ति	12-02-2020	6675.00
5-	मैकू के घर से जगदीश के घर तक खडन्जा निर्माण पर मिट्टी आपूर्ति	12-02-2020	4290.00
6-	उक्त कार्य पर लेबर	12-02-2020	10738.00
7-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	12-02-2020	5851.00
8-	मन्दिर से सोनू के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईंट क्रय	13-02-2020	98280.00
9-	उक्त कार्य पर मिट्टी आपूर्ति	13-02-2020	5090.00
10-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	13-02-2020	24710.00
11-	पिपरावां रोड से देवी मन्दिर तक खडन्जा निर्माण में मिस्त्री	13-02-2020	3500.00
	योग:-		369643.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 123221.00, 369643.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-230 ग्राम पंचायत चपरतला में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ईट, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल आदि	08-09-2018	190238.00
2-	इण्टर लॉक ब्रिक, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल हेतु भुगतान	10-10-2018	203065.00
3-	इण्टर लॉक ब्रिक, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल हेतु भुगतान	15-10-2018	178013.00
4-	इण्टर लॉक ब्रिक, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल हेतु भुगतान	20-10-2018	241134.00
5-	इण्टर लॉक ब्रिक, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल आदि का भुगतान	29-10-2018	247055.00
6-	इण्टर लॉक ब्रिक, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल आदि का भुगतान	01-11-2018	148349.00
7-	इण्टर लॉक ब्रिक, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, मिट्टी, बालू, मस्टररोल आदि का भुगतान	09-11-2018	247000.00
8-	इण्टर लॉक ब्रिक, ब्रिक, सीमेन्ट, बालू, मस्टररोल आदि	12-03-2019	240733.00
योग:-			1695587.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	टेड़वा घाट खडन्जा से बिट्टू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	15-07-2019	64900.00
2-	टेड़वा घाट खडन्जा से बिट्टू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	15-07-2019	71390.00
3-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट, मोरंग खरीद	15-07-2019	19712.00
4-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट, मोरंग खरीद	15-07-2019	7257.00
5-	उक्त कार्य पर ईट, रोड़ा, बालू, मिस्ती, लेबर	15-07-2019	78408.00
6-	प्रमोद के घर से संजय के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु ईट क्रय	18-07-2019	64900.00
7-	उक्त कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	18-07-2019	71390.00
8-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, मोरंग क्रय	18-07-2019	26968.00
9-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, मोरंग क्रय	18-07-2019	36698.00
10-	उक्त कार्य हेतु बालू क्रय, लेबर व मिस्ती	18-07-2019	41710.00
11-	अलीगंज रोड से राधेश्याम के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	24-07-2019	51920.00
12-	उक्त कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	24-07-2019	61655.00
13-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, मोरंग क्रय	24-07-2019	24818.00
14-	उक्त कार्य हेतु ईट व रोड़ा क्रय	24-07-2019	34073.00
15-	उक्त कार्य हेतु बालू क्रय, लेबर व मिस्ती	24-07-2019	36357.00

16-	हरकीरत के घर से फरधान रोड तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	12-01-2020	129800.00
17-	उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय	12-01-2020	18636.00
18-	उक्त कार्य हेतु ईट व रोड़ा क्रय	12-01-2020	39942.00
19-	उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय	12-01-2020	14789.00
20-	उक्त कार्य हेतु बालू क्रय	12-01-2020	3927.00
21-	उक्त कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	12-01-2020	36746.00
22-	हरेन्द्र के घर से फरधान रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण में सामग्री क्रय	12-02-2020	7558.00
23-	उक्त पर ईट व रोड़ा क्रय	12-02-2020	7866.00
24-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	12-02-2020	34059.00
25-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	12-02-2020	1031.00
26-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	12-02-2020	9096.00
योग:-			995606.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1695587.00, 995606.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-231 ग्राम पंचायत चपरतला में शौचालय निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ब्रिक, सीमेन्ट, पाइप, शीट, बालू, मस्टररोल आदि	12-12-2018	85221.00
2-	सीमेन्ट ब्रिक,, मस्टररोल आदि	24-12-2018	23381.00
3-	ब्रिक, सीमेन्ट, पाइप, टायलेट शीट, बालू, मस्टररोल आदि	01-03-2019	96321.00
योग:-			204923.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 204923.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-232 ग्राम पंचायत चपरतला में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	ह्यूम पाइप क्रय	05-03-2019	97200.00
योग:-			97200.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों को भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि – कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 97200.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-233 ग्राम पंचायत चपरतला में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वृक्षारोपण कार्य	17-09-2018	18800.00
2-	फीडिंग हेतु	20-09-2018	3000.00
3-	स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन हेतु भुगतान	20-09-2018	180000.00
4-	प्रधान मानदेय	21-01-2019	59500.00
5-	ग्राम पंचायत में ठेलिया खरीद	21-03-2019	39000.00
योग:-			300300.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत के अभिलेखों की फीडिंग व कार्य योजना व कम्प्यूटर कार्य पर भुगतान	16-07-2019	5000.00
2-	स्टेशनरी, फोटोकापी आदि	15-12-2019	1150.00
3-	ग्राम पंचायत के अभिलेख ऑन लाइन फीडिंग, जी०पी०डी०पी० कार्य योजना, फोटो कापी, स्टेशनरी	16-02-2020	6380.00
4-	प्रधान मानदेय	22-03-2020	42000.00
योग:-			54530.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 300300.00, 54530.00 में से ग्राम प्रधान श्री कपिल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मिठनाबोड़ी विकास खण्ड – फूलबेहड़ वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-234 ग्राम पंचायत मिठनाबोड़ी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	10-07-2018	26566.00
2-	ग्राम पंचायत में रिबोर हेतु सामग्री, सीमेन्ट, मौरंग, मिस्त्री, मस्टररोल	01-08-2018	139306.00

3-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	13-03-2019	19975.00
	योग:-		185847.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान	06-07-2019	10010.00
	योग:-		10010.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 185847.00, 10010.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-235 ग्राम पंचायत मिठनाबोझी में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट	12-07-2018	99000.00
2-	स्ट्रीट लाईट	12-07-2018	99000.00
3-	स्ट्रीट लाईट क्रय	22-10-2018	99500.00
	योग:-		297500.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट क्रय	04-07-2019	99000.00
2-	स्ट्रीट लाईट पर भुगतान	03-08-2019	99000.00
	योग:-		198000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 297500.00, 198000.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-236 ग्राम पंचायत मिठनाबोझी में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सफाई किट	05-07-2018	39000.00
2-	सफाई हेतु डस्टबिन	31-12-2018	103000.00
	योग:-		142000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण

हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलि में जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 142000.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-237 ग्राम पंचायत मिठनाबोझी में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	30-03-2019	153174.00
	योग:-		153174.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों को भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि – कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलि में जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 153174.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-238 ग्राम पंचायत मिठनाबोझी में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	फयाज के घर से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	24-07-2019	84499.00
2-	फयाज के घर से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	24-07-2019	84499.00
3-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	24-07-2019	74367.00
4-	छोटे के घर से साबिर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	05-12-2019	168999.00
5-	उक्त कार्य पर ईट व रोड़ा क्रय	05-12-2019	19509.00
6-	उक्त कार्य पर लेबर मिस्त्री	11-12-2019	28658.00
7-	उक्त कार्य पर बालू आपूर्ति	11-12-2019	12448.00
8-	ईदगाह से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	19-12-2019	170038.00
9-	उक्त कार्य पर ईट व रोड़ा क्रय	19-12-2019	19614.00
10-	उक्त कार्य पर बालू दुलाई	19-12-2019	2335.00
11-	साबिर के घर से फयाज के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट खरीद	09-01-2020	168480.00
12-	उक्त कार्य पर ईट व रोड़ा क्रय	09-01-2020	15162.00
13-	उक्त कार्य पर बालू आपूर्ति	09-01-2020	2530.00
14-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	09-01-2020	27944.00
15-	ईदगाह से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	13-01-2020	15052.00

16-	ईदगाह से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	13-01-2020	7870.00
17-	ईदगाह से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	22-01-2020	15052.00
18-	ईदगाह से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	22-01-2020	55280.00
19-	ईदगाह से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु पर लेबर व मिस्त्री	18-02-2020	28840.00
योग:-			1001176.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1001176.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-239 ग्राम पंचायत मिठनाबोड़ी में भवन/आँगनबाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आँगनबाड़ी केन्द्र में ब्रिक, सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, मस्टररोल	05-09-2018	111685.00
2-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग, पाइप, बालू, मिस्त्री, मस्टररोल	09-10-2018	225520.00
3-	ब्रिक, सीमेन्ट, गिरल, गेट, पाइप, बालू, मस्टररोल	31-10-2018	126990.00
4-	मस्टररोल	22-03-2019	5000.00
5-	ब्रिक, सीमेन्ट, गिरल, गेट, मौरंग, पेन्ट	22-03-2019	129617.00
6-	पेंट, प्लम्बर, दुलाई, मस्टररोल	22-03-2019	86415.00
7-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग, शीट, पाइप, टायलेट सामग्री, बालू, मस्टररोल	26-03-2019	82335.00
योग:-			767562.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 767562.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-240 ग्राम पंचायत मिठनाबोड़ी में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	फयाज के घर से छोटू के घर तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय व लेबर	15-07-2019	174803.00

2-	छोटे के घर से साबिर के घर तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय, लेबर व मिस्त्री	26-07-2019	169314.00
3-	ईदगाह से छोटे के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट खरीद	31-12-2019	52405.00
4-	साबिर के घर से फयाज के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट खरीद	04-01-2020	58550.00
5-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	04-01-2020	29918.00
6-	ईदगाह से छोटे के घर तक नाली निर्माण की लेबर	04-01-2020	22568.00
7-	साबिर के घर से फयाज के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री क्रय	27-01-2020	59900.00
योग:-			567458.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 567458.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-241 ग्राम पंचायत मिठनाबोझी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	05-07-2018	106326.00
2-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	05-07-2018	176383.00
3-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	25-09-2018	97525.00
4-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	28-09-2018	56025.00
5-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	06-03-2019	134931.00
6-	ब्रिक, मिट्टी, मस्टररोल	12-03-2019	124992.00
योग:-			696182.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 696182.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-242 ग्राम पंचायत मिठनाबोझी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	30-06-2018	66500.00
2-	टी खरी	18-10-2018	18800.00
3-	प्रिया साफ्ट फीडिंग	06-11-2018	3000.00

	योग:-		88300.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बैंक चार्ज	26-06-2019	150.00
2-	ग्राम पंचायत में अभिलेख फीडिंग व पंचायत कार्य	16-07-2019	5000.00
3-	बैंक चार्ज	24-07-2019	70.00
4-	ग्राम पंचायत की डी०एस०सी० बनवाने पर व्यय	03-08-2019	1708.00
5-	प्रधान मानदेय	31-12-2019	38500.00
	योग:-		45428.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 88300.00, 45428.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - प्रतापपुर विकास खण्ड - फूलबेहड़ वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-243 ग्राम पंचायत प्रतापपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य में श्रम एवं सामग्री कार्य	12-07-2018	14875.00
2-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य में श्रम एवं सामग्री कार्य	01-08-2018	49529.00
3-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य में श्रम एवं सामग्री कार्य	04-08-2018	61145.00
4-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	28-10-2018	15150.00
5-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	05-11-2018	16200.00
6-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान	15-03-2019	10000.00
7-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान	22-03-2019	9975.00
	योग:-		176874.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	08-07-2019	12100.00
	योग:-		12100.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 176874.00, 12100.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकिशन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-244 ग्राम पंचायत प्रतापपुर में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट लगवाई	12-07-2018	99000.00
2-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट लगवाई कार्य	06-02-2019	99000.00
	योग:-		198000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 198000.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकिशन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-245 ग्राम पंचायत प्रतापपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोबरन के घर से जसवन्त मास्टर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर श्रम एवं सामग्री	12-08-2018	14875.00
2-	सोबरन के घर से जसवन्त मास्टर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर श्रम एवं सामग्री	16-08-2018	8299.00
3-	सोबरन के घर से जसवन्त मास्टर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर श्रम एवं सामग्री	18-08-2018	20195.00
4-	सोबरन के घर से जसवन्त मास्टर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर श्रम एवं सामग्री	01-09-2018	48298.00
5-	पुजनी तालाब से राजेन्द्र के मकान तक खडन्जा निर्माण	08-01-2019	9380.00
6-	पुजनी तालाब से राजेन्द्र के मकान तक खडन्जा निर्माण	12-01-2019	175684.00
7-	पेन्टेड रोड से दर्शन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	30-10-2018	74284.00
8-	पेन्टेड रोड से दर्शन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य		20125.00
9-	जोगेन्द्र के घर से गंगाराम के घर तक खडन्जा निर्माण	25-02-2019	12250.00
10-	जोगेन्द्र के घर से गंगाराम के घर तक खडन्जा निर्माण	01-03-2019	104875.00
11-	जोगेन्द्र के घर से गंगाराम के घर तक खडन्जा निर्माण	03-03-2019	8095.00
12-	जोगेन्द्र के घर से गंगाराम के घर तक खडन्जा निर्माण	07-03-2019	17675.00
13-	सुरेश के घर से कनौजी के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	20-03-2019	22947.00
	योग:-		536982.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 536982.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकिशन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-246 ग्राम पंचायत प्रतापपुर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	18-09-2018	14000.00
2-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान	11-10-2018	94518.00
3-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान	12-10-2018	26100.00
4-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	14-10-2018	29410.00
5-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	15-10-2018	15901.00

6-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	08-10-2018	5725.00
7-	प्राथमिक विद्यालय चन्दनगर में मिट्टी पटाई कार्य	20-01-2019	17500.00
8-	प्राथमिक विद्यालय चन्दनगर में मिट्टी पटाई कार्य	21-01-2019	19500.00
9-	प्राथमिक विद्यालय चन्दनगर में मिट्टी पटाई कार्य	22-01-2019	6650.00
10-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	29-01-2019	9151.00
11-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	28-02-2019	3138.00
12-	प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य	11-03-2019	5376.00
	योग:-		246969.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 246969.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकिशन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-247 ग्राम पंचायत प्रतापपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मैकुलाल के घर से रामसेवक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य में सामग्री और श्रम का भुगतान	01-10-2018	24150.00
2-	मैकुलाल के घर से रामसेवक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य में सामग्री और श्रम का भुगतान	15-10-2018	149787.00
3-	प्रदीप के मकान से मैकुलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	15-10-2018	17500.00
4-	प्रदीप के मकान से मैकुलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	22-10-2018	17500.00
5-	मैकुलाल के घर से रामसेवक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	25-10-2018	51920.00
6-	मेवा के घर से छत्रपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	05-11-2018	17500.00
7-	मेवा के घर से छत्रपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	01-12-2018	8000.00
8-	मेवा के घर से छत्रपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	04-12-2018	60938.00
9-	मेवा के घर से छत्रपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	05-12-2018	1871.00
10-	मेवा के घर से छत्रपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	06-12-2018	127925.00
11-	राजकुमार के घर से मो के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	17-12-2018	194463.00
12-	राजकुमार के घर से मो के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	28-12-2018	29575.00
13-	पवन के घर से रोमी की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	01-03-2019	8750.00
14-	पवन के घर से रोमी की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	09-03-2019	120682.00
15-	पेन्टेड रोड से सुशील के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	15-03-2019	77150.00
16-	पेन्टेड रोड से सुशील के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	20-03-2019	177688.00
	योग:-		1085399.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग रोड से ब्रहमादीन के घर तक इण्टरलॉकिंग में ब्रिक कार्य	13-01-2020	32130.00
	योग:-		32130.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1085399.00, 32130.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकिशन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-248 ग्राम पंचायत प्रतापपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रिया साफ्ट फीडिंग	10-09-2018	3000.00
2-	प्रधान मानदेय	12-10-2018	42000.00
3-	आंगनबाड़ी शौचालय मरम्मत	05-11-2018	8500.00
4-	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना	18-11-2018	89516.00
5-	प्रशासनिक व्यय	28-03-2019	1708.00
योग:-			144724.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत के अभिलेख फीडिंग, कार्य योजना, कम्प्यूटर कार्य आदि	23-07-2019	5000.00
2-	ग्राम बम्भरा में मिट्टी पटाई का भुगतान	26-07-2019	35057.00
3-	स्ट्रीट लाईट खरीद पर भुगतान	29-07-2019	99000.00
4-	सफाई उपकरण खरीद	02-08-2019	2000.00
5-	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप	25-12-2019	89600.00
6-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य	25-12-2019	67032.00
7-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय	25-12-2019	26291.00
8-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय	25-12-2019	15940.00
9-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय	25-12-2019	41329.00
10-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय	25-12-2019	6858.00
11-	उक्त कार्य पर मिस्त्री और लेबर	02-01-2020	34356.00
12-	उक्त कार्य पर मिस्त्री और लेबर	13-01-2020	21392.00
13-	उक्त कार्य पर ब्रिक क्रय	13-01-2020	97687.00
14-	उक्त कार्य पर बालू आपूर्ति	13-01-2020	8159.00
15-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	24-01-2020	21790.00
योग:-			571491.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 144724.00, 571491.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकिशन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधीर कुमार से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सर्वा विकास खण्ड - फूलबेहड़ वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-249 ग्राम पंचायत सर्वा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	03-01-2020	3516.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत लेबर व्यय	03-01-2020	4500.00

3-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्यों पर सामग्री	26-02-2020	53435.00
4-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्यों पर सामग्री	26-02-2020	9480.00
5-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्यों पर सामग्री	26-02-2020	26370.00
6-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्यों पर सामग्री	26-02-2020	48562.00
	योग:-		145863.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 145863.00 में से ग्राम प्रधान से और ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-250 ग्राम पंचायत सर्वा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जबीउल्ला के घर के पास से मोड़ तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	01-07-2019	247447.00
2-	सी०सी० रोड से मोड़ तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	09-07-2019	247447.00
3-	विक्रम के घर से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	15-07-2019	247447.00
4-	गुड्डू के घर से विक्रम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	15-07-2019	247447.00
	योग:-		989788.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 989788.00 में से ग्राम प्रधान से और ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-251 ग्राम पंचायत सर्वा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय सुथरी में दीवार निर्माण कार्य	14-07-2019	237746.00
2-	वॉल पेन्टिंग कार्य	15-07-2019	22320.00
3-	प्राथमिक विद्यालय सुथरी में दीवार निर्माण कार्य	15-07-2019	276806.00
4-	प्राथमिक विद्यालय सुथरी में शौचालय निर्माण कार्य	20-07-2019	180000.00
5-	वॉल पेन्टिंग कार्य	25-02-2020	8400.00
6-	ग्राम प्रधान मानदेय	16-07-2019	21000.00
7-	सोसायटी में शौचालय निर्माण कार्य	16-07-2019	24000.00
8-	सोलर और स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	20-07-2019	264000.00
9-	सोलर और स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	22-07-2019	148000.00
10-	स्टेशनरी क्रय	21-12-2019	1250.00
	योग:-		1183522.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1183522.00 में से ग्राम प्रधान से और ग्राम पंचायत सचिव से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जंगल नं०-11 विकास खण्ड - फूलबेहड़

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-252

ग्राम पंचायत जंगल नं०-11 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कूड़ादान स्थापना	11-07-2019	63000.00
योग:-			63000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 63000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-253

ग्राम पंचायत जंगल नं०-11 में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर मिट्टी कार्य	28-06-2019	126000.00
2-	प्राथमिक विद्यालय चकलुआ से मेन रोड तक खडन्जा निर्माण	11-07-2019	143926.00
3-	बिहारी के घर से प्रताप के घर तक खडन्जा निर्माण	15-07-2019	220877.00
4-	शेखर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडन्जा मरम्मत हेतु ब्रिक क्रय	19-07-2020	61924.00
5-	शेखर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडन्जा लेबर	28-02-2020	47796.00
6-	मोहन सिंह के घर से सुभाष तक खडन्जा हेतु ईंट क्रय	28-02-2020	78624.00
7-	उक्त कार्य पर लेबर	28-02-2020	22260.00
8-	प्राथमिक विद्यालय बेहटा में मिट्टी पटाई कार्य	28-02-2020	87293.00
9-	उक्त कार्य पर लेबर	28-02-2020	41860.00
10-	मोहन सिंह के घर से सुभाष तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईंट क्रय	28-02-2020	6343.00
11-	चकलुआ से बबरू की तरफ तक खडन्जा निर्माण	24-03-2020	175922.00
12-	उक्त कार्य पर मिट्टी आपूर्ति	24-03-2020	13386.00
13-	उक्त कार्य पर लेबर	24-03-2020	49070.00
14-	बेचू के घर से शिवजी के घर तक खडन्जा मरम्मत ब्रिक परचेज	26-03-2020	113232.00
15-	उक्त कार्य पर मिट्टी	26-03-2020	23033.00
16-	उक्त कार्य पर लेबर	26-03-2020	15260.00
17-	सी०सी० रोड के दोनों तरफ मिट्टी खडन्जा निर्माण ब्रिक परचेज	26-03-2020	141523.00
18-	उक्त कार्य पर लेबर	26-03-2020	14896.00
योग:-			1383225.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर

कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1383225.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-254 ग्राम पंचायत जंगल नं0-11 में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रा0वि0 बेहटा सोतिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	28-02-2020	96897.00
2-	प्रा0वि0 बेहटा सोतिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु मिट्टी आपूर्ति	28-02-2020	4160.00
3-	प्रा0वि0 बेहटा सोतिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु सामग्री क्रय	28-02-2020	4439.00
4-	प्रा0वि0 बेहटा सोतिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु सामग्री क्रय	29-02-2020	68480.00
5-	प्रा0वि0 बेहटा सोतिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु लेबर व मिस्त्री	29-02-2020	62106.00
	योग:-		236082.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 236082.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-255 ग्राम पंचायत जंगल नं0-11 में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रा0वि0 बेहटा सोतिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	05-07-2019	257118.00
2-	प्रा0वि0 बेहटा के परिसर में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	14-07-2019	175402.00
	योग:-		432520.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 432520.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-256 ग्राम पंचायत जंगल नं०-11 में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	26-03-2020	42000.00
2-	फोटो कापी, स्टेशनरी, फीडिंग आदि	26-03-2020	5650.00
योग:-			47650.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 47650.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बरौला **विकास खण्ड - फूलबेहड़** **वर्ष - 2019-20**

प्रस्तर-257 ग्राम पंचायत बरौला में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	26-07-2019	19950.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	16-12-2019	13924.00
योग:-			33874.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 33874.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-258 ग्राम पंचायत बरौला में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट क्रय	16-07-2019	99000.00
योग:-			99000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 99000.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-259

ग्राम पंचायत बरौला में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोकपिट निर्माण कार्य में लेबर व मैटेरियल	15-07-2019	226624.00
योग:-			226624.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 226624.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-260

ग्राम पंचायत बरौला में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्पन पाइप क्रय	13-01-2020	94822.00
योग:-			94822.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों को भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि - कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 94822.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-261

ग्राम पंचायत बरौला में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में दरवाजा क्रय	25-06-2019	32250.00
2-	आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में दरवाजा क्रय	25-06-2019	9600.00
3-	आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में दरवाजा क्रय	25-06-2019	13300.00
4-	आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में दरवाजा क्रय	30-06-2019	84150.00
5-	आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में दरवाजा क्रय	01-07-2019	19900.00
योग:-			159200.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित

वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 159200.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-262 ग्राम पंचायत बरौला में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रामप्रसाद के घर से लालता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में ईट क्रय	30-12-2019	95404.00
2-	रामप्रसाद के घर से लालता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	30-12-2019	19696.00
3-	रामप्रसाद के घर से लालता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में ईट क्रय	30-12-2019	29747.00
4-	कल्लू के घर से अनीता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	03-01-2020	19300.00
5-	कल्लू के घर से अनीता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में ईट व रोड़ा क्रय	03-01-2020	29193.00
6-	कल्लू के घर से अनीता के घर तक इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	03-01-2020	81903.00
7-	कल्लू के घर से अनीता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में बालू क्रय	03-01-2020	6880.00
8-	कल्लू के घर से अनीता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर लेबर	03-01-2020	12800.00
9-	कल्लू के घर से अनीता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर लेबर	03-01-2020	12194.00
10-	रामप्रसाद के घर से लालता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य में बालू क्रय	12-01-2020	7847.00
11-	रामप्रसाद के घर से लालता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर लेबर	12-01-2020	27214.00
12-	प्राथमिक विद्यालय मजरा बरौला में इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	14-02-2020	13318.00
13-	प्राथमिक विद्यालय मजरा बरौला में इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	14-02-2020	18024.00
14-	प्राथमिक विद्यालय मजरा बरौला में इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	14-02-2020	10745.00
15-	प्राथमिक विद्यालय मजरा बरौला में इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	14-02-2020	22304.00
16-	प्राथमिक विद्यालय मजरा बरौला में इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	14-02-2020	143558.00
17-	प्राथमिक विद्यालय मजरा बरौला में इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य में सामग्री क्रय	15-02-2020	3200.00
योग:-			553327.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 553327.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-263 ग्राम पंचायत बरौला में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	फ्रीडिंग व फोटोकॉपी	26-07-2019	5000.00
2-	गौशाला निर्माण में लेबर व सामग्री	26-07-2019	219196.00
3-	प्रधान मानदेय	28-12-2019	14000.00
4-	प्रधान मानदेय	12-02-2020	17500.00
योग:-			255696.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 255696.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामदीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चेताराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नरहर

विकास खण्ड - फूलबेहड़

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-264 ग्राम पंचायत नरहर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री क्रय	23-01-2020	57792.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री क्रय	23-01-2020	26349.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री क्रय	23-01-2020	9480.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु लेबर व मिस्त्री	23-01-2020	48276.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री क्रय	11-02-2020	7088.00
6-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर लेबर	11-02-2020	4500.00
7-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हेतु सामग्री क्रय	20-02-2020	19264.00
8-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हेतु सामग्री क्रय	20-02-2020	8757.00
9-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हेतु लेबर व मिस्त्री	20-02-2020	19252.00
योग:-			200758.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 200758.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-265 ग्राम पंचायत नरहर में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट क्रय	28-06-2019	175900.00
योग:-			175900.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 175900.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-266 ग्राम पंचायत नरहर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन क्रय	14-07-2019	144000.00
	योग:-		144000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 144000.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-267 ग्राम पंचायत नरहर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिट्टी पटाई	29-06-2019	252000.00
2-	मिट्टी पटाई	01-07-2019	162000.00
3-	सीमेंट, मोरंग, बालू ब्रिक, लोहा, गेट आदि क्रय	09-07-2019	238346.00
4-	सोकपिट निर्माण हेतु सामग्री क्रय	14-02-2020	108413.00
5-	सोकपिट निर्माण हेतु ईंट क्रय	14-02-2020	79929.00
6-	सोकपिट निर्माण हेतु सामग्री क्रय	14-02-2020	7956.00
7-	सोकपिट निर्माण हेतु बालू आपूर्ति	14-02-2020	816.00
8-	सोकपिट निर्माण हेतु लेबर व मिस्त्री	14-02-2020	43358.00
9-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	20-02-2020	20168.00
10-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	20-02-2020	21989.00
11-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	20-02-2020	12600.00
12-	उक्त कार्य पर मिस्त्री भुगतान	08-03-2020	33093.00
13-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	08-03-2020	19431.00
14-	उक्त कार्य पर ईंट भुगतान	08-03-2020	28587.00
	योग:-		1028686.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना,

कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1028686.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-268 ग्राम पंचायत नरहर में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	24-01-2020	70157.00
2-	ह्यूम पाइप डलवाई पर लेबर	24-01-2020	1274.00
योग:-			71431.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों को भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 71431.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-269 ग्राम पंचायत नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	11-02-2020	46339.00
2-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	11-02-2020	46338.00
3-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	11-02-2020	28225.00
4-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	11-02-2020	19028.00
5-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	11-02-2020	7605.00
6-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	11-02-2020	26096.00
7-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग ईट	11-02-2020	95818.00
8-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय	11-02-2020	28411.00
9-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण बालू व मिट्टी	11-02-2020	7818.00
10-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	11-02-2020	19193.00
11-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर	11-02-2020	25354.00
12-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय	20-02-2020	89795.00
13-	नरहर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट व रोड़ा	20-02-2020	30003.00
14-	इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय	08-03-2020	84629.00
योग:-			554652.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 554652.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-270 ग्राम पंचायत नरहर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाव क्रय	14-07-2019	81000.00
2-	स्टेशनरी क्रय	16-12-2019	850.00
3-	प्रधान मानदेय	28-12-2019	10500.00
4-	प्रधान मानदेय	27-02-2020	28000.00
5-	फोटो कापी, स्टेशनरी, फीडिंग आदि	28-03-2020	5250.00
योग:-			125600.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 125600.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सल्लिहा विकास खण्ड - फूलबेहड़ वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-271 ग्राम पंचायत सल्लिहा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री क्रय	10-01-2020	38524.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री क्रय	10-01-2020	17156.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री दुलाई भाड़ा	10-01-2020	6320.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर लेबर व मिस्त्री	10-01-2020	32808.00
योग:-			94808.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 94808.00 में से ग्राम प्रधान श्री अफजल खॉं से और ग्राम पंचायत सचिव सुश्री प्रतीक्षा मोर्य से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-272 ग्राम पंचायत सल्लिहा में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु कौशाम्बी इलक्ट्रिक वर्क्स एण्ड ट्रेडर्स को	06-07-2019	99000.00
2-	स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु शिवाय ट्रेडर्स को	12-07-2019	99000.00
योग:-			198000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 198000.00 में से ग्राम प्रधान श्री अफजल खॉं से और ग्राम पंचायत सचिव सुश्री प्रतीक्षा मोर्य से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-273 ग्राम पंचायत सल्लिहा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	न्यू अमर ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य	18-03-2020	64360.00
2-	न्यू अमर ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य	18-03-2020	15508.00
3-	गुप्ता ट्रेडर्स से सीमेंट क्रय वास्ते उक्त कार्य	18-03-2020	30285.00
4-	गुप्ता ट्रेडर्स से मौरंग क्रय वास्ते उक्त कार्य	18-03-2020	47565.00
5-	सरिया क्रय वास्ते उक्त कार्य	18-03-2020	22882.00
6-	पाइप क्रय वास्ते उक्त कार्य	18-03-2020	7682.00
7-	बालू क्रय वास्ते उक्त कार्य	18-03-2020	700.00
8-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते उक्त कार्य	18-03-2020	42094.00
	योग:-		231076.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 231076.00 में से ग्राम प्रधान श्री अफजल खॉं से और ग्राम पंचायत सचिव सुश्री प्रतीक्षा मोर्य से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-274 ग्राम पंचायत सल्लिहा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते नसीम के घर से जमाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	10-01-2020	58968.00
2-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते नसीम के घर से जमाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	10-01-2020	58968.00
3-	मिट्टी क्रय वास्ते नसीम के घर से जमाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	10-01-2020	5500.00
4-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते नसीम के घर से जमाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	10-01-2020	29302.00
5-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते महमूद के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	23-01-2020	35380.00
6-	मिट्टी क्रय वास्ते महमूद के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	23-01-2020	1800.00
7-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते महमूद के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	23-01-2020	8736.00
8-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते सुबराती के घर से कदिले के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	16-02-2020	44923.00
9-	मिट्टी आपूर्ति वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	6600.00

10-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	29302.00
योग:-			279479.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 279479.00 में से ग्राम प्रधान श्री अफजल खाँ से और ग्राम पंचायत सचिव सुश्री प्रतीक्षा मोर्य से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-275 ग्राम पंचायत सल्लिहा में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते उच्च प्राथमिक विद्यालय में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	06-02-2020	28278.00
2-	गुप्ता ट्रेडर्स से सीमेन्ट क्रय वास्ते उक्त कार्य	06-02-2020	12979.00
3-	गुप्ता ट्रेडर्स से मोरंग क्रय वास्ते उक्त कार्य	06-02-2020	5712.00
4-	इण्टर लॉकिंग ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	06-02-2020	77000.00
5-	बालू आपूर्ति पर वास्ते उक्त कार्य	06-02-2020	7350.00
6-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते उक्त कार्य	06-02-2020	25868.00
7-	न्यू अमन ब्रिक फील्ड से ईट क्रय वास्ते प्राथमिक विद्यालय में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	16-02-2020	24964.00
8-	गुप्ता ट्रेडर्स से सीमेन्ट क्रय वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	11648.00
9-	गुप्ता ट्रेडर्स से मोरंग क्रय वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	5040.00
10-	अम्बे इण्टर लॉक को इण्टर लॉकिंग ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	68750.00
11-	बालू आपूर्ति पर वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	4200.00
12-	बालू आपूर्ति पर वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	2400.00
13-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते उक्त कार्य	16-02-2020	22848.00
योग:-			297037.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 297037.00 में से ग्राम प्रधान श्री अफजल खाँ से और ग्राम पंचायत सचिव सुश्री प्रतीक्षा मोर्य से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-276 ग्राम पंचायत सल्लिहा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्टेशनरी, फोटोकापी आदि प्रशासनिक व्यय	24-11-2019	1550.00
2-	ग्राम प्रधान मानदेय	29-12-2019	28000.00

3-	वॉल पेन्टिंग कार्य पर भुगतान	28-01-2020	8400.00
4-	फोटोकापी आदि प्रशासनिक व्यय	22-02-2020	1500.00
5-	अभिलेख ऑन लाइन फीडिंग पर व्यय	22-02-2020	3950.00
	योग:-		43400.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 43400.00 में से ग्राम प्रधान श्री अफजल खॉं से और ग्राम पंचायत सचिव सुश्री प्रतीक्षा मोर्य से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - श्रीनगर

विकास खण्ड - फूलबेहड़ वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-277 ग्राम पंचायत श्रीनगर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	10-05-2018	2750.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	12-06-2018	37420.00
3-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-06-2018	11520.00
4-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	25-06-2018	138439.00
5-	विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	05-07-2018	121107.00
6-	विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	06-07-2018	26775.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	21-07-2018	4350.00
8-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	25-03-2019	30480.00
	योग:-		372841.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	12-05-2019	27042.00
	योग:-		27042.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 372841.00, 27042.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-278 ग्राम पंचायत श्रीनगर में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु	22-10-2018	94000.00
	योग:-		94000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना,

कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 94000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-279 ग्राम पंचायत श्रीनगर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय जगपुर में शौचालय मरम्मत कार्य	24-01-2019	98315.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य	25-01-2019	95230.00
3-	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य	27-01-2019	85267.00
योग:-			278812.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 278812.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-280 ग्राम पंचायत श्रीनगर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हीरालाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	30-08-2018	87364.00
2-	हीरालाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	31-08-2018	9450.00
3-	साबिर हलवाई के घर से सत्तार के घर तक नाली निर्माण कार्य	13-09-2018	16800.00
4-	साबिर हलवाई के घर से सत्तार के घर तक नाली निर्माण कार्य	14-09-2018	121636.00
5-	रामचन्द्र के घर से कृपाशंकर के घर तक नाली निर्माण कार्य	24-09-2018	14175.00
6-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक नाली निर्माण कार्य	10-03-2019	102582.00
योग:-			352007.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सी०सी० रोड से मस्जिद तक दोनों तरफ नाली निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	20-01-2020	23450.00
2-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	20-01-2020	22729.00
3-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	20-01-2020	1280.00
4-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	20-01-2020	22084.00
5-	साबिर के घर से रहिमान के घर तक नाली निर्माण कार्य	22-02-2020	172050.00
6-	गया भुर्जी के मकान से साजिद के मकान तक नाली निर्माण पर ईट क्रय	27-03-2020	26255.00
7-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	27-03-2020	22569.00
8-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	27-03-2020	900.00
9-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	27-03-2020	11970.00
योग:-			303287.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलि में जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 352007.00, 303287.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-281 ग्राम पंचायत श्रीनगर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इश्तियाक के घर से समीर के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	27-06-2018	106609.00
2-	कलीम के घर से रोज अली के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	29-06-2018	64156.00
3-	रफीक के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	21-08-2018	69475.00
4-	रफीक के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	28-08-2018	73886.00
5-	रामचन्द्र के घर से रज्जन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	11-10-2018	53506.00
6-	रामचन्द्र के घर से रज्जन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	12-10-2018	75853.00
7-	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य	20-10-2018	175246.00
8-	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य	21-10-2018	23140.00
9-	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य	22-10-2018	24500.00
10-	बाबू गौतम के घर से फत्तीपुर मार्ग तक खडन्जा मरम्मत कार्य	06-11-2018	108946.00
11-	बाबू गौतम के घर से फत्तीपुर मार्ग तक खडन्जा मरम्मत कार्य	07-11-2018	28525.00
12-	नाजिम के घर से साबिर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	15-11-2018	112851.00
13-	नाजिम के घर से साबिर के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	16-11-2018	16955.00
14-	फरियाद के घर से मुस्तकीम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	22-11-2018	88573.00
15-	फरियाद के घर से मुस्तकीम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	23-11-2018	19900.00
16-	गया भुर्जी के घर से साजिद के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	23-11-2018	68907.00
17-	तारकोल रोड से शमशान घाट तक खडन्जा निर्माण कार्य	24-11-2018	103489.00
18-	तारकोल रोड से शमशान घाट तक खडन्जा निर्माण कार्य	22-01-2019	139299.00
19-	भूरे के घर से इब्राहिम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	16-02-2019	115805.00
20-	लायक अली के घर से आबान के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	16-02-2019	95925.00
21-	अली के घर से सादिक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	20-02-2019	44506.00
22-	अली के घर से सादिक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	21-02-2019	7280.00
23-	अली के घर से सादिक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	22-02-2019	7525.00
24-	अली के घर से सादिक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	26-02-2019	19800.00
25-	इण्टर लॉकिंग से रामरतन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	09-03-2019	102013.00
26-	बालूगंज से राजेन्द्र के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	10-03-2019	62475.00
27-	बालूगंज से राजेन्द्र के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	12-03-2019	18720.00
28-	बालूगंज से राजेन्द्र के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	14-03-2019	18200.00
29-	बालूगंज से राजेन्द्र के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	20-03-2019	108475.00
योग:-			1954540.00
वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पृथ्वीराज के घर से हरद्वारी के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	16-07-2019	16720.00
2-	पृथ्वीराज के घर से हरद्वारी के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	16-07-2019	107980.00
3-	यंगपुर में ईदगाह से मुन्ना के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	20-07-2019	128662.00
4-	मुन्ना के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडन्जा निर्माण कार्य	20-07-2019	220828.00
5-	छोटेला भागव के घर से बलवन्त के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	30-07-2019	178750.00
6-	सोकपिट निर्माण कार्य	26-11-2019	59850.00
7-	सोकपिट निर्माण कार्य	26-11-2019	92273.00
8-	सोकपिट निर्माण कार्य पर बालू ढलाई	06-12-2019	750.00
9-	सोकपिट निर्माण कार्य पर मिस्त्री व लेबर	06-12-2019	34300.00
10-	साबिर के घर से एहसान के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	19-02-2020	55305.00
11-	उक्त कार्य पर मिट्टी	19-02-2020	2600.00
12-	उक्त कार्य पर लेबर	19-02-2020	13468.00

13-	मिस्त्री के घर से बनवारी के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	20-02-2020	46368.00
14-	उक्त कार्य पर मिट्टी	20-02-2020	5200.00
15-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	20-02-2020	24934.00
16-	हीरालाल के घर से नखू गौतम के घर तक खडन्जा निर्माण पर ईट क्रय	14-03-2020	137592.00
17-	उक्त कार्य पर मिट्टी	14-03-2020	7150.00
18-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	14-03-2020	34944.00
19-	हाशिम के घर से गुड्डू के घर तक खडन्जा निर्माण पर ईट क्रय	27-03-2020	67032.00
20-	उक्त कार्य पर मिट्टी	27-03-2020	3250.00
21-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	27-03-2020	17108.00
योग:-			1255064.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1954540.00, 1255064.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-282 ग्राम पंचायत श्रीनगर में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	27-03-2019	98322.00
योग:-			98322.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	27-03-2020	96110.00
2-	उक्त कार्य पर लेबर	27-03-2020	3640.00
3-	उक्त कार्य पर पाइप क्रय	27-03-2020	96110.00
4-	उक्त कार्य पर लेबर	27-03-2020	3640.00
योग:-			199500.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 98322.00, 199500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-283 ग्राम पंचायत श्रीनगर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत कार्य	16-10-2018	14000.00
	योग:-		14000.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट व रोड़ा	26-03-2020	39865.00
2-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	26-03-2020	27565.00
	योग:-		67430.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 14000.00, 67430.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-284 ग्राम पंचायत श्रीनगर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	21-07-2018	18375.00
2-	परिक्रमा पासी के घर से श्रीराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	22-07-2018	36575.00
3-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	23-07-2018	193099.00
4-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	24-07-2018	80052.00
5-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	25-07-2018	24000.00
6-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	26-07-2018	77880.00
7-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	27-07-2018	77231.00
8-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	28-07-2018	13300.00
9-	उ०प्र०वि० के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य	29-07-2018	13300.00
10-	परिक्रमा पासी के घर से श्रीराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	30-07-2018	439581.00
11-	परिक्रमा पासी के घर से श्रीराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	01-08-2018	14000.00
12-	कौशल के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग	06-08-2018	17500.00
13-	कौशल के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग	15-08-2018	16100.00
14-	कौशल के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग	16-08-2018	30668.00
15-	कौशल के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग	17-08-2018	114735.00
16-	कौशल के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग	18-08-2018	62881.00
17-	सीताराम के मकान से मान सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग	07-08-2018	17500.00
18-	सीताराम के मकान से मान सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग	19-08-2018	225730.00
19-	रामगोपाल के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	09-09-2018	81814.00
20-	रामगोपाल के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	10-09-2018	143975.00
21-	भरत चौहान के घर से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-09-2018	18900.00
22-	भरत चौहान के घर से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-09-2018	18900.00
23-	भरत चौहान के घर से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग	24-09-2018	17325.00

24-	भरत चौहान के घर से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग	29-09-2018	393201.00
25-	इशरत के घर से सत्तार के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-09-2018	18900.00
26-	इशरत के घर से सत्तार के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-09-2018	18900.00
27-	इशरत के घर से सत्तार के घर तक इण्टर लॉकिंग	24-09-2018	18900.00
28-	इशरत के घर से सत्तार के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-09-2018	77880.00
29-	इशरत के घर से सत्तार के घर तक इण्टर लॉकिंग	27-09-2018	77880.00
30-	इशरत के घर से सत्तार के घर तक इण्टर लॉकिंग	28-09-2018	280523.00
31-	रामगोपाल के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	25-09-2018	18900.00
32-	भरत चौहान के घर से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग	01-10-2018	31500.00
33-	ऋषिकेश के घर से रामनिवास के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-10-2018	211484.00
34-	ऋषिकेश के घर से रामनिवास के घर तक इण्टर लॉकिंग	07-10-2018	28675.00
35-	उत्तम के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	12-10-2018	16800.00
36-	उत्तम के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-10-2018	79205.00
37-	उत्तम के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-10-2018	147028.00
38-	अवधेश यादव के घर से भूपराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-11-2018	19950.00
39-	अवधेश यादव के घर से भूपराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	16-11-2018	155760.00
40-	अवधेश यादव के घर से भूपराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-11-2018	12600.00
41-	अवधेश यादव के घर से भूपराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	22-11-2018	169615.00
42-	प्रांवि० से राकेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	28-01-2019	19775.00
43-	प्रांवि० से राकेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	30-01-2019	394704.00
44-	इशितयाक के घर से मस्जिद इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	01-03-2019	243652.00
45-	शराफत के घर से गुलाम अली तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	06-03-2019	242972.00
46-	अलाउद्दीन के घर से मस्जिद इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	23-03-2019	240223.00
योग:-			4672448.00

वर्ष 2019-20

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	दाताराम की दुकान से तारकोल रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	22-07-2019	88000.00
2-	दाताराम की दुकान से तारकोल रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	22-07-2019	131139.00
3-	अच्छन भाई के घर से मनोहर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	26-07-2019	183724.00
4-	सुन्दर के घर से मकसूद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	27-07-2019	183724.00
5-	आकाश के घर से चन्दर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	27-07-2019	143154.00
6-	आकाश के घर से चन्दर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	29-07-2019	77596.00
7-	इण्टर लॉकिंग रोड से वीरू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर ईट व रोड़ा क्रय	09-12-2019	21352.00
8-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	09-12-2019	15082.00
9-	उक्त कार्य पर बालू ढुलाई	09-12-2019	6100.00
10-	उक्त कार्य पर इण्टरलॉकिंग ईट क्रय	09-12-2019	63250.00
11-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	09-12-2019	20920.00
12-	ग्राम पंचायत में सी०सी० रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट क्रय	19-12-2019	21855.00
13-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट व मोरंग	19-12-2019	15283.00
14-	उक्त कार्य पर बालू आपूर्ति	19-12-2019	6750.00
15-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	19-12-2019	70840.00
16-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	19-12-2019	22302.00
17-	गफूर के घर से मकबूल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर ईट व रोड़ा क्रय	10-01-2020	39208.00
18-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	10-01-2020	26032.00
19-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	10-01-2020	10450.00
20-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	10-01-2020	127464.00
21-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	10-01-2020	36018.00
22-	मुखिया के घर से इकलाख के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	20-01-2020	39208.00
23-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	20-01-2020	26032.00
24-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	20-01-2020	10450.00
25-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	20-01-2020	127412.00
26-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	20-01-2020	36018.00

27-	राजकुमार के घर से रामरतन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	19-02-2020	39942.00
28-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	19-02-2020	26701.00
29-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	19-02-2020	10600.00
30-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	19-02-2020	129800.00
31-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	19-02-2020	36564.00
32-	महावीर के घर से रामअवतार के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	22-02-2020	39942.00
33-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	22-02-2020	26701.00
34-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	22-02-2020	10620.00
35-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	22-02-2020	129748.00
36-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	22-02-2020	36564.00
37-	रामजीवन के घर से रामलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	05-03-2020	32675.00
38-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	13-03-2020	21861.00
39-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	13-03-2020	8700.00
40-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	13-03-2020	106592.00
41-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	13-03-2020	30052.00
42-	विनादे जायसवाल के घर से रामसेवक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	13-03-2020	35247.00
43-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	13-03-2020	23366.00
44-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	13-03-2020	8940.00
45-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	13-03-2020	107734.00
46-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	13-03-2020	27978.00
47-	सागर के घर से कामता के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	13-03-2020	44035.00
48-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	13-03-2020	29379.00
49-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	13-03-2020	10100.00
50-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	13-03-2020	121752.00
51-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	13-03-2020	37510.00
52-	अच्छन नाई के घर से नथू गौतम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	26-03-2020	37026.00
53-	सुन्दर के घर से मुकुन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	26-03-2020	37026.00
54-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	26-03-2020	339816.00
55-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	26-03-2020	21000.00
56-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	26-03-2020	32578.00
57-	मिश्री के घर से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर ईट व रोड़ा क्रय	26-03-2020	80540.00
58-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	26-03-2020	52568.00
59-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	26-03-2020	261807.00
60-	उक्त कार्य पर बालू क्रय	26-03-2020	21520.00
61-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	26-03-2020	73128.00
	योग:-		3639475.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 4672448.00, 3639475.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-285 ग्राम पंचायत श्रीनगर में भवन/आँगनबाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आँगनबाड़ी केन्द्र पर शौचालय निर्माण	10-03-2019	153068.00
	योग:-		153068.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 153068.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-286 ग्राम पंचायत श्रीनगर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	14-09-2018	24500.00
2-	नाव क्रय	24-09-2018	18000.00
3-	पौध क्रय	22-10-2018	18800.00
4-	प्रशासनिक व्यय	23-10-2018	18900.00
5-	प्रशासनिक व्यय	17-11-2018	10000.00
6-	सोलर लाइट मरम्मत कार्य	25-03-2019	99500.00
	योग:-		189700.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	14-05-2019	24500.00
2-	प्रिया साफ्ट फीडिंग व कम्प्यूटर कार्य	22-07-2019	8000.00
3-	प्रधान मानदेय	05-03-2020	38500.00
4-	स्टेशनरी क्रय	26-03-2020	12760.00
	योग:-		83760.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 189700.00, 83760.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आलिया से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुकरा विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-287 ग्राम पंचायत कुकरा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	19-02-2020	79803.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु	19-02-2020	10590.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु	19-02-2020	6900.00
	योग:-		97293.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 97293.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती साहिदा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-288 ग्राम पंचायत कुकरा में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रतनलाल जगदीश प्रसाद को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	62790.00
2-	रतनलाल जगदीश प्रसाद को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	22951.00
2-	चन्द्रा ट्रेडर्स को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	74628.00
3-	चन्द्रा ट्रेडर्स को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	25495.00
4-	चन्द्रा ट्रेडर्स को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	25495.00
5-	रतनलाल जगदीश प्रसाद को भुगतान वास्ते विजारत के घर से नकदीन के घर तक नाली निर्माण	06-07-2019	108358.00
6-	चन्द्रा ट्रेडर्स को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	87785.00
7-	रतनलाल जगदीश प्रसाद को भुगतान वास्ते जाबिर के प्लॉट से फारूक के घर तक नाली निर्माण	06-07-2019	59904.00
8-	चन्द्रा ट्रेडर्स को भुगतान वास्ते नाली पत्थर	06-07-2019	35589.00
9-	लेबर को भुगतान वास्ते उक्त कार्य हेतु	06-07-2019	31365.00
10-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	38968.00
11-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	36225.00
12-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	39709.00
13-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	4872.00
14-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	45350.00
15-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	31588.00
16-	वक्तुल्ला के घर से जियाउल्ला तक नाली निर्माण	10-01-2020	36225.00
17-	चन्द्रा ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	10-01-2020	45818.00
18-	समीउल्लाह को वास्ते उक्त कार्य	10-01-2020	4392.00
19-	लेबर भुगतान वास्ते उपरोक्त कार्य	11-01-2020	41540.00
20-	जायसवाल ट्रेडर्स को भुगतान	11-01-2020	26745.00
21-	जायसवाल ट्रेडर्स को भुगतान	18-01-2020	26745.00
22-	जायसवाल ट्रेडर्स को भुगतान	18-01-2020	26745.00
23-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	38550.00
24-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	48733.00
25-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	38853.00
26-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	8720.00
27-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	36225.00
28-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	35935.00
29-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	43247.00
30-	नाली निर्माण कार्य हेतु	28-01-2020	4672.00
31-	नाली निर्माण कार्य हेतु	02-02-2020	32550.00
32-	नाली निर्माण कार्य हेतु	02-02-2020	42733.00
33-	नाली निर्माण कार्य हेतु	02-02-2020	32245.00
34-	नाली निर्माण कार्य हेतु	02-02-2020	45100.00

35-	नाली निर्माण कार्य हेतु	02-02-2020	500.00
36-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	36225.00
37-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	36225.00
38-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	32646.00
39-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	46026.00
40-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	6257.00
41-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	6968.00
42-	नाली निर्माण कार्य हेतु	03-02-2020	44550.00
43-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	38528.00
44-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	36225.00
45-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	35511.00
46-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	4840.00
47-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	31230.00
48-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	31693.00
49-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	36225.00
50-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	23836.00
51-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	3888.00
52-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	36430.00
53-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	31244.00
54-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	9937.00
55-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	21951.00
56-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	3800.00
57-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	16235.00
58-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	49694.00
59-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	3380.00
60-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	13430.00
61-	नाली निर्माण कार्य हेतु	04-02-2020	47100.00
62-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	49591.00
63-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	37107.00
64-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	19530.00
65-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	45708.00
66-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	15277.00
67-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	8240.00
68-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	51300.00
69-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	16506.00
70-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	51554.00
71-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	39413.00
72-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	36225.00
73-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	4896.00
74-	नाली निर्माण कार्य हेतु	14-02-2020	48110.00
75-	नाली निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	47290.00
76-	नाली निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	32934.00
77-	नाली निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	44939.00
78-	नाली निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	11322.00
79-	नाली निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	6880.00
80-	नाली निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	46970.00
81-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	5440.00
82-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	45701.00
83-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	48107.00
84-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	36225.00
85-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	36430.00
86-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	73638.00
87-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	2357.00
88-	नाली निर्माण कार्य हेतु	29-02-2020	10260.00
89-	नाली निर्माण कार्य हेतु	13-03-2020	33600.00

145-	नाली निर्माण कार्य हेतु	31-03-2020	17551.00
146-	नाली निर्माण कार्य हेतु	31-03-2020	6112.00
147-	नाली निर्माण कार्य हेतु	31-03-2020	56840.00
148-	नाली निर्माण कार्य हेतु	31-03-2020	102920.00
	योग:-		4906292.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 4906292.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती साहिदा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-289 ग्राम पंचायत कुकरा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा कार्य	08-12-2019	20178.00
2-	लेबर भुगतान वास्ते उक्त कार्य	08-12-2019	6892.00
2-	खडन्जा कार्य	08-12-2019	29800.00
3-	लेबर भुगतान वास्ते उक्त कार्य	08-12-2019	9920.00
4-	समीउल्लाह को भुगतान	24-12-2019	10166.00
5-	लेबर भुगतान वास्ते उक्त कार्य	24-12-2019	46150.00
6-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	44352.00
7-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	44352.00
8-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	44352.00
9-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	44352.00
10-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा से ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	46234.00
11-	लेबर भुगतान वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	2730.00
12-	चन्द्रा ट्रेडर्स को भुगतान वास्ते सीमेन्ट क्रय हेतु	02-01-2019	36579.00
13-	जमुना ब्रिक प्रोडक्सन को ईट क्रय हेतु	02-01-2019	30863.00
14-	जमुना ब्रिक प्रोडक्सन को ईट क्रय हेतु	02-01-2019	28980.00
15-	मजदूरी कार्य	02-01-2019	3872.00
16-	मजदूरी कार्य	02-01-2019	28750.00
17-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	19136.00
18-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	1366.00
19-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	5450.00
20-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	32424.00
21-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	33600.00
22-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	33600.00
23-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	33600.00
24-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	33600.00
25-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	10607.00
26-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	38900.00
27-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	6500.00
28-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	45528.00
29-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	47040.00
30-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	6718.00
31-	खडन्जा कार्य	21-01-2020	24910.00
32-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	46543.00
33-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	40320.00

34-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	47040.00
35-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	40320.00
36-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	8216.00
37-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	45260.00
38-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	48008.00
39-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	45024.00
40-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	44352.00
41-	खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	22-02-2020	8335.00
योग:-			1224919.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1224919.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती साहिदा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-290 ग्राम पंचायत कुकरा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	असउद्दीन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	06-07-2019	16055.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	06-07-2019	93118.00
योग:-			109173.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 109173.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती साहिदा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-291 ग्राम पंचायत कुकरा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	06-07-2019	7480.00
2-	प्रधान मानदेय	06-07-2019	20980.00
3-	स्टेशनरी क्रय	06-07-2019	5000.00
4-	स्टेशनरी क्रय	06-07-2019	94.00
5-	प्रधान को भुगतान उक्त कार्य वास्ते	06-07-2019	48590.00

6-	सी०सी० रोड	06-07-2019	44352.00
7	सी०सी० रोड	06-07-2019	44352.00
8-	सी०सी० रोड	06-07-2019	46234.00
9-	सी०सी० रोड	06-07-2019	2730.00
10-	फोटो कापी हेतु	19-02-2020	13994.00
योग:-			233806.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकती। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 233806.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती साहिदा से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ग्रंट नं०-03

विकास खण्ड - बांकेगंज

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-292

ग्राम पंचायत ग्रंट नं०-03 में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वी०के० ईट भट्टा को भुगतान	25-06-2019	111081.00
2-	वी०के० ईट भट्टा को भुगतान	29-07-2019	79344.00
3-	एम०बी० इण्टर प्राइजेज को सामग्री हेतु भुगतान	03-12-2019	82659.00
4-	एम०बी० इण्टर प्राइजेज को सामग्री हेतु भुगतान	-	82659.00
5-	वी०के० ईट उद्योग से ईट कुटा वास्ते मेन रोड से बलवन्त सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	09-12-2019	75240.00
6-	उक्त कार्य की मजदूरी	09-12-2019	22650.00
7-	उक्त कार्य पर मिट्टी भुगतान इस्माइल को मजदूरी भुगतान वास्ते	17-12-2019	5200.00
8-	मुक्तियार सिंह के घर से हरजीत सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	27-12-2019	11160.00
9-	वी०के० ईट उद्योग से ईट क्रय वास्ते उक्त कार्य	27-12-2019	37688.00
10-	उक्त कार्य पर मिट्टी भुगतान इस्माइल को	27-12-2019	2593.00
11-	उक्त कार्य पर ईट क्रय	09-01-2020	37688.00
12-	उक्त कार्य पर मजदूरी	09-01-2020	11160.00
13-	उक्त कार्य पर मिट्टी	09-01-2020	2593.00
14-	इस्माइल को मिट्टी का भुगतान वास्ते मेन रोड से बलवन्त सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	21-01-2020	5200.00
15-	वी०के० ईट उद्योग को ईट क्रय हेतु वास्ते मरगढ़ी रोड से साहिब के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	05-02-2020	178176.00
16-	इस्माइल को उक्त कार्य पर मिट्टी हेतु	05-02-2020	4752.00
17-	उक्त कार्य को मजदूरी भुगतान	05-02-2020	14460.00
18-	उक्त कार्य को मजदूरी भुगतान	05-02-2020	13000.00
19-	उक्त कार्य को मजदूरी भुगतान	05-02-2020	22190.00
योग:-			799493.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 799493.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-293 ग्राम पंचायत ग्रंट नं०-03 में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	25-06-2019	5169.00
2-	डबल इण्टी	30-11-2019	1148216.00
3-	ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान	29-07-2019	30032.00
4-	ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान	29-07-2019	33585.00
5-	फोटोकापी व कम्प्यूटर क्रय	15-02-2020	10970.00
6-	ग्राम प्रधान का मानदेय	15-02-2020	77000.00
7-	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य	09-03-2020	47100.00
योग:-			1352072.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1352072.00 में से ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिकन्दरपुर **विकास खण्ड - बांकेगंज** **वर्ष - 2019-20**

प्रस्तर-294 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-12-2019	26773.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-12-2019	26793.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-12-2019	26573.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-12-2019	26893.00
5-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-12-2019	26273.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-12-2019	27181.00
योग:-			160486.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 160486.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-295 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण हेतु वी०के० ईट भट्टा	27-12-2019	50787.00
2-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण हेतु काजी ट्रेडर्स	27-12-2019	27016.00
3-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण हेतु बालू	27-12-2019	5080.00
4-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण हेतु लेबर	27-12-2019	26390.00
5-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण कार्य	09-01-2020	50787.00

6-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण कार्य	09-01-2020	27016.00
7-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण कार्य	09-01-2020	26390.00
8-	सरजू के घर से कालू के घर तक नाली निर्माण कार्य	09-01-2020	5080.00
	योग:-		218546.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावल्यां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 218546.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-296 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट भट्टा	27-12-2019	48895.00
2-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	27-12-2019	48901.00
3-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	27-12-2019	48901.00
4-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	27-12-2019	9520.00
5-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु	27-12-2019	29250.00
6-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक मिट्टी खडन्जा हेतु ईट कार्य	09-01-2020	48895.00
7-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक मिट्टी खडन्जा हेतु ईट कार्य	09-01-2020	48901.00
8-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक मिट्टी खडन्जा हेतु ईट कार्य	09-01-2020	48901.00
9-	अचूरे खडन्जा से शोरा के खेत तक मिट्टी खडन्जा हेतु लेबर	09-01-2020	38770.00
10-	सरजू के घर से मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा हेतु	25-02-2020	26880.00
11-	सरजू के घर से मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा हेतु	25-02-2020	6188.00
12-	सरजू के घर से मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा हेतु	25-02-2020	35112.00
13-	सरजू के घर से मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा हेतु	25-02-2020	33600.00
14-	संजरा के घर से मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	25-02-2020	9620.00
15-	संजरा के घर से मन्दिर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	25-02-2020	2326.00
16-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	25-02-2020	32450.00
17-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	25-02-2020	13250.00
18-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	27-02-2020	40320.00
19-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	27-02-2020	40320.00
20-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	27-02-2020	40320.00
21-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	27-02-2020	45024.00
22-	जोगेन्द्र सिंह के घर से लवली फार्म तक मिट्टी खडन्जा	27-02-2020	36453.00
23-	राजेन्द्र के घर से नीपू के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय	31-03-2020	16645.00
24-	राजेन्द्र के घर से नीपू के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय	31-03-2020	33600.00
25-	राजेन्द्र के घर से नीपू के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय	31-03-2020	7479.00
26-	लालनगर में नन्हे के घर से जलदीप के घर तक मिट्टी खडन्जा	12-12-2019	9155.00
27-	लालनगर में नन्हे के घर से जलदीप के घर तक मिट्टी खडन्जा	12-12-2019	32010.00
28-	लालनगर में नन्हे के घर से जलदीप के घर तक मिट्टी खडन्जा हेतु वी०के० ईट भट्टा से ईट क्रय	12-12-2019	109263.00
	योग:-		940949.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में

दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 940949.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-297 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आर०ए०एन० इण्टर प्राइजेज को ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था हेतु	18-01-2020	20039.00
2-	आर०ए०एन० इण्टर प्राइजेज को ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था हेतु	18-01-2020	45088.00
3-	आर०ए०एन० इण्टर प्राइजेज को ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था हेतु	18-01-2020	45088.00
4-	आर०ए०एन० इण्टर प्राइजेज को ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था हेतु	18-01-2020	45088.00
5-	आर०ए०एन० इण्टर प्राइजेज को ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था हेतु	18-01-2020	45088.00
6-	आर०ए०एन० इण्टर प्राइजेज को ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था हेतु	18-01-2020	45088.00
7-	वृक्षारोपण कार्य - हिना ग्रीन नर्सरी	05-02-2020	47100.00
8-	शाहनगर प्राथमिक स्कूल को बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु लेबर	05-02-2020	12430.00
9-	शाहनगर प्राथमिक स्कूल को बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु सामग्री	05-02-2020	10049.00
10-	शाहनगर प्राथमिक स्कूल को बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु बालू	05-02-2020	1536.00
11-	शाहनगर प्राथमिक स्कूल को बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	19-02-2020	19862.00
योग:-			336456.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 336456.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-298 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शाहनगर में प्राथमिक स्कूल से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईंट क्रय	04-02-2020	69443.00
2-	शाहनगर में प्राथमिक स्कूल से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईंट क्रय	04-02-2020	19918.00
3-	शाहनगर में प्राथमिक स्कूल से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईंट क्रय	04-02-2020	5007.00
4-	शाहनगर में प्राथमिक स्कूल से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईंट क्रय	04-02-2020	22050.00
5-	शाहनगर गेट से प्राथमिक स्कूल तक इण्टर लॉकिंग हेतु ईंट क्रय	05-02-2020	43872.00
6-	शाहनगर गेट से प्राथमिक स्कूल तक इण्टर लॉकिंग हेतु	05-02-2020	7564.00
7-	शाहनगर गेट से प्राथमिक स्कूल तक इण्टर लॉकिंग हेतु	05-02-2020	10650.00
8-	शाहनगर गेट से प्राथमिक स्कूल तक इण्टर लॉकिंग हेतु	05-02-2020	2836.00

9-	शाहनगर गेट से प्राथमिक स्कूल तक इण्टर लॉकिंग हेतु	06-02-2020	11180.00
10-	शाहनगर गेट से प्राथमिक स्कूल तक इण्टर लॉकिंग हेतु	06-02-2020	31140.00
योग:-			223660.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 223660.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-299 ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वी०के० ईट भट्टा को भुगतान	30-04-2019	105350.00
2-	शुक्ला बुक डिपो को भुगतान	25-06-2019	10900.00
3-	मिस्त्री को भुगतान	02-07-2019	1800.00
4-	एम०बी० मशीनरी स्टोर को भुगतान	19-07-2019	5860.00
5-	ग्राम प्रधान व्यय भुगतान	22-07-2019	32575.00
6-	वी०के० ईट भट्टा को भुगतान	29-07-2019	106590.00
7-	ग्राम प्रधान को भुगतान	30-07-2019	41823.00
8-	वी०के० ईट भट्टा को भुगतान	30-07-2019	103312.00
9-	स्वच्छता कार्य	08-12-2019	5030.00
10-	प्रधान मानदेय	05-01-2020	31500.00
11-	फोटो कापी	19-02-2020	10936.00
12-	ठेला मरम्मत	19-02-2020	5829.00
योग:-			461505.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 461505.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती माला देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खजुहा विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-300 ग्राम पंचायत खजुहा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पटेल मशीनरी स्टोर को	01-03-2019	77810.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु पटेल मशीनरी स्टोर को	01-03-2019	71889.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत	30-03-2019	30899.00
योग:-			180598.00
वर्ष 2019-20			

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	एस०आर०बी० सीमेन्ट सर्विस एवं कुंज बिहारी को	16-04-2019	3738.00
2-	पटेल मशीनरी को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु	15-07-2019	33000.00
3-	पटेल मशीनरी को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु	19-07-2019	30000.00
4-	गोला इण्टर प्राइजेज हैण्डपम्प	15-01-2020	102000.00
5-	जायसवाल ट्रेडर्स को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	13-03-2020	4870.00
6-	कमलेश को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	13-03-2020	3500.00
योग:-			177108.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 180598.00, 177108.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरूद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-301 ग्राम पंचायत खजुहा में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट हेतु	16-07-2018	279000.00
योग:-			279000.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट हेतु	16-04-2019	86800.00
2-	लकी ट्रेडर्स स्ट्रीट लाईट हेतु	25-07-2019	89280.00
3-	ओम इण्टर प्राइजेज स्ट्रीट लाईट हेतु	06-03-2020	40500.00
योग:-			216580.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 279000.00, 216580.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरूद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-302 ग्राम पंचायत खजुहा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय कार्य हेतु प्रधान को भुगतान	14-05-2018	79800.00
2-	शौचालय कार्य हेतु भुगतान	16-05-2018	284500.00
योग:-			364300.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 364300.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरूद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-303 ग्राम पंचायत खजुहा में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हसन ईट उद्योग, खान सीमेन्ट स्टोर व प्रधान को नाली निर्माण	25-03-2019	86500.00
2-	हसन ईट उद्योग, खान सीमेन्ट स्टोर व प्रधान को नाली निर्माण	25-03-2019	61663.00
3-	हसन ईट उद्योग, खान सीमेन्ट स्टोर व प्रधान को नाली निर्माण	25-03-2019	66150.00
योग:-			214313.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य ईट क्रय मुबारक से जफिर तक	18-01-2020	27282.00
2-	नाली निर्माण कार्य ईट क्रय सीमेन्ट व स्टील क्रय	18-01-2020	10563.00
3-	उक्त कार्य पर मिट्टी क्रय	28-01-2020	3136.00
4-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	28-01-2020	5460.00
5-	उक्त कार्य पर लेबर व मिस्त्री	28-01-2020	13250.00
6-	नाली निर्माण कार्य	13-02-2020	75796.00
7-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	13-02-2020	32224.00
8-	उक्त कार्य पर मिट्टी क्रय	13-02-2020	7360.00
9-	उक्त कार्य पर मिस्त्री	13-02-2020	12870.00
10-	उक्त कार्य पर लेबर	13-02-2020	30000.00
11-	कामता प्रसाद से प्यारेलाल तक नाली निर्माण हेतु मिट्टी	13-02-2020	6752.00
12-	उक्त कार्य पर लेबर	21-03-2020	16250.00
योग:-			240943.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 214313.00, 240943.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरूद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-304 ग्राम पंचायत खजुहा में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय हेतु	15-01-2020	91175.00
योग:-			91175.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की

खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 91175.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरुद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-305 ग्राम पंचायत खजुहा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कृषि सुरक्षा केन्द्र और उस्मान अली के वास्ते इण्टर लॉकिंग कार्य	01-02-2019	133119.00
2-	कृषि सुरक्षा केन्द्र और उस्मान अली के वास्ते इण्टर लॉकिंग कार्य	01-02-2019	49511.00
3-	कृषि सुरक्षा केन्द्र और उस्मान अली के वास्ते इण्टर लॉकिंग कार्य	01-02-2019	50505.00
4-	कृषि सुरक्षा केन्द्र के वास्ते इण्टर लॉकिंग कार्य	26-02-2019	180754.00
5-	कृषि सुरक्षा केन्द्र के वास्ते इण्टर लॉकिंग कार्य	26-02-2019	29855.00
6-	कृषि सुरक्षा केन्द्र के वास्ते इण्टर लॉकिंग कार्य	10-03-2019	100865.00
योग:-			544609.00

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कृषि सुरक्षा केन्द्र और मुबारक के मकान से चमन शाह के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	09-01-2020	121752.00
2-	उक्त कार्य हेतु बालू क्रय	09-01-2020	9608.00
3-	उक्त कार्य हेतु लेबर	09-01-2020	8970.00
4-	उक्त कार्य हेतु लेबर	09-01-2020	21750.00
5-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय	10-01-2020	25461.00
6-	न्यू कृषि सुरक्षा केन्द्र और मुबारक के मकान से चमन शाह के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	18-01-2020	121752.00
7-	उक्त कार्य हेतु बालू क्रय	18-01-2020	9608.00
8-	उक्त कार्य हेतु लेबर	18-01-2020	8970.00
9-	उक्त कार्य हेतु लेबर	18-01-2020	21750.00
10-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय	18-01-2020	25461.00
11-	न्यू कृषि सुरक्षा केन्द्र और कामता प्रसाद के मकान से प्यारेलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	06-03-2020	110719.00
12-	उक्त कार्य पर सामग्री क्रय	07-03-2020	35174.00
13-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट स्टोर को	07-03-2020	20477.00
14-	उक्त कार्य पर मिस्त्री	07-03-2020	7020.00
योग:-			548472.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण

हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 544609.00, 548472.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरूद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-306 ग्राम पंचायत खजुहा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	25-01-2019	27140.00
2-	प्रशासनिक व्यय	25-01-2019	24500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	25-01-2019	70142.00
4-	प्रशासनिक व्यय	04-02-2019	29293.00
5-	प्रशासनिक व्यय	04-02-2019	5023.00
6-	प्रधान को सफाई कार्य हेतु	01-03-2019	50070.00
7-	प्रधान को सफाई कार्य हेतु	01-03-2019	37180.00
योग:-			243348.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान को मानदेय एवं सफाई कार्य	30-07-2019	33292.00
2-	प्रधान को मानदेय	09-01-2020	3500.00
3-	प्रधान को मानदेय	09-01-2020	21000.00
4-	अनिष्ठा कम्प्यूटर को भुगतान	10-01-2020	16700.00
5-	किशन ईट उद्योग को भुगतान	11-01-2020	36085.00
6-	शुक्ला पुस्तक भण्डार से स्टेशनरी क्रय	14-01-2020	9630.00
7-	मास्टर कम्प्यूटर	15-01-2020	9630.00
8-	अनिष्ठा कम्प्यूटर को भुगतान	18-01-2020	16700.00
9-	प्रधान मानदेय	18-01-2020	21000.00
10-	प्रधान मानदेय	06-02-2020	21000.00
11-	वृक्षारोपण हेतु	06-02-2020	47100.00
12-	शुक्ला पुस्तक भण्डार	06-02-2020	9000.00
योग:-			244637.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 243348.00, 244637.00 में से ग्राम प्रधान श्री कमरूद्दीन से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हजरतपुर विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-307 ग्राम पंचायत हजरतपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	27-09-2018	13365.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु	20-10-2018	33945.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर ईट क्रय	20-10-2018	630.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर सीमेन्ट मौरंग आदि	20-10-2018	7160.00

5-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री क्रय	01-11-2018	32710.00
योग:-			87810.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 87810.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-308 ग्राम पंचायत हजरतपुर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु ईट क्रय पर व्यय	18-09-2018	39060.00
2-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सीमेंट मौरंग क्रय पर व्यय	18-09-2018	29760.00
3-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु मिस्त्री लेबर पर व्यय	18-09-2018	17600.00
4-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु ईट क्रय पर व्यय	18-09-2018	69812.00
5-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सीमेंट क्रय पर व्यय	18-09-2018	72729.00
6-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर पर व्यय	18-09-2018	16475.00
7-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	20-09-2018	9881.00
8-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	20-09-2018	15225.00
9-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	20-09-2018	9881.00
10-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	20-09-2018	9881.00
11-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	42969.00
12-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	7040.00
13-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	12950.00
14-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	30752.00
15-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	72729.00
16-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	28175.00
17-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	22265.00
18-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	21-11-2018	14075.00
19-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	01-12-2018	25912.00
20-	मॉडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	01-12-2018	25912.00
योग:-			573083.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 573083.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-309 ग्राम पंचायत हजरतपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	11-07-2018	38071.00
2-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	20-07-2018	104139.00
3-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	20-07-2018	86783.00
4-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	20-07-2018	31781.00
5-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	20-07-2018	104139.00
6-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	15-03-2019	38071.00
7-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	15-03-2019	91122.00
8-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	15-03-2019	33639.00
9-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	15-03-2019	81206.00
योग:-			608951.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	14-05-2019	19800.00
2-	मिट्टी एवं खडन्जा कार्य पर व्यय	30-08-2019	63290.00
योग:-			83090.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 608951.00, 83090.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-310 ग्राम पंचायत हजरतपुर में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय	15-03-2019	117286.00
योग:-			117286.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 117286.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-311 ग्राम पंचायत हजरतपुर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में मिट्टी पटाई कार्य	03-10-2018	35300.00
2-	प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में मिट्टी पटाई कार्य	03-10-2018	34707.00
3-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर पर व्यय	15-03-2019	19950.00
4-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर पर व्यय	16-03-2019	15750.00
5-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु सिंह मेमोरियल को भुगतान	16-03-2019	42969.00
6-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु वन्दना मेमोरियल को भुगतान	17-03-2019	23946.00
7-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर पर व्यय	17-03-2019	15750.00
8-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु ईट क्रय पर व्यय	17-03-2019	66129.00
9-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु कासिम को भुगतान	25-03-2019	6360.00
10-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर पर व्यय	27-03-2019	11220.00
11-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु सिंह मेमोरियल को भुगतान	30-03-2019	44877.00
12-	प्राथमिक विद्यालय में माडल शौचालय निर्माण हेतु वन्दना मेमोरियल को भुगतान	31-03-2019	8848.00
योग:-			325806.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 325806.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-312 ग्राम पंचायत हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सेनपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु बालू क्रय	29-10-2018	9655.00
2-	सेनपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर	29-10-2018	38644.00
3-	सेनपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु टाइल्स क्रय	29-10-2018	45430.00
4-	सेनपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मोरंग आदि क्रय	29-10-2018	35268.00
5-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु टाइल्स क्रय	07-12-2018	103465.00
6-	बलारपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु टाइल्स क्रय	07-12-2018	114873.00
7-	बलारपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय	07-12-2018	25513.00
8-	बलारपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट मोरंग क्रय	07-12-2018	26815.00
9-	बलारपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु बालू क्रय	07-12-2018	49545.00
10-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय	07-12-2018	26560.00
11-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट मोरंग क्रय	02-01-2019	21296.00
12-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु बालू क्रय	02-01-2019	6650.00
13-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व्यय	02-01-2019	25930.00
14-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय	07-01-2019	64640.00
15-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	07-01-2019	18330.00
16-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	07-01-2019	22900.00
17-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	07-01-2019	5783.00

18-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	07-01-2019	24407.00
19-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	16-01-2019	77880.00
20-	हजरतपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	29-01-2019	39680.00
योग:-			783264.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व्यय	20-05-2019	158835.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व्यय	20-05-2019	26715.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व्यय	20-05-2019	5244.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	20-05-2019	33727.00
5-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	20-05-2019	144057.00
6-	साफ सफाई कार्य पर व्यय	01-07-2019	19800.00
7-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	01-07-2019	138352.00
8-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	01-07-2019	27550.00
9-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	01-07-2019	115852.00
10-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	01-07-2019	49896.00
11-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	05-07-2019	118552.00
12-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	05-07-2019	39745.00
13-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	05-07-2019	118697.00
14-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	15-07-2019	86945.00
15-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	15-07-2019	27550.00
16-	इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट व लेबर व सीमेन्ट क्रय पर व्यय	18-07-2019	27550.00
योग:-			1139067.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 783264.00, 1139067.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-313 ग्राम पंचायत हजरतपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	टेण्डर नोटिस पर व्यय	20-07-2018	2500.00
2-	प्रधान मानदेय भुगतान	06-07-2018	21000.00
3-	वॉल पेन्टिंग पर व्यय	01-09-2018	6000.00
4-	स्टेशनरी क्रय पर व्यय	18-09-2018	4500.00
5-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	02-01-2019	2800.00
6-	कम्प्यूटर फीडिंग व टाइपिंग पर व्यय	02-01-2019	2500.00
7-	प्रधान मानदेय भुगतान	16-01-2019	3500.00
8-	दीनबन्धु का बुकलेट का भुगतान	29-01-2019	1650.00
9-	जे०के० फर्नीचर को फर्नीचर क्रय हेतु भुगतान	15-03-2019	8120.00
10-	सलीम नर्सरी को वृक्षारोपण हेतु भुगतान	15-03-2019	23542.00
11-	प्रधान मानदेय भुगतान	15-03-2019	14000.00

12-	फीडिंग कार्य पर व्यय	25-03-2019	5000.00
	योग:-		95112.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	30-04-2019	21760.00
2-	प्रांजल जायसवाल को डी०एस०सी० के लिये	30-08-2019	1708.00
	योग:-		23468.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 95112.00, 23468.00 में से ग्राम प्रधान सुश्री दीक्षा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खंजनपुर

विकास खण्ड - बांकेगंज

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-314 ग्राम पंचायत खंजनपुर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	26-07-2019	45733.00
2-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	29-07-2019	18270.00
3-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	29-07-2019	60667.00
4-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	29-07-2019	36233.00
5-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	29-07-2019	36439.00
6-	नाली निर्माण	03-12-2019	7220.00
7-	नाली निर्माण	03-12-2019	57193.00
8-	नाली निर्माण	12-12-2019	81895.00
9-	नाली निर्माण	12-12-2019	81954.00
10-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	02-01-2020	48825.00
11-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	02-01-2020	40548.00
12-	सीमेन्ट क्रय	02-01-2020	55433.00
13-	बालू क्रय हेतु उक्त कार्य	02-01-2020	8232.00
14-	लेबर व मिस्त्री वास्ते उक्त कार्य	02-01-2020	19620.00
15-	लेबर व मिस्त्री वास्ते उक्त कार्य	02-01-2020	21315.00
16-	नाली निर्माण	22-01-2020	6000.00
17-	गाजी ट्रेडर्स को उक्त कार्य	22-01-2020	27132.00
18-	नाली निर्माण	07-02-2020	27360.00
19-	ईट क्रय हेतु रतनलाल अग्रवाल जगदीश प्रसाद ईट भट्टा	07-02-2020	29125.00
20-	परमेश्वर को भुगतान वास्ते परमेश्वर के घर से जमुना के घर तक नाली निर्माण	07-02-2020	1928.00
21-	परमेश्वर को भुगतान वास्ते परमेश्वर के घर से जमुना के घर तक नाली निर्माण	07-02-2020	15082.00
22-	नाली निर्माण	07-02-2020	29777.00
23-	नाली निर्माण	07-02-2020	13430.00
24-	ईट क्रय हेतु जमुना ब्रिक्स वास्ते विष्णु दयाल के घर से ब्रह्मादीन के घर तक नाली निर्माण	07-02-2020	4307.00
25-	गाजी ट्रेडर्स को उक्त कार्य	07-02-2020	28555.00
26-	जमुना ब्रिक्स को वास्ते उक्त कार्य	07-02-2020	36225.00
27-	गाजी ट्रेडर्स को उक्त कार्य नाली निर्माण	31-03-2020	18466.00
28-	दयाराम को वास्ते उक्त कार्य	31-03-2020	3176.00
29-	जमुना ब्रिक्स को वास्ते उक्त कार्य	31-03-2020	49049.00

	योग:-	909189.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 909189.00 में से ग्राम प्रधान श्री पंकज कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-315 ग्राम पंचायत खंजनपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	लेबर व मिस्त्री को वास्ते नरगढ़ी में सम्पर्क मार्ग से बिट्टू के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	07-02-2020	8090.00
2-	परमेश्वर को वास्ते उक्त कार्य	07-02-2020	2166.00
3-	जमुना ब्रिक्स को वास्ते उक्त कार्य	07-02-2020	29232.00
	योग:-		39488.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 39488.00 में से ग्राम प्रधान श्री पंकज कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-316 ग्राम पंचायत खंजनपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय एवं ग्राम प्रधान मानदेय	29-05-2019	18000.00
2-	प्रशासनिक व्यय एवं ग्राम प्रधान मानदेय	29-05-2019	1708.00
3-	ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान	26-07-2019	35225.00
4-	ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान	26-07-2019	27240.00
5-	ग्राम प्रधान मानदेय	02-01-2020	21000.00
6-	वृक्षारोपण	04-02-2020	47100.00
7-	फोटोकापी व कम्प्यूटर कार्य	19-02-2020	10192.00
8-	निविदा विज्ञापन हेतु कार्य	31-03-2020	6663.00
	योग:-		167128.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना,

कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 167128.00 में से ग्राम प्रधान श्री पंकज कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – थरवरनपुरग्रंट

विकास खण्ड – बाँकेगंज

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-317

ग्राम पंचायत थरवरनपुरग्रंट में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	दुर्गा ब्रिक फील्ड से ब्रिक रोड़ा अड्डा क्रय वास्ते प्राइमरी स्कूल थरवरनपुरग्रंट में रिचार्ज पिट निमाण	04-03-2020	10002.00
2-	वर्षा कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर से सीमेन्ट, गिट्टी, मौरंग, बालू क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	5675.00
3-	पाइप क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	124.00
4-	सरिया क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	979.00
5-	लेबर क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	3670.00
6-	दुर्गा ब्रिक फील्ड से ब्रिक रोड़ा अड्डा क्रय वास्ते उच्च प्राथमिक विद्यालय छेदीपुर में रिचार्ज पिट निमाण	04-03-2020	10002.00
7-	वर्षा कान्टेक्टर को मौरंग, सीमेन्ट क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	1664.00
8-	वर्षा कान्टेक्टर को मिट्टी, बालू क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	4011.00
9-	पाइप क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	124.00
10-	सरिया क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	979.00
11-	लेबर क्रय वास्ते उक्त कार्य	04-03-2020	3670.00
12-	प्राथमिक विद्यालय थरवरनपुर में इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर भुगतान	31-03-2020	5000.00
योग:-			45900.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 45900.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-318

ग्राम पंचायत थरवरनपुरग्रंट में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शुक्ला पुस्तक भण्डार को वास्ते स्टेशनरी क्रय	30-11-2019	2000.00
2-	प्रधान मानदेय	01-01-2020	31500.00
3-	वृक्षारोपण कार्य हेतु सलीम नर्सरी को	29-02-2020	47100.00
4-	मास्टर कम्प्यूटर एण्ड प्रिन्ट के फोटो कापी, फोटो, टाइपिंग आदि	31-03-2020	8188.00
योग:-			88788.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 88788.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - डालपुरग्रंट

विकास खण्ड - बांकेगंज

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-319

ग्राम पंचायत डालपुरग्रंट में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु खालसा ट्रेडर्स को	27-03-2020	14063.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु खालसा ट्रेडर्स को	27-03-2020	9300.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय गुरूनानक ट्रेडर्स को	27-03-2020	1331.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु बालू क्रय गुरूनानक ट्रेडर्स को	27-03-2020	2003.00
5-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु रोड़ा खालसा ब्रिक फील्ड को	27-03-2020	299.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु लेबर खालसा ब्रिक फील्ड को	27-03-2020	890.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री खालसा ट्रेडर्स को	31-03-2020	10500.00
8-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री खालसा ट्रेडर्स को	31-03-2020	5500.00
योग:-			43886.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 43886.00 में से ग्राम प्रधान श्री गुरूमेज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-320

ग्राम पंचायत डालपुरग्रंट में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खालसा ब्रिक फील्ड को ब्रिक कार्य हेतु वास्ते भोलापुर पक्की रोड से मोहन के घर तक मिट्टी और खडन्जा	22-01-2020	23789.00
2-	खालसा ब्रिक फील्ड को ब्रिक कार्य हेतु वास्ते लोचन राम के घर से इन्द्र बहादुर के घर तक नाली और खडन्जा	22-01-2020	27489.00
3-	खालसा ब्रिक फील्ड से ब्रिक कार्य वास्ते पक्की रोड से संतराम के घर तक मिट्टी और खडन्जा	22-01-2020	14246.00
4-	लेबर भोलापुर	18-02-2020	6590.00
5-	लेबर लोचनपुर	18-02-2020	15710.00
6-	लेबर पक्की रोड	18-02-2020	4060.00
योग:-			91884.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 91884.00 में से ग्राम प्रधान श्री गुरुमेज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-321 ग्राम पंचायत डालपुरग्रंट में गौशाला निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	गौशाला में टीन शेड निर्माण कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड से	24-02-2020	43770.00
2-	गौशाला में टीन शेड निर्माण कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड से	24-02-2020	29793.00
3-	उक्त कार्य हेतु बालू गुरुनानक ट्रेडर्स से	24-02-2020	2150.00
4-	उक्त कार्य हेतु मोरंग, मिट्टी गुरुनानक ट्रेडर्स से	24-02-2020	40538.00
5-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट गुरुनानक ट्रेडर्स से	24-02-2020	31283.00
6-	उक्त कार्य हेतु लेबर गुरुनानक ट्रेडर्स से	24-02-2020	49570.00
7-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	34338.00
8-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	34338.00
9-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	33453.00
10-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	33453.00
11-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	33895.00
12-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	34338.00
13-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	48841.0
14-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	48507.00
15-	गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु टीन खरीद हेतु गुरुनानक ट्रेडर्स को	17-09-2019	18561.00
16-	उक्त कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड से	18-07-2019	45570.00
17-	उक्त कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड से	18-07-2019	19362.00
18-	उक्त कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड से	18-07-2019	45570.00
19-	उक्त कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड से	18-07-2019	27926.00
20-	लेबर और मिस्त्री वास्ते उक्त कार्य	18-07-2019	94710.00
21-	लेबर और मिस्त्री वास्ते उक्त कार्य	18-07-2019	35290.00
22-	उक्त कार्य हेतु सामग्री खालसा एण्ड कम्पनी को	19-07-2019	36141.00
23-	उक्त कार्य हेतु सामग्री खालसा एण्ड कम्पनी को	25-07-2019	2411.00
24-	उक्त कार्य हेतु सामग्री खालसा एण्ड कम्पनी को	25-07-2019	10441.00
25-	उक्त कार्य हेतु सामग्री खालसा एण्ड कम्पनी को	26-07-2019	37995.00
26-	उक्त कार्य हेतु सामग्री खालसा एण्ड कम्पनी को	26-07-2019	18890.00
27-	उक्त कार्य हेतु सामग्री खालसा एण्ड कम्पनी को	26-07-2019	4754.00
28-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय पंचायत ट्रेडर्स को	29-11-2019	30106.00
29-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय पंचायत ट्रेडर्स को	29-11-2019	35840.00
30-	उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय पंचायत ट्रेडर्स को	29-11-2019	22579.00
31-	उक्त कार्य हेतु ब्रिक कार्य खालसा ब्रिक फील्ड को	29-11-2019	45570.00
32-	डालपुरग्रंट में गौशाला में टीन शेड निर्माण कार्य हेतु ब्रिक कार्य गुरुनानक ट्रेडर्स से	23-03-2020	49702.00
33-	डालपुरग्रंट में गौशाला में टीन शेड निर्माण कार्य हेतु ब्रिक कार्य गुरुनानक ट्रेडर्स से	23-03-2020	28098.00
34-	गुरुकृपा ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	23-03-2020	38137.00
35-	गुरुकृपा ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	23-03-2020	38137.00
36-	गुरुकृपा ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	23-03-2020	38137.00
	योग:-		1222194.00

कैशबुक में दर्शित व्यय में गौशाला निर्माण हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लेण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1222194.00 में से ग्राम प्रधान श्री गुरुमेज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-322 ग्राम पंचायत डालपुरग्रंट में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	04-01-2020	31500.00
2-	फोटोकापी, टाइपिंग आदि मास्टर्स कम्प्यूटर	26-02-2020	6904.00
3-	ठेला कार्य हेतु सन इण्टर प्राइजेज	28-02-2020	23010.00
4-	प्रधान मानदेय	31-03-2020	10500.00
योग:-			71914.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 71914.00 में से ग्राम प्रधान श्री गुरुमेज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महुरैना **विकास खण्ड - बांकेगंज** **वर्ष - 2019-20**

प्रस्तर-323 ग्राम पंचायत महुरैना में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	07-12-2019	30110.00
योग:-			30110.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 30110.00 में से ग्राम प्रधान श्री गजराम सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-324 ग्राम पंचायत महुरैना में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रोमाराम के घर से खमरिया तालाब तक नाली	13-02-2020	186465.00
2-	बाबूलाल के घर से खमरिया तालाब तक नाली	16-02-2020	135397.00
3-	मंजीत सिंह के घर से हैण्डपम्प तक दोनों तरफ नाली	05-03-2020	214249.00
योग:-			536111.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 536111.00 में से ग्राम प्रधान श्री गजराज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-325 ग्राम पंचायत महुँरैना में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	भीखमपुर में गौरिलाल के घर से पक्की रोड तक खडन्जा मरम्मत	28-12-2019	198839.00
2-	महुँरैना में राजपाल के घर से श्याम सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	28-12-2019	95312.00
3-	रामभरोसे के घर से महेश सिंह के घर तक खडन्जा	10-01-2020	86927.00
4-	आंगनबाड़ी केन्द्र से रामअधार के खेत तक खडन्जा मरम्मत	15-01-2020	188294.00
5-	रामअधार के खेत से रामबहोरन के खेत तक खडन्जा	15-01-2020	189336.00
6-	रोमा के घर से आशाराम के घर तक खडन्जा मरम्मत	10-02-2020	179891.00
7-	मिश्रीलाल के घर से श्यामलाल के घर तक खडन्जा	16-02-2020	117589.00
योग:-			1056188.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1056188.00 में से ग्राम प्रधान श्री गजराज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-326 ग्राम पंचायत महुँरैना में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पटेल ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु वास्ते माडल शौचाल निर्माण	23-04-2019	37038.00
2-	प्रशासनिक मद	04-01-2019	16200.00
3-	प्रधान मानदेय	24-01-2020	24500.00
4-	वृक्षारोपण कार्य	25-01-2020	47100.00
योग:-			124838.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 124838.00 में से ग्राम प्रधान श्री गजराज सिंह से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी/श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बाबरपुर विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-327 ग्राम पंचायत बाबरपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	लक्ष्मी ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर	01-05-2018	107400.00
2-	लक्ष्मी ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर	01-05-2018	82600.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु	19-03-2019	14200.00

	योग:-		204200.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु	02-05-2019	20000.00
	योग:-		20000.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 204200.00, 20000.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिबंश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-328 ग्राम पंचायत बाबरपुर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	एस० एल० इण्टर प्राइजेज को डस्टबिन क्रय हेतु	05-05-2018	282000.00
2-	प्रधान को सफाई कार्य हेतु	19-03-2019	79900.00
3-	मॉडल शौचालय कार्य	19-03-2019	39900.00
	योग:-		401800.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 401800.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिबंश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-329 ग्राम पंचायत बाबरपुर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण	19-04-2019	40430.00
2-	नाली निर्माण	19-04-2019	86584.00
3-	नाली निर्माण	05-05-2019	119234.00
	योग:-		246248.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान

मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 246248.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिबंश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-330 ग्राम पंचायत बाबरपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	01-02-2019	129850.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	01-02-2019	78460.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य	19-03-2019	25805.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य	19-03-2019	66000.00
5-	इण्टर लॉकिंग कार्य	19-03-2019	147140.00
6-	इण्टर लॉकिंग	19-03-2019	99900.00
योग:-			547155.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	15-04-2019	145712.00
योग:-			145712.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 547155.00, 145712.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिबंश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-331 ग्राम पंचायत बाबरपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	05-05-2018	54337.00
2-	प्रशासनिक व्यय	05-05-2018	8626.00
3-	प्रशासनिक व्यय	05-05-2018	24822.00
योग:-			87785.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिट्टी ढुलाई	06-05-2019	33394.00
2-	फोटो कापी और स्टेशनरी क्रय	06-07-2019	33692.00
3-	कुआँ मरम्मत	20-09-2019	60000.00
योग:-			127086.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान

मस्टररोलॉ, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 87785.00, 127086.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिबंश कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पुनर्भूगर्त विकास खण्ड – बांकेगंज वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-332 ग्राम पंचायत पुनर्भूगर्त में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	45335.00
2-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	630.00
3-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	34840.00
4-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	7160.00
5-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	22555.00
6-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	34840.00
7-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	7160.00
8-	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	08-02-2019	630.00
योग:-			153150.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	16-03-2020	107684.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	16-03-2020	105574.00
योग:-			213258.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलॉ, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 153150.00, 213258.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/मो० आसिफ खाँ से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-333 ग्राम पंचायत पुनर्भूगर्त में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आर०एस०एस० इण्टर प्राइजेज को स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु	24-03-2019	479000.00
योग:-			479000.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट क्रय	25-07-2019	287256.00
2-	स्ट्रीट लाईट क्रय	25-07-2019	287256.00
योग:-			574512.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलॉ, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 479000.00, 574512.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-334 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन क्रय हेतु एस०एल० इण्टर प्राइजेज	11-09-2018	79650.00
योग:-			79650.00
वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सफाई कार्य हेतु	20-04-2019	59850.00
2-	सफाई कार्य हेतु	01-07-2019	39890.00
3-	सफाई कार्य हेतु	20-07-2019	52345.00
4-	डस्टबिन क्रय	20-07-2019	192584.00
योग:-			344669.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 79650.00, 344669.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-335 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय मून ब्रिक फील्ड	13-07-2018	102827.00
2-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक नाली निर्माण हेतु लेबर	13-07-2018	48835.00
3-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय नसीम ट्रेडर्स	24-07-2018	75007.00
4-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय मनु ब्रिक फील्ड	30-07-2018	28635.00
5-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु लेबर	30-07-2018	13530.00
6-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय नसीम ट्रेडर्स	30-07-2018	21647.00
7-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु लेबर	07-08-2018	29030.00
8-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय मून ब्रिक फील्ड	07-08-2018	33369.00
9-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय मून ब्रिक फील्ड	07-08-2018	65100.00
10-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु लेबर	07-08-2018	16245.00
11-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय साक्षी ट्रेडर्स	20-08-2018	42854.00
12-	माँ शारदे स्कूल से दुबे के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय नसीम ट्रेडर्स	20-08-2018	19504.00
13-	तेलू के घर से रामकिशोर के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय अमन ब्रिक फील्ड	15-09-2018	100299.00

14-	तेलू के घर से रामकिशोर के घर तक नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट, मौरंग आदि क्रय	15-09-2018	63870.00
15-	तेलू के घर से रामकिशोर के घर तक नाली निर्माण हेतु लेबर	15-09-2018	40600.00
	योग:-		701352.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 701352.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-336 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बलवन्त के खेत से जफर के प्लाट तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	07-08-2018	109346.00
2-	बलवन्त के खेत से जफर के प्लाट तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर	07-08-2018	33890.00
3-	हुसैन के घर से मस्जिद तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	07-08-2018	105527.00
4-	हुसैन के घर से मस्जिद तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु लेबर	07-08-2018	34847.00
5-	हीफ के घर से मुस्तफा के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु लेबर	20-08-2018	10485.00
6-	सी०सी० रोड से राम घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	20-08-2018	63004.00
7-	सी०सी० रोड से राम घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी और लेबर	20-08-2018	21280.00
8-	जाकिर के घर से अम्बारा रोड तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	05-09-2018	89775.00
9-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	05-09-2018	89775.00
10-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	05-09-2018	39076.00
11-	यूसुफ के घर से शरीफ के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर	05-09-2018	40351.00
12-	निसार के घर से चतुर्भुज के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	05-09-2018	130868.00
13-	निसार के घर से चतुर्भुज के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर	05-09-2018	17572.00
14-	निसार के घर से चतुर्भुज के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु मिट्टी व लेबर	10-09-2018	25955.00
15-	जाकिर के घर से अम्बारा रोड तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	11-09-2018	35192.00
16-	जाकिर के घर से अम्बारा रोड तक खडन्जा निर्माण हेतु मिट्टी व लेबर	11-09-2018	44863.00
17-	जाकिर के घर से अम्बारा रोड तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	15-09-2018	48095.00
18-	परदेशी के घर से मेंहदी हसन के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु मिट्टी व लेबर	15-09-2018	27250.00
19-	अजीज अहमद के घर से मुनीर के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-अमन ब्रिक फील्ड	17-12-2018	54894.00
20-	अजीज अहमद के घर से मुनीर के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर	17-12-2018	47819.00
21-	हनीफ के घर से मुस्तफा के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	08-02-2019	37490.00

22-	अयूब के घर से अनीस के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	08-02-2019	93366.00
23-	अयूब के घर से अनीस के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर	08-02-2019	36778.00
24-	पटवारी के घर से शजुल्ला के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	24-03-2019	104139.00
25-	पटवारी के घर से शजुल्ला के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	24-03-2019	38328.00
योग:-			1379965.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शान्ती के घर से नन्दू के घर तक खडन्जा कार्य	10-05-2019	92567.00
2-	मुश्ताक के घर से सलीम के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय व लेबर	01-07-2019	138352.00
3-	मुश्ताक के घर से सलीम के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय व लेबर	01-07-2019	197994.00
4-	मुश्ताक के घर से सलीम के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु लेबर	10-07-2019	62727.00
5-	सलीम के घर से हासमि के घर तक मिट्टी व लेबर	10-07-2019	58131.00
6-	ईट, मिट्टी व लेबर भुगतान	20-07-2019	82707.00
7-	ईट, मिट्टी व लेबर भुगतान	20-07-2019	129289.00
8-	श्रीकिशन के घर से सुरेश के घर तक ईट क्रय, मिट्टी व लेबर	20-07-2019	114584.00
9-	गुप्ता कालोनी में कोमल के घर से हसीमुद्दीन के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	14-01-2020	128244.00
10-	भवानीगंज में सुमल के घर से फौजी के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	17-02-2020	44595.00
11-	इस्लामनगर में छेदा शाह के सामने से तहसील भवन तक मिट्टी व खडन्जा कार्य	17-02-2020	96836.00
12-	गुप्ता कालोनी में कोमल के घर से हसीमुद्दीन के घर तक मिट्टी/खडन्जा कार्य	19-03-2020	128244.00
योग:-			1274270.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1379965.00, 1274270.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/मो० आसिफ खाँ से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-337 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय सिंह स्पन पाइप	07-08-2018	90860.00
योग:-			90860.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 90860.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-338 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	13-07-2018	45570.00
2-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर	13-07-2018	18155.00
3-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय-साक्षी ट्रेडर्स	13-07-2018	19840.00
4-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	11-10-2018	7790.00
5-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु सीमेन्ट, मौरंग आदि क्रय	11-10-2018	30824.00
6-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु लेबर	11-10-2018	15225.00
7-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु गेट क्रय	11-10-2018	7900.00
8-	उप्रांवि० में माडल शौचालय निर्माण हेतु - साक्षी ट्रेडर्स	08-02-2019	25912.00
9-	आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण हेतु डोर क्रय	12-02-2019	3725.00
10-	आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण हेतु लेबर	12-02-2019	2370.00
11-	आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	12-02-2019	4625.00
12-	आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय निर्माण हेतु लेबर	12-02-2019	2370.00
योग:-			184306.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 184306.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-339 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हुसैन के घर से रोजअली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर	30-08-2018	13530.00
2-	स्कूल रसोई घर से स्कूल गेट तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	05-09-2018	90860.00
3-	स्कूल रसोई घर से स्कूल गेट तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-लेबर	05-09-2018	18155.00
4-	राकेश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	05-09-2018	90860.00
5-	स्कूल गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	05-09-2018	125646.00
6-	राकेश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	19-09-2018	31685.00
7-	राकेश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मौरंग, सीमेन्ट आदि क्रय	19-09-2018	34283.00

8-	राकेश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	19-09-2018	40757.00
9-	राकेश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मिट्टी व लेबर	19-09-2018	35903.00
10-	इशरत के घर से मुजफ्फर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	19-09-2018	33997.00
11-	इशरत के घर से मुजफ्फर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	19-09-2018	143559.00
12-	इशरत के घर से मुजफ्फर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	19-09-2018	33871.00
13-	इशरत के घर से मुजफ्फर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	19-09-2018	30965.00
14-	गुड्डू के घर से इशरत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	25-09-2018	29413.00
15-	गुड्डू के घर से इशरत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	25-09-2018	31207.00
16-	गुड्डू के घर से इशरत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	25-09-2018	112666.00
17-	गुड्डू के घर से इशरत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	25-09-2018	33218.00
18-	स्कूल गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	01-10-2018	36712.00
19-	स्कूल गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	01-10-2018	42465.00
20-	स्कूल गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	01-10-2018	37434.00
21-	मुजफ्फर के घर से अहमद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	03-10-2018	26945.00
22-	मुजफ्फर के घर से अहमद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	03-10-2018	28167.00
23-	मुजफ्फर के घर से अहमद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	03-10-2018	30784.00
24-	मुजफ्फर के घर से अहमद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	03-10-2018	109473.00
25-	पटवारी के घर से रोजली के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	10-10-2018	31795.00
26-	पटवारी के घर से रोजली के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	10-10-2018	129021.00
27-	पटवारी के घर से रोजली के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	10-10-2018	33755.00
28-	पटवारी के घर से रोजली के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	10-10-2018	37014.00
29-	लेखराम के घर से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	11-10-2018	28004.00
30-	लेखराम के घर से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	11-10-2018	29438.00
31-	लेखराम के घर से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	11-10-2018	91405.00
32-	लेखराम के घर से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिस्त्री	11-10-2018	24925.00
33-	पटवारी के घर से लेखराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	11-10-2018	24083.00
34-	पटवारी के घर से लेखराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	11-10-2018	25173.00
35-	पटवारी के घर से लेखराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	11-10-2018	78140.00
36-	पटवारी के घर से लेखराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-लेबर व मिस्त्री	11-10-2018	21985.00
37-	स्कूल रसोई से गेट तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	01-11-2018	34652.00

38-	स्कूल रसोई से गेट तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	01-11-2018	15512.00
39-	स्कूल रसोई से गेट तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिस्त्री	01-11-2018	18644.00
40-	स्कूल रसोई से गेट तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट, मोरंग आदि क्रय	29-01-2019	19840.00
41-	प्रा०वि० गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	29-01-2019	19853.00
42-	प्रा०वि० गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	29-01-2019	20175.00
43-	प्रा०वि० गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु-सिंह स्पन पाइप	29-01-2019	68534.00
44-	प्रा०वि० गेट से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व मिट्टी	29-01-2019	21168.00
45-	हुसैन के घर से रोज अली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय-मून ब्रिक फील्ड	05-02-2019	2676.00
46-	हुसैन के घर से रोज अली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट, मोरंग आदि क्रय	05-02-2019	29228.00
47-	हुसैन के घर से रोज अली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सिंह स्पन पाइप	05-02-2019	90860.00
48-	हुसैन के घर से रोज अली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सिंह स्पन पाइप	05-02-2019	10773.00
49-	हुसैन के घर से रोज अली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर व मिट्टी	05-02-2019	42016.00
	योग:-		2191224.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2191224.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-340 ग्राम पंचायत पुनर्भूगट में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2018-19			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	01-06-2018	7000.00
2-	प्रिया साफ्ट फीडिंग	01-06-2018	2000.00
3-	प्रधान मानदेय व अलमारी क्रय	01-06-2018	17120.00
4-	ठेला क्रय हेतु राम इण्टर प्राइजेज	24-07-2018	18700.00
5-	विज्ञापन व्यय	07-08-2018	2500.00
6-	फोटो वर्क व सफाई कार्य	20-08-2018	16480.00
7-	फोटो वर्क व सफाई कार्य	20-08-2018	9000.00
8-	प्रधान मानदेय	19-09-2018	21000.00
9-	वृक्षारोपण कार्य हेतु सलीम नर्सरी को	29-10-2018	23542.00
10-	विज्ञापन व्यय	08-12-2018	7000.00
11-	स्टेशनरी क्रय	08-02-2019	6673.00
12-	फोटो कापी	08-02-2019	4950.00
13-	प्रधान मानदेय	08-02-2019	7000.00
14-	स्टीट लाइट हेतु-आर०ए०एस० इण्टर प्राइजेज	12-02-2019	270000.00
15-	विद्युत बोर्ड बनवाई	24-03-2019	5187.00

16-	ठेला क्रय	24-03-2019	19500.00
योग:-			437652.00
वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कम्प्यूटर वर्क	28-04-2019	13416.00
2-	स्टेशनरी क्रय	20-07-2019	20800.00
3-	प्रधान मानदेय	30-09-2019	25180.00
4-	प्रधान मानदेय	24-12-2019	17500.00
5-	फोटो कापी	28-12-2019	10000.00
6-	फर्नीचर क्रय	17-02-2020	68500.00
7-	वृक्षारोपण कार्य	17-02-2020	47100.00
8-	ठेला क्रय	15-03-2020	19500.00
योग:-			221996.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 437652.00, 221996.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/मो० आसिफ खाँ से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - संसारपुर

विकास खण्ड - बाँकेगंज

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-341 ग्राम पंचायत संसारपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रामप्रसाद को हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	01-07-2019	95476.00
2-	रामप्रसाद को हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	01-07-2019	115276.00
3-	रामप्रसाद को हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	01-07-2019	183612.00
4-	रामप्रसाद को हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	01-07-2019	27460.00
5-	रतनलाल, जगदीश प्रसाद को हैण्डपम्प रिबोर	01-07-2019	69322.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	29-03-2020	162000.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	30-03-2020	26000.00
योग:-			679146.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 679146.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/श्रीमती अनन्या सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-342 ग्राम पंचायत संसारपुर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	लेबर और रतनलाल को नाली निर्माण कार्य हेतु भुगतान	05-07-2019	187321.00
2-	लेबर और रतनलाल को नाली निर्माण कार्य हेतु भुगतान	05-07-2019	200715.00
3-	लेबर और रतनलाल, जगदीश को नाली निर्माण कार्य हेतु भुगतान	05-07-2019	95770.00
4-	लेबर और रतनलाल, जगदीश को नाली निर्माण कार्य हेतु भुगतान	05-07-2019	129665.00

5-	अमन इण्टर प्राइजेज को इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर और ईट क्रय नाली कार्य हेतु	07-07-2019	122970.00
6-	लेबर व ईट क्रय नाली कार्य हेतु	07-07-2019	155995.00
7-	रतनलाल, जगदीश प्रसाद को लेबर को और बालू क्रय वास्ते नाली कार्य	15-07-2019	117954.00
8-	रतनलाल, जगदीश प्रसाद को लेबर को और बालू क्रय वास्ते नाली कार्य	15-07-2019	29402.00
9-	ईट क्रय, सीमेन्ट क्रय, लेबर भुगतान वास्ते नाली निर्माण	20-07-2019	108010.00
10-	नाली निर्माण	13-02-2020	36225.00
11-	नाली निर्माण	13-02-2020	36225.00
12-	नाली निर्माण	13-02-2020	29191.00
13-	नाली निर्माण	20-02-2020	28980.00
14-	नाली निर्माण	20-02-2020	25440.00
15-	नाली निर्माण	20-02-2020	36225.00
योग:-			1340088.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1340088.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/श्रीमती अनन्या सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-343 ग्राम पंचायत संसारपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सीमेन्ट क्रय हेतु	13-02-2020	30396.00
2-	मोरंग क्रय हेतु	13-02-2020	31260.00
3-	बालू क्रय हेतु	13-02-2020	3600.00
4-	लेबर मिस्त्री	13-02-2020	43370.00
5-	बालू क्रय हेतु	20-02-2020	3200.00
6-	सीमेन्ट स्टोर को सीमेन्ट क्रय	20-02-2020	27092.00
7-	सीमेन्ट स्टोर को मोरंग क्रय	20-02-2020	28134.00
8-	लेबर व मिस्त्री	20-02-2020	47540.00
9-	उक्त कार्य को साबान अली को	22-02-2020	3200.00
10-	खडन्जा कार्य ईट उद्योग को	14-03-2020	49123.00
11-	खडन्जा कार्य ईट उद्योग को	14-03-2020	49123.00
12-	साबान को मिट्टी ढुलाई	14-03-2020	5604.00
13-	उक्त कार्य हेतु लेबर	14-03-2020	26780.00
योग:-			348422.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 348422.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से और ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अनन्या सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-344 ग्राम पंचायत संसारपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अमन इण्टर प्राइजेज, लेबर और रतनलाल को इण्टर लॉक का भुगतान	01-07-2019	136931.00
2-	अमन इण्टर प्राइजेज, लेबर और रतनलाल को इण्टर लॉक का भुगतान	01-07-2019	41683.00
3-	बालू खरीद, ईट क्रय, अमन इण्टर प्राइजेज को इण्टर लॉक क्रय हेतु	01-07-2019	45414.00
4-	बालू खरीद, ईट क्रय, अमन इण्टर प्राइजेज को इण्टर लॉक क्रय हेतु	01-07-2019	173036.00
5-	रतनलाल, जगदीश प्रसाद और अमन इण्टर प्राइजेज को इण्टर लॉक क्रय	01-07-2019	129538.00
6-	रतनलाल, जगदीश प्रसाद और अमन इण्टर प्राइजेज को इण्टर लॉक क्रय	01-07-2019	58630.00
7-	अमन इण्टर प्राइजेज और लेबर को इण्टर लॉक हेतु	07-07-2019	174435.00
8-	अमन स्टोर को और लेबर को इण्टर लॉक हेतु	07-07-2019	142915.00
9-	इण्टर लॉक हेतु सामग्री व लेबर	28-03-2020	219214.00
योग:-			1121796.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1121796.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/श्रीमती अनन्या सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-345 ग्राम पंचायत संसारपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बैंक चार्ज, प्रशासनिक मद	30-06-2019	6026.00
2-	सफाई कार्य	01-07-2019	59850.00
3-	सफाई कार्य	01-07-2019	79350.00
4-	सफाई कार्य	20-10-2019	37575.00
5-	प्रधान मानदेय	14-01-2020	7000.00
6-	ग्राम प्रधान मानदेय	20-20-2020	14000.00
7-	प्रशासनिक व्यय, स्टेशनरी हेतु भुगतान	30-03-2020	20000.00
योग:-			223801.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 223801.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/श्रीमती अनन्या सिंह से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुरग्रंटनं 18 विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-346 ग्राम पंचायत रामपुरग्रंटनं 0-18 में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लेबर	15-07-2019	61275.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	15-07-2019	188300.00
3-	ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	21-03-2020	22592.00
योग:-			272167.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 272167.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती राबिया खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद /श्री इन्द्रजीत से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-347 ग्राम पंचायत रामपुरग्रंटनं 0-18 में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	नाली निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय	25-07-2019	186209.00
2-	नाली निर्माण कार्य हेतु ईट व बालू क्रय	25-07-2019	108033.00
3-	नाली निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	25-07-2019	38320.00
योग:-			332562.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 332562.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती राबिया खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-348 ग्राम पंचायत रामपुरग्रंटनं 0-18 में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिट्टी व खडन्जा कार्य हेतु	10-07-2019	153244.00
2-	मिट्टी व खडन्जा कार्य हेतु	10-07-2019	67632.00
3-	मिट्टी व खडन्जा कार्य हेतु ईट क्रय	15-07-2019	132874.00
4-	मिट्टी व खडन्जा कार्य हेतु लेबर मिस्त्री व मिट्टी ढुलाई	15-07-2019	21193.00
योग:-			374943.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 374943.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती राबिया खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-349 ग्राम पंचायत रामपुरग्रंटन-0-18 में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	15-07-2019	39446.00
2-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	15-07-2019	52428.00
3-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री व ईट क्रय	15-07-2019	165204.00
4-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	20-07-2019	156978.00
5-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री, मिट्टी पटाई व ढुलाई	20-07-2019	143996.00
6-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री	20-07-2019	51020.00
7-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	20-07-2019	156978.00
8-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर मिस्त्री व मिट्टी ढुलाई	25-07-2019	64571.00
9-	ग्राम पंचायत में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत इण्टर लॉकिंग	16-02-2020	47100.00
10-	हेमपुर में चन्द्रपाल के मकान से बृजलाल के मकान तक नाली इण्टर लॉकिंग	19-02-2020	206861.00
11-	हेमपुर में मूलचन्द्र के मकान से जसकरन के मकान तक नाली इण्टर लॉकिंग	19-02-2020	214417.00
12-	हेमपुर में इन्द्रपाल के मकान से नहरिया सम्पर्क मार्ग तक नाली इण्टर लॉकिंग	21-02-2020	206736.00
13-	हेमपुर में सम्पर्क मार्ग से चन्द्रपाल के मकान से तक मिट्टी, नाली व इण्टर लॉकिंग	21-02-2020	220417.00
14-	हेमपुर में जसकरन के मकान से इन्द्रपाल के मकान तक नाली इण्टर लॉकिंग	22-02-2020	219961.00
15-	हेमपुर में बृजलाल के मकान से मूलचन्द्र के मकान तक नाली इण्टर लॉकिंग	22-02-2020	220615.00
16-	मिट्टी व नाली और इण्टर लॉकिंग कार्य	04-03-2020	168623.00
17-	सरकारगढ़ में शहीम के मकान से मस्जिद तक मिट्टी व इण्टर लॉकिंग	04-03-2020	197625.00
योग:-			2532976.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2532976.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती राबिया खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/श्री इन्द्रजीत से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-350 ग्राम पंचायत रामपुरग्रंटन-0-18 में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक मद	30-12-2019	12780.00
2-	प्रधान मानदेय	08-12-2019	21000.00
3-	स्टेशनरी क्रय, ग्राम प्रधान मानदेय व कम्प्यूटर कार्य	10-07-2019	57155.00
4-	सफाई कार्य हेतु लेबर को	10-07-2019	79785.00
	योग:-		170720.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 170720.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती राबिया खातून से और ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्यानी प्रसाद/श्री इन्द्रजीत से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ग्रंट नं 10

विकास खण्ड - बांकेगंज

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-351

ग्राम पंचायत ग्रंट नं 0-10 में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प कार्य हेतु संजीव कुमार को सामग्री क्रय हेतु	05-06-2019	3800.00
2-	हैण्डपम्प कार्य हेतु संजीव कुमार को सामग्री क्रय हेतु	05-06-2019	17378.00
3-	वर्मा लोहा भण्डार को वास्ते हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-03-2020	95232.00
4-	ए०के० टैंडर्स को वास्ते हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-03-2020	30615.00
5-	लेबर को वास्ते हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-03-2020	91580.00
	योग:-		238605.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 238605.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-352

ग्राम पंचायत ग्रंट नं 0-10 में स्टीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्टीट लाइट हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	25-12-2019	85170.00
2-	स्टीट लाइट हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	25-12-2019	85170.00
3-	स्टीट लाइट हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	25-12-2019	75150.00
4-	स्टीट लाइट हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	26-12-2019	80160.00
5-	स्टीट लाइट हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	26-12-2019	80160.00
6-	स्टीट लाइट हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	26-12-2019	80160.00
7-	प्रकाश व्यवस्था हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	05-02-2020	90176.00
8-	प्रकाश व्यवस्था हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	05-02-2020	90176.00
9-	प्रकाश व्यवस्था हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	05-02-2020	65127.00
10-	प्रकाश व्यवस्था हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	05-02-2020	90176.00
11-	प्रकाश व्यवस्था हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	05-02-2020	90176.00
12-	प्रकाश व्यवस्था हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	05-02-2020	60117.00
13-	स्टीट लाइट स्थापना हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	22-02-2020	90176.00
14-	स्टीट लाइट स्थापना हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	22-02-2020	90176.00

15-	स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु राज इण्टर प्राइजेज को	22-02-2020	65127.00
योग:-			1217397.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1217397.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-353 ग्राम पंचायत ग्रंटनं0-10 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	छेदीलाल माडल शौचालय हेतु ब्रिक्स को	25-01-2020	54389.00
2-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	25-01-2020	41967.00
3-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	25-01-2020	5680.00
4-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	25-01-2020	37600.00
5-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	25-01-2020	15500.00
6-	रामजी मार्बल्स वर्क्स को वास्ते प्रा०वि० में माडल शौचालय निर्माण	03-02-2020	22071.00
योग:-			177207.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 177207.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-354 ग्राम पंचायत ग्रंटनं0-10 में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	23-11-2019	93483.00
2-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मौरंग हेतु	23-11-2019	36422.00
3-	राजाराम फाइन सैण्ड हेतु	23-11-2019	10240.00
4-	लेबर को भुगतान	23-11-2019	39460.00
5-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	24-11-2019	89491.00
6-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मौरंग हेतु	24-11-2019	41392.00
7-	राजाराम फाइन सैण्ड हेतु	24-11-2019	10240.00
8-	लेबर को वास्ते उक्त कार्य हेतु	24-11-2019	37545.00
9-	फूलचन्द्र से रामसागर तक नाली निर्माण में ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मौरंग हेतु	01-12-2019	36422.00
10-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	01-12-2019	10240.00
11-	मजदूरी वास्ते उक्त कार्य	01-12-2019	39460.00
12-	जमुना ब्रिक फील्ड नाली निर्माण	22-12-2019	65430.00

13-	जमुना ब्रिक फील्ड नाली निर्माण	22-12-2019	36225.00
14-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	22-12-2019	39237.00
15-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	22-12-2019	9760.00
16-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	22-12-2019	8960.00
17-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	22-12-2019	53450.00
18-	जमुना ब्रिक फील्ड नाली निर्माण	05-01-2020	46381.00
19-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	05-01-2020	26473.00
20-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	05-01-2020	4935.00
21-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	05-01-2020	55000.00
22-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	05-01-2020	18580.00
23-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट वास्ते नाली निर्माण	12-01-2020	90242.00
24-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	12-01-2020	36138.00
25-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	12-01-2020	8936.00
26-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	12-01-2020	44670.00
27-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	12-01-2020	7680.00
28-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बैलास्ट वास्ते नाली निर्माण	17-01-2020	69808.00
29-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	17-01-2020	27562.00
30-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	17-01-2020	7520.00
31-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	17-01-2020	20000.00
32-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	17-01-2020	23870.00
33-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बैलास्ट वास्ते नाली निर्माण	18-01-2020	79139.00
34-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	18-01-2020	29673.00
35-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	18-01-2020	8000.00
36-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	20-01-2020	21930.00
37-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	20-01-2020	26500.00
38-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बैलास्ट वास्ते नाली निर्माण	20-01-2020	56152.00
39-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	20-01-2020	21650.00
40-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	20-01-2020	6216.00
41-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	20-01-2020	8740.00
42-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	20-01-2020	25900.00
43-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	18-01-2020	13816.00
44-	जमुना ब्रिक अम्बेडकर नगर में जिबरेल से सुनील तक नाली निर्माण	09-02-2020	68834.00
45-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	09-02-2020	6320.00
46-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-02-2020	30170.00
47-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-02-2020	7000.00
48-	जमुना ब्रिक नाली	09-02-2020	78435.00
49-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	09-02-2020	29493.00
50-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	09-02-2020	8240.00
51-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-02-2020	24020.00
52-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-02-2020	22130.00
53-	हैण्डपम्प मरम्मत	09-02-2020	4000.00
54-	श्यामजी ट्रेडर्स को वास्ते कार्य	12-02-2020	8377.00
55-	श्यामजी ट्रेडर्स को वास्ते कार्य	12-02-2020	14591.00
56-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	12-02-2020	38952.00
57-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	18-02-2020	9760.00
58-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	18-02-2020	36230.00
59-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	18-02-2020	26240.00
60-	आर०एल० कम्पनी को वास्ते उक्त कार्य नाली निर्माण	22-02-2020	43731.00
61-	आर०एल० कम्पनी को वास्ते उक्त कार्य नाली निर्माण	22-02-2020	57960.00
62-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	22-02-2020	32618.00
63-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	22-02-2020	7648.00
64-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	22-02-2020	7000.00
65-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	22-02-2020	38210.00
66-	वी०के० ईट उद्योग को वास्ते उक्त कार्य	22-02-2020	73516.00
67-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	06-03-2020	8929.00

68-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बैलास्ट वास्ते नाली निर्माण	06-03-2020	66537.00
69-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	06-03-2020	18672.00
70-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	06-03-2020	6400.00
71-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	06-03-2020	27750.00
72-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	06-03-2020	5750.00
73-	आर०एल० जे०पी० ईट भटठा को कोठीपुर में महेन्द्र से बांकेगंज तिराहा तक नाली निर्माण	11-03-2020	28287.00
74-	आर०एल० जे०पी० ईट भटठा को कोठीपुर में महेन्द्र से बांकेगंज तिराहा तक नाली निर्माण	11-03-2020	36225.00
75-	आर०एल० जे०पी० ईट भटठा को कोठीपुर में महेन्द्र से बांकेगंज तिराहा तक नाली निर्माण	11-03-2020	35790.00
76-	अंसार ट्रेडिंग को वास्ते उक्त कार्य	11-03-2020	38622.00
77-	सैण्ड वर्क को वास्ते उक्त कार्य	11-03-2020	9920.00
78-	नाली निर्माण कार्य हेतु लेबर व मिस्त्री को भुगतान	15-03-2020	61080.00
79-	नाली निर्माण	16-03-2020	90255.00
80-	नाली निर्माण	16-03-2020	33701.00
81-	नाली निर्माण	16-03-2020	9160.00
82-	सामग्री क्रय वास्ते हैण्डपम्प से कालिका की बाग तक नाली निर्माण	20-03-2020	51062.00
83-	लेबर को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	70200.00
84-	सामग्री क्रय वास्ते हैण्डपम्प से कालिका तक नाली निर्माण	20-03-2020	97323.00
85-	अंसार ट्रेडिंग को वास्ते जिब्राइल से सुनील तक नाली निर्माण	20-03-2020	23301.00
योग:-			2835407.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2835407.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-355 ग्राम पंचायत ग्रंटनं०-10 में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जमुना ब्रिक फील्ड खडन्जा निर्माण	21-12-2019	80640.00
2-	जमुना ब्रिक फील्ड खडन्जा निर्माण	21-12-2019	85008.00
3-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	21-12-2019	9657.00
4-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	21-12-2019	45650.00
5-	जमुना ब्रिक फील्ड खडन्जा निर्माण	24-12-2019	46133.00
6-	जमुना ब्रिक फील्ड खडन्जा निर्माण	24-12-2019	87360.00
7-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय वास्ते खडन्जा निर्माण	24-12-2019	8820.00
8-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा निर्माण	24-12-2019	21310.00
9-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा निर्माण	24-12-2019	16750.00
10-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा निर्माण	11-01-2020	51390.00
11-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा निर्माण	11-01-2020	16000.00
12-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट वास्ते खडन्जा मरम्मत	11-01-2020	85176.00
13-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	11-01-2020	13279.00
14-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट ब्लास्ट वास्ते खडन्जा मरम्मत	18-01-2020	71917.00
15-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा मरम्मत	18-01-2020	47940.00
16-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा मरम्मत	20-01-2020	11750.00
17-	जमुना ब्रिक फील्ड खडन्जा	23-01-2020	60480.00

18-	जमुना ब्रिक फील्ड खडन्जा	23-01-2020	67247.00
19-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	25-01-2020	11880.00
20-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	25-01-2020	98770.00
21-	जमुना ब्रिक फील्ड को खडन्जा	06-02-2020	87662.00
22-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा निर्माण	06-02-2020	41700.00
23-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते खडन्जा निर्माण	06-02-2020	26080.00
24-	आर०एल० कम्पनी को वास्ते उक्त कार्य खडन्जा मरम्मत	23-02-2020	69666.00
25-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	23-02-2020	8526.00
26-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	23-02-2020	25360.00
27-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	23-02-2020	20540.00
28-	वी०के० ईट उद्योग को वास्ते उक्त कार्य खडन्जा मरम्मत	24-02-2020	31180.00
29-	वी०के० ईट उद्योग को वास्ते उक्त कार्य खडन्जा मरम्मत	24-02-2020	17940.00
30-	वी०के० ईट उद्योग को वास्ते उक्त कार्य खडन्जा मरम्मत	24-02-2020	41400.00
31-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	24-02-2020	20492.00
32-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	24-02-2020	6053.00
33-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	24-02-2020	23720.00
34-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	24-02-2020	33000.00
35-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	24-02-2020	6000.00
36-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट वास्ते उमेश से वीरेन्द्र तक खडन्जा मरम्मत	24-02-2020	36792.00
37-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय वास्ते खडन्जा मरम्मत	24-02-2020	6072.00
38-	आरएल०जे०पी० ईट भटठा को वास्ते सुभानपुर में रामसनेही से जगदीश तक खडन्जा कार्य	11-03-2020	42517.00
39-	सैण्ड वर्क वास्ते उक्त कार्य	11-03-2020	5711.00
40-	सैण्ड वर्क वास्ते उक्त कार्य	11-03-2020	5604.00
41-	खडन्जा निर्माण कार्य	15-03-2020	27440.00
42-	खडन्जा निर्माण कार्य	15-03-2020	26800.00
43-	खडन्जा निर्माण कार्य	15-03-2020	97440.00
44-	खडन्जा निर्माण कार्य	15-03-2020	98246.00
45-	खडन्जा निर्माण कार्य	15-03-2020	5604.00
46-	खडन्जा निर्माण कार्य	15-03-2020	26800.00
47-	खडन्जा निर्माण कार्य	16-03-2020	29635.00
48-	खडन्जा निर्माण कार्य	16-03-2020	36628.00
49-	खडन्जा निर्माण कार्य	16-03-2020	14219.00
50-	खडन्जा निर्माण कार्य	16-03-2020	3572.00
51-	खडन्जा निर्माण कार्य	16-03-2020	33500.00
52-	आर०एल०ए० ईट भटठा को वास्ते पसियापुर में खडन्जा से दाताराम तक खडन्जा निर्माण	22-03-2020	73080.00
53-	कार्टेज/मिटटी वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	5604.00
54-	लेबर को वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	21740.00
55-	सामग्री क्रय वास्ते लड्डन से ओमप्रकाश तक खडन्जा निर्माण	22-03-2020	65285.00
56-	कार्टेज/मिटटी वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	3466.00
57-	लेबर को वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	17460.00
58-	लेबर को विभिन्न स्थानों पर खडन्जा	22-03-2020	90410.00
योग:-			2170101.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना,

कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2170101.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-356 ग्राम पंचायत ग्रंटनं0-10 में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	लेबर व मिस्त्री को वास्ते हरीपुर में इण्टर लॉकिंग	04-06-2019	39800.00
2-	लेबर भुगतान	04-06-2019	33825.00
3-	लेबर भुगतान	04-06-2019	7875.00
4-	लेबर भुगतान	04-06-2019	6800.00
5-	लेबर भुगतान	04-06-2019	43520.00
6-	लेबर भुगतान	12-06-2019	3708.00
7-	लेबर भुगतान	20-06-2019	19800.00
8-	लेबर भुगतान	20-06-2019	44550.00
9-	रईस को फाइन सैण्ड हेतु भुगतान	18-10-2019	9376.00
10-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	18-10-2019	36080.00
11-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट क्रय हेतु	18-10-2019	85370.00
12-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	18-10-2019	34711.00
13-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट क्रय हेतु	26-10-2019	14175.00
14-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	26-10-2019	8703.00
15-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	26-10-2019	44000.00
16-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	26-10-2019	71500.00
17-	राजाराम के बालू व फाइन सैण्ड हेतु	26-10-2019	6600.00
18-	लेबर व मिस्त्री	26-10-2019	22210.00
19-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	26-10-2019	14437.00
20-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	26-10-2019	8703.00
21-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	26-10-2019	48400.00
22-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	26-10-2019	67100.00
23-	बालू क्रय हेतु	26-10-2019	6788.00
24-	लेबर व मिस्त्री हेतु	26-10-2019	22210.00
25-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	05-11-2019	35311.00
26-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	05-11-2019	22446.00
27-	बालू क्रय हेतु	05-11-2019	17015.00
28-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	05-11-2019	88000.00
29-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	05-11-2019	88000.00
30-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	05-11-2019	40150.00
31-	लेबर व मिस्त्री हेतु	05-11-2019	48480.00
32-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	14-11-2019	32919.00
33-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	14-11-2019	20735.00
34-	बालू क्रय हेतु	14-11-2019	6695.00
35-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	14-11-2019	33000.00
36-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	14-11-2019	33000.00
37-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग टाइल्स क्रय हेतु	14-11-2019	47960.00
38-	लेबर व मिस्त्री हेतु	14-11-2019	26270.00
39-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	14-11-2019	46875.00
40-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	14-11-2019	32550.00
41-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	14-11-2019	44677.00
42-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	14-11-2019	39906.00
43-	बालू क्रय	21-11-2019	12200.00
44-	लेबर व मिस्त्री को	21-11-2019	54795.00
45-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	21-11-2019	48825.00
46-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु	21-11-2019	44658.00
47-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मोरंग हेतु	21-11-2019	36422.00

48-	बालू क्रय	21-11-2019	10240.00
49-	लेबर व मिस्त्री को	23-11-2019	39460.00
50-	लेबर व मिस्त्री को	23-11-2019	54795.00
51-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग क्रय हेतु	25-11-2019	88000.00
52-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग क्रय हेतु	25-11-2019	44000.00
53-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	25-11-2019	35311.00
54-	ए०के० ट्रेडर्स को सीमेन्ट व मौरंग हेतु	25-11-2019	22446.00
55-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	25-11-2019	17015.00
56-	राजा टाइल्स को इण्टर लॉकिंग क्रय हेतु	25-11-2019	84150.00
57-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	26-11-2019	93483.00
58-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	04-12-2019	35311.00
59-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	04-12-2019	22446.00
60-	लेबर व मिस्त्री	04-12-2019	48480.00
61-	राजा टाइल्स हेतु इण्टर लॉकिंग	04-12-2019	88000.00
62-	राजा टाइल्स हेतु इण्टर लॉकिंग	04-12-2019	44000.00
63-	लेबर व मिस्त्री	05-12-2019	54795.00
64-	राजा टाइल्स हेतु इण्टर लॉकिंग	07-12-2019	33990.00
65-	सेण्ड व लोकल सेण्ड क्रय	07-12-2019	2605.00
66-	लेबर व मिस्त्री	07-12-2019	15000.00
67-	लेबर व मिस्त्री	07-12-2019	1800.00
68-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	07-12-2019	15855.00
69-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	07-12-2019	8883.00
70-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय हेतु नाली निर्माण	10-12-2019	40459.00
71-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	10-12-2019	23943.00
72-	सेण्ड व लोकल सेण्ड क्रय	10-12-2019	5655.00
73-	राजा टाइल्स हेतु इण्टर लॉकिंग	10-12-2019	71610.00
74-	लेबर व मिस्त्री	10-12-2019	18000.00
75-	लेबर व मिस्त्री	10-12-2019	9690.00
76-	राजा टाइल्स हेतु इण्टर लॉकिंग	27-12-2019	55000.00
77-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	27-12-2019	17690.00
78-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	27-12-2019	9750.00
79-	राजा टाइल्स हेतु इण्टर लॉकिंग	27-12-2019	86636.00
80-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	27-12-2019	22580.00
81-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	27-12-2019	10500.00
82-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	27-12-2019	13960.00
83-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट ब्लास्ट हेतु इण्टर लॉकिंग	03-01-2020	78836.00
84-	नारन उद्योग को इण्टर लॉकिंग ब्रिक वास्ते उक्त कार्य	08-01-2020	60346.00
85-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	08-01-2020	11515.00
86-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	08-01-2020	7650.00
87-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	08-01-2020	10000.00
88-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट ब्लास्ट हेतु इण्टर लॉकिंग	09-01-2020	38545.00
89-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	09-01-2020	24117.00
90-	सेण्ड व लोकल सेण्ड क्रय	09-01-2020	7820.00
91-	नारन उद्योग को इण्टर लॉकिंग ब्रिक वास्ते उक्त कार्य	09-01-2020	55000.00
92-	नारन उद्योग को इण्टर लॉकिंग ब्रिक वास्ते उक्त कार्य	09-01-2020	61886.00
93-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-01-2020	2250.00
94-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-01-2020	28755.00
95-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-01-2020	3600.00
96-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	09-01-2020	1700.00
97-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट ब्लास्ट हेतु इण्टर लॉकिंग	11-01-2020	91495.00

98-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	11-01-2020	34839.00
99-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	11-01-2020	9080.00
100-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	11-01-2020	40100.00
101-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	11-01-2020	13000.00
102-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	13-01-2020	24966.00
103-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	13-01-2020	19659.00
104-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	13-01-2020	99000.00
105-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	16-01-2020	90310.00
106-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट ब्लास्ट हेतु इण्टर लॉकिंग	16-01-2020	39375.00
107-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	16-01-2020	57910.00
108-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	25-01-2020	21195.00
109-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	29-01-2020	22678.00
110-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	29-01-2020	54780.00
111-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	29-01-2020	55000.00
112-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	29-01-2020	10220.00
113-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	29-01-2020	16280.00
114-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	29-01-2020	19800.00
115-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट ब्लास्ट हेतु इण्टर लॉकिंग	30-01-2020	36513.00
116-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	30-01-2020	20057.00
117-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	30-01-2020	96140.00
118-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	30-01-2020	6916.00
119-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	30-01-2020	29580.00
120-	आर०एल० एस० को टोडीपुर में किशोरी से जगदीश तक इण्टर लॉकिंग	03-02-2020	35607.00
121-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा वास्ते बेचापुर में उपेन्द्र के मकान से मदन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	12-02-2020	32525.00
122-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	12-02-2020	20545.00
123-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	12-02-2020	63140.00
124-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	12-02-2020	22380.00
125-	बालू क्रय वास्ते बेचापुर में उपेन्द्र से मदन तक इण्टर लॉकिंग	17-02-2020	5999.00
126-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा वास्ते जिब्राइल से सुनील तक इण्टर लॉकिंग	17-02-2020	22404.00
127-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	17-02-2020	11186.00
128-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	17-02-2020	17404.00
129-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	17-02-2020	55000.00
130-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	17-02-2020	52184.00
131-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	17-02-2020	7350.00
132-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	17-02-2020	21850.00
133-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा वास्ते जिब्राइल से सुनील तक इण्टर लॉकिंग	17-02-2020	13067.00
134-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	17-02-2020	8835.00
135-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	17-02-2020	7753.00
136-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	17-02-2020	48400.00
137-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	17-02-2020	82082.00
138-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	18-02-2020	20040.00
139-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	18-02-2020	9790.00
140-	आर०एल० कम्पनी को वास्ते उक्त कार्य इण्टर लॉकिंग	23-02-2020	9696.00
141-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	23-02-2020	5508.00
142-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	23-02-2020	2879.00
143-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	23-02-2020	26488.00
144-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	23-02-2020	6230.00
145-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	23-02-2020	3250.00
146-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-03-2020	8936.00
147-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-03-2020	66000.00
148-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-03-2020	42680.00
149-	इण्टर लॉकिंग कार्य	20-03-2020	31860.00
150-	नाली निर्माण	20-03-2020	54880.00
151-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा को इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	13815.00

152-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	9120.00
153-	सैण्ड वर्क को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	7976.00
154-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	88000.00
155-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	45254.00
156-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	20-03-2020	25660.00
157-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा को कोठीपुर में किशन से परशुराम तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	14713.00
158-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	9690.00
159-	सैण्ड वर्क को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	8370.00
160-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	96800.00
161-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	44880.00
162-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	20-03-2020	30470.00
163-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा को वास्ते उमेश से तेजपाल तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	36661.00
164-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	14603.00
165-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा को वास्ते रईस से मुरली तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	33689.00
166-	सामग्री क्रय वास्ते रईस से मुरली तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	20-03-2020	104033.00
167-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा को वास्ते संजय से नेतराम तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	22-03-2020	35302.00
168-	ए०के० ट्रेडर्स को वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	19808.00
169-	सैण्ड वर्क को वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	6550.00
170-	राजा टाइल्स को वास्ते उक्त कार्य	22-03-2020	80300.00
171-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	22-03-2020	28440.00
172-	लेबर को वास्ते रमेश गोयाल से मुरली तक इण्टर लॉकिंग	22-03-2020	26300.00
योग:-			5743963.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 5743963.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-357 ग्राम पंचायत ग्रंटनं0-10 में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	11-12-2019	87024.00
2-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	11-12-2019	51028.00
3-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	11-12-2019	7240.00
4-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	11-12-2019	15300.00
5-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	11-12-2019	54600.00
6-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	13-12-2019	33571.00
7-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	13-12-2019	26040.00

8-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	13-12-2019	17716.00
9-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	13-12-2019	5897.00
10-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	13-12-2019	17820.00
11-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	17-12-2019	46646.00
12-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	17-12-2019	8543.00
13-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	17-12-2019	2200.00
14-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान वास्ते प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण	17-12-2019	16680.00
15-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय वास्ते नाली निर्माण	27-12-2019	46562.00
16-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	27-12-2019	27893.00
17-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय वास्ते	27-12-2019	4984.00
18-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट बालू व सीमेन्ट क्रय वास्ते नाली निर्माण	27-12-2019	45309.00
19-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	27-12-2019	24742.00
20-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	03-01-2020	7140.00
21-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	03-01-2020	49385.00
22-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	03-01-2020	16280.00
23-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	03-01-2020	44000.00
24-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	03-01-2020	44000.00
25-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	05-01-2020	44000.00
26-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	05-01-2020	49500.00
27-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	05-01-2020	49500.00
28-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	05-01-2020	44040.00
29-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	05-01-2020	18290.00
30-	जमुना ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	06-01-2020	45309.00
31-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	06-01-2020	26082.00
32-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	06-01-2020	6692.00
33-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	06-01-2020	86680.00
34-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	06-01-2020	6250.00
35-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	06-01-2020	30560.00
36-	जमुना ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	08-01-2020	35694.00
37-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	08-01-2020	21566.00
38-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	08-01-2020	8110.00
39-	रतनलाल जगदीश प्रसाद ईट भटठा से ईट वास्ते इण्टर लॉकिंग	21-01-2020	35425.00
40-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	21-01-2020	21579.00
41-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	21-01-2020	9950.00
42-	नारायण ईट उद्योग	21-01-2020	50380.00
43-	आर०एल०जे०पी० ईट भटठा वास्ते	12-02-2020	36027.00
44-	ए०के० ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु	12-02-2020	22832.00
45-	सैण्ड व लोकल सैण्ड क्रय	12-02-2020	7325.00
46-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	12-02-2020	55000.00
47-	राजा टाइल्स हेतु उक्त कार्य	12-02-2020	51370.00
48-	लेबर व मिस्त्री को भुगतान	12-02-2020	28580.00
योग:-			1491341.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1491341.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-358 ग्राम पंचायत ग्रंटनं०-10 में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	25-12-2019	17500.00
2-	प्रधान मानदेय	04-02-2020	42000.00
3-	मास्टर कम्प्यूटर्स को स्टेशनरी हेतु	17-02-2020	15600.00
4-	मास्टर कम्प्यूटर्स को स्टेशनरी हेतु	17-02-2020	10500.00
5-	मास्टर कम्प्यूटर्स को स्टेशनरी हेतु	17-02-2020	4000.00
6-	सप्लीमेन्ट्री प्लान फीडिंग	17-02-2020	2000.00
7-	प्रधान मानदेय	22-02-2020	31500.00
8-	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण	09-03-2020	47100.00
9-	प्रधान मानदेय	22-03-2020	7000.00
योग:-			177200.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 177200.00 में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से और ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सुआबोझ विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-359 ग्राम पंचायत सुआबोझ में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सीमेन्ट, फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, स्टोर ग्रीट (कार्य विवरण नहीं है)	19-12-2019	17991.00
2-	लेबर भुगतान (कार्य विवरण नहीं है)	03-01-2020	16460.00
3-	लेबर भुगतान (कार्य विवरण नहीं है)	21-01-2020	46840.00
4-	लेबर भुगतान (कार्य विवरण नहीं है)	21-01-2020	57080.00
5-	सीमेन्ट (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	31616.00
6-	कोर्स सैण्ड, स्टोर ग्रीट (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	12782.00
7-	फाइन सैण्ड, लोकल सैण्ड (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	16178.00
8-	सीमेन्ट (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	29286.00
9-	कोर्स सैण्ड, फाइन सैण्ड (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	22129.00
10-	सीमेन्ट, ब्रिक बैलास्ट, फाइन सैण्ड, लोकल सैण्ड, स्टोर ग्रीट	06-02-2020	67185.00
11-	लेबर भुगतान	20-02-2020	21780.00
12-	लेबर भुगतान	20-02-2020	8280.00
13-	लेबर भुगतान	25-02-2020	36700.00
14-	लेबर भुगतान	26-02-2020	51210.00
15-	लेबर व मिस्त्री भुगतान	26-02-2020	77260.00
16-	सीमेन्ट, ब्रिक बैलास्ट, फाइन सैण्ड, लोकल सैण्ड, स्टोर ग्रीट	26-02-2020	62602.00
17-	लेबर व मिस्त्री भुगतान	04-03-2020	54630.00
18-	लेबर व मिस्त्री भुगतान	04-03-2020	30520.00
19-	लेबर व मिस्त्री भुगतान	04-03-2020	19680.00
20-	लेबर भुगतान	17-03-2020	2500.00
21-	लेबर भुगतान	21-03-2020	17900.00
22-	लेबर भुगतान	21-03-2020	66140.00
23-	लेबर भुगतान	21-03-2020	18350.00
24-	लेबर भुगतान	21-03-2020	29520.00

25-	लेबर भुगतान	21-03-2020	62470.00
26-	लेबर भुगतान	21-03-2020	66890.00
27-	सीमेन्ट क्रय	21-03-2020	6323.00
28-	फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, लोकल सैण्ड	21-03-2020	6891.00
29	लेबर व मिस्त्री भुगतान	22-03-2020	50210.00
30-	लेबर भुगतान	27-03-2018	5000.00
31-	लेबर भुगतान	28-03-2020	117750.00
32-	लेबर भुगतान	28-03-2020	12290.00
33-	सीमेन्ट	28-03-2020	7987.00
34-	लेबर	28-03-2020	55800.00
35-	लेबर	28-03-2020	27900.00
36-	सीमेन्ट	28-03-2020	3994.00
37-	लेबर	28-03-2020	37200.00
38-	सीमेन्ट	28-03-2020	5325.00
39-	सीमेन्ट	28-03-2020	15309.00
40-	लेबर	30-03-2020	5000.00
41-	सीमेन्ट	30-03-2020	37939.00
42-	लेबर	30-03-2020	26050.00
43-	लेबर	30-03-2020	3560.00
44-	लेबर	30-03-2020	5340.00
45-	लेबर	31-03-2020	68030.00
46-	लेबर	31-03-2020	2670.00
47-	लेबर	31-03-2020	5000.00
योग:-			1449547.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यो तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1449547.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-360 ग्राम पंचायत सुआबोझ में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ब्रिक और ब्रिक बैलास्ट (कार्य विवरण नहीं है)	19-12-2019	20441.00
2-	इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स (कार्य विवरण नहीं है)	19-12-2019	71078.00
3-	ब्रिक्स भुगतान (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	36787.00
4-	ब्रिक्स बैलास्ट (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	29426.00
5-	ब्रिक्स बैलास्ट (कार्य विवरण नहीं है)	22-01-2020	38005.00
6-	ब्रिक्स	06-02-2020	246133.00
7-	इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स (कार्य विवरण नहीं है)	06-02-2020	258691.00
8-	इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स (कार्य विवरण नहीं है)	13-02-2020	236573.00
9-	इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स (कार्य विवरण नहीं है)	13-02-2020	332288.00
10-	ब्रिक्स कार्य, लेबर व मिस्त्री भुगतान	20-02-2020	53240.00
11-	ब्रिक्स कार्य	20-02-2020	109133.00
12-	ब्रिक्स कार्य	20-02-2020	70157.00

13-	ब्रिक्स कार्य	20-02-2020	133493.00
14-	ब्रिक्स कार्य	20-02-2020	180700.00
15-	ब्रिक्स कार्य	20-02-2020	190411.00
16-	ब्रिक्स कार्य	20-02-2020	277267.00
17-	ब्रिक्स, ब्रिक बैलास्ट कार्य	26-02-2020	60348.00
18-	इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स	26-02-2020	305809.00
19-	ब्रिक्स, ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक वैट	29-02-2020	50013.00
20-	फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, स्टोर ग्रीट, सीमेन्ट	29-02-2020	28377.00
21-	पी०वी०सी० पाइप, स्टील भुगतान	29-02-2020	5514.00
22-	ब्रिक्स	29-02-2020	105766.00
23-	ब्रिक्स	04-03-2020	238089.00
24-	ब्रिक्स	05-03-2020	223373.00
25-	ब्रिक्स	05-03-2020	180506.00
26-	ब्रिक्स कार्य	08-03-2020	176333.00
27-	ब्रिक्स कार्य	08-03-2020	94080.00
28-	ब्रिक्स कार्य	13-03-2020	75062.00
29-	ब्रिक, ब्रिक बैलास्ट	21-03-2020	16417.00
30-	इण्टर लॉकिंग विवरण	21-03-2020	49324.00
31-	ब्रिक बैलास्ट	28-03-2020	1795.00
32-	पी०वी०सी० पाइप, जी०आई० पाइप आदि	28-03-2020	42190.00
33-	ब्रिक बैलास्ट	28-03-2020	56253.00
34-	ब्रिक, ब्रिक बैलास्ट	28-03-2020	37269.00
35-	इण्टर लॉकिंग विवरण	28-03-2020	86577.00
36-	ब्रिक्स, ब्रिक बैलास्ट कार्य	30-03-2020	84915.00
37-	इण्टर लॉकिंग विवरण	30-03-2020	267907.00
योग:-			4469740.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 4469740.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-361 ग्राम पंचायत सुआबोझ में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान	28-06-2019	12063.00
2-	स्टेशनरी और फोटोकापी	30-11-2019	2500.00
3-	ग्राम प्रधान मानदेय (कार्य विवरण नहीं है)	03-01-2020	7000.00
4-	लीवर	11-02-2020	70810.00
5-	कम्प्यूटर टाइपिंग, फोटोकापी, फोटो	26-02-2020	13290.00
6-	वृक्ष सीपैड कार्य	27-02-2020	47100.00
7-	प्रधान मानदेय	29-02-2020	21000.00
8-	कार्टेज भुगतान	05-03-2020	5200.00
9-	कार्टेज भुगतान	05-03-2020	8800.00
10-	कार्टेज भुगतान	05-03-2020	8160.00

11-	कार्टेज भुगतान	08-03-2020	8800.00
12-	कार्टेज भुगतान	08-03-2020	3633.00
13-	कार्टेज भुगतान	13-03-2020	5600.00
14-	कार्टेज भुगतान	27-03-2020	106149.00
15-	पी०वी०सी० पाइप, जी०आई० पाइप आदि	28-03-2020	84379.00
16-	स्टोर ग्रिट, कोर्स सैण्ड, फाइन सैण्ड	28-03-2020	12017.00
17-	स्टोर ग्रिट, कोर्स सैण्ड, फाइन सैण्ड	28-03-2020	6919.00
18-	स्टोर ग्रिट, कोर्स सैण्ड, फाइन सैण्ड आदि	28-03-2020	9208.00
19-	फाइन सैण्ड, लोकल सैण्ड	28-03-2020	6472.00
20-	कोर्स सैण्ड, स्टोन ग्रिट	28-03-2020	8682.00
21-	प्रधान मानदेय	30-03-2020	3500.00
22-	फाइन सैण्ड, लोकल सैण्ड कार्य	30-03-2020	18351.00
23-	कोर्स सैण्ड, स्टोन ग्रिट कार्य	30-03-2020	17614.00
योग:-			487247.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 487247.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सलावतनगर

विकास खण्ड – बांकेगंज

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-362

ग्राम पंचायत सलावतनगर में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रियासाफ्ट/केशबुक मे निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
2-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
3-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
4-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
5-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
6-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
7-	कोरियानी में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	08-03-2020	35070.00
योग:-			245490.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 245490.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-363 ग्राम पंचायत सलावतनगर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट/कैशबुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कोरियानी में रामविलास के घर से तालाब तक नाली मरम्मत पर	30-03-2020	62080.00
2-	कोरियानी में रामविलास के घर से तालाब तक नाली मरम्मत पर	30-03-2020	2500.00
3-	कोरियानी में रामविलास के घर से तालाब तक नाली मरम्मत पर	30-03-2020	2500.00
4-	कोरियानी में रामविलास के घर से तालाब तक नाली मरम्मत पर	30-03-2020	2500.00
5-	तौफीक के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य पर ब्रिक और रोड़ा कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर और सप्लायर को	09-01-2020	41932.00
6-	सीमेंट कार्य वर्षा कान्ट्रेक्टर को वास्ते उक्त कार्य	09-01-2020	13645.00
7-	सरिया कार्य वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को वास्ते उक्त कार्य	09-01-2020	12991.00
8-	मौरंग आदि वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को वास्ते उक्त कार्य	09-01-2020	20428.00
9-	मजदूरी और मिस्त्री के वास्ते उक्त कार्य	14-01-2020	21660.00
10-	कोरियानी में रामविलास के घर से तालाब तक नाली मरम्मत कार्य पर ब्रिक कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एवं सप्लायर को	06-03-2020	38398.00
11-	कोरियानी में रामविलास के घर से तालाब तक नाली मरम्मत कार्य पर ब्रिक कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एवं सप्लायर को	06-03-2020	28980.00
12-	उक्त कार्य पर सीमेंट कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	42598.00
13-	उक्त कार्य पर मौरंग कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	19025.00
14-	उक्त कार्य पर बालू कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	10164.00
15-	उक्त कार्य पर सरिया क्रय हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	2086.00
16-	लेबर और मिस्त्री वास्ते उक्त कार्य	06-03-2020	69730.00
योग:-			391217.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 391217.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-364 ग्राम पंचायत सलावतनगर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट/कैशबुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	उ०प्रा०वि० कोरियानी में सुन्दरीकरण कार्य हेतु रमेश ट्रेडिंग कम्पनी को	16-12-2019	46728.00
2-	उ०प्रा०वि० कोरियानी में सुन्दरीकरण कार्य हेतु रमेश ट्रेडिंग कम्पनी को	16-12-2019	46728.00
3-	उ०प्रा०वि० कोरियानी में सुन्दरीकरण कार्य हेतु रमेश ट्रेडिंग कम्पनी को	21-12-2019	29854.00
4-	उ०प्रा०वि० कोरियानी में सुन्दरीकरण कार्य हेतु रमेश ट्रेडिंग कम्पनी को	21-12-2019	17306.00
5-	गोपाल ब्रिक्स से ब्रिक कार्य हेतु वास्ते उक्त कार्य	22-12-2019	33781.00
6-	रमेश ट्रेडिंग कम्पनी को मौरंग, गिटटी, बालू आदि हेतु वास्ते उक्त कार्य	22-12-2019	14284.00
7-	मजदूरी और मिस्त्री वास्ते उक्त कार्य	22-12-2019	32200.00
8-	प्रा०वि० नारंग में सुन्दरीकरण कार्य हेतु ब्रिक क्रय वास्ते कमलावती कान्ट्रेक्टर को भुगतान	19-03-2020	38181.00
9-	प्रा०वि० नारंग में सुन्दरीकरण कार्य हेतु रोड़ा क्रय वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	28628.00
10-	प्रा०वि० नारंग में सुन्दरीकरण कार्य हेतु बालू, मौरंग आदि क्रय वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	15620.00
11-	प्रा०वि० नारंग में सुन्दरीकरण कार्य पर कार्टेज वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	3523.00

12-	रमेश चन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी को ब्रिक क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	43094.00
13-	रमेश चन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी को ब्रिक क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	46728.00
14-	रमेश चन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी को ब्रिक क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	46728.00
15-	रमेश चन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी को ब्रिक क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	46728.00
16-	रमेश चन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी को ब्रिक क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	19-03-2020	46728.00
17-	रमेश चन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी को ब्रिक क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	30950.00
18-	कमलावती कान्स्ट्रक्टर को मौरंग, गिटटी क्रय हेतु वास्ते उक्त कार्य	20-03-2020	12905.00
19-	उ०प्रा०वि० कोरियानी में रिचार्ज पिट निर्माण कार्य पर ब्रिक कार्य वास्ते वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को	28-02-2020	10002.00
20-	सीमेन्ट हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को वास्ते उक्त कार्य	28-02-2020	1664.00
21-	बालू गिटटी हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को वास्ते उक्त कार्य	28-02-2020	4011.00
22-	पाइप हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को वास्ते उक्त कार्य	28-02-2020	1103.00
23-	मिस्त्री और लेबर वास्ते उक्त कार्य	28-02-2020	3670.00
24-	टेण्डर प्रकाश हेतु टाइम ऑफ सरिता को	28-02-2020	5500.00
योग:-			606644.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 606644.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-365 ग्राम पंचायत सलावतनगर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रियासाफ्ट/कैशबुक पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मजदूरी भुगतान वास्ते तौफीक के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	31-07-2019	30000.00
2-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	46728.00
3-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	46728.00
4-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	46728.00
5-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	46728.00
6-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	46728.00
7-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	46728.00
8-	गयादीन के घर से सन्तराम के खेत तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य हेतु इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु रामवश ट्रेडिंग कम्पनी	17-12-2019	24922.00
9-	मजदूरी और मिटटी वास्ते उक्त कार्य	22-12-2019	19960.00
10-	गोयल ब्रिक को रोड कार्य हेतु वास्ते उक्त कार्य	30-03-2020	30030.00
11-	सलावतनगर में सासायटी से खलिहान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर ब्रिक क्रय हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	43470.00
12-	उक्त कार्य पर रोड़ा क्रय हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	45004.00
13-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	35942.00
14-	उपरोक्त कार्य पर मौरंग, मिटटी आदि हेतु वर्षा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	37051.00

15-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय वास्ते वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
16-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय वास्ते वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
17-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय वास्ते वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
18-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय वास्ते वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
19-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय वास्ते वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
20-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय वास्ते वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	32190.00
21-	लेबर और मिस्त्री को वास्ते उक्त कार्य	30-03-2020	66140.00
22-	सलावतनगर में कामता के खेत से रामचरन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर रोड़ा कार्य वास्ते वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	18204.00
23-	उक्त कार्य पर ब्रिक क्रय वास्ते वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	38399.00
24-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय वास्ते वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	23629.00
25-	उक्त कार्य पर मौरंग, मिटटी आदि वास्ते वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	30-03-2020	24032.00
26-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
27-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
28-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	46728.00
29-	उपरोक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	44236.00
30-	उपरोक्त कार्य पर लेबर और मिस्त्री कार्य हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज	30-03-2020	43870.00
31-	सलावतनगर में तौफीक के घर से मेन खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य पर ब्रिक कार्य हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	54193.00
32-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट क्रय हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	33613.00
33-	उक्त कार्य पर मौरंग क्रय हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	19194.00
34-	उक्त कार्य पर बालू क्रय हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	11256.00
35-	उक्त कार्य पर सीमेन्ट रोड़ा हेतु वर्षा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर को	06-03-2020	27182.00
36-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज को	06-03-2020	46728.00
37-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज को	06-03-2020	46728.00
38-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज को	06-03-2020	46728.00
39-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज को	06-03-2020	46728.00
40-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज को	06-03-2020	46728.00
41-	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ब्रिक क्रय हेतु वर्मा इण्टर प्राइजेज को	06-03-2020	45300.00
42-	मिस्त्री और लेबर वास्ते उक्त कार्य	06-03-2020	64860.00
योग:-			1700509.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1700509.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-366 ग्राम पंचायत सलावतनगर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्टेशनरी क्रय हेतु शुक्ला बुक डिपो	30-11-2019	2000.00
2-	प्रधान मानदेय	30-03-2020	10500.00
3-	प्रधान मानदेय	15-01-2020	31500.00

4-	फोटोकापी, फोटो, टाइपिंग आदि क्रय हेतु कुन्ज बिहारी मास्टर कम्प्यूटर्स ओर प्रिन्टर्स को	25-02-2020	7737.00
5-	अज्ञात (विवरण नहीं)	27-02-2020	3517.00
	योग:-		55254.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 55254.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जिंगनहाखानपुर विकास खण्ड - लखीमपुर वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-367

ग्राम पंचायत जिंगनहा खानपुर में आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की केवल कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	36431	प्रधान	10-07-2018	15000.00
		47985	श्रीराम ट्रेडर्स	13-11-2018	11980.00
		47986	रमाशंकर	14-11-2018	8000.00
2-	ऑगनबाड़ी शौचालय	47987	हाशमी ईट उद्योग	14-11-2018	8337.00
		47988	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	14-11-2018	18973.00
		47989	प्रधान	14-11-2018	7700.00
3-	नन्दन के मकान से श्याम किशोर के मकान तक इण्टर लॉकिंग	36433	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	14-08-2018	18974.00
		36434	हाशमी ईट उद्योग	14-08-2018	20370.00
		36435	शिवम इण्टर प्राइजेज	16-08-2018	77880.00
		36436	प्रधान	17-08-2018	14100.00
		47281	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	27-08-2018	10370.00
		47282	हाशमी ईट उद्योग	27-08-2018	13643.00
		47283	शिवम इण्टर प्राइजेज	28-08-2018	61135.00
		47284	प्रधान	02-09-2018	14250.00
4-	श्याम किशोर के मकान से महादेव के मकान तक इण्टर लॉकिंग	36437	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	16-08-2018	18974.00
		36438	हाशमी ईट उद्योग	29-08-2018	20370.00
		36439	शिवम इण्टर प्राइजेज	06-09-2018	77880.00
		36440	प्रधान	07-09-2018	14100.00
		47285	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	09-09-2018	10838.00
		47286	हाशमी ईट उद्योग	05-10-2018	14406.00
		47287	शिवम इण्टर प्राइजेज	20-12-2018	63861.00
		47288	प्रधान	22-01-2019	14900.00
5-	प्रधान मानदेय	36430	प्रधान	03-07-2018	10500.00
		47992	प्रधान	28-11-2018	14000.00
		26498	प्रधान	28-03-2019	17500.00
6-	पुतान के मकान से छत्रपाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	47289	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	04-09-2018	17299.00
		47290	हाशमी ईट उद्योग	04-09-2018	20370.00
		47291	शिवम इण्टर प्राइजेज	05-09-2018	77880.00
		47292	प्रधान	08-09-2018	15250.00
		47297	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	-	11861.00
		47298	हाशमी ईट उद्योग	-	10797.00

		47299	शिवम इण्टर प्राइजेज	-	67366.00
		47300	प्रधान	-	11750.00
7-	महादेव के मकान से पुतान के मकान तक इण्टर लॉकिंग	47293	नारायन ट्रेडिंग कम्पनी	28-01-2019	17299.00
		47294	हाशमी ईट उद्योग	10-02-2019	20370.00
		47295	शिवम इण्टर प्राइजेज	12-02-2019	77880.00
		47296	प्रधान	15-02-2019	15250.00
		47281	नारायन ट्रेडिंग कम्पनी	17-02-2019	11647.00
		47282	हाशमी ईट उद्योग	23-02-2019	12110.00
		47283	शिवम इण्टर प्राइजेज	26-02-2019	59708.00
		47284	प्रधान	01-03-2019	12750.00
8-	लिक रोड से महेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	47996	हाशमी ईट उद्योग	28-01-2019	20370.00
		47997	नारायन ट्रेडिंग कम्पनी	10-02-2019	13719.00
		47998	शिवम इण्टर प्राइजेज	12-02-2019	77880.00
		47999	प्रधान	15-02-2019	15250.00
		26490	नारायन ट्रेडिंग कम्पनी	17-02-2019	14999.00
		26491	हाशमी ईट उद्योग	23-02-2019	17825.00
		26492	शिवम इण्टर प्राइजेज	26-02-2019	68586.00
		26493	प्रधान	01-03-2019	14275.00
9-	महेश के मकान से प्रभू के मकान तक इण्टर लॉकिंग	48000	हाशमी ईट उद्योग	28-01-2019	20370.00
		26486	नारायन ट्रेडिंग कम्पनी	10-02-2019	13719.00
		26488	शिवम इण्टर प्राइजेज	12-02-2019	77880.00
		26489	प्रधान	15-02-2019	15250.00
		26495	नारायन ट्रेडिंग कम्पनी	17-02-2019	14749.00
		26494	हाशमी ईट उद्योग	23-02-2019	16944.00
		26496	शिवम इण्टर प्राइजेज	26-02-2019	63861.00
		26497	प्रधान	01-03-2019	13450.00
10-	डस्टबिन	47995	कौशाम्बी इलेक्ट्रिक वर्क	10-02-2019	90000.00
11-	अन्य प्रिया साफ्ट	26499	राहुल	28-03-2019	2000.00
	प्रियासाफ्ट	36429	राहुल	03-07-2018	2000.00
	साफ सफाई	36432	प्रधान	08-08-2018	15000.00
	आकस्मिक व्यय	47999	सत्यप्रकाश	15-11-2018	5000.00
	ढोलकी क्रय	47999	सागर साइकिल	28-11-2018	19500.00
	स्लोगन पेन्टिंग	47999	इंदरीसी पेंट	28-11-2018	25500.00
	सामान्य लाभ निधि	47999	DPRO	02-01-2019	1000.00
		योग:-			1676755.00

ग्राम निधि प्रथम में दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹० 1676755.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹० 1676755.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इब्रार अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-368 ग्राम पंचायत जिगनहाखानपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही अपूर्ण पायी गयी। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 10 दिसम्बर 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 एवं 10-12-2019 के मध्य 14वें वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	सफाई किट	15411238	इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी	05-07-2019	11460.00

	योग:-			11460.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹० 11460.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹० 11460.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इब्रार अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-369 ग्राम पंचायत जिंगनहाखानपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही अपूर्ण पाई गई। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 10 दिसम्बर 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 एवं 10-12-2019 के मध्य चतुर्थ राज्य वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	मानदेय	15411221	प्रधान	01-04-2019	10500.00
	योग:-				10500.00

चतुर्थ राज्य वित्त मद में दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹० 10500.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹० 10500.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इब्रार अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, प्रमाणक आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-370 ग्राम पंचायत जिंगनहाखानपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की दिनांक 11-12-2019 से 31-03-2020 की अवधि की केवल कोषबही/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत रहे। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या	विवरण/आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	आर०सी०सी० रोड से प्रमोद के मकान तक नाली	PFMS	नारायण ट्रेडिंग कम्पनी	21-01-2020	85320.00
		PFMS	मे० हसमत ईट उद्योग	21-01-2020	42773.00
		PFMS	मे० हसमत ईट उद्योग	21-01-2020	53541.00
		PFMS	मे० हसमत ईट उद्योग	21-01-2020	3491.00
			श्रम भुगतान	01-02-2020	42448.00
2-	सफाई किट क्रय	PFMS	मे० ईश्वर इण्टर प्राइजेज	11-12-2019	895.00
	योग:-				228468.00

ग्राम निधि प्रथम में दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹० 228468.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹० 228468.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इब्रार अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - नौआखेड़ा

विकास खण्ड - लखीमपुर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-371 ग्राम पंचायत नौआखेड़ा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कोषबही/ई ग्राम स्वराज में दर्शित निम्नलिखित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या/ PFMS	विवरण/आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि

1-	रामस्वरूप के मकान से विनोद के मकान तक नाली निर्माण	PFMS	रहमान ईट उद्योग	24-01-2020	51522.00
		PFMS	रहमान ईट उद्योग	24-01-2020	5306.00
	योग:-				56828.00

चूँकि ग्राम निधि प्रथम में दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः रू० 56828.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 56828.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामसागर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र भट्ट उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - परसपुर विकास खण्ड - कुम्भी(गोला) वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-372 ग्राम पंचायत परसपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही अपूर्ण पायी गई। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 एवं 31-08-2019 के मध्य 14वें वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	कम्प्यूटर वर्क	13987081	By Pradhan	22-04-2019	1708.00	
				22-04-2019	3500.00	16936.00
				22-04-2019	11728.00	
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	13987075	By Pradhan	24-04-2019	11100.00	30668.00
				24-04-2019	7448.00	
				24-04-2019	12120.00	
3-	हैण्डपम्प रिबोर	13987060	By Pradhan	27-05-2019	41206.00	190426.00
				27-05-2019	13886.00	
				27-05-2019	12922.00	
				25-07-2019	20000.00	
				25-07-2019	82412.00	
				01-08-2019	20000.00	
4-	फर्नीचर क्रय	13987081	By Pradhan	09-07-2019	9500.00	16500.00
				09-07-2019	7000.00	
5-	सोकपिट निर्माण	13987067	By Pradhan	05-08-2019	1874.00	13704.00
				05-08-2019	11830.00	
	योग:-				268234.00	268234.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 268234.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 268234.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साजिदा तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-373 ग्राम पंचायत परसपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही अपूर्ण पायी गई। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 एवं 31-08-2019 के मध्य चतुर्थ राज्य वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	कुर्सी मेज क्रय	10368452	By Pradhan	05-08-2019	10000.00
2-	मानदेय	13987054		30-04-2019	17500.00
3-	Wrong Received in Old Account			30-04-2019	8912.00
				30-04-2019	4527.00

	योग:-		40939.00

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 40939.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 40939.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साजिदा तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - बैदाखेड़ा विकास खण्ड - कुम्भी(गोला) वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-374 ग्राम पंचायत बैदाखेड़ा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही अपूर्ण पायी गई। कोषबही में माह सितम्बर एवं अक्टूबर में प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 31-08-2019 एवं 01-11-2019 के मध्य प्राप्त धनराशि ब्याज ₹ 2370.00 तथा आहरण निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1-	12-08-2019	159555	19838.00
2-	13-09-2019	159551	19838.00
3-	20-09-2019	159548	19838.00
4-	24-09-2019	159554	19838.00
5-	15-10-2019	159553	19838.00
		योग:-	99190.00

उक्त समस्त आहरित धनराशि ₹ 99190.00 से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

इसी प्रकार कोषबही में दिनांक 13-08-2019 को चेक संख्या 159539 द्वारा आहरित ₹ 19838.00 प्रशासनिक कार्य पर व्यय दर्शित है किन्तु न तो कोई विवरण अंकित है कि क्या क्या क्रय किया गया और न ही इस व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक ही प्रस्तुत रहा।

इस प्रकार ₹ 99190.00 तथा ₹ 19838.00 कुल ₹ 119028.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 119028.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सन्तोष तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - देवरिया विकास खण्ड - कुम्भी(गोला) वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-375 ग्राम पंचायत देवरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही अपूर्ण पायी गयी। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 एवं 31-08-2019 के मध्य 14वें वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट	14362544	जय दुर्गा इण्टर प्राइजेज	25-06-2019	93000.00
			जय दुर्गा इण्टर प्राइजेज		46500.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	14362502	जय बालाजी ट्रेडर्स	04-06-2019	18700.00
		योग:-			158200.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी अर्थात् ₹ 158200.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 158200.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री त्रिवेन्द्र उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेख प्राप्त न होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-376 ग्राम पंचायत देवरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही अपूर्ण पायी गयी। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 एवं 31-08-2019 के मध्य चतुर्थ राज्य वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	प्रशासनिक	14362583	शुभेन्द्र गुप्ता	07-06-2019	19200.00
			शुभेन्द्र गुप्ता	28-05-2019	3500.00
2-	प्रधान मानदेय	14362526	प्रधान	15-06-2019	14000.00
3-	स्ट्रीट लाइट	14362500	जय दुर्गा इण्टर प्राइजेज	25-06-2019	93000.00
			जय दुर्गा इण्टर प्राइजेज	25-06-2019	46500.00
	योग:-				176200.00

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी अर्थात् ₹ 176200.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 176200.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री त्रिवेन्द्र उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेख प्राप्त न होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - सरैयाविलियम विकास खण्ड - कुम्भी(गोला) वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-377

ग्राम पंचायत सरैयाविलियम के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	नाली निर्माण	11487277	वर्मा ईट उद्योग	19-09-2018	80496.00	173702.00
			सन्तोष सीमेन्ट वर्क्स	19-09-2018	57906.00	
			प्रधान	19-09-2018	15300.00	
			प्रधान	19-09-2018	20000.00	
2-	खडन्जा निर्माण	11487289	प्रधान	06-10-2018	20000.00	
			प्रधान	06-10-2018	14310.00	170716.00
			प्रधान	06-10-2018	6754.00	
			लालता प्रसाद ब्रिक फील्ड	06-10-2018	59850.00	
				06-10-2018	69802.00	
3-	नाली निर्माण	11487290	दर्शन टेडर्स	03-10-2018	25220.00	134362.00
			हरद्वारी लाल लालता प्रसाद ब्रिक फील्ड	03-10-2018	34437.00	
			हरद्वारी लाल लालता प्रसाद ब्रिक फील्ड	03-10-2018	59850.00	
			प्रधान	03-10-2018	14855.00	
4-	शौचालय निर्माण	11487264	दर्शन टेडर्स	01-11-2018	56605.00	179802.00
			हरद्वारी लाल लालता प्रसाद ब्रिक फील्ड	01-11-2018	42849.00	
			सितारा हार्डवेयर	01-11-2018	22300.00	
			सितारा हार्डवेयर	01-11-2018	20418.00	
			प्रधान	01-11-2018	20000.00	
			प्रधान	01-11-2018	17630.00	
5-	विवरणहीन	11487295	दर्शन टेडर्स	03-11-2018	24091.00	87018.25
			हरद्वारी लाल लालता प्रसाद ब्रिक फील्ड	03-11-2018	30187.00	
			विवरणहीन	03-11-2018	15050.00	
			विवरणहीन	03-11-2018	5000.00	
			विवरणहीन	03-11-2018	4930.00	
			Tr. to 4 th FC	30-04-2018	3826.00	
			Tr to FFC	30-04-2018	3213.00	
			Wrong Receive	30-04-2018	721.25	
6-	खडन्जा निर्माण	11487296	प्रधान	14-03-2019	93509.00	303659.00
			प्रधान	14-03-2019	89775.00	
			प्रधान	14-03-2019	17450.00	

			विवरणहीन	26-03-2019	80000.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	12250.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	10675.00	
7-	खडन्जा निर्माण	11487291	हरद्वारी लाल लालता प्रसाद ब्रिक फील्ड	26-03-2019	68240.00	108954.00
			प्रधान	26-03-2019	20000.00	
			प्रधान	26-03-2019	13960.00	
			प्रधान	26-03-2019	6754.00	
8-	खडन्जा निर्माण		विवरणहीन	26-03-2019	10675.00	170150.00
			गौतम ईट उद्योग	26-03-2019	89775.00	
			प्रधान	26-03-2019	20000.00	
			प्रधान	26-03-2019	20000.00	
			प्रधान	26-03-2019	17450.00	
			प्रधान	26-03-2019	12250.00	
9-	हैण्डपम्प रिबोर	11487261	विवरणहीन	26-03-2019	145603.00	312885.00
			विवरणहीन	26-03-2019	167282.00	
10-	खडन्जा निर्माण	11487288	प्रधान	26-03-2019	19950.00	128795.00
			वर्मा ईट उद्योग	26-03-2019	96837.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	6380.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	5628.00	
11-	प्रशासनिक कार्य	11487250	दीक्षा कम्प्यूटर	26-03-2019	3500.00	48177.00
			शुक्ला पुस्तक भण्डार	26-03-2019	10000.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	19500.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	12122.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	1000.00	
			विवरणहीन	26-03-2019	2055.00	
			योग:-		1818220.25	1818220.25

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1818220.25 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1818220.25 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सर्वेश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-378 ग्राम पंचायत सरैयाविलियम के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	स्ट्रीट लाइट	11487305	विवरणहीन	26-03-2019	90000.00	260000.00
					90000.00	
					80000.00	
2-	मिट्टी खडन्जा निर्माण	11487325	करनैल सिंह ट्रैक्टर टूली	09-05-2018	19475.00	86472.00
			विवरणहीन		49997.00	
			प्रधान		15000.00	
			प्रधान		2000.00	
			योग:-		346472.00	346472.00

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 346472.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल

प्रमाणकविहीन व्यय रू० 346472.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सर्वेश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-379 ग्राम पंचायत सरैयाविलियम के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	नाली निर्माण	15417347	प्रधान	06-07-2019	93509.00	457981.00
					123622.00	
					10000.00	
					93850.00	
					95000.00	
					42000.00	
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	15417444	डी०डी० वर्मा ट्रेडर्स	11-02-2019	49500.00	49500.00
			योग:-		507481.00	507481.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 507481.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 507481.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सर्वेश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-380 ग्राम पंचायत सरैयाविलियम के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	हैण्डपम्प रिबोर	15417408	प्रधान	04-07-2019	101809.00	
2-	प्रशसनिक	15417438	प्रधान	22-04-2019	15736.00	
3-	हयूम पाइप	15417407	प्रधान	12-07-2019	50000.00	
			योग:-		167545.00	

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 167545.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 167545.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सर्वेश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमरदीप उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - मढ़िया विकास खण्ड - कुम्भी(गोला) वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-381 ग्राम पंचायत मढ़िया के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी कोई भी मूल अभिलेख/पत्रावली/प्रमाणक भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	धनराशि	योग
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	8569895	20-06-2018	15000.00	360834.00
			21-06-2018	31800.00	
			04-07-2018	63600.00	
			03-08-2018	19200.00	

			10-08-2018	15000.00	
			11-09-2018	2000.00	
			03-10-2018	5558.00	
			07-10-2018	6400.00	
			19-11-2018	89989.00	
			02-12-2018	33633.00	
			05-12-2018	53970.00	
			08-03-2019	8000.00	
			09-03-2019	1809.00	
			09-03-2019	14875.00	
2-	माडल शौचालय	8569989	15-07-2018	4900.00	239726
			16-07-2018	2600.00	
			17-07-2018	9050.00	
			20-07-2018	2500.00	
			01-08-2018	5000.00	
			01-08-2018	2300.00	
			12-08-2018	50000.00	
			12-08-2018	3500.00	
			12-08-2018	10500.00	
			06-09-2018	1500.00	
			06-09-2018	37200.00	
			07-09-2018	10000.00	
			08-09-2018	2400.00	
			09-09-2018	15400.00	
			13-09-2018	4000.00	
			14-09-2018	17600.00	
			05-10-2018	5000.00	
			10-10-2018	32476.00	
			11-10-2018	17800.00	
			23-01-2019	6000.00	
3-	स्ट्रीट लाइट	8569996	25-07-2018	186000.00	279000.00
			21-11-2018	93000.00	
4-	उंप्रांस्कूल में माडल शौचालय	8569991	16-08-2018	21300.00	103025.00
			29-08-2018	13000.00	
			06-09-2018	5775.00	
			07-09-2018	27800.00	
			09-09-2018	14100.00	
			05-10-2018	5000.00	
			20-12-2018	13950.00	
			22-01-2019	2100.00	
5-	वृक्षारोपण	8569969	06-09-2018	6225.00	105475.00
			29-08-2018	50000.00	
			08-09-2018	49250.00	
6-	पंचायत भवन से मन्दिर तक इन्लॉ0	8570007	13-10-2018	30742.00	228823.00
			01-11-2018	112407.00	
			01-11-2018	85674.00	
7-	गौशाला में फेन्सिंग कार्य	13151162	28-01-2019	22000.00	458034.00
			10-02-2019	26400.00	
			12-02-2019	9975.00	
			15-02-2019	99560.00	
			17-02-2019	21000.00	
			23-02-2019	146389.00	
			26-02-2019	18550.00	
			01-03-2019	7875.00	
			01-03-2019	19950.00	

			09-03-2019	8389.00	
			14-03-2019	31388.00	
			17-03-2019	37758.00	
			30-03-2019	8800.00	
8-	मेन रोड से राजकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग	8569913	21-10-2018	3200.00	224722.00
			01-11-2018	8050.00	
			19-11-2018	136471.00	
			20-11-2018	18375.00	
			20-11-2018	23295.00	
			20-11-2018	31517.00	
			20-11-2018	3814.00	
				1999639.00	1999639.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1999639.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1999639.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ला उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-382 ग्राम पंचायत मढ़िया के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी कोई भी मूल अभिलेख/पत्रावली/प्रमाणक भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	धनराशि	योग
1-	प्रधान मानदेय	8569976	01-05-2018	7000.00	42000.00
			30-06-2018	3500.00	
			01-08-2018	3500.00	
			01-09-2018	3500.00	
			01-10-2018	3500.00	
			02-11-2018	3500.00	
			10-12-2018	3500.00	
			31-12-2018	3500.00	
			04-02-2018	3500.00	
			08-03-2019	7000.00	
2-	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर	8569978	10-06-2018	2000.00	47509.00
			16-07-2018	12620.00	
			05-08-2018	2842.00	
			08-10-2018	2000.00	
			08-10-2018	2620.00	
			13-10-2018	5000.00	
			20-10-2018	1800.00	
			21-10-2018	3300.00	
			01-12-2018	3520.00	
			01-12-2018	1122.00	
			01-12-2018	3060.00	
			15-03-2019	2625.00	
			30-03-2019	5000.00	
3-	प्रशासनिक मद	8569981	05-07-2018	2000.00	68995.00
			06-07-2018	2800.00	
			24-08-2018	14000.00	
			24-08-2018	5970.00	

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 622513.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 622513.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ला उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-384 ग्राम पंचायत मढ़िया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम की कोषबही अपूर्ण पायी गयी। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 01-04-2019 से 31-08-2019 के मध्य 4th राज्य वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	धनराशि	योग
1-	प्रशासनिक व्यय	14274487	22-04-2019	4980.00	34453.00
			24-04-2019	15673.00	
			02-07-2019	7200.00	
			03-07-2019	6600.00	
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	14274486	05-05-2019	1550.00	1550.00
3-	गौशाला में घाट निर्माण	14274491	01-07-2019	4638.00	4638.00
4-	प्रधान मानदेय	14274500	30-07-2019	10500.00	10500.00
	योग:-			51141.00	51141.00

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 51141.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8क यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अभिधार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 51141.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश शुक्ला उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - परसेहराखुर्द विकास खण्ड - बेहजम वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-385 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में दिनांक 19-03-2020 को सिंह स्पन पाइप इण्डस्ट्रीज से ₹ 94822.00 का ह्यूम पाप जल निकासी हेतु क्रय किया गया। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में यह पृथक कार्य आई०डी० 21128930 है, के रूप में दर्शित है और यह किसी अन्य कार्य का भाग नहीं है। आलोच्य वर्ष में क्रय किये गये ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया, इसकी जानकारी तथा कार्य स्थल की फोटो, प्राक्कलन, बिल-बाउचर व कार्यपूति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही आलोच्य वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी का भुगतान (मस्टररोल) नहीं किया गया है। बिना मजदूरी का भुगतान किये ह्यूम पाइप डलवाई का कार्य सम्भव नहीं है सम्भव है, बिना कार्य कराये ही ह्यूम पाइप का क्रय दर्शाकर ₹ 94822.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मेड़ई लाल व सचिव श्री रोहित बंसवार उत्तरदायी है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नैनेपारा विकास खण्ड - बेहजम वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-386 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2019-20 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2019-20 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

कार्य का नाम	दिनांक	फर्म जिसे भुगतान हुआ	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
ठेलिया क्रय 2 नग	21-03-2020	न्यू सागर साइकिल स्टोर	14087991	27040.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक जैसे बिल, बाउचर, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर आदि लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से यह अपेक्षा की गयी है कि

सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में विहित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। आगे, इस मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "बाउचर व नियमों में विहित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री देशराज व सचिव श्री शशि शेखर मिश्र से की जायेगी। समयान्तर्गत प्रमाणकों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-387 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2019-20 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2019-20 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प	14088006	57878.00
		14088017	34818.00
		20998409	26904.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	14088028	83832.00
3-	सोकपिट निर्माण	14087994	70508.00
4-	श्याम बिहारी हाउस टू रोड तक इण्टर लॉकिंग	14088019	202640.00
5-	आशाराम हाउस टू जगत पाल हाउस तक इण्टर लॉकिंग	1408804	161352.00
6-	फोटोकापी आवास सूची	1408805	4990.00
7-	रामासरे हाउस टू मनोज हाउस तक इण्टर लॉकिंग	14088020	116421.00
8-	रामपाल हाउस टू पिंकू हाउस तक खडन्जा निर्माण	14087989	54752.00
9-	निर्मल हाउस टू रामकुमार हाउस तक इण्टर लॉकिंग	20998408	169601.00
10-	हयूम पाइप	14088003	72938.00
	योग:-		1056634.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से यह अपेक्षा की गयी है कि सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर व नियमों में विहित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। आगे, इस मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, बाउचर व नियमों में विहित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 1056634.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री देशराज व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री शशि शेखर मिश्र उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - मिर्जापुरसुनौरा विकास खण्ड - बेहजम

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-388 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2019-20 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2019-20 में उक्त ग्राम पंचायत (बैंक चार्ज ₹ 316.00 घटाते हुए) में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्राथमिक स्कूल धरमपुर में मिट्टी पटाई	20939536	17000.00
2-	प्राथमिक स्कूल धरमपुर में शौचालय निर्माण	20939534	235772.00
	योग:-		252772.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 252772.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री तेजकरण लाल व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अहमद हसन व अन्य सचिव, जिनके पास ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-389 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2019-20 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2019-20 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	13950176	72860.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	13950203	82650.00
		19868674	116514.00
3-	पेन्टिंग, स्लोगन व कार्य योजना लिखवाई	13950207	16950.00
4-	ठेलिया मरम्मत	13950178	6000.00

5-	पेन्टेड रोड से बलराम के मकान तक इण्टर लॉकिंग	13950199	234414.00
6-	कपिलनाथ के मकान से दिलीप के मकान तक इण्टर लॉकिंग	13950202	225520.00
7-	रामसेवक के मकान से माधव के मकान तक इण्टर लॉकिंग	13950194	217945.00
8-	फोटो कापी व स्टेशनरी	13950205	8750.00
9-	निविदा	13950205	3150.00
10-	जगदीश के मकान से अनिल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	19868673	209767.00
11-	रामऔतार के मकान से जगदीश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	19868676	165147.00
12-	वीरेन्द्र के मकान से रामनरेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	19868672	242144.00
योग:-			1601811.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1601811.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री तेजकरण लाल व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अहमद हसन व अन्य सचिव, जिनके पास ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नीमगाँव विकास खण्ड - बेहजम वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-390 वर्ष 2018-19 में ई ग्राम स्वराज के अनुसार ₹० 5267290.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में न तो मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया और न ही कोई व्यय प्रमाणक बिल-बाउचर, एम०बी०, इस्टीमेट, अपेक्षित कोटेशन/टेण्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 5267290.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मनोरमा देवी व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सियाधू विकास खण्ड - बेहजम वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-391 ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये गये। लेकिन लेखा परीक्षा में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के कोई भी अभिलेख, कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट सहित, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे इस अवधि में आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत (प्रधान मानदेय के अतिरिक्त) निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	आवास सूची टाइपिंग व फोटो कापी	20998331	8443.00
	टेण्डर		11462.00
योग:-			19905.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 19905.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री इमरान व सचिव श्री शशि शेखर मिश्र उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-392 ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये गये। लेकिन लेखा परीक्षा में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के कोई भी अभिलेख, कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट सहित, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे इस अवधि में आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक चौदहवें वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	14385367	25000.00
		1438378	27357.00
		20998326	45480.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	14385368	27705.00

		14385369	27705.00
3-	सी०सी० रोड टू जगदीश हाउस तक इण्टर लॉकिंग	14385400	98137.00
4-	सी०सी० रोड टू शारदा हाउस तक इण्टर लॉकिंग	14385404	187217.00
5-	सी०सी० रोड टू सन्तोष हाउस तक इण्टर लॉकिंग	14385386	140491.00
6-	दीनबन्धु हाउस टू रिंकू हाउस तक खडन्जा निर्माण	14385398	125090.00
7-	पी०एस०वी० सियाथू में टाइल्स कार्य	20998328	200544.00
	योग:-		904726.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 904726.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री इमरान व सचिव श्री शशि शेखर मिश्र उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - गुलचौरा विकास खण्ड - बेहजम वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-393 ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये गये। लेकिन लेखा परीक्षा में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के कोई भी अभिलेख, कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट सहित, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे इस अवधि में आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत (ग्राम मानदेय के अतिरिक्त) निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	14974712	27380.00
2-	पोलिंग बूथ राइटिंग	14974713	16500.00
	योग:-		43880.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 43880.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा सिंह व सचिव श्री सत्यवीर सिंह राना उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-394 ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये गये। लेकिन लेखा परीक्षा में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के कोई भी अभिलेख, कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट सहित, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे इस अवधि में आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत में अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक चौदहवें वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	फोटोकापी, आवास सूची टाइपिंग	14974735	6420.00
2-	यू०पी०एस०वी० लखनापुर के परिसर में इण्टर लॉकिंग	14974708	200276.00
3-	पी०एस०वी० अण्डापुर के परिसर में इण्टर लॉकिंग	14974707	200276.00
4-	पी०एस०वी० गुलचौरा के परिसर में इण्टर लॉकिंग	14974733	200276.00
5-	टेण्डर	14974733	5500.00
	योग:-		612748.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 612748.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा सिंह व सचिव श्री सत्यवीर सिंह राना उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान भागों में किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - गुलौला विकास खण्ड - बेहजम वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-395 वर्ष 2019-20 में डिजिटल सिग्नेचर पर ₹ 1708.00 व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-396

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2019-20 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ई ग्राम स्वराज के अनुसार 14वें वित्त के अन्तर्गत रू० 1568724.00 व्यय किया गया है। 14वें वित्त के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	जगदीश के मकान से बालक के मकान तक इण्टर लॉकिंग	18732819	184482.00
2-	पी०एस० मुगलीपुर में इण्टर लॉकिंग	12640026	146207.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	14256242	67408.00
		14256243	137700.00
4-	सन्तराम के मकान से रामसेवक के मकान तक खडन्जा निर्माण	14256264	127392.00
5-	स्लोगन/वॉल पेन्टिंग	14256253	16950.00
6-	सोकपिट निर्माण	14256244	193721.00
7-	रामभरोसे के मकान से खुरई पेन्टेड रोड तक मिट्टी/खडन्जा मरम्मत	14256273	148377.00
8-	स्ट्रीट लाइट परचेज	14256245	97150.00
9-	उत्तम के घर से सुरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	14256245	419337.00
10-	पी०एस० मुगलीपुर में समरसेबिल पम्प स्थापना	20939059	15000.00
11-	पी०एस० गुलौला में समरसेबिल पम्प स्थापना	20939061	15000.00
	योग:-		1568724.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 1568724.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अहमद हसन व तत्कालीन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी जो इस दौरान ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गौरिया**विकास खण्ड - बेहजम****वर्ष - 2015-16 से 2019-20****प्रस्तर-397**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2016-17 व 2017-18 के कोई ऑफ लाइन अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्ती (वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान पदस्थ) सचिव द्वारा इन वर्षों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये। ई ग्राम स्वराज पर भी इस ग्राम पंचायत के वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान कुल आय व प्राप्ति के अतिरिक्त कोई भी जानकारी व आंकड़े अपलोड नहीं है। उक्त ग्राम पंचायत ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2017-18 में उक्त ग्राम पंचायत में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र० सं०	वर्ष	व्यय धनराशि
1-	2015-16	670659.00
2-	2016-17	604211.00
3-	2017-18	591764.00
	योग:-	1866634.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः सम्बन्धित वर्षों के व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 1866634.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी जो इस दौरान ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हैं, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली (कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार) समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हसनापुर**विकास खण्ड - बेहजम****वर्ष - 2016-17 से 2019-20****प्रस्तर-398**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2016-17 व 2017-18 के कोई ऑफ लाइन अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्ती (वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान पदस्थ) सचिव द्वारा इन वर्षों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये। ई ग्राम स्वराज पर भी इस ग्राम पंचायत के वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान कुल आय व प्राप्ति के अतिरिक्त कोई भी जानकारी व आंकड़े अपलोड नहीं है। ई ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2016-17 व 2017-18 में उक्त ग्राम पंचायत में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र० सं०	वर्ष	व्यय धनराशि

1-	2016-17	1383875.00
2-	2017-18	69362.00
योग:-		1453237.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः सम्बन्धित वर्षों के व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रु० 1453237.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी जो इस दौरान ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हैं, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली (कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार) समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सुर्जनपुर

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-398(क) ग्राम पंचायत सुर्जनपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा ई ग्राम स्वराज पर आनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है ऑफलाइन लेखा हेतु बार बार मौखिक व लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरान्त भी आनलाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न व्यय दर्शित है

क्रम	कार्य का नाम	कार्य आई डी	आहरण कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	13378944	मौर्या मशीनरी स्टोर फिरोज हरीशंकर	13-02-20 02-03-20 26-02-20	24500 6000 4500
2	हैंडपंप रिबोर	13378945	मौर्या मशीनरी स्टोर हरीशंकर मौर्या मशीनरी स्टोर	23-02-19 02-03-20	64191 14406
3	ग्राम पंचायत	13378990	सिंह स्पून पाइप इंडस्ट्रीज	17-03-20	180228
			योग		293825

चतुर्थ वित्त आयोग से दर्शित उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रु 293825 का व्यय प्रमाणक विहीन रहा जो ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रु 293825.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम-प्रधान श्री सरमन तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम बी, प्रमाणकों के साथ साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल टेंडर /कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, जियोटैगिंग का प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षर अंगूठा निशान का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में किए जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-399 शासनादेश संख्या-11/2016/3880/33-2-16-11 सी०एम०/2016 दिनांक 27-12-2016 में ग्राम प्रधान का मानदेय रु० 3500-00 प्रतिमाह निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 में दिनांक 13-12-2019 को रु० 10500.00 तथा दिनांक 06-02-2020 को रु० 10500.00 कुल रु० 21000.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्री सरमन को चौदहवें वित्त आयोग से किया गया है। जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके कारण चौदहवें वित्त आयोग का उद्देश्य बाधित हुआ। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सरमन तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-400 ग्राम पंचायत सुर्जनपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख मांगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	1337998	ओम मशीनरी स्टोर	23-02-2019	28250.00
2-	प्रधान मानदेय	13378992	प्रधान	13-12-2019	10500.00
				06-02-2020	10500.00
3-	रोहन के घर से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग	13379008	ओम इण्टर लॉकिंग	02-03-2020	205699.00
			मजदूरी	02-03-2020	32604.00
4	प्रशासनिक व्यय	13379008	राजेश कुमार	06-03-2020	10000.00
		13378992	सुमित कुमार	12-03-2020	5000.00
5-	डस्टबिन क्रय	13378959	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज	14-03-2020	72000.00
6-	पसियनपुरवा प्रा०वि० मिदनिया तक खडन्जा मरम्मत	13379025	आर०यल०सोना ईट उद्योग शर्मा प्रसाद	15-03-2020	167343.00
	योग:-				541896.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 541896.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 541896.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सरमन तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - दिलावलपुर विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-401 शासनादेश संख्या-11/2016/3880/33-2-16-11 सी०एम०/2016 दिनांक 27-12-2016 में ग्राम प्रधान का मानदेय ₹ 3500-00 प्रतिमाह निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 में दिनांक 17-12-2019 को ₹ 3500.00 तथा दिनांक 23-02-2020 को ₹ 21000.00 कुल ₹ 24500.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी को चौदहवें वित्त आयोग से किया गया है। जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके कारण चौदहवें वित्त आयोग का उद्देश्य बाधित हुआ। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-402 ग्राम पंचायत दिलावरपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	1598464	ओम मशीनरी स्टोर	21-01-2020	26500.00
			फिरोज	23-01-2020	4000.00
2-	बैजनाथ के घर से भोला के घर तक इण्टर लॉकिंग	21096653	सिंह स्पन पाइप इण्डस्ट्रीज	14-03-2020	123236.00
			रामदेवी	16-03-2020	20000.00
3-	पूरन के घर से इण्टर लॉकिंग	21090027	सिंह स्पन पाइप इण्डस्ट्रीज	14-03-2020	146046.00
			रामदेवी	16-03-2020	20000.00
4-	प्रशासनिक व्यय	21096654	दयाल इन्फोसिस्टम	21-03-2020	3050.00
5-	डस्टबिन क्रय	15968470	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज	18-03-2020	72000.00
6-	ग्राम पंचायत वर्क	21090028	विकास ट्रेडर्स	27-03-2020	186400.00
7-	वॉल पेन्टिंग	15968466	ऊषा इण्टर प्राइजेज	28-02-2020	31260.00
	योग:-				632492.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 632492.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 632492.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल

अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-403 ग्राम पंचायत दिलावरपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	15968476	ओम मशीनरी स्टोर	21-01-2020	70626.00
			शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	23-01-2020	57756.00
			फिरोज अहमद	23-01-2020	28812.00
2-	प्रधान मानदेय	15968455	प्रधान रामदेवी	17-12-2019	3500.00
			प्रधान रामदेवी	23-02-2020	21000.00
3-	ह्यूम पाइप क्रय	15968483	सिंह स्पन पाइप	09-02-2020	88017.00
4-	प्रशासनिक व्यय	15968455	राजेश कुमार	06-03-2020	10000.00
			राजेश कुमार	10-03-2020	5000.00
5-	कोरोना बचाव	15968455	प्रधान रामदेवी	27-03-2020	40000.00
	योग:-				324711.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 324711.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 324711.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - लखपेड़ा

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-404 शासनादेश संख्या-11/2016/3880/33-2-16-11 सी०एम०/2016 दिनांक 27-12-2016 में ग्राम प्रधान का मानदेय रू० 3500-00 प्रतिमाह निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 में दिनांक 27-02-2020 को रू० 21000.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम को चौदहवें वित्त आयोग से किया गया है। जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके कारण चौदहवें वित्त आयोग का उद्देश्य बाधित हुआ। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान अकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-405 ग्राम पंचायत लखपेड़ा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	ग्राम पंचायत वर्क	13374202	विकास ट्रेडर्स	27-03-2020	182800.00
	योग:-				182800.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 182800.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 182800.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना,

स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-406 ग्राम पंचायत लखपेड़ा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	13374163	प्रधान	27-02-2020	21000.00
2-	प्रशासनिक व्यय	13374185	राजेश कुमार	06-03-2020	10000.00
			पुरूषोत्तम	06-03-2020	10000.00
3-	डस्टबिन क्रय	13374211	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज	18-03-2020	72000.00
4-	करोना साफ सफाई कार्य	13374163	पुरूषोत्तम	27-03-2020	20000.00
	योग:-				133000.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 133000.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 133000.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - गौढ़ी विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-407 ग्राम पंचायत गौढ़ी के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	13796797	प्रधान	05-01-2020	31500.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	13796798	ओम हार्डवेयर	25-06-2019	18700.00
			फिरोज अहमद	25-06-2019	3200.00
	योग:-				53400.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 53400.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 53400.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-408 ग्राम पंचायत गौढ़ी के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प उच्चीकरण	13796802	ओम मशीनरी स्टोर	10-12-2019	130000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	13796839	ओम मशीनरी स्टोर	30-07-2019	206506.00
3-	प्रशासनिक व्यय	13796838	इंदरीशी पेन्ट	16-12-2019	15000.00
			सिंह कम्प्यूटर	18-12-2019	13950.00

4-	हयूम पाइप क्रय	13796843	सिंह स्पन पाइप	22-07-2019	163908.00
5-	सफाई उपकरण क्रय	13706841	विवरणहीन	30-07-2019	20000.00
6-	विवरणहीन	13796833	शिव ट्रेडिंग कम्पनी	07-12-2019	49850.00
7-	रंजीत के घर से शेखपुरवा बार्डर तक खडन्जा निर्माण	13796826	शारिक ब्रिक फील्ड	16-12-2019	100800.00
			शारिक ब्रिक फील्ड	09-01-2020	92200.00
			मजदूरी	12-01-2020	33150.00
			मजदूरी	03-02-2020	13312.00
	योग:-				838676.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 838676.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 838676.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - जसवन्तनगर विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-409 ग्राम पंचायत जसवन्तनगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	14032801	मौर्या मशीनरी स्टोर	11-01-2020	8100.00
			हरीशंकर	11-01-2020	4000.00
2-	प्रशासनिक व्यय	14032800	इदरीशी आर्ट पेन्ट	03-01-2020	15000.00
				18-07-2019	6858.00
	योग:-				33958.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 33958.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 33958.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-410 ग्राम पंचायत जसवन्तनगर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14032776	विवरणहीन	05-07-2019	86802.00
2-	उ०प्रा०वि० व प्रा०वि० में इण्टर लॉकिंग	14032784	पी० एस० ट्रेडर्स	11-12-2019	77850.00
			नेशनल ब्रिक फील्ड	06-01-2020	122767.00
			मे० राज ट्रेडर्स, मजदूरी	27-03-2020	29068.00
3-	उ०प्रा०वि० व प्रा०वि० में शौचालय तक इण्टर लॉकिंग	14032785	पी० एस० ट्रेडर्स	11-01-2020	182318.00
			नेशनल ब्रिक फील्ड		

			मे० राज ट्रेडर्स		
4-	ग्राम पंचायत वर्क	14032782	सिंह स्पन पाइप इण्डस्ट्रीज	27-03-2020	186400.00
	योग:-				685205.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 685205.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 685205.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - समैसा

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-411

ग्राम पंचायत समैसा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	14028827	ओम मशीनरी स्टोर	02-07-2019	18500.00
			ओम मशीनरी स्टोर	12-01-2020	19000.00
2-	प्रधान मानदेय	14028825	प्रधान	02-07-2019	73500.00
			प्रधान	01-01-2020	17500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	14028824	इदरीशी आर्ट पेन्ट	01-01-2020	15000.00
4-	प्रिया साफ्ट फीडिंग	14028824		25-07-2019	5000.00
	योग:-				148500.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 148500.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 148500.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-412

ग्राम पंचायत समैसा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14028784	मौर्या मशीनरी स्टोर	04-01-2020	28934.00
2-	पुनीत की चक्की से मुल्ला तेली के घर तक इण्टर लॉकिंग	14028797	खीरी ब्रिक फील्ड	29-11-2019	47594.00
			शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	29-11-2019	31980.00
			अर्पित इण्टरलॉक	29-11-2019	56181.00
			अर्पित इण्टरलॉक	29-11-2019	77850.00
			मजदूरी	11-12-2019	31382.00
3-	यूनुस के घर से लालू पाण्डेय के घर तक इण्टर लॉकिंग	14028798	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	29-11-2019	32340.00
			खीरी ब्रिक फील्ड	29-11-2019	50575.00
			अर्पित इण्टरलॉक	29-11-2019	77850.00
			अर्पित इण्टरलॉक	29-11-2019	53301.00

			मजदूरी	27-12-2019	31564.00
4-	महेन्द्र के घर से प्रमोद पाण्डेय के घर तक इण्टर लॉकिंग	14028800	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	26-12-2019	212000.00
			खीरी ब्रिक फील्ड		
			अर्पित इण्टरलॉक		
			मजदूरी	25-01-2020	31122.00
5-	सतीश पाण्डेय के घर से संजय मिश्र के घर क इण्टर लॉकिंग	14028801	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	26-12-2019	208719.00
			खीरी ब्रिक फील्ड		
			अर्पित इण्टरलॉक		
			मजदूरी	26-12-2019	30550.00
6-	गजोधर के घर से हरद्वारी मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिंग	14028799	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	04-01-2020	209126.00
			खीरी ब्रिक फील्ड		
			अर्पित इण्टरलॉक		
			मजदूरी	25-01-2020	30732.00
	योग:-				1241800.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1241800.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1241800.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - जेठरा

विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2017-18, 2018-19, 2019-20

प्रस्तर-413 शासनादेश संख्या-11/2016/3880/33-2-16-11 सी०एम०/2016 दिनांक 27-12-2016 में ग्राम प्रधान का मानदेय ₹ 3500-00 प्रतिमाह निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 में दिनांक 05-01-2020 को ₹ 28000.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी को चौदहवें वित्त आयोग से किया गया है। जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके कारण चौदहवें वित्त आयोग का उद्देश्य बाधित हुआ। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-414 ग्राम पंचायत जेठरा के आलोच्य वर्ष 2017-18, 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

वर्ष 2017-18					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	सी०सी० रोड से शिव मन्दिर तक खडन्जा मरम्मत	4753498	गंगे माँ ब्रिक फील्ड आदि	28-12-2017	55663.00
2-	रोड से तिलक के घर तक खडन्जा मरम्मत	4753488	गंगे माँ ब्रिक फील्ड आदि	28-12-2017	185187.00
3-	प्रशासनिक व्यय	4753478	प्रधान वीरेन्द्र कुमार डी०पी०आर०ओ०	08-11-2017	125481.00
	योग:-				366331.00
वर्ष 2018-19					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	सुशील के घर से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग	12936079	दीप नरायन	01-03-2019	13125.00
			गंगे माँ ब्रिक फील्ड	05-03-2019	17998.00
			शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	11-03-2019	11573.00

2-	हैण्डपम्प मरम्मत व चौकी उच्चिकरण	9735624	ओम मशीनरी स्टोर	20-06-2018	34800.00
			ओम मशीनरी स्टोर	04-08-2018	30900.00
			ओम मशीनरी स्टोर	10-01-2019	35600.00
			विवरणहीन	14-03-2019	46000.00
			विवरणहीन	27-03-2019	31350.00
3-	स्ट्रीट लाइट	9735654	राम श्री ट्रेडर्स	01-05-2018	49900.00
			राम श्री ट्रेडर्स	01-05-2018	99800.00
			राम श्री ट्रेडर्स	01-05-2018	99800.00
			राम श्री ट्रेडर्स	01-05-2018	49900.00
			विनायक ट्रेडर्स	05-01-2019	93600.00
			विनायक ट्रेडर्स	14-01-2019	16006.00
4-	विपिन के घर से खुदाबक्श के घर तक खडन्जा कार्य	9735634	मजदूरी	13-03-2019	32200.00
5-	करन के घर से श्रीधर के घर तक इण्टर लॉकिंग	12936080	गंगे माँ ब्रिक फील्ड शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	14-03-2019	98296.00
6-	प्रशासनिक व्यय	9735630	प्रधान मानदेय	30-10-2018	61950.00
			विवरणहीन	26-02-2019	198098.00
योग:-					1020896.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् वर्ष 2017-18 व 2018-19 में ₹ 366331.00, 1020896.00 अर्थात् कुल ₹ 1387227.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1387227.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-415 ग्राम पंचायत जेठरा के आलोच्य वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

वर्ष 2017-18					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	4753471	ओम मशीनरी स्टोर	28-02-2018	231626.00
2-	रज्जन के घर से नफीक के घर तक खडन्जा निर्माण	4753446	गंगे माँ ब्रिक फील्ड आदि	07-12-2017	41449.00
3-	शंकर जी के स्थान से अम्बेडकर पार्क तक चबूतरा निर्माण	4753467	गंगे माँ ब्रिक फील्ड शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	07-12-2017	73972.00
4-	हरी प्रसाद के घर के पास खडन्जा मरम्मत	4753449	दीप नरायन	17-12-2017	54684.00
5-	हरिप्रसाद के घर से मन्दिर तक खडन्जा	4753447	गंगे माँ ब्रिक फील्ड दीप नरायन	22-12-2017	54684.00
6-	छोटेलाल के घर से हरीशंकर के घर तक इण्टर लॉकिंग	5789266	गंगे माँ ब्रिक फील्ड शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	18-01-2018	244788.00
7-	मेदई के मकान से श्याम मुरारी के घर तक इण्टर लॉकिंग	5789260	गंगे माँ ब्रिक फील्ड शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	07-03-2018	249887.00
8-	स्ट्रीट लाइट	4753438	रामश्री ट्रेडर्स	26-03-2018	99800.00
9-	सौकपिट निर्माण कार्य	4753470	गंगे माँ ब्रिक फील्ड अर्जुन ट्रेडर्स	26-03-2018	231465.00
योग:-					1282355.00
वर्ष 2018-19					

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	9735695	ओम मशीनरी स्टोर	04-08-2018	50344.00
			ओम मशीनरी स्टोर	21-08-2018	50344.00
			हरीशंकर	14-03-2019	54688.00
2-	प्रशासनिक व्यय	9735666	वीरिन्द्र कुमार	01-11-2018	5000.00
			वीरिन्द्र कुमार	02-11-2018	5000.00
			विवरणहीन	23-11-2018	8840.00
			विवरणहीन	10-12-2018	25500.00
			विवरणहीन	18-12-2018	15000.00
			विवरणहीन	01-03-2019	1000.00
			विवरणहीन	22-03-2019	10000.00
3-	संतोष वर्मा के घर से खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग	9735671	विवरणहीन	30-11-2018	136290.00
			गंगे माँ ब्रिक फील्ड	10-12-2018	38377.00
			शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	18-12-2018	73663.00
4-	बुधराम के घर से रामपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	9735669	विवरणहीन	24-12-2018	130734.00
			मजदूरी	28-12-2018	36209.00
			शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	02-01-2019	22746.00
			विवरणहीन	28-02-2019	9800.00
5-	स्ट्रीट लाइट	9735668	विवरणहीन	05-01-2019	99000.00
			विनायक ट्रेडर्स	07-01-2019	196500.00
			विनायक ट्रेडर्स	10-01-2019	225900.00
			विनायक ट्रेडर्स	10-01-2019	19500.00
			विनायक ट्रेडर्स	14-01-2019	16000.00
6-	खडन्जा से शिवकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग	9735674	विवरणहीन	05-03-2019	66795.00
			विवरणहीन	22-03-2019	118887.00
			विनायक ट्रेडर्स, शुक्ला सीमेन्ट	26-03-2019	38421.00
			गंगे माँ ब्रिक फील्ड	27-03-2019	25346.00
			दीप नरायन	30-03-2019	23851.00
			दीप नरायन	31-03-2019	6650.00
7-	सोकपिट निर्माण	9735692	विवरणहीन	14-03-2019	87205.00
			दीप नरायन	14-03-2019	14780.00
			विनायक ट्रेडर्स	15-03-2019	108647.00
8-	तेज नरायन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	9735675	विवरणहीन	25-03-2019	125880.00
			दीप नरायन	30-03-2019	53523.00
			विनायक ट्रेडर्स	30-03-2019	40637.00
	योग:-				1941237.00
वर्ष 2019-20					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	16810399	मौर्या मशीनरी स्टोर	16-12-2019	104800.00
			मौर्या मशीनरी स्टोर	22-12-2019	26200.00
			ओम मशीनरी स्टोर	19-01-2020	43700.00
			ओम मशीनरी स्टोर	05-03-2020	50344.00
2-	प्रधान मानदेय	16810360	प्रधान	05-01-2020	28000.00
3-	प्रशासनिक व्यय	16810364	सिंह कम्प्यूटर	18-12-2019	14500.00
4-	आर०सी०सी० रोड निर्माण	16908656	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	26-06-2019	236742.00
5-	आर०सी०सी० रोड निर्माण	16908658	गंगे माँ ब्रिक फील्ड	28-06-2019	38311.00
6-	माडल शौचालय निर्माण	16810371	गंगे माँ ब्रिक फील्ड	28-06-2019	57779.00
			मे0 मौर्या इण्टर प्राइजेज	22-12-2019	43027.00
7-	आंगनबाड़ी माडल शौचालय		मजदूरी	26-12-2019	34648.00

			मे0 मौर्या इण्टर प्राइजेज	26-12-2019	40994.00
8-	श्याम किशोर के घर से शिव नरायन के घर तक इण्टर लॉकिंग	16908652	मे0 मौर्या इण्टर प्राइजेज पी०एस० टेडर्स मजदूरी	19-01-2020	240663.00
9-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	16810383	विवरणहीन	19-02-2020	241079.00
10-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	16908649	विवरणहीन	19-02-2020	246329.00
11-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	16810377	विवरणहीन	12-03-2020	247095.00
12-	खडन्जा निर्माण	20458812	विवरणहीन	20-03-2020	240805.00
13-	खडन्जा निर्माण	21044665	विवरणहीन	20-03-2020	123020.00
14-	बाउण्ट्री वॉल निर्माण	21044663	विवरणहीन	20-03-2020	154146.00
	योग:-				2212182.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः रू० 1282355.00, 1941237.00 व 2212182.00 अर्थात् कुल रू० 5435774.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 3435774.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - मटरिया

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-416 शासनादेश संख्या-11/2016/3880/33-2-16-11 सी०एम०/2016 दिनांक 27-12-2016 में ग्राम प्रधान का मानदेय रू० 3500-00 प्रतिमाह निर्धारित है जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों की संक्रमित की जाने वाली धनराशि से वहन की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 में दिनांक 05-01-2020 को रू० 17500.00 मानदेय का भुगतान ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त को चौदहवें वित्त आयोग से किया गया है। जो उक्त शासनादेश के विपरीत एवं अनियमित है जिसके कारण चौदहवें वित्त आयोग का उद्देश्य बाधित हुआ। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान अकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-417 ग्राम पंचायत मटरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	14525728	प्रधान	04-07-2019	21000.00
2-	कुर्सी मेज क्रय	14525693	शुक्ला सीमेन्ट	07-07-2019	11000.00
3-	स्वच्छता उपकरण	14525694	सागर साईकिल	07-02-2020	17500.00
	योग:-				49500.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 49500.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 49500.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-418 ग्राम पंचायत मटरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14525710	विनायक ट्रेडर्स	06-07-2019	75516.00
		14525720	ओम मशीनरी स्टोर	05-12-2019	100700.00
		14525723	ओम मशीनरी स्टोर	15-07-2019	103000.00
2-	प्रधान मानदेय	14525707	प्रधान	05-01-2020	17500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	14525707	सिंह कम्प्यूटर	05-01-2020	13850.00
4-	विशेश्वर के घर से जगमोहन के घर तक इण्टर लॉकिंग	14525697	पी०एस० इण्टर लॉकिंग व मजदूरी	07-02-2020	90223.00
			मौर्या इण्टर प्राइजेज	19-02-2020	15944.00
			श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड	08-03-2020	28021.00
	योग:-				444754.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् 444754.000 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 444754.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - खनवापुर

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-419 ग्राम पंचायत खनवापुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	13361380	फिरोज अहमद	09-03-2020	35400.00
2-	प्रधान मानदेय	13361342	प्रधान माया देवी	10-02-2020	35000.00
3-	प्रशासनिक व्यय	13361342	कुँज टेलीकाम	13-02-2020	14000.00
			वी०आर० सलूसन	21-02-2020	1708.00
			ऊषा इण्टर प्राइजेज	28-02-2020	32280.00
			प्रधान मायादेवी	27-03-2020	20000.00
4-	ग्राम पंचायत वर्क	13361355	विकास ट्रेडर्स	27-03-2020	192000.00
	योग:-				330388.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 330388.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 330388.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-420 ग्राम पंचायत खनवापुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	13361381	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी	08-03-2020	9604.00
			फिरोज अहमद		42794.00

2-	प्रशासनिक व्यय	13361379	राजेश कुमार	06-03-2020	15000.00
			माया देवी		15000.00
3-	डस्टबिन क्रय	13361385	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज	18-03-2020	72000.00
	योग:-				154398.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् 154398.000 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 154398.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - लाखन

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-421

ग्राम पंचायत लाखन के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14538888	मौर्या मशीनरी स्टोर	01-07-2019	153265.00
2-	प्रधान मानदेय	14538886	प्रधान	02-07-2019	35000.00
		20357034	प्रधान	12-01-2020	17500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	14538887	सिंह ट्रेडर्स	02-07-2019	20732.00
4-	ह्यूम पाइप स्थापना	14538890	सिंह स्पन पाइप	06-03-2020	149250.00
5-	ह्यूम पाइप स्थापना	14538890	सिंह स्पन पाइप	12-03-2020	149250.00
6-	ह्यूम पाइप स्थापना	14538890	सिंह स्पन पाइप	21-03-2020	158350.00
7-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	14538883	ए०ए० ट्रेडर्स	10-07-2019	111545.00
8-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	14538889	पी०एस० ट्रेडर्स	12-03-2020	163282.00
	योग:-				958174.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 958174.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 958174.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-422

ग्राम पंचायत लाखन के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14538867	मौर्या मशीनरी स्टोर	20-07-2019	151100.00
		20692709	मौर्या मशीनरी स्टोर	21-03-2020	157200.00
		20692710	मौर्या मशीनरी स्टोर	21-03-2020	40800.00
2-	ठेलिया क्रय	14538882	सागर साइकिल स्टोर	15-12-2019	16500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	20357035	सिंह कम्प्यूटर	12-01-2020	15680.00
			वर्मा फर्नीचर	17-03-2020	19765.00
4	मेन रोड से राजू के खेत तक खडन्जा निर्माण	20174821	लहरपुर ब्रिक फील्ड	12-01-2020	101955.00

			मजदूरी	02-02-2020	4667.00
			मजदूरी	02-02-2020	25168.00
5-	सोकपिट निर्माण	14538884	लहरपुर ब्रिक फील्ड	28-06-2019	38311.00
			कमल ट्रेडर्स	07-02-2020	135838.00
			मजदूरी	19-02-2020	20748.00
			मजदूरी	05-03-2020	11310.00
			मजदूरी	21-03-2020	11310.00
6-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	20174819	पी०एस० ट्रेडर्स	21-03-2020	66068.00
7-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	20357037	मजदूरी	12-01-2020	30702.00
			मजदूरी	02-02-2020	1985.00
8-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	20357036	मजदूरी	12-01-2020	15470.00
			मजदूरी	02-02-2020	1080.00
9-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	14538894	लहरपुर ब्रिक फील्ड	23-02-2020	216227.00
			पी०एस० ट्रेडर्स		
			मजदूरी	04-03-2020	33358.00
			मजदूरी	21-03-2020	33358.00
10-	खडन्जा व नाली निर्माण	14538914	लहरपुर ब्रिक फील्ड	12-01-2020	165665.00
			मजदूरी	02-02-2020	38948.00
11-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	14538905	लहरपुर ब्रिक फील्ड	23-02-2020	38218.00
			मजदूरी	04-03-2020	5954.00
12-	इण्टर लॉकिंग निर्माण	14538898	पी०एस० ट्रेडर्स	21-03-2020	85245.00
		योग:-			1482630.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् 1482630.000 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 1482630.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - लुधौनी

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-423

ग्राम पंचायत लुधौनी के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	13694095	मौर्या मशीनरी स्टोर	11-01-2020	7000.00
			अली कान्हेक्टर	16-01-2020	9950.00
2-	प्रधान मानदेय	13694094	प्रधान	01-01-2020	52500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	10694092	इंदरीशी आर्ट पेन्ट	01-01-2020	15000.00
4-	प्रियासाफ्ट फीडिंग	10694092		25-06-2019	5000.00
5-	विनोद के घर से महेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	20454465	नेशनल ब्रिक फील्ड पी० एस० ट्रेडर्स राज ट्रेडर्स	15-01-2020	214295.00
6-	ग्राम पंचायत वर्क	13694101	सिंह स्पन पाइप	27-03-2020	182600.00
		योग:-			486345.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 486345.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 486345.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल

अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्तीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-424 ग्राम पंचायत लुधौनी के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	13694118		07-07-2019	28934.00
				07-07-2019	28934.00
				09-07-2019	28934.00
2-	शत्रोहन के घर से प्रा०वि० तक इण्टर लॉकिंग	13694062	पी०एस० ट्रेडर्स नेशनल ब्रिक फील्ड	10-12-2019	142725.00
			मे० राज ट्रेडर्स	07-01-2020	63886.00
			मजदूरी	27-03-2020	33358.00
3-	मेन रोड से जगदीश कोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग	13694061	पी०एस० ट्रेडर्स नेशनल ब्रिक फील्ड	10-12-2019	92122.00
			मे० राज ट्रेडर्स	13-12-2019	45310.00
			मजदूरी	27-03-2020	19942.00
4-	मेन रोड से विनोद के घर तक इण्टर लॉकिंग	13694064	पी०एस० ट्रेडर्स नेशनल ब्रिक फील्ड	13-12-2019	214702.00
			मे० राज ट्रेडर्स		
			मजदूरी	26-03-2020	31304.00
5-	महेश मोर्या के घर से करन के घर तक इण्टर लॉकिंग	13694066	पी०एस० ट्रेडर्स नेशनल ब्रिक फील्ड	11-01-2020	216852.00
			मे० राज ट्रेडर्स		
			मजदूरी	27-03-2020	31668.00
	योग:-				978671.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् 978671.000 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 978671.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्तीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - दुर्गापुरपड़री विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-425 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14117330	ओम मशीनरी स्टोर	07-03-2020	72140.00
2-	प्रधान मानदेय, फोटो कापी	14117283	प्रधान	08-03-2020	38500.00
			राजेश कुमार	06-03-2020	10000.00
			सुमित कुमार	10-03-2020	5000.00
3-	खडन्जा कार्य	14117309	सिंह ट्रेडर्स	09-03-2020	39599.00
4-	प्रा०वि० में समरसेबिल	14117332	भरोसे	20-03-2020	19500.00
	योग:-				184739.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 184739.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 184739.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री भरोसे तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-426 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	14117293	ओम मशीनरी स्टोर	30-07-2019	144780.00
			ओम मशीनरी स्टोर	19-12-2019	4990.00
2-	स्ट्रीट लाइट क्रय	14117320		03-08-2019	99000.00
3-	प्रशासनिक व्यय	14117306		14-05-2019	26600.00
		14117300		17-07-2019	17800.00
4-	ब्रम्हचारी बाबा स्थान पर चबूतरा निर्माण	14117307	साई ब्रिक फील्ड	15-03-2020	133554.00
5-	खडन्जा मरम्मत	14117312	साई ब्रिक फील्ड	09-03-2020	54243.00
6-	खडन्जा मरम्मत	14117313	साई ब्रिक फील्ड	09-03-2020	65212.00
7-	शौचालय मरम्मत	14117290	शिव ट्रेडिंग कम्पनी	13-07-2019	19989.00
	योग:-				566168.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् 566168.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 566168.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री भरोसे तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत - दरिगापुर विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2017-18, 2018-19, 2019-20

प्रस्तर-427 ग्राम पंचायत दरिगापुर के आलोच्य वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चतुर्थ वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

वर्ष 2017-18					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	4786409	मौर्या मशीनरी स्टोर जय माँ ललिते	10-01-2018	216432.00
2-	गुड्डू पासी के घर से वारिस के घर तक खडन्जा मरम्मत	4786416		13-04-2017	48191.00
3-	प्रशासनिक व्यय	4786414	प्रधान मानदेय	31-07-2017	45000.00
			मिश्रा इण्टर प्राइजेज	31-07-2017	95087.00
4-	प्रहलाद के घर से होलिका दहन तक खडन्जा मरम्मत	4786421	दयाराम ब्रिक मजदूरी	28-12-2017	127043.00
5-	भगौती के घर से स्कूल तक खडन्जा मरम्मत	4786432	दयाराम ब्रिक मजदूरी	19-01-2018	93964.00

6-	रमाकान्त के घर से अशर्फी के घर तक खडन्जा मरम्मत	4786418	दयाराम ब्रिक मजदूरी	05-03-2018	122245.00
7-	ओमप्रकाश के घर से श्याम किशोर के घर तक खडन्जा मरम्मत	4786417	दयाराम ब्रिक मजदूरी	08-03-2018	103146.00
	योग:-				851108.00
वर्ष 2018-19					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	9522036	विवरणहीन	01-05-2018	46500.00
2-	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	9522036	विवरणहीन	16-10-2018	36750.00
3-	कैमरा क्रय, फोटो कापी आदि	9522036	विवरणहीन	01-12-2018	41200.00
4-	वृक्षारोपण	9522036	विवरणहीन	10-11-2018	24790.00
5-	मन्दिर से देवीलाल के घर तक खडन्जा मरम्मत	9522049	विवरणहीन	26-10-2018	42070.00
6-	छोट्टन लोध के घर से अच्छे के घर तक खडन्जा मरम्मत	9522048	विवरणहीन	28-10-2018	177627.00
	योग:-				368937.00
वर्ष 2019-20					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	20945139	प्रधान	04-03-2020	21000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	13783072	विवरणहीन	11-04-2019	45400.00
3-	प्रशासनिक व्यय	20945139	राजेश कुमार	06-03-2020	8000.00
			सुमित शुक्ला	10-03-2020	5000.00
			प्रधान	29-03-2020	16000.00
		20945140	दयाल इन्फो सिस्टम	21-03-2020	19800.00
4-	प्रा०वि० दरिगापुर में इण्टर लॉकिंग	20945143	पी० यस० इण्टर लॉकिंग	15-03-2020	176195.00
			विनय ट्रेडर्स		0
			जय हिन्द ब्रिक फील्ड	18-03-2020	35325.00
	योग:-				326720.00

चतुर्थ वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में ₹ 851108.00, 368937.00 व 326720.00 अर्थात् कुल ₹ 1546765.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1546765.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लल्लन कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-428 ग्राम पंचायत दरिगापुर के आलोच्य वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

वर्ष 2017-18					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हयूम पाइप क्रय	4786439	सिंह स्पन पाइप	07-11-2017	50000.00
2-	स्ट्रीट लाइट	4786438	विवरणहीन	26-03-2018	149700.00
3-	मोहित के घर तक चबूतरा निर्माण	4786452	मौ गंगे ब्रिक फील्ड शुक्ला सीमेन्ट	22-11-2017	28349.00
4-	अल्फाज के घर से प्रहलाद के घर तक खडन्जा कार्य	4786465	दयाराम ब्रिक फील्ड मजदूरी	07-12-2017	130556.00
	योग:-				358605.00

वर्ष 2018-19					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	9522031	विवरणहीन	20-06-2018	235704.00
			मौर्या मशीनरी स्टोर	23-10-2018	50000.00
			विवरणहीन	11-12-2018	142500.00
			विवरणहीन	15-12-2018	142500.00
			विवरणहीन	28-12-2018	87500.00
			विवरणहीन	05-02-2019	88000.00
			विवरणहीन	09-02-2019	125860.00
			विवरणहीन	12-02-2019	32000.00
			विवरणहीन	06-03-2019	80331.00
			विवरणहीन	07-03-2019	85500.00
2-	स्ट्रीट लाइट	9522093	विवरणहीन	01-05-2018	249500.00
3-	ओमप्रकाश के घर से ज्वाला के घर तक इण्टर लॉकिंग	9522081	शुक्ला सीमेन्ट आदि	22-10-2018	240478.00
4-	प्रा०वि० में शौचालय मरम्मत कार्य	9522034	विवरणहीन	07-01-2019	74830.00
5-	लगे खडन्जा से संतराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	9522083	विवरणहीन	06-03-2019	233911.00
	योग:-				1868614.00
वर्ष 2019-20					
क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	16840921	विवरणहीन	10-06-2019	142500.00
			विवरणहीन	28-06-2019	171000.00
			ओम मशीनरी स्टोर	18-12-2019	5000.00
			मौर्या मशीनरी स्टोर	27-02-2020	57712.00
			फिरोज अहमद	27-02-2020	47084.00
			ओम मशीनरी स्टोर, शुक्ला सीमेन्ट	27-02-2020	57712.00
			हरीशंकर	28-02-2020	47084.00
2-	प्रशासनिक व्यय/प्रधान मानदेय	13783076	प्रधान मानदेय	28-06-2019	49000.00
			विवरणहीन	28-06-2019	8009.00
3-	पेन्टेड रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	13783036	माँ गंगे ब्रिक फील्ड	03-08-2019	223727.00
		20945137	विनय ट्रेडर्स	04-03-2020	25984.00
4-	अनुपम के घर से मुन्नी के घर तक इण्टर लॉकिंग	16840925	माँ गंगे ब्रिक फील्ड	03-08-2019	202181.00
		20945138	विनय ट्रेडर्स	04-03-2020	25437.00
5-	डस्टबिन क्रय	13783055	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज	14-03-2020	72000.00
6-	ग्राम पंचायत वर्क	13783026	विकास ट्रेडर्स	27-03-2020	190200.00
7-	प्रा०वि० व उ०प्रा०वि० में शौचालय निर्माण	13783057	विवरणहीन	10-05-2019	74830.00
	योग:-				1399460.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः ₹ 358605.00, 1868614.00 व 1399460.00 अर्थात् कुल ₹ 3626679.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 3626679.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लल्लन कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कमाल अहमद उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशान अंगूठा का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत – मुरादपुर**विकास खण्ड – पसगवां****वर्ष – 2019-20****प्रस्तर-429**

ग्राम पंचायत मुरादपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	अन्य व्यय	14028414	1000.00
2-	भुईहार बाबा देवस्थान चबूतरा निर्माण	14028435	37690.00
3-	प्रा०स्कूल सुहेला में रसोई घर मरम्मत	20618445	59958.00
4-	प्रा०स्कूल सुहेला में बाउण्ड्री वॉल मरम्मत	20618443	40797.00
योग:-			139445.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹० 139445.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹० 139445.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री स्वामीदयाल व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-430

ग्राम पंचायत मुरादपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	चेयर टेबल क्रय	14028367	34000.00
2-	स्टेशनरी आदि	14028367	50000.00
3-	प्रधान मानदेय	14028368	49000.00
4-	साफ-सफाई, ठेलिया क्रय	14028346	43000.00
5-	स्ट्रीट लाइट क्रय	14028406	99053.00
6-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग पर्चेज व लेबर पेमेन्ट	14028433	12199.00
7-	हयूम पाइप गुड्स पर्चेज	14028427	32100.00
8-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग पर्चेज व लेबर पेमेन्ट	14028384	23500.00
9-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग पर्चेज व लेबर पेमेन्ट	14028438	16138.00
10-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग पर्चेज व लेबर पेमेन्ट	14028382	28000.00
11-	रिचार्ज पिट निर्माण	14028475	40815.00
12-	हयूम पाइप व्यय	14028409	41203.00
13-	वॉल पेन्टिंग	14028408	19750.00
14-	हैण्डपम्प मरम्मत	14028404	87000.00
15-	प्लान्टेशन (वृक्षारोपण)	14028361	19250.00
16-	समर्सिबल लगवाना	14028390	72542.00
17-	सतीश के मकान से राधेश्याम के मकान तक खडन्जा कार्य	14028376	74078.00
18-	प्रशासनिक कार्य	14028367	5000.00
योग:-			746538.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹० 746538.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹० 746538.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री स्वामीदयाल व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अमरौलिया विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-431 ग्राम पंचायत अमरौलिया के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी	7737744	27000.00
2-	प्रधान मानदेय	7737742	52500.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	7737753	56000.00
4-	ठेलिया क्रय	7737775	22500.00
5-	वॉल पेन्टिंग	7737743	19250.00
6-	ह्यूम पाइप क्रय व लेबर	7737760	103864.00
	योग:-		281114.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 281114.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 281114.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-432 ग्राम पंचायत अमरौलिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	वॉल पेन्टिंग	13671075	18750.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	13671068	80500.00
	योग:-		99250.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 99250.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 99250.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-433 ग्राम पंचायत अमरौलिया के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	लेबर, ईट क्रय, मिट्टी ढुलाई	7737765	88650.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	7737769	110000.00
3-	स्ट्रीट लाइट	7737771	99053.00
4-	सामेन्ट, मोरंग आदि क्रय	7737780	166914.00
5-	स्टेशनरी, विज्ञापन, टेण्डर	7737745	60632.00
6-	लेबर पेमेन्ट, ब्रिक-सीमेन्ट, मोरंग, बालू आदि क्रय	7737781	160297.00
7-	खडन्जा कार्य (मिट्टी आपूर्ति व लेबर पेमेन्ट)	7737763	136184.00
8-	हैण्डपम्प रिबोर	7737768	32100.00
9-	लेबर पेमेन्ट, मिट्टी ढुलाई, इण्टर लॉकिंग ब्रिक्स आदि क्रय	7737778	230545.00

	योग:-	1084375.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1084375.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1084375.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-434 ग्राम पंचायत अमरौलिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ब्रिक, ट्रैक्टर, ट्राली परचेज, लेबर पेमेन्ट	13671078	166626.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	13671097	64200.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	13671094	160000.00
4-	प्रधान मानदेय	13671072	175000.00
5-	स्ट्रीट लाइट	13671098	98000.00
6-	प्रिया साफ्ट फीडिंग	13671071	10000.00
7-	प्रकाश के घर से भगवानदीन के घर तक खडन्जा मरम्मत	13671081	78961.00
8-	हैण्डपम्प रिबोर	13671070	135000.00
9-	प्रकाश के घर से भगवानदीन के घर तक नाली निर्माण	13671086	79362.00
10-	यज्ञशाला से धनीराम के मकान तक इण्टर लॉकिंग	10671106	218433.00
	योग:-		1028082.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1028082.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1028082.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ओदरहा विकास खण्ड - पसगवां वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-435 ग्राम पंचायत ओदरहा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	17316987	42000.00
2-	वॉल पेन्टिंग	17316989	18560.00
3-	प्लान्टेशन (वृक्षारोपण)	17316992	19360.00
4-	स्टेशनरी	20593989	10000.00
5-	प्रिया साफ्ट व स्टेशनरी	20593987	25000.00
	योग:-		114920.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 114920.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 114920.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामऔतार व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं।

समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-436 ग्राम पंचायत ओदहरा के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138765	32100.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138722	259539.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	11192119	32100.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138769	104039.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत	11192120	57000.00
6-	स्वच्छता कार्य	9138728	40100.00
7-	स्ट्रीट लाइट परचेज	11192118	95500.00
8-	स्ट्रीट लाइट परचेज	9138725	99035.00
9-	प्लान्ट परचेज	11192121	19100.00
10-	खडन्जा नाली निर्माण	9138744	64500.00
11-	श्यामलाल के घर से मोती के घर तक खडन्जा व नाली निर्माण	9138732	147189.00
12-	ह्यूम पाइप क्रय	9138724	59000.00
13-	हैण्डपम्प रिबोर	9138766	32100.00
14-	राजाराम के घर से वीरेन्द्र के घर तक खडन्जा व नाली निर्माण	9138733	30786.00
योग:-			1072088.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 1072088.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 1072088.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामऔतार व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-437 ग्राम पंचायत ओदहरा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	17316985	96300.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	17316967	135000.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	17316996	116100.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत	17317057	86500.00
5-	फर्नीचर, स्टेशनरी	17317035	73000.00
6-	स्ट्रीट लाइट	17317059	99053.00
7-	ह्यूम पाइप क्रय	17317037	95400.00
8-	स्वच्छता	17316968	50900.00
9-	लेबर पेमेन्ट व मिट्टी आपूर्ति	17317029	75636.00
10-	ईट क्रय, लेबर पेमेन्ट व मिट्टी आपूर्ति	17317045	75636.00
11-	ईट, सीमेन्ट क्रय	17317061	42354.00
12-	दयाराम के घर से राजेश के घर तक	17317027	40328.00
13-	लिंक रोड से विपिन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	17316974	232000.00
14-	विजय के मकान से राजेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	17317042	236158.00
योग:-			1454365.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1454365.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1454365.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामऔतार व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-438 ग्राम पंचायत ओदरहा के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138661	159900.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138679	32100.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138680	32100.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत	9138681	64200.00
5-	स्टेशनरी व विज्ञापन	9138653	102174.00
6-	नेरश के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण	9138692	15130.00
7-	खडन्जा कार्य व नाली निर्माण	9138688	15130.00
8-	खडन्जा कार्य व नाली निर्माण	9138696	30786.00
9-	खडन्जा कार्य व नाली निर्माण	9138676	113400.00
10-	देवीप्रसाद के घर से तौता के घर तक खडन्जा व नाली	9138682	37900.00
11-	प्रधान मानदेय	9138650	52500.00
12-	स्ट्रीट लाइट क्रय	9138664	99053.00
13-	हयूम पाइप क्रय	9138704	45000.00
14-	पेन्टिंग कार्य	9138651	19250.00
योग:-			818623.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 818623.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 818623.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामऔतार व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोल्हौरा विकास खण्ड - पसगवां वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-439 ग्राम पंचायत कोल्हौरा के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ठेलिया क्रय	8763050	45350.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	8763029	50000.00
3-	प्रधान मानदेय	8763019	21000.00
4-	वृक्षारोपण	1257153	19100.00
योग:-			135450.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 135450.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन

मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 135450.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सिंह व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-440 ग्राम पंचायत कोल्हौरा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	13801333	21000.00
2-	प्रधान मानदेय	20591136	21000.00
3-	खडन्जा मार्ग से रमेश के मकान तक खडन्जा निर्माण	13801319	45464.00
योग:-			87464.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 87464.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 87464.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सिंह व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-441 ग्राम पंचायत कोल्हौरा के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी व विज्ञापन	8763022	108250.00
2-	स्ट्रीट लाइट क्रय	8763034	99053.00
3-	स्ट्रीट लाइट क्रय	8763071	99053.00
4-	लेबर पेमेन्ट, ब्रिक क्रय, मिट्टी ढुलाई	8763094	35626.00
5-	लेबर पेमेन्ट, ब्रिक क्रय	8763107	59958.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर	8763065	32000.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर	8763101	31800.00
8-	हैण्डपम्प मरम्मत	8763066	120147.00
9-	हैण्डपम्प मरम्मत	12571548	67500.00
10-	लेबर पेमेन्ट व ह्यूम पाइप क्रय	8763062	103750.00
योग:-			757137.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 757137.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 757137.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सिंह व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-442 ग्राम पंचायत कोल्हौरा के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित

व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	लेबर पेमेन्ट	13801291	100617.00
2-	सीमेन्ट, मौरंग आदि क्रय	13801324	18465.00
3-	रिचार्ज पिट व्यय	13801357	6155.00
4-	चेयर, टेबल, स्टेशनरी, प्रियासाफ्ट फीडिंग	13801332	123630.00
5-	लेबर पेमेन्ट, सीमेन्ट, मौरंग, ब्रिक्स आदि क्रय	13801364	85119.00
6-	हयूम पाइप क्रय	13801347	41203.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत	13801314	87000.00
8-	वॉल पेन्टिंग	13801362	18750.00
9-	सब्सिडिबल निर्माण	13801328	92452.00
10-	नये के मकान से रोहित के मकान तक खडन्जा निर्माण	13801369	56875.00
11-	सोकपिट निर्माण	20591137	31224.00
योग:-			661490.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 661490.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 661490.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सिंह व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - खम्हरिया विकास खण्ड - पसगवां वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-443 ग्राम पंचायत खम्हरिया के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	9138774	59500.00
2-	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	9138775	55000.00
3-	उस्टबिन क्रय	9138806	141500.00
4-	सोलर लाइट मरम्मत	9138790	95500.00
5-	वॉल पेन्टिंग	9138775	19250.00
योग:-			370750.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 370750.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 370750.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-444 ग्राम पंचायत खम्हरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	अन्य कार्य हेतु	15401983	900.00
2-	प्रधान मानदेय	15401936	7000.00
3-	वॉल पेन्टिंग	15401938	19375.00

4-	हैण्डपम्प मरम्मत	15401942	87000.00
योग:-			114275.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 114275.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 114275.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-445 ग्राम पंचायत खम्हरिया के आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी, विज्ञापन, प्रियासाफ्ट फीडिंग	9138777	177180.00
2-	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	9138788	74000.00
3-	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	9138818	128700.00
4-	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	9138816	39000.00
5-	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	9138786	96300.00
6-	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	9138814	79800.00
7-	स्पन पाइप	9138794	95813.00
8-	स्पन पाइप	9138815	95813.00
9-	ठेलिया क्रय	9138822	22500.00
10-	डस्टबिन क्रय	9138822	96500.00
11-	स्ट्रीट लाइट	9138823	198080.00
12-	स्ट्रीट लाइट	9138791	99053.00
13-	टैक्टर टाली पर्वज	9138832	48108.00
14-	टैक्टर टाली पर्वज	9138801	31008.00
15-	टैक्टर टाली पर्वज	9138811	65208.00
16-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग क्रय	9138834	20954.00
17-	ब्रिक, सीमेन्ट, मौरंग क्रय	9138836	81043.00
योग:-			1449060.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1449060.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 1449060.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-446 ग्राम पंचायत खम्हरिया के आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ऑफ लाइन लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	लेबर पेमेन्ट	15401985	43400.00
2-	लेबर पेमेन्ट	15402003	23450.00
3-	लेबर पेमेन्ट	15401954	15000.00
4-	लेबर पेमेन्ट	15401980	10000.00
5-	साफ-सफाई	15401997	20000.00

6-	स्टेशनरी एवं फ्रीडिंग	15401937	95133.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत	15401998	260000.00
8-	हैण्डपम्प रिबोर	15401935	135000.00
9-	हैण्डपम्प रिबोर	15401941	135000.00
10-	स्ट्रीट लाइट	15401944	99053.00
11-	रिचार्ज पिट	15401948	28236.00
12-	प्लान्टेशन (वृक्षारोपण)	15401990	19630.00
13-	ह्यूम पाइप	15401992	94929.00
	योग:-		978831.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 978831.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 978831.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिससे समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/निशानी अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - मुरारखेड़ा कालोनी विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-447 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा कालोनी के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	50000
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
सीवेज एंड सैनीटेशन	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंडीचर	132189
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	183347
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	1150235
योग	1515771

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि - "ग्रामप-रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण-दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र स/म्मिलित है आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की

ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1515771.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती संदीप कौर से ₹ 757885.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 757885.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भगवन्तनगर

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-448

ग्राम पंचायत भगवन्तनगर के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
ओनोरेरियम	46500
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	71718
अदर एक्सपेंसिस	209811
पंचायत राज प्रोग्राम	
अदर एक्सपेंसिस	88234
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
अदर एक्सपेंसिस	749445
योग	1165708

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड - 7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1165708.00 में से ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह से ₹ 582854.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 582854.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बेलाकलां

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-449

ग्राम पंचायत बेलाकलां के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	75775
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स	152560
अदर एक्सपेंसिस	
लीज़ चार्जेस	264791

फॉरेस्ट्री	
सोशल फॉरेस्ट्री	163718
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	461199
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	237462
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोड्स	1025534
योग	2381039

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड - 7 में उल्लिखित है कि - "ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दा-यित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटे/शन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 2381039.00 में से ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार से रू० 1190519.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार से रू० 1190519.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिजौरिया

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-450

ग्राम पंचायत बिजौरिया के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस	18500
ओनोरेरियम	67867
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
अदर एक्सपेंसेस	90720
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
डेवलपमेंट एंड मेटेनेंस वर्क	184771
अदर एक्सपेंसेस	88333
पंचायत राज प्रोग्राम	
डेवलपमेंट एंड मेटेनेंस वर्क	74810
अदर एक्सपेंसेस	376195
योग	2378149

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों

की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2378149.00 में से ग्राम प्रधान श्री मंगलाल से ₹० 1189074.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹० 1189074.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सौनहा

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-451

ग्राम पंचायत सौनहा के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	133082
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	101377
एजुकेशन	
प्राइमरी एजुकेशन	332304
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	132885
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	420013
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	291341
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोड्स	806812
योग	2217814

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2217814.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमेश से ₹० 1108907.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से ₹० 1108907.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सरखनापूरब
प्रस्तर-452

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

ग्राम पंचायत सरखनापूरब के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टेन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	2952
ग्रांटस इन ऐड	
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	691868
योग	694820

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 694820.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी से ₹०247410.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹० 247410.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पुरैना

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-453 ग्राम पंचायत पुरैना के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	74447
कैपिटल आउटले ऑन पंचायती राज प्रोग्राम	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम्स	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम्स	25620
फॉरेस्ट्री	
सोशल फॉरेस्ट्री	31950
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
फोर्टेन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	139029

पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	353049
ग्रान्ट्स इन ऐड	
अदर एक्सपेंसिस	10920
योग	635015

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक-तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव-से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लेन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 635015.00 में से ग्राम प्रधान श्री मो० सफीक से ₹ 317507.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रजोत कुमार से ₹ 317507.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिपरौला

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-454 ग्राम पंचायत पिपरौला के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र केश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	164505
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	1574706
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एकजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोड्स	164922
योग	1904133

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव-से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य

की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1904133.00 में से ग्राम प्रधान श्री छैल बिहारी से ₹० 952066.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹० 952066.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भूड़ा

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-455 ग्राम पंचायत भूड़ा के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र केश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस	141795
ओनोरेरियम	17500
मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
अदर एक्सपेंसिस	82832
इंटरैस्ट पेमेंट्स	
अदर एक्सपेंसिस	1144
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	75000
अदर एक्सपेंसिस	23500
अदर एक्सपेंसिस	144000
अदर एक्सपेंसिस	215952
पंचायत राज प्रोग्राम	
अदर सर्विसेस फीस	132536
अदर एक्सपेंसिस	366791
योग	1201050

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान-तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक- तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव- से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1201050.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से ₹० 600525.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवचन्द्र से ₹० 600525.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चन्दनचौकी

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-456 ग्राम पंचायत चंदनचौकी के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रवलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	149120
ओनोरेरियम	45500
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन अदर एक्सपेंसिस	110017
फोर्टीन फाइनेंस अदर एक्सपेंसिस	374991
ग्राम पंचायत प्रोग्रामअदर एक्सपेंसिस	193415
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन अदर एक्सपेंसिस	55471
अदर एक्सपेंसिस	610975
योग	1539489

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से संबंधित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रवलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय-के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रवलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलों डिलीवरी/ चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1539489.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता से ₹० 69744 50.और ग्राम पंचायत सचिव श्री चंद्रशेखर से ₹० 769744 50. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - छेदियापूरब

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-457 ग्राम पंचायत छेदिया पूरब के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रवलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	728669
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	7036
पंचायती राज प्रोग्राम्सअदर एक्सपेंसिस	1665587
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशनअदर एक्सपेंसिस	41126
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस	32457
योग	2474875

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रवलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये

व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 2474875.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामनरेश से रू० 1237437.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से रू० 1237437.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढाका

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-458

ग्राम पंचायत ढाका के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	368885
ओनोरेरियम	45500
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन अदर एक्सपेंसिस	86964
फोर्टीन फाइनेंस अदर एक्सपेंसिस	783104
ग्राम पंचायत प्रोग्रामअदर एक्सपेंसिस	753510
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन रिपेयर	17200
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशनअदर एक्सपेंसिस	1064382
योग	3119545

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव-से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 3119545.00 में से ग्राम प्रधान श्री अनिल आर्य से रू० 1559772.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से रू० 1559772.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मझगई

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-459

ग्राम पंचायत मझगई के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	1265222
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	1238901
एडमिनिस्ट्रिव एक्सपेंसेस	77974

एजुकेशन	143442
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन अदर एक्सपेंसिस	1064114
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	54503
सोशल सिविलिटी एंड अदर एक्सपेंसिस	1540963
एनीमल हसबैंडरी डेयरिंग अदर एक्सपेंसिस	982431
एग्रीकल्चर अदर एक्सपेंसिस	30400
पंचायत प्रोग्राम अदर एक्सपेंसिस	999577
ग्रांट्स इन ऐड	72000
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस	45780
कैपिटल आउटले एंड अदर एक्सपेंसिस	114887
रूरल इलक्टरफिकेशन अदर एक्सपेंसिस	224000
अदर एक्सपेंसिस	510587
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क्स	758553
फोर्टीन अदर एक्सपेंसिस	1912452
योग	11325494

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक- तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव- से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 11325494.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अर्पिता गुप्ता से ₹ 5662747.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से ₹ 5662747.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मसानखम्भ

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-460

ग्राम पंचायत मसानखम्भ के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	53360
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	187986
अदर एक्सपेंसिस	164976
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	704033
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	493711
योग	1604066

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि- वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1604066.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती कबीर देवी से ₹० 8002033.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से ₹० 8002033.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नगला

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-461 ग्राम पंचायत नगला के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	331799
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	307533
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	629851
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	416276
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	208130
कैपिटल आउटले ऑन रूरल इलक्टरफिकेशन	
इंस्टालेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट	243750
रूरल इलक्टरफिकेशन	
पर्वेस ऑफ पावर	246960
योग	2384299

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-“ग्रामप्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये

व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।- व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित ह/ै आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹०० में से ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से ₹० 2384299.00 119 और ग्राम पंचायत स 2149.50 चिव श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा से ₹० 01192149.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पलियाखुर्द

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-462

ग्राम पंचायत पलियाखुर्द के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	309247
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	546
फॉरैस्ट्री	
सोशल फॉरैस्ट्री	37950
वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	309748
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	32969
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	1339144
योग	2029604

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव-से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2029604.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती से ₹० 1014802.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 1014802.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – परसिया

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-463

ग्राम पंचायत परसिया के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	626646
विलेज पंचायत	57090
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	346386
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	1702856
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन	
पर्वेस ऑफ पावर	30000
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	56722
योग	2819700

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि -“ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि -“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव-से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2819700.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामसमझ से ₹० 1409850.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से ₹० 1409850.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बबौरा

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-464 ग्राम पंचायत बबौरा के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	34426
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	134811
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	339168
कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वर्ट ब्रिज	329570
कैपिटल आउटले ऑन पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	435930
योग	1273905

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।

- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रवलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 1273905.00 में से ग्राम प्रधान श्री भूमि शरण से रू० 636952.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से रू० 636952.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भानपुरीकालोनी

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-465

ग्राम पंचायत भानपुरी कालोनी के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा की आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटैल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	498241
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	1951641
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	426483
कैपिटल आउटले वाटर सप्लाई सैनिटेशन	
योग	2876365

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 2876365.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रू० 1438182.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से रू० 1438182.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बनकटी

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-466

ग्राम पंचायत बनकटी के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराजसाइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड

नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फ्रीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	50500
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स	220620
अदर एक्सपेंसिस	
लीज़ चार्जस	
एजुकेशन	
प्राइमरी एजुकेशन	241254
अदर एक्सपेंसिस	
फॉरेस्ट्री	
सोशल फॉरेस्ट्री	
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स ऑफ ट्यूबवेल	60000
सीवेज एंड सैनीटेशन	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	441432
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	350959
ग्रांट्स इन ऐड	
अदर एक्सपेंसिस	144000
फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन	
डेवलपमेंट एंड मेटेनेंस वर्क	
डेवलपमेंट एंड मेटेनेंस वर्क	
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन	
पर्चेस ऑफ पावर	
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	61129
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	31066
कैपिटल आउटले वाटर सप्लाई सैनिटेशन	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	
योग	1600960

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से संबंधित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड - 7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेखउपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक

में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० में से ग्राम प्रधान श्री राम मिलन से रू० 1600960.00800480.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव चंद्र से रू० 800480.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बड़ागाँव

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-467

ग्राम पंचायत बड़ागाँव के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	491651
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स	37050
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन	
मेटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट	97500
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	1286155
डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम	97331
अदर एक्सपेंसिस	50150
योग	2059837

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-“ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 2059837.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती जेबा अमीर से रू० 1029918.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से रू० 1029918-50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बरबटा

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-468

ग्राम पंचायत बरबटा के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है –

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	201434
कैपिटल आउटले ऑन पंचायती राज प्रोग्राम	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम्स	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम्स	502185
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयरस	88536
फॉरिस्ट्री	
सोशल फॉरिस्ट्री	31950
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
मेटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयरस ऑफ ट्यूबवेल	
सीवेज एंड सैनीटेशन	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	283908
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	404683
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	291917
योग	1804613

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड - 7 में उल्लिखित है कि-“ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० में से ग्राम प्रधान श्री बाबा राम से ₹० 902306.50 1804613.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रजोत कुमार से ₹० 902306.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसहीकालोनी

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-469 ग्राम पंचायत बसही कॉलोनी के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	228517
पंचायत राज प्रोग्राम	

ग्राम पंचायत प्रोग्राम	1352209
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	282614
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	50298
योग	1913638

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।"- व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1913638.00 में से ग्राम प्रधान श्री शैलेश कुमार से ₹० 956819.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹० 956819.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसन्तापुरखुर्द

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-470

ग्राम पंचायत बसन्तापुर खुर्द के वर्ष 2019-20 के आय व्यय से सम्बन्धित मात्र कैश बुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 फीडेड पाया गया है, वार्षिक आय व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है -

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
ओनोरेरियम	21000
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसिस	21644
पंचायत राज प्रोग्राम	
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस	4473
अदर एक्सपेंसिस	54667
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
ड्रेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस	116460
अदर एक्सपेंसिस	721422
कैपिटल आउटले रूरल इलक्टरफिकेशन	
अदर एक्सपेंसिस	211250
योग	1150916

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फ्रीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभाषित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के खण्ड -7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल-को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।-” व्यय पत्रावलियाँ, जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है आदि/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं नियमावली 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ० प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1150916.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र सिंह से ₹० 575458.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹० 575458.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सूरमा

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-471

ग्राम पंचायत सूरमा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	देश के घर के पास डीप जीपिंग	25-07-2019	74500.00
2-	रामसहाय के घर के पास डीप बोरिंग	25-07-2019	74500.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	13-01-2020	16910.00
योग:-			165910.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – “ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 165910.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-472

ग्राम पंचायत सूरमा में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

वर्ष 2019-20			
क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शारदा के घर से सुरती के घर तक नाली निर्माण	16-07-2019	71265.00
योग:-			71265.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – “ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – “यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 71265.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-473

ग्राम पंचायत सूरमा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन खडन्जा से करत सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-07-2019	145625.00
2-	शारदा के घर से हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग	25-07-2019	101566.00
3-	रामसहाय के घर से रमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2019	50847.00
4-	रामसहाय के घर से रमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	27-12-2019	141331.00

5-	रमेश के घर से अंतराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	13-02-2020	129181.00
6-	लाला के घर से मजोरा के घर तक इण्टर लॉकिंग	24-02-2020	235796.00
7-	मेन रोड से पूज्य बाबा के स्कूल के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	165500.00
8-	पी०डब्लू०डी० रोड से पूज्य दुखी के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	194957.00
9-	मेन रोड से अमृता के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	100855.00
10-	खडन्जा से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	124291.00
11-	मेन खडन्जा से सहदेव के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	140942.00
12-	मेन खडन्जा से सहदेव के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	20860.00
13-	खडन्जा से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-03-2020	18312.00
14-	पक्की रोड से ममता के घर तक इण्टर लॉकिंग	29-03-2020	17248.00
15-	पी०डब्लू०डी० रोड से पूज्य दुखी के घर तक इण्टर लॉकिंग	29-03-2020	46451.00
योग:-			1633762.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1633762.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-474 ग्राम पंचायत सूरमा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिट्टी पटाई	16-07-2019	10000.00
2-	ठेलिया क्रय	16-07-2019	23500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	25-07-2019	7850.00
4-	गोल्डी कम्प्यूटर्स	10-12-2019	1160.00
5-	प्रधान मानदेय	13-02-2020	42000.00
6-	स्टेशनरी क्रय	31-03-2020	3150.00
7-	टेण्डर प्रकाशन	31-03-2020	3213.00
योग:-			90873.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत सूरमा ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 90873.00 में से ग्राम प्रधान श्री शंकर से और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवराही **विकास खण्ड - पलिया** **वर्ष - 2019-20**

प्रस्तर-475 ग्राम पंचायत देवराही में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	09-07-2019	23500.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	17-07-2019	79566.00

3-	हैण्डपम्प रिबोर	26-07-2019	12000.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर	12-07-2019	40000.00
योग:-			155066.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 155066.00 में से ग्राम प्रधान श्री कल्लूराम से और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रजीत कुमार से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-476 ग्राम पंचायत देवराही में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	श्री सिद्ध ट्रेडर्स को मूड़ादान स्थापना	16-07-2019	28800.00
योग:-			28800.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 28800.00 में से ग्राम प्रधान श्री कल्लूराम से और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रजीत कुमार से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-477 ग्राम पंचायत देवराही में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय देवराही में शौचालय मरम्मत कार्य	24-03-2020	112715.00
योग:-			112715.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 112715.00 में से ग्राम प्रधान श्री कल्लूराम से और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रजीत कुमार से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-478 ग्राम पंचायत देवराही में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	05-07-2019	21000.00

2-	प्रधान मानदेय	27-12-2019	17500.00
3-	प्रधान मानदेय	30-03-2020	14000.00
4-	गोल्डी कम्प्यूटर्स से कुर्सी मेज अलमारी क्रय	05-07-2019	12000.00
5-	वॉल राइटिंग	05-07-2019	28000.00
6-	ज्योति इण्टर प्राइजेज से कुर्सी मेज अलमारी क्रय	11-07-2019	18000.00
7-	प्रिया साफ्ट फीडिंग	12-07-2019	4500.00
8-	स्टेशनरी क्रय	15-07-2019	10000.00
9-	बैंक चार्ज	15-08-2019	30.00
10-	स्टेशनरी एवं फोटो कापी क्रय	17-12-2019	2150.00
11-	सड़क से परशराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	07-01-2020	32121.00
12-	सड़क से परशराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-01-2020	68145.00
13-	पुननी के घर से दौलत के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-01-2020	197903.00
14-	सड़क से परशराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	20-01-2020	9633.00
15-	पुननी के घर से दौलत के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	40160.00
योग:-			475142.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 475142.00 में से ग्राम प्रधान श्री कल्लूराम से और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रजीत कुमार से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ढकिया

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-479 ग्राम पंचायत ढकिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	22-03-2020	213512.00
योग:-			213512.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 213512.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से ₹ 106756.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह ₹ 106756.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-480 ग्राम पंचायत ढकिया में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट	30-03-2020	162500.00
योग:-			162500.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान

मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 162500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से ₹० 81250.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह ₹० 81250.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-481 ग्राम पंचायत ढकिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पेन्टेड रोड से बलजीत के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	24-02-2020	209250.00
2-	ढकिया में मेन खडन्जा से सोनू के खेत तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	18-02-2020	194478.00
3-	विंसी आखेड़ा में सटसुनग बांग्ला से जंगल बार्डर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	27-03-2020	133124.00
4-	अमीचन्द के खेत से श्रीराम के खेत तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	27-03-2020	183757.00
योग:-			720609.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 720609.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से ₹० 360304.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह ₹० 360304.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-482 ग्राम पंचायत ढकिया में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सी०सी० रोड से रामपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-02-2020	105960.00
2-	पेन्टेड रोड से बलजीत के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-02-2020	108039.00
3-	सी०सी० रोड से मँगीलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-02-2020	78911.00
4-	पेन्टेड रोड से गोपी के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	88118.00
5-	सी०सी० रोड से हरिकिशन के घर तक इण्टर लॉकिंग	08-03-2020	101561.00
योग:-			482589.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 482589.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से ₹० 241294.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह ₹० 241294.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-483 ग्राम पंचायत ढकिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बैंक चार्ज	05-02-2019	166.00
2-	प्रधान मानदेय	01-07-2019	10500.00
3-	स्टेशनरी क्रय	19-12-2019	2242.00
4-	टेण्डर प्रकाश	27-03-2020	3213.00
5-	टेण्डर प्रकाशन	27-03-2020	3213.00
6-	टेण्डर प्रकाशन	27-03-2020	3181.00
7-	टेण्डर प्रकाशन	27-03-2020	3213.00
योग:-			25728.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 25728.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से ₹० 12864.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह ₹० 12864.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - धुसकिया

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-484 ग्राम पंचायत धुसकिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	19-06-2019	159456.00
2-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	29-02-2020	147524.00
योग:-			306980.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 306980.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹० 153490.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय ₹० 153490.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-485 ग्राम पंचायत धुसकिया में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट कार्य	01-08-2019	97500.00
योग:-			97500.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 97500.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 48750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय ₹ 48750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-486 ग्राम पंचायत धुसकिया में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप का भुगतान	01-08-2019	51226.00
	योग:-		51226.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 51226.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 25613.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय ₹ 25613.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-487 ग्राम पंचायत धुसकिया में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	04-08-2019	26849.00
2-	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य	19-01-2020	131108.00
3-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य	19-01-2020	190997.00
4-	प्राथमिक विद्यालय में बेलरा में टाइल्स कार्य	22-01-2020	26470.00
5-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेलरा में टाइल्स कार्य	22-01-2020	38520.00
	योग:-		413944.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 413944.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 206972.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय ₹ 206972.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-488 ग्राम पंचायत धुसकिया में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हथकरघा कारखाने से रामदास के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-01-2020	140829.00
2-	वासुदेव के घर से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग	22-01-2020	206118.00
3-	हथकरघा कारखाने से रामदास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	22-01-2020	31637.00
4-	रामदास के घर से मदन के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	195998.00
5-	डामर रोड से धर्मेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	112733.00
6-	बाबूराम के घर से सीताराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	197753.00
	योग:-		885068.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 885068.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 442534.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय ₹ 442534.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-489 ग्राम पंचायत धुसकिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	15-07-2019	14000.00
2-	प्रशासनिक व्यय	01-08-2019	12000.00
3-	कार्य योजना लेखन	08-01-2020	18500.00
4-	प्रधान मानदेय	22-02-2020	24500.00
5-	स्टेशनरी क्रय	04-03-2020	9815.00
6-	ग्राम पंचायत में स्लोगन वॉल पेन्टिंग कार्य	21-02-2020	14250.00
7-	रिक्शा ठेला क्रय	22-02-2020	24500.00
योग:-			117565.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 117565.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम सहाय से ₹ 58782.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भाष्कर राय ₹ 58782.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ध्यानपुर

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-490 ग्राम पंचायत ध्यानपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	15-07-2019	20000.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर हेतु जय माँ वैष्णो ट्रेडर्स को	20-07-2019	212616.00
3-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर	28-01-2020	62680.00
4-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर	08-03-2020	47016.00
योग:-			342312.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 342312.00 में से ग्राम प्रधान श्री करम सिंह और ग्राम पंचायत सचिव चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-491 ग्राम पंचायत ध्यानपुर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कूड़ा ठेलिया क्रय	09-07-2019	23500.00
2-	कूड़ादान स्थापना कार्य	11-07-2019	144000.00
योग:-			167500.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 16500.00 में से ग्राम प्रधान श्री करम सिंह और ग्राम पंचायत सचिव चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-492 ग्राम पंचायत ध्यानपुर में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जगदीश के घर से नेता के घर तक नाली निर्माण कार्य	05-12-2019	94676.00
2-	जगदीश के घर से नेता के घर तक नाली निर्माण कार्य	19-12-2019	42587.00
योग:-			137263.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 137263.00.00 में से ग्राम प्रधान श्री करम सिंह और ग्राम पंचायत सचिव चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-493 ग्राम पंचायत ध्यानपुर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय बन्दरमरारी में टाइल्स निर्माण कार्य	21-03-2020	97777.00
योग:-			97777.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान

मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 97777.00 में से ग्राम प्रधान श्री करम सिंह और ग्राम पंचायत सचिव चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-494 ग्राम पंचायत ध्यानपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-07-2019	2600.00
2-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-07-2019	16060.00
3-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-07-2019	94338.00
4-	इण्टर लॉकिंग कार्य	26-07-2019	12969.00
5-	आर०सी०सी० रोड से रामनिवास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	27-12-2019	177524.00
6-	दर्शन के घर से खरका के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	10-02-2020	150325.00
7-	बबलू के घर से जगदीश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	10-02-2020	133171.00
8-	अर्जुन के घर से बसन्त के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	22-02-2020	210697.00
9-	इण्टर लॉकिंग कार्य	21-03-2020	92011.00
योग:-			889695.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 889695.00 में से ग्राम प्रधान श्री करम सिंह और ग्राम पंचायत सचिव चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-495 ग्राम पंचायत ध्यानपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	03-07-2019	17500.00
2-	गोल्डी कम्प्यूटर से स्टेशनरी क्रय	05-07-2019	12000.00
3-	लाल बहादुर को वॉल पेन्टिंग कार्य	05-07-2019	56000.00
4-	कुर्सी मेज अलमीरा क्रय	11-07-2019	18000.00
5-	प्रिया साफ्ट फ्रीडिंग	12-07-2019	4500.00
6-	सामुदायिक भवन में टाइल्स कार्य	12-07-2019	136313.00
7-	उपरोक्त कार्य पर व्यय	15-07-2019	42761.00
8-	ग्राम पंचायत में टाइल्स कार्य	17-07-2019	18284.00
9-	उपरोक्त कार्य पर व्यय	17-07-2019	71353.00
10-	प्रधान मानदेय	22-02-2020	28000.00
11-	टेण्डर प्रकाशन	22-02-2020	6120.00
12-	स्टेशनरी व प्रशासनिक व्यय	26-02-2020	5680.00
13-	कार्य योजना व वॉल पेन्टिंग कार्य	20-03-2020	18500.00
योग:-			435011.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना,

कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 435011.00 में से ग्राम प्रधान श्री करम सिंह और ग्राम पंचायत सचिव चन्द्रशेखर से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – फरसहिया

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-496 ग्राम पंचायत फरसहिया में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय शौचालय	21-01-2020	130103.00
2-	प्राथमिक विद्यालय शौचालय निर्माण	26-01-2020	41860.00
योग:-			171963.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 171963.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामसमुझ से और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-497 ग्राम पंचायत फरसहिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम गौशाला निर्माण	15-07-2019	466655.00
2-	गोल्डी कम्प्यूटर	10-12-2019	565.00
3-	गौशाला निर्माण	21-01-2020	315644.00
4-	प्रधान मानदेय	26-01-2020	42000.00
5-	प्रिया साफ्ट फ्रीडिंग	16-02-2020	3000.00
6-	गौशाला निर्माण	14-03-2020	234404.00
7-	गौशाला निर्माण	21-03-2020	60075.00
8-	कार्य योजना पंजिका	23-03-2020	18500.00
9-	गोल्डी स्टेशनरी	31-03-2020	3290.00
योग:-			1144133.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल्लों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1144133.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामसमुझ से और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – घोला

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-498 ग्राम पंचायत घोला में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शान्तीनगर में रामप्यारे के घर से शिवकुमार के घर तक नाली निर्माण	17-03-2020	69383.00
2-	शान्तीनगर में रविदास मन्दिर से हरिशचन्द्र के घर तक नाली निर्माण	17-03-2020	48409.00

	योग:-	117792.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 117796.00 में से ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर से ₹ 58896.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 58896.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-499 ग्राम पंचायत घोला में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शान्तीनगर प्रा०वि० के हेण्डपम्प के पास सोकपिट निर्माण	28-02-2020	32813.00
2-	निषादनगर प्रा०वि० के हेण्डपम्प के पास सोकपिट निर्माण	17-03-2020	32813.00
	योग:-		65626.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 65626.00 में से ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर से ₹ 32813.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 32813.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-500 ग्राम पंचायत घोला में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	श्रवणनगर में रजई के घर से शफीक के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-03-2020	213918.00
2-	श्रवणनगर में जय नारायण के घर से रामलबीला के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-03-2020	219370.00
3-	श्रवणनगर में संपत के घर से सत्यदेव के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-03-2020	213110.00
4-	श्रवणनगर में सफिक के घर से रामजी के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-03-2020	165548.00
	योग:-		811946.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 811946.00 में से ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर से ₹ 405973.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 405973.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-501 ग्राम पंचायत घोला में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वृक्षारोपण	29-07-2019	40950.00
2-	प्रशासनिक व्यय	30-07-2019	21900.00
3-	गोल्डी कम्प्यूटर फोटो कापी	30-11-2019	1580.00
4-	प्रधान मानदेय	16-01-2020	35000.00
5-	टेण्डर प्रकाशन भुगतान	17-03-2020	3213.00
6-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	17-03-2020	243750.00
7-	फोटोकापी स्टेशनरी	17-03-2020	8959.00
8-	प्रधान मानदेय	28-03-2020	10500.00
9-	कार्य योजना, वॉल पेन्टिंग	28-03-2020	18500.00
10-	प्रशासनिक मद पर व्यय	31-03-2020	2000.00
योग:-			386352.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 386352.00 में से ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर से ₹ 193176.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 193176.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिंगहिया विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-502 ग्राम पंचायत सिंगहिया में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाइट स्थापना	30-03-2020	227500.00
योग:-			227500.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के आचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 227500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-503 ग्राम पंचायत सिंगहिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कीरतपुर में प्रा०वि० के पास खडन्जा मरम्मत कार्य	27-01-2020	121309.00
2-	पेन्टेड रोड से प्रसाद के खेत तक खडन्जा	27-02-2020	218462.00
3-	सी०सी० रोड से रामआसरे के घर तक मिट्टी खडन्जा	18-03-2020	62022.00
4-	व्यास मूर्दन के घर से कैलाशी के घर तक मिट्टी खडन्जा	21-03-2020	218908.00
5-	उग्रसेन के घर से बलीराम के घर तक मिट्टी खडन्जा	27-03-2020	129280.00
योग:-			749981.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 749981.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-504 ग्राम पंचायत सिंगहिया में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सिंगहिया में सी०सी० रोड से घर तक इण्टर लॉकिंग	27-01-2020	95223.00
2-	पेन्टेड रोड से मीकू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	27-01-2020	91558.00
3-	सी०सी० रोड से रामदास के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	147928.00
4-	पेन्टेड रोड से बहत्तर के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	131705.00
5-	सी०सी० रोड से रामदयाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	06-02-2020	132729.00
6-	पेन्टेड रोड से ओमप्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग	18-03-2020	150815.00
	योग:-		749958.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 749958.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-505 ग्राम पंचायत सिंगहिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	20-07-2019	10500.00
2-	स्टेशनरी क्रय	17-01-2020	2125.00
3-	प्रधान मानदेय	27-01-2020	21000.00
4-	टेण्डर प्रकाशन	29-03-2020	3213.00
5-	टेण्डर प्रकाशन	29-03-2020	3213.00
6-	टेण्डर प्रकाशन	29-03-2020	3213.00
7-	टेण्डर प्रकाशन	29-03-2020	3181.00
8-	बैंक चार्ज	30-03-2020	110.00
	योग:-		46555.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 46555.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गदनिया

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-506

ग्राम पंचायत गदनिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	कमलदीप सिंह के घर के पास खडन्जा निर्माण	16-07-2019	153940.00
2-	अमरजीत के घर से पुराने खडन्जे तक खडन्जा निर्माण कार्य	16-07-2019	152900.00
3-	गदनिया में स्कूल से जगदीश के घर तक खडन्जा निर्माण	21-12-2019	28129.00
4-	इब्राहिमपुर रोड से जगवीर सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	21-12-2019	166383.00
5-	इब्राहिमपुर रोड से जगवीर सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	04-01-2020	45850.00
6-	गदनिया में स्कूल से जगदीश के घर तक खडन्जा निर्माण	04-01-2020	7720.00
7-	गदनिया में स्कूल से जगदीश के घर तक खडन्जा निर्माण	07-01-2020	1890.00
8-	आन्धा फार्म में कमलदीप सिंह के घर के पास खडन्जा निर्माण	07-01-2020	23279.00
9-	अमरजीत सिंह के घर से पुराने खडन्जे तक खडन्जा निर्माण	07-01-2020	25725.00
10-	इब्राहिमपुर रोड से जगवीर सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण	07-01-2020	10824.00
11-	अमरजीत सिंह के घर से पुराने खडन्जे तक खडन्जा निर्माण	26-02-2020	50910.00
12-	आन्धा फार्म में कमलदीप सिंह के घर के पास खडन्जा निर्माण	26-02-2020	50910.00
13-	खडन्जा निर्माण	17-03-2020	179701.00
योग:-			898161.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियों एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गया व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 898161.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹० 449080.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹० 449080.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-507

ग्राम पंचायत गदनिया में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	05-03-2020	96584.00
2-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	13-03-2020	96584.00
3-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	20-03-2020	96584.00
योग:-			289752.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 289752.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹० 144876.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹० 144876.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-508 ग्राम पंचायत गदनिया में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	उ०प्रा०वि० गदनिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	24-02-2020	83058.00
2-	प्रा०वि० गदनिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	24-02-2020	77906.00
3-	प्रा०वि० गदनिया में मिट्टी पटाई कार्य	26-02-2020	28831.00
4-	प्रा०वि० गदनिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	13-03-2020	60035.00
5-	उ०प्रा०वि० गदनिया में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	13-03-2020	72626.00
6-	उ०प्रा०वि० गदनिया में टाइल्स निर्माण	20-03-2020	138013.00
7-	उ०प्रा०वि० गदनिया में टाइल्स निर्माण	23-03-2020	96666.00
	योग:-		557135.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 557135.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹० 278567.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹० 278567.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-509 ग्राम पंचायत गदनिया में भवन/आँगनबाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्रा०पं० गदनिया में आँगनबाड़ी केन्द्र और शौचालय मरम्मत	23-03-2020	48144.00
	योग:-		48144.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 48144.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 24072.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 24072.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-510 ग्राम पंचायत गदनिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्टेशनरी पर व्यय	16-07-2019	12200.00
2-	कार्य योजना लेखन कार्य	26-12-2019	18500.00
3-	ग्राम पंचायत गदनिया और हरीनगर के प्रांवि० और उ० प्रांवि० में रिचार्ज पिट निर्माण कार्य	08-02-2020	65047.00
4-	प्रधान मानदेय अप्रैल 2019 से जून 2020 तक	18-02-2020	35000.00
5-	ग्राम पंचायत में स्लोगन पेन्टिंग	21-02-2020	14250.00
6-	ग्राम पंचायत में कूड़ादान क्रय	22-02-2020	144000.00
योग:-			288997.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 288997.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 144498.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 144498.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पतवारा विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2016-17 से 2019-20 तक

प्रस्तर-511 ग्राम पंचायत पतवारा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मेसर्स मनोज कुमार को भुगतान	23-02-2019	80355.00
2-	प्रांवि० पतवारा में हैण्डपम्प रिबोर पर मेसर्स अंसारी ट्रेडर्स को भुगतान	28-02-2019	83240.00
3-	गुड्डू सलमानी के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर पर मेसर्स अंसारी ट्रेडर्स को भुगतान	28-02-2019	83240.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर पर मेसर्स मनोज कुमार को भुगतान	28-02-2019	35000.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत पर रईस अंसारी को भुगतान	30-03-2019	24164.00
6-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान	15-07-2019	16800.00
7-	शेर सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान	12-02-2020	75300.00
8-	प्रांवि० पतवारा के प्रांगण के हैण्डपम्प के पास रिचार्ज पिट निर्माण कार्य पर भुगतान	17-02-2020	16527.00
योग:-			414626.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 416626.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹ 207313.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹ 207313.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-512 ग्राम पंचायत पतवारा में स्टीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सोलर लाईट कार्य का भुगतान	31-05-2016	233500.00

2-	सोलर लाईट कार्य का भुगतान	25-06-2016	221000.00
3-	स्ट्रीट लाईट क्रय पर हरियाण ट्रेडर्स को भुगतान	05-02-2019	480000.00
4-	ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट स्थापना पर हरियाणा ट्रेडर्स को भुगतान	23-02-2019	210000.00
योग:-			1144500.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1144500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹ 572250.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹ 572250.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-513 ग्राम पंचायत पतवारा में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक नाली निर्माण कार्य पर सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर भारत सीमेन्ट स्टोर को भुगतान	24-03-2019	5154.00
2-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक नाली निर्माण कार्य पर ईट, रोड़ी क्रय पर विजय ब्रिक्स को भुगतान	24-03-2019	5527.00
3-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी पर रईस बेग को भुगतान	24-03-2019	3325.00
4-	रईस के घर से हकीकुल के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर भुगतान	25-07-2019	39998.00
5-	रईस कोटेदार के घर से हकीकुल बेग के घर तक नाली निर्माण कार्य का अवशेष भुगतान अनकैश चेक	17-02-2020	28840.00
योग:-			82844.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 82844.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹ 41422.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹ 41422.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-514 ग्राम पंचायत पतवारा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	22-02-2019	20000.00
2-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य रेजदा को भुगतान	23-02-2019	9225.00
3-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	23-02-2019	112926.00
4-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	23-02-2019	22897.00
5-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य गोयल ब्रिक्स को भुगतान	23-02-2019	33617.00

6-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य ग्राम प्रधान को भुगतान	23-02-2019	10445.00
7-	मस्जिद के गेट से रकीब के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य ग्राम प्रधान को भुगतान	23-02-2019	22715.00
8-	जबीर के घर से पेमन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	23-02-2019	10775.00
9-	जबीर के घर से पेमन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	23-02-2019	25887.00
10-	जबीर के घर से पेमन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर गोयल ब्रिक को भुगतान	23-02-2019	38241.00
11-	जबीर के घर से पेमन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	23-02-2019	136290.00
12-	जबीर के घर से पेमन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सुशील कुमार को भुगतान	23-02-2019	10630.00
13-	जबीर के घर से पेमन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर राजदा को भुगतान	23-02-2019	20375.00
14-	मुन्ना के घर से अजोद्धी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	28-02-2019	26497.00
15-	मुन्ना के घर से अजोद्धी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	28-02-2019	10100.00
16-	मुन्ना के घर से अजोद्धी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर राजदा को भुगतान	28-02-2019	20000.00
17-	मुन्ना के घर से अजोद्धी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर ईट रोड़ा क्रय पर विजय ब्रिक फील्ड को भुगतान	28-02-2019	40435.00
18-	मुन्ना के घर से अजोद्धी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	28-02-2019	127204.00
19-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	28-02-2019	26039.00
20-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक फाइन सैण्ड क्रय पर सिराजुद्दीन को भुगतान	28-02-2019	10630.00
21-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक मस्टररोल पर राजदा को भुगतान	28-02-2019	9725.00
22-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक फाइन सैण्ड क्रय पर सिराजुद्दीन को भुगतान	28-02-2019	23350.00
23-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	28-02-2019	136290.00
24-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक कार्य पर ईट रोड़ी क्रय पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	28-02-2019	38781.00
25-	लतीफ के घर से इबरार की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	08-03-2019	24681.00
26-	लतीफ के घर से इबरार की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट रोड़ी क्रय पर गोयल ब्रिक्स को भुगतान	08-03-2019	36305.00
27-	लतीफ के घर से इबरार की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु फाइन सैण्ड पर विनय कुमार को भुगतान	08-03-2019	9900.00
28-	लतीफ के घर से इबरार की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	08-03-2019	127308.00
29	लतीफ के घर से इबरार की दुकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु मजदूरी कार्य पर राजदा को भुगतान	08-03-2019	29225.00
30-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	15-03-2019	15485.00
31-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु गोयल ब्रिक्स को भुगतान	15-03-2019	22656.00
32-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर कार्य पर विनय को भुगतान	15-03-2019	6850.00
33-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु लेबर कार्य पर रईस को भुगतान	15-03-2019	19600.00

34-	शुचा सिंह के घर के सामने से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु गोयल ब्रिक्स को भुगतान	15-03-2019	89302.00
35-	रामऔतार की चक्की से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सीमेन्ट, मौरंग क्रय पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	15-03-2019	25650.00
36-	रामऔतार की चक्की से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर ईट रोड़ी पर गोयल ब्रिक्स को भुगतान	15-03-2019	38265.00
37-	रामऔतार की चक्की से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर फाईन सैण्ड पर विनय कुमार को भुगतान	15-03-2019	9930.00
38-	रामऔतार की चक्की से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	15-03-2019	126036.00
39-	रामऔतार की चक्की से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर मजदूरी कार्य पर राजदा को भुगतान	15-03-2019	29750.00
40-	उमर के घर से रजविन्दर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर विजय ब्रिक्स को भुगतान	18-03-2019	54264.00
41-	उमर के घर से रजविन्दर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर विनय कुमार को भुगतान	18-03-2019	3712.00
42-	उमर के घर से रजविन्दर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर मजदूरी हेतु रईस बेग को भुगतान	18-03-2019	15715.00
43-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर मजदूरी कार्य पर रईस बेग को भुगतान	18-03-2019	19950.00
44-	इस्लाम खॉ के घर से लियाकत के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर विजय ब्रिक्स को भुगतान	19-03-2019	67830.00
45-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर विनय कुमार को भुगतान	19-03-2019	4622.00
46-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर मजदूरी कार्य पर चन्द्रशेखर को भुगतान	19-03-2019	5880.00
47-	इस्लाम खॉ के घर से लियाकत के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर रईस बेग को भुगतान	19-03-2019	13650.00
48-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर ईट रोड़ी क्रय पर गोयल ब्रिक्स को भुगतान	24-03-2019	36370.00
49-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर फाईन सैण्ड क्रय पर विनय कुमार को भुगतान	24-03-2019	9460.00
50-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर मजदूरी कार्य पर रईस बेग को भुगतान	24-03-2019	8400.00
51-	मुजीब के घर से खूबलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	24-03-2019	120454.00
52-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	25-03-2019	24429.00
53-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गोयल ब्रिक्स को भुगतान	25-03-2019	36013.00
54-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर विनय कुमार को भुगतान	25-03-2019	10550.00
55-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	25-03-2019	136964.00
56-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य पर चन्द्रशेखर को भुगतान	25-03-2019	9800.00
57-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य पर रईस बेग को भुगतान	25-03-2019	20650.00
58-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर पंचम ट्रेडर्स को भुगतान	30-03-2019	20648.00
59-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गोयल ब्रिक्स को भुगतान	30-03-2019	30418.00
60-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर विनय कुमार को भुगतान	30-03-2019	8910.00
61-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर गुप्ता इण्टर प्राइजेज को भुगतान	30-03-2019	115626.00

62-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य पर चन्द्रशेखर को भुगतान	30-03-2019	8400.00
63-	शाहिद की दुकान से लाला के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर लेबर कार्य पर रईस बेग को भुगतान	30-03-2019	17325.00
64-	मुन्ना के घर से अजोद्धी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर राजदा को भुगतान	30-03-2019	10275.00
65-	खुशीद के बैठक से मुल्ला के खोखे तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	16-07-2019	102870.00
66-	बलबीर के घर से छत्रपाल के घर तक खडन्जा निर्माण पर	12-02-2020	202797.00
67-	मस्जिद के गेट से राशिद के मकान के पास डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	12-02-2020	186918.00
68-	मस्जिद के गेट से राशिद के मकान के पास डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	17-02-2020	5800.00
69-	राधास्वामी के घर से विनय के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	25-02-2020	147606.00
70-	राजू के घर से शहीद ताँगे वाले के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर भुगतान	23-03-2020	193064.00
71-	दारापुरूवा में मदरसे से असरार अली के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर भुगतान	23-03-2020	171637.00
योग:-			3375024.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 3375024.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹० 1687512.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹० 1687512.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-515 ग्राम पंचायत पतवारा में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप कार्य का भुगतान	08-04-2016	153625.00
2-	ह्यूम पाइप खरीद पर सिंह स्पन पाईप को भुगतान	08-02-2019	166503.00
योग:-			320128.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 320128.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹ 160064.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹ 160064.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-516 ग्राम पंचायत पतवारा में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रांवि० में शौचालय मरम्मत पर भारत सीमेंट स्टोर को भुगतान	30-03-2019	10217.00
2-	प्रांवि० में शौचालय मरम्मत पर रईस बेग को भुगतान	30-03-2019	4900.00
3-	प्रांवि० में शौचालय मरम्मत पर सुमित को भुगतान	30-03-2019	2100.00
4-	प्रांवि० में शौचालय मरम्मत पर अग्रवाल ट्रेडर्स को भुगतान	30-03-2019	34179.00
5-	प्रांवि० पतवारा में माडल शौचालय मरम्मत कार्य पर भुगतान	16-06-2019	4200.00
योग:-			55596.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 55596.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹ 27798.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹ 27798.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-517 ग्राम पंचायत पतवारा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	20-05-2016	47550.00
2-	प्रधान मानदेय का भुगतान	01-07-2016	30000.00
3-	जिले स्तर की कटौती का भुगतान	31-07-2017	25129.00
4-	जिले स्तर की कटौती का भुगतान	08-08-2017	18073.00
5-	प्रधान मानदेय का भुगतान	30-01-2019	84000.00
6-	ठेलिया मरम्मत पर भसीन सेल्स को भुगतान	24-03-2019	3248.00
7-	अलमारी, कुर्सी खरीद पर माडर्न ट्रेडर्स को भुगतान	24-03-2019	33700.00
8-	अलमारी, कुर्सी खरीद पर माडर्न ट्रेडर्स को भुगतान	24-03-2019	24478.00
9-	टेण्डर प्रकाशन के लिए तराई का सूरज को भुगतान	30-03-2019	3000.00
10-	स्टेशनरी के लिए ग्राम प्रधान को भुगतान	30-03-2019	7000.00
11-	वृक्षारोपण कार्य पर भुगतान	16-07-2019	37950.00
12-	गोल्डी कम्प्यूटर्स	10-12-2019	670.00
13-	प्रधान मानदेय जनवरी 2019 से जनवरी 2020	12-02-2020	45500.00
14-	निविदा प्रकाशन का भुगतान	12-02-2020	3060.00
15-	टेण्डर प्रकाशन का भुगतान	04-03-2020	3213.00
16-	कार्य योजना, वॉल पेन्टिंग का भुगतान	20-03-2020	18500.00
17-	स्टेशनरी पर व्यय	31-03-2020	2910.00
योग:-			387981.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 387981.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रोजिदा से ₹ 193990.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹ 193990.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अटेरिया विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-518 ग्राम पंचायत अटेरिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान	05-12-2018	14650.00
	योग:-		14650.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 14650.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 7325.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 7325.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-519 ग्राम पंचायत अटेरिया में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों व मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य का भुगतान	03-12-2019	98700.00
	योग:-		98700.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 98700.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 49350.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 49350.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-520 ग्राम पंचायत अटेरिया में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कूड़ादान पर भुगतान	23-01-2019	230080.00
2-	सफाई कार्य हेतु ठेलिया कार्य पर भुगतान	16-02-2020	19900.00
3-	सफाई कार्य हेतु सफाई किट पर भुगतान	17-02-2020	10100.00
4-	सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर कूड़ादान स्थापना कार्य	21-02-2020	72000.00
	योग:-		332080.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 332080.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 166040.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 166040.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-521 ग्राम पंचायत अटेरिया में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सूरजबली के घर से मनोहर के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान	18-03-2020	23210.00
2-	सूरजबली के घर से भीरा रोड तक नाली मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान	18-03-2020	19262.00
3-	सूरजबली के घर से भीरा रोड तक नाली मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान	20-03-2020	27531.00
4-	सूरजबली के घर से मनोहर के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान	20-03-2020	33327.00
योग:-			103330.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 103330.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 51665.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 51665.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-522 ग्राम पंचायत अटेरिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मजार से बाग तक मिट्टी खडन्जा कार्य	22-10-2018	101884.00
2-	दौलत के खेत से बाग तक खडन्जा	24-10-2018	160574.00
3-	बैजनाथ के घर से साधू के घर तक खडन्जा पर भुगतान	10-03-2019	218454.00
4-	मायादेवी के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडन्जा कार्य का भुगतान	03-08-2019	33637.00
5-	जगनाथ के घर से धनपत के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	03-08-2019	79852.00
6-	मायादेवी के घर से पी०एस० मेलाघाट तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर ईंट का भुगतान	20-10-2019	104019.00
7-	मायादेवी के घर से पी०एस० मेलाघाट तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर श्रमिक मजदूरी का भुगतान	18-12-2019	35872.00
8-	जगन्नाथ के घर से धनपत के घर तक मेलाघाट में मिट्टी खडन्जा कार्य पर श्रमिक मजदूरी का भुगतान	18-12-2019	21052.00
योग:-			755344.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 755344.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 377672.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 377672.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-523 ग्राम पंचायत अटेरिया में पंचायत भवन के निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर लेबर मिस्त्री और सामग्री का भुगतान	09-01-2020	46350.00
2-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य का भुगतान	11-01-2020	49920.00
3-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर सामग्री का भुगतान	22-01-2020	260397.00
4-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर सामग्री का भुगतान	27-01-2020	6900.00
5-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	16-02-2020	18750.00
6-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	27-02-2020	10110.00
7-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य पर टेण्डर प्रकाशन व सामग्री का भुगतान	28-02-2020	10110.00
8-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर सामग्री का भुगतान	02-03-2020	4600.00
9-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	02-03-2020	16350.00
10-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर सामग्री का भुगतान	05-03-2020	89027.00
11-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	11-03-2020	25300.00
12-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	13-03-2020	44650.00
13-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर सामग्री का भुगतान	20-03-2020	215008.00
14-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) कार्य पर सामग्री का भुगतान	20-03-2020	108675.00
	योग:-		906147.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 906147.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 453073.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 453073.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-524 ग्राम पंचायत अटेरिया में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अपठित ह्यूम पाइप स्थापना कार्य का भुगतान	27-01-2020	150322.00
	योग:-		150322.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 150322.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 75161.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 75161.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-525 ग्राम पंचायत अटेरिया में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत पी०वी० मेलाघाट में मिट्टी पटाई का कार्य	23-01-2019	119700.00
2-	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत पी०वी० मेलाघाट के फर्श टाइलिंग	20-02-2019	172551.00
3-	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत पी०वी० मेलाघाट के फर्श टाइलिंग	07-03-2019	174171.00
योग:-			466422.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 466422.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 233211.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 233211.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-526 ग्राम पंचायत अटेरिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	31-07-2018	38500.00
2-	मिट्टी पटाई पर भुगतान	05-09-2018	2000.00
3-	नये कार्य पर भुगतान	05-09-2018	25000.00
4-	पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्य	05-12-2018	21933.00
5-	शौचालय निर्माण का भुगतान	29-03-2019	145049.00
6-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	31-03-2019	125120.00
7-	पी०वी० श्रीनगर शौचालय मरम्मत कार्य	31-03-2019	23625.00
8-	शौचालय निर्माण का कार्य	31-03-2019	84467.00
9-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय का भुगतान	08-07-2019	28574.00
10-	ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान	10-07-2019	14000.00
11-	ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान	17-10-2019	10500.00
12-	ग्राम पंचायत के पारिश्रमिक मद से फोटो कापी और फोटोग्राफ का भुगतान	20-10-2019	5670.00
13-	ग्राम पंचायत की पी०एफ०एम०एस० से पूर्व प्रिया साफ्ट फीडिंग का भुगतान	20-10-2019	2000.00
14-	टेण्डर प्रकाशन का भुगतान	08-01-2020	3213.00
15-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	27-02-2020	3210.00
16-	स्टेशनरी पर व्यय	11-03-2020	5385.00
योग:-			538246.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 538246.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजविन्दर कौर से ₹ 269123.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 269123.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –मुरारखेड़ा विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-527 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान	30-03-2019	216055.00
2-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान	18-07-2019	12194.00
3-	ग्राम पंचायत के पास और मुरारखेड़ा हैण्डपम्प के पास सोकपिट और रिचार्ज पिट कार्य का भुगतान	03-08-2019	31044.00
4-	ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा के पास और दलनगर के हैण्डपम्प के पास रिचार्ज पिट और सोकपिट निर्माण कार्य का सामग्री भुगतान	07-01-2020	21152.00
योग:-			280445.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 280445.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹ 140222.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 140222.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-528 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य का भुगतान	26-12-2019	164500.00
योग:-			164500.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाईट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी है जिसके लिये लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाईट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 164500.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹ 82250.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 82250.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-529

ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सफाई कार्य हेतु ठेलिया कार्य पर भुगतान	16-02-2020	19900.00
2-	सफाई कार्य हेतु सफाई किट पर भुगतान	17-02-2020	10100.00
3-	सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कूड़ादान स्थापना कार्य	21-02-2020	72000.00
	योग:-		102000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि

1- यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।

3- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 102000.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹ 51000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 51000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-530 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सम्पूर्ण रोड से गुरुदेव सिंह के घर तक	13-02-2019	51043.00
2-	मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत फर्श निर्माण कार्य पर भुगतान	11-03-2019	165317.00
3-	मुरारखेड़ा के शौचालय निर्माण	11-03-2019	216666.00
4-	मुरारखेड़ा के शौचालय निर्माण पर भुगतान	31-03-2019	242603.00
	योग:-		675629.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुके में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 675629 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹ 337814.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 337814.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-531 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मुरारखेड़ा के मेन गेट से बरामदे तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सामग्री भुगतान	03-03-2020	81073.00
2-	मुरारखेड़ा बरामदे से शौचालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर सामग्री भुगतान	03-03-2020	82493.00
3-	स्टेशनरी पर भुगतान	03-03-2020	3320.00

4-	मुरारखेड़ा बरामदे से रसोई घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	16-03-2020	173070.00
योग:-			339956.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 339956.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹० 169978.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 169978.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-532 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप पर भुगतान	31-03-2019	370206.00
योग:-			370206.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 370206.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹० 185103.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹० 185103.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-533 ग्राम पंचायत मुरारखेड़ा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्य पर भुगतान	31-12-2018	21933.00
2-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	13-02-2019	102660.0
3-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	31-03-2019	21000.00
4-	ग्राम प्रधान मानदेय का भुगतान	17-07-2019	21000.00
5-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय का भुगतान	18-07-2019	8896.00
6-	टेण्डर प्रकाशन पर भुगतान	08-01-2020	3213.00
7-	प्रिया साफ्टवेयर फीडिंग का भुगतान	22-01-2020	2000.00
8-	स्टेशनरी पर भुगतान	24-03-2020	2020.00
योग:-			182722.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 182722.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिलावर जीत सिंह से ₹ 91361.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 91361.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मरौचा

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-534 ग्राम पंचायत मरौचा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	16-10-2018	40000.00
2-	शम्भूदीन के घर के पास हैण्डपम्प डीप बोरिंग कार्य का भुगतान	20-03-2020	84182.00
3-	ग्राम पंचायत में इण्डिया टू हैण्डपम्प रिबोर कार्य का भुगतान	20-03-2020	57699.00
योग:-			181881.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 181881.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रसूला बेगम से ₹ 90940.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 90940.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-535 ग्राम पंचायत मरौचा में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट	26-07-2019	195000.00
योग:-			195000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 195000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रसूला बेगम से ₹ 97500.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 97500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-536 ग्राम पंचायत मरौचा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सफाई कार्य	06-02-2019	4500.00
2-	कूड़ादान कार्य	14-12-2018	144000.00
3-	ठेलिया कार्य	15-09-2018	19500.00
योग:-			168000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 168000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रसूला बेगम से ₹० 84000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹० 84000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-537 ग्राम पंचायत मरौचा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	खडन्जा निर्माण	24-09-2018	56528.00
2-	खडन्जा निर्माण	24-09-2018	28389.00
3-	खडन्जा निर्माण	24-09-2018	49841.00
4-	खडन्जा निर्माण	24-09-2018	80632.00
5-	खडन्जा निर्माण	24-09-2018	97442.00
6-	मिट्टी खडन्जा कार्य	07-12-2018	31367.00
7-	मिट्टी खडन्जा	18-12-2018	78640.00
8-	मिट्टी खडन्जा कार्य	20-12-2018	58615.00
9-	मिट्टी खडन्जा कार्य	20-12-2018	27310.00
10-	खडन्जा मरम्मत	04-01-2019	40223.00
11-	मिट्टी खडन्जा कार्य	05-01-2019	187076.00
12-	मिट्टी खडन्जा कार्य	14-01-2019	98847.00
13-	मिट्टी खडन्जा कार्य	25-01-2019	41012.00
14-	मिट्टी खडन्जा निर्माण	04-02-2019	155715.00
15-	खडन्जा कार्य	09-03-2019	298163.00
16-	खडन्जा कार्य	10-03-2019	127788.00
17-	खडन्जा कार्य	11-03-2019	129954.00
18-	खडन्जा कार्य	13-03-2019	111908.00
19-	खडन्जा कार्य	14-03-2019	199871.00
20-	मरम्मत	20-07-2019	102032.00
योग:-			2001353.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2001353.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रसूला बेगम से ₹० 1000676.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹० 1000676.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-538 ग्राम पंचायत मरौचा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग	14-02-2019	148851.00
2-	इण्टर लॉकिंग	18-03-2019	219337.00

3-	इण्टर लॉकिंग कार्य	18-03-2019	245623.00
4-	इण्टर लॉकिंग	20-03-2019	195619.00
5-	इण्टर लॉकिंग	21-03-2019	211894.00
6-	इण्टर लॉकिंग	22-07-2019	123524.00
7-	राजकुमार के घर से नेकी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	22-12-2019	176962.00
8-	जगदीश के घर से आसन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	22-12-2019	173207.00
9-	जगदीश के घर से आसन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-01-2020	16845.00
10-	राजकुमार के घर से नेकी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	07-01-2020	17203.00
11-	जगदीश के घर से आसन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	10-01-2020	27230.00
12-	राजकुमार के घर से नेकी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	10-01-2020	27944.00
13-	राजकुमार के घर से नेकी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	08-02-2020	9380.00
14-	जगदीश के घर से आसन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	08-02-2020	9170.00
15-	पुराने खडन्जे से अनीस के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	12-02-2020	168002.00
16-	पुराने खडन्जे से मुन्शी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	12-02-2020	86082.00
योग:-			1856873.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 18568873.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रसूला बेगम से ₹० 928436.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹० 928436.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-539 ग्राम पंचायत मरौचा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जिला स्तर से कटौती	31-07-2017	21157.00
2-	जिला स्तर से कटौती	08-08-2017	15216.00
3-	बैंक चार्ज	08-08-2017	280.00
4-	नाव क्रय	01-09-2018	19000.00
5-	प्रधान मानदेय	25-09-2018	93500.00
6-	वृक्षारोपण	05-11-2018	24180.00
7-	प्रशासनिक व्यय	30-04-2019	9365.00
8-	वृक्षारोपण	25-07-2019	31950.00
9-	गोल्डी कम्प्यूटर	08-12-2019	7170.00
10-	प्रधान मानदेय	08-02-2020	35000.00
11-	कार्य योजना, वॉल पेन्टिंग कार्य का भुगतान	20-03-2020	18500.00
12-	प्रियासाफ्ट फ्रीडिंग कार्य का भुगतान	20-03-2020	4000.00
योग:-			279318.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 279318.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रसूला बेगम से ₹ 139659.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 139659.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गजरौरा

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-540

ग्राम पंचायत गजरौरा के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटैल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	57212.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	59730.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	1110156.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज / डिस्ट्रिक्ट रोडस	153680.00
योग	1380778.00

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1380778.00 में से ग्राम प्रधान श्री जनार्दन से ₹ 690389.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹ 690389.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोविन्दनगर

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-541

ग्राम पंचायत गोविन्दनगर के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटैल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	202684.00
कैपिटल आउटले ऑन रूरल इलक्ट्रिफिकेशन	
इंस्टालेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट	245490.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	595843.00
ग्रांट्स इन ऐड	
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	207692.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज / डिस्ट्रिक्ट रोडस	75309.00
योग	1327018.00

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1327018.00 में से ग्राम प्रधान श्री जाकिर हुसैन से ₹० 663509.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹० 663509.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कमलापुरकालोनी

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-542 ग्राम पंचायत कमलापुरीकालोनी के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटैल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	307619.00
कैपिटल आउटले ऑन रूरल इलक्ट्रिकफिकेशन	
इंस्टालेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट	243750.00
अदर एक्सपेंसिस	
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	30406.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	401490.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	1032091.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज / डिस्ट्रिक्ट रोडस	71886.00
योग	2087242.00

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2087242.00 में से ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत से ₹ 1043621.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा से ₹ 1043621.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कृष्णानगर

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-543

ग्राम पंचायत कृष्णानगर के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	425214.00
कैपिटल आउटले ऑन पंचायती राज प्रोग्राम्स	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम्स	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	3580.00
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
मैटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्यूबवेलस	
सीवेज एंड सैनीटेशन	76691.00
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	198960.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	1781911.00
ग्रांट्स इन ऐड	
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्जिजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	206506.00
योग	2692862.00

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायाई गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2692862.00 में से ग्राम प्रधान श्री जीत कुमार से ₹ 1346431.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 1346431.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -लगदहन

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-544

ग्राम पंचायत लगदहन के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	228962.00
मैटेनेंस एंड कम्प्युनिटी एसेट्स	
मैटेनेंस एंड कम्प्युनिटी रिपेयर्स	101605.00
अदर एक्सपेंसिस	

वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स ऑफ ट्यूबवेल	21000.00
सीवेज एंड सैनीटेशन	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	127238.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	78694.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	386335.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज / डिस्ट्रिक्ट रोडस	221714.00
योग	1165548.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लेण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1165548.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामनरेश से ₹० 582774.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज बहादुर से ₹० 582774.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत –पोया

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-545 ग्राम पंचायत पोया के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	127198.00
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स ऑफ ट्यूबवेल	221000.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	945125.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	240336.00
योग	1533659.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की

जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 1533659.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह से रू० 766829.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार से रू० 766829.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -सिंगाहीखुर्द

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-546

ग्राम पंचायत सिंगाहीखुर्द के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटैल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	484548.00
मैटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेसट्स	
मैटेनेंस एंड कम्युनिटी रिपेयर्स	636966.00
लीज चार्जिस	
फॉरेस्ट्री	
सोशल फॉरेस्ट्री	40950.00
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
सीवेज एंड सैनीटेशन	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	2980613.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्जिजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स / ब्रिजिस	913527.00
योग	5056604.00

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 5056604.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मंजीत कौर से रू० 2528302.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से रू० 2528302.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -सूड़ा

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-547

ग्राम पंचायत सूड़ा के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
विलेज पंचायत	53500.00
कैपिटल आउटले ऑनररुल इलक्ट्रिकफिकेशन	
इंस्टालेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट	113750.00
अदर एक्सपेंसिस	
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
सीवेज एंड सैनीटेशन	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	124977.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	437413.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	636903.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	
योग	1366543.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 1366543.00 में से ग्राम प्रधान श्री धूमन से रू० 683271.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से रू० 683271.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – त्रिकौलिया

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-548 ग्राम पंचायत त्रिकौलिया के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र केशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	
विलेज पंचायत	165425.00
कैपिटल आउटले ऑनररुल इलक्ट्रिकफिकेशन	
इंस्टालेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट	227360.00
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
सीवेज एंड सैनीटेशन	20555.00
फोर्टिन फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसिस	249262.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	94086.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	384197.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	235313.00

योग	1376198.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 1376198.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश कुमारी से ₹० 688099.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रशेखर से ₹० 688099.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – त्रिलोकपुर

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-549 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटैल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत	167062.00
विलेज पंचायत	507553.00
कैपिटल आउटले ऑन पंचायती राज प्रोग्राम	
डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम्स	210674.00
कैपिटल आउटले ऑनरूरल इलक्ट्रिकफिकेशन	
इंस्टालेशन ऑफ स्टीट लाइट	130000.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडस / ब्रिजिस	2562754.00
कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज/डिस्ट्रिक्ट रोडस	33997.00
योग	3612040.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 3612040.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती पुनीता सिंह से ₹० 1806020.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा से ₹० 1806020.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – विचित्रनगर

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-550 ग्राम पंचायत विचित्रनगर के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस .	18500.00
ओनोररियम	113008.00
कैपिटल आउटले ऑनररुल इलक्ट्रिकेशन	
अदर एक्सपेंसेस .	136800.00
मैटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स	
अदर एक्सपेंसेस	48653.00
एजुकेशन	
अदर एक्सपेंसेस .	121628.00
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसेस .	311248.00
पंचायत राज प्रोग्राम	
अदर एक्सपेंसेस .	25841.00
डेवलपमेंट एंड मैटेनेंस वर्क	5474.00
डेवलपमेंट एंड मैटेनेंस वर्क	236.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
अदर एक्सपेंसेस .	812388.00
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस .	68770.00
अदर एक्सपेंसेस .	178759.00
योग	1841305.00

उपरोक्त से विदित होता है कि -

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 1841305.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू रानी से रू० 920652.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से रू० 920652.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कजरिया

विकास खण्ड - पलिया

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-551 ग्राम पंचायत कजरिया के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र कैशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन	
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस .	5110.00
डेवलपमेंट एंड मैटेनेंस	38750.00
ओनोररियम	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	
फोर्टीन फाइनेंस कमीशन	
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	

ग्रांटस इन ऐड	2262844.00
अदर एक्सपेंसेस	395943.00
फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन	
डेवलपमेंट एंड मटेनेंस वर्क	86550.00
डेवलपमेंट एंड मटेनेंस वर्क	165594.00
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	
फोर्थ फाइनेंस कमीशन	
अदर एक्सपेंसेस	
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस	
अदर एक्सपेंसेस	115965.00
योग	3070756.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लेण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 3070756.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर से ₹० 1535378.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹० 1535378.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मझरापश्चिम

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-552 ग्राम पंचायत मझरापश्चिम के वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से सम्बन्धित मात्र केशबुक ई ग्राम स्वराज साइट पर अपलोडेड पाई गई किन्तु व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में व्यक्त किया गया है, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। ई ग्राम स्वराज साइट पर उक्त ग्राम पंचायत का वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 पाया गया है, वार्षिक आय-व्यय खाता प्रारूप-1 सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं विवरण निम्नवत है:-

डिटेल्स आफ वर्क	एक्सपेंडीचर
वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन	
अदर एक्सपेंसेस	37950.00
ग्राम पंचायत प्रोग्राम	0
डेवलपमेंट एंड मटेनेंस वर्क	24688.00
डेवलपमेंट एंड मटेनेंस वर्क	0
कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन	0
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस	0
अदर एक्सपेंसेस	9103.00
योग	71741.00

उपरोक्त से विदित होता है कि –

- 1- ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यों का कराया जाना दर्शाया गया है जो सामान्य तौर पर ग्राम पंचायत में नहीं कराए जाते हैं। प्रथम दृष्टया ई ग्राम स्वराज साइट पर फीड की गई सूचनाओं में कूट करण आभासित होता है।
- 2- ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित मूल प्रमाणक एवं उनकी पत्रावलियाँ, ऑडिट आनलाइन साइट पर अपलोडेड नहीं पाई गई एवं न ही भौतिक रूप से ऑडिट हेतु प्रस्तुत की गई। इस प्रकार किया गया व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। यह स्थिति नियमों की अनदेखी कर व्यय किए जाने जैसी है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लेण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो अधिभार योग्य है। क्यों न ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 257 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाय। अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 71741.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से ₹ 35870.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 35870.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गुलरा

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2019-20

प्रस्तर-553 ग्राम पंचायत गुलरा में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	गुलरा प्राथमिक विद्यालय के हैण्डपम्प के पास सोकपिट निर्माण	03-08-2019	4448.00
योग:-			4448.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 4448.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ से ₹ 2224.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार से ₹ 2224.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-554 ग्राम पंचायत गुलरा में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	दक्षिण मस्जिद से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	05-01-2020	68690.00
2-	नसीब के घर से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	05-01-2020	98128.00
3-	नसीब के घर से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	16-01-2020	7500.00
4-	दक्षिण मस्जिद से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	16-01-2020	5500.00
5-	नसीब के घर से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	17-01-2020	22480.00
6-	दक्षिण मस्जिद से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	22-01-2020	15400.00
7-	दक्षिण मस्जिद से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	09-02-2020	12070.00
8-	दक्षिण मस्जिद से इण्टर लॉकिंग	27-02-2020	18658.00
9-	नसीब के घर से नूर मोहम्मद के घर तक इण्टर लॉकिंग	27-02-2020	44642.00
योग:-			293068.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 293068.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ से ₹ 146534.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार से ₹ 146534.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-555

ग्राम पंचायत गुलरा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वृक्षारोपण	03-08-2019	31950.00
2-	प्रशासनिक व्यय	06-08-2019	236.00
3-	ग्राम पंचायत में रिचार्ज पिट निर्माण	25-11-2019	2508.00
4-	ग्राम पंचायत में रिचार्ज पिट निर्माण	28-12-2019	9816.00
5-	प्रधान मानदेय सितम्बर 2018 से अगस्त 2019 तक	05-01-2020	42000.00
6-	स्टेशनरी का भुगतान	23-03-2020	19870.00
7-	टेण्डर का भुगतान	29-03-2020	3150.00
8-	स्टेशनरी का भुगतान	30-03-2020	19870.00
9-	कार्य योजना लेखन कार्य	09-02-2020	18500.00
योग:-			147900.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 147900.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ से ₹ 73950.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार से ₹ 73950.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामनगर**विकास खण्ड - पलिया****वर्ष - 2019-20**

प्रस्तर-556 ग्राम पंचायत रामनगर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	28-01-2020	162348.00
योग:-			162348.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 162348.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती पूराकली से और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-557 ग्राम पंचायत रामनगर में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट स्थापना	24-01-2020	150000.00
योग:-			150000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 150000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती पूराकली से और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-558 ग्राम पंचायत रामनगर में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप स्थापना	20-01-2020	223497.00
	योग:-		223497.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रूपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 223497.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती पूराकली से और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से बराबर-बराबर धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-559 ग्राम पंचायत रामनगर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यय का भुगतान	03-08-2019	30000.00
2-	गोल्डी कम्प्यूटर्स	09-12-2019	1000.00
3-	प्रशासनिक मद	12-01-2020	32860.00
4-	प्रधान मानदेय	24-01-2020	45500.00
5-	कुर्सी मेज का भुगतान	07-02-2020	39500.00
	योग:-		148860.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 148860.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती पूराकली से और ग्राम पंचायत सचिव श्री बलराम से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बमनगर विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-560 ग्राम पंचायत बमनगर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	20-02-2019	14250.00
	योग:-		14250.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित

वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 14250.00 में से ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह ₹ 7125.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 7125.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-561 ग्राम पंचायत बमनगर में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट पर भुगतान	01-11-2018	240000.00
योग:-			240000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 240000.00 में से ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह ₹ 120000.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 120000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-562 ग्राम पंचायत बमनगर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छता प्रचार-प्रसार पर भुगतान	10-10-2018	42250.00
योग:-			42250.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 42250.00 में से ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह ₹ 21125.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 21125.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-563 ग्राम पंचायत बमनगर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मैसुरी सड़क से हरदीप सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	15-11-2018	136860.00
2-	खडन्जा से मीत सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	08-12-2018	115264.00
3-	बैसरी खडन्जे से संत सिंह के खडन्जे तक खडन्जा कार्य	11-12-2018	135872.00
4-	पलिया सम्पूर्ण नगर से गुरवचन के घर तक खडन्जा कार्य	10-03-2019	35520.00
5-	बिसादी खडन्जे से हरदीप सिंह के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	11-03-2019	28826.00
6-	बिसादी खडन्जे से लकबीर सिंह के घर तक	15-03-2019	141293.00
7-	मंगल सिंह के खेत से दलवंत सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य	18-02-2020	154657.00
8-	भैनसुरी बार्डर से तुलसी बार्डर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	18-02-2020	165177.00
योग:-			913469.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 913469.00 में से ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह ₹ 456734.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 456734.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-564 ग्राम पंचायत बमनगर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	08-12-2018	52500.00
2-	स्टेशनरी पर भुगतान	08-12-2018	9250.00
3-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	02-03-2019	82313.00
4-	बैंक कटौती	30-06-2019	45.00
5-	गोल्डी कम्प्यूटर	09-12-2019	5200.00
6-	ग्राम पंचायत बमनगर में स्लोगन वॉल पेन्टिंग कार्य	18-02-2020	14250.00
7-	ग्राम प्रधान का मानदेय	18-02-2020	35000.00
8-	स्टेशनरी व्यय	18-02-2020	9960.00
9-	ग्राम पंचायत बमनगर में कार्य योजना लेखन कार्य	21-02-2020	18500.00
योग:-			227018.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 227018.00 में से ग्राम प्रधान श्री जसवन्त सिंह ₹ 113509.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 113509.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ऐंठपुर **विकास खण्ड - पलिया** **वर्ष - 2018-19 व 2019-20**

प्रस्तर-565 ग्राम पंचायत ऐंठपुर में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान	16-03-2019	10100.00
2-	ग्राम पंचायत ऐंठपुर के पास प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैण्डपम्प के पास रिजार्च पिट पर सामग्री भुगतान	07-01-2020	14101.00
योग:-			24201.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 24201.00 में से ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह ₹ 12100.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 12100.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-566 ग्राम पंचायत ऐंठपुर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत कूड़ादान पर भुगतान	10-01-2019	230400.00
2-	स्वच्छ मिशन पर भुगतान	31-03-2019	25600.00
3-	सफाई करने हेतु पर भुगतान	17-02-2020	10100.00
4-	सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर स्थापना कार्य	22-02-2020	72000.00
योग:-			338100.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 338100.00 में से ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह ₹ 169050.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 169050.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-567 ग्राम पंचायत ऐंठपुर में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत फर्श निर्माण कार्य	15-03-2019	155307.00
2-	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत फर्श मरम्मत पर भुगतान	20-03-2019	130729.00
3-	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत फर्श निर्माण कार्य	29-03-2019	174107.00
4-	ग्राम पंचायत ऐंठपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैण्डपम्प के पास रिचार्ज पिट का भुगतान	03-08-2019	20696.00
5-	उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐंठपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान	02-03-2020	10400.00
6-	उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐंठपुर में माडल शौचालय निर्माण कार्य पर मजदूरी व सामग्री का भुगतान	18-03-2020	54544.00
7-	उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐंठपुर में माडल शौचालय निर्माण पर सामग्री भुगतान	20-03-2020	19580.00
8-	उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐंठपुर में माडल शौचालय निर्माण पर सामग्री भुगतान	24-03-2020	41772.00
योग:-			607135.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 607135.00 में से ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह ₹ 303567.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 303567.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-568 ग्राम पंचायत ऐंठपुर में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	अशफ़ी के घर से अशोक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर भुगतान	07-11-2018	27117.00
2-	भीम के घर से शिवमोहन के घर तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	16-11-2018	35549.00
3-	राजबली टू रामविलास के खेत तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	15-12-2018	121966.00
4-	लालजी टू लालजी के खेत तक खडन्जा पर भुगतान	21-12-2018	133984.00
5-	हरीलाल के घर से जरई प्रसाद के मकान तक खडन्जा निर्माण पर सामग्री का भुगतान	28-02-2020	169545.00
6-	हरीलाल के घर से जरई प्रसाद के मकान तक खडन्जा निर्माण पर सामग्री का भुगतान	02-03-2020	9960.00
योग:-			498121.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 498121.00 में से ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह ₹ 249060.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 249060.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-569 ग्राम पंचायत ऐंठपुर में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप पर भुगतान	31-03-2019	127050.00
योग:-			127050.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रूपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग कि जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 127050.00 में से ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह ₹ 63575.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 63575.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-570 ग्राम पंचायत ऐंठपुर में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	30-09-2018	49000.00
2-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	27-12-2018	50272.00
3-	वृक्षारोपण पर भुगतान	31-12-2018	22033.00
4-	लीमा चौराहे के पुलिया निर्माण कार्य पर भुगतान	27-03-2019	179950.00
5-	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक का भुगतान	30-06-2019	6260.00
6-	ग्राम प्रधान का मानदेय का भुगतान	11-12-2019	21000.00
7-	ग्राम प्रधान का मानदेय का भुगतान	22-12-2019	7000.00
8-	प्रिया साफ्ट फीडिंग पी०एफ०एम०एस० से पूर्व का भुगतान	22-12-2019	2000.00
9-	टेण्डर प्रकाशन पर व्यय	07-01-2020	3216.00
10-	ग्राम पंचायत में बैठक हेतु कुर्सी मेज दरी पर भुगतान	28-02-2020	17550.00
11-	फोटो कापी आदि पर भुगतान	28-02-2020	6720.00
12-	स्टेशनरी पर व्यय	11-03-2020	3225.00
योग:-			368226.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 368226.00 में से ग्राम प्रधान श्री जरनैल सिंह ₹ 184113.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से ₹ 184113.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चौरी

विकास खण्ड – पलिया

वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-571 ग्राम पंचायत चौरी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत चौरी में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान	02-11-2018	39177.00
योग:-			39177.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाया गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 39177.00 में से ग्राम प्रधान श्री बच्चू लाल ₹ 19588.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 19588.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-572 ग्राम पंचायत चौरी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रामस्वरूप के घर से धरमपाल के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	04-04-2018	96179.00
2-	जसवीर के घर से बलवीर के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	07-04-2018	212926.00
3-	धरमपाल के घर से शारदा के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	09-04-2018	114221.00
4-	राजकुमार के घर से मुखिया के बंगले तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	02-11-2018	44936.00
5-	मेन खडन्जा से अमरजीत के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	03-11-2018	161208.00
6-	मेन खडन्जा से अजीत के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	13-11-2018	62717.00
7-	सी०सी० रोड से रामप्रसाद के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	05-02-2019	41609.00
8-	सी०सी० रोड से हरिराम के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	30-07-2019	54443.00
9-	मेन रोड से तेजपाल के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	30-07-2019	51629.00
10-	मेन खडन्जा से बनके के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	30-07-2019	143592.00

11-	गोकरन के घर से ओमप्रकाश के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	28-03-2020	148520.00
योग:-			1131980.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1131980.00 में से ग्राम प्रधान श्री बच्चू लाल ₹ 565990.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 565990.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-573 ग्राम पंचायत चौरी में स्थित प्राथमिक विद्यालयडिचच प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान	15-03-2019	120337.00
2-	प्राथमिक विद्यालय में सोकपिट निर्माण कार्य का भुगतान	28-02-2020	16258.00
3-	प्राथमिक विद्यालय खेलपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य का भुगतान	28-02-2020	135344.00
4-	प्राथमिक विद्यालय खेलपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य का भुगतान	27-03-2020	27356.00
योग:-			299295.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 299295.00 में से ग्राम प्रधान श्री बच्चू लाल ₹ 149647.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 149647.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-574 ग्राम पंचायत चौरी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	05-02-2019	138478.00
2-	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य का भुगतान	01-08-2019	31950.00
3-	गोल्डी कम्प्यूटर का भुगतान	08-12-2019	8240.00
4-	प्रधान मानदेय 01 मार्च 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक	09-01-2020	31500.00
5-	कार्य योजना वॉल पेन्टिंग कार्य का भुगतान	20-03-2020	18500.00
योग:-			228668.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान

मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 228668.00 में से ग्राम प्रधान श्री बच्चू लाल ₹ 114334.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 114334.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पचपेड़ा विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-575 ग्राम पंचायत पचपेड़ा में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	28-09-2018	31650.00
2-	इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य	02-03-2020	89699.00
योग:-			121349.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 121349.00 में से ग्राम प्रधान श्री बालक राम ₹ 60674.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 60674.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-576 ग्राम पंचायत पचपेड़ा में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट पर भुगतान	05-10-2018	240000.00
2-	स्ट्रीट लाईट पर भुगतान	05-01-2019	127350.00
3-	स्ट्रीट लाईट कार्य का भुगतान	01-08-2019	97500.00
योग:-			464850.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाईट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी है जिसके लिए लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाईट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 464850.00 में से ग्राम प्रधान श्री बालक राम ₹ 232425.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 232425.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-577 ग्राम पंचायत पचपेड़ा में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्वच्छता प्रचार-प्रसार कार्य पर भुगतान	29-09-2018	42250.00
2-	ग्राम पंचायत पचपेड़ा में कूड़ादान बाक्स स्थापना कार्य	22-02-2020	144000.00
योग:-			186250.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि –

1- यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु० 186250.00 में से ग्राम प्रधान श्री बालक राम रु० 93125.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से रु० 93125.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-578 ग्राम पंचायत पचपेड़ा में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सुन्दर के घर से हरद्वारी के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	01-04-2018	39814.00
2-	प्यारे के घर से रामश्री के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	02-12-2018	104224.00
3-	आर०सी०सी० रोड से जगन्नाथ के घर तक	15-01-2019	29261.00
4-	ग्राम पंचायत पचपेड़ा से पुलिया मरम्मत कार्य	22-01-2019	17712.00
5-	फर्श मरम्मत कार्य पर भुगतान	29-01-2019	167757.00
6-	राजाराम के घर से साहिबा के घर तक खडन्जा कार्य	05-03-2019	48987.00
7-	आनन्द के घर से रामनाथ के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	06-03-2019	48807.00
8-	आर०सी०सी० रोड से राधेश्याम के घर तक	07-03-2019	41680.00
9-	मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	08-03-2019	128598.00
10-	मिट्टी पटाई कार्य पर भुगतान	12-03-2019	48807.00
11-	आर०सी०सी० रोड से सुखराम के घर तक	12-03-2019	48807.00
12-	शौचालय मरम्मत कार्य	16-03-2019	84438.00
13-	आयत्स निर्माण कार्य पर भुगतान	18-03-2019	114171.00
14-	राजेश के घर से भानदत्त के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	24-01-2020	45828.00
15-	असनी के घर से अमर सेन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	24-01-2020	106400.00
16-	धोखे के घर से थाथू के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	24-02-2020	20267.00
17-	मदन चन्द्र के घर से सित्थो के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	24-02-2020	31114.00
18-	ठग्गू के घर से रामकुमार के घर तक मिट्टी खडन्जा मरम्मत कार्य	24-02-2020	33600.00
19-	करम सिंह के घर से रामदेव के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	25-02-2020	25488.00
20-	सत्संग भवन से ठग्गी के कुटी तक मिट्टी खडन्जा कार्य	25-02-2020	57758.00
21-	धोखे के घर से थाथू के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	27-02-2020	6200.00
22-	सत्संग भवन से ठग्गी के कुटी तक मिट्टी खडन्जा कार्य	27-02-2020	17660.00
23-	मदन चन्द्र के घर से सित्थो के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	27-02-2020	9200.00
24-	ठग्गू के घर से रामकुमार के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	06-03-2020	78750.00
योग:-			1355328.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1355328.00 में से ग्राम प्रधान श्री बालक राम ₹ 677664.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 677664.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-579 ग्राम पंचायत पचपेड़ा में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप का भुगतान	01-08-2019	76840.00
2-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	05-03-2020	101931.00
3-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	21-03-2020	101931.00
4-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य	24-03-2020	30736.00
योग:-			311438.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 311438.00 में से ग्राम प्रधान श्री बालक राम ₹ 155719.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 155719.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-580 ग्राम पंचायत पचपेड़ा में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम प्रधान मानदेय पर भुगतान	20-09-2018	42000.00
2-	प्रशासनिक व्यय पर भुगतान	04-02-2019	49889.00
3-	स्टेशनरी एण्ड बैंक कटौती का पेमेन्ट	01-08-2019	12313.00
4-	कार्य योजना लेखन कार्य	25-12-2019	18500.00
5-	स्लोगन वॉल पेंटिंग कार्य	21-02-2020	14250.00
6-	ग्राम प्रधान मानदेय मार्च 2019 से जनवरी 2020 तक	28-02-2020	38500.00
7-	ग्राम पंचायत में स्टेशनरी व्यय कार्य	04-03-2020	4660.00
योग:-			180112.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 180112.00 में से ग्राम प्रधान श्री बालक राम ₹ 90056.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री भास्कर राय से ₹ 90056.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रानीनगर कालोनी विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-581 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में हेण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	सुनील कुमार को हेण्डपम्प रिपेयर वर्क हेतु सामग्री का भुगतान	12-09-2018	18968.00
2-	सुनील कुमार को हेण्डपम्प रिपेयर वर्क हेतु सामग्री का भुगतान	12-09-2018	65710.00
3-	मनोज कुमार को हेण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री क्रय व लेबर व्यय का भुगतान	16-09-2018	41750.00

4-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री खरीद का भुगतान	15-03-2019	45500.00
5-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-03-2020	230797.00
	योग:-		402725.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 402725.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 201362.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 201362.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-582 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में सोलर लाईट निर्माण	10-03-2019	120000.00
2-	ग्राम पंचायत में सोलर लाईट निर्माण कार्य	22-03-2019	120000.00
	योग:-		240000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाईट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी है जिसके लिए लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाईट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 240000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 120000.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 120000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-583 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन खरीद का भुगतान	18-07-2019	72000.00
	योग:-		72000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि -

1- यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 72000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 36000.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 36000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-584 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिलन बाजार में बाँके बहादुर के घर से राजेश के घर होते हुए जंगल तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	11-07-2019	181973.00
2-	मिलन बाजार में बाँके बहादुर के घर से राजेश के घर होते हुए जंगल तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	19-07-2019	67463.00
योग:-			249436.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिये था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 249436.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 124718.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 124718.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-585 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रकाश के घर से सुभाष के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क पर सामग्री खरीद का भुगतान	07-10-2018	37496.00
2-	प्रकाश के घर से सुभाष के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क पर मिट्टी खरीद व लेबर कार्य का भुगतान	07-10-2018	50389.00
3-	रानीनगर में लाल बहादुर के घर से छोटेलाल के घर तक खडन्जा रिपेयर हेतु ईट की खरीद	01-02-2019	51471.00
4-	रानीनगर में लाल बहादुर के घर से छोटेलाल के घर तक खडन्जा रिपेयर हेतु मिट्टी की खरीद एवं लेबर कार्य	01-02-2019	58440.00
5-	छोटेलाल के खेत से कृष्ण मुरारी के घर तक खडन्जा रिपेयर हेतु ईट खरीद का भुगतान	20-03-2019	48065.00
6-	छोटेलाल के खेत से कृष्ण मुरारी के घर तक खडन्जा रिपेयर हेतु लेबर कार्य का भुगतान	20-03-2019	52600.00
7-	मिट्टी पटाई कार्य व मिट्टी खरीद का भुगतान	20-03-2019	5075.00
8-	मिट्टी खडन्जा वर्क का भुगतान	25-03-2019	13119.00
9-	पुलिया रिपेयर वर्क पर लेबर कार्य का भुगतान	25-03-2019	10842.00
10-	खडन्जा रिपेयर वर्क पर ईट खरीद का भुगतान	25-03-2019	17115.00
11-	खडन्जा रिपेयर वर्क पर लेबर कार्य का भुगतान	25-03-2019	343.00
12-	रानीनगर में खडन्जा से अनूलेख के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	14-02-2020	22243.00
13-	रानीनगर में खडन्जा से अनूलेख के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	18-02-2020	77172.00
14-	रानीनगर में खडन्जा से जूनियर हाईस्कूल क्लास तक मिट्टी खडन्जा कार्य	20-03-2020	67664.00
15-	रानीनगर में खडन्जा से जूनियर हाईस्कूल क्लास तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-03-2020	15818.00
योग:-			527852.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी

धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 527852.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 263926.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 263926.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-586 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रदीप कुमार को रानीनगर में मेन रोड से ए०एन०एम० सेन्टर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व्यय का भुगतान	18-09-2018	48680.00
2-	रानीनगर में मेन रोड से ए०एन०एम० सेन्टर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु मैटेरियल खरीद का भुगतान	10-10-2018	31000.00
3-	रानीनगर में मेन रोड से ए०एन०एम० सेन्टर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर व्यय का भुगतान	15-10-2018	99489.00
योग:-			179169.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 179169.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 89584.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 89584.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-587 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप का भुगतान	19-07-2019	31713.00
योग:-			31713.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान

मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31713.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 15856.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 15856.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-588 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राइमरी विद्यालय में टाइल्स निर्माण कार्य का भुगतान	25-03-2019	27980.00
	योग:-		27980.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 27980.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 13990.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 13990.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-589 ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम प्रधान मानदेय	01-08-2018	28000.00
2-	स्टेशनरी भुगतान	11-09-2018	2450.00
3-	प्रधान मानदेय	20-10-2018	22000.00
4-	सलीम नर्सरी को पौध खरीद का भुगतान	01-02-2019	23950.00
5-	स्टेशनरी पर्चेज	01-02-2019	2250.00
6-	स्टेशनरी पर्चेज	15-03-2019	7150.00
7-	स्टेशनरी पर्चेज	25-03-2019	16175.00
8-	ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान	02-07-2019	17500.00
9-	स्टेशनरी एण्ड मानदेय का भुगतान	11-07-2019	25000.00
10-	स्टेशनरी का भुगतान	12-12-2019	2257.00
11-	ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान	28-01-2020	21000.00
12-	प्रधान मानदेय का भुगतान	27-03-2020	10500.00
13-	टेण्डर का भुगतान	27-03-2020	3213.00
14-	कोविड-19 के बचाव हेतु ग्राम पंचायत में मास्क वितरण हेतु मास्क की खरीद	30-03-2020	5000.00
	योग:-		186445.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 186445.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 93222.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 93222.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-590

ग्राम पंचायत रानीनगरकालोनी में भवन/आँगनबाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	25-09-2018	60400.00
2-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	30-09-2018	40400.00
3-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	01-10-2018	23412.00
4-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	01-10-2018	7593.00
5-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	02-10-2018	51226.00
6-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क लेबर व्यय का भुगतान	05-10-2018	7600.00
7-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	05-10-2018	88292.00
8-	रानीनगर में सामुदायिक केन्द्र की रिपेयरिंग वर्क पर मैटेरियल खरीद का भुगतान	06-10-2018	4874.00
9-	रानीनगर में सामुदायिक केन्द्र की रिपेयरिंग वर्क पर मैटेरियल खरीद का भुगतान	06-10-2018	21850.00
10-	रानीनगर में सामुदायिक केन्द्र की रिपेयरिंग वर्क पर मैटेरियल खरीद का भुगतान	07-10-2018	13277.00
11-	रानीनगर में सामुदायिक केन्द्र की रिपेयरिंग वर्क पर मैटेरियल खरीद का भुगतान	07-10-2018	60971.00
12-	रानीनगर में सामुदायिक केन्द्र की रिपेयरिंग वर्क पर मैटेरियल खरीद का भुगतान	08-10-2018	70000.00
13-	रानीनगर पंचायत भवन रिपेयर वर्क पर सामग्री खरीद का भुगतान	15-10-2018	49182.00
14-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	18-10-2018	18545.00
15-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद का भुगतान	25-10-2018	66594.00
16-	रानीनगर में आँगनबाड़ी शौचालय रिपेयर वर्क सामग्री खरीद एवं लेबर कार्य का भुगतान	25-10-2018	62160.00
17-	रानीनगर पंचायत भवन रिपेयर वर्क पर सामग्री खरीद का भुगतान	20-03-2019	42840.00
18-	ग्राम रानीनगर पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल का कार्य	05-01-2020	35758.00
19-	ग्राम रानीनगर पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल का कार्य	07-01-2020	63850.00
20-	ग्राम रानीनगर पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल का कार्य	09-01-2020	85115.00
योग:-			873939.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 873939.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी ₹ 436969.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनीत कुमार से ₹ 436969.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पलियाकलां विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-591 ग्राम पंचायत पलियाकलां में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य हेतु रवीन्द्र को भुगतान	20-08-2018	27990.00
2-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य हेतु रवीन्द्र को भुगतान	28-10-2018	106000.00
3-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य हेतु रवीन्द्र को भुगतान	04-12-2018	12500.00
4-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य हेतु आशुतोष तिवारी को भुगतान	20-01-2019	19500.00

5-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य हेतु आशुतोष तिवारी को भुगतान	24-01-2019	19500.00
6-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य पर हरिओम कान्देक्टर को भुगतान	15-02-2019	79500.00
7-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य पर हरिओम कान्देक्टर को भुगतान	15-02-2019	79500.00
8-	ग्राम पंचायत पलियाकलां के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य पर हरिओम कान्देक्टर को भुगतान	20-02-2019	19500.00
9-	हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान	01-03-2019	19500.00
10-	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प कार्य का भुगतान	14-07-2019	19500.00
	योग:-		402990.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 402990.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹० 201495.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹० 201495.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-592 ग्राम पंचायत पलियाकलां में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	एम०एच०एस० सोलर सिस्टम ग्राम अफीमीपुरवा में विभिन्न स्थानों पर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	03-10-2018	198900.00
2-	एम०एच०एस० सोलर सिस्टम ग्राम निरालानगर व अजीतनगर में विभिन्न स्थानों पर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	04-10-2018	198900.00
3-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	05-10-2018	198900.00
4-	एम०एच०एस० रजवी सोलर सिस्टम को ग्राम रिखीपुरवा के विभिन्न स्थानों पर तिराहा एवं चौराहे पर स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर भुगतान	01-12-2018	187200.00
5-	एम०एच०एस० रजवी सोलर सिस्टम को ग्राम कृष्णानगर प्रीतम के विभिन्न स्थानों पर तिराहा एवं चौराहे पर स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर भुगतान	02-12-2018	187200.00
6-	एम०एच०एस० रजवी सोलर सिस्टम ग्राम निरालानगर व अजीतनगर के विभिन्न स्थानों पर तिराहा एवं चौराहे पर स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर कैश भुगतान	03-12-2018	46800.00 कैश भुगतान
7-	एम०एच०एस० रजवी सोलर सिस्टम ग्राम अफीमीपुरवा के विभिन्न स्थानों पर तिराहा एवं चौराहे पर स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर कैश भुगतान	03-12-2018	46800.00 कैश भुगतान
8-	एम०एच०एस० रजवी सोलर सिस्टम को ग्राम कृष्णानगर प्रीतम के विभिन्न स्थानों पर तिराहा एवं चौराहे पर स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर कैश भुगतान	04-12-2018	35100.00 कैश भुगतान
9-	एम०एच०एस० रजवी सोलर सिस्टम को ग्राम रिखीपुरवा के विभिन्न स्थानों पर तिराहा एवं चौराहे पर स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य पर कैश भुगतान	04-12-2018	52650.00 कैश भुगतान
10-	ग्राम तेहर में सोलर सिस्टम के कार्य पर कैश भुगतान	03-12-2018	46800.00 कैश भुगतान
11-	स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य भुगतान	20-03-2020	240100.00
12-	ग्राम पंचायत में बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य का भुगतान	20-03-2020	240100.00
	योग:-		1679450.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाइट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी है जिसके लिए लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाइट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण

हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1679450.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 839725.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 839725.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-593 ग्राम पंचायत पलियाकलां में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में डस्टबिन क्रय का भुगतान	05-07-2019	149500.00
	योग:-		149500.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि –

1- यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 149500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 74750.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 74750.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-594 ग्राम पंचायत पलियाकलां में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत कृष्णानगर में शिबलू के प्लाट से विक्रम राणा के घर तक नाली निर्माण कार्य पर प्रशान्त अवस्थी को भुगतान	14-09-2018	9425.00
2-	ग्राम ग्राम पंचायत कृष्णानगर में शिबलू के प्लाट से विक्रम राणा के घर तक नाली निर्माण कार्य पर किशन ब्रिक फील्ड को भुगतान	14-09-2018	18551.00
3-	ग्राम पंचायत कृष्णानगर में शिबलू के प्लाट से विक्रम राणा के घर तक नाली निर्माण कार्य पर मोहित एजेन्सी को भुगतान	14-09-2018	31321.00
4-	ग्राम रिखीपुरवा में संतोष के घर से रवीन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर प्रशान्त अवस्थी को भुगतान	14-09-2018	6725.00
5-	ग्राम रिखीपुरवा में संतोष के घर से रवीन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर किशन ब्रिक फील्ड को भुगतान	14-09-2018	16447.00
6-	ग्राम रिखीपुरवा में संतोष के घर से रवीन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर मोहित एजेन्सी को भुगतान	14-09-2018	35357.00
7-	ग्राम ग्राम पंचायत कृष्णानगर में नलू के घर से शिबू के घर तक नाली निर्माण कार्य पर किशन ब्रिक फील्ड को भुगतान	15-09-2018	102127.00
8-	ग्राम ग्राम पंचायत कृष्णानगर में नलू के घर से शिबू के घर तक नाली निर्माण कार्य पर मोहित एजेन्सी को भुगतान	15-09-2018	96447.00
9-	ग्राम ग्राम पंचायत कृष्णानगर में नलू के घर से शिबू के घर तक नाली निर्माण कार्य पर आशुतोष तिवारी को भुगतान	15-09-2018	41125.00
10-	ग्राम रिखीपुरवा में दौलत के घर से आदिराम के घर तक नाली निर्माण कार्य पर किशन ब्रिक फील्ड को भुगतान	15-09-2018	189000.00
11-	ग्राम रिखीपुरवा में दौलत के घर से आदिराम के घर तक नाली निर्माण कार्य	25-10-2018	19500.00

12-	ग्राम रिखीपुरवा में दौलत के घर से आदिराम के घर तक नाली निर्माण कार्य पर किशन ब्रिक फील्ड को भुगतान	04-12-2018	25000.00
13-	ग्राम तिलकपुरवा में निशान रोड से कमलेश के घर तक नाली के कार्य का निर्माण	17-07-2019	103956.00
14-	विनोद के घर से फूलचन्द के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	18-07-2019	79147.00
15-	अजीतनगर में पटीहन रोड से पिंकू शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य	06-02-2020	78684.00
16-	ठकुराईन के घर से सुनील के घर के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	13-03-2020	36392.00
17-	पवन के घर से निर्मल के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	13-03-2020	147693.00
18-	ग्राम अजीतनगर में पिन्दू के घर तक नाली निर्माण का कार्य	17-03-2020	17120.00
19-	ग्राम निरालानगर में पवन के घर से निर्मल के घर तक नाली निर्माण का कार्य	20-03-2020	46700.00
योग:-			1100717.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिये था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1100717.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 550358.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 550358.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-595 ग्राम पंचायत पलियाकलां में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम रिखीपुरवा में सम्पूर्णनगर से अशोक के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर आशुतोष को भुगतान	24-09-2018	17000.00
2-	ग्राम रिखीपुरवा में सम्पूर्णनगर से अशोक के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर गोयल ब्रिक्स को भुगतान	24-09-2018	128616.00
3-	ग्राम रिखीपुरवा में सम्पूर्णनगर से अशोक के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर प्रशान्त अवस्थी को भुगतान	24-09-2018	19500.00
4-	वसीम खान को भुगतान नलू के घर से शिबलू के घर के नये घर तक मिट्टी खडन्जा का भुगतान	04-12-2018	19500.00
5-	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य पर जफरूद्दीन को भुगतान	25-01-2019	94000.00
6-	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य पर जफरूद्दीन को भुगतान	05-02-2019	56000.00
7-	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य पर जफरूद्दीन को भुगतान	01-03-2019	50000.00
8-	नलू के घर से शिबलू के नये घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सईद ब्रिक फील्ड को भुगतान	29-03-2019	155382.00
9-	नलू के घर से शिबलू के नये घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य हेतु किशन ब्रिक फील्ड को भुगतान	29-03-2019	13416.00
10-	नलू के घर से शिबलू के नये घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य हेतु प्रशान्त अवस्थी को भुगतान	29-03-2019	48000.00
11-	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य पर जफरूद्दीन को भुगतान	31-03-2019	48000.00
12-	ग्राम रिखीपुरवा में दीक्षित जी के बाग से जगदीश जी तक खडन्जा मरम्मत का भुगतान	09-07-2019	130212.00

13-	ग्राम कृष्णानगर में राजेश के घर से निराला पिच रोड तक खडन्जा मरम्मत का भुगतान	10-07-2019	138200.00
14-	ग्राम निहालपुरवा में ललिता के घरसे बनारी की चक्की तक खडन्जा मरम्मत का भुगतान	11-07-2019	174650.00
15-	अफीमीपुरवा में तिवारी की चक्की छुत्रालाल के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	12-07-2019	125855.00
16-	ग्राम तिलकपुरवा में निघासन रोड से कमलेश के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	13-07-2019	106584.00
17-	ग्राम तिलकरपुरवा में पिच रोड से हरिलाल के घर तक खडन्जा कार्य का भुगतान	15-07-2019	91750.00
18-	ग्राम अफीमीपुरवा में लखीराम के घर से रामस्वरूप के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य का भुगतान	16-07-2019	53822.00
19-	ग्राम रिखीपुरवा में दौलत के घर से आदिराम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य का भुगतान	19-07-2019	181700.00
20-	अजीतनगर में पिन्डू के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य का भुगतान	13-03-2020	65452.00
21-	ग्राम अजीतनगर में पिन्डू के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण का कार्य	17-03-2020	17120.00
	योग:-		1734759.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लेण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1734759.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 867379.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 867379.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-596 ग्राम पंचायत पलियाकलां में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ह्यूम पाइप कार्य का भुगतान	13-03-2020	193119.00
	योग:-		193119.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रूपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लेण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 193119.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 96559.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 96559.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-597

ग्राम पंचायत पलियाकलां में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	उ०प्रा०वि० रिखीपुरवा में मिट्टी पटाई कार्य हेतु जफरूद्दीन को भुगतान	13-03-2019	98000.00
2-	उ०प्रा०वि० रिखीपुरवा में मिट्टी पटाई कार्य	13-03-2019	99900.00
3-	उ०प्रा०वि० रिखीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	24-02-2020	183104.00
4-	प्रा०वि० रिखीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	24-02-2020	190034.00
5-	उ०प्रा०वि० रिखीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	24-02-2020	87507.00
6-	प्रा०वि० रिखीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	17-03-2020	39550.00
7-	उ०प्रा०वि० रिखीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	17-03-2020	38950.00
8-	उ०प्रा०वि० रिखीपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	17-03-2020	18190.00
योग:-			755235.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 755235.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 377617.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 377617.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-598

ग्राम पंचायत पलियाकलां में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	04-04-2018	280.00
2-	गोल्डी कम्प्यूटर स्टेशनरी पर व्यय पर भुगतान	19-09-2018	5000.00
3-	नवीन अग्रवाल को स्टेशनरी व्यय पर भुगतान	20-09-2018	10000.00
4-	स्टेशनरी खर्च पर धीरज गुप्ता को भुगतान	03-10-2018	5000.00
5-	ग्राम प्रधान मानदेय हेतु आशादेवी को भुगतान	26-11-2018	35000.00
6-	गोल्डी कम्प्यूटर से स्टेशनरी हेतु भुगतान	26-11-2018	25000.00
7-	डी०पी०आर०ओ०	04-02-2019	712.00
8-	बैंक कटौती	16-02-2019	472.00
9-	ग्राम प्रधान आशा देवी को प्रधान मानदेय का भुगतान	01-03-2019	42000.00
10-	स्टेशनरी पर व्यय का भुगतान	05-07-2019	7000.00
11-	ग्राम प्रधान का मानदेय का भुगतान	10-07-2019	21000.00
12-	वॉल पेन्टिंग का भुगतान	11-07-2019	49500.00
13-	गोल्डी कम्प्यूटर	11-12-2019	2500.00
14-	प्रधान मानदेय	10-02-2020	24500.00
15-	स्टेशनरी पर भुगतान	10-02-2020	19900.00
योग:-			247864.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 247864.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹ 123932.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹ 123932.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-599

ग्राम पंचायत पलियाकलां में स्थित पंचायत भवन में कराए गये निर्माण कार्यो पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर आर्यन ब्रिक को भुगतान	13-02-2019	47554.00
2-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर प्रशान्त अवस्थी को भुगतान	13-02-2019	25705.00
3-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर ए०के० ट्रेडर्स को भुगतान	13-02-2019	42230.00
4-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर हरिओम ट्रेडर्स का भुगतान	14-02-2019	51096.00
5-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर ए०के० ट्रेडर्स को भुगतान	14-02-2019	45515.00
6-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर प्रशान्त अवस्थी को भुगतान	14-02-2019	43200.00
7-	पंचायत भवन में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर हरिओम ट्रेडर्स का भुगतान	14-02-2019	55878.00
8-	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य हेतु एम० सलीम नर्सरी को भुगतान	27-02-2019	22567.00
योग:-			333745.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 333745.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ₹० 166872.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ₹० 166872.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गिरधरपुरीकालोनी विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2017-18 से 2019-20

प्रस्तर-600 ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रमेश कुमार को हैण्डपम्प रिपेयर कार्य का भुगतान	28-07-2017	19100.00
2-	लालजी को हैण्डपम्प रिपेयरिंग कार्य का भुगतान	18-08-2017	6000.00
3-	पटेल मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु भुगतान	20-01-2018	61870.00
4-	पटेल मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री खरीद का भुगतान	24-01-2018	20920.00
5-	हैण्डपम्प रिपेयर वर्क	10-03-2018	14150.00
6-	शिवसागर ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय	20-03-2018	132950.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री भुगतान	31-03-2018	86080.00
8-	ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर कार्य	07-02-2020	79731.00
योग:-			420801.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 420801.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹० 210400.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹० 210400.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-601 ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1-	स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य का भुगतान	22-03-2018	3210.00
2-	स्ट्रीट लाइट खरीद का भुगतान	22-03-2018	119000.00
योग:-			122210.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 122210.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹ 61105.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 61105.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-602 ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	गुरुमुख सिंह के घर से इन्दल के घर तक नाली निर्माण पर लेबर कार्य का भुगतान	20-02-2018	30690.00
2-	तिवारी के घर से सुतिया तक नाली निर्माण वर्क पर लेबर कार्य	29-03-2018	17685.00
3-	गुरुमुख सिंह के घर से इन्दल के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री भुगतान	31-03-2018	168955.00
4-	तिवारी के घर से सुतिया तक नाली निर्माण वर्क पर ईट व सामग्री खरीद का भुगतान	31-03-2018	97171.00
योग:-			314501.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिये था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 314501.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹ 157250.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 157250.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-603 ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इन्दल के घर से गुलाब के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क हेतु ईट खरीद का भुगतान	28-11-2017	81528.00
2-	इन्दल के घर से गुलाब के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क हेतु लेबर वर्क का भुगतान	02-12-2017	51780.00
3-	पिच रोड से रविन्द्र के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क हेतु ईट खरीद का भुगतान	05-12-2017	56178.00
4-	पिच रोड से रविन्द्र के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क हेतु लेबर का भुगतान	10-01-2018	31360.00
5-	मेन खडन्जा से रमेश के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क पर लेबर कार्य का भुगतान	02-02-2018	10000.00

6-	मेन खडन्जा से रमेश के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क पर ईट खरीद का भुगतान	15-02-2018	60560.00
7-	श्रीकृष्णा के घर से विष्णी के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क हेतु ईट खरीद का भुगतान	25-03-2018	25809.00
8-	श्रीकृष्णा के घर से विष्णी के घर तक खडन्जा रिपेयर वर्क हेतु लेबर कार्य का भुगतान	31-03-2018	20335.00
9-	रामवचन के खेत से सुरेश के खेत तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	26-12-2018	221979.00
योग:-			559529.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 559529.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹ 279764.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 279764.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-604 ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	पिच रोड से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य	12-12-2019	121492.00
2-	पिच रोड से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य	25-12-2019	200987.00
3-	उच्च प्राथमिक विद्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्र तक इण्टर लॉकिंग कार्य	27-12-2019	109922.00
4-	उच्च प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य	01-01-2020	172407.00
5-	प्राथमिक विद्यालय में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग कार्य	10-01-2020	157477.00
6-	पिच रोड से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य	30-01-2020	42560.00
7-	उच्च प्राथमिक विद्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्र तक इण्टर लॉकिंग कार्य	30-01-2020	22760.00
8-	उच्च प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग कार्य	30-01-2020	36102.00
9-	प्राथमिक विद्यालय में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग कार्य	30-01-2020	33042.00
योग:-			896749.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 896749.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹ 448374.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 448374.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-605

ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरी कालोनी में फर्श मरम्मत कार्य पर भुगतान	25-01-2019	192363.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरी में टाइल्स निर्माण कार्य पर भुगतान	04-03-2019	133182.00
3-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य पर भुगतान	05-03-2019	203401.00
4-	उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरी कालोनी में सोकपिट निर्माण कार्य	14-12-2019	25553.00
5-	गिरधरपुरी में आँगनबाड़ी व शौचालय मरम्मत कार्य	10-01-2020	75277.00
6-	प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरी कालोनी में सोकपिट निर्माण कार्य	03-02-2020	8884.00
	योग:-		638660.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 638660.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹ 319330.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 319330.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-606

ग्राम पंचायत गिरधरपुरीकालोनी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	जिला स्तर से कटौती	31-07-2017	16477.00
2-	आर०बी० ट्रेडर्स को सामग्री खरीद का भुगतान	03-08-2017	15000.00
3-	जिला स्तर से कटौती	08-08-2017	11770.00
4-	ज्योति इण्टर प्राइजेज को सामग्री खरीद का भुगतान	18-08-2017	38000.00
5-	प्रधान मानदेय	05-11-2017	3500.00
6-	स्टेशनरी परचेज	23-02-2018	22800.00
7-	प्रधान मानदेय	05-12-2017	10500.00
8-	प्रधान मानदेय	20-03-2018	10500.00
9-	फर्श मरम्मत कार्य पर भुगतान	01-04-2018	211967.00
10-	प्रधान मानदेय	27-10-2018	31500.00
11-	प्रशासनिक मद पर भुगतान	19-01-2019	101098.00
12-	प्रशासनिक व्यय का भुगतान	02-07-2019	236.00
13-	ग्राम प्रधान का मानदेय	12-07-2019	21000.00
14-	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य का भुगतान	20-07-2019	31950.00
15-	प्रधान मानदेय	07-12-2019	3500.00
16-	गोल्डी कम्प्यूटर्स	08-12-2019	7980.00
17-	टेण्डर प्रकाशन भुगतान	29-02-2020	6426.00
18-	प्रधान मानदेय	14-03-2020	24500.00
19-	वॉल पेन्टिंग कार्य	14-03-2020	18500.00
	योग:-		587204.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा

नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 587204.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती ₹ 293602.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश कुमार से ₹ 293602.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कोठिया विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-607 ग्राम पंचायत कोठिया में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य	09-04-2018	95498.00
2-	रिचार्ज पिट निर्माण कार्य का भुगतान	20-03-2020	33686.00
योग:-			129184.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 129184.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹ 64592.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 64592.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-608 ग्राम पंचायत कोठिया में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाईट पर भुगतान	02-11-2018	240000.00
योग:-			240000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 240000 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹ 120000.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 120000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-609 ग्राम पंचायत कोठिया में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	शिवचन्द के घर से रामरतन के घर तक नाली निर्माण	03-04-2018	247642.00
2-	निर्माण कार्य	04-04-2018	62441.00
3-	महेश के घर से चन्द्रिका के घर तक	09-04-2018	40485.00
4-	नाली निर्माण कार्य पर भुगतान	09-04-2018	6392.00
5-	श्रीकृष्ण के घर से जगमोहन के घर तक नाली निर्माण पर भुगतान	09-04-2018	58457.00
6-	शिवचन्द के घर के पास तिराहे पर पुलिया निर्माण कार्य	21-04-2018	45823.00
7-	तेजी के घर से राजेन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर भुगतान	02-11-2018	100682.00
8-	तेजी के घर से राजेन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर भुगतान	01-01-2019	104947.00
9-	तेजी के घर से राजेन्द्र के घर तक नाली निर्माण कार्य पर भुगतान	01-01-2019	4956.00
10-	नाली निर्माण कार्य पर भुगतान	06-01-2019	221536.00
11-	इन्द्र कुमार के घर से विनय कुमार के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	16-07-2019	82000.00
12-	सुनील के घर से रमाकान्त के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	30-07-2019	37559.00

13-	इन्द्र कुमार के घर से विनय कुमार के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	26-12-2019	55337.00
14-	सुनील के घर से रमाकान्त के घर तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	22-01-2020	25372.00
	योग:-		1093629.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्ट: अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1093629.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹ 546814.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 546814.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-610 ग्राम पंचायत कोठिया में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मेन रोड से रामसुख के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	10-04-2018	123027.00
2-	रामबरात के घर से चन्द्रराम के घर तक मिट्टी खडन्जा पर भुगतान	24-09-2018	82405.00
3-	मोबीन के घर से शारदा के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	04-10-2018	50960.00
4-	रईस के घर से विजयपाल के घर तक मिट्टी खडन्जा पर भुगतान	12-10-2018	105903.00
5-	दुर्गेश के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	12-10-2018	70358.00
6-	लल्लू के घर से राजकुमार के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	12-10-2018	31206.00
7-	आशाराम के घर से अवधराम के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	30-10-2018	33605.00
8-	दीनदयाल से अवधेश के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य पर भुगतान	01-11-2018	156421.00
9-	इब्राहिम के घर के सामने तक खडन्जा कार्य पर भुगतान	10-03-2019	112771.00
10-	बलराम के घर से रामकृपाल के घर तक मिट्टी खडन्जा का भुगतान	20-03-2020	41630.00
11-	गंगापुरवा में मेन रोड से रोशनलाल के घर तक	17-11-2018	3648.00
12-	जगजीवन के घर से अशोक के घर तक	19-11-2018	36100.00
13-	विनय के घर से बाबूराम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य का भुगतान	27-03-2020	95424.00
14-	विनय के घर से बाबूराम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य का भुगतान	31-03-2020	58584.00
	योग:-		1002042.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1002042.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹ 501021.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 501021.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-611 ग्राम पंचायत कोठिया में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	श्रीकृष्ण के घर से जयप्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	24-02-2019	690206.00

2-	मेन रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग	12-03-2019	64266.00
3-	जयप्रकाश के घर से जितेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-03-2019	232532.00
4-	जितेन्द्र के घर से अवधेश के घर तक इण्टर लॉकिंग	16-03-2019	230799.00
5-	अवधेश के घर से नरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	30-07-2019	202934.00
6-	नरेन्द्र के घर से राममिलन के घर तक इण्टर लॉकिंग	30-07-2019	215298.00
7-	महेश के घर से नरेन्द्र वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	30-07-2019	216259.00
8-	नरेन्द्र वर्मा के घर से राममिलन के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2019	24030.00
9-	महेश के घर से नरेन्द्र वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2019	22069.00
10-	अवधेश के घर से महेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	16-01-2020	20168.00
11-	मयाराम के घर से रामबचन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	20-03-2020	244373.00
12-	रामबचन के घर से नरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य का भुगतान	27-03-2020	208211.00
योग:-			2371145.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 2371245.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹० 1185572.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹० 1185572.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-612 ग्राम पंचायत कोठिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय कोटइया में खडन्जा निर्माण कार्य पर भुगतान	03-04-2018	83914.00
2-	गंगापुरवा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट से शौचालय तक मिट्टी खडन्जा पर भुगतान	29-10-2018	126238.00
3-	प्राथमिक विद्यालय कोटइया में माडल शौचालय मरम्मत कार्य	01-01-2019	54800.00
4-	प्राथमिक विद्यालय कोटइया में माडल शौचालय मरम्मत कार्य	01-01-2019	18389.00
5-	उ०प्रा० विद्यालय गंगापुरवा में माडल शौचालय मरम्मत कार्य का भुगतान	20-03-2020	74659.00
6-	माडल टायलेट का अवशेष भुगतान	31-03-2020	3724.00
योग:-			361724.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 361724.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹० 180862.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹० 180862.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-613 ग्राम पंचायत कोठिया में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण पर भुगतान	05-11-2018	22013.00
2-	आंगनबाड़ी शौचालय मरम्मत कार्य प्रशासनिक व्यय	01-01-2019	90919.00
3-	प्रशासनिक व्यय	22-01-2019	543788.00
4-	प्रधान मानदेय पर भुगतान	17-03-2019	14900.00
5-	गोल्डी कम्प्यूटर्स फार स्टेशनरी फोटोकापी	12-12-2019	8340.00
6-	प्रधान मानदेय 01-03-2019 से 31-12-2019 तक का भुगतान	17-02-2020	35000.00
7-	पंचायत भवन में टाइल्स निर्माण	20-02-2020	204608.00
8-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य का भुगतान	13-03-2020	187414.00
9-	कार्य योजना, वॉल पेन्टिंग का भुगतान	20-03-2020	18500.00
10-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य का भुगतान	27-03-2020	187414.00
योग:-			1312896.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1312896.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी ₹ 656448.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री मनीष कुमार से ₹ 656448.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मरूआपश्चिम विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-614 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोना अल्वी फार हैण्डपम्प मरम्मत	30-08-2018	13000.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोना अल्वी फार हैण्डपम्प मरम्मत	23-12-2018	19600.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू सोना अल्वी फार हैण्डपम्प मरम्मत	06-01-2019	13640.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत	21-06-2019	35236.00
योग:-			81476.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 81476.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 40738.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 40738.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-615 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट	10-07-2019	32500.00
2-	विभिन्न स्थानों व चौराहों पर स्ट्रीट लाईट का कार्य	27-02-2020	113750.00
3-	विभिन्न स्थानों व चौराहों पर स्ट्रीट लाईट का कार्य	28-02-2020	113750.00
योग:-			260000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 260000.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 130000.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 130000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-616 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू भसीन साइकिल स्टोर फार ठेलिया खरीद	16-12-2018	13100.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू पी ए उद्योग सप्लायर फार कूड़ादान खरीद	25-01-2019	180000.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेन्द्र कुमार फार लेबर वर्क स्वच्छता प्रचार प्रसार	25-01-2019	11400.00
योग:-			204500.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 204500.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 102250.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 102250.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-617 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश के घर से रामबहादुर के घर होते हुए चुन्नालाल के घर तक नाली निर्माण	29-08-2018	7350.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू मौर्या ट्रेडर्स फार रामबहादुर के घर से चुन्नालाल के घर तक नाली निर्माण	29-08-2018	13019.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू मौर्या ट्रेडर्स फार रामबहादुर के घर से चुन्नालाल के घर तक नाली निर्माण	29-08-2018	10977.00
4-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार कस्तूरबा गाँधी विद्यालय से बरगद तक इण्टर लॉकिंग	25-03-2019	26247.00
5-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश फार कस्तूरबा गाँधी विद्यालय से बरगद तक इण्टर लॉकिंग	25-03-2019	90860.00
6-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश फार कस्तूरबा गाँधी विद्यालय से बरगद तक इण्टर लॉकिंग	25-03-2019	31780.00
7-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार बरगद के पेड़ से कस्तूरबा गाँधी विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग	25-03-2019	17228.00
8-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार बरगद के पेड़ से कस्तूरबा गाँधी विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग लेबर वर्क भुगतान	25-03-2019	24235.00
9-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टर प्राइजेज फार बरगद के पेड़ से कस्तूरबा गाँधी विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग	25-03-2019	25825.00
10-	बींग एमाउन्ट पेड टू गोयल ब्रिक्स फार बरगद के पेड़ से कस्तूरबा गाँधी विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग	25-03-2019	69832.00
11-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक्स फार अल्मोरी के घर से रघुनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-03-2019	79344.00
12-	बींग एमाउन्ट पेड टू गफूर फार अल्मोरी के घर से रघुनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-03-2019	5602.00

13-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार अल्मोरी के घर से रघुनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग लेबर वर्क	26-03-2019	23170.00
14-	इण्टर लॉकिंग	03-07-2019	163763.00
15-	इण्टर लॉकिंग	05-07-2019	155493.00
16-	इण्टर लॉकिंग	07-07-2019	164335.00
	योग:-		909060.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की केशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 909060.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 454530.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निरभय कुमार झा से ₹ 454531.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-618 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार जगत पाल के घर से चुन्नीलाल के घर तक खडन्जा निर्माण लेबर वर्क	16-05-2018	40554.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार संजय के घर से रामकुमार के घर तक खडन्जा निर्माण	18-05-2018	45607.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक्स फार जगत पाल के घर से चुन्नीलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	19-05-2018	119016.00
4-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक्स फार जगत पाल के घर से चुन्नीलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	19-05-2018	133893.00
5-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक्स फार सुरेश के घर से माया देवी के घर तक खडन्जा निर्माण	25-01-2019	49590.00
6-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक्स फार सुरेश के घर से माया देवी के घर तक खडन्जा निर्माण लेबर वर्क पेमेन्ट	25-01-2019	26711.00
7-	बींग एमाउन्ट पेड टू गफूर फार कहूब लाल के घर से मैकूलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	25-01-2019	10506.00
8-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक फार कहूब लाल के घर से मैकूलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	25-01-2019	51870.00
9-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक फार कहूब लाल के घर से मैकूलाल के घर तक खडन्जा निर्माण	25-01-2019	51450.00
10-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक फार मन्जीत के घर से रामनरेश के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	25-01-2019	91200.00
11-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार मन्जीत के घर से रामनरेश के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण लेबर वर्क भुगतान	25-01-2019	35000.00
12-	बींग एमाउन्ट पेड टू गफूर फार मन्जीत के घर से रामनरेश के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण लेबर वर्क भुगतान	25-01-2019	12429.00
13-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक फार मन्जीत के घर से रामनरेश के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	25-01-2019	47562.00
14-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार निघासन रोड से मुन्नीलाल के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण लेबर वर्क भुगतान	25-01-2019	39550.00
15-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक फार निघासन रोड से मुन्नीलाल के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण ईटा खरीद पर भुगतान	25-01-2019	138852.00
16-	बींग एमाउन्ट पेड टू गफूर फार पारस राम के घर से रामप्रसाद के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	25-01-2019	74185.00
17-	बींग एमाउन्ट पेड टू गफूर फार पारस राम के घर से रामप्रसाद के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	25-01-2019	5228.00

18-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार पारस राम के घर से रामप्रसाद के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण लेबर का भुगतान	25-01-2019	21595.00
19-	बींग एमाउन्ट पेड टू अम्बे ब्रिक फार निघासन रोड से मुन्नीलाल के घर तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्टेज	26-01-2019	10129.00
20-	निघासन रोड से पप्पू के फार्म तक खडन्जा निर्माण	16-03-2020	197183.00
21-	आइटिया में परागी लाल के घर से मलिनिया बार्डर तक खडन्जा	16-03-2020	84054.00
22-	रहीसुद्दीन के घर से गफूर के घर तक खडन्जा कार्य	16-03-2020	30212.00
	योग:-		1316376.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1316376.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 658188.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 658188.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-619 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू मुन्ना ब्रिक्स फार कलेक्टर के घर से प्रतिमा के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-05-2018	39614.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू मुन्ना ब्रिक्स फार कलेक्टर के घर से प्रतिमा के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-05-2018	41174.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू मुन्ना ब्रिक्स फार कलेक्टर के घर से प्रतिमा के घर तक इण्टर लॉकिंग	15-05-2018	125101.00
4-	बींग एमाउन्ट पेड टू मुन्ना ब्रिक्स फार कलेक्टर के घर से प्रतिमा के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण वर्क लेबर वर्क का भुगतान	15-05-2018	32875.00
5-	बींग एमाउन्ट पेड टू गुप्ता ट्रेडर्स फार चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	19-05-2018	30241.00
6-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टर प्राइजेज फार चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	19-05-2018	142910.00
7-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क	19-05-2018	28300.00
8-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क लेबर वर्क पेमेन्ट	01-08-2018	15200.00
9-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार भुजवा में चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण वर्क	28-08-2018	9450.00
10-	बींग एमाउन्ट पेड टू मौर्या ट्रेडर्स फार भुजवा में चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	28-08-2018	16334.00
11-	बींग एमाउन्ट पेड टू मक्खन ब्रिक्स फार भुजवा में चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क	28-08-2019	14195.00
12-	बींग एमाउन्ट पेड टू मून ब्रिक्स फार भुजवा में चन्द्रावती के घर से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क	29-08-2018	36850.00
13-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार बिन्द्रा के घर से जवाहर के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क	26-10-2018	23815.00
14-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार विजय पाल के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क	26-10-2018	16949.00

15-	बींग एमाउन्ट पेड टू गोयल ब्रिक्स फार विजय पाल के घर तक इण्टर लॉकिंग वर्क	26-10-2018	23703.00
16-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टरप्राइजेज फार विजय पाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	26-10-2018	122843.00
17-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार राम सिंह के घर से अरविन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	27-10-2018	24376.00
18-	बींग एमाउन्ट पेड टू गोयल ब्रिक्स फार राम सिंह के घर से अरविन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	27-10-2018	21236.00
19-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टरप्राइजेज फार राम सिंह के घर से अरविन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	27-10-2018	117365.00
20-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार राम सिंह के घर से अरविन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	28-10-2018	31400.00
21-	बींग एमाउन्ट पेड टू गोयल ब्रिक्स फार शिवरतन के घर से मझियाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	28-10-2018	34583.00
22-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टरप्राइजेज फार शिवरतन के घर से मझियाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	28-10-2018	101763.00
23-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार शिवरतन के घर से मझियाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग	28-10-2018	29920.00
24-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार विजय पाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	28-10-2018	25075.00
25-	बींग एमाउन्ट पेड टू नगेश कुमार फार जवाहर के घर से सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग लेबर वर्क पेमेन्ट	29-10-2018	50400.00
26-	बींग एमाउन्ट पेड टू मौर्या ट्रेडर्स फार राम सिंह के घर से अरविन्द के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	30-10-2018	29520.00
27-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार विरेन्द्र के घर से जवाहर के घर तक इण्टर लॉकिंग	30-10-2018	17975.00
28-	बींग एमाउन्ट पेड टू गोयल ब्रिक्स फार विरेन्द्र के घर से जवाहर के घर तक इण्टर लॉकिंग	30-10-2018	26662.00
29-	बींग एमाउन्ट पेड टू गोयल ब्रिक्स फार विरेन्द्र के घर से जवाहर के सी०सी०रोड तक इण्टर लॉकिंग	30-10-2018	32908.00
30-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टरप्राइजेज फार विरेन्द्र के घर से जवाहर के सी०सी०रोड तक इण्टर लॉकिंग	30-10-2018	126503.00
31-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार विरेन्द्र के घर से जवाहर के सी०सी०रोड तक इण्टर लॉकिंग	30-10-2018	29402.00
32-	बींग एमाउन्ट पेड टू दुर्गा इण्टरप्राइजेज फार विरेन्द्र के घर से जवाहर के घर तक इण्टर लॉकिंग	16-12-2018	90704.00
33-	बींग एमाउन्ट पेड टू पंचम ट्रेडर्स फार शिवरतन के घर से मझियाराम के सी०सी०रोड तक इण्टर लॉकिंग	26-03-2019	20824.00
34-	छेदानीपुरवा में कमलेश के घर से मनोज के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	64836.00
35-	सरखना में मन्दिर से मुन्ना तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	205058.00
36-	सरखना पश्चिम में नारायण के घर से श्रीराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	51184.00
37-	छेदानीपुरवा में प्यारे के घर से वंशगोपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	23-02-2020	68542.00
38-	छेदानीपुरवा में इण्टर लॉकिंग कार्य	23-02-2020	67581.00
39-	सरखनापश्चिम मन्दिर से मुन्ना तक इण्टर लॉकिंग कार्य	27-02-2020	9500.00
40-	सरखनापश्चिम में न्यान के घर से श्रीराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	27-02-2020	10564.00
योग:-			2007435.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियों एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित

वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2007435.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 1003717.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 1003717.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-620 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू मखन ब्रिक्स प्राइमरी विद्यालय में टायलेट निर्माण	10-06-2018	39208.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फार प्राइमरी विद्यालय में टायलेट निर्माण	10-09-2018	32760.00
3-	प्राथमिक विद्यालय में लेबर वर्क भुगतान	15-01-2019	6546.00
4-	बींग एमाउन्ट पेड टू मखन ब्रिक्स फार प्राथमिक विद्यालय में टायलेट निर्माण	26-03-2019	14195.00
5-	पी०एस० बोझवा में टाइल्स निर्माण कार्य	23-02-2020	124029.00
6-	यू०पी०एस० में टाइल्स निर्माण कार्य	23-02-2020	177745.00
7-	यू०पी०एस० सरखना में अतिरिक्त कक्षा कक्ष में टाइल्स निर्माण कार्य	23-02-2020	203913.00
8-	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य	27-02-2020	9672.00
9-	प्राथमिक विद्यालय बोझवा में कमरे व रसोई घर में टायल्स निर्माण कार्य	15-03-2020	180692.00
10-	सरखना पूरब में प्राथमिक विद्यालय में रिचार्ज पिट	16-03-2020	18123.00
11-	प्राथमिक विद्यालय मरूआपश्चिम में रिचार्ज पिट	16-03-2020	18123.00
योग:-			825006.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 825006.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 412503.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निर्भय कुमार झा से ₹ 412503.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-621 ग्राम पंचायत मरूआपश्चिम में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फॉर प्रिन्टर खरीद	20-05-2018	9100.00
2-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फॉर मानदेय	30-08-2018	17500.00
3-	बींग एमाउन्ट पेड टू चौधरी स्वीटस फॉर मिष्ठान खरीद	30-08-2018	7000.00
4-	बींग एमाउन्ट पेड टू अयूब फॉर प्रिया साफ्ट	30-08-2018	4960.00
5-	बींग एमाउन्ट पेड टू ग्राम प्रधान फॉर टेण्डर प्रकाशन	30-08-2018	6019.00
6-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फॉर मानदेय	30-08-2018	7000.00
7-	बींग एमाउन्ट पेड टू सलीम नर्सरी फॉर पौधा खरीद	30-10-2018	21969.00
8-	बींग एमाउन्ट पेड टू लाल बहादुर फॉर टॉयलेट वॉल पेन्टिंग	30-10-2018	36019.00
9-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फॉर मानदेय	26-11-2018	17500.00
10-	बींग एमाउन्ट पेड टू नागेश कुमार फॉर मानदेय	26-11-2018	17500.00
11-	प्रधान मानदेय	18-06-2019	28000.00
12-	प्रशासनिक व्यय	20-06-2019	61070.00
13-	मोटर व प्लम्बरिंग	01-08-2019	52478.00
14-	गोल्डी कम्प्यूटर	08-12-2019	50.00
15-	प्रधान मानदेय जून 2019 से दिसम्बर 2019 तक	15-01-2019	24500.00

	योग:-	310665.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 310665.00 में से ग्राम प्रधान श्री नागेश ₹ 155332.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री निभय कुमार झा से ₹ 155332.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सुमेरनगरकालोनी विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2018-19 व 2019-20

प्रस्तर-622 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	28-11-2018	225392.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	01-12-2018	236421.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	01-12-2018	236421.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर	16-12-2018	159138.00
5-	हैण्डपम्प रिबोर	18-12-2018	240993.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर	23-01-2019	162684.00
7-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	20-03-2020	230797.00
	योग:-		1491846.00

उपरोक्त तिथियों में दर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि एक ही तिथि में अत्यधिक बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा हैण्डपम्प अवस्थापना की सूची तथा हैण्डपम्प की खराबी एवं मरम्मत का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1491846.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 745923.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 745923.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-623 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	स्ट्रीट लाईट स्थापना	26-01-2019	250000.00
2-	सौलर मरम्मत	27-02-2019	53370.00
	योग:-		303370.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। स्ट्रीट लाईट की खरीद एक लाख रुपये से अधिक की गयी है जिसके लिए लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्ट्रीट लाईट स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त

धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 303370.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 151685.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 151685.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-624 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन क्रय	15-12-2018	290000.00
2-	ग्राम पंचायत में डस्टबिन परचेज का भुगतान	18-07-2019	72000.00
योग:-			362000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि -

1- यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं कूड़ादान स्थापना के स्थान की सूची तथा व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया।

2- सफाई कर्मों की तैनाती होने के बावजूद सफाई कार्य पर भुगतान दर्शाया गया है।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 362000.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 181000.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 181000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-625 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मिलन बाजार में बाँके बहादुर के घर से राजेश के घर होते हुए जंगल तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	11-07-2019	181973.00
2-	मिलन बाजार में बाँके बहादुर के घर से राजेश के घर होते हुए जंगल तक नाली निर्माण कार्य का भुगतान	19-07-2019	67463.00
योग:-			249436.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। दर्शित व्यय में सामग्री एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शाते हुए अंकित किया जाना चाहिये था ऐसा न किये जाने के कारण नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं लेबर व्यय का परीक्षण नहीं हो सका। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण का समस्त भुगतान एक ही तिथि में अंकित किया गया है जिस कारण अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एक ही तिथि में प्रारम्भ किया गया एवं उसको उसी तिथि में पूर्ण किया गया है जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। अतः नाली निर्माण का उक्त दर्शित कार्य अवास्तविक है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 249436.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 124718.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 124718.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-626 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रानीनगर में खडन्जा से अनुलेख के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	14-02-2020	22243.00
2-	रानीनगर में खडन्जा से अनुलेख के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य	18-02-2020	77172.00

	योग:-	99415.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 99415.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹० 49707.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹० 49707.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-627 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	इण्टर लॉकिंग	22-12-2018	160733.00
2-	इण्टर लॉकिंग	23-12-2018	205674.00
3-	इण्टर लॉकिंग	06-01-2019	75416.00
	योग:-		441823.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर केशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 441823.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹० 220911.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹० 220911.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-628 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप का भुगतान	19-07-2019	31713.00
	योग:-		31713.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराये जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना,

कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31713.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 15856.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 15856.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-629 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में स्थित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	रानीनगर में खडन्जा से जूनियर हाईस्कूल के क्लास तक मिट्टी खडन्जा कार्य	20-03-2020	67664.00
2-	रानीनगर में खडन्जा से जूनियर हाईस्कूल के क्लास तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21-03-2020	15818.00
योग:-			83482.00

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 83482.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 41741.00 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 41741.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-630 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में स्थित पंचायत भवन में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	बाउण्ड्री निर्माण	03-01-2019	42541.00
2-	ग्राम रानीनगर पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	05-01-2020	35758.00
3-	ग्राम रानीनगर पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	07-01-2020	63850.00
4-	ग्राम रानीनगर पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य	09-01-2020	85115.00
5-	बाउण्ड्री निर्माण	01-03-2019	413751.00
योग:-			641015.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 641015.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 320507.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 320507.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-631 ग्राम पंचायत सुमेरनगरकालोनी में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	वृक्षारोपण	05-08-2018	98593.00
2-	बाउण्ड्री वॉल निर्माण	22-12-2018	336198.00
3-	स्टेशनरी	23-01-2019	44240.00
4-	प्रधान मानदेय	15-02-2019	28000.00

5-	ग्राम प्रधान का मानदेय का पेमेन्ट	02-07-2019	17500.00
6-	ग्राम पंचायत में स्टेशनरी और मानदेय का पेमेन्ट	11-07-2019	25000.00
7-	स्टेशनरी का भुगतान	12-12-2019	2257.00
8-	01 जुलाई 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान	28-01-2020	21000.00
9-	01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक का प्रधान मानदेय	27-03-2020	10500.00
10-	टेण्डर का भुगतान	27-03-2020	3213.00
11-	कोविड-19 के बचाव हेतु ग्राम पंचायत में वितरण हेतु मास्क का क्रय	30-03-2020	5000.00
	योग:-		591501.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 591501.00 में से ग्राम प्रधान श्री तूफानी ₹ 295750.50 से और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित सिंह से ₹ 295750.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सुजानपुर

विकास खण्ड - रमियाबेहड़

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-632

ग्राम पंचायत सुजानपुर में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माणमरम्मत/मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	31-07-2019	100000.00	हरिकेश के घर से चक्कर भार्गव के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
2-	31-07-2019	23610.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
3-	31-07-2019	42303.00	उक्त कार्य पर शिवकुमार को भुगतान
4-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
5-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
6-	31-07-2019	11324.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
7-	31-07-2019	100000.00	हरिकेश के घर से नारायण चौधरी के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
8-	31-07-2019	29010.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
9-	31-07-2019	43335.00	उक्त कार्य पर शिवकुमार को भुगतान
10-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
11-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
12-	31-07-2019	12416.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
13-	31-07-2019	100000.00	नारायण चौधरी के घर से हरिकेश के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु खीरी ब्रिक्स को भुगतान
14-	31-07-2019	24454.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
15-	31-07-2019	42303.00	उक्त कार्य पर शिवकुमार को भुगतान
16-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
17-	31-07-2019	11142.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
18-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
19-	31-07-2019	100000.00	शिवकुमार के घर से सुकई के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
20-	31-07-2019	78486.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
21-	31-07-2019	31986.00	उक्त कार्य पर शिवकुमार को भुगतान
22-	31-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
23-	31-07-2019	13306.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	योग -	903675.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **903675.00** में से 50% रू० **451837.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती उर्मिला देवी** से तथा शेष 50% रू० **451837.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-633 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **गौशाला निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-07-2019	100000.00	गौशाला हेतु दुर्गा सीमेन्ट को भुगतान
2-	25-07-2019	82632.00	गौशाला हेतु दुर्गा सीमेन्ट को भुगतान
3-	25-07-2019	10828.00	गौशाला हेतु खीरी ब्रिक्स को भुगतान
4-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
5-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
6-	25-07-2019	2782.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
7-	25-07-2019	79978.00	गौशाला हेतु दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
8-	25-07-2019	32511.00	गौशाला हेतु लक्ष्मी लोहा भण्डार को भुगतान
9-	25-07-2019	76358.00	गौशाला हेतु खीरी ब्रिक्स को भुगतान
10-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
11-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
12-	25-07-2019	8732.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
13-	25-07-2019	50164.00	गौशाला हेतु दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
14-	25-07-2019	51937.00	गौशाला हेतु खीरी ब्रिक्स को भुगतान
15-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
16-	25-07-2019	14306.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
17-	25-07-2019	23832.00	गौशाला हेतु दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
18-	25-07-2019	55838.00	गौशाला हेतु लक्ष्मी लोहा भण्डार को भुगतान
19-	25-07-2019	27882.00	गौशाला हेतु लक्ष्मी लोहा भण्डार को भुगतान
20-	25-07-2019	5500.00	गौशाला हेतु सरिया
21-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
22-	25-07-2019	16760.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
23-	25-07-2019	6110.00	मौर्या कृषि यन्त्र को भुगतान
24-	25-07-2019	23832.00	गौशाला हेतु दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
25-	25-07-2019	55838.00	गौशाला हेतु लक्ष्मी लोहा भण्डार को भुगतान
26-	25-07-2019	27882.00	गौशाला हेतु लक्ष्मी लोहा भण्डार को भुगतान
27-	25-07-2019	5500.00	गौशाला हेतु सरिया
28-	25-07-2019	20000.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
29-	25-07-2019	16760.00	गौशाला हेतु श्रमिकों को भुगतान
30-	25-07-2019	6110.00	मौर्या कृषि यन्त्र को भुगतान
योग -		922072.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 922072.00 में से 50% रू० 461036.00 ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से तथा शेष 50% रू० 461036.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-634 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2019-20** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन केशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-08-2019	27313.00	रामस्वरूप के घर से सुरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
2-	02-08-2019	10700.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
3-	02-08-2019	44301.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	02-08-2019	100000.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	02-08-2019	30838.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	02-08-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	02-08-2019	11732.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	02-08-2019	27313.00	विजय के घर से संतोष के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
	02-08-2019	10700.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
	02-08-2019	44301.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	02-08-2019	100000.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	02-08-2019	30838.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	02-08-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	02-08-2019	11732.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	02-08-2019	27317.00	नन्दकिशोर के खेत से विजय के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
	02-08-2019	10700.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
	02-08-2019	44301.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	02-08-2019	100000.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	02-08-2019	30838.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	02-08-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	02-08-2019	11732.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	15-07-2019	26229.00	पंचम के घर से श्याम किशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
	15-07-2019	10700.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
	15-07-2019	45181.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	15-07-2019	100000.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	15-07-2019	30838.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	15-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	15-07-2019	10950.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	15-07-2019	26987.00	मन्नू के घर से तिलक के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान

	15-07-2019	10700.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
	15-07-2019	45308.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	15-07-2019	100000.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	15-07-2019	30838.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	15-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	15-07-2019	11638.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	15-07-2019	26629.00	मन्नू के घर से वेदराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
	15-07-2019	10700.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
	15-07-2019	45181.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	15-07-2019	100000.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	15-07-2019	30838.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	15-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	15-07-2019	10950.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	18-07-2019	21746.00	इस्माइल के घर से अकील के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर दुर्गा सीमेन्ट स्टोर को भुगतान
	18-07-2019	8600.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय
	18-07-2019	35496.00	उक्त कार्य पर खीरी ब्रिक्स को भुगतान
	18-07-2019	109032.00	उक्त कार्य पर चौधरी ईट उद्योग को भुगतान
	18-07-2019	20000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	18-07-2019	6192.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान
	योग -	1669389.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 1669389.00** में से 50% **रु० 834694.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती उर्मिला देवी** से तथा शेष 50% **रु० 834694.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शाहपुर

विकास खण्ड - बिजुआ

वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-635 ग्राम पंचायत शाहपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर **रु० 674497.00** व्यय किया गया है। उक्त व्यय जो कि हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर किया गया है के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि **रु० 674497.00** में से ग्राम प्रधान श्री आकाश गिरि से **रु० 337248.50** एवं पंचायत सचिव श्री नवल किशोर वर्मा से **रु० 337248.50** की ब्याज सहित वसूली क्यों न किया जाए इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

ग्राम पंचायत - बरतेर

विकास खण्ड - बेहजम

वर्ष - 2018-19 से 2019-20

प्रस्तर-636 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जिसके बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख (मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, इस्तीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमशः **रु० 4524889.00** तथा **रु० 1059354.00** ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में व्यय दर्शित धनराशि क्रमशः ₹ 4524889.00 तथा ₹ 1059354.00 व्यय दर्शित धनराशि (कुल ₹ 5584243.00) अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अहमद हसन व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमादित कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्यविधि में किये गये व्यय के अनुसार समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बड़ागाँव

विकास खण्ड - फूलबेहड़

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-637

ग्राम पंचायत बड़ागाँव में हैण्डपम्प मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	23-08-2018	62830.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	27-08-2019	84880.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	25-03-2019	23150.00
योग:-			170860.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 170860.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-638

ग्राम पंचायत बड़ागाँव में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान, सोकपिट निर्माण एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	डस्टबिन क्रय	26-09-2018	90000.00
योग:-			90000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान, सोकपिट एवं अन्य कार्यों में, एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रति कूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 90000.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-639

ग्राम पंचायत बड़ागाँव में नाली निर्माण/मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	मनोज सिंह के घर से राजकुमार के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय	15-02-2019	33400.00
2-	आर०सी०सी० रोड से गल्हू के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	24-04-2018	36846.00
3-	गन्ने के खेत से गुरदीन के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री व लेबर	10-07-2018	31804.00

4-	रामजीवन के घर से वीरपाल के घर तक नाली निर्माण	22-10-2018	104830.00
योग:-			206880.00

नाली निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 206880.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-640 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में खडन्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	विभिन्न स्थानों पर बाढ़ ग्रस्त मार्गों पर मिट्टी पटाई कार्य	25-02-2019	81675.00
2-	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग पर मिट्टी पटाई कार्य	27-03-2019	19750.00
योग:-			101425.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों के कराए गये कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 101425.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-641 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री व लेबर	26-09-2018	25000.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ागाँव में शौचालय निर्माण	02-01-2019	66711.00
3-	प्राथमिक विद्यालय खगईपुरवा में शौचालय निर्माण	15-02-2019	48639.00
योग:-			140350.00

विद्यालय में कराये गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की माँग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि – "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि – "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 140350.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-642 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्राथमिक विद्यालय खगईपुरवा से प्रयाग के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर सामग्री क्रय	24-04-2018	6400.00
2-	विनोद के घर से श्याम बिहारी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईट क्रय	26-04-2018	99750.00
3-	ढक्कन के घर से ब्रहमादीन के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	11-07-2018	124996.00
4-	ढक्कन के घर से ब्रहमादीन के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	11-07-2018	68448.00
5-	ढक्कन के घर से ब्रहमादीन के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	11-07-2018	45285.00
6-	रामऔतार के घर से ढक्कन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	25-07-2018	127204.00
7-	रामऔतार के घर से ढक्कन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय	25-07-2018	116663.00
8-	होली तलैया से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	13-01-2019	95948.00
9-	होली तलैया से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु बालू क्रय	13-01-2019	7490.00
10-	होली तलैया से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु लेबर	13-01-2019	21875.00
11-	होली तलैया से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय	13-01-2019	46233.00
12-	बड़कन के घर से होली तलैया तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय	15-02-2019	17081.00
13-	बड़कन के घर से होली तलैया तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु बालू क्रय	15-02-2019	6020.00
14-	बड़कन के घर से होली तलैया तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु लेबर	16-02-2019	17675.00
15-	बड़कन के घर से होली तलैया तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	20-02-2019	76323.00
16-	बड़कन के घर से होली तलैया तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण हेतु ईट व रोड़ा क्रय	20-02-2019	21455.00
17-	मनोज सिंह के घर से राजकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय	25-02-2019	34038.00
18-	मनोज सिंह के घर से राजकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय	25-02-2019	95014.00
19-	मनोज सिंह के घर से राजकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु लेबर	01-03-2019	28950.00
योग:-			1056848.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी इण्टर लॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जाँच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोल, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1056848.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-643 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में भवन/आँगनबाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	आँगनबाड़ी केन्द्र पर विण्डो, दरवाजा क्रय	25-03-2019	32000.00
	योग:-		32000.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में सन्देह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुए व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 32000.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-644 ग्राम पंचायत बड़ागाँव में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	01-07-2018	14000.00
2-	नाव क्रय	10-09-2018	54000.00
3-	प्रधान मानदेय	15-10-2018	17500.00
4-	स्टेशनरी क्रय	15-10-2018	5000.00
5-	प्रधान मानदेय	28-01-2019	10500.00
6-	बैंक चार्ज	01-03-2019	1640.00
	योग:-		102640.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड-8 में प्राविधान है कि - "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टररोलों, माप पुस्तिका में की गई कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 102640.00 में से ग्राम प्रधान श्री छोटन सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा से आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद- लखनऊ

मण्डल-लखनऊ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपतियाँ

ग्राम पंचायत- गोधना

विकास खण्ड- बखशी का तालाब जनपद- लखनऊ

वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-01

ग्राम पंचायत-गोधना की वित्तीय वर्ष 2019-20 की कोशबही/बैंकस्टेटमेंट में निम्नलिखित प्रकार से धनराशि का व्यय किया जाना दर्शित है-

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	मद	फर्म	चेक संख्या

01	26-11-2019	10000.00	सोलर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत पर व्यय	सर्वेश ट्रेडर्स	पीएफएमएस द्वारा

उक्त व्यय के सन्दर्भ में आपति का प्रमुख बिन्दु यह है कि-

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26-11-2019 को रुपए 10000.00 से सोलर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराई गई, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त से संबन्धित व्यय पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे इस कार्य से संबन्धित प्राक्कलन, मानचित्र, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, क्रय प्रमाणक आदि अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक/भुगतान रशीद प्रस्तुत नहीं किया गया। यह राजकीय धन का अपहरण/गबन है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त वर्णित आपतियों के आलोक में यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रुपए 10000.00 की सोलर लाइट की मरम्मत कराई गई है, जो कि राजकीय धन का अपहरण एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह एवं सचिव श्री धीरज यादव उत्तरदायी हैं। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अपहरण की गयी कुल धनराशि रु0 10000.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह से रु0 5000.00 से और पंचायत सचिव श्री धीरज यादव से रु0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02

ग्राम पंचायत-गोधना की वित्तीय वर्ष 2019-20 की कोषबही/बैंकस्टेटमेंट में निम्नलिखित प्रकार से धनराशि का व्यय किया जाना दर्शित है-

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	मद	फर्म	चेक संख्या
01	29-02-2020	60000.00	हैंडपंप सामग्री क्रय	एस के इंटरप्राइजेज़	पीएफएमएस द्वारा

उक्त व्यय के सन्दर्भ में आपति का प्रमुख बिन्दु यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29-02-2020 को रुपए 60000.00 से हैंडपंप मरम्मत के लिए सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त से संबन्धित व्यय पत्रावली अप्राप्त रही। जिससे इस कार्य से संबन्धित प्राक्कलन, मानचित्र, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, क्रय प्रमाणक, मरम्मत कराये गए हैंडपंपों की सूची आदि अप्राप्त रहे। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक/भुगतान रशीद प्रस्तुत नहीं किया गया। यह राजकीय धन का अपहरण/गबन है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त वर्णित आपतियों के आलोक में यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि बिना पत्रावलियों का निर्माण किए, रुपए 60000.00 की हैंडपंप की मरम्मत कराई गई है, जो कि राजकीय धन का अपहरण एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह एवं सचिव श्री तारेश शेखर तिवारी उत्तरदायी हैं। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार अपहरण की गयी कुल धनराशि रु0 60000.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह से रु0 30000.00 से और पंचायत सचिव श्री तारेश शेखर तिवारी से रु0 30000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गुलालपुर विकास खण्ड- बखशी का तालाब जनपद- लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-03 ग्राम पंचायत- गुलालपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 की कोशबही/बैंक स्टेटमेंट एवं पत्रावलियों में निम्नलिखित प्रकार से धनराशि का व्यय किया जाना दर्शित है-

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	मद	फर्म	चेक संख्या
01	06.07.2019	234000.00	मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय।	शिव इंटरप्राइजेज	074052

उक्त व्यय के संबंध में आपति का प्रमुख बिन्दु यह है कि-

1- ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर-4 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-864/10-08-1586, दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रुपए 01.00 लाख से अधिक की सामग्री क्रय, सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके की जाएगी। निविदा को आमंत्रित/ प्रकाशित करते समय वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय, निविदा खोलने की तिथि एवं समय आदि का स्पष्टतया उल्लेख किया जाएगा। साथ ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म, सम्बन्धित सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होनी चाहिए एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उससे इन्कम टैक्स क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लिया जाना चाहिए। इच्छुक ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय, निर्धारित धरोहर धनराशि भी जमा करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया का पालन ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित रुपए 234000.00 की सोलर लाइट का क्रय करते समय किया जाना चाहिए था। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त क्रय से सम्बन्धित निविदा पत्रावली अप्राप्त रही, जिससे यह स्पष्ट है कि यह क्रय सम्बन्धित शासनादेश का उल्लंघन करके किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी हैं।

2- शासनादेश संख्या: 33/2017/977/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017, दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय यूपी नेडा एवं संलग्न फर्मों से ही किया जाएगा, जिससे सोलर लाइट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। किन्तु लेखा परीक्षा में इस बात का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया कि विक्रेता फर्म- शिव इंटरप्राइजेज, नेडा द्वारा अधिकृत एजेंसी है, जो कि उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त वर्णित आपतियों के आलोक में यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि सम्बन्धित शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रुपए 234000.0 की सोलर लाइट की खरीद की गई है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार तथा सचिव श्री संजय कुमार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - काँटा करौंदी विकास खण्ड-मोहनलालगंज जनपद - लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 04

(क) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र0सं 0	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	02/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/1	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री के लिए अस्थाई गोवंश स्थल में टिन शेड हौदिया निर्माण	पार्थ एंटरप्राइजेस	136000.00
2	02/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/12	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री- टाइल के लिए प्राथमिक विद्यालय में कार्य करौंदी	पार्थ एंटरप्राइजेस	140000.00
3	02/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/02	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान रिबोर हैंडपम्प सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	126648.00
4	03/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/04	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपम्प सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	36969.00
5	03/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/05	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपम्प रिबोर सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	28000.00
6	17/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/06	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान ईट के लिए डामर रोड से गोवंश स्थल तक	शिखा ब्रिकफील्ड	56700.00
7	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/10	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री के लिए गोवंश में बैरी केटिंग कार्य:	पार्थ एंटरप्राइजेस	120000.00

8	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/15	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री हेतु	शुक्ला एंटरप्राइजेस	36540.00
9	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/16	सूरज ट्रेडर्स सामग्री क्रय हेतु	सूरज ट्रेडर्स	47850.00
10	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/18	सलोनी एंड अविरल ट्रेडर्स सोलर लाइट सामग्री	सलोनी एंड अविरल ट्रेडर्स	21400.00
11	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/08	शुक्ला एंटरप्राइजेस सामग्री क्रय खडंजा निर्माण डामर रोड से गोवंश स्थल	शुक्ला एंटरप्राइजेस	56700.00
12	31/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/17	सूरज ट्रेडर्स को भुगतान सामग्री- टाइल के लिए प्राथमिक विद्यालय में कार्य करौंदी	सूरज ट्रेडर्स	10500.00
13	23/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/19	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान	शुक्ला एंटरप्राइजेस	5000.00
14	23/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/20	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपम्प सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	8000.00
15	23/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/21	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपम्प रिबोर सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	30000.00
16	23/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/22	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री हेतु	पार्थ एंटरप्राइजेस	21000.00
17	23/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/23	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान ईट के लिए खडंजा निर्माण डामर रोड से गोवंश स्थल तक	शिखा ब्रिकफील्ड	28350.00
18	26/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/25	शमशेर सिंह मस्टर रोल भुगतान - डामर रोड से गौशाला तक खडंजा	शमशेर सिंह	5700.00
19	26/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/26	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान वृक्षारोपण	पार्थ एंटरप्राइजेस	23828.00
20	26/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/27	वीरेंदर कुमार मस्टर रोल भुगतान -बैरीकेटिंग गोवंश आश्रय स्थल	वीरेंदर कुमार	1274.00
21	26/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/27	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान बैरीकेटिंग गोवंश आश्रय स्थल	पार्थ एंटरप्राइजेस	9828.00
22	31/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/29	साईं ट्रेडर्स को भुगतान वृक्षारोपण	साईं ट्रेडर्स	27000.00
23	31/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/30	साईं ट्रेडर्स को भुगतान बैरीकेटिंग गोवंश आश्रय स्थल	साईं ट्रेडर्स	40000.00
24	14/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/31	शुक्ला एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपम्प रिबोर सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	120000.00
25	14/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/32	सूरज ट्रेडर्स को भुगतान सामग्री तथा मेंटेनेंस कार्य प्राथमिक विद्यालय काँटा	सूरज ट्रेडर्स	35000.00
26	14/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/33	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री हेतु मेंटेनेंस कार्य प्राथमिक विद्यालय काँटा	पार्थ एंटरप्राइजेस	45000.00
27	14/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/34	अमित कुमार जैसवाल मेंटेनेंस कार्य प्राथमिक विद्यालय काँटा	अमित कुमार जैसवाल	35000.00
28	14/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/35	साहनी एंटरप्राइजेस- लाइट सामग्री	साहनी एंटरप्राइजेस	64200.00
29	10/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/36	सूरज ट्रेडर्स सामग्री क्रय निर्माण राधे के घर से तालाब तक	सूरज ट्रेडर्स	73049.00

30	10/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/37	माँ भगवती ब्रिकफील्ड नाला निर्माण राधे के घर से तालाब तक	माँ भगवती ब्रिकफील्ड	82556.00
31	10/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/38	सुशील इलेक्ट्रिकल्स - सामग्री	सुशील इलेक्ट्रिकल्स	25000.00
32	10/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/39	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री हेतु मैटेनेंस कार्य प्राथमिक विद्यालय करौंदी	कुरैशी एंटरप्राइजेस	54558.00
33	10/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/40	साईं ट्रेडर्स सामग्री हेतु मैटेनेंस कार्य प्राथमिक विद्यालय करौंदी	साईं ट्रेडर्स	47408.00
34	10/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/41	सूरज ट्रेडर्स को भुगतान सामग्री- टाइल के लिए प्राथमिक विद्यालय में कार्य करौंदी	सूरज ट्रेडर्स	27536.00
35	12/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/42	सूरज ट्रेडर्स को भुगतान सामग्री नाला निर्माण कार्य	सूरज ट्रेडर्स	69347.00
36	12/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/43	माँ भगवती ब्रिकफील्ड नाला निर्माण कार्य हेतु सामग्री	माँ भगवती ब्रिकफील्ड	82057.00
37	12/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/44	वीरेंदर कुमार को नाला निर्माण कार्य हेतु	वीरेंदर कुमार	37590.00
38	12/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/45	फूलचंद को नाला निर्माण कार्य हेतु	फूलचंद	5460.00
39	18/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/11	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री हेतु नाली निर्माण	कुरैशी एंटरप्राइजेस	60290.00
40	18/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/09	वीरेंदर कुमार को नाला निर्माण कार्य हेतु	वीरेंदर कुमार	37590.00
41	07/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/12	शमशेर सिंह - प्राथमिक वि० करौंदी में अतिरिक्त कक्ष व किचन मैटेनेंस	शमशेर सिंह	31950.00
42	07/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/13	सूरज ट्रेडर्स सामग्री क्रय हेतु - प्राथमिक वि० करौंदी में अतिरिक्त कक्ष व किचन मैटेनेंस	सूरज ट्रेडर्स	51600.00
43	07/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/14	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री हेतु प्राथमिक वि० करौंदी में अतिरिक्त कक्ष व किचन मैटेनेंस	कुरैशी एंटरप्राइजेस	63550.00
44	07/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/15	वीरेंदर कुमार प्राथमिक वि० करौंदी में अतिरिक्त कक्ष व किचन मैटेनेंस	वीरेंदर कुमार	21000.00
45	07/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/48	सुशील इलेक्ट्रिकल्स सामग्री हेतु	सुशील इलेक्ट्रिकल्स	8100.00
				योग	2095128.00

क्र०सं 0	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	08/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/14	मस्टर रोल / लेबर भुगतान वृक्षारोपण	अमित कुमार	49400.00
2	17/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/07	मस्टर रोल / लेबर भुगतान खडंजा निर्माण	लेबरर पेमेंट	27300.00
3	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/11	मस्टर रोल / लेबर भुगतान गोवंश स्ताल में टीन शेड व हौदिया निर्माण	लेबरर पेमेंट	22792.00
4	30/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/09	मस्टर रोल / लेबर भुगतान गोवंश स्ताल में बैरिकेटिंग कार्य	लेबरर पेमेंट	25200.00
				योग	124692.00

(ख) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों में मजदूरी पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

(ग) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यों पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	08/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/13	अमित कुमार को भुगतान ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु	अमित कुमार	24500.00
2	17/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/01	अमित कुमार को एक्सपेंसिव	अमित कुमार	5000.00
3	17/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/2	अमित कुमार को एक्सपेंसिव	अमित कुमार	5000.00
4	26/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/3	शमशेर सिंह को एक्सपेंसिव	शमशेर सिंह	17100.00
5	26/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/24	पार्थ एंटरप्राइजेस सफाई कार्य हेतु	पार्थ एंटरप्राइजेस	5000.00
6	29/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/04	अमित कुमार जैसवाल	अमित कुमार जैसवाल	28000.00
7	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/5	जगदेव - गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार	जगदेव	11102.00
8	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/6	सुंदर लाल- गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार	सुंदर लाल	11102.00
9	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/07	मुकेश कुमार - गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार	मुकेश कुमार	11102.00
10	18/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/10	सहदेव - गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार	सहदेव	11102.00
11	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/16	मुकेश कुमार को भुगतान	मुकेश कुमार	5642.00
12	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/16	जगदेव को भुगतान	जगदेव	5642.00

13	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/18	सहदेव - गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार	सहदेव	5642.00
14	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/19	सुंदर लाल - गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार	सुंदर लाल	5642.00
				योग	151576.00
				महायोग (क) (ख) और (ग)	2371396.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0डी0, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / प्रमाणक प्रस्तुत किए गए। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेख को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 23.01.2021 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी पंचायत से अभिलेख को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 10.02.2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार - "यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरण को फोटो प्रस्तुत न किए जाने के कारण दर्शित व्यय धनराशि रूप 2371396.00 की नियमानुसार आधी आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात् रूप 1185698.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार तथा रूप 1185698.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार गौड़ से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सलेमपुर अचाका विकास खण्ड-मोहनलालगंज जनपद - लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या -05

ग्राम पंचायत सलेमपुर अचाका द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु०1695898.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(क) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किये गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	12/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/11	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपंप रिबोर सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	112000.00
2	12/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/2	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री के लिए	पार्थ एंटरप्राइजेस	75000.00
3	12/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/06	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान बैरीकेटिंग गोवंश आश्रय स्थल	पार्थ एंटरप्राइजेस	75000.00

4	12/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/08	जे एस एम एंटरप्राइजेस सामग्री हेतु भुगतान प्राइमरी वि. सलेमपुर अचाका बेंच कार्य	जे एस एम एंटरप्राइजेस	122500.00
5	12/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/09	जे एस एम एंटरप्राइजेस सामग्री हेतु भुगतान प्राइमरी वि. सलेमपुर अचाका बेंच कार्य	जे एस एम एंटरप्राइजेस	105000.00
6	19/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/14	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान ईट के लिए अस्थायी गोवंश स्थल के खड़जा	शिखा ब्रिकफील्ड	56700.00
7	19/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/3	अस्थायी गोवंश स्थल पर पशु शेड व चरही निर्माण	मस्टर रोल लेबर	24934.00
8	19/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/4	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान ईट के लिए अस्थायी गोवंश स्थल पशु शेड व चरही निर्माण	शिखा ब्रिकफील्ड	24360.00
9	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/12	रामपाल हैंडपम्प मँटेनेंस	रामपाल	5000.00
10	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/13	रामपाल हैंडपम्प मँटेनेंस	रामपाल	5000.00
11	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/17	विश्राम को टेंट व्यवस्था	विश्राम	1500.00
12	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/19	संग्राम सिंह - वृक्षारोपण कार्य	संग्राम सिंह	11000.00
13	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/15	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान ईट के लिए अस्थायी गोवंश स्थल के खड़जा	शिखा ब्रिकफील्ड	18721.00
14	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/16	अस्थायी गोवंश स्थल के खड़जा	मस्टर रोल लेबर	9828.00
15	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/05	विराट ट्रेडिंग कंपनी- अस्थायी गोवंश स्थल पशु शेड व चरही निर्माण	विराट ट्रेडिंग कंपनी	27602.00
16	26/11/19	एफएफसी/2019-20/पी/20	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपंप सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	4000.00
17	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/21	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान सामग्री -नाली निर्माण	शिखा ब्रिकफील्ड	18721.00
18	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/22	विराट ट्रेडिंग कंपनी-नाली निर्माण सामग्री	विराट ट्रेडिंग कंपनी	20353.00

19	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/23	विराट ट्रेडिंग कंपनी-नाली निर्माण सामग्री अस्थायी गोवंश स्थल के खड़जा	विराट ट्रेडिंग कंपनी	5700.00
20	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/24	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान सामग्री - अस्थायी गोवंश स्थल के खड़जा	शिखा ब्रिकफील्ड	62370.00
21	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/25	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपंप सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	30000.00
22	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/27	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपंप रिबोर सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	60000.00
23	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/28	विराट ट्रेडिंग कंपनी- गोवंश स्थल में बैरिकेटिंग	विराट ट्रेडिंग कंपनी	36000.00
24	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/29	पार्थ एंटरप्राइजेस गोवंश स्थल में बैरिकेटिंग	पार्थ एंटरप्राइजेस	52000.00
25	26/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/30	जे एस एम एंटरप्राइजेस सामग्री हेतु भुगतान	जे एस एम एंटरप्राइजेस	21700.00
26	26/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/31	अनुज कुमार -ठेलिया क्रय	अनुज कुमार	8700.00
27	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/34	साहनी एंटरप्राइजेस -सामग्री	साहनी एंटरप्राइजेस	64200.00
28	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/35	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री इंटरलाकिंग कार्य	कुरैशी एंटरप्राइजेस	118266.00
29	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/36	सुनील कुमार-इंटरलाकिंग कार्य डामर रोड से प्राथमिक वि.सलेमपुर बरामदा तक	सुनील कुमार	18200.00
30	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/37	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री क्रय	कुरैशी एंटरप्राइजेस	65000.00
31	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/39	पार्थ एंटरप्राइजेस- वृक्षारोपण कार्य	पार्थ एंटरप्राइजेस	35000.00
32	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/40	विराट ट्रेडिंग कंपनी- वृक्षारोपण	विराट ट्रेडिंग कंपनी	20000.00
33	18/02/20	एसएफसी/2019-20/पी/5	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री क्रय	कुरैशी एंटरप्राइजेस	68900.00

34	18/03/20	एसएफसी /2019-20/पी/6	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री क्रय स्कूल मैटेनेंस पूर्व माध्यमिक वि.सलेमपुर अचाका	कुरैशी एंटरप्राइजेस	99950.00
35	18/03/20	एसएफसी /2019-20/पी/6	अजीत कुमार इलेक्ट्रिकल्स सामग्री स्कूल मैटेनेंस पूर्व माध्यमिक वि.सलेमपुर अचाका	अजीत कुमार इलेक्ट्रिकल्स	30000.00
36	18/03/20	एसएफसी /2019-20/पी/6	सूरज ट्रेडर्स स्कूल मैटेनेंस पूर्व माध्यमिक वि.सलेमपुर अचाका	सूरज ट्रेडर्स	38725.00
				योग	1551930.00

(ख) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों में मजदूरी पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	15/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/7	अस्थाई गोवंश स्थल बैरिकेटिंग कार्य	लेबर मस्टर रोल	20020.00
2	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/18	अभिषेक -पेंटिंग कार्य	अभिषेक	5000.00
3	18/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/26	पार्थ एंटरप्राइजेस- सफाई कार्य सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	28000.00
4	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/38	बाऊंड्री वाल पूर्व माध्यमिक वि. सलेमपुर अचाका	सुनील कुमार	18200.00
5	17/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/40	मस्टर रोल -इंटरलौकिंग कार्य	राजेंद्र कुमार	5950.00
6	20/01/20	एसएफसी/2019-20/पी/5	कृष्णा कुमार -मैटेनेंस	कृष्णा कुमार	5950.00
7	20/01/20	एसएफसी /2019-20/पी/6	मंशाराम -मैटेनेंस	मंशाराम	5950.00
				योग	89070.00

(ग) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यों पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	18/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/10	मानदेय	सूरज सिंह यादव	10500.00

2	26/12/19	एसएफसी/2019-20/पी/02	मानदेय	सूरज सिंह यादव	28000.00
3	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/33	रमेश -एक्स्पेंसिव	रमेश	5460.00
4	17/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/41	सुषमा - एक्स्पेंसिव	सुषमा	5460.00
5	26/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/24	कमला - एक्स्पेंसिव	कमला	5460.00
6	29/04/19	एफएफसी/2019-20/पी/1	एस एम एस चार्ज	एस एम एस चार्ज	18.00
				योग	54898.00
				महायोग (क) (ख) (ग)	1695898.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रवालिआं (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई डी, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेख को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 19.01.2021 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी पंचायत से अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रवालिआं, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 15.02.2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रवालिआं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार -"यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। अभिलेख, कार्य पत्रवालिआं, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरण की फोटो प्रस्तुत न किए जाने के कारण दर्शित व्यय धनराशि रूप 1695898.00 की नियमानुसार आधी आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात् रूप 847949.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूरज सिंह तथा रूप 847949.00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार गौड़ से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मीरखनगर विकास खण्ड-मोहनलालगंज जनपद - लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 06

ग्राम पंचायत मीरखनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु०3723701.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(क) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किये गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	10/05/19	एफएफसी /2019-20/पी/1	सूरज ट्रेडर्स -सामग्री क्रय	सूरज ट्रेडर्स	80000.00
2	27/05/19	एफएफसी/2019-20/पी/2	हरिकेश -हैंडपम्प मैटेनेंस	हरिकेश	5000.00
3	17/07/19	एफएफसी/2019-	इण्डिया मार्का 2 मैटेरियल	शुक्ला एंटरप्राइजेस	60000.00

		20/पी/10			
4	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/3	मस्टर रोल लेबर- स्ट्रीट लाइट	अजीत कुमार	15000.00
5	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/05	मिट्टी पटाई कार्य	संदीप कुमार	10000.00
6	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/6	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान हैंडपंप रिबोर सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	146000.00
7	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/7	बाऊंड्री वाल प्राथमिक वि.-सामग्री क्रय	पार्थ एंटरप्राइजेस	75000.00
8	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/8	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान वृक्षारोपण सामग्री क्रय	पार्थ एंटरप्राइजेस	85000.00
9	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/9	इण्डिया मार्का 2 मैटेरियल	शुक्ला एंटरप्राइजेस	174000.00
10	18/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/11	मिट्टी पटाई कार्य	विजय कुमार श्रीवास्तव	5000.00
11	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/12	नाला निर्माण कार्य	साईं ट्रेडर्स	10470.00
12	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/13	सामग्री क्रय	साईं ट्रेडर्स	106800.00
13	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/15	सामग्री क्रय	साईं ट्रेडर्स	134978.00
14	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/27	सामग्री क्रय	साईं ट्रेडर्स	70000.00
15	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/29	सामग्री क्रय	साईं ट्रेडर्स	12462.00
16	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/46	सामग्री क्रय	साईं ट्रेडर्स	49500.00
17	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/47	सामग्री क्रय	साईं ट्रेडर्स	75000.00
18	22/07/19	एसएफसी/2019-20/पी/2	मस्टर रोल नाला निर्माण	संदीप कुमार	30000.00

19	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/16	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय नाला निर्माण सामग्री	शिखा ब्रिकफील्ड	49213.00
20	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/18	मस्टर रोल हैंडपम्प मेंटेनेंस	लेबर मस्टररोल	44954.00
21	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/19	मिट्टी कार्य	संदीप कुमार	13230.00
22	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/21	सूरज ट्रेडर्स हैंड पम्प सामग्री क्रय	सूरज ट्रेडर्स	10000.00
23	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/22	सामग्री क्रय	सूरज ट्रेडर्स	8000.00
24	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/28	मस्टर रोल नाला निर्माण	लेबर मस्टररोल	27174.00
25	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/30	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय नाला निर्माण सामग्री	शिखा ब्रिकफील्ड	49213.00
26	25/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/25	सामग्री क्रय	साई ट्रेडर्स	41056.00
27	26/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/37	मस्टर रोल नाला निर्माण	लेबर मस्टररोल	17261.00
28	26/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/39	मस्टर रोल नाला निर्माण	लेबर मस्टररोल	10039.00
29	29/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/32	मस्टर रोल हैंडपम्प मेंटेनेंस	लेबर मस्टररोल	6000.00
30	30/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/38	सामग्री क्रय	साई ट्रेडर्स	29151.00
31	30/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/40	सामग्री क्रय	साई ट्रेडर्स	11905.00
32	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/34	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय सामग्री, गौ आश्रय केंद्र	शिखा ब्रिकफील्ड	149940.00
33	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/41	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय सामग्री,	शिखा ब्रिकफील्ड	12180.00

34	31/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/42	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय सामग्री,	शिखा ब्रिकफील्ड	12180.00
35	31/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/43	सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	52000.00
36	31/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/44	सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	24000.00
37	31/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/45	सामग्री क्रय	शुक्ला एंटरप्राइजेस	14000.00
38	30/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/48	कुरैशी एंटरप्राइजेस- हैंडपम्प सामग्री	कुरैशी एंटरप्राइजेस	20000.00
39	30/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/49	कुरैशी एंटरप्राइजेस- हैंडपम्प सामग्री	कुरैशी एंटरप्राइजेस	24000.00
40	30/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/50	सामग्री क्रय -गौ आश्रय केंद्र में चौकीदार के लिए रुम	साईं ट्रेडर्स	15470.00
41	30/12/19	एफएफसी /2019-20/पी/51	पार्थ एंटरप्राइजेस को भुगतान सामग्री क्रय- गौ आश्रय केंद्र में चौकीदार के लिए रुम	पार्थ एंटरप्राइजेस	7840.00
42	01/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/52	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय सामग्री, गौ आश्रय केंद्र चौकीदार के लिए रुम	शिखा ब्रिकफील्ड	22417.00
43	13/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/53	बाऊंड्री वाल निर्माण सामुदायिक केंद्र	साईं ट्रेडर्स	54637.00
44	13/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/54	शिखा ब्रिकफील्ड को भुगतान - ईट क्रय बाऊंड्री वाल निर्माण सामुदायिक केंद्र	शिखा ब्रिकफील्ड	77952.00
45	13/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/55	पूर्व माध्यमिक वि. में मेंटेनेंस रंगाई पुताई	साईं ट्रेडर्स	26959.00
46	13/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/56	पूर्व माध्यमिक वि. में मेंटेनेंस रंगाई पुताई	कुरैशी एंटरप्राइजेस-	62778.00
47	13/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/57	सामग्री क्रय हैंडपंप रिबोर सामग्री	शुक्ला एंटरप्राइजेस	128305.00
48	13/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/58	कुरैशी एंटरप्राइजेस- हैंडपम्प रिबोर सामग्री	कुरैशी एंटरप्राइजेस	90000.00
49	15/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/59	नाली निर्माण	साईं ट्रेडर्स	40000.00
50	17/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/60	बाऊंड्री वाल निर्माण सामुदायिक केंद्र	अजीत कुमार	19992.00
51	17/01/20	एफएफसी /2019-	सामग्री क्रय	साहनी एंटरप्राइजेस	64200.00

		20/पी/62			
52	31/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/65	नाली निर्माण	साई ट्रेडर्स	20200.00
53	31/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/67	सिद्दीकी इलेक्ट्रॉनिक्स	सिद्दीकी इलेक्ट्रॉनिक्स	6500.00
54	31/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/71	साई ट्रेडर्स	साई ट्रेडर्स	33459.00
55	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/77	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री पूर्व माध्यमिक वि. रंगाई पुताई	कुरैशी एंटरप्राइजेस	35000.00
56	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/78	बाऊंड्री वाल निर्माण सामुदायिक केंद्र	प्रजा एंटरप्राइजेस	12551.00
57	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/79	समग्री नाली निर्माण	माँ भगवती ब्रिक फील्ड	60742.00
58	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/80	प्राथमिक वि. रंगाई पुताई	वासुदेव	30940.00
59	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/81	कुरैशी एंटरप्राइजेस- सामग्री प्राथमिक वि. रंगाई पुताई	कुरैशी एंटरप्राइजेस	25000.00
60	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/82	नाली मैंटेनेंस सामग्री	माँ भगवती ब्रिक फील्ड	70877.00
61	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/100	बाऊंड्री वाल मरम्मत	संदीप कुमार पेंटर	19938.00
62	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/101	क्रीडा स्थल बाऊंड्री वाल निर्माण सामग्री	प्रजा एंटरप्राइजेस	12740.00
63	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/85	क्रीडा स्थल बाऊंड्री वाल निर्माण सामग्री	साई ट्रेडर्स	72815.00
64	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/86	क्रीडा स्थल बाऊंड्री वाल निर्माण- सामग्री	माँ भगवती ब्रिक फील्ड	85935.00
65	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/87	क्रीडा स्थल बाऊंड्री वाल निर्माण	वासुदेव	29750.00
66	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/88	बाऊंड्री वाल मरम्मत सामग्री अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	साई ट्रेडर्स	71320.00
67	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/89	बाऊंड्री वाल मरम्मत सामग्री अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	माँ भगवती ब्रिक फील्ड	87612.00
68	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/90	बाऊंड्री वाल मरम्मत सामग्री अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	प्रजा एंटरप्राइजेस	12740.00
69	04/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/104	सामग्री-पूर्व माध्यमिक वि. रंगाई पुताई	कुरैशी एंटरप्राइजेस	23345.00
70	04/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/105	सामग्री-प्राथमिक वि. मीरखनगर मैंटेनेंस	कुरैशी एंटरप्राइजेस	59000.00
71	05/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/109	क्रीडा स्थल बाऊंड्री वाल निर्माण सामग्री	कुरैशी एंटरप्राइजेस	9800.00
72	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/114	नाली निर्माण सामग्री	साई ट्रेडर्स	75267.00
73	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/115	क्रीडा स्थल बाऊंड्री वाल निर्माण	सुखदेव	29288.00

74	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/116	बाऊंड्री वाल अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि. मीरखनगर	खुशी राम	23940.00
				योग	3289015.00

(ख) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों में मजदूरी पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/35	गौ आश्रय केंद्र चौकीदार के लिए रूम	लेबर मस्टर रोल	48020.00
2	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/36	वृक्षारोपण	लेबर मस्टर रोल	20566.00
3	17/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/61	पेंटिंग कार्य	संदीप कुमार पेंटर	19992.00
4	13/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/63	अजीत कुमार पेमेंट फॉर वेज	अजीत कुमार	15190.00
5	17/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/66	पेमेंट तो एम्प्लोयी सरला देवी नाली निर्माण	सरला देवी	10752.00
6	20/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/68	पेंटिंग	संदीप कुमार पेंटर	28920.00
7	31/01/20	एफएफसी /2019-20/पी/70	पेमेंट तो एम्प्लोयी सरला देवी	सरला देवी	24920.00
8	15/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/72	पूर्व माध्यमिक वि. मेंटेनेंस रंगाई पुताई	रामखेलावन	5950.00
9	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/73	पूर्व माध्यमिक वि. मेंटेनेंस रंगाई पुताई	रामसुमिरन	5950.00
10	15/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/74	पूर्व माध्यमिक वि. मेंटेनेंस रंगाई पुताई	हिमांशु मौर्या	5950.00
11	15/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/75	पूर्व माध्यमिक वि. मेंटेनेंस रंगाई पुताई	विनोद कुमार	5950.00
12	15/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/76	पूर्व माध्यमिक वि. मेंटेनेंस रंगाई पुताई	संदीप कुमार पेंटर	5950.00
13	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/91	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	विजय	2548.00

14	20/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/92	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	शत्रोहन	2548.00
15	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/93	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	धर्मेन्द्र	2548.00
16	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/94	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि	अजय कुमार	2548.00
17	20/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/95	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	वासुदेव	4550.00
18	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/96	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	सुखदेव	4550.00
19	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/97	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि	अरविंद कुमार	4550.00
20	20/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/98	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	लोकनाथ	4550.00
21	20/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/99	बाऊंड्री वाल मरम्मत अवशेष कार्य पूर्व माध्यमिक वि.	संतोष	2548.00
22	18/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/113	प्राथमिक वि.मीरखनगर मैटेनेंस	वासुदेव	31920.00
				योग	260970.00

(ग) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यो पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	01/06/19	एसएफसी/2019-20/पी/1	मानदेय	सरला देवी	10500.00
2	17/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/04	ग्राम पंचायत में जे सी बी द्वारा सफाई कार्य	अजीत कुमार	19838.00
3	24/07/19	एसएफसी/2019-20/पी/3	मानदेय सरला देवी	ग्राम प्रधान सैलरी	10500.00
4	25/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/23	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	विजय कुमार श्रीवास्तव	5000.00
5	25/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/24	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	विजय कुमार श्रीवास्तव	5000.00
6	21/01/20	एसएफसी/2019-20/पी/1	मानदेय	सरला देवी	17500.00
7	21/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/64	गोवंश आश्रम चौकीदार मानदेय	राज कुमार	33488.00
8	21/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/83	गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार मानदेय	रामफेर	29666.00
9	21/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/84	गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार मानदेय	रामसरन	13832.00

10	21/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/111	गोवंश आश्रय स्थल चौकीदार मानदेय	आरती	14196.00
11	21/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/112	पशु आश्रय केंद्र चौकीदार मानदेय	जानवती	14196.00
				योग	173716.00
				महायोग (क) (ख) (ग)	3723701.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रवाल्यां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई डी, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेख को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 16.12.2020 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी पंचायत से अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रवाल्यां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 20.03.2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रवाल्यां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार - "यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। अभिलेख, कार्य पत्रवाल्यां, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरण की फोटो प्रस्तुत न किए जाने के कारण दर्शित व्यय धनराशि रुपए 3723701.00 की नियमानुसार आधी आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात् रुपए 1861850.50 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी तथा रुपए 1861850.50 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार गौड़ से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बलसिंहखेड़ा विकास खण्ड-मोहनलालगंज जनपद - लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 07

ग्राम पंचायत बलसिंहखेड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु०1725879.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(क) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किये गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं०	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	29/06/19	एफएफसी /2019-20/पी/1	सूरज ट्रेडर्स -सामग्री क्रय नाला मैटेनेंस	सूरज ट्रेडर्स	12856.00
2	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/2	सूरज ट्रेडर्स -सामग्री क्रय नाली मैटेनेंस एवं खड़जा	सूरज ट्रेडर्स	22955.00
3	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/3	सूरज ट्रेडर्स -सामग्री क्रय नाली निर्माण जग्गे लाल के घर से तालाब तक	सूरज ट्रेडर्स	10289.00
4	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/4	हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय	सूरज ट्रेडर्स	38000.00
5	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/05	कुरैशी एंटरप्राइजेस- हैंडपम्प सामग्री क्रय	कुरैशी एंटरप्राइजेस	84000.00

6	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/6	सामग्री क्रय पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में मरम्मत कार्य	सूरज ट्रेडर्स	58000.00
7	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/7	सामग्री क्रय पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में मरम्मत कार्य	कुरैशी एंटरप्राइजेस	61224.00
8	29/06/19	एफएफसी/2019-20/पी/8	सामग्री क्रय मेंटेनेंस संबंधी	सूरज ट्रेडर्स	20000.00
9	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/10	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	फूलचंद्र	9100.00
10	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/11	सामग्री क्रय	कमल साइकिल वर्क्स	10000.00
11	29/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/16	पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में टाइल्स तथा मेंटेनेंस कार्य	सूरज ट्रेडर्स	29130.00
12	29/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/17	पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में टाइल्स क्रय व कार्य तथा मेंटेनेंस कार्य	कुरैशी एंटरप्राइजेस	148793.00
13	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/20	ईट सामग्री क्रय नाला मेंटेनेंस	विकास ब्रिक फील्ड	24626.00
14	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/21	ईट सामग्री क्रय नाली मेंटेनेंस एवं खड़जा	विकास ब्रिक फील्ड	46472.00
15	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/22	ईट सामग्री क्रय नाली निर्माण	विकास ब्रिक फील्ड	9362.00
16	14/08/19	एफएफसी/2019-20/पी/29	सामग्री क्रय नाली निर्माण	सूरज ट्रेडर्स	28939.00
17	14/08/19	एफएफसी/2019-20/पी/30	सामग्री क्रय नाला निर्माण	सूरज ट्रेडर्स	42805.00
18	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/33	सामग्री क्रय	सूरज ट्रेडर्स	98000.00
19	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/34	सामग्री क्रय	सूरज ट्रेडर्स	12000.00
20	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/35	स्वच्छता कार्य सामग्री	पार्थ एंटरप्राइजेस	25000.00

21	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/36	सामग्री क्रय	कुरैशी एंटरप्राइजेस	12000.00
22	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/37	सामग्री- नाला मेंटेनेंस	विकास ब्रिकफील्ड	12900.00
23	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/38	हैंडपम्प मरम्मत सामग्री	कुरैशी एंटरप्राइजेस	20000.00
24	23/12/19	एफएफसी/2019-20/पी/39	टाइल्स कार्य एंड मेंटेनेंस पूर्व माध्यमिक वि. बलसिंहखेड़ा	सूरज ट्रेडर्स	54230.00
25	01/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/40	सामग्री क्रय प्राथमिक वि. बलसिंहखेड़ा में टाइल्स	कुरैशी एंटरप्राइजेस	145000.00
26	14/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/41	प्राइमरी वि. में मिट्टी पटाई कार्य	सूरज ट्रेडर्स	20000.00
27	14/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/42	प्राथमिक वि. में टाइल्स	सूरज ट्रेडर्स	59217.00
28	12/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/44	प्राथमिक वि. बलसिंहखेड़ा में टाइल्स निर्माण	संजु कुमार	19500.00
29	23/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/45	सामग्री क्रय सामुदायिक केंद्र बलसिंहखेड़ा	जुगराज एंटरप्राइजेस	99120.00
30	23/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/46	सामग्री क्रय सामुदायिक केंद्र बलसिंहखेड़ा	सूरज ट्रेडर्स	22066.00
31	25/02/20	एसएफसी/2019-20/पी/2	सामग्री आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	कुरैशी एंटरप्राइजेस	70000.00
32	25/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/49	सामग्री क्रय सामुदायिक केंद्र मेंटेनेंस	कुरैशी एंटरप्राइजेस	30000.00
33	25/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/50	सामग्री क्रय सामुदायिक केंद्र मेंटेनेंस	सूरज ट्रेडर्स	25000.00
34	17/03/20	एसएफसी /2019-20/पी/3	पेमेंट टू सूरज ट्रेडर्स	सूरज ट्रेडर्स	33959.00
35	17/03/20	एसएफसी /2019-20/पी/4	पेमेंट टू माँ भगवती ब्रिकफील्ड	माँ भगवती ब्रिकफील्ड	18270.00

36	17/03/20	एसएफसी /2019-20/पी/5	पेमेंट टू कुरैशी एंटरप्राइजेस	कुरैशी एंटरप्राइजेस	13000.00
37	17/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/53	पेमेंट टू माँ भगवती ब्रिकफील्ड	माँ भगवती ब्रिकफील्ड	19110.00
38	17/03/20	एफएफसी /2019-20/पी/54	पेमेंट टू सूरज ट्रेडर्स	सूरज ट्रेडर्स	42630.00
39	25/07/19	एफएफसी /2019-20/पी/14	बैंक एस एम एस चार्ज		18.00
40	31/7/19	एफएफसी /2019-20/पी/25	रस्सी चार्ज	सूरज ट्रेडर्स	144.00
				योग	1507715.00

(ख) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों में मजदूरी पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	22/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/12	मस्टर रोल पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में मरम्मत कार्य	लेबर्स	18600.00
2	29/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/13	मस्टर रोल पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में मरम्मत कार्य	लेबर्स	45000.00
3	29/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/15	मस्टर रोल हैंड पम्प मैटेनेंस	लेबर्स	17500.00
4	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/18	मस्टर रोल पूर्व माध्यमिक वि.बलसिंहखेड़ा में मरम्मत कार्य व टाइल्स कार्य	लेबर्स	15600.00
5	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/23	मस्टर रोल- नाली निर्माण	लेबर्स	5376.00
6	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/24	मस्टर रोल-नाली मैटेनेंस व खड़जा	लेबर्स	10080.00
7	14/08/19	एफएफसी /2019-20/पी/28	मस्टर रोल-नाला मैटेनेंस	लेबर्स	25060.00
8	14/08/19	एफएफसी/2019-20/पी/31	मस्टर रोल-नाली निर्माण	लेबर्स	9506.00
9	25/02/20	एफएफसी /2019-20/पी/47	सामुदायिक केंद्र में कार्य	फूलचंद्र प्रधान	15820.00

				योग	162542.00

(ग) लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यों पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र.सं.	वाउचर दिनांक	वाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	20/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/9	पेड टू फूलचंद्र फॉर प्रधान मानदेय	फूलचंद्र मेट	10500.00
2	31/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/26	डोंगल क्रय	आर आर असोसिएट्स	1708.00
3	14/08/19	एफएफसी/2019-20/पी/27	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	फूलचंद्र मेट	4914.00
4	26/11/19	एफएफसी/2019-20/पी/32	पेमेंट टू पार्थ एंटरप्राइजेस	पार्थ एंटरप्राइजेस	1000.00
5	23/12/19	एसएफसी/2019-20/पी/1	पेड टू फूलचंद्र फॉर प्रधान मानदेय	फूलचंद्र प्रधान	17500.00
6	25/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/43	पेमेंट टू संजू एम्प्लॉयी	संजू कुमार	20000.00
				योग	55622.00
				महायोग (क) (ख) (ग)	1725879.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रवाल्यां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई डी, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेख को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 21.01.2021 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी पंचायत से अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रवाल्यां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 22.02.2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रवाल्यां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार - "यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। अभिलेख, कार्य पत्रवाल्यां, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरण की फोटो प्रस्तुत न किए जाने के कारण दर्शित व्यय धनराशि रुपए 1725879.00 की नियमानुसार आधी आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात् रुपए 862939.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री फूलचंद्र तथा रुपए 862939.50 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार गौड़ से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ढेढ़ेमऊ, विकास खंड -मलिहाबाद, जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-08

ग्राम पंचायत ढेढ़ेमऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु०2175404.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

(2) सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹ 1732734.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत देढ़ेमऊ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल ₹0 2175404.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र०स०	कार्य आई०डी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (₹0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19 24.05.19	सामग्री क्रय " "	यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स	19985.00 17875.00 13785.00
2.	13739137	29.06.19 15.10.19	" "	यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स	15500.00 18530.00
3.	13739121	01.07.19 01.07.19	" "	एम०एस०ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स	75164.00 31255.00
4.	13739130	01.07.19	"	एशिया ट्रेडर्स	128232.00
5.	13739136	10.07.19 10.07.19 04.02.20 04.02.20 17.03.20	" " " " "	सेवा इलेक्ट्रानिक्स स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल एम०एस०ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स मो 0 खालिद	3950.00 400.00 10120.00 11900.00 2165.00
6.	13739133	10.07.19	"	अनामिका ट्रेडर्स पिन्नू ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स	118720.00 51234.00 39065.00
7.	13739134	11.07.19	"	पिन्नू ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	50657.00 48463.00 96593.00
8.	13739146	15.10.19	"	सचिन इंटरप्राइज	43000.00
9.	13739138	15.10.19	"	यादव ट्रेडर्स	38740.00

10.	13739120	04.12.19 04.12.19 08.01.20	“	एशिया ट्रेडर्स पिन्नू ट्रेडर्स आर्तिका ट्रेडर्स	121870.00 46404.00 35971.00
11.	19889050	08.01.20 23.01.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल पिन्नू ट्रेडर्स	170912.00 25755.00
12.	19889052	08.01.20 23.01.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल पिन्नू ट्रेडर्स	173612.00 26299.00
13.	13739117	04.03.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल आर्तिका ट्रेडर्स	42930.00 25627.00
14.	13739141	05.03.20	“	अनामिका ट्रेडर्स आर्तिका ट्रेडर्स	121492.00 47785.00
15.	19889054	20.03.20	“	ए0आर0इंटेरप्राइज	28662.00
16.	21175805	21.03.20	“	यादव ट्रेडर्स	30082.00
				योग	1732734.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	17000.00 10073.00
2.	13739144	13.06.19 15.10.19		ग्राम प्रधान	52064.00 14924.00
3.	13739121	01.07.19	“	ग्राम प्रधान	20930.00
4.	13739130	01.07.19	“	ग्राम प्रधान	88547.00
5.	13739136	15.10.19 04.02.20 04.02.20 04.03.20	“	महेश कुमार मदन बहादुर सिंह	1800.00 3584.00 2856.00 10010.00
6.	13739133	10.07.19	“	ग्राम प्रधान	26180.00
7.	13739134	11.07.19	“	ग्राम प्रधान	42808.00
9.	13739138	01.11.19 04.11.19 08.01.20	“	मदन बहादुर सिंह	9000.00 9000.00 9000.00
10.	13739120	26.12.19 08.01.20	“	मदन बहादुर सिंह	17248.00 21448.00

11.	19889050	23.01.20 14.02.20 04.03.20	“	मदन बहादुर सिंह	19992.00 22442.00 3402.00
12.	19889052	04.03.20	“	मदन बहादुर सिंह	24990.00
15.	19889054	26.03.20	“	मदन बहादुर सिंह	6272.00
16.	21175805	26.03.20	“	मदन बहादुर सिंह	9100.00
				योग	442670.00

उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण,मानक शासनादेश,विभागीय परिपत्र,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है । इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

30प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । ग्राम पंचायत ढेढ़ेमऊ की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु02175404.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं -

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19 24.05.19	सामग्री क्रय “ “	यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स	19985.00 17875.00 13785.00
2.	13739137	29.06.19 15.10.19	“ “	यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स	15500.00 18530.00
3.	13739121	01.07.19 01.07.19	“ “	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स	75164.00 31255.00
4.	13739130	01.07.19	“	एशिया ट्रेडर्स	128232.00
5.	13739136	10.07.19 10.07.19 04.02.20 04.02.20 17.03.20	“ “ “ “ “	सेवा इलेक्ट्रानिक्स स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल एम0एस0ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स मो 0 खालिद	3950.00 400.00 10120.00 11900.00 2165.00
6.	13739133	10.07.19	“	अनामिका ट्रेडर्स पिन्नू ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स	118720.00 51234.00 39065.00

7.	13739134	11.07.19	“	पिन्नु ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	50657.00 48463.00 96593.00
8.	13739146	15.10.19	“	सचिन इंटेरप्राइज	43000.00
9.	13739138	15.10.19	“	यादव ट्रेडर्स	38740.00
10.	13739120	04.12.19 04.12.19 08.01.20	“	एशिया ट्रेडर्स पिन्नु ट्रेडर्स आर्तिका ट्रेडर्स	121870.00 46404.00 35971.00
11.	19889050	08.01.20 23.01.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल पिन्नु ट्रेडर्स	170912.00 25755.00
12.	19889052	08.01.20 23.01.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल पिन्नु ट्रेडर्स	173612.00 26299.00
13.	13739117	04.03.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल आर्तिका ट्रेडर्स	42930.00 25627.00
14.	13739141	05.03.20	“	अनामिका ट्रेडर्स आर्तिका ट्रेडर्स	121492.00 47785.00
15.	19889054	20.03.20	“	ए0आर0इंटेरप्राइज	28662.00
16.	21175805	21.03.20	“	यादव ट्रेडर्स	30082.00
				योग	1732734.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	17000.00 10073.00
2.	13739144	13.06.19 15.10.19		ग्राम प्रधान	52064.00 14924.00
3.	13739121	01.07.19	“	ग्राम प्रधान	20930.00
4.	13739130	01.07.19	“	ग्राम प्रधान	88547.00
5.	13739136	15.10.19 04.02.20 04.02.20 04.03.20	“	महेश कुमार मदन बहादुर सिंह	1800.00 3584.00 2856.00 10010.00

6.	13739133	10.07.19	"	ग्राम प्रधान	26180.00
7.	13739134	11.07.19	"	ग्राम प्रधान	42808.00
9.	13739138	01.11.19 04.11.19 08.01.20	"	मदन बहादुर सिंह	9000.00 9000.00 9000.00
10.	13739120	26.12.19 08.01.20	"	मदन बहादुर सिंह	17248.00 21448.00
11.	19889050	23.01.20 14.02.20 04.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	19992.00 22442.00 3402.00
12.	19889052	04.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	24990.00
15.	19889054	26.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	6272.00
16.	21175805	26.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	9100.00
				योग	442670.00

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत देहमऊ की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु0 442670.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19	मजदूरी "	ग्राम प्रधान	17000.00 10073.00
2.	13739144	13.06.19 15.10.19		ग्राम प्रधान	52064.00 14924.00
3.	13739121	01.07.19	"	ग्राम प्रधान	20930.00
4.	13739130	01.07.19	"	ग्राम प्रधान	88547.00
5.	13739136	15.10.19 04.02.20 04.02.20 04.03.20	"	महेश कुमार मदन बहादुर सिंह	1800.00 3584.00 2856.00 10010.00
6.	13739133	10.07.19	"	ग्राम प्रधान	26180.00
7.	13739134	11.07.19	"	ग्राम प्रधान	42808.00

9.	13739138	01.11.19 04.11.19 08.01.20	"	मदन बहादुर सिंह	9000.00 9000.00 9000.00
10.	13739120	26.12.19 08.01.20	"	मदन बहादुर सिंह	17248.00 21448.00
11.	19889050	23.01.20 14.02.20 04.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	19992.00 22442.00 3402.00
12.	19889052	04.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	24990.00
15.	19889054	26.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	6272.00
16.	21175805	26.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	9100.00
				योग	442670.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु0 **442670.00** मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए। परंतु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका। उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखा परीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

ग्राम पंचायत ढेढ़ेमऊ की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी / सामग्री हेतु कुल रु0 2175404.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19 24.05.19	सामग्री क्रय " "	यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स	19985.00 17875.00 13785.00
2.	13739137	29.06.19 15.10.19	" "	यादव ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स	15500.00 18530.00
3.	13739121	01.07.19 01.07.19	" "	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स	75164.00 31255.00
4.	13739130	01.07.19	"	एशिया ट्रेडर्स	128232.00

5.	13739136	10.07.19 10.07.19 04.02.20 04.02.20 17.03.20	“ “ “ “ “	सेवा इलेक्ट्रानिक्स स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल एम0एस0ट्रेडर्स यादव ट्रेडर्स मो 0 खालिद	3950.00 400.00 10120.00 11900.00 2165.00
6.	13739133	10.07.19	“	अनामिका ट्रेडर्स पिन्नु ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स	118720.00 51234.00 39065.00
7.	13739134	11.07.19	“	पिन्नु ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	50657.00 48463.00 96593.00
8.	13739146	15.10.19	“	सचिन इंटरप्राइज	43000.00
9.	13739138	15.10.19	“	यादव ट्रेडर्स	38740.00
10.	13739120	04.12.19 04.12.19 08.01.20	“	एशिया ट्रेडर्स पिन्नु ट्रेडर्स आर्तिका ट्रेडर्स	121870.00 46404.00 35971.00
11.	19889050	08.01.20 23.01.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल पिन्नु ट्रेडर्स	170912.00 25755.00
12.	19889052	08.01.20 23.01.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल पिन्नु ट्रेडर्स	173612.00 26299.00
13.	13739117	04.03.20	“	स्वास्तिक टाइल्स एण्ड मार्बल आर्तिका ट्रेडर्स	42930.00 25627.00
14.	13739141	05.03.20	“	अनामिका ट्रेडर्स आर्तिका ट्रेडर्स	121492.00 47785.00
15.	19889054	20.03.20	“	ए0आर0इंटरप्राइज	28662.00
16.	21175805	21.03.20	“	यादव ट्रेडर्स	30082.00
				योग	1732734.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13739153	22.04.19 24.05.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	17000.00 10073.00

2.	13739144	13.06.19 15.10.19		ग्राम प्रधान	52064.00 14924.00
3.	13739121	01.07.19	"	ग्राम प्रधान	20930.00
4.	13739130	01.07.19	"	ग्राम प्रधान	88547.00
5.	13739136	15.10.19 04.02.20 04.02.20 04.03.20	"	महेश कुमार मदन बहादुर सिंह	1800.00 3584.00 2856.00 10010.00
6.	13739133	10.07.19	"	ग्राम प्रधान	26180.00
7.	13739134	11.07.19	"	ग्राम प्रधान	42808.00
9.	13739138	01.11.19 04.11.19 08.01.20	"	मदन बहादुर सिंह	9000.00 9000.00 9000.00
10.	13739120	26.12.19 08.01.20	"	मदन बहादुर सिंह	17248.00 21448.00
11.	19889050	23.01.20 14.02.20 04.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	19992.00 22442.00 3402.00
12.	19889052	04.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	24990.00
15.	19889054	26.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	6272.00
16.	21175805	26.03.20	"	मदन बहादुर सिंह	9100.00
				योग	442670.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2175404.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 1087702.00 और पंचायत सचिव रु01087702.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - हरिहरपुर, विकास खंड -मलिहाबाद जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-09

ग्राम पंचायत हरिहरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु०1332416.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹01111983.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत हरिहरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल ₹0 1332416.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र० स०	कार्य आई०डी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (₹0)
1	13501715	09.04.19	सामग्री क्रय	अंश इन्टरप्राइजेज	25000.00
2	13501674	22.05.19 28.12.19	सामग्री क्रय	पवन ट्रेडर्स पवन ट्रेडर्स	18770.00 54000.00
3	13501682	23.10.19 24.10.19 24.10.19	सामग्री क्रय	अनामिका ट्रेडर्स मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट	146649.00 9077.00 46996.00
4.	13501678	24.10.19 24.10.19 24.10.19	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट विमला इंडस्ट्रीज	31946.00 59811.00 85760.00
5.	17389589	05.01.20 05.01.20 31.01.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट विमला इंडस्ट्रीज	27566.00 51352.00 66367.00
6.	13501681	13.02.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट	7999.00
7.	17389594	13.02.20 13.02.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट मिश्रा ब्रिक फील्ड	81314.00 63451.00
8.	17389592	13.02.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड	155570.00
9.	17389597	13.02.20 13.02.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट	40411.00 13613.00
10.	21026279	08.03.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट	126331.00
				योग	1111983.00

उक्त कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक शासनादेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशों इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून

2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13501715	09.04.19	सामग्री क्रय	अंश इन्टरप्राइजेज	25000.00
2.	13501674	22.05.19 28.12.19	सामग्री क्रय	पवन ट्रेडर्स पवन ट्रेडर्स	18770.00 54000.00
3.	13501682	23.10.19 24.10.19 24.10.19	सामग्री क्रय	अनामिका ट्रेडर्स मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट	146649.00 9077.00 46996.00
4.	13501678	24.10.19 24.10.19 24.10.19	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट विमला इंडस्ट्रीज	31946.00 59811.00 85760.00
5.	17389589	05.01.20 05.01.20 31.01.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट विमला इंडस्ट्रीज	27566.00 51352.00 66367.00
6.	13501681	13.02.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट	7999.00
7.	17389594	13.02.20 13.02.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट मिश्रा ब्रिक फील्ड	81314.00 63451.00
8.	17389592	13.02.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड	155570.00
9.	17389597	13.02.20 13.02.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट	40411.00 13613.00
10.	21026279	08.03.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट	126331.00
				योग	1111983.00
क्र0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13501715	09.04.19	मजदूरी	मो0खालिद	7645.00

2.	13501674	09.04.19 05.01.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	8500.00 20000.00
3.	13501682	24.10.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	42620.00
4.	13501678	24.10.19	मजदूरी	उमा देवी	40758.00
5.	17389589	05.01.20	मजदूरी	उमा देवी	34860.00
6.	13501681	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	1000.00
7.	17389594	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	11000.00
9.	17389592	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16200.00
10.	17389597	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	8950.00
11.	21026279	08.03.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	28900.00
				योग	220433.00

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत हरिहरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु0 220433.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13501715	09.04.19	मजदूरी	मो0खालिद	7645.00
2.	13501674	09.04.19 05.01.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	8500.00 20000.00
3.	13501682	24.10.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	42620.00
4.	13501678	24.10.19	मजदूरी	उमा देवी	40758.00
5.	17389589	05.01.20	मजदूरी	उमा देवी	34860.00
6.	13501681	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	1000.00
7.	17389594	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	11000.00
9.	17389592	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16200.00
10.	17389597	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	8950.00
11.	21026279	08.03.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	28900.00
				योग	220433.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु0 220433.00 मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए। परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका। उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6)कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही-

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नही हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत हरिहरपुर की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1332416.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13501715	09.04.19	सामग्री क्रय	अंश इन्टरप्राइजेज	25000.00
2.	13501674	22.05.19 28.12.19	सामग्री क्रय	पवन ट्रेडर्स पवन ट्रेडर्स	18770.00 54000.00
3.	13501682	23.10.19 24.10.19 24.10.19	सामग्री क्रय	अनामिका ट्रेडर्स मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट	146649.00 9077.00 46996.00
4.	13501678	24.10.19 24.10.19 24.10.19	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट विमला इंडस्ट्रीज	31946.00 59811.00 85760.00
5.	17389589	05.01.20 05.01.20 31.01.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट विमला इंडस्ट्रीज	27566.00 51352.00 66367.00
6.	13501681	13.02.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट	7999.00
7.	17389594	13.02.20 13.02.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट मिश्रा ब्रिक फील्ड	81314.00 63451.00
8.	17389592	13.02.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड	155570.00
9.	17389597	13.02.20 13.02.20	सामग्री क्रय	मिश्रा ब्रिक फील्ड शक्ति एसोशिएट	40411.00 13613.00
10.	21026279	08.03.20	सामग्री क्रय	शक्ति एसोशिएट	126331.00
				योग	1111983.00
क्र0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13501715	09.04.19	मजदूरी	मो0खालिद	7645.00

2.	13501674	09.04.19 05.01.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	8500.00 20000.00
3.	13501682	24.10.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	42620.00
4.	13501678	24.10.19	मजदूरी	उमा देवी	40758.00
5.	17389589	05.01.20	मजदूरी	उमा देवी	34860.00
6.	13501681	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	1000.00
7.	17389594	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	11000.00
9.	17389592	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16200.00
10.	17389597	13.02.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	8950.00
11.	21026279	08.03.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान	28900.00
				योग	220433.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई मूल व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1332416.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 666208.00 और पंचायत सचिव रु0 666208.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -दौलतपुर, विकास खंड -मलिहाबाद, जनपद -लखनऊ

वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत दौलतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु01431663.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु01066283.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत दौलतपुर की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1431663.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	19.02.20	सामग्री क्रय	मो0खालिद	10000.00
2.	13628210	28.07.19 30.07.19 27.09.19	" " "	नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर एवन ट्रेडर्स एवन ट्रेडर्स	46208.00 108670.00 20500.00

3.	17423611	28.07.19	“	अवधेश इंटेरप्राइज	83254.00
		28.07.19	“	एवन ट्रेडर्स	72119.00
4.	13628182	30.07.19	“	अवधेश इंटेरप्राइज	43747.00
		19.02.20		नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर	25168.00
5.	13628189	02.12.19	“	कुशवाहा ट्रेडर्स	190500.00
6.	17423609	18.01.20	“	एवन ट्रेडर्स	58994.00
		18.01.20		एवन ट्रेडर्स	42381.00
		18.01.20		अवधेश इंटेरप्राइज	39900.00
		11.02.20		एवन ट्रेडर्स	9113.00
		11.02.20		अवधेश इंटेरप्राइज	3926.00
7.	13628216	22.01.20	“	राजधानी एसोसिएट	149800.00
8.	13485047	19.02.20	“	एवन ट्रेडर्स	84587.00
9.	20683986	16.03.20	“	एवन ट्रेडर्स	77416.00
				योग	1066283.00
क्र0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	16.04.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	34700.00
2.	13628206	20.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	71300.00
		22.01.20		सुलेमान बेग	25480.00
3.	13628210	28.07.09	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16000.00
		19.07.19			2000.00
3.	17423611	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	90500.00
4.	17423610	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	65200.00
5.	13628182	19.02.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	14000.00
6.	20683986	16.03.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	46200.00
				योग	365380.00

उक्त कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक शासनादेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है । इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

30प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	19.02.20	सामग्री क्रय	मो0खालिद	10000.00
2.	13628210	28.07.19	“	नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर	46208.00
		30.07.19	“	एवन ट्रेडर्स	108670.00

		27.09.19		एवन ट्रेडर्स	20500.00
3.	17423611	28.07.19	“	अवधेश इंटरप्राइज	83254.00
		28.07.19	“	एवन ट्रेडर्स	72119.00
4.	13628182	30.07.19	“	अवधेश इंटरप्राइज	43747.00
		19.02.20		नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर	25168.00
5.	13628189	02.12.19	“	कुशवाहा ट्रेडर्स	190500.00
6.	17423609	18.01.20	“	एवन ट्रेडर्स	58994.00
		18.01.20		एवन ट्रेडर्स	42381.00
		18.01.20		अवधेश इंटरप्राइज	39900.00
		11.02.20		एवन ट्रेडर्स	9113.00
		11.02.20		अवधेश इंटरप्राइज	3926.00
7.	13628216	22.01.20	“	राजधानी एसोसिएट	149800.00
8.	13485047	19.02.20	“	एवन ट्रेडर्स	84587.00
9.	20683986	16.03.20	“	एवन ट्रेडर्स	77416.00
				योग	1066283.00

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत दौलतपुर की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु0 365380.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	16.04.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	34700.00
2.	13628206	20.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	71300.00
		22.01.20		सुलेमान बेग	25480.00
3.	13628210	28.07.09	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16000.00
		19.07.19			2000.00
3.	17423611	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	90500.00
4.	17423610	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	65200.00
5.	13628182	19.02.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	14000.00
6.	20683986	16.03.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	46200.00
				योग	365380.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु0 365380.00 मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए। परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका। उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	19.02.20	सामग्री क्रय	मो0खातिद	10000.00

2.	13628210	28.07.19 30.07.19 27.09.19	“ “ “	नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर एवन ट्रेडर्स एवन ट्रेडर्स	46208.00 108670.00 20500.00
3.	17423611	28.07.19 28.07.19	“ “	अवधेश इंटेरप्राइज एवन ट्रेडर्स	83254.00 72119.00
4.	13628182	30.07.19 19.02.20	“	अवधेश इंटेरप्राइज नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर	43747.00 25168.00
5.	13628189	02.12.19	“	कुशवाहा ट्रेडर्स	190500.00
6.	17423609	18.01.20 18.01.20 18.01.20 11.02.20 11.02.20	“ “ “ “ “	एवन ट्रेडर्स एवन ट्रेडर्स अवधेश इंटेरप्राइज एवन ट्रेडर्स अवधेश इंटेरप्राइज	58994.00 42381.00 39900.00 9113.00 3926.00
7.	13628216	22.01.20	“	राजधानी एसोसिएट	149800.00
8.	13485047	19.02.20	“	एवन ट्रेडर्स	84587.00
9.	20683986	16.03.20	“	एवन ट्रेडर्स	77416.00
				योग	1066283.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	16.04.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	34700.00
2.	13628206	20.07.19 22.01.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान सुलेमान बेग	71300.00 25480.00
3.	13628210	28.07.09 19.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16000.00 2000.00
3.	17423611	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	90500.00
4.	17423610	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	65200.00
5.	13628182	19.02.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	14000.00
6.	20683986	16.03.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	46200.00
				योग	365380.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत दौलतपुर की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी / सामग्री हेतु कुल रु0 1431663.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं -

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	13628204	19.02.20	सामग्री क्रय	मो0खालिद	10000.00
2.	13628210	28.07.19	“	नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर	46208.00

		30.07.19 27.09.19	“	एवन ट्रेडर्स एवन ट्रेडर्स	108670.00 20500.00
3.	17423611	28.07.19 28.07.19	“ “	अवधेश इंटरप्राइज एवन ट्रेडर्स	83254.00 72119.00
4.	13628182	30.07.19 19.02.20	“	अवधेश इंटरप्राइज नेशनलएग्रीकल्चरस्टोर	43747.00 25168.00
5.	13628189	02.12.19	“	कुशवाहा ट्रेडर्स	190500.00
6.	17423609	18.01.20 18.01.20 18.01.20 11.02.20 11.02.20	“	एवन ट्रेडर्स एवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	58994.00 42381.00 39900.00 9113.00 3926.00
7.	13628216	22.01.20	“	राजधानी एसोसिएट	149800.00
8.	13485047	19.02.20	“	एवन ट्रेडर्स	84587.00
9.	20683986	16.03.20	“	एवन ट्रेडर्स	77416.00
				योग	1066283.00
क्र०स०	कार्य आई०डी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	13628204	16.04.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	34700.00
2.	13628206	20.07.19 22.01.20	मजदूरी	ग्राम प्रधान सुलेमान बेग	71300.00 25480.00
3.	13628210	28.07.09 19.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	16000.00 2000.00
3.	17423611	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	90500.00
4.	17423610	28.07.19	मजदूरी	ग्राम प्रधान	65200.00
5.	13628182	19.02.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	14000.00
6.	20683986	16.03.20	मजदूरी	सुलेमान बेग	46200.00
				योग	365380.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु०1431663.00 में से ग्राम प्रधान से रु०715831.50 और पंचायत सचिव रु०715831.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - सरावा, विकास खंड -मलिहाबाद, जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत सरावा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु०2803646.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के

अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹2711913.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत सरावाकी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल ₹0 2803646.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र०स०	कार्य आईडी	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (₹0)
1.	12536534	02.04.19 02.04.19 02.04.19 02.04.19 02.04.19	सामग्री क्रय “ “ “ “	एम०एस० ट्रेडर्स एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	32840.00 35003.00 55118.00 48540.00 51800.00
2.	8564935	03.04.19 03.04.19 03.04.19 03.04.19	“ “ “ “	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	15187.00 19156.00 83800.00 12425.00
3.	8564891	04.04.19 04.04.19 04.04.19 04.04.19	“ “ “ “	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	29116.00 37031.00 83800.00 20475.00
4.	12536538	05.04.19 05.04.19 05.04.19	“ “ “	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	41281.00 47419.00 21175.00
5.	8564956	06.04.19 06.04.19 06.04.19	“ “ “	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	40692.00 33760.00 17325.00
6.	12536539	07.06.19	“	एम०एस० ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	46075.00 14000.00
7.	8564911	08.06.19	“	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	33757.00 14791.00 9800.00
8.	8564880	09.06.19	“	एम०एस० ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	65689.00 12050.00
9.	13687927	11.07.19	“	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	15274.00 16444.00 50550.00 8918.00
10.	13687937	12.07.19	“	एम०एस० ट्रेडर्स	123847.00

				अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	
11.	13687926	13.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	24151.00 20847.00 62998.00 14014.00
12.	13687928	14.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	6792.00 14256.00
13.	13687934	15.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	56748.00 45715.00 24206.00
14.	13687943	16.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	84976.00 39302.00 20930.00
15.	13687946	17.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	29509.00 19389.00 1102.00
16.	13687923	18.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एशिया ट्रेडर्स	49113.00 53714.00 20930.00 2481.00
17.	13687925	18.07.19		एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	16940.00 3822.00
18.	13687922	21.07.19		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एम0एस0ट्रेडर्स	195340.00
19.	13687939	23.03.20		अवधेश इंटरप्राइज	18000.00
20.	13687933	31.07.19		एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	95648.00
21.	20737433	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	39811.00 87942.00
22.	20737427	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	23307.00 46327.00
23.	20988285	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	40529.00 73585.00
24.	207374525	07.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	43873.00 141243.00
25	20737422	23.03.20		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	34690.00 43200.00 54100.00 25245.00
				योग	2711913.00

क्र०स०	कार्य आई०डी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	8564956	07.04.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	23805.00
2.	13687939	25.07.19		ग्राम प्रधान	14500.00
3.	20737433	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	13286.00
4.	20737427	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	9646.00
5.	20988285	06.03.20	“	ग्राम प्रधान	11830.00
6.	20737425	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	14014.00
7.	8564911	08.06.19		ग्राम प्रधान	4652.00
				योग	91733.00

उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक शासनादेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है । इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

30प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	कार्य आई०डी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	12536534	02.04.19 02.04.19 02.04.19 02.04.19 02.04.19	सामग्री क्रय “ “	एम०एस० ट्रेडर्स एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	32840.00 35003.00 55118.00 48540.00 51800.00
2.	8564935	03.04.19 03.04.19 03.04.19 03.04.19	“ “	एम०एस० ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटेरप्राइज	15187.00 19156.00 83800.00 12425.00
3.	8564891	04.04.19 04.04.19 04.04.19 04.04.19	“ “	एम०एस०ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटेरप्राइज	29116.00 37031.00 83800.00 20475.00
4.	12536538	05.04.19 05.04.19 05.04.19	“	एम०एस०ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटेरप्राइज	41281.00 47419.00 21175.00
5.	8564956	06.04.19 06.04.19 06.04.19	“	एम०एस०ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटेरप्राइज	40692.00 33760.00 17325.00
6.	12536539	07.06.19	“	एम०एस०ट्रेडर्स	46075.00

				અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	14000.00
7.	8564911	08.06.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	33757.00 14791.00 9800.00
8.	8564880	09.06.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	65689.00 12050.00
9.	13687927	11.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	15274.00 16444.00 50550.00 8918.00
10.	13687937	12.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	123847.00
11.	13687926	13.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	24151.00 20847.00 62998.00 14014.00
12.	13687928	14.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	6792.00 14256.00
13.	13687934	15.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	56748.00 45715.00 24206.00
14.	13687943	16.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	84976.00 39302.00 20930.00
15.	13687946	17.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	29509.00 19389.00 1102.00
16.	13687923	18.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ एशिया ट्रेडर्स	49113.00 53714.00 20930.00 2481.00
17.	13687925	18.07.19		एशिया ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	16940.00 3822.00
18.	13687922	21.07.19		पवन ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ एम0एस0ट्रेडर्स	195340.00
19.	13687939	23.03.20		અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	18000.00
20.	13687933	31.07.19		एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स અવધેશ ઇંટેરપ્રાઇઝ	95648.00
21.	20737433	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	39811.00 87942.00

22.	20737427	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	23307.00 46327.00
23.	20988285	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	40529.00 73585.00
24.	207374525	07.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	43873.00 141243.00
25	20737422	23.03.20		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	34690.00 43200.00 54100.00 25245.00
				योग	2711913.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	8564956	07.04.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	23805.00
2.	13687939	25.07.19		ग्राम प्रधान	14500.00
3.	20737433	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	13286.00
4.	20737427	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	9646.00
5.	20988285	06.03.20	“	ग्राम प्रधान	11830.00
6.	20737425	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	14014.00
7.	8564911	08.06.19		ग्राम प्रधान	4652.00
				योग	91733.00

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत सरावा की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु0 91733.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	8564956	07.04.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	23805.00
2.	13687939	25.07.19		ग्राम प्रधान	14500.00
3.	20737433	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	13286.00
4.	20737427	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	9646.00
5.	20988285	06.03.20	“	ग्राम प्रधान	11830.00
6.	20737425	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	14014.00
7.	8564911	08.06.19		ग्राम प्रधान	4652.00
				योग	91733.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु0 365380.00 मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए। परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका। उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6)कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही-

ग्राम पंचायत सरावा की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 2803646.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं -

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	12536534	02.04.19	सामग्री क्रय	एम0एस0 ट्रेडर्स	32840.00
		02.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	35003.00
		02.04.19	"	अनंत ट्रेडर्स	55118.00
		02.04.19		अनंत ट्रेडर्स	48540.00
		02.04.19		अनामिका ट्रेडर्स	51800.00
2.	8564935	03.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	15187.00
		03.04.19	"	अनंत ट्रेडर्स	19156.00
		03.04.19		अनामिका ट्रेडर्स	83800.00
		03.04.19		अवधेश इंटेरप्राइज	12425.00
3.	8564891	04.04.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	29116.00
		04.04.19	"	अनंत ट्रेडर्स	37031.00
		04.04.19		अनामिका ट्रेडर्स	83800.00
		04.04.19		अवधेश इंटेरप्राइज	20475.00
4.	12536538	05.04.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	41281.00
		05.04.19		अनंत ट्रेडर्स	47419.00
		05.04.19		अवधेश इंटेरप्राइज	21175.00
5.	8564956	06.04.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	40692.00
		06.04.19		अनंत ट्रेडर्स	33760.00
		06.04.19		अवधेश इंटेरप्राइज	17325.00
6.	12536539	07.06.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	46075.00
				अवधेश इंटेरप्राइज	14000.00
7.	8564911	08.06.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	33757.00
				अनंत ट्रेडर्स	14791.00
				अवधेश इंटेरप्राइज	9800.00
8.	8564880	09.06.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	65689.00
				अवधेश इंटेरप्राइज	12050.00
9.	13687927	11.07.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	15274.00
				अनंत ट्रेडर्स	16444.00
				अनामिका ट्रेडर्स	50550.00
				अवधेश इंटेरप्राइज	8918.00
10.	13687937	12.07.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	123847.00
				अनंत ट्रेडर्स	
				अनामिका ट्रेडर्स	
				अवधेश इंटेरप्राइज	
11.	13687926	13.07.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	24151.00
				अनंत ट्रेडर्स	20847.00
				अनामिका ट्रेडर्स	62998.00
				अवधेश इंटेरप्राइज	14014.00
12.	13687928	14.07.19	"	एम0एस0ट्रेडर्स	6792.00
				अनामिका ट्रेडर्स	14256.00

13.	13687934	15.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	56748.00 45715.00 24206.00
14.	13687943	16.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	84976.00 39302.00 20930.00
15.	13687946	17.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	29509.00 19389.00 1102.00
16.	13687923	18.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एशिया ट्रेडर्स	49113.00 53714.00 20930.00 2481.00
17.	13687925	18.07.19		एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	16940.00 3822.00
18.	13687922	21.07.19		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एम0एस0ट्रेडर्स	195340.00
19.	13687939	23.03.20		अवधेश इंटरप्राइज	18000.00
20.	13687933	31.07.19		एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	95648.00
21.	20737433	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	39811.00 87942.00
22.	20737427	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	23307.00 46327.00
23.	20988285	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	40529.00 73585.00
24.	207374525	07.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	43873.00 141243.00
25	20737422	23.03.20		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	34690.00 43200.00 54100.00 25245.00
				योग	2711913.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	8564956	07.04.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	23805.00
2.	13687939	25.07.19		ग्राम प्रधान	14500.00
3.	20737433	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	13286.00
4.	20737427	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	9646.00
5.	20988285	06.03.20	“	ग्राम प्रधान	11830.00
6.	20737425	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	14014.00

7.	8564911	08.06.19		ग्राम प्रधान	4652.00
				योग	91733.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत सरावा की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी / सामग्री हेतु कुल रु0 2803646.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं -

क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	12536534	02.04.19	सामग्री क्रय	एम0एस0 ट्रेडर्स	32840.00
		02.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	35003.00
		02.04.19	"	अनंत ट्रेडर्स	55118.00
		02.04.19		अनंत ट्रेडर्स	48540.00
		02.04.19		अनामिका ट्रेडर्स	51800.00
2.	8564935	03.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	15187.00
		03.04.19	"	अनंत ट्रेडर्स	19156.00
		03.04.19		अनामिका ट्रेडर्स	83800.00
		03.04.19		अवधेश इंटरप्राइज	12425.00
3.	8564891	04.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	29116.00
		04.04.19	"	अनंत ट्रेडर्स	37031.00
		04.04.19		अनामिका ट्रेडर्स	83800.00
		04.04.19		अवधेश इंटरप्राइज	20475.00
4.	12536538	05.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	41281.00
		05.04.19		अनंत ट्रेडर्स	47419.00
		05.04.19		अवधेश इंटरप्राइज	21175.00
5.	8564956	06.04.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	40692.00
		06.04.19		अनंत ट्रेडर्स	33760.00
		06.04.19		अवधेश इंटरप्राइज	17325.00
6.	12536539	07.06.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	46075.00
				अवधेश इंटरप्राइज	14000.00
7.	8564911	08.06.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	33757.00
				अनंत ट्रेडर्स	14791.00
				अवधेश इंटरप्राइज	9800.00
8.	8564880	09.06.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	65689.00
				अवधेश इंटरप्राइज	12050.00
9.	13687927	11.07.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	15274.00
				अनंत ट्रेडर्स	16444.00
				अनामिका ट्रेडर्स	50550.00
				अवधेश इंटरप्राइज	8918.00
10.	13687937	12.07.19	"	एम0एस0 ट्रेडर्स	123847.00
				अनंत ट्रेडर्स	

				अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	
11.	13687926	13.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	24151.00 20847.00 62998.00 14014.00
12.	13687928	14.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	6792.00 14256.00
13.	13687934	15.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स अनंत ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	56748.00 45715.00 24206.00
14.	13687943	16.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	84976.00 39302.00 20930.00
15.	13687946	17.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	29509.00 19389.00 1102.00
16.	13687923	18.07.19	“	एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एशिया ट्रेडर्स	49113.00 53714.00 20930.00 2481.00
17.	13687925	18.07.19		एशिया ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	16940.00 3822.00
18.	13687922	21.07.19		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज एम0एस0ट्रेडर्स	195340.00
19.	13687939	23.03.20		अवधेश इंटरप्राइज	18000.00
20.	13687933	31.07.19		एम0एस0ट्रेडर्स एशिया ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	95648.00
21.	20737433	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	39811.00 87942.00
22.	20737427	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	23307.00 46327.00
23.	20988285	06.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	40529.00 73585.00
24.	207374525	07.03.20		एम0एस0ट्रेडर्स अनामिका ट्रेडर्स	43873.00 141243.00
25	20737422	23.03.20		पवन ट्रेडर्स अवधेश इंटरप्राइज	34690.00 43200.00 54100.00 25245.00
				योग	2711913.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)

1.	8564956	07.04.19	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	23805.00
2.	13687939	25.07.19		ग्राम प्रधान	14500.00
3.	20737433	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	13286.00
4.	20737427	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	9646.00
5.	20988285	06.03.20	“	ग्राम प्रधान	11830.00
6.	20737425	07.03.20	“	ग्राम प्रधान	14014.00
7.	8564911	08.06.19		ग्राम प्रधान	4652.00
				योग	91733.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2803646.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 1401823.00 और पंचायत सचिव रु0 1401823.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - जौरिया, विकास खंड -मलिहाबाद जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत जौरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः रु० 1412703.00 व 1249061.00 विकास एवं अन्य कार्य पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है ।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए । वर्ष 2018-19 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1160255.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।वर्ष 2019-20 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1031466.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(3) शासनादेश का उल्लंघन कर वर्ष 2019-20 में हैंडपंप मरम्मत /रिबोर कराना -

ग्राम पंचायत जौरिया के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर रु0 291303.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र0स0	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	13615117	धनी इंटर प्राईजेज	09.05.19	36540
		मजदूरी	09.05.19	5000
		मजदूरी	09.05.19	7000
		धनी इंटरप्राईजेज	03.08.19	34523
		धनी इंटर प्राईजेज	01.10.19	42565
		मजदूरी	01.10.19	7000
2	13615116	धनी इंटर प्राईजेज	30.03.20	97240
		मजदूरी रमादेवी	30.03.20	61435
	योग			291303

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती । शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(4) शासनादेश का उल्लंघन कर वर्ष 2018-19 में हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर कराना -

ग्राम पंचायत जौरिया के वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा में पाया गया की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर रु0 308276.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र0स0	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	8839373	धनी इंटरप्राईजेज	28.08.18	36478
		धनी इंटरप्राईजेज	28.08.18	25936
		मजदूरी	28.08.18	9500
		मजदूरी	01.09.18	6500
		मजदूरी	26.09.18	10000
		धनी इंटरप्राईजेज	19.02.19	33742
		मजदूरी	15.03.19	3000
		मजदूरी	15.03.19	15750
		मजदूरी	28.08.18	270
		मजदूरी	19.02.19	5200
2	8839352	धनी इंटरप्राईजेज	31.10.18	61140
		मजदूरी	31.10.18	36000
		धनी इंटरप्राईजेज	12.12.18	40760
		मजदूरी	17.12.18	24000
	योग			308276

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती । शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं

करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

वर्ष 2018-19 व 2019-20 में करवाए गए कार्यों से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6)वित्तीय वर्ष 2018-19 में माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 1412703.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैण्डपंप मरम्मत	8839373	धनी इंटरप्राईजेज	28.08.18	36478
			धनी इंटरप्राईजेज	28.08.18	25936
			मजदूरी	28.08.18	9500
			मजदूरी	01.09.18	6500
			मजदूरी	26.09.18	10000
			धनी इंटरप्राईजेज	19.02.19	33742
			मजदूरी	15.03.19	3000
			मजदूरी	15.03.19	15750
			मजदूरी	28.08.18	270
			मजदूरी	19.02.19	5200
02	हैण्डपंप मरम्मत	8839352	धनी इंटरप्राईजेज	31.10.18	61140
			मजदूरी	31.10.18	36000
			धनी इंटरप्राईजेज	12.12.18	40760
			मजदूरी	17.12.18	24000
03	स्ट्रीट लाईट	8839363	लुमिनज	02.09.18	97834
04	प्रा०वि०में इंटरलॉकिंग कार्य	8839350	लल्लन कोलडिपो	03.11.18	32354
			पारस ब्रिक फील्ड	03.11.18	31674
			साक्षी इंटरप्राईजेज	03.11.18	131310
			मजदूरी	03.11.18	24015
05	डामर रोड से नेवाजी के घर तक खड़जा	8839359	साक्षी इंटरप्राईजेज	04.11.18	142822
			मजदूरी	04.11.18	25880
			पारस ब्रिक फील्ड	04.11.18	34966
			लल्लन कोलडिपो	04.11.18	34367
			मजदूरी	04.11.18	2000
06		8839354	मजदूरी	03.01.19	4375
			मजदूरी	03.01.19	30900

	कमलेश्वर के घर से रामगोपाल तक इंटरलॉकिंग		मजदूरी	03.01.19	4449
			पारस ब्रिक फील्ड	03.01.19	160549
07	प्रा0वि0में कक्षा से गेट तक इंटरलॉकिंग कार्य	12642607	देव इंटरप्राइजेज	29.01.19	74027
			धनी इंटरप्राइजेज	29.01.19	21431
			अमर ब्रिक फील्ड	29.01.19	20809
			मजदूरी	29.01.19	14725
08	खड़जा निर्माण	8839353	मजदूरी	30.01.19	31575
	रामगोपाल के घर से		पारस ब्रिक फील्ड	30.01.19	146465
	प्रीतम के घर तक		मजदूरी	30.01.19	4310
09	प्रशासनिक व्यय	8839374	डी पी आर ओ	18.07.18	3000
			न्यू नेशनल साईकिल	18.07.18	8500
			विनोद	18.07.18	8610
			आर आर एसोसिएट	18.07.18	1708
10	अज्ञात	8839375	प्रधान	06.08.18	11772
	योग				1412703

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) वित्तीय वर्ष 2019-20 में माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 1249061.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्डपंप मरम्मत	13615117	धनी इंटर प्राइजेज	09.05.19	36540
			मजदूरी	09.05.19	5000
			मजदूरी	09.05.19	7000
			धनी इंटरप्राइजेज	03.08.19	34523
			धनी इंटर प्राइजेज	01.10.19	42565
			मजदूरी	01.10.19	7000
02	हैन्डपंप मरम्मत	13615116	धनी इंटर प्राइजेज	30.03.20	97240
			मजदूरी रमादेवी	30.03.20	61435
03	प्रा0वि0में टाईल्स कार्य	13615113	साक्षी इंटरप्राइजेज	09.05.19	87000
			मजदूरी रमादेवी	09.05.19	11574
			मजदूरी रमादेवी	09.05.19	36260
			मजदूरी रमादेवी	18.10.19	11592
			लल्लान कोल डिपो	18.10.19	3818
			साक्षी इंटरप्राइजेज	18.10.19	13050
04		13615104	मजदूरी	19.07.19	27600

	इंटरलॉकिंग सादिक के घर से रोड तक		धनी इंटरप्राइजेज	19.07.19	28460
			साक्षी इंटरप्राइजेज	19.07.19	13870
			धनी इंटरप्राइजेज	19.07.19	27034
			पारस ब्रिक फील्ड	19.07.19	29347
			मजदूरी	28.07.19	15000
05	पूर्वी देवी मंदिर से सी सी रोड तक इंटरलॉकिंग	13615106	मजदूरी		1000
			मजदूरी		27650
			धनी इंटरप्राइजेज		31013
			देव इंटर प्राइजेज		111156
			पारस ब्रिक फील्ड		32232
			धनी इंटरप्राइजेज		5684
			धनी इंटरप्राइजेज		6393
			देव इंटर प्राइजेज		27606
			मजदूरी		2674
06	प्रा0वि0में मरम्मत व पुताई	13615119		19.07.19	142574
07	प्रशासनिक व्यय	13615719			49715
08	कार्य का नाम अंकित नहीं	17463078			215453
	योग				1249061

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8)मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। परन्तु मास्टरोल लेखा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(9)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 1412703.00 व्यय दर्शित है वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 1249061.00 व्यय दर्शित है इससे संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(10) वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 1349061.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्डपंप मरम्मत	13615117	धनी इंटर प्राइजेज	09.05.19	36540
			मजदूरी	09.05.19	5000
			मजदूरी	09.05.19	7000

			धनी इंटरप्राइजेज	03.08.19	34523
			धनी इंटर प्राइजेज	01.10.19	42565
			मजदूरी	01.10.19	7000
02	हैन्डपंप मरम्मत	13615116	धनी इंटर प्राइजेज	30.03.20	97240
			मजदूरी रमादेवी	30.03.20	61435
03	प्रा0वि0में टाईल्स कार्य	13615113	साक्षी इंटरप्राइजेज	09.05.19	87000
			मजदूरी रमादेवी	09.05.19	11574
			मजदूरी रमादेवी	09.05.19	36260
			मजदूरी रमादेवी	18.10.19	11592
			लल्लान कोल डिपो	18.10.19	3818
			साक्षी इंटरप्राइजेज	18.10.19	13050
04	इंटरलॉकिंग सादिक के घर से रोड तक	13615104	मजदूरी	19.07.19	27600
			धनी इंटरप्राइजेज	19.07.19	28460
			साक्षी इंटरप्राइजेज	19.07.19	13870
			धनी इंटरप्राइजेज	19.07.19	27034
			पारस ब्रिक फील्ड	19.07.19	29347
			मजदूरी	28.07.19	15000
05	पूर्वी देवी मंदिर से सी सी रोड तक इंटरलॉकिंग	13615106	मजदूरी		1000
			मजदूरी		27650
			धनी इंटरप्राइजेज		31013
			देव इंटर प्राइजेज		111156
			पारस ब्रिक फील्ड		32232
			धनी इंटरप्राइजेज		5686
			धनी इंटरप्राइजेज		6393
			देव इंटर प्राइजेज		27606
			मजदूरी		2674
06	प्रा0वि0में मरम्मत व पुताई	13615114		19.07.19	142575
07	प्रशासनिक व्यय	13615719			49715
08	कार्य का नाम अंकित नहीं	17463078			215453
	योग				1249061

क्रमांक 08 पर अंकित कार्य का नाम अंकित नहीं है लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0 1249061.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 624530.50 और पंचायत सचिव से रु0 624530.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(11) वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 1412703.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0स0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्डपंप मरम्मत	8839373	धनी इंटरप्राइजेज	28.08.18	36478
			धनी इंटरप्राइजेज	28.08.18	25936
			मजदूरी	28.08.18	9500

			मजदूरी	01.09.18	6500
			मजदूरी	26.09.18	10000
			धनी इंटरप्राइजेज	19.02.19	33742
			मजदूरी	15.03.19	3000
			मजदूरी	15.03.19	15750
			मजदूरी	28.08.18	270
			मजदूरी	19.02.19	5200
02	हैन्डपंप मरम्मत	8839352	धनी इंटरप्राइजेज	31.10.18	61140
			मजदूरी	31.10.18	36000
			धनी इंटरप्राइजेज	12.12.18	40760
			मजदूरी	17.12.18	24000
03	स्ट्रीट लाइट	8839363	लुमिनज	02.09.18	97834
04	प्रा0वि0में इंटरलॉकिंग कार्य	8839350	लल्लन कोलडिपो	03.11.18	32354
			पारस ब्रिक फील्ड	03.11.18	31674
			साक्षी इंटरप्राइजेज	03.11.18	131310
			मजदूरी	03.11.18	24015
05	डामर रोड से नेवाजी के घर तक खड़जा	8839359	साक्षी इंटरप्राइजेज	04.11.18	142822
			मजदूरी	04.11.18	25880
			पारस ब्रिक फील्ड	04.11.18	34966
			लल्लन कोलडिपो	04.11.18	34367
			मजदूरी	04.11.18	2000
06	कमलेश्वर के घर से रामगोपाल तक इंटरलॉकिंग	8839354	मजदूरी	03.01.19	4375
			मजदूरी	03.01.19	30900
			मजदूरी	03.01.19	4449
			पारस ब्रिक फील्ड	03.01.19	160549
07	प्रा0वि0में कक्ष से गेट तक इंटरलॉकिंग कार्य	12642607	देव इंटरप्राइजेज	29.01.19	74027
			धनी इंटरप्राइजेज	29.01.19	21431
			अमर ब्रिक फील्ड	29.01.19	20809
			मजदूरी	29.01.19	14725
08	खड़जा निर्माण रामगोपाल के घर से प्रीतम के घर तक	8839353	मजदूरी	30.01.19	31575
			पारस ब्रिक फील्ड	30.01.19	146465
			मजदूरी	30.01.19	4310
09	प्रशासनिक व्यय	8839374	डी पी आर ओ	18.07.18	3000
			न्यू नेशनल साईकिल	18.07.18	8500
			विनोद	18.07.18	8610
			आर आर एसोसिएट	18.07.18	1708
10	अज्ञात	8839375	प्रधान	06.08.18	11772
	योग				1412703

वित्तीय वर्ष में कराए गए किसी भी कार्य का नाम अंकित नहीं है।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी

व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0 1412703.00 (चौदह लाख बारह हजार सात सौ तीन रुपये) में से ग्राम प्रधान से रु 0706351.50 (सात लाख छः हजार तीन सौ इक्यावन रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव से रु 0 706351.50 (सात लाख छः हजार तीन सौ इक्यावन रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - फतेहपुर, विकास खंड -मलिहाबाद जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या-13

ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः रु 1095781.00 व रु 922130.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1) कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

(2) सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2018-19 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 851684.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2019-20 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 683569.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(3) पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

वर्ष 2018-19 व 2019-20 में करवाए गए कार्यों से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनादेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखा परीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ०प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(4) वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों का माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 1095781.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	नाम अंकित नहीं	8743207	नेशनल एग्रीकल्चर	12.06.18	59910
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	12.06.18	12500
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	12.06.18	12500

			प्रधान (मजदूरी हेतु)	12.06.18	10500
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	03.09.19	4000
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	16555
02	नाम अंकित नहीं	8743238	मयंक ट्रेडर्स	01.12.18	69584
			चारु ब्रिक फील्ड	01.12.18	68913
			श्री दुर्गा ब्रिक फील्ड	01.12.18	65379
			मजदूरी	01.12.18	39025
03	नाम अंकित नहीं	12814230	मयंक ट्रेडर्स	04.01.19	63225
			पटेल इंट0 उद्योग	04.01.19	68202
			पटेल इंट0 उद्योग	04.01.19	68026
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.01.19	4000
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.01.19	20551
04	नाम अंकित नहीं	8743208	नेशनल एग्रीकल्चर	16.02.19	80590
05	नाम अंकित नहीं	8743230	आर आर एसोसिएट		1708
			वरुण इंटरप्राइजेज	27.02.19	7645
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	29400
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	29400
06	नाम अंकित नहीं	12814231	मयंक ट्रेडर्स	27.02.19	86533
			मयंक ट्रेडर्स	27.02.19	83032
			मो खालिद	27.02.19	35080
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	27.02.19	38325
07	नाम अंकित नहीं	8743240	अवधेश इंटरप्राइजेज	04.03.19	42590
			मयंक ट्रेडर्स	04.03.19	21183
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	47425
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	5000
08	स्टेशनरी	8743232	प्रधान	11.07.18	5000
	योग				1095781

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों का माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 922130.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	नाम अंकित नहीं	13623495	मजदूरी	09.05.19	15500
			प्रधान	20.07.19	2100
			कनौजिया ब्रिक फील्ड	20.07.19	18000

			कनौजिया ब्रिक फील्ड	20.07.19	22120
				28.07.19	2780
02	नाम अंकित नहीं	8743232	पी पी स्पाक इनर्जी	29.06.19	10000
03	नाम अंकित नहीं	13623454	अवधेश इंटरप्राइजेज	20.07.19	80000
			प्रधान मजदूरी	28.07.19	2114
			पंकज कुमार मजदूरी	28.07.19	14924
04	नाम अंकित नहीं	13623456	मजदूरी	21.07.19	84084
05	नाम अंकित नहीं	13623453	पी पी स्पाक इनर्जी सामग्री भुगतान	24.07.19	145500
06	नाम अंकित नहीं	8743207	पी पी स्पाक इनर्जी सामग्री भुगतान	24.07.19	34351
07	नाम अंकित नहीं	12814231	प्रधान	28.07.19	6657
08	नाम अंकित नहीं	13623480	नेशनल एग्रीकल्चर	05.12.19	45185
09	नाम अंकित नहीं	13623458	कनौजिया ब्रिक फील्ड	12.12.19	119070
			पंकज मजदूरी	19.12.19	17983
			पंकज मजदूरी	19.12.19	22800
			पंकज मजदूरी	22.01.2020	4800
10	नाम अंकित नहीं	13623464	मयंक ट्रेडर्स	13.12.19	13516
			संतोष हार्डवेयर	19.12.19	77847
			संतोष हार्डवेयर	22.01.20	54492
			मयंक ट्रेडर्स	23.01.20	2284
			पंकज मजदूरी	23.01.20	60000
11	नाम अंकित नहीं	13623487	मो खालिद	18.02.20	26005
12	नाम अंकित नहीं	20561370	मयंक ट्रेडर्स	25.02.20	32418
			पंकज मजदूरी	25.02.20	7600
	योग				922130

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। परंतु मस्टररोल लेखा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(7)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 01095865.00 व्यय दर्शित है वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 0 922130.00 व्यय दर्शित है इससे संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8)वर्ष 2019-20 में कराए कार्यों का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 922130.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	नाम अंकित नहीं	13623495	मजदूरी	09.05.19	15500
			प्रधान	20.07.19	2100
			कनौजिया ब्रिक फील्ड	20.07.19	18000
			कनौजिया ब्रिक फील्ड	20.07.19	22120
				28.07.19	2780
02	नाम अंकित नहीं	8743232	पी पी स्पार्क इनर्जी	29.06.19	10000
03	नाम अंकित नहीं	13623454	अवधेश इंटरप्राइजेज	20.07.19	80000
			प्रधान मजदूरी	28.07.19	2114
			पंकज कुमार मजदूरी	28.07.19	14924
04	नाम अंकित नहीं	13623456	मजदूरी	21.07.19	84084
05	नाम अंकित नहीं	13623453	पी पी स्पार्क इनर्जी सामग्री भुगतान	24.07.19	145500
06	नाम अंकित नहीं	8743207	पी पी स्पार्क इनर्जी सामग्री भुगतान	24.07.19	34351
07	नाम अंकित नहीं	12814231	प्रधान	28.07.19	6657
08	नाम अंकित नहीं	13623480	नेशनल एग्रीकल्चर	05.12.19	45185
09	नाम अंकित नहीं	13623458	कनौजिया ब्रिक फील्ड	12.12.19	119070
			पंकज मजदूरी	19.12.19	17983
			पंकज मजदूरी	19.12.19	22800
			पंकज मजदूरी	22.01.2020	4800
10	नाम अंकित नहीं	13623464	मयंक ट्रेडर्स	13.12.19	13516
			संतोष हार्डवेयर	19.12.19	77847
			संतोष हार्डवेयर	22.01.20	54492
			मयंक ट्रेडर्स	23.01.20	2284
			पंकज मजदूरी	23.01.20	60000
11	नाम अंकित नहीं	13623487	मो खालिद	18.02.20	26005
12	नाम अंकित नहीं	20561370	मयंक ट्रेडर्स	25.02.20	32418
			पंकज मजदूरी	25.02.20	7600

	योग				922130

वित्तीय वर्ष में कराए गए किसी भी कार्य का नाम अंकित नहीं है अधिकतर कार्यों के सापेक्ष पंकज नामक व्यक्ति को मजदूरी के रूप में भुगतान दर्शित है पंकज कौन है लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

क्रमांक 04 पर अंकित भुगतान मात्र मजदूरी हेतु किया गया है किस कार्य के सापेक्ष हुआ है लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

क्रमांक 05 व 06 पर अंकित भुगतान मात्र सामग्री हेतु किया गया है बिना मजदूरी के कार्य कैसे पूर्ण संभव नहीं है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 922130.00 में से ग्राम प्रधान से रु० 461065.00 और पंचायत सचिव से रु० 461065.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(9) वर्ष 2018-19 में कराए कार्यों का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 1095781.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	नाम अंकित नहीं	8743207	नेशनल एग्रीकल्चर	12.06.18	59910
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	12.06.18	12500
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	12.06.18	12500
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	12.06.18	10500
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	03.09.19	4000
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	16555
02	नाम अंकित नहीं	8743238	मयंक ट्रेडर्स	01.12.18	69584
			चारु ब्रिक फील्ड	01.12.18	68913
			श्री दुर्गा ब्रिक फील्ड	01.12.18	65379
			मजदूरी	01.12.18	39025
03	नाम अंकित नहीं	12814230	मयंक ट्रेडर्स	04.01.19	63225
			पटेल इंट0 उद्योग	04.01.19	68202
			पटेल इंट0 उद्योग	04.01.19	68026
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.01.19	4000
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.01.19	20551
04	नाम अंकित नहीं	8743208	नेशनल एग्रीकल्चर	16.02.19	80590
05	नाम अंकित नहीं	8743230	आर आर एसोसिएट		1708
			वरुण इंटरप्राइजेज	27.02.19	7645
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	29400
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	29400
06	नाम अंकित नहीं	12814231	मयंक ट्रेडर्स	27.02.19	86533
			मयंक ट्रेडर्स	27.02.19	83032
			मो खालिद	27.02.19	35080
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	27.02.19	38325
07	नाम अंकित नहीं	8743240	अवधेश इंटरप्राइजेज	04.03.19	42590
			मयंक ट्रेडर्स	04.03.19	21183
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	47425
			प्रधान (मजदूरी हेतु)	04.03.19	5000

08	स्टेशनरी	8743232	प्रधान	11.07.18	5000
	योग				1095781

वित्तीय वर्ष में कराए गए किसी भी कार्य का नाम अंकित नहीं है

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0 1095781.00 (दस लाख पचचनवे हजार सात सौ इक्यासी रुपये) में से ग्राम प्रधान से रु0 547890.50 (पाँच लाख सैतालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव से रु0 547890.50 (पाँच लाख सैतालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- बिजनौर विकास खण्ड- सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ

वर्ष- 2019-20

प्रस्तर संख्या- 14

ग्राम पंचायत बिजनौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 14982711.00 विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसके सन्दर्भ में आपति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

(1) लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया:- प्रिया सॉफ्ट अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु0 14739012.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता का नाम
1	हैण्ड पम्प मरम्मत	14074618 6155240	28.06.19 09.08.19 16.10.19	105215 240000 35000	रंजीत कुमार यादव रंजीत कुमार यादव ललई
2	ह्यूम पाइप कार्य	17416034 17416035	09.08.19 23.10.19	99382 98200	बाबा भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
3	नाला खुदाई	17416034 17416035	09.08.19 23.10.19	154500.0 154800.00	हिमांशु इन्फ्रा टेक हिमांशु इन्फ्रा टेक
4	नाला सफाई	14077616	13.08.19	154700	हिमांशु इन्फ्रा टेक
5	स्कूल में बैंच कार्य	17416076 17416032	09.08.19 09.08.19	245000 105000	ईशान इण्टरप्राइजेज "
6	कूड़ा डस्टबीन	17416099 " "	12.10.19 16.10.19 16.10.19	5000 125000 47500	एस०आर०ट्रेडर्स साईं इण्टरप्राइजेज नीतू मिश्रा
7	इण्टर लाकिंग कार्य	17416108 17416109	23.10.19 23.10.19	133900 133900	आदिदेव इण्टरप्राइजेज "
8	नाली निर्माण	17416023 17416024	24.10.19	97440 97440	साईं ब्रिक फिल्ड "
9	पंचायत भवन पुताई	17416033 " " "	22.11.19	177000 500 48800 226300	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा ललई लोधी ट्रेडर्स
10	आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत	17416029 " " "	22.11.19 " " 24.11.19	106300 500 30800 137600	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज नीतू मिश्रा " भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
11	पूर्व मा० वि० पुताई	17416107 " "	22.11.19 " 24.11.19	500 56800 57300	नीतू मिश्रा आशुतोष सिंह "

12	प्रा0वि0-1 पुताई	17416026 " " "	22.11.19 " " 24.11.19	107500 500 39600 147600	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा ललई लोधी ट्रेडर्स
			योग-	3168777	
क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	धनराशि बी/एफ 3168777	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
13	ऑगनबाड़ी केन्द्र पुताई	17416073 " " " 17416030 " " " 17416031 " " "	22.11.19 " " 24.11.19 22.11.19 " " 24.11.19 22.11.19 " " 24.11.19	106200 500 30800 137500 106283 500 30800 137583 106330 500 30800 137630	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा ललई लोधी ट्रेडर्स " नीतू मिश्रा " लोधी ट्रेडर्स " नीतू मिश्रा " लोधी ट्रेडर्स
14	प्रा0वि0-2 पुताई	17416025 " "	22.11.19 " "	133600 500 44000	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा "
15	कन्या पूर्व मा0 वि0 पुताई	17416027 " " "	22.11.19 " " 24.11.19 "	134700 500 41200 176400 178100	आदिदेव इण्टरप्राइजेज " आशुतोष सिंह आदिदेव इण्टरप्राइजेज "
16	अज्ञात	17416028	14.12.19 " " "	106700 500 20000 18800	एस0आर0 ट्रेडर्स नीतू मिश्रा छोटे लाल पुष्पा
17	अज्ञात	17416107	14.12.19	147500	एस0आर0 ट्रेडर्स
18	अज्ञात	17416046 " " " "	19.12.19 " " " "	111000 30673 32166 300 12400	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0 ट्रेडर्स नीतू मिश्रा छोटे लाल
19	अज्ञात	17416053 " " " "	" " " " "	55507 12452 14361 300 5200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड मधेशिया ट्रेडर्स नीतू मिश्रा विशाल
		योग-		5271062	

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी०	दिनांक	धनराशि बी/एफ 5271062	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
20	अज्ञात	17416045 " " " "	19.12.19 " " " "	143763 35480 39774 300 15200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस०आर० ट्रेडर्स नीतू मिश्रा रवि शंकर सैनी
21	अज्ञात	17416083 " " " "	19.12.19 " " " "	39648 10956 11498 300 4400	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड मधेशिया ट्रेडर्स नीतू मिश्रा पुष्पा
22	अज्ञात	17416049 " " " "	19.12.19 " " " "	119340 26780 31054 300 12000	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस०आर० ट्रेडर्स नीतू मिश्रा मो० अनीश
23	अज्ञात	17416048 " " " "	22.12.19 " " " "	143763 35480 39774 300 15200	भुवनेश्वर इ०प्रा० साई ब्रिक फिल्ड एस०आर० ट्रेडर्स नीतू मिश्रा "
24	अज्ञात	17416061 " " " "	22.12.19 " " " "	88811 22813 24793 300 9200	भुवनेश्वर इ०प्रा० साई ब्रिक फिल्ड एस०आर० ट्रेडर्स नीतू मिश्रा महेन्द्र कुमार मौर्या
25	अज्ञात	17416078 " " " "	22.12.19 " " " "	160946 25541 29141 500 16000	आदिदेव इ० प्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज नीतू मिश्रा ललई
26	अज्ञात	17416062 " " " "	22.12.19 " " " "	88811 22812 24793 300 9200	आदिदेव इ० प्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज नीतू मिश्रा महेन्द्र कुमार मौर्या
			योग-	6530333.00	
क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी०	दिनांक	धनराशि बी/एफ 6530333	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
27	अज्ञात	17416079 " "	22.12.19 " "	159112 26827 27994	आदिदेव इण्टर प्रा० साई ब्रिक फिल्ड एस०आर०ट्रेडर्स

		“	“	500	नीतू मिश्रा
		“	“	16000	रवि शंकर सैनी
28	अज्ञात	17416077	22.12.19	115970	आदिदेव इण्टर प्राइजेज
		“	“	26693	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	26813	एस0आर0ट्रेडर्स
		“	“	500	नीतू मिश्रा
		“	“	13600	ललई
29	अज्ञात	17416044	22.12.19	142732	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
		“	“	35085	एस0आर0ट्रेडर्स
		“	“	39000	नीतू मिश्रा
		“	“	300	महेश कुमार
		“	“	14800	
30	अज्ञात	17416047	22.12.19	118944	भुवनेश्वर इ0प्रा0
		“	“	32840	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	34550	एस0आर0 ट्रेडर्स
		“	“	300	नीतू मिश्रा
		“	“	13200	ललई
31	अज्ञात	17416080	22.12.19	109428	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
		“	“	17175	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	24246	एस0आर0 ट्रेडर्स
		“	“	300	नीतू मिश्रा
		“	“	9200	महेन्द्र कुमार मौर्या
32	अज्ञात	17416040	22.12.19	142732	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
		“	“	35085	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	39000	एस0आर0 ट्रेडर्स
		“	“	300	नीतू मिश्रा
		“	“	14800	महेन्द्र कुमार मौर्या
33	अज्ञात	17416043	22.12.19	142732	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
		“	“	35085	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	39000	एस0आर0ट्रेडर्स
		“	“	300	नीतू मिश्रा
		“	“	14800	पुष्पा
			योग-	8000276	
क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	धनराशि बी/एफ 799076	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
34	अज्ञात	20248328	23.12.19	172128	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
		“	“	22333	एस0आर0ट्रेडर्स
		“	“	19538	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	500	नीतू मिश्रा
		“	“	19200	मो0 अनीश
35	अज्ञात	20248327	23.12.19	172128	भुवनेश्वर इण्टरप्राइजेज
		“	“	22333	एस0आर0ट्रेडर्स
		“	“	19538	साई ब्रिक फिल्ड
		“	“	500	नीतू मिश्रा

		“	“	19200	रवि कुमार सैनी
36	अज्ञात	20248336 “ “ “ “	23.12.19 “ “ “ “	172128 22333 19538 500 19200	भुवनेश्वर इण्टर प्राइजेज एस0आर0 ट्रेडर्स साई ब्रिक फिल्ड नीतू मिश्रा रामदेव
37	अज्ञात	20248335 “ “ “ “	23.12.19 “ “ “ “	172128 22333 19538 500 19200	भुवनेश्वर इण्टर प्राइजेज एस0आर0 ट्रेडर्स साई ब्रिक फिल्ड नीतू मिश्रा महेन्द्र कुमार मौर्या
37	अज्ञात	20248335 “ “ “ “	23.12.19 “ “ “ “	172128 22333 19538 500 19200	भुवनेश्वर इण्टर प्राइजेज एस0आर0 ट्रेडर्स साई ब्रिक फिल्ड नीतू मिश्रा महेन्द्र कुमार मौर्या
38	अज्ञात	17416038 “ “ “ “	23.12.19 “ “ “ “	28056 80061 42375 500 35200 35200	साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी नीतू मिश्रा रवि शंकर सैनी महेन्द्र कुमार मौर्या
39	अज्ञात	17416081 “ “ “ “	23.12.19 “ “ “ “	114186 15096 24040 300 9200	आदिदेव इ0प्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा रवि शंकर सैनी
40	अज्ञात	17416081 “	23.12.19 “	4680 21000.00	मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी ललई
41	अज्ञात	17416091 “	23.12.19 “	4680 15600	मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी पुष्पा
42	अज्ञात	14074621 “	26.12.19 “	21500 5350	जायसवाल बर्तनभण्डार नीतू मिश्रा
43	अज्ञात	20248331	26.12.19	39500	लोधी ट्रेडर्स
			योग-	9665295.00	
क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	धनराशि बी/एफ 9665295.00	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
44	अज्ञात	17416089 “	26.12.19	4680 21000	मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी रवि कुमार सैनी
45	अज्ञात	17416051	26.12.19	155442 35480 39774 500 15200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा रामदेव

46	अज्ञात	20248334	26.12.19	237600	आराध्या इलेक्ट्रीकल्स
47	अज्ञात	17416054 “ “ “ “	26.12.19 “ “ “ “	155442 35480 39774 500 15200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा बाबू लाल
48	अज्ञात	17416055 “ “ “ “	26.12.19 “ “ “ “	155442 35480 39774 500 15200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा महेन्द्र कुमार मोर्या
49	अज्ञात	17416110 “ “ “ “	26.12.19 “ “ “ “	155442 35480 39774 500 15200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा आशीष सहाय
50	अज्ञात	17416111 “ “ “ “	26.12.19 “ “ “ “	155442 35480 39774 500 15200	आदिदेव इण्टरप्राइजेज साई ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा ललई
51	अज्ञात	20248333	26.12.19	237600	आराध्या इलेक्ट्रीकल्स
52	अज्ञात	20248332	31.12.19	237600	जय श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी
			योग-	11635755	

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	धनराशि बी/एफ 11635755	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
53	आंगनवाड़ी केन्द्र-7 में फर्श, टाइल्स, शौचालय मरम्मत	20318433 “ “ “ “	24.1.2020 “ “ “ “	90953 500 55258 31200 21112	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी मो0 अनीश छोटे लाल
54	आंगनवाड़ी केन्द्र-8 में फर्श, टाइल्स, शौचालय मरम्मत	20318438	24.1.2020	90953 500 55258 31200 21112	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी रवि कुमार सैनी विशाल
55	आंगनवाड़ी केन्द्र में रंगई, पुताई व मरम्मत	20318432 “ “ “ “	24.1.2020	51385 500 55258 31200 16926	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी रवि कुमार सैनी विशाल
56	“	20318431	24.1.2020	51385 500	लोधी ट्रेडर्स नीतू मिश्रा

				55258 31200 16926	मधेशिया ट्रेडिंग कम्पनी रवि कुमार सैनी विशाल
57	बाजार के पास पुलिया निर्माण	20318435 “ “ “ “	24.1.2020	15682 5056 52920 500 8040	एस0आर0ट्रेडर्स साईं ब्रिक फिल्ड एस0आर0ट्रेडर्स नीतू मिश्रा मो0 अनीश
58	प्रधान मानदेय	7354612	12.2.2020	35000	अंजू
59	भूमिगत नाली निर्माण	20702754	12.2.2020	165242 26364 500 18759 19200 7826	एस0आर0ट्रेडर्स “ नीतू मिश्रा साईं ब्रिक फिल्ड अजीम विशाल
60	“	20702761 “ “ “ “ “	12.2.2020 “ “ “ “ “	165242 26364 500 18759 19200 7826	एस0आर0ट्रेडर्स “ नीतू मिश्रा साईं ब्रिक फिल्ड रवि कुमार सैनी विशाल
			योग-	12937319	
क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	धनराशि बी/एफ 12937319	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
61	भूमिगत नाली निर्माण	20702753	14.2.2020 “ “ “ “ “	165242 26364 500 18759 19200 7826	एस0आर0ट्रेडर्स “ नीतू मिश्रा साईं ब्रिक फिल्ड रवि कुमार सैनी विशाल
62	“	20702752 “ “ “ “	“ “ “ “ “	165242 26364 500 18759 19200 7826	एस0आर0ट्रेडर्स “ नीतू मिश्रा साईं ब्रिक फिल्ड रवि कुमार सैनी अजीम
63	“	20982010 “ “ “ “	28.02.2020	165242 26364 500 18759 19200 7826	एस0आर0ट्रेडर्स “ नीतू मिश्रा साईं ब्रिक फिल्ड रवि कुमार सैनी अजीम
64	हैण्डपम्प मरम्मत	20248331 “	27.2.2020 “	56000 133748	विशाल एस0आर0ट्रेडर्स

		14074619	30.3.2020	116551	लोधी ट्रेडर्स
		"	"	37500	रंजीत कुमार यादव
		"	"	43900	विशाल
		14074620	"	98500	एस0आर0ट्रेडर्स
		"	"	37000	नीतू मिश्रा
		"	"	29500	जयकरन
65	पुलिया निर्माण	17416102	30.3.2020	15682	लोधी ट्रेडर्स
		"	"	5056	साई ब्रिक फिल्ड
		"	"	52920	एस0आर0ट्रेडर्स
		"	"	500	नीतू मिश्रा
		"	"	8040	अजीम
		20318436	"	235374	लोधी ट्रेडर्स
		"	"	125446	साई ब्रिक फिल्ड
		"	"	500	नीतू मिश्रा
		"	"	48800	विशाल
		"	"	37572	रवि कुमार सैनी
		योग		14733581	
क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	धनराशि बी/एफ 14733581	आहरणकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6
66	नाली निर्माण	20982009	30.2.2020	172128	एस0आर0ट्रेडर्स
			"	27462	नीतू मिश्रा
			"	30000	"
			"	19540	जयकरन
		कुल योग-		14982711	

ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। जो महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हैं।

(अ) **कार्यपूति प्रमाण पत्र:-** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं किया गया, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्यों के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है।

(ब) **आय-व्यय अभिलेख:-** उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जब कि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 (1) प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(स) **मस्टर रोल:-** दैनिक मजदूरी पर किये गये कार्य हेतु मस्टर रोल, मजदूरी पंजिका (रूप पत्र-22)पर रखी जायेगी। लेकिन लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

(द) **सार्वजनिक कार्यों के मानचित्र व पंजी:-** लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बोधित ग्रामसभा में अनुमोदित कार्य योजना प्राक्कलन, मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0-152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा।

(य) **माप पुस्तिका:-** उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-157 एवं समय- समय पर जारी निदेशक पंचायती राज परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से सम्बोधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(र) **स्टाक रजिस्टर:-** उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल-7 के प्रस्तर-7 के अनुसार एक स्टॉक बुक (रूप पत्र- 25) पर रखी जायेगी। जिसमें क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि होगी। लेकिन लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ल) **सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति:-** लेखा परीक्षा में कार्यों से सम्बन्धित सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है अथवा नहीं। प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

(ब) **उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया:-** आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, प्राप्त देय बिल, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका (रूप पत्र-13) मांग समाहरण एवं अवशेष पंजिका आदि अभिलेख/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय-8 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा की सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा।

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256(1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति के वसूली होना चाहिए।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि ₹0 14982711.00 में से श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सचिव तथा श्री मनोज वर्मा ग्राम पंचायत सचिव ₹0 7491355.50 तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू माली से ₹0 7491355.50 से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -परवर पश्चिम, विकास खंड -सरोजनीनगर, जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या- 15

ग्राम पंचायत- परवर पश्चिम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय धनराशि रुपए 8350136.00 से कराए गए कार्यों का संबंध मे आपति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है ।

(2)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना- उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । वर्ष 2019-2020 में करवाए गए कार्यों पर कुल ₹08350136.00 व्यय दर्शित है।विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	नाम अंकित नहीं	10903984	राममिलन	02-04-2019	15000
			इदरीस	03-04-2019	38500
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	14798
02	नाम अंकित नहीं	10904014	राममिलन	02-04-2019	15000
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	14798
			इदरीस	12-04-2019	38500
03	नाम अंकित नहीं	10904015	इदरीस	02-04-2019	48300
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	200718

04	नाम अंकित नहीं	10903980	इदरीस	02-04-2019	60000
			विशाल ट्रेडर्स	02-04-2019	81376
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	86936
05	नाम अंकित नहीं	10904034	इदरीस	02-04-2019	21875
			विशाल ट्रेडर्स	02-04-2019	16281
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	42858
06	नाम अंकित नहीं	10904006	इदरीस	02-04-2019	69200
			इदरीस	02-04-2019	56600
			गौरव ट्रेडर्स	04-04-2019	77970
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	114603
07	नाम अंकित नहीं	10904018	इदरीस	02-04-2019	35400
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	98658
08	नाम अंकित नहीं	18794300	इदरीस	02-04-2019	13400
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	19278
			विकास ब्रिक फील्ड	05-04-2019	17783
			विकास ब्रिक फील्ड	05-04-2019	27296
09	नाम अंकित नहीं	10903982	विशाल ट्रेडर्स	02-04-2019	82245
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	91325
10	नाम अंकित नहीं	10903975	इदरीस	03-04-2019	2375
11	नाम अंकित नहीं	10904013	इदरीस	03-04-2019	17775
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	49329
12	नाम अंकित नहीं	10903978	साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	8221
13	नाम अंकित नहीं	10903988	विकास ब्रिक फील्ड	05-04-2019	31380
14	नाम अंकित नहीं	11522454	गुप्ता ट्रेडर्स	25-06-2019	224000
15	नाम अंकित नहीं	18794297	विशाल ट्रेडर्स	29-07-2019	50000
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	36109
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	22272
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	36109
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	33390
			धीरेन्द्र सिंह चौहान	25-10-2019	49868
			धीरेन्द्र सिंह चौहान	16-12-2019	57000
16	नाम अंकित नहीं	18794299	विशाल ट्रेडर्स	06-08-2019	100000
			विशाल ट्रेडर्स	27-08-2019	100000
			धनपति को भुगतान	27-08-2019	6000
			रामसेवक को भुगतान	28-09-2019	6000
			राजकुमार	28-09-2019	6000
			राजेश कुमार सिंह	30-08-2019	6000
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	24012
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	24012
17	नाम अंकित नहीं	17522459	गुप्ता ट्रेडर्स	07-08-2019	213000
			गुप्ता ट्रेडर्स	07-08-2019	35000

18	नाम अंकित नहीं	17522461	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	109934
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	38731
			इदरीस	08-08-2019	32760
19	नाम अंकित नहीं	14239362	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	76545
			इदरीस	08-08-2019	18200
			शेर बहादुर	16-01-2020	10000
20	नाम अंकित नहीं	14239357	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	47615
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	33327
			इदरीस	08-08-2019	25480
21	नाम अंकित नहीं	14239334	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	74966
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	51123
			इदरीस	08-08-2020	38220
22	नाम अंकित नहीं	14239324	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	17165
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	55853
			इदरीस	08-08-2019	15470
23	नाम अंकित नहीं	18794298	गुप्ता ट्रेडर्स	02-09-2019	95000
			सुनीता को भुगतान	04-09-2019	6000
			धर्मन्द्र सिंह चौहान	25-10-2019	49868
			धर्मन्द्र सिंह चौहान	16-12-2019	38000
24	नाम अंकित नहीं	14239332	धर्मन्द्र सिंह चौहान	25-10-2019	49000
			इदरीस	28-10-2020	21000
			इदरीस	28-10-2020	45000
			इदरीस	31-12-2019	49500
			रुद्र अभिषेक इन्टरप्राइजेज	31-12-2019	22950
25	नाम अंकित नहीं	20380036	श्री साई ईट उद्योग	16-01-2020	92904
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	35057
			इदरीस	19-02-2020	79254
26	नाम अंकित नहीं	20380050	श्री साई ईट उद्योग	16-01-2020	92904
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	33714
			इदरीस	19-02-2020	78708
			गौरव ट्रेडर्स	19-02-2020	33945
			गौरव ट्रेडर्स	19-02-2020	33945
27	नाम अंकित नहीं	20380051	श्री साई ईट उद्योग	16-01-2020	78729
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	30292
			इदरीस	19-02-2020	74606
			गौरव ट्रेडर्स	19-02-2020	30681
28	नाम अंकित नहीं	20380037	आर बी पाइप उद्योग	17-01-2020	99825
29	नाम अंकित नहीं	20380044	साई ब्रिक फील्ड	17-01-2020	173638
			साई ब्रिक फील्ड	17-01-2020	173638
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	37100
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	16926

30	नाम अंकित नहीं	20380040	साई ब्रिक फील्ड	17-01-2020	93513
31	नाम अंकित नहीं	17522457	गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	60710
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	35668
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	100103
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-01-2020	15000
32	नाम अंकित नहीं	14239367	गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	60636
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	99608
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	36570
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-01-2020	15078
33	नाम अंकित नहीं	14239366	साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	28631
			गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	53529
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	89393
34	नाम अंकित नहीं	20380045	के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	100000
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	36000
			गौरव ट्रेडर्स को भुगतान	19-01-2020	62016
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-02-2020	15078
35	नाम अंकित नहीं	14239325	के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	25858
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	11298
			गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	15648
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-01-2020	4284
36	नाम अंकित नहीं	14239351	साई ब्रिक फील्ड	28-01-2020	103925
			साई ब्रिक फील्ड	02-02-2020	103925
37	नाम अंकित नहीं	14239344	साई ब्रिक फील्ड	05-02-2020	92988
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	28350
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	15106
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	13000
38	नाम अंकित नहीं	1795420	अन्शु एसोसिएट	05-02-2020	3050
39	नाम अंकित नहीं	20380041	साई ब्रिक फील्ड	04-02-2020	118938
			इदरीस	04-02-2020	30786
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	19443
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	49255
40	नाम अंकित नहीं	20380038	साई ब्रिक फील्ड	11-02-2020	153000
			धीरेन्द्र सिंह	24-03-2020	22037
			धीरेन्द्र सिंह	24-03-2020	24855
41	नाम अंकित नहीं	14239340	विकास ब्रिक फील्ड	20-02-2020	7540
			ब्रम्ह कुमार सिंह	20-02-2020	5894
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	5913
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	8910
			गौरव ट्रेडर्स	20-02-2020	9792
42	नाम अंकित नहीं	14239346	गौरव ट्रेडर्स	20-02-2020	44390
			विकास ब्रिक फील्ड	20-02-2020	10972

			धीरेन्द्र सिंह	20-02-2020	24332
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	72481
			साई ब्रिक फील्ड	20-02-2020	12849
43	नाम अंकित नहीं	20380034	गौरव ट्रेडर्स	20-02-2020	47654
			ब्रम्ह कुमार सिंह	20-02-2020	27888
			विकास ब्रिक फील्ड	20-02-2020	13965
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	81322
44	नाम अंकित नहीं	14239328	इदरीस	20-02-2020	28000
			लोधी लोहा भण्डार	08-03-2020	97000
45	नाम अंकित नहीं	14239335	ब्रम्ह कुमार सिंह	23-02-2020	34160
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	34702
			विकास ब्रिक फील्ड	23-02-2020	35364
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	77919
			गौरव ट्रेडर्स	23-02-2020	60384
46	नाम अंकित नहीं	17522458	धीरेन्द्र सिंह	23-02-2020	34342
			गौरव ट्रेडर्स	23-02-2020	60384
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	75850
			विकास ब्रिक फील्ड	23-02-2020	36167
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	35070
47	नाम अंकित नहीं	20380042	शिव सखी बाबा ब्रिक फील्ड	25-02-2020	170100
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	37100
48	नाम अंकित नहीं	14239319	साई ब्रिक फील्ड	08-03-2020	74690
49	नाम अंकित नहीं	20380043	ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	16744
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	37100
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	16744
50	नाम अंकित नहीं	14239361	ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	35476
			साई ब्रिक फील्ड	25-03-2020	87484
51	नाम अंकित नहीं	14239341	साई ब्रिक फील्ड	24-03-2020	43458
			ब्रम्ह कुमार सिंह	25-03-2020	17738
52	नाम अंकित नहीं	20380053	ब्रम्ह कुमार सिंह	25-03-2020	15764
			साई ब्रिक फील्ड	25-03-2020	56714

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4)कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यो पर कुल रु 08350136 .00 व्यय दर्शित है इससे संबंधित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नही हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5)व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया गया

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यो पर कुल रु0 8350136.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० स०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	नाम अंकित नही	10903984	राममिलन	02-04-2019	15000
			इदरीस	03-04-2019	38500
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	147987
02	नाम अंकित नही	10904014	राममिलन	02-04-2019	15000
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	147987
			इदरीस	12-04-2019	38500
03	नाम अंकित नही	10904015	इदरीस	02-04-2019	48300
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	200718
04	नाम अंकित नही	10903980	इदरीस	02-04-2019	60000
			विशाल ट्रेडर्स	02-04-2019	81376
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	86936
05	नाम अंकित नही	10904034	इदरीस	02-04-2019	21875
			विशाल ट्रेडर्स	02-04-2019	16281
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	42858
06	नाम अंकित नही	10904006	इदरीस	02-04-2019	69200
			इदरीस	02-04-2019	56600
			गौरव ट्रेडर्स	04-04-2019	77970
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	114603
07	नाम अंकित नही	10904018	इदरीस	02-04-2019	35400
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	98658
08	नाम अंकित नही	18794300	इदरीस	02-04-2019	13400
			साई ब्रिक फील्ड	02-04-2019	19278
			विकास ब्रिक फील्ड	05-04-2019	17783
			विकास ब्रिक फील्ड	05-04-2019	27296
09	नाम अंकित नही	10903982	विशाल ट्रेडर्स	02-04-2019	82245
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	91325
10	नाम अंकित नही	10903975	इदरीस	03-04-2019	2375
11	नाम अंकित नही	10904013	इदरीस	03-04-2019	17775
			साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	49329

12	नाम अंकित नहीं	10903978	साई ब्रिक फील्ड	04-04-2019	8221
13	नाम अंकित नहीं	10903988	विकास ब्रिक फील्ड	05-04-2019	31380
14	नाम अंकित नहीं	11522454	गुप्ता ट्रेडर्स	25-06-2019	224000
15	नाम अंकित नहीं	18794297	विशाल ट्रेडर्स	29-07-2019	50000
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	36109
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	22272
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	36109
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	33390
			धीरेन्द्र सिंह चौहान	25-10-2019	49868
			धीरेन्द्र सिंह चौहान	16-12-2019	57000
16	नाम अंकित नहीं	18794299	विशाल ट्रेडर्स	06-08-2019	100000
			विशाल ट्रेडर्स	27-08-2019	100000
			धनपति को भुगतान	27-08-2019	6000
			रामसेवक को भुगतान	28-09-2019	6000
			राजकुमार	28-09-2019	6000
			राजेश कुमार सिंह	30-08-2019	6000
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	24012
			गौरव ट्रेडर्स	15-10-2019	24012
17	नाम अंकित नहीं	17522459	गुप्ता ट्रेडर्स	07-08-2019	213000
			गुप्ता ट्रेडर्स	07-08-2019	35000
18	नाम अंकित नहीं	17522461	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	109934
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	38731
			इदरीस	08-08-2019	32760
19	नाम अंकित नहीं	14239362	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	76545
			इदरीस	08-08-2019	18200
			शेर बहादुर	16-01-2020	10000
20	नाम अंकित नहीं	14239357	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	47615
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	33327
			इदरीस	08-08-2019	25480
21	नाम अंकित नहीं	14239334	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	74966
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	51123
			इदरीस	08-08-2020	38220
22	नाम अंकित नहीं	14239324	साई ब्रिक फील्ड	08-08-2019	17165
			विशाल ट्रेडर्स	08-08-2019	55853
			इदरीस	08-08-2019	15470
23	नाम अंकित नहीं	18794298	गुप्ता ट्रेडर्स	02-09-2019	95000
			सुनीता को भुगतान	04-09-2019	6000
			धर्मेन्द्र सिंह चौहान	25-10-2019	49868
			धर्मेन्द्र सिंह चौहान	16-12-2019	38000
24	नाम अंकित नहीं	14239332	धर्मेन्द्र सिंह चौहान	25-10-2019	49000

			इदरीस	28-10-2020	21000
			इदरीस	28-10-2020	45000
			इदरीस	31-12-2019	49500
			रुद्र अभिषेक इन्टरप्राइजेज	31-12-2019	22950
25	नाम अंकित नहीं	20380036	श्री साई ईट उद्योग	16-01-2020	92904
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	35057
			इदरीस	19-02-2020	79254
26	नाम अंकित नहीं	20380050	श्री साई ईट उद्योग	16-01-2020	92904
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	33714
			इदरीस	19-02-2020	78708
			गौरव ट्रेडर्स	19-02-2020	33945
			गौरव ट्रेडर्स	19-02-2020	33945
27	नाम अंकित नहीं	20380051	श्री साई ईट उद्योग	16-01-2020	78729
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	30292
			इदरीस	19-02-2020	74606
			गौरव ट्रेडर्स	19-02-2020	30681
28	नाम अंकित नहीं	20380037	आर बी पाइप उद्योग	17-01-2020	99825
29	नाम अंकित नहीं	20380044	साई ब्रिक फील्ड	17-01-2020	173638
			साई ब्रिक फील्ड	17-01-2020	173638
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	37100
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	16926
30	नाम अंकित नहीं	20380040	साई ब्रिक फील्ड	17-01-2020	93513
31	नाम अंकित नहीं	17522457	गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	60710
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	35668
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	100103
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-01-2020	15000
32	नाम अंकित नहीं	14239367	गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	60636
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	99608
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	36570
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-01-2020	15078
33	नाम अंकित नहीं	14239366	साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	28631

			गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	53529
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	89393
34	नाम अंकित नहीं	20380045	के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	100000
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	36000
			गौरव ट्रेडर्स को भुगतान	19-01-2020	62016
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-02-2020	15078
35	नाम अंकित नहीं	14239325	के०के० इन्टरप्राइजेज	19-01-2020	25858
			साई ब्रिक फील्ड	19-01-2020	11298
			गौरव ट्रेडर्स	19-01-2020	15648
			ब्रम्ह कुमार सिंह	19-01-2020	4284
36	नाम अंकित नहीं	14239351	साई ब्रिक फील्ड	28-01-2020	103925
			साई ब्रिक फील्ड	02-02-2020	103925
37	नाम अंकित नहीं	14239344	साई ब्रिक फील्ड	05-02-2020	92988
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	28350
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	15106
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	13000
38	नाम अंकित नहीं	1795420	अन्शु एसोसिएट	05-02-2020	3050
39	नाम अंकित नहीं	20380041	साई ब्रिक फील्ड	04-02-2020	118938
			इदरीस	04-02-2020	30786
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	19443
			के०के० इन्टरप्राइजेज	19-02-2020	49255
40	नाम अंकित नहीं	20380038	साई ब्रिक फील्ड	11-02-2020	153000
			धीरेन्द्र सिंह	24-03-2020	22037
			धीरेन्द्र सिंह	24-03-2020	24855
41	नाम अंकित नहीं	14239340	विकास ब्रिक फील्ड	20-02-2020	7540
			ब्रम्ह कुमार सिंह	20-02-2020	5894
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	5913
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	8910
			गौरव ट्रेडर्स	20-02-2020	9792
42	नाम अंकित नहीं	14239346	गौरव ट्रेडर्स	20-02-2020	44390
			विकास ब्रिक फील्ड	20-02-2020	10972

			धीरेन्द्र सिंह	20-02-2020	24332
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	72481
			साई ब्रिक फील्ड	20-02-2020	12849
43	नाम अंकित नहीं	20380034	गौरव ट्रेडर्स	20-02-2020	47654
			ब्रम्ह कुमार सिंह	20-02-2020	27888
			विकास ब्रिक फील्ड	20-02-2020	13965
			के०के० इन्टरप्राइजेज	20-02-2020	81322
44	नाम अंकित नहीं	14239328	इदरीस	20-02-2020	28000
			लोधी लोहा भण्डार	08-03-2020	97000
45	नाम अंकित नहीं	14239335	ब्रम्ह कुमार सिंह	23-02-2020	34160
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	34702
			विकास ब्रिक फील्ड	23-02-2020	35364
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	77919
			गौरव ट्रेडर्स	23-02-2020	60384
46	नाम अंकित नहीं	17522458	धीरेन्द्र सिंह	23-02-2020	34342
			गौरव ट्रेडर्स	23-02-2020	60384
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	75850
			विकास ब्रिक फील्ड	23-02-2020	36167
			के०के० इन्टरप्राइजेज	23-02-2020	35070
47	नाम अंकित नहीं	20380042	शिव सखी बाबा ब्रिक फील्ड	25-02-2020	170100
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	37100
48	नाम अंकित नहीं	14239319	साई ब्रिक फील्ड	08-03-2020	74690
49	नाम अंकित नहीं	20380043	ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	16744
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	37100
			ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	16744
50	नाम अंकित नहीं	14239361	ब्रम्ह कुमार सिंह	24-03-2020	35476
			साई ब्रिक फील्ड	25-03-2020	87484
51	नाम अंकित नहीं	14239341	साई ब्रिक फील्ड	24-03-2020	43458
			ब्रम्ह कुमार सिंह	25-03-2020	17738
52	नाम अंकित नहीं	20380053	ब्रम्ह कुमार सिंह	25-03-2020	15764
			साई ब्रिक फील्ड	25-03-2020	56714

वित्तीय वर्ष में कराए गए किसी भी कार्य का नाम अंकित नहीं है ,आहरित धनराशि किस मद में खर्च की गई ,स्पष्ट नहीं हो सका ,उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0 8350136.00 में से ग्राम प्रधान से रु 0 4175068.00 और पंचायत सचिव से रु 0 4175068.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - कुरौनी, विकास खंड -सरोजनी नगर, जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या -16

ग्राम पंचायत- कुरौनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय धनराशि रुपए 6226141.00 से कराए गए कार्यों के संबंध में आपति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है ।

(2) वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(3)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना- उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 0 6226141.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि (रु०)
01	इंटरलॉकिंग	14056287	श्री संतोष कुमार यादव	01-04-2019	74391
02	इंटरलॉकिंग	14056288	श्री संतोष कुमार यादव	06-07-2019	90940
03	इंटरलॉकिंग	14056304	श्री संतोष कुमार यादव	01-09-2019	72000
			अंकित नहीं		96500
			न्यू बजरंग ईट उद्योग		78800
04	हैण्डपंप मरम्मत	17544905	श्री संतोष कुमार यादव	04-05-2019	27000
05	हैण्डपंप मरम्मत	17544904	रामेश्वर हैण्डपंप मिस्त्री	13-08-2019	25000
06	हैण्डपंप मरम्मत	17544896	शिवानी इन्टरप्राइजेज	13-10-2019	50000
07	हैण्डपंप मरम्मत	17544897	श्रीमती नीतू मिश्रा	13-10-2019	31750
			श्री महेश कुमार	13-10-2019	18150
08	बाउन्ड्री	14056327	श्री संतोष कुमार यादव	14-06-2019	89700

09	मिट्टी कार्य	14056302	श्री संतोष कुमार यादव	17-06-2019	197300
10	मिट्टी कार्य	17544906	श्री संतोष कुमार यादव	17-06-2019	195000
11	नाली	14056315	शिवानी इन्टरप्राइजेज	17-06-2019	165000
12	नाली	14056316	संतोष यादव	31-08-2019	50000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग		95800
			न्यू बजरंग ईट उद्योग		96300
			जे०पी० इन्टरप्राइजेज		500
13	सामुदायिक भवन मरम्मत	14056326	श्री संतोष कुमार यादव	27-06-2019	248500
14	आंगनवाडी में मिट्टी कार्य	14056305	शिवानी इन्टरप्राइजेज	30-06-2019	141000
15	खडंजा	14056292	न्यू बजरंग ईट उद्योग	17-07-2019	246864
16	खडंजा	14056313	श्री संतोष कुमार यादव	13-08-2019	93500
17	आर सी सी रोड	14056299	न्यू बजरंग ईट उद्योग	02-08-2019	246200
18	स्टेशनरी	14056282	संतोष कुमार यादव	14-08-2019	1500
19	टाइल्स	12895710	शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	90500
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	45000
			संतोष कुमार यादव	14-08-2019	51000
20	टाइल्स	12895711	शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	64000
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	7000
			संतोष कुमार यादव	14-08-2019	30500
21	सफाईकर्म	14056283	महेश कुमार	25-10-2019	10000
			दीपनरायन	25-10-2019	10000
			नीतू मिश्रा	25-10-2019	49500
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	25-10-2019	75400
			जयकरन	25-10-2019	5000
22	कार्य अंकित नहीं	14056303	बजरंग ईट उद्योग	17-12-2019	149121
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	17-12-2019	22000
			नीतू मिश्रा	17-12-2019	500
			गंगा प्रसाद	17-12-2019	20000
			आशुतोष सिंह	17-12-2019	12800
			संतोष कुमार	11-01-2020	15834
23	कार्य अंकित नहीं	17544898	नीतू मिश्रा	17-12-2019	48000
			विश्वकर्मा कृषि यांत्रिक वर्क्स	17-12-2019	50000
			मानसी ट्रेडर्स	22-12-2019	47000

			जयकरन	22-12-2019	7000
24	कार्य अंकित नहीं	20184859	महेश कुमार	19-12-2019	11200
			विश्वकर्मा कृषि यांत्रिक वर्क्स	19-12-2019	72000
			आशीष सहाय	19-12-2019	96000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	19-12-2019	47774
			नीतू मिश्रा	13-01-2020	9534
			जे०पी० इन्टरप्राइजेज	25-01-2020	12679
25	कार्य अंकित नहीं	20184860	विश्वकर्मा कृषि यांत्रिक वर्क्स	31-12-2019	72000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	31-12-2019	47774
			नीतू शर्मा	31-12-2019	500
			आशुतोष सिंह	31-12-2019	17800
			आशीष सहाय	13-01-2020	98319
			नीतू मिश्रा	13-01-2020	500
			जे०पी० इन्टरप्राइजेज	25-01-2020	12679
26	कार्य अंकित नहीं	14056308	न्यू बजरंग ईट उद्योग	31-12-2019	85050
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	31-12-2019	8000
			संतोष कुमार	31-12-2019	20000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	11-01-2020	24460
27	कार्य अंकित नहीं	14056309	न्यू बजरंग ईट उद्योग	11-01-2020	105530
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	11-01-2020	16528
			संतोष कुमार	11-01-2020	18564
28	कार्य अंकित नहीं	20248488	आशीष सहाय	11-01-2020	20000
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	13-01-2020	99300
29	कार्य अंकित नहीं	20557557	जय महाकाल इन्टरप्राइजेज	23-01-2020	97004
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	44000
			महेश कुमार	23-01-2020	18200
			आशुतोष सिंह	23-01-2020	27300
			लोधी ट्रेडर्स	23-01-2020	50266
30	कार्य अंकित नहीं	20557556	लोधी ट्रेडर्स	23-01-2020	86886
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	5360
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	42800
			आशुतोष सिंह	23-01-2020	28938

			श्री स्वस्तिक गेनाईट	29-01-2020	40000
31	कार्य अंकित नहीं	20557552	लोधी ट्रेडर्स	25-01-2020	65902
			साई पेंट एण्ड हार्डवेयर	25-01-2020	46840
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	40400
			आशुतोष सिंह	25-01-2020	36400
32	कार्य अंकित नहीं	20557555	शिवानी इन्टरप्राइजेज	25-01-2020	33790
			संतोष कुमार	25-01-2020	34672
			बजरंग इंटरलॉकिंग	25-01-2020	146400
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	25-01-2020	33853
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	500
33	कार्य अंकित नहीं	20557553	लोधी ट्रेडर्स	25-01-2020	61620
			साई पेंट एण्ड हार्डवेयर	25-01-2020	19605
			आशुतोष सिंह	25-01-2020	21112
			श्री स्वस्तिक गेनाईट	29-01-2020	55258
34	कार्य अंकित नहीं	20557554	नीतू मिश्रा	25-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	31200
			लोधी ट्रेडर्स	25-01-2020	61620
			साई पेंट एण्ड हार्डवेयर	25-01-2020	19605
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	31200
			आशुतोष सिंह	25-01-2020	21112
			श्री स्वास्तिक गेनाईट	21-01-2020	55258
35	कार्य अंकित नहीं	1603155	अनुही एशोसिएट	10-02-2020	3050
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	09-03-2020	29000
36	कार्य अंकित नहीं	20184861	आशीष सहाय	18-02-2020	17468
			अंकित ट्रेडर्स	18-02-2020	23000
			सरोज ब्रिक फील्ड	18-02-2020	31985
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	18-02-2020	43786
			नीतू मिश्रा	19-02-2020	16800
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	09-03-2020	13000
			जयकरन	09-03-2020	51000
37	कार्य अंकित नहीं	20248489	रामेश्वर	19-02-2020	20000
38	कार्य अंकित नहीं	20894699	शिव सखी बाबा ब्रिक फील्ड	27-02-2020	48989

39	कार्य अंकित नहीं	1603151	दुर्गा आर्ट्स	28-02-2020	2160
			रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज	28-02-2020	22950
40	कार्य अंकित नहीं	20248489	न्यू बजरंग ईट उद्योग	08-03-2020	111664
41	कार्य अंकित नहीं	20248487	शिवानी इन्टरप्राइजेज	15-03-2020	172128
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	15-03-2020	19540
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	15-03-2020	27964
			अजीत यादव	15-03-2020	27026
			नीतू मिश्रा	15-03-2020	200
42	कार्य अंकित नहीं	20248482	अजीत यादव	15-03-2020	18000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	15-03-2020	27405
43	अन्य व्यय		-	-	63000

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। परन्तु मास्टरोल लेखा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(5) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 06226141.00 व्यय दर्शित है इससे संबंधित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 0 6226141.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० स०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि (रु०)
01	इंटरलॉकिंग	14056287	श्री संतोष कुमार यादव	01-04-2019	74391
02	इंटरलॉकिंग	14056288	श्री संतोष कुमार यादव	06-07-2019	90940
03	इंटरलॉकिंग	14056304	श्री संतोष कुमार यादव	01-09-2019	72000
			अंकित नहीं		96500
			न्यू बजरंग ईट उद्योग		78800

04	हैण्डपंप मरम्मत	17544905	श्री संतोष कुमार यादव	04-05-2019	27000
05	हैण्डपंप मरम्मत	17544904	रामेश्वर हैण्डपंप मिस्त्री	13-08-2019	25000
06	हैण्डपंप मरम्मत	17544896	शिवानी इन्टरप्राइजेज	13-10-2019	50000
07	हैण्डपंप मरम्मत	17544897	श्रीमती नीतू मिश्रा	13-10-2019	31750
			श्री महेश कुमार	13-10-2019	18150
08	बाउन्ड्री	14056327	श्री संतोष कुमार यादव	14-06-2019	89700
09	मिट्टी कार्य	14056302	श्री संतोष कुमार यादव	17-06-2019	197300
10	मिट्टी कार्य	17544906	श्री संतोष कुमार यादव	17-06-2019	195000
11	नाली	14056315	शिवानी इन्टरप्राइजेज	17-06-2019	165000
12	नाली	14056316	संतोष यादव	31-08-2019	50000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग		95800
			न्यू बजरंग ईट उद्योग		96300
			जे०पी० इन्टरप्राइजेज		500
13	सामुदायिक भवन मरम्मत	14056326	श्री संतोष कुमार यादव	27-06-2019	248500
14	आंगनवाडी में मिट्टी कार्य	14056305	शिवानी इन्टरप्राइजेज	30-06-2019	141000
15	खडंजा	14056292	न्यू बजरंग ईट उद्योग	17-07-2019	246864
16	खडंजा	14056313	श्री संतोष कुमार यादव	13-08-2019	93500
17	आर सी सी रोड	14056299	न्यू बजरंग ईट उद्योग	02-08-2019	246200
18	स्टेशनरी	14056282	संतोष कुमार यादव	14-08-2019	1500
19	टाइल्स	12895710	शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	90500
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	45000
			संतोष कुमार यादव	14-08-2019	51000
20	टाइल्स	12895711	शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	64000
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	14-08-2019	7000
			संतोष कुमार यादव	14-08-2019	30500
21	सफाईकर्म	14056283	महेश कुमार	25-10-2019	10000
			दीपनरायन	25-10-2019	10000
			नीतू मिश्रा	25-10-2019	49500
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	25-10-2019	75400
			जयकरन	25-10-2019	5000
22	कार्य अंकित नही	14056303	बजरंग ईट उद्योग	17-12-2019	149121
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	17-12-2019	22000
			नीतू मिश्रा	17-12-2019	500

			गंगा प्रसाद	17-12-2019	20000
			आशुतोष सिंह	17-12-2019	12800
			संतोष कुमार	11-01-2020	15834
23	कार्य अंकित नहीं	17544898	नीतू मिश्रा	17-12-2019	48000
			विश्वकर्मा कृषि यांत्रिक वर्क्स	17-12-2019	50000
			मानसी ट्रेडर्स	22-12-2019	47000
			जयकरन	22-12-2019	7000
24	कार्य अंकित नहीं	20184859	महेश कुमार	19-12-2019	11200
			विश्वकर्मा कृषि यांत्रिक वर्क्स	19-12-2019	72000
			आशीष सहाय	19-12-2019	96000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	19-12-2019	47774
			नीतू मिश्रा	13-01-2020	9534
			जे०पी० इन्टरप्राइजेज	25-01-2020	12679
25	कार्य अंकित नहीं	20184860	विश्वकर्मा कृषि यांत्रिक वर्क्स	31-12-2019	72000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	31-12-2019	47774
			नीतू शर्मा	31-12-2019	500
			आशुतोष सिंह	31-12-2019	17800
			आशीष सहाय	13-01-2020	98319
			नीतू मिश्रा	13-01-2020	500
			जे०पी० इन्टरप्राइजेज	25-01-2020	12679
26	कार्य अंकित नहीं	14056308	न्यू बजरंग ईट उद्योग	31-12-2019	85050
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	31-12-2019	8000
			संतोष कुमार	31-12-2019	20000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	11-01-2020	24460
27	कार्य अंकित नहीं	14056309	न्यू बजरंग ईट उद्योग	11-01-2020	105530
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	11-01-2020	16528
			संतोष कुमार	11-01-2020	18564
28	कार्य अंकित नहीं	20248488	आशीष सहाय	11-01-2020	20000
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	13-01-2020	99300
29	कार्य अंकित नहीं	20557557	जय महाकाल इन्टरप्राइजेज	23-01-2020	97004
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	44000
			महेश कुमार	23-01-2020	18200

			आशुतोष सिंह	23-01-2020	27300
			लोधी ट्रेडर्स	23-01-2020	50266
30	कार्य अंकित नहीं	20557556	लोधी ट्रेडर्स	23-01-2020	86886
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	5360
			नीतू मिश्रा	23-01-2020	42800
			आशुतोष सिंह	23-01-2020	28938
			श्री स्वस्तिक ग्रेनाइट	29-01-2020	40000
31	कार्य अंकित नहीं	20557552	लोधी ट्रेडर्स	25-01-2020	65902
			साई पेंट एण्ड हार्डवेयर	25-01-2020	46840
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	40400
			आशुतोष सिंह	25-01-2020	36400
32	कार्य अंकित नहीं	20557555	शिवानी इन्टरप्राइजेज	25-01-2020	33790
			संतोष कुमार	25-01-2020	34672
			बजरंग इंटरलॉकिंग	25-01-2020	146400
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	25-01-2020	33853
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	500
33	कार्य अंकित नहीं	20557553	लोधी ट्रेडर्स	25-01-2020	61620
			साई पेंट एण्ड हार्डवेयर	25-01-2020	19605
			आशुतोष सिंह	25-01-2020	21112
			श्री स्वस्तिक ग्रेनाइट	29-01-2020	55258
34	कार्य अंकित नहीं	20557554	नीतू मिश्रा	25-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	31200
			लोधी ट्रेडर्स	25-01-2020	61620
			साई पेंट एण्ड हार्डवेयर	25-01-2020	19605
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	10221
			नीतू मिश्रा	25-01-2020	31200
			आशुतोष सिंह	25-01-2020	21112
			श्री स्वास्तिक ग्रेनाइट	21-01-2020	55258
35	कार्य अंकित नहीं	1603155	अनुही एशोसिएट	10-02-2020	3050
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	09-03-2020	29000
36	कार्य अंकित नहीं	20184861	आशीष सहाय	18-02-2020	17468
			अंकित ट्रेडर्स	18-02-2020	23000
			सरोज ब्रिक फील्ड	18-02-2020	31985

			न्यू बजरंग ईट उद्योग	18-02-2020	43786
			नीतू मिश्रा	19-02-2020	16800
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	09-03-2020	13000
			जयकरन	09-03-2020	51000
37	कार्य अंकित नहीं	20248489	रामेश्वर	19-02-2020	20000
38	कार्य अंकित नहीं	20894699	शिव सखी बाबा ब्रिक फील्ड	27-02-2020	48989
39	कार्य अंकित नहीं	1603151	दुर्गा आर्ट्स	28-02-2020	2160
			रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज	28-02-2020	22950
40	कार्य अंकित नहीं	20248489	न्यू बजरंग ईट उद्योग	08-03-2020	111664
41	कार्य अंकित नहीं	20248487	शिवानी इन्टरप्राइजेज	15-03-2020	172128
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	15-03-2020	19540
			शिवानी इन्टरप्राइजेज	15-03-2020	27964
			अजीत यादव	15-03-2020	27026
			नीतू मिश्रा	15-03-2020	200
42	कार्य अंकित नहीं	20248482	अजीत यादव	15-03-2020	18000
			न्यू बजरंग ईट उद्योग	15-03-2020	27405
43	अन्य व्यय	-	-	-	63000

वित्तीय वर्ष में कराए गए क्रमांक 22 से क्रमांक 42 तक कार्य का नाम अंकित नहीं है।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्रपंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि ₹0 6226141.00 में से ग्राम प्रधान से ₹0 3113070.05 और पंचायत सचिव से ₹0 3113070.05 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- रतिया मऊ वि०ख०-गोसाई गंज जनपद -लखनऊ

वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत रतिया मऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य पर कुल ₹0 2295012.00 का व्यय दर्शित है जिसका विवरण एवं सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नलिखित है -

(1) ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय की गई है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी ०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	8472116	ओम ट्रेडर्स	02-04-19	15933
02	अंकित नहीं	13564898	सीताराम ब्रिकफील्ड	02-04-19	29851
03	अंकित नहीं	8472143	ओम ट्रेडर्स	02-04-19	50000
04	प्रा०वि०मे आरो वॉटर	19801739	शिवशक्ति ट्रेडर्स	23-11-19	98500
05	पू० मा०वि०मे आरो वॉटर	19801741	शिवशक्ति ट्रेडर्स	23-11-19	98500
06	अंकित नहीं	13564888	सीताराम ब्रिकफील्ड	02-04-19	3921
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	02-04-19	27268
07	अंकित नहीं	8472111	आर. आर.एसोशिएट	06-04-19	3416

	अंकित नहीं		अनुही एसोशिएट	08-04-19	3050
	अंकित नहीं		मीनू इंटरप्राइजेज	28-12-19	26000
08	हैंडपंपमरम्मत	8472108	हैंडपंप मिस्त्री	21-06-19	5000
			ओम ट्रेडर्स	29-06-19	18936
09	सोलर लाइट	19380621	श्रीसोलर एनर्जी प्रा. लि.	25-10-19	234000
			सुशील इंटरप्राइजेज	26-12-19	4500
	सोलरलाइट इन्स्टालेसन		प्रमोद कुमार	26-12-19	5700
10	लैपटॉप मरम्मत	15057358	रमन कुमार गुप्ता	26-12-19	4500
			सुशील इंटरप्राइजेज	29-11-19	13540
			ताहिर अली	31-12-19	3100
			एवरी डे न्यूज	10-01-20	3150
	वाल पेंटिंग		अभिषेक	14-01-20	3900
			ग्राम प्रधान	19-01-20	5000
			ग्राम प्रधान	19-01-20	5000
11	अंकित नहीं	19801742	ओम होममटेरियल्स(टायल्स	04-02-20	99430
	अंकित नहीं		अरविंद कुमारलेबर(7644*5)	11-03-20	38220
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	1438
	अंकित नहीं		ओम होम मटेरियल्स	30-03-20	39597
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	30-03-20	41382
	लेबर		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	910
	लेबर		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	26000
12	मिट्टी	15057364	ओम ट्रेडर्स	10-02-20	49500
			शमशाद (लेबर)	25-02-20	2184
			डोरीलाल (लेबर)	25-02-20	2184
			सत्यनारायण;बृजमोहन (लेबर)	25-02-20	4368
			सत्यनारायण;बृजमोहन शमशाद डोरीलाल (लेबर)	29-02-20	4368
			सत्यनारायण;बृजमोहन, शमशाद, डोरीलाल(1092*4) लाल चंद, रामरतन(4368*2) (लेबर)	04-03-20	13104
13	इंटरलकिंग	15057376	एस. आर. इंटरप्राइजेज	04-03-20	141376
			ओम ट्रेडर्स	15-03-20	22262
			सीताराम ब्रिकफील्ड	17-03-20	21598
			ओम ट्रेडर्स	17-03-20	24802
			अरविंद(मिस्त्री)	17-03-20	13200
14	अंकित नहीं	15057363	ओम ट्रेडर्स	30-03-20	133158
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	2057
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	41132
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार (मिस्त्री)	30-03-20	27200
15	अंकित नहीं	15057386	सीताराम ब्रिकफील्ड	15-03-20	11660
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	15-03-20	40775
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	4000

16	इंटरलकिंग	15057375	एस. आर. इंटरप्राइजेज	15-03-20	111154
			ओम ट्रेडर्स	15-03-20	17952
			सीताराम ब्रिकफील्ड	17-03-20	27848
			ओम ट्रेडर्स	17-03-20	28160
			अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	8400
			अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	12400
17	अंकित नहीं	15057377	सीताराम ब्रिकफील्ड	15-03-20	15528
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	15-03-20	86362
18	अंकित नहीं	20548739	ओम ट्रेडर्स	29-03-20	38382
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	29-03-20	39645
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	29-03-20	11200
19	सोलर लाइट	19801743	माँ विध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट	30-03-20	94842
			माँ विध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट	30-03-20	94842
20	अंकित नहीं	20548736	ओम होम मटेरियल्स	30-03-20	126868
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	30-03-20	45868
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	4599
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	37492
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	24800
	योग				2295012

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 2295012.00 में से ग्राम प्रधान रु० 1147506.00 से और पंचायत सचिव से रु० 1147506.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

-पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत, 2.5 से 5 लाख तक डी पी आर ओ , 5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु० 2295012.00 व्यय दर्शित है। विवरण निम्नलिखित है -

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी ०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	8472116	ओम ट्रेडर्स	02-04-19	15933

02	अंकित नहीं	13564898	सीताराम ब्रिकफील्ड	02-04-19	29851
03	अंकित नहीं	8472143	ओम ट्रेडर्स	02-04-19	50000
04	प्रा०वि०मे आरो वॉटर	19801739	शिवशक्ति ट्रेडर्स	23-11-19	98500
05	पू० मा०वि०मे आरो वॉटर	19801741	शिवशक्ति ट्रेडर्स	23-11-19	98500
06	अंकित नहीं	13564888	सीताराम ब्रिकफील्ड	02-04-19	3921
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	02-04-19	27268
07	अंकित नहीं	8472111	आर. आर.एसोशिएट	06-04-19	3416
	अंकित नहीं		अनुही एसोशिएट	08-04-19	3050
	अंकित नहीं		मीनू इंटरप्राइजेज	28-12-19	26000
08	हैंडपंपमरम्मत	8472108	हैंडपंप मिस्त्री	21-06-19	5000
			ओम ट्रेडर्स	29-06-19	18936
09	सोलर लाइट	19380621	श्रीसोलर एनर्जी प्रा. लि.	25-10-19	234000
			सुशील इंटरप्राइजेज	26-12-19	4500
	सोलरलाइट इन्स्टालेसन		प्रमोद कुमार	26-12-19	5700
10	लैपटॉप मरम्मत	15057358	रमन कुमार गुप्ता	26-12-19	4500
			सुशील इंटरप्राइजेज	29-11-19	13540
			ताहिर अली	31-12-19	3100
			एवरी डे न्यूज	10-01-20	3150
	वाल पेंटिंग		अभिषेक	14-01-20	3900
			ग्राम प्रधान	19-01-20	5000
			ग्राम प्रधान	19-01-20	5000
11	अंकित नहीं	19801742	ओम होममटेरियल्स(टायल्स	04-02-20	99430
	अंकित नहीं		अरविंद कुमारलेबर(7644*5)	11-03-20	38220
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	1438
	अंकित नहीं		ओम होम मटेरियल्स	30-03-20	39597
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	30-03-20	41382
	लेबर		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	910
	लेबर		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	26000
12	मिट्टी	15057364	ओम ट्रेडर्स	10-02-20	49500
			शमशाद (लेबर)	25-02-20	2184
			डोरीलाल (लेबर)	25-02-20	2184
			सत्यनारायण;बृजमोहन (लेबर)	25-02-20	4368
			सत्यनारायण;बृजमोहन शमशाद डोरीलाल (लेबर)	29-02-20	4368
			सत्यनारायण;बृजमोहन, शमशाद, डोरीलाल(1092*4) लाल चंद, रामरतन(4368*2) (लेबर)	04-03-20	13104
13	इंटरलकिंग	15057376	एस. आर. इंटरप्राइजेज	04-03-20	141376
			ओम ट्रेडर्स	15-03-20	22262
			सीताराम ब्रिकफील्ड	17-03-20	21598
			ओम ट्रेडर्स	17-03-20	24802
			अरविंद(मिस्त्री)	17-03-20	13200

14	अंकित नहीं	15057363	ओम ट्रेडर्स	30-03-20	133158
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	2057
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	41132
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार (मिस्त्री)	30-03-20	27200
15	अंकित नहीं	15057386	सीताराम ब्रिकफील्ड	15-03-20	11660
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	15-03-20	40775
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	4000
16	इंटरलकिंग	15057375	एस. आर. इंटरप्राइजेज	15-03-20	111154
			ओम ट्रेडर्स	15-03-20	17952
			सीताराम ब्रिकफील्ड	17-03-20	27848
			ओम ट्रेडर्स	17-03-20	28160
			अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	8400
			अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	12400
17	अंकित नहीं	15057377	सीताराम ब्रिकफील्ड	15-03-20	15528
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	15-03-20	86362
18	अंकित नहीं	20548739	ओम ट्रेडर्स	29-03-20	38382
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	29-03-20	39645
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	29-03-20	11200
19	सोलर लाइट	19801743	माँ विध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट	30-03-20	94842
			माँ विध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट	30-03-20	94842
20	अंकित नहीं	20548736	ओम होम मटेरियल्स	30-03-20	126868
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	30-03-20	45868
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	4599
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	37492
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	24800
	योग				2295012

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु०2295012.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी ०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	8472116	ओम ट्रेडर्स	02-04-19	15933
02	अंकित नहीं	13564898	सीताराम ब्रिकफील्ड	02-04-19	29851
03	अंकित नहीं	8472143	ओम ट्रेडर्स	02-04-19	50000
04	प्रा०वि०मे आरो वॉटर	19801739	शिवशक्ति ट्रेडर्स	23-11-19	98500

05	पू० मा०वि०मे आरो वॉटर	19801741	शिवशक्ति ट्रेडर्स	23-11-19	98500
06	अंकित नहीं	13564888	सीताराम ब्रिकफील्ड	02-04-19	3921
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	02-04-19	27268
07	अंकित नहीं	8472111	आर. आर.एसोशिएट	06-04-19	3416
	अंकित नहीं		अनुही एसोशिएट	08-04-19	3050
	अंकित नहीं		मीनू इंटरप्राइजेज	28-12-19	26000
08	हैंडपंपमरम्मत	8472108	हैंडपंप मिस्त्री	21-06-19	5000
			ओम ट्रेडर्स	29-06-19	18936
09	सोलर लाइट	19380621	श्रीसोलर एनर्जी प्रा. लि.	25-10-19	234000
			सुशील इंटरप्राइजेज	26-12-19	4500
	सोलरलाइट इन्स्टालेसन		प्रमोद कुमार	26-12-19	5700
10	लैपटॉप मरम्मत	15057358	रमन कुमार गुप्ता	26-12-19	4500
			सुशील इंटरप्राइजेज	29-11-19	13540
			ताहिर अली	31-12-19	3100
			एवरी डे न्यूज	10-01-20	3150
	वाल पेंटिंग		अभिषेक	14-01-20	3900
			ग्राम प्रधान	19-01-20	5000
			ग्राम प्रधान	19-01-20	5000
11	अंकित नहीं	19801742	ओम होममटेरियल्स(टायल्स	04-02-20	99430
	अंकित नहीं		अरविंद कुमारलेबर(7644*5)	11-03-20	38220
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	1438
	अंकित नहीं		ओम होम मटेरियल्स	30-03-20	39597
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	30-03-20	41382
	लेबर		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	910
	लेबर		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	26000
12	मिट्टी	15057364	ओम ट्रेडर्स	10-02-20	49500
			शमशाद (लेबर)	25-02-20	2184
			डोरीलाल (लेबर)	25-02-20	2184
			सत्यनारायण;बृजमोहन (लेबर)	25-02-20	4368
			सत्यनारायण;बृजमोहन शमशाद डोरीलाल (लेबर)	29-02-20	4368
			सत्यनारायण;बृजमोहन, शमशाद, डोरीलाल(1092*4) लाल चंद, रामरतन(4368*2) (लेबर)	04-03-20	13104
13	इंटरलकिंग	15057376	एस. आर. इंटरप्राइजेज	04-03-20	141376
			ओम ट्रेडर्स	15-03-20	22262
			सीताराम ब्रिकफील्ड	17-03-20	21598
			ओम ट्रेडर्स	17-03-20	24802
			अरविंद(मिस्त्री)	17-03-20	13200
14	अंकित नहीं	15057363	ओम ट्रेडर्स	30-03-20	133158
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	2057
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	41132

	अंकित नहीं		अरविंद कुमार (मिस्त्री)	30-03-20	27200
15	अंकित नहीं	15057386	सीताराम ब्रिकफील्ड	15-03-20	11660
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	15-03-20	40775
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	4000
16	इंटरलकिंग	15057375	एस. आर. इंटरप्राइजेज	15-03-20	111154
			ओम ट्रेडर्स	15-03-20	17952
			सीताराम ब्रिकफील्ड	17-03-20	27848
			ओम ट्रेडर्स	17-03-20	28160
			अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	8400
			अरविंद कुमार (मिस्त्री)	17-03-20	12400
17	अंकित नहीं	15057377	सीताराम ब्रिकफील्ड	15-03-20	15528
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	15-03-20	86362
18	अंकित नहीं	20548739	ओम ट्रेडर्स	29-03-20	38382
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	29-03-20	39645
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	29-03-20	11200
19	सोलर लाइट	19801743	माँ विंध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट	30-03-20	94842
			माँ विंध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट	30-03-20	94842
20	अंकित नहीं	20548736	ओम होम मटेरियल्स	30-03-20	126868
	अंकित नहीं		ओम ट्रेडर्स	30-03-20	45868
	अंकित नहीं		सीताराम ब्रिकफील्ड	30-03-20	4599
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	37492
	अंकित नहीं		अरविंद कुमार लेबर	30-03-20	24800
	योग				2295012

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

शासनादेश संख्या- 33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाइट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा माँ विंध्यवासिनी सोलर&एल ई डी लाइट से रु0 189684.00 का तथा श्रीसोलर एनर्जी प्रा. लि. से रु0234000.00 का कुल रु0 423684.00 का सोलर लाइट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत नहीं है इसलिए सोलर लाइट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है। निदेशक पंचायतीराज 30प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

-मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत रतियामऊ के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु0 271162.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	19801742	अरविंद कुमार	11-03-20	38220
		अरविंद कुमार	30-03-20	910
		अरविंद कुमार	30-03-20	26000
02	15057364	शमशाद	25-02-20	2184

		डोरी लाल	25-02-20	2184
		सत्यनारायण;बृजमोहन	25-02-20	4368
		सत्यनारायण;बृजमोहन शमशाद डोरीलाल	29-02-20	4368
		सत्यनारायण;बृजमोहन, शमशाद, डोरीलाल(1092*4) लाल चंद, रामरतन(4368*2)	04-03-20	13104
03	15057376	अरविंद कुमार	17-03-20	13200
04	15057363	अरविंद कुमार	30-03-20	41132
		अरविंद कुमार	30-03-20	27200
05	15057386	अरविंद कुमार	17-03-20	4000
06	15057375	अरविंद कुमार	17-03-20	12400
		अरविंद कुमार	17-03-20	8400
07	20548739	अरविंद कुमार	29-03-20	11200
08	20548736	अरविंद कुमार	30-03-20	37492
		अरविंद कुमार	30-03-20	24800
	योग			271162.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है की क्रमांक 02 को छोड़कर शेष पर अंकित कार्य हेतु मात्र एक ही मजदूर अरविंद कुमार को भुगतान किया गया। मास्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

--सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 2023850.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- घुसकर वि0ख0-गोसाईं गंज जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 18

ग्राम पंचायत- घुसकर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि ₹0 5389564.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1) ग्राम पंचायत- घुसकर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	10861928	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	03-04-19	70149
		"	प्रिंस इलैक्ट्रॉनिक्स ,,	31-07-19	54820
02	अंकित नहीं	8546604	कुसुम इंटरप्राइजेज	04-04-19	412991
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	04-04-19	150869
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	10-05-19	150869
		"	ग्राम प्रधान (लेबर)	19-05-19	35000

03	अंकित नहीं	8546667	कुसुम इंटरप्राइजेज	03-05-19	173828
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	10-05-19	412991
		"	जायसवाल ट्रेडर्स	01-06-19	82340
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	31-07-19	78250
04	अंकित नहीं	8546606	दुग्गलआर आर एसोसिएट	04-15-19	1708
		"	अनुही एसोसिएट	04-15-19	3050
		"	अरुणिमा इंटरप्राइजेज	04-07-19	34500
		"	डाटा फीडिंग (ग्राम प्रधान)	31-07-19	2000
		"	माधुरी स्टेशनर्स	25-02-20	13220
05	अंकित नहीं	8546590	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	04-05-19	31186
06	अंकित नहीं	8546608	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	04-05-19	3464
07	अंकित नहीं	10861926	ग्राम प्रधान (लेबर)	10-05-19	7200
		"	शिवम हार्डवेयर	01-08-19	37500
08	अंकित नहीं	10861922	जायसवाल ट्रेडर्स	31-07-19	54000
		"	प्रभात इंटरप्राइजेज	31-07-19	72800
		"	जायसवाल ट्रेडर्स	01-08-19	38000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	01-08-19	54000
		"	प्रिंस इलैक्ट्रानिक्स ,,	03-08-19	37500
09	अंकित नहीं	10861924	ग्राम प्रधान (लेबर)	31-07-19	1000
10	अंकित नहीं	4556249	कुसुम इंटरप्राइजेज	31-07-19	55850
		"	जायसवाल ट्रेडर्स	31-07-19	75850
		"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	66430
		4556249	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	54964
		"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	52780
		"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	45136
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	01-08-19	312000
		"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	48776
		"	जायसवाल ट्रेडर्स	03-08-19	164025
11	अंकित नहीं	4556606	माधुरी स्टेशनर्स	02-08-19	12800
12	अंकित नहीं	19010574	प्रभात इंटरप्राइजेज	30-09-19	94000
		"	प्रभात इंटरप्राइजेज	30-09-19	94000
13	अंकित नहीं	19010578	माधुरी स्टेशनर्स	04-10-19	18500
		"	माधुरी स्टेशनर्स	04-10-19	17500
14	हैंडपम्प मरमम्त	19010581	कुसुम इंटरप्राइजेज	09-10-19	45067
15	हैंडपम्प मरमम्त	19010569	जायसवाल ट्रेडर्स	17-10-19	112500
		"	अरविंद कुमार(मिस्त्री)	17-10-19	57000
16	अंकित नहीं	19010568	कुसुम इंटरप्राइजेज	19-11-19	66783
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	19-11-19	140305
		"	अरविंद कुमार(लेबर)	19-11-19	30170
17	अंकित नहीं	19010570	जायसवाल आयल ट्रेडर्स	08-01-20	112500
18	अंकित नहीं	19539615	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	65000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	65530

19	अंकित नहीं	19539626	रामशंकर(लेबर)	29-11-19	70000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	55000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	55000
20	अंकित नहीं	19539627	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	76000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	77914
21	अंकित नहीं	19539617	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	95029
		"	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	54700
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	12-12-19	13079
		"	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	24000
		"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	12225
22	अंकित नहीं	19539616	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	90720
		19539616	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	90946
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	12-12-19	17924
		"	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	30576
		"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	15050
23	अंकित नहीं	20261462	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	75000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	75000
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	74250
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	74250
24	अंकित नहीं	20261461	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	83300
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	83300
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	83400
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	89100
		"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	89100
		योग			5389564

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 5389564.00 में से ग्राम प्रधान रु० 2694782.00 से और पंचायत सचिव से रु० 2694782.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(2) ग्राम पंचायत घुसकर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु० 614307.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	8546604	ग्राम प्रधान (लेबर)	19-05-19	35000
02	10861926	ग्राम प्रधान (लेबर)	10-05-19	7200
03	10861924	ग्राम प्रधान (लेबर)	31-07-19	1000
04	4556249	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	66430
05	4556249	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	54964
06	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	52780
07	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	45136
08	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	48776
09	19010569	अरविंद कुमार(मिस्त्री)	17-10-19	57000

10	19010568	अरविंद कुमार(लेबर)	19-11-19	30170
11	19539615	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
12	19539626	रामशंकर(लेबर)	29-11-19	70000
13	19539626	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
14	19539617	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	24000
15	"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	12225
16	19539616	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	30576
17	"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	15050
	योग			614307

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है की क्रमांक 1 से 8 पर अंकित कार्यो हेतु किस मजदूर को भुगतान किया गया दर्शित नहीं उक्त भुगतान ग्राम प्रधान को किया जाना दर्शित । क्रमांक 9 से 17 पर अंकित कार्यो हेतु किसी एक व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान किया गया । मास्टरोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की कितने मजदूरों ने कार्य किया । उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(3) उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा । निम्न लिखित कार्यो पर कुल रु० 5389564.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	10861928	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	03-04-19	70149
	अंकित नहीं	"	प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स ,,	31-07-19	54820
02	अंकित नहीं	8546604	कुसुम इंटरप्राइजेज	04-04-19	412991
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	04-04-19	150869
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	10-05-19	150869
	अंकित नहीं	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	19-05-19	35000
03	अंकित नहीं	8546667	कुसुम इंटरप्राइजेज	03-05-19	173828
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	10-05-19	412991
	अंकित नहीं	"	जायसवाल ट्रेडर्स	01-06-19	82340
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	31-07-19	78250
04	अंकित नहीं	8546606	दुग्गलआरआर एसोसिएट	04-15-19	1708
	अंकित नहीं	"	अनुही एसोसिएट	04-15-19	3050
	अंकित नहीं	"	अरुणिमा इंटरप्राइजेज	04-07-19	34500
	अंकित नहीं	"	डाटा फीडिंग (ग्राम प्रधान)	31-07-19	2000
	अंकित नहीं	"	माधुरी स्टेशनर्स	25-02-20	13220
05	अंकित नहीं	8546590	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	04-05-19	31186
06	अंकित नहीं	8546608	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	04-05-19	3464
07	अंकित नहीं	10861926	ग्राम प्रधान (लेबर)	10-05-19	7200
	अंकित नहीं	"	शिवम हार्डवेयर	01-08-19	37500
08	अंकित नहीं	10861922	जायसवाल ट्रेडर्स	31-07-19	54000
	अंकित नहीं	"	प्रभात इंटरप्राइजेज	31-07-19	72800
	अंकित नहीं	"	जायसवाल ट्रेडर्स	01-08-19	38000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	01-08-19	54000

	अंकित नहीं	"	प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स ,,	03-08-19	37500
09	अंकित नहीं	10861924	ग्राम प्रधान (लेबर)	31-07-19	1000
10	अंकित नहीं	4556249	कुसुम इंटरप्राइजेज	31-07-19	55850
	अंकित नहीं	"	जायसवाल ट्रेडर्स	31-07-19	75850
	अंकित नहीं	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	66430
	अंकित नहीं	4556249	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	54964
	अंकित नहीं	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	52780
	अंकित नहीं	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	45136
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	01-08-19	312000
	अंकित नहीं	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	48776
	अंकित नहीं	"	जायसवाल ट्रेडर्स	03-08-19	164025
11	अंकित नहीं	4556606	माधुरी स्टेशनर्स	02-08-19	12800
12	अंकित नहीं	19010574	प्रभात इंटरप्राइजेज	30-09-19	94000
	अंकित नहीं	"	प्रभात इंटरप्राइजेज	30-09-19	94000
13	अंकित नहीं	19010578	माधुरी स्टेशनर्स	04-10-19	18500
	अंकित नहीं	"	माधुरी स्टेशनर्स	04-10-19	17500
14	हैंडपम्प मरमम्त	19010581	कुसुम इंटरप्राइजेज	09-10-19	45067
15	हैंडपम्प मरमम्त	19010569	जायसवाल ट्रेडर्स	17-10-19	112500
		"	अरविंद कुमार(मिस्त्री)	17-10-19	57000
16	अंकित नहीं	19010568	कुसुम इंटरप्राइजेज	19-11-19	66783
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	19-11-19	140305
	अंकित नहीं	"	अरविंद कुमार(लेबर)	19-11-19	30170
17	अंकित नहीं	19010570	जायसवाल आयल ट्रेडर्स	08-01-20	112500
18	अंकित नहीं	19539615	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	65000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	65530
19	अंकित नहीं	19539626	रामशंकर(लेबर)	29-11-19	70000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	55000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	55000
20	अंकित नहीं	19539627	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	76000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-11-19	77914
21	अंकित नहीं	19539617	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	95029
	अंकित नहीं	"	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	54700
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	12-12-19	13079
	अंकित नहीं	"	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	24000
	अंकित नहीं	"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	12225
22	अंकित नहीं	19539616	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	90720
	अंकित नहीं	19539616	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	90946
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	12-12-19	17924
	अंकित नहीं	"	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	30576
	अंकित नहीं	"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	15050
23	अंकित नहीं	20261462	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	75000

	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	75000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	74250
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	74250
24	अंकित नहीं	20261461	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	83300
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	83300
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	22-01-20	83400
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	89100
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	11-02-20	89100
		योग			5389564

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(4) कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5) वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत,2.5 से 5 लाख तक डीपीआरओ ,5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6) उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु० 5389564.00व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	10861928	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	03-04-19	70149
	अंकित नहीं	"	प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स ,,	31-07-19	54820
02	अंकित नहीं	8546604	कुसुम इंटरप्राइजेज	04-04-19	412991
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	04-04-19	150869
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	10-05-19	150869
	अंकित नहीं	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	19-05-19	35000
03	अंकित नहीं	8546667	कुसुम इंटरप्राइजेज	03-05-19	173828
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	10-05-19	412991
	अंकित नहीं	"	जायसवाल ट्रेडर्स	01-06-19	82340
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज	31-07-19	78250
04	अंकित नहीं	8546606	दुग्गलआर आर एसोसिएट	04-15-19	1708
	अंकित नहीं	"	अनुही एसोसिएट	04-15-19	3050
	अंकित नहीं	"	अरुणिमा इंटरप्राइजेज	04-07-19	34500
	अंकित नहीं	"	डाटा फीडिंग (ग्राम प्रधान)	31-07-19	2000
	अंकित नहीं	"	माधुरी स्टेशनर्स	25-02-20	13220
05	अंकित नहीं	8546590	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	04-05-19	31186
06	अंकित नहीं	8546608	खानसीमेंटस्टोर(सामग्री क्रय)	04-05-19	3464
07	अंकित नहीं	10861926	ग्राम प्रधान (लेबर)	10-05-19	7200
	अंकित नहीं	"	शिवम हार्डवेयर	01-08-19	37500

08	अंकित नही	10861922	जायसवाल ट्रेडर्स	31-07-19	54000
	अंकित नही	"	प्रभात इंटरप्राइजेज़	31-07-19	72800
	अंकित नही	"	जायसवाल ट्रेडर्स	01-08-19	38000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	01-08-19	54000
	अंकित नही	"	प्रिस इलैक्ट्रानिक्स ,,	03-08-19	37500
09	अंकित नही	10861924	ग्राम प्रधान (लेबर)	31-07-19	1000
10	अंकित नही	4556249	कुसुम इंटरप्राइजेज़	31-07-19	55850
	अंकित नही	"	जायसवाल ट्रेडर्स	31-07-19	75850
	अंकित नही	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	66430
	अंकित नही	4556249	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	54964
	अंकित नही	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	52780
	अंकित नही	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	45136
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	01-08-19	312000
	अंकित नही	"	ग्राम प्रधान (लेबर)	01-08-19	48776
	अंकित नही	"	जायसवाल ट्रेडर्स	03-08-19	164025
11	अंकित नही	4556606	माधुरी स्टेशनर्स	02-08-19	12800
12	अंकित नही	19010574	प्रभात इंटरप्राइजेज़	30-09-19	94000
	अंकित नही	"	प्रभात इंटरप्राइजेज़	30-09-19	94000
13	अंकित नही	19010578	माधुरी स्टेशनर्स	04-10-19	18500
	अंकित नही	"	माधुरी स्टेशनर्स	04-10-19	17500
14	हैंडपम्प मरमम्त	19010581	कुसुम इंटरप्राइजेज़	09-10-19	45067
15	हैंडपम्प मरमम्त	19010569	जायसवाल ट्रेडर्स	17-10-19	112500
		"	अरविंद कुमार(मिस्त्री)	17-10-19	57000
16	अंकित नही	19010568	कुसुम इंटरप्राइजेज़	19-11-19	66783
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	19-11-19	140305
	अंकित नही	"	अरविंद कुमार(लेबर)	19-11-19	30170
17	अंकित नही	19010570	जायसवाल आयल ट्रेडर्स	08-01-20	112500
18	अंकित नही	19539615	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-11-19	65000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-11-19	65530
19	अंकित नही	19539626	रामशंकर(लेबर)	29-11-19	70000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-11-19	55000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-11-19	55000
20	अंकित नही	19539627	अरविंद कुमार(लेबर)	29-11-19	32000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-11-19	76000
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-11-19	77914
21	अंकित नही	19539617	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	95029
	अंकित नही	"	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	54700
	अंकित नही	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	12-12-19	13079
	अंकित नही	"	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	24000
	अंकित नही	"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	12225
22	अंकित नही	19539616	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	90720
	अंकित नही	19539616	सिया राम ब्रिक फील्ड	12-12-19	90946

	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	12-12-19	17924
	अंकित नहीं	"	अरविंद कुमार(लेबर)	12-12-19	30576
	अंकित नहीं	"	रामशंकर(लेबर)	12-12-19	15050
23	अंकित नहीं	20261462	कुसुम इंटरप्राइजेज़	22-01-20	75000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	22-01-20	75000
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	11-02-20	74250
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	11-02-20	74250
24	अंकित नहीं	20261461	कुसुम इंटरप्राइजेज़	22-01-20	83300
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	22-01-20	83300
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	22-01-20	83400
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	11-02-20	89100
	अंकित नहीं	"	कुसुम इंटरप्राइजेज़	11-02-20	89100
		योग			5389564

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 4775257.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(7) हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत घुसकर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की ऑन लाइन फीडेड बाउचर में कार्य का नाम नहीं दर्शित है। फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर पर मात्र ₹0 214567.00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र०सं०	हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	19010581	कुसुम इंटरप्राइजेज़	09-10-19	45067
2	19010569	जायसवाल आयल ट्रेडर्स	17-10-19	112500
3	19010569	अरविंद कुमार(मिस्त्री)	17-10-19	57000
	योग			214567

शासनादेश सं० 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत- कापेरामदारपुर वि०ख०-गोसाई गंज जनपद -लखनऊ वर्ष-2019-20

प्रस्तर संख्या -19

ग्राम पंचायत- कापेरामदारपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि ₹0 2447303.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्य पर कुल ₹0 2447303.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	15544038	लेबर और मटेरियल	15-04-19	50000
02	अंकित नहीं	8629050	आर आर एसोसिएट	04-06-19	1750
	अंकित नहीं		आरूही एसोसिएट	04-06-19	3050
	अंकित नहीं		आंबेजा लेबर	24-07-19	2500
03	अंकित नहीं	15598389	प्रभात इंटरप्राइजेज़	08-07-19	82500
	अंकित नहीं		"	"	86900
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	15-07-19	38500
	अंकित नहीं		"	"	38500
	अंकित नहीं		लेबर	19-07-19	9744
	अंकित नहीं		बलबन्त ट्रेडर्स	20-07-19	23700
	अंकित नहीं		माँ वैष्णो ट्रेडर्स	25-07-19	17800
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	31-07-19	47000
04	अंकित नहीं	1391792	पटेल आइरन स्टोर	04-07-19	35850
05	अंकित नहीं	15598408	पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	54720
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	17500
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	15-05-19	7200
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	22-07-19	53550
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	37950
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	13-02-20	36000
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	22-02-20	7200
06	अंकित नहीं	15598407	प्रभात इंटरप्राइजेज़	23-07-19	78250
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	30-07-19	67650
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़	22-02-20	54960
	अंकित नहीं		ऋषी कुमार लेबर	29-02-20	28500
07	अंकित नहीं	15544039	माधुरी स्टेसनर्स	24-07-19	18520
	अंकित नहीं		एवरी डे न्यूज़	25-07-19	3000
08	अंकित नहीं	15598406	माधुरी स्टेसनर्स	07-10-19	16320
	अंकित नहीं		हर्ष इंटरप्राइजेज़	27-11-19	57050
	अंकित नहीं		दुर्गेश कुमारी प्रधान	20-01-20	25000
	अंकित नहीं		बलबन्त ट्रेडर्स	22-02-20	16800
	अंकित नहीं		हर्ष इंटरप्राइजेज़	22-02-20	15300
09	अंकित नहीं	15598429	प्रभात इंटरप्राइजेज़	07-10-19	94000
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	07-10-19	47000
10	अंकित नहीं	15598488	कुसम इंटरप्राइजेज़ (हैंडपम्पसामग्री)	16-10-19	44540
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	21740
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	31350
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	27-11-19	2500

	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	13-12-19	14200
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़ हैंडपम्पसामग्री	18-12-19	41439
11	अंकित नहीं	20078386	प्रभात इंटरप्राइजेज़	13-12-19	80080
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	13-12-19	88557
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-01-20	8500
12	अंकित नहीं	20078390	कुसम इंटरप्राइजेज़	04-01-20	63550
13	अंकित नहीं	8629049	गोपालक मानदेय	09-01-20	26000
14	अंकित नहीं	20078385	प्रभात इंटरप्राइजेज़	09-01-20	77115
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	09-01-20	73193
15	अंकित नहीं	19467627	गोपालकमानदेय	09-01-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय महादेव	13-02-20	26000
16	अंकित नहीं	20816916	गोपालकमानदेय कल्लो	13-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय महादेव	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय राजेश कुमार	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय मंशा राम	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय मंशा राम	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय राजेश	22-02-20	26000
17	अंकित नहीं	200783 88	दयाल ब्रिक फील्ड	20-01-20	49947
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-01-20	15456
	अंकित नहीं		प्रधान को भुगतान	20-01-20	7070
	अंकित नहीं		जसवंत कुमार मिट्टी भुगतान	20-01-20	5236
18	अंकित नहीं	20816909	प्रभात इंटरप्राइजेज़	17-02-20	60025
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	17-02-20	63648
19	अंकित नहीं	19467625	ऋषी कुमार लेबर	13-03-20	26976
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	20-02-20	35000
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-02-20	42244
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	20-02-20	33651
20	अंकित नहीं	15598437	बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	11589
21	अंकित नहीं	15598445	बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	29823
	अंकित नहीं	15598447	बल्बन्तट्रेडर्स	29-02-20	59071
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	29-02-20	26799
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़	29-02-20	25740
		योग			2447303

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि ₹0 2447303.00 में से ग्राम प्रधान से ₹0 1223651.50 और पंचायत सचिव से ₹0 1223651.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(2) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत कापेरामदारपुर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु ₹0 136770.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	8629050	आंबेजा लेबर	24-07-19	2500

02		लेबर	19-07-19	9744
03	15598408	मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	15-05-19	7200
04		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	37950
05		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	22-02-20	7200
06	15598407	ऋषी कुमार लेबर	29-02-20	28500
07	15598488	मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	27-11-19	2500
08		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	13-12-19	14200
09	19467625	ऋषी कुमार लेबर	13-03-20	26976
	योग			136770

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट नहीं होता है कि मजदूरी का भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है। मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(3) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु०2447303-00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	15544038	लेबर और मटेरियल	15-04-19	50000
02	अंकित नहीं	8629050	आर आर एसोसिएट	04-06-19	1750
	अंकित नहीं		आरूही एसोसिएट	04-06-19	3050
	अंकित नहीं		आंबेजा लेबर	24-07-19	2500
03	अंकित नहीं	15598389	प्रभात इंटरप्राइजेज़	08-07-19	82500
	अंकित नहीं		"	"	86900
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	15-07-19	38500
	अंकित नहीं		"	"	38500
	अंकित नहीं		लेबर	19-07-19	9744
	अंकित नहीं		बल्बन्त ट्रेडर्स	20-07-19	23700
	अंकित नहीं		माँ वैष्णो ट्रेडर्स	25-07-19	17800
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	31-07-19	47000
04	अंकित नहीं	1391792	पटेल आइरन स्टोर	04-07-19	35850
05	अंकित नहीं	15598408	पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	54720
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	17500
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	15-05-19	7200
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	22-07-19	53550
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	37950
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	13-02-20	36000
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	22-02-20	7200
06	अंकित नहीं	15598407	प्रभात इंटरप्राइजेज़	23-07-19	78250
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	30-07-19	67650
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़	22-02-20	54960

	अंकित नहीं		ऋषी कुमार लेबर	29-02-20	28500
07	अंकित नहीं	15544039	माधुरी स्टेसनर्स	24-07-19	18520
	अंकित नहीं		एवरी डे न्यूज	25-07-19	3000
08	अंकित नहीं	15598406	माधुरी स्टेसनर्स	07-10-19	16320
	अंकित नहीं		हर्ष इंटरप्राइजेज़	27-11-19	57050
	अंकित नहीं		दुर्गेश कुमारी प्रधान	20-01-20	25000
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	16800
	अंकित नहीं		हर्ष इंटरप्राइजेज़	22-02-20	15300
09	अंकित नहीं	15598429	प्रभात इंटरप्राइजेज़	07-10-19	94000
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	07-10-19	47000
10	अंकित नहीं	15598488	कुसम इंटरप्राइजेज़(हैंडपम्पसामग्री)	16-10-19	44540
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	21740
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	31350
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	27-11-19	2500
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	13-12-19	14200
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़ हैंडपम्पसामग्री	18-12-19	41439
11	अंकित नहीं	20078386	प्रभात इंटरप्राइजेज़	13-12-19	80080
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	13-12-19	88557
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-01-20	8500
12	अंकित नहीं	20078390	कुसम इंटरप्राइजेज़	04-01-20	63550
13	अंकित नहीं	8629049	गोपालक मानदेय	09-01-20	26000
14	अंकित नहीं	20078385	प्रभात इंटरप्राइजेज़	09-01-20	77115
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	09-01-20	73193
15	अंकित नहीं	19467627	गोपालकमानदेय	09-01-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय महादेव	13-02-20	26000
16	अंकित नहीं	20816916	गोपालकमानदेय कल्लो	13-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय महादेव	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय राजेश कुमार	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय मंशा राम	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय मंशा राम	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय राजेश	22-02-20	26000
17	अंकित नहीं	200783 88	दयाल ब्रिक फील्ड	20-01-20	49947
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-01-20	15456
	अंकित नहीं		प्रधान को भुगतान	20-01-20	7070
	अंकित नहीं		जसवंत कुमार मिट्टी भुगतान	20-01-20	5236
18	अंकित नहीं	20816909	प्रभात इंटरप्राइजेज़	17-02-20	60025
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	17-02-20	63648
19	अंकित नहीं	19467625	ऋषी कुमार लेबर	13-03-20	26976
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	20-02-20	35000
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-02-20	42244
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	20-02-20	33651
20	अंकित नहीं	15598437	बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	11589
21	अंकित नहीं	15598445	बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	29823

	अंकित नहीं	15598447	बल्बन्तट्रेडर्स	29-02-20	59071
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	29-02-20	26799
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़	29-02-20	25740
		योग			2447303

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5)सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक ado पंचायत ,2.5 से 5 लाख तक dpro ,5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

से ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6)माप पुस्तिका एमबी व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु० 2447303.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	15544038	लेबर और मटेरियल	15-04-19	50000
02	अंकित नहीं	8629050	आर आर एसोसिएट	04-06-19	1750
	अंकित नहीं		आरूही एसोसिएट	04-06-19	3050
	अंकित नहीं		आंबेजा लेबर	24-07-19	2500
03	अंकित नहीं	15598389	प्रभात इंटरप्राइजेज़	08-07-19	82500
	अंकित नहीं		"	"	86900
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	15-07-19	38500
	अंकित नहीं		"	"	38500
	अंकित नहीं		लेबर	19-07-19	9744
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-07-19	23700
	अंकित नहीं		माँ वैष्णो ट्रेडर्स	25-07-19	17800
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	31-07-19	47000
04	अंकित नहीं	1391792	पटेल आइरन स्टोर	04-07-19	35850
05	अंकित नहीं	15598408	पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	54720
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	17500
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	15-05-19	7200
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	22-07-19	53550
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	37950
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	13-02-20	36000
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	22-02-20	7200
06	अंकित नहीं	15598407	प्रभात इंटरप्राइजेज़	23-07-19	78250

	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	30-07-19	67650
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़	22-02-20	54960
	अंकित नहीं		ऋषी कुमार लेबर	29-02-20	28500
07	अंकित नहीं	15544039	माधुरी स्टेसनर्स	24-07-19	18520
	अंकित नहीं		एवरी डे न्यूज	25-07-19	3000
08	अंकित नहीं	15598406	माधुरी स्टेसनर्स	07-10-19	16320
	अंकित नहीं		हर्ष इंटरप्राइजेज़	27-11-19	57050
	अंकित नहीं		दुर्गेश कुमारी प्रधान	20-01-20	25000
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	16800
	अंकित नहीं		हर्ष इंटरप्राइजेज़	22-02-20	15300
09	अंकित नहीं	15598429	प्रभात इंटरप्राइजेज़	07-10-19	94000
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	07-10-19	47000
10	अंकित नहीं	15598488	कुसम इंटरप्राइजेज़ (हैंडपम्पसामग्री)	16-10-19	44540
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	21740
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	31350
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	27-11-19	2500
	अंकित नहीं		मंशाराम हैंडपम्प मिस्त्री	13-12-19	14200
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़ हैंडपम्पसामग्री	18-12-19	41439
11	अंकित नहीं	20078386	प्रभात इंटरप्राइजेज़	13-12-19	80080
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	13-12-19	88557
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-01-20	8500
12	अंकित नहीं	20078390	कुसम इंटरप्राइजेज़	04-01-20	63550
13	अंकित नहीं	8629049	गोपालक मानदेय	09-01-20	26000
14	अंकित नहीं	20078385	प्रभात इंटरप्राइजेज़	09-01-20	77115
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	09-01-20	73193
15	अंकित नहीं	19467627	गोपालकमानदेय	09-01-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय महादेव	13-02-20	26000
16	अंकित नहीं	20816916	गोपालकमानदेय कल्लो	13-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय महादेव	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय राजेश कुमार	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय मंशा राम	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय मंशा राम	22-02-20	26000
	अंकित नहीं		गोपालकमानदेय राजेश	22-02-20	26000
17	अंकित नहीं	200783 88	दयाल ब्रिक फील्ड	20-01-20	49947
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-01-20	15456
	अंकित नहीं		प्रधान को भुगतान	20-01-20	7070
	अंकित नहीं		जसवंत कुमार मिट्टी भुगतान	20-01-20	5236
18	अंकित नहीं	20816909	प्रभात इंटरप्राइजेज़	17-02-20	60025
	अंकित नहीं		प्रभात इंटरप्राइजेज़	17-02-20	63648
19	अंकित नहीं	19467625	ऋषी कुमार लेबर	13-03-20	26976
	अंकित नहीं		पटेल आइरन स्टोर	20-02-20	35000
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	20-02-20	42244
	अंकित नहीं		दयाल ब्रिक फील्ड	20-02-20	33651

20	अंकित नहीं	15598437	बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	11589
21	अंकित नहीं	15598445	बल्बन्तट्रेडर्स	22-02-20	29823
	अंकित नहीं	15598447	बल्बन्तट्रेडर्स	29-02-20	59071
	अंकित नहीं		बल्बन्तट्रेडर्स	29-02-20	26799
	अंकित नहीं		कुसम इंटरप्राइजेज़	29-02-20	25740
		योग			2447303

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(7) सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 2310533-00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(8) हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र आदि अप्रस्तुत

ग्राम पंचायत कापेरामदारपुर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की ऑन लाइन फीडेड बाउचर में कार्य का नाम नहीं दर्शित है। फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर पर मात्र ₹0 391649-00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र०स०	हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	15598488	कुसम इंटरप्राइजेज़ (हैण्डपंपसामग्री)	16-10-19	44540
2		कुसम इंटरप्राइजेज़ हैण्डपंपसामग्री	18-12-19	41439
3	1391792	पटेल आइरन स्टोर	04-07-19	35850
4	15598408	पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	54720
		पटेल आइरन स्टोर	15-07-19	17500
		पटेल आइरन स्टोर	22-07-19	53550
		पटेल आइरन स्टोर	13-02-20	36000
5	15598488	पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	21740
		पटेल आइरन स्टोर	27-11-19	31350
6	15598407	कुसम इंटरप्राइजेज़	22-02-20	54960

				391649

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत- अनैयाखरगापुर वि0ख0-गोसाई गंज, जनपद -लखनऊ

वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या -20

ग्राम पंचायत- अनैयाखरगापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे व्यय कुल धनराशि रू0 3384500.00 द्वारा कराए गए कार्यो एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 3384500.00 का व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नही	16889937	कुसुम इंटरप्राइजेज	29-05-19	19510
			कुसुम इंटरप्राइजेज	29-05-19	19970
			हैण्डपम्प मिस्त्री	29-05-19	8500
			हैण्डपम्प मिस्त्री	29-05-19	9000
			हैण्डपम्प मिस्त्री	17-07-19	8000
			पटेल आइरन	17-07-19	19490
			हैण्डपम्प मिस्त्री	10-07-19	5000
			पटेल आइरन	30-07-19	19700
			हैण्डपम्प मिस्त्री	30-07-19	4000
			बैजनाथ (लेबर)	24-01-20	3600
02	अंकित नही	15597384	मजदूरी भुगतान	29-05-19	7750
			माधुरी स्टेशनर्स	29-05-19	1950
			अश्वनी कुमार(लेबर)	31-05-19	18300
			मजदूरी भुगतान	17-07-19	11200
			माधुरी स्टेशनर्स	09-10-19	12500
			माइन्ड माइंस	21-10-19	14450
			माइन्ड माइंस	29-11-19	69800
			माधुरी स्टेशनर्स	14-01-20	500
			अभिषेक	14-01-20	6050
03	अंकित नही	16889935	कुसुम इंटरप्राइजेज	23-07-19	97623
			कुसुम इंटरप्राइजेज	30-07-19	16500
			भोले शंकर ट्रेडर्स	02-08-19	41400
			अश्वनी कुमार(लेबर)	02-08-19	63900
04	अंकित नही	15597377	मजदूरी भुगतान	30-07-19	6000
05	अंकित नही	15597356	मिश्रा ट्रेडर्स	30-07-19	37800
06	अंकित नही	15597390	पटेल आइरन	30-07-19	83345
			हैण्डपम्प मिस्त्री	30-07-19	73000
07	अंकित नही	15597382	कुसुम इंटरप्राइजेज	30-07-19	16800
		15597382	फुरकान(लेबर)	02-08-19	12000

			माइन्ड माइंस	04-10-19	6850
08	अंकित नही	16883938	पटेल आइरन	02-08-19	19500
			कुसुम इंटरप्राइजेज	21-10-19	36300
			कुसुम इंटरप्राइजेज	28-11-19	29950
			कुसुम इंटरप्राइजेज	28-11-19	27700
09	अंकित नही	20444545	रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	59073
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	60900
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	76500
			अनिल कुमार	22-01-20	23100
			नोमी लाल	22-01-20	24024
10	अंकित नही	19322422	चोधरी गुप	24-01-20	30082
			अभय ट्रेडर्स	24-01-20	42600
			कुलदीप	24-01-20	11900
			आशा राम	24-01-20	18564
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	17661
			चोधरी गुप	24-01-20	99120
11	अंकित नही	15597359	अभय ट्रेडर्स	24-01-20	66000
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	83918
			अनिल कुमार	24-01-20	21000
			राम विलास	24-01-20	29120
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	33495
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	11970
12	अंकित नही	19942424	रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	23142
			अनिल कुमार	24-01-20	5712
13	अंकित नही	20444547	के0 के 0 सप्लायर्स	22-01-20	48400
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	17400
			कुलदीप	22-01-20	9450
			त्रिभुवन	22-01-20	14560
14	अंकित नही	20444544	अभय ट्रेडर्स	14-01-20	88366
			भोले शंकर ट्रेडर्स	14-01-20	89908
15	अंकित नही	19942424	अभय ट्रेडर्स	14-01-20	21360
16	अंकित नही	15597397	कुसुम इंटरप्राइजेज	14-01-20	62500
17	अंकित नही	15597388	कुसुम इंटरप्राइजेज	14-01-20	29700
18	अंकित नही	16889939	कुरैशी इंटरप्राइजेज	14-01-20	56341
			कुसुम इंटरप्राइजेज	14-01-20	55700
19	अंकित नही	20444552	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	14-01-20	125300
20	अंकित नही	20444550	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	14-01-20	125300
21	अंकित नही	19322420	कुसुम इंटरप्राइजेज	21-10-19	92770
			कुसुम इंटरप्राइजेज	21-10-19	56086
22	अंकित नही	19322425	कुरैशी इंटरप्राइजेज	23-10-19	66088
			कुलदीप	28-11-19	31500
			अनिल कुमार	28-11-19	29120
23	अंकित नही	19322418	चोधरी गुप	23-10-19	99120

			चोधरी गुप	23-10-19	58233
			अनिल कुमार	28-11-19	16016
			कुलदीप	28-11-19	8050
24	अंकित नही	19322419	चोधरी गुप	23-10-19	99120
			चोधरी गुप	23-10-19	57241
			कुलदीप	28-11-19	7350
			अनिल कुमार	28-11-19	11102
25	अंकित नही	15597368	माइन्ड माइंस	28-11-19	96000
			माइन्ड माइंस	28-11-19	96000
26		19942428	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	16-12-19	125300
27	अंकित नही	19942426	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	16-12-19	125300
		योग			3384500

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 3384500.00 में से ग्राम प्रधान रु० 1692250.00 से और पंचायत सचिव से रु० 1692250.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(2) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत अनैयाखरगापुर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु० 496868.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	16889937	हैंडपम्प मिस्त्री	29-05-19	8500
02	"	हैंडपम्प मिस्त्री	29-05-19	9000
03	"	हैंडपम्प मिस्त्री	17-07-19	8000
04	"	हैंडपम्प मिस्त्री	10-07-19	5000
05	"	हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	4000
06	"	बैजनाथ (लेबर)	24-01-20	3600
07	15597384	मजदूरी भुगतान	29-05-19	7750
08	"	अश्वनी कुमार(लेबर)	31-05-19	18300
09	"	मजदूरी भुगतान	17-07-19	11200
10	"	अभिषेक	14-01-20	6050
11	16889935	अश्वनी कुमार(लेबर)	02-08-19	63900
12	15597377	मजदूरी भुगतान	30-07-19	6000
13	15597390	हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	73000
14	15597382	फुरकान(लेबर)	02-08-19	12000
15	2444545	अनिल कुमार	22-01-20	23100
16	"	नोमी लाल	22-01-20	24024
17	19322422	कुलदीप	24-01-20	11900
18	"	आशा राम	24-01-20	18564
19	15597359	अनिल कुमार	24-01-20	21000
20	"	राम विलास	24-01-20	29120
21	19942424	अनिल कुमार	24-01-20	5712
22	20444547	कुलदीप	22-01-20	9450

23	"	त्रिभुवन	22-01-20	14560
24	19322425	कुलदीप	28-11-19	31500
25	"	अनिल कुमार	28-11-19	29120
26	19322418	अनिल कुमार	28-11-19	16016
27	"	कुलदीप	28-11-19	8050
28	19322419	कुलदीप	28-11-19	7350
29	"	अनिल कुमार	28-11-19	11102
	योग			496868

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट नहीं होता है कि मजदूरी का भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है। मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(3) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल ₹0 3384500.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	16889937	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-05-19	19510
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-05-19	19970
			हैंडपम्प मिस्त्री	29-05-19	8500
			हैंडपम्प मिस्त्री	29-05-19	9000
			हैंडपम्प मिस्त्री	17-07-19	8000
			पटेल आइरन	17-07-19	19490
			हैंडपम्प मिस्त्री	10-07-19	5000
			पटेल आइरन	30-07-19	19700
			हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	4000
			बैजनाथ (लेबर)	24-01-20	3600
02	अंकित नहीं	15597384	मजदूरी भुगतान	29-05-19	7750
			माधुरी स्टेशनर्स	29-05-19	1950
			अश्वनी कुमार(लेबर)	31-05-19	18300
			मजदूरी भुगतान	17-07-19	11200
			माधुरी स्टेशनर्स	09-10-19	12500
			माइन्ड माइंस	21-10-19	14450
			माइन्ड माइंस	29-11-19	69800
			माधुरी स्टेशनर्स	14-01-20	500
			अभिषेक	14-01-20	6050
03	अंकित नहीं	16889935	कुसुम इंटरप्राइजेज़	23-07-19	97623
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	30-07-19	16500
			भोले शंकर ट्रेडर्स	02-08-19	41400
			अश्वनी कुमार(लेबर)	02-08-19	63900
04	अंकित नहीं	15597377	मजदूरी भुगतान	30-07-19	6000

05	अंकित नहीं	15597356	मिश्रा ट्रेडर्स	30-07-19	37800
06	अंकित नहीं	15597390	पटेल आइरन	30-07-19	83345
			हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	73000
07	अंकित नहीं	15597382	कुसुम इंटरप्राइजेज़	30-07-19	16800
		15597382	फुरकान(लेबर)	02-08-19	12000
			माइन्ड माइंस	04-10-19	6850
08	अंकित नहीं	16883938	पटेल आइरन	02-08-19	19500
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	21-10-19	36300
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	28-11-19	29950
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	28-11-19	27700
09	अंकित नहीं	20444545	रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	59073
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	60900
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	76500
			अनिल कुमार	22-01-20	23100
			नोमी लाल	22-01-20	24024
10	अंकित नहीं	19322422	चोधरी गुप	24-01-20	30082
			अभय ट्रेडर्स	24-01-20	42600
			कुलदीप	24-01-20	11900
			आशा राम	24-01-20	18564
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	17661
			चोधरी गुप	24-01-20	99120
11	अंकित नहीं	15597359	अभय ट्रेडर्स	24-01-20	66000
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	83918
			अनिल कुमार	24-01-20	21000
			राम विलास	24-01-20	29120
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	33495
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	11970
12	अंकित नहीं	19942424	रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	23142
			अनिल कुमार	24-01-20	5712
13	अंकित नहीं	20444547	के0 के 0 सप्लायर्स	22-01-20	48400
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	17400
			कुलदीप	22-01-20	9450
			त्रिभुवन	22-01-20	14560
14	अंकित नहीं	20444544	अभय ट्रेडर्स	14-01-20	88366
			भोले शंकर ट्रेडर्स	14-01-20	89908
15	अंकित नहीं	19942424	अभय ट्रेडर्स	14-01-20	21360
16	अंकित नहीं	15597397	कुसुम इंटरप्राइजेज़	14-01-20	62500
17	अंकित नहीं	15597388	कुसुम इंटरप्राइजेज़	14-01-20	29700
18	अंकित नहीं	16889939	कुरैशी इंटरप्राइजेज़	14-01-20	56341
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	14-01-20	55700
19	अंकित नहीं	20444552	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	14-01-20	125300
20	अंकित नहीं	20444550	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	14-01-20	125300
21	अंकित नहीं	19322420	कुसुम इंटरप्राइजेज़	21-10-19	92770

			कुसुम इंटरप्राइजेज़	21-10-19	56086
22	अंकित नहीं	19322425	कुरैशी इंटरप्राइजेज़	23-10-19	66088
			कुलदीप	28-11-19	31500
			अनिल कुमार	28-11-19	29120
23	अंकित नहीं	19322418	चोधरी गुप	23-10-19	99120
			चोधरी गुप	23-10-19	58233
			अनिल कुमार	28-11-19	16016
			कुलदीप	28-11-19	8050
24	अंकित नहीं	19322419	चोधरी गुप	23-10-19	99120
			चोधरी गुप	23-10-19	57241
			कुलदीप	28-11-19	7350
			अनिल कुमार	28-11-19	11102
25	अंकित नहीं	15597368	माइन्ड माइंस	28-11-19	96000
			माइन्ड माइंस	28-11-19	96000
26		19942428	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	16-12-19	125300
27	अंकित नहीं	19942426	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	16-12-19	125300
		योग			3384500

लेखापरीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(4) पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5) सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक ado पंचायत ,2.5 से 5 लाख तक dpro ,5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

से ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	16889937	कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-05-19	19510
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	29-05-19	19970
			हैंडपम्प मिस्त्री	29-05-19	8500
			हैंडपम्प मिस्त्री	29-05-19	9000
			हैंडपम्प मिस्त्री	17-07-19	8000
			पटेल आइरन	17-07-19	19490
			हैंडपम्प मिस्त्री	10-07-19	5000
			पटेल आइरन	30-07-19	19700
			हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	4000
			बैजनाथ (लेबर)	24-01-20	3600
02	अंकित नहीं	15597384	मजदूरी भुगतान	29-05-19	7750
			माधुरी स्टेशनर्स	29-05-19	1950

			अश्वनी कुमार(लेबर)	31-05-19	18300
			मजदूरी भुगतान	17-07-19	11200
			माधुरी स्टेशनर्स	09-10-19	12500
			माइन्ड माइंस	21-10-19	14450
			माइन्ड माइंस	29-11-19	69800
			माधुरी स्टेशनर्स	14-01-20	500
			अभिषेक	14-01-20	6050
03	अंकित नहीं	16889935	कुसुम इंटरप्राइजेज़	23-07-19	97623
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	30-07-19	16500
			भोले शंकर ट्रेडर्स	02-08-19	41400
			अश्वनी कुमार(लेबर)	02-08-19	63900
04	अंकित नहीं	15597377	मजदूरी भुगतान	30-07-19	6000
05	अंकित नहीं	15597356	मिश्रा ट्रेडर्स	30-07-19	37800
06	अंकित नहीं	15597390	पटेल आइरन	30-07-19	83345
			हैंडपम्प मिस्त्री	30-07-19	73000
07	अंकित नहीं	15597382	कुसुम इंटरप्राइजेज़	30-07-19	16800
		15597382	फुरकान(लेबर)	02-08-19	12000
			माइन्ड माइंस	04-10-19	6850
08	अंकित नहीं	16883938	पटेल आइरन	02-08-19	19500
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	21-10-19	36300
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	28-11-19	29950
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	28-11-19	27700
09	अंकित नहीं	20444545	रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	59073
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	60900
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	76500
			अनिल कुमार	22-01-20	23100
			नोमी लाल	22-01-20	24024
10	अंकित नहीं	19322422	चोधरी गुप	24-01-20	30082
			अभय ट्रेडर्स	24-01-20	42600
			कुलदीप	24-01-20	11900
			आशा राम	24-01-20	18564
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	17661
			चोधरी गुप	24-01-20	99120
11	अंकित नहीं	15597359	अभय ट्रेडर्स	24-01-20	66000
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	83918
			अनिल कुमार	24-01-20	21000
			राम विलास	24-01-20	29120
			रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	33495
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	11970
12	अंकित नहीं	19942424	रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	24-01-20	23142
			अनिल कुमार	24-01-20	5712
13	अंकित नहीं	20444547	के0 के 0 सप्लायर्स	22-01-20	48400
			अभय ट्रेडर्स	22-01-20	17400

			कुलदीप	22-01-20	9450
			त्रिभुवन	22-01-20	14560
14	अंकित नहीं	20444544	अभय ट्रेडर्स	14-01-20	88366
			भोले शंकर ट्रेडर्स	14-01-20	89908
15	अंकित नहीं	19942424	अभय ट्रेडर्स	14-01-20	21360
16	अंकित नहीं	15597397	कुसुम इंटरप्राइजेज़	14-01-20	62500
17	अंकित नहीं	15597388	कुसुम इंटरप्राइजेज़	14-01-20	29700
18	अंकित नहीं	16889939	कुरैशी इंटरप्राइजेज़	14-01-20	56341
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	14-01-20	55700
19	अंकित नहीं	20444552	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	14-01-20	125300
20	अंकित नहीं	20444550	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	14-01-20	125300
21	अंकित नहीं	19322420	कुसुम इंटरप्राइजेज़	21-10-19	92770
			कुसुम इंटरप्राइजेज़	21-10-19	56086
22	अंकित नहीं	19322425	कुरैशी इंटरप्राइजेज़	23-10-19	66088
			कुलदीप	28-11-19	31500
			अनिल कुमार	28-11-19	29120
23	अंकित नहीं	19322418	चोधरी गुप	23-10-19	99120
			चोधरी गुप	23-10-19	58233
			अनिल कुमार	28-11-19	16016
			कुलदीप	28-11-19	8050
24	अंकित नहीं	19322419	चोधरी गुप	23-10-19	99120
			चोधरी गुप	23-10-19	57241
			कुलदीप	28-11-19	7350
			अनिल कुमार	28-11-19	11102
25	अंकित नहीं	15597368	माइन्ड माइंस	28-11-19	96000
			माइन्ड माइंस	28-11-19	96000
26		19942428	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	16-12-19	125300
27	अंकित नहीं	19942426	शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी	16-12-19	125300
		योग			3384500

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल ₹0 3384500.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनदेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स

क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रु0 2887632-00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(8) हैडपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्रस्तुत रहे --

ग्राम पंचायत अनैयाखरगापुर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की ऑन लाइन फीडेड बाउचर में कार्य का नाम नहीं दर्शित है। फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैडपंप मरम्मत /रिबोर पर मात्र हैडपंप मिस्त्री को भुगतान दर्शित है। जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र 0	हैडपंप मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	16889937	हैडपंप मिस्त्री	29-05-19	8500
	,,	हैडपंप मिस्त्री	29-05-19	9000
	,,	हैडपंप मिस्त्री	17-07-19	8000
	,,	हैडपंप मिस्त्री	10-07-19	5000
	,,	हैडपंप मिस्त्री	30-07-19	4000
02	15597390	हैडपंप मिस्त्री	30-07-19	73000

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैडपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैडपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैडपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैडपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत- सैथा वि0ख0-काकोरी जनपद -लखनऊ

वर्ष -2019-20

प्रस्तर -21

ग्राम पंचायत- सैथा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि रु0 2769806.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है

01-व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्य पर कुल रु0 2769806.00 का व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	नागेश्वर मंदिर से राजू के खेत तक खड़जा मरम्मत	7904948	लेबर	02-04-19	30000
			अमर ब्रिक फील्ड	02-04-19	99225
			लेबर	,,	34275
			लेबर	03-04-19	27900
02	वृक्षारोपण	12899365	मोहित नर्सरी	,,	130500
03	एल्बम /डोंगल क्रय	7909968	राहुल वर्मा	07-06-19	4750
			आर आर एसोशिएट	27-06-19	1708
04	हैडपंप मरम्मत/सामाग्री	13387990	मुन्नी लाल टिंबर	13-06-19	88000
			मुन्नी लाल टिंबर	15-07-19	45000
			मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	47460
05	ट्री गाई क्रय	17418010	मोहित नर्सरी	24-07-19	80000
06	प्राथमिक वि0सैथामें बाउंड्री वाल ,गेट मरम्मत/निर्माण व मिट्टी पटार्ई	13387995	विदधा ब्रिक फील्ड	25-07-19	106521
			मुन्नी लाल टिंबर	,,	13266
			मुन्नी लाल टिंबर	,,	64321

			लेबर	,,	34132
			लेबर	,,	23170
			लेबर	15-10-19	5850
07	पू0मा0वि0 बाउंड्री वाल ,गेट निर्माण	17418013	मुन्नी लाल टिंबर	13-09-19	22993
			दिव्य ब्रिक फील्ड	,,	1495
			,,	,,	39585
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	1820
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	3850
			लेबर	,,	3850
			लेबर	,,	1400
			अज्ञात	14-10-19	21500
			लेबर	,,	1092
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	2450
			लेबर	,,	2450
			लेबर	,,	2100
			मुन्नी लाल टिंबर	15-10-19	19594
			लेबर	18-10-19	1274
			लेबर	,,	1274
			दिव्य ब्रिक फील्ड	,,	27904
08		13387971	जनतासाइकिल स्टोर	25-09-19	1545
			जनतासाइकिल स्टोर	,,	10500
			जनतासाइकिल स्टोर	27-01-20	6930
			मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	6890
			मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	3553
			मुन्नी लाल टिंबर	03-10-19	3600
			खुशी फैब्रिकटोर	09-01-20	17019
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	22-01-20	3890
			जनतासाइकिल स्टोर	27-01-20	6930
09	पंचायत भवन मरम्मत	17418014	मुन्नी लाल टिंबर	15-10-19	19415
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	4950

			लेबर	18-10-19	4950
			खुशी फैब्रिक्रटोर	09-11-19	13297
			लेबर	09-11-19	1750
			लेबर	09-11-19	1750
			लेबर	09-11-19	3150
			लेबर	09-11-19	3150
			लेबर	22-11-19	2750
			लेबर	23-11-19	2750
			राधे मार्बल&टाइल्स	19-12-19	42369
			दिव्य ब्रिक फील्ड	24-12-19	18270
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	3150
			लेबर	24-12-19	3150
			राधे मार्बल&टाइल्स	24-12-19	42369
			खुशी फैब्रिक्रटोर	24-12-19	9773
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	2700
			लेबर	08-01-20	1500
			वॉटसन एलेक्ट्रिकल्स	13-03-20	6510
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	41801
10	प्राथमिक वि०सैथा के प्रांगण मे मिट्टी भराई	17418011	लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2002
			लेबर	09-01-20	2002
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	07-03-20	2100
			लेबर	13-03-20	18900
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	27000

			लेबर अनिल कुमार	03-01-20	20498
			लेबर पचू	03-01-20	27068
			लेबर नरेंद्र कुमार	03-01-20	20498
11	प्राथमिक वि०/ पंचायत भवन सैथा मे इंटरलाकिंग	20438972	लेबर	21-01-20	250
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	21-01-20	55710
			लेबर	21-01-20	2250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	2250
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	13222
12	पंचायत भवन साज सज्जा	20438961	विजय	28-01-20	8350
			सूरयांश ट्रेडर्स	28-01-20	15136
			अज्ञात	28-01-20	3500
			संजय कुमार विश्वकर्मा	15-03-20	3500
			बालाजी प्लास्टिक स्टोर	04-02-20	23490
			मुन्नी लाल टिंबर	29-02-20	40380
13	प्राथमिक वि० सैथा परिसर मे इंटरलाकिंग	20586467	आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	28-01-20	99000
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	03-03-20	12180
			हरिशंकर	13-03-20	9600
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	13-03-20	49500
			आकांक्षा ट्रेडर्स	13-03-20	34109
			हरिशंकर	22-03-20	15800
14	पू० मा० वि० मे इंटरलाकिंग	20438974	आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	28-01-20	49560
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	4050
			मुन्नी लाल टिंबर	07-03-20	20073
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	05-03-20	7177
15	प्राथमिक वि० सैथामे टायल्स व मरम्मत कार्य	13387993	राधा मार्बल्स	08-02-20	36532
			राधा मार्बल्स	08-02-20	42480
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	10244
			सिकंदर कुमार	19-02-20	17500
			आकांक्षा ट्रेडर्स	07-03-20	3260
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500

			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1350
			लेबर	15-03-20	2700
			लेबर	15-03-20	1350
16	पू0मा0वि0 सैथा मे टायल्स	20438973	राधा मार्बल्स	08-02-20	44180
			राधा मार्बल्स	08-02-20	45028
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	19720
			राधा मार्बल्स	19-02-20	44180
			सिकंदर कुमार	25-02-20	31600
			लेबर	15-03-20	14600
			आकांक्षा ट्रेडर्स	15-03-20	4580
17	प्राथमिक वि0सैथामे शौचालय निर्माण	13387986	आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	49800
			रानी विश्वकर्मा	22-03-20	7000
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	03-03-20	30450
			आशी स्टील	15-03-20	6482
			शंभू प्रसाद लेबर	15-03-20	34950
			मुन्नी लाल टिंबर	15-03-20	60998
18	पू0मा0वि0 सैथा मे मरम्मत कार्य	20586465	आशी स्टील	25-02-20	19598
			आशी स्टील	03-03-20	31558
			सिकंदर कुमार	05-03-20	20559
			मुन्नी लाल टिंबर	15-03-20	21386
19	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	211074732	दीक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स	13-03-20	25920
20	कूड़ा दान क्रय	13387988	शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	13-10-19	52820
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	14-11-19	49560
	योग				2769806

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2769806.00 में से ग्राम प्रधान रु0 1384903.00 से और पंचायत सचिव से रु0 1384903.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(2) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत सैथा के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों आई० डी० पर मजदूरी हेतु रु0 483001.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	7904948	लेबर	02-04-19	30000
		लेबर	„	34275
		लेबर	03-04-19	27900
02	13387995	लेबर	„	34132

		लेबर	„	23170
		लेबर	15-10-19	5850
03	17418013	लेबर	13-09-19	2002
		लेबर	„	2002
		लेबर	„	2002
		लेबर	„	1820
		लेबर	„	2002
		लेबर	„	2002
		लेबर	„	3850
		लेबर	„	3850
		लेबर	„	1400
		लेबर	14-10-19	1092
		लेबर	„	1274
		लेबर	„	1274
		लेबर	„	1274
		लेबर	„	1274
		लेबर	„	2450
		लेबर	„	2450
		लेबर	„	2100
		लेबर	18-10-19	1274
		लेबर	„	1274
04	17418014	लेबर	18-10-19	2750
		लेबर	18-10-19	2750
		लेबर	18-10-19	2750
		लेबर	18-10-19	4950
		लेबर	18-10-19	4950
		लेबर	09-11-19	1750
		लेबर	09-11-19	1750
		लेबर	09-11-19	3150
		लेबर	09-11-19	3150
		लेबर	22-11-19	2750
		लेबर	23-11-19	2750
		लेबर	24-12-19	1750
		लेबर	24-12-19	1750
		लेबर	24-12-19	1750
		लेबर	24-12-19	3150
		लेबर	24-12-19	3150
		लेबर	08-01-20	1500
		लेबर	08-01-20	1500
		लेबर	08-01-20	1500
		लेबर	08-01-20	1500
		लेबर	08-01-20	2700
		लेबर	08-01-20	1500
05	17418011	लेबर	09-01-20	2730

		लेबर	09-01-20	2730
		लेबर	09-01-20	2730
		लेबर	09-01-20	2730
		लेबर	09-01-20	2002
		लेबर	09-01-20	2002
		लेबर	21-01-20	2730
		लेबर	21-01-20	2730
		लेबर	21-01-20	2730
		लेबर	21-01-20	2730
		लेबर	07-03-20	2100
		लेबर	13-03-20	18900
		लेबर	03-02-20	2730
		लेबर	03-02-20	2730
		लेबर	03-02-20	2730
		लेबर	03-02-20	2730
		लेबर	03-02-20	2730
		लेबर	03-02-20	27000
		लेबर अनिल कुमार	03-01-20	20498
		लेबर पचू	03-01-20	27068
		लेबर नरेंद्र कुमार	03-01-20	20498
06	20438972	लेबर	21-01-20	250
		लेबर	21-01-20	2250
		लेबर	21-01-20	1250
		लेबर	21-01-20	1250
		लेबर	21-01-20	1250
		लेबर	21-01-20	2250
07	20438974	लेबर	15-03-20	2250
		लेबर	15-03-20	2250
		लेबर	15-03-20	2250
		लेबर	15-03-20	4050
08	13387993	लेबर	15-03-20	1500
		लेबर	15-03-20	1500
		लेबर	15-03-20	1500
		लेबर	15-03-20	1500
		लेबर	15-03-20	1350
		लेबर	15-03-20	2700
		लेबर	15-03-20	1350
09	20438973	लेबर	15-03-20	14600
10	13387986	शंभू प्रसाद लेबर	15-03-20	34950
	योग			483001

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट नहीं होता है कि मजदूरी का भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है। मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया। 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30 प्र0 पंचायती राज नियमावली

1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(3) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल 2769806.00 व्यय दर्शित है। विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	नागेश्वर मंदिर से राजू के खेत तक खड़जा मरम्मत	7904948	लेबर	02-04-19	30000
			अमर ब्रिक फील्ड	02-04-19	99225
			लेबर	॥	34275
			लेबर	03-04-19	27900
02	वृक्षारोपण	12899365	मोहित नर्सरी	॥	130500
03	एल्बम /डोंगल क्रय	7909968	राहुल वर्मा	07-06-19	4750
			आर आर एसोशिएट	27-06-19	1708
04	हैंडपम्प मरम्मत/सामाग्री	13387990	मुन्नी लाल टिंबर	13-06-19	88000
			मुन्नी लाल टिंबर	15-07-19	45000
			मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	47460
05	ट्री गाई क्रय	17418010	मोहित नर्सरी	24-07-19	80000
06	प्राथमिक वि० सैथामें बाउंड्री वाल ,गेट मरम्मत/निर्माण व मिट्टी पटाई	13387995	विदधा ब्रिक फील्ड	25-07-19	106521
			मुन्नी लाल टिंबर	॥	13266
			मुन्नी लाल टिंबर	॥	64321
			लेबर	॥	34132
			लेबर	॥	23170
			लेबर	15-10-19	5850
07	पू०मा०वि० बाउंड्री वाल ,गेट निर्माण	17418013	मुन्नी लाल टिंबर	13-09-19	22993
			दिव्य ब्रिक फील्ड	॥	1495
			॥	॥	39585
			लेबर	॥	2002
			लेबर	॥	2002
			लेबर	॥	2002
			लेबर	॥	1820
			लेबर	॥	2002
			लेबर	॥	2002
			लेबर	॥	3850
			लेबर	॥	3850
			लेबर	॥	1400
			अज्ञात	14-10-19	21500
			लेबर	॥	1092
			लेबर	॥	1274
			लेबर	॥	1274

			लेबर	„	1274
			लेबर	„	1274
			लेबर	„	2450
			लेबर	„	2450
			लेबर	„	2100
			मुन्नी लाल टिंबर	15-10-19	19594
			लेबर	18-10-19	1274
			लेबर	„	1274
			दिव्य ब्रिक फील्ड	„	27904
08		13387971	जनतासाइकिल स्टोर	25-09-19	1545
			जनतासाइकिल स्टोर	„	10500
			जनतासाइकिल स्टोर	27-01-20	6930
			मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	6890
			मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	3553
			मुन्नी लाल टिंबर	03-10-19	3600
			खुशी फैब्रिकटोर	09-01-20	17019
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	22-01-20	3890
			जनतासाइकिल स्टोर	27-01-20	6930
09	पंचायत भवन मरम्मत	17418014	मुन्नी लाल टिंबर	15-10-19	19415
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	4950
			लेबर	18-10-19	4950
			खुशी फैब्रिकटोर	09-11-19	13297
			लेबर	09-11-19	1750
			लेबर	09-11-19	1750
			लेबर	09-11-19	3150
			लेबर	09-11-19	3150
			लेबर	22-11-19	2750
			लेबर	23-11-19	2750
			राधे मार्बल&टाइल्स	19-12-19	42369
			दिव्य ब्रिक फील्ड	24-12-19	18270
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	3150
			लेबर	24-12-19	3150
			राधे मार्बल&टाइल्स	24-12-19	42369
			खुशी फैब्रिकटोर	24-12-19	9773
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500

			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	2700
			लेबर	08-01-20	1500
			वॉटसन एलेक्ट्रिकल्स	13-03-20	6510
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	41801
10	प्राथमिक वि० सैथा के प्रांगण मे मिट्टी भराई	17418011	लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2002
			लेबर	09-01-20	2002
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	07-03-20	2100
			लेबर	13-03-20	18900
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	27000
			लेबर अनिल कुमार	03-01-20	20498
			लेबर पचू	03-01-20	27068
			लेबर नरेंद्र कुमार	03-01-20	20498
11	प्राथमिक वि०/ पंचायत भवन सैथा मे इंटरलाकिंग	20438972	लेबर	21-01-20	250
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	21-01-20	55710
			लेबर	21-01-20	2250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	2250
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	13222
12	पंचायत भवन साज सज्जा	20438961	विजय	28-01-20	8350
			सूरयांश ट्रेडर्स	28-01-20	15136
			अज्ञात	28-01-20	3500
			संजय कुमार विश्वकर्मा	15-03-20	3500
			बालाजी प्लास्टिक स्टोर	04-02-20	23490
			मुन्नी लाल टिंबर	29-02-20	40380

13	प्राथमिक वि०सैथा परिसर मे इंटरलाकिंग	20586467	आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	28-01-20	99000
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	03-03-20	12180
			हरिशंकर	13-03-20	9600
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	13-03-20	49500
			आकांक्षा ट्रेडर्स	13-03-20	34109
			हरिशंकर	22-03-20	15800
14	पू०मा०वि० मे इंटरलाकिंग	20438974	आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	28-01-20	49560
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	4050
			मुन्नी लाल टिंबर	07-03-20	20073
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	05-03-20	7177
15	प्राथमिक वि०सैथामे टायल्स व मरम्मत कार्य	13387993	राधा मार्बल्स	08-02-20	36532
			राधा मार्बल्स	08-02-20	42480
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	10244
			सिकंदर कुमार	19-02-20	17500
			आकांक्षा ट्रेडर्स	07-03-20	3260
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1350
			लेबर	15-03-20	2700
			लेबर	15-03-20	1350
16	पू०मा०वि० सैथा मे टायल्स	20438973	राधा मार्बल्स	08-02-20	44180
			राधा मार्बल्स	08-02-20	45028
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	19720
			राधा मार्बल्स	19-02-20	44180
			सिकंदर कुमार	25-02-20	31600
			लेबर	15-03-20	14600
			आकांक्षा ट्रेडर्स	15-03-20	4580
17	प्राथमिक वि०सैथामे शौचालय निर्माण	13387986	आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	49800
			रानी विश्वकर्मा	22-03-20	7000
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	03-03-20	30450
			आशी स्टील	15-03-20	6482
			शंभू प्रसाद लेबर	15-03-20	34950
			मुन्नी लाल टिंबर	15-03-20	60998

18	पूमावि0 सैथा मे मरम्मत कार्य	20586465	आशी स्टील	25-02-20	19598
			आशी स्टील	03-03-20	31558
			सिकंदर कुमार	05-03-20	20559
			मुन्नी लाल टिंबर	15-03-20	21386
19	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	211074732	दीक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स	13-03-20	25920
20	कूड़ा दान क्रय	13387988	शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	13-10-19	52820
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	14-11-19	49560
	योग				2769806.00

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5)सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत,2.5 से 5 लाख तक डी पी आर ओ 5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु0 2769806.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	नागेश्वर मंदिर से राजू के खेत तक खड़जा मरम्मत	7904948	लेबर	02-04-19	30000
			अमर ब्रिक फील्ड	02-04-19	99225
			लेबर	„	34275
			लेबर	03-04-19	27900
02	वृक्षारोपण	12899365	मोहित नर्सरी	„	130500
03	एल्बम /डोंगल क्रय	7909968	राहुल वर्मा	07-06-19	4750
			आर आर एसोशिएट	27-06-19	1708
04	हैंडपम्प मरम्मत/सामाग्री	13387990	मुन्नी लाल टिंबर	13-06-19	88000
			मुन्नी लाल टिंबर	15-07-19	45000
			मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	47460
05	ट्री गार्ड क्रय	17418010	मोहित नर्सरी	24-07-19	80000

06	प्राथमिक वि०सैथामें बाउंड्री वाल ,गेट मरम्मत/निर्माण व मिट्टी पटाई	13387995	विदधा ब्रिक फील्ड	25-07-19	106521
			मुन्नी लाल टिंबर	,,	13266
			मुन्नी लाल टिंबर	,,	64321
			लेबर	,,	34132
			लेबर	,,	23170
			लेबर	15-10-19	5850
07	पू०मा०वि० बाउंड्री वाल ,गेट निर्माण	17418013	मुन्नी लाल टिंबर	13-09-19	22993
			दिव्य ब्रिक फील्ड	,,	1495
			,,	,,	39585
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	1820
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	2002
			लेबर	,,	3850
			लेबर	,,	3850
			लेबर	,,	1400
			अज्ञात	14-10-19	21500
			लेबर	,,	1092
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	1274
			लेबर	,,	2450
			लेबर	,,	2450
			लेबर	,,	2100
			मुन्नी लाल टिंबर	15-10-19	19594
			लेबर	18-10-19	1274
			लेबर	,,	1274
			दिव्य ब्रिक फील्ड	,,	27904
08		13387971	जनतासाइकिल स्टोर	25-09-19	1545
			जनतासाइकिल स्टोर	,,	10500
			जनतासाइकिल स्टोर	27-01-20	6930
			मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	6890
			मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	3553
			मुन्नी लाल टिंबर	03-10-19	3600
			खुशी फैब्रिकटोर	09-01-20	17019
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	22-01-20	3890

			जनतासाइकिल स्टोर	27-01-20	6930
09	पंचायत भवन मरम्मत	17418014	मुन्नी लाल टिंबर	15-10-19	19415
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	2750
			लेबर	18-10-19	4950
			लेबर	18-10-19	4950
			खुशी फैब्रिकटोर	09-11-19	13297
			लेबर	09-11-19	1750
			लेबर	09-11-19	1750
			लेबर	09-11-19	3150
			लेबर	09-11-19	3150
			लेबर	22-11-19	2750
			लेबर	23-11-19	2750
			राधे मार्बल&टाइल्स	19-12-19	42369
			दिव्य ब्रिक फील्ड	24-12-19	18270
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	1750
			लेबर	24-12-19	3150
			लेबर	24-12-19	3150
			राधे मार्बल&टाइल्स	24-12-19	42369
			खुशी फैब्रिकटोर	24-12-19	9773
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	1500
			लेबर	08-01-20	2700
			लेबर	08-01-20	1500
			वॉटसन एलेक्ट्रिकल्स	13-03-20	6510
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	41801
10	प्राथमिक वि०सैथा के प्रांगण मे मिट्टी भराई	17418011	लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2730
			लेबर	09-01-20	2002
			लेबर	09-01-20	2002
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	21-01-20	2730
			लेबर	07-03-20	2100
			लेबर	13-03-20	18900

			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	2730
			लेबर	03-02-20	27000
			लेबर अनिल कुमार	03-01-20	20498
			लेबर पचू	03-01-20	27068
			लेबर नरेंद्र कुमार	03-01-20	20498
11	प्राथमिक वि०/ पंचायत भवन सैथा मे इंटरलाकिंग	20438972	लेबर	21-01-20	250
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	21-01-20	55710
			लेबर	21-01-20	2250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	1250
			लेबर	21-01-20	2250
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	13222
12	पंचायत भवन साज सज्जा	20438961	विजय	28-01-20	8350
			सूरयांश ट्रेडर्स	28-01-20	15136
			अज्ञात	28-01-20	3500
			संजय कुमार विश्वकर्मा	15-03-20	3500
			बालाजी प्लास्टिक स्टोर	04-02-20	23490
			मुन्नी लाल टिंबर	29-02-20	40380
13	प्राथमिक वि० सैथा परिसर मे इंटरलाकिंग	20586467	आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	28-01-20	99000
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	03-03-20	12180
			हरिशंकर	13-03-20	9600
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	13-03-20	49500
			आकांक्षा ट्रेडर्स	13-03-20	34109
			हरिशंकर	22-03-20	15800
14	पू० मा० वि० मे इंटरलाकिंग	20438974	आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्घोग	28-01-20	49560
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	2250
			लेबर	15-03-20	4050

			मुन्नी लाल टिंबर	07-03-20	20073
			आसिफ अली इंटरलाकिंग उद्योग	05-03-20	7177
15	प्राथमिक वि०सैथामे टायल्स व मरम्मत कार्य	13387993	राधा मार्बल्स	08-02-20	36532
			राधा मार्बल्स	08-02-20	42480
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	10244
			सिकंदर कुमार	19-02-20	17500
			आकांक्षा ट्रेडर्स	07-03-20	3260
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1500
			लेबर	15-03-20	1350
			लेबर	15-03-20	2700
			लेबर	15-03-20	1350
16	पू०मा०वि० सैथा मे टायल्स	20438973	राधा मार्बल्स	08-02-20	44180
			राधा मार्बल्स	08-02-20	45028
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	19720
			राधा मार्बल्स	19-02-20	44180
			सिकंदर कुमार	25-02-20	31600
			लेबर	15-03-20	14600
			आकांक्षा ट्रेडर्स	15-03-20	4580
17	प्राथमिक वि०सैथामे शौचालय निर्माण	13387986	आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	49800
			रानी विश्वकर्मा	22-03-20	7000
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	03-03-20	30450
			आशी स्टील	15-03-20	6482
			शंभू प्रसाद लेबर	15-03-20	34950
			मुन्नी लाल टिंबर	15-03-20	60998
18	पू०मा०वि० सैथा मे मरम्मत कार्य	20586465	आशी स्टील	25-02-20	19598
			आशी स्टील	03-03-20	31558
			सिकंदर कुमार	05-03-20	20559
			मुन्नी लाल टिंबर	15-03-20	21386
19	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	211074732	दीक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स	13-03-20	25920
20	कूड़ा दान ब्रय	13387988	शिव शक्ति ट्रेडिंग क०	13-10-19	52820
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क०	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडिंग क०	25-10-19	41300

		शिव शक्ति ट्रेडिंग क0	14-11-19	49560
	योग			2774806

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रु0 2286805.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(8)हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत सैथा के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर पर मात्र रु0180460.00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र0स0	हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	13387990	मुन्नी लाल टिंबर	13-06-19	88000
		मुन्नी लाल टिंबर	15-07-19	45000
		मुन्नी लाल टिंबर	25-10-19	47460
	योग			180460

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत- काकराबाद वि0ख0-काकोरी जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 22

ग्राम पंचायत- काकराबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि रु0 1790481.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु0 1790481.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नलिखित-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01		14018530	मुन्नी लाल टिंबर	11-04-19	92000
02		8455955	मुन्नी लाल टिंबर	11-04-19	90000
03		13564926	माँचंद्रिका ट्रेडर्स	22-04-19	48256

			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	34500
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	37680
			माँचंद्रिका ट्रेडर्स	22-04-19	40220
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	16000
			नकदभुगतान	02-05-19	10710
04		14018528	नकदभुगतान	20-05-19	10000
			नकदभुगतान	20-05-19	15000
			नकदभुगतान	28-05-19	12290
			मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	43500
05		8455926	मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	32400
			मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	38000
06	हैंडपम्प मरम्मत	14018529	मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	43210
			आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	18880
			मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	42650
07		1486794	मुन्नी लाल टिंबर	06-10-19	3940
08		14018541	सहारा इंडिया mass	10-10-19	3807
			आशी स्टील	19-02-20	3114
			एवरी डे न्यूज	25-02-20	4200
09	कूड़ा दान(सफाई)	14018532	शिव शक्ति ट्रेडर्स	19-10-19	57820
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	24780
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	09-11-19	24780
10	वॉटर कूलर स्थापना	19524716	शिव शक्ति ट्रेडर्स	19-12-19	98500
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	24-12-19	98500
11	खड़जा निर्माण	14018546	राजबहादुर(मिट्टी कार्य)	08-01-20	5110
			रिंकू	23-01-20	5110
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	04-02-20	45360
			बलबीर लेबर	04-02-20	2000
			रामकुमार लेबर	04-02-20	2000
			मो०शरीफ लेबर	04-02-20	1500
			सजीवन लेबर	04-02-20	2700
			अनुराग सागर लेबर	05-02-20	2000
			हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	750
			दीपक कुमार लेबर	05-02-20	2000
			सुरेश लेबर	05-02-20	3150
			बहादुर (मिट्टी कार्य)	06-02-20	3504
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	17847
12		14018552	खुशी फैब्रिकेटर्स	09-01-20	12820
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	28-01-20	800
			विजय कुमार	28-01-20	4620
			जनतासाइकिल स्टोर	04-02-20	6930
13	नाली निर्माण	14018549	न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	26-01-20	25630

			बलबीर लेबर	26-01-20	1250
			रामकुमार लेबर	26-01-20	1250
			मो०शरीफ लेबर	26-01-20	1250
			अंकित	26-01-20	1250
			सजीवन लेबर	03-03-20	2250
			हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	1250
			दीपक कुमार लेबर	05-02-20	1250
			सुरेश लेबर	05-02-20	2250
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	29976
14	आँगनबाड़ीकेंद्र निर्माण	20674889	आशी स्टील	06-02-20	11151
			आशी स्टील	06-02-20	14635
			अजयकुमार	06-02-20	20000
			आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	46534
			आशी स्टील	05-03-20	17508
15	खड़जा निर्माण	14018522	रिंकू	06-02-20	8760
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	08-02-20	34020
			बलबीर लेबर	23-02-20	1750
			मो०शरीफ लेबर	23-02-20	1750
			दीपक कुमार लेबर	23-02-20	1750
			रामकुमार लेबर	23-02-20	1750
			अनुराग सागर लेबर	23-02-20	1750
			सुरेश लेबर	23-02-20	3150
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	23-02-20	56700
			सतीश गोतम	25-02-20	3150
			कल्लू नन्हा	25-02-20	1750
			रिंकू	03-03-20	7154
16	इंटरलकिंग कार्य	20674891	आसिफ अली	29-02-20	225000
			मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	90180
17	आँगनबाड़ीकेंद्र निर्माण	20674897	आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	28895
	योग				1790481

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1790481.00 में से ग्राम प्रधान रु 895240.50 से और पंचायत सचिव से रु0 895240.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(2) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत काकराबाद के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु074538.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	14018546	राजबहादुर(मिट्टी कार्य)	08-01-20	5110
02		रिंकू	23-01-20	5110
03		बलबीर लेबर	04-02-20	2000
04		रामकुमार लेबर	04-02-20	2000

05		मो०शरीफ लेबर	04-02-20	1500
06		सजीवन लेबर	04-02-20	2700
07		अनुराग सागर लेबर	05-02-20	2000
08		हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	750
09		दीपक कुमार लेबर	05-02-20	2000
10		सुरेश लेबर	05-02-20	3150
11		बहादुर (मिट्टी कार्य)	06-02-20	3504
12	14018549	बलबीर लेबर	26-01-20	1250
13		रामकुमार लेबर	26-01-20	1250
14		मो०शरीफ लेबर	26-01-20	1250
15		अंकित	26-01-20	1250
16		सजीवन लेबर	03-03-20	2250
17		हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	1250
18		दीपक कुमार लेबर	05-02-20	1250
19		सुरेश लेबर	05-02-20	2250
20	14018522	रिंकू	06-02-20	8760
21		बलबीर लेबर	23-02-20	1750
22		मो०शरीफ लेबर	23-02-20	1750
23		दीपक कुमार लेबर	23-02-20	1750
24		रामकुमार लेबर	23-02-20	1750
25		अनुराग सागर लेबर	23-02-20	1750
26		सुरेश लेबर	23-02-20	3150
27		सतीश गोतम	25-02-20	3150
28		कल्लू नन्हा	25-02-20	1750
29		रिंकू	03-03-20	7154
	योग			74538

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट नहीं होता है कि मजदूरी का भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है। मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(3) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल ₹01790481.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं	14018530	मुन्नी लाल टिंबर	11-04-19	92000
02	अंकित नहीं	8455955	मुन्नी लाल टिंबर	11-04-19	90000
03	अंकित नहीं	13564926	माँचंद्रिका ट्रेडर्स	22-04-19	48256
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	34500
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	37680
			माँचंद्रिका ट्रेडर्स	22-04-19	40220

			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	16000
			नकदभुगतान	02-05-19	10710
04	अंकित नहीं	14018528	नकदभुगतान	20-05-19	10000
			नकदभुगतान	20-05-19	15000
			नकदभुगतान	28-05-19	12290
			मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	43500
05	अंकित नहीं	8455926	मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	32400
			मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	38000
06	हैंडपम्प मरम्मत	14018529	मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	43210
			आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	18880
			मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	42650
07	अंकित नहीं	1486794	मुन्नी लाल टिंबर	06-10-19	3940
08	अंकित नहीं	14018541	सहारा इंडिया mass	10-10-19	3807
			आशी स्टील	19-02-20	3114
			एवरी डे न्यूज	25-02-20	4200
09	कूड़ा दान(सफाई)	14018532	शिव शक्ति ट्रेडर्स	19-10-19	57820
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	24780
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	09-11-19	24780
10	वाटर कूलर स्थापना	19524716	शिव शक्ति ट्रेडर्स	19-12-19	98500
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	24-12-19	98500
11	खड्जा निर्माण	14018546	राजबहादुर(मिट्टी कार्य)	08-01-20	5110
			रिंकू	23-01-20	5110
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	04-02-20	45360
			बलबीर लेबर	04-02-20	2000
			रामकुमार लेबर	04-02-20	2000
			मो०शरीफ लेबर	04-02-20	1500
			सजीवन लेबर	04-02-20	2700
			अनुराग सागर लेबर	05-02-20	2000
			हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	750
			दीपक कुमार लेबर	05-02-20	2000
			सुरेश लेबर	05-02-20	3150
			बहादुर (मिट्टी कार्य)	06-02-20	3504
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	17847
12	अंकित नहीं	14018552	खुशी फैब्रिकेटर्स	09-01-20	12820
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	28-01-20	800
			विजय कुमार	28-01-20	4620
			जनतासाइकिल स्टोर	04-02-20	6930
13	नाली निर्माण	14018549	न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	26-01-20	25630
			बलबीर लेबर	26-01-20	1250
			रामकुमार लेबर	26-01-20	1250
			मो०शरीफ लेबर	26-01-20	1250

			अंकित	26-01-20	1250
			सजीवन लेबर	03-03-20	2250
			हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	1250
			दीपक कुमार लेबर	05-02-20	1250
			सुरेश लेबर	05-02-20	2250
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	29976
14	ऑगनबाड़ीकेंद्र निर्माण	20674889	आशी स्टील	06-02-20	11151
			आशी स्टील	06-02-20	14635
			अजयकुमार	06-02-20	20000
			आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	46534
			आशी स्टील	05-03-20	17508
15	खड़जा निर्माण	14018522	रिंकू	06-02-20	8760
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	08-02-20	34020
			बलबीर लेबर	23-02-20	1750
			मो०शरीफ लेबर	23-02-20	1750
			दीपक कुमार लेबर	23-02-20	1750
			रामकुमार लेबर	23-02-20	1750
			अनुराग सागर लेबर	23-02-20	1750
			सुरेश लेबर	23-02-20	3150
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	23-02-20	56700
			सतीश गोतम	25-02-20	3150
			कल्लू नन्हा	25-02-20	1750
			रिंकू	03-03-20	7154
16	इंटरलकिंग कार्य	20674891	आसिफ अली	29-02-20	225000
			मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	90180
17	ऑगनबाड़ीकेंद्र निर्माण	20674897	आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	28895
	योग				1790481.00

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5)सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ डी पी आर ओ पंचायत,2.5 से 5 लाख तक लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी

परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्न लिखित कार्य पर कुल ₹01790481.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01		14018530	मुन्नी लाल टिंबर	11-04-19	92000
02		8455955	मुन्नी लाल टिंबर	11-04-19	90000
03		13564926	माँचंद्रिका ट्रेडर्स	22-04-19	48256
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	34500
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	37680
			माँचंद्रिका ट्रेडर्स	22-04-19	40220
			मुन्नी लाल टिंबर	22-04-19	16000
			नकदभुगतान	02-05-19	10710
04		14018528	नकदभुगतान	20-05-19	10000
			नकदभुगतान	20-05-19	15000
			नकदभुगतान	28-05-19	12290
			मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	43500
05		8455926	मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	32400
			मुन्नी लाल टिंबर	26-07-19	38000
06	हैंडपम्प मरम्मत	14018529	मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	43210
			आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	18880
			मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	42650
07		1486794	मुन्नी लाल टिंबर	06-10-19	3940
08		14018541	सहारा इंडिया mass	10-10-19	3807
			आशी स्टील	19-02-20	3114
			एवरी डे न्यूज़	25-02-20	4200
09	कूड़ा दान(सफाई)	14018532	शिव शक्ति ट्रेडर्स	19-10-19	57820
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	24780
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	25-10-19	41300
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	09-11-19	24780
10	वॉटर कूलर स्थापना	19524716	शिव शक्ति ट्रेडर्स	19-12-19	98500
			शिव शक्ति ट्रेडर्स	24-12-19	98500
11	खड़जा निर्माण	14018546	राजबहादुर(मिट्टी कार्य)	08-01-20	5110
			रिंकू	23-01-20	5110
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	04-02-20	45360
			बलबीर लेबर	04-02-20	2000
			रामकुमार लेबर	04-02-20	2000
			मो०शरीफ लेबर	04-02-20	1500
			सजीवन लेबर	04-02-20	2700
			अनुराग सागर लेबर	05-02-20	2000
			हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	750
			दीपक कुमार लेबर	05-02-20	2000
			सुरेश लेबर	05-02-20	3150
			बहादुर (मिट्टी कार्य)	06-02-20	3504

			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	17847
12		14018552	खुशी फैब्रिकेटर्स	09-01-20	12820
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	28-01-20	800
			विजय कुमार	28-01-20	4620
			जनतासाइकिल स्टोर	04-02-20	6930
13	नाली निर्माण	14018549	न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	26-01-20	25630
			बलबीर लेबर	26-01-20	1250
			रामकुमार लेबर	26-01-20	1250
			मो०शरीफ लेबर	26-01-20	1250
			अंकित	26-01-20	1250
			सजीवन लेबर	03-03-20	2250
			हिमाशु गोतम लेबर	05-02-20	1250
			दीपक कुमार लेबर	05-02-20	1250
			सुरेश लेबर	05-02-20	2250
			आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	29976
14	आँगनबाड़ीकेंद्र निर्माण	20674889	आशी स्टील	06-02-20	11151
			आशी स्टील	06-02-20	14635
			अजयकुमार	06-02-20	20000
			आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	46534
			आशी स्टील	05-03-20	17508
15	खड़जा निर्माण	14018522	रिंकू	06-02-20	8760
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	08-02-20	34020
			बलबीर लेबर	23-02-20	1750
			मो०शरीफ लेबर	23-02-20	1750
			दीपक कुमार लेबर	23-02-20	1750
			रामकुमार लेबर	23-02-20	1750
			अनुराग सागर लेबर	23-02-20	1750
			सुरेश लेबर	23-02-20	3150
			न्यू इंद्राणी ब्रिक्स फील्ड	23-02-20	56700
			सतीश गोतम	25-02-20	3150
			कल्लू नन्हा	25-02-20	1750
			रिंकू	03-03-20	7154
16	इंटरलकिंग कार्य	20674891	आसिफ अली	29-02-20	225000
			मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	90180
17	आँगनबाड़ीकेंद्र निर्माण	20674897	आकांक्षा ट्रेडर्स	08-02-20	28895
	योग				1790481

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1715943.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(8) हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत काकराबाद के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर मात्र ₹0 97740-00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र0स0	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	14018529	मुन्नी लाल टिंबर	02-10-19	43210
		आकांक्षा ट्रेडर्स	14-02-20	18880
		मुन्नी लाल टिंबर	22-03-20	42650
	योग			97740

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत- शेरपुर मऊ वि0ख0-काकोरी जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या -23

ग्राम पंचायत शेरपुर मऊ के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर ₹0 314938.00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र० सं०	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	13497041	गुप्ता पाइप स्टोर	07-06-19	15950
		गुप्ता पाइप स्टोर	07-06-19	13100
		लेबर	18-06-19	6800
		लेबर	18-06-19	4000
		सामग्री हैंड पम्प	19-07-19	43600
02	13497037	लेबर हैंड पम्प	27-07-19	21840
03	19036566	समर सेल्स		56448
		समर सेल्स		38000
		रजतकुमार हैंड पम्प मिस्त्री		22400
		समर सेल्स		76800
04	कार्य आईडी अज्ञात	रजतकुमार हैंड पम्प मिस्त्री		16000
	योग			314938

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं

हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 314938.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 157469.00 और पंचायत सचिव से रु0157469.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- गोशालालपुर वि0ख0-काकोरी जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या -24

ग्राम पंचायत गोशालालपुर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर रु0 146684.00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र०सं०	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	13342288	गुप्ता पाइप स्टोर	03-06-19	15200
		हैण्डपम्पमरम्मत लेबर	04-06-19	4800
		लेबर को भुगतान हैण्डपम्प क्रय हेतु	31-07-19	44954
02	19036532	समर सेल्स सामग्री हैण्ड पम्प	19-02-20	60480
		रजतकुमार हैण्ड पम्प मिस्त्री	13-03-20	21250
	योग			146684

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 146684.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 73342.00 और पंचायत सचिव से रु073342.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -अमलौली, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 25

ग्राम पंचायत- अमलौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में विकास कार्य पर व्यय क्रमशः रुपए 1287753.00 व रुपए 738070.00 के संबंध में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

(2) वर्ष 2018-19 के लिए सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2018-19 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1097753.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(3) वर्ष 2019-20 के लिए सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2019-20 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 403070.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4) वर्ष 2018-19 में हैन्डपंप मरम्मत /रिबोर पर नियम विरुद्ध किया गया व्यय

ग्राम पंचायत का वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में हैन्डपंप मरम्मत/रिबोर पर कुल व्यय ₹0 395000.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र०स०	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	7967531	शिव ट्रेडर्स	15.06.19	95000
		शंकर इन्जिनियरिंग	15.06.19	50000
		शंकर इन्जिनियरिंग	08.02.19	50000
02	7967510	शिव ट्रेडर्स	15.10.18	30000
		मिस्त्री	15.06.18	90000
		मजदूरी	01.12.18	25000
		मजदूरी	02.02.19	25000
		शंकर इन्जिनियरिंग	08.03.19	30000
	योग			395000

शासनादेश सं० 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) वर्ष 2019-20 में हैन्डपंप मरम्मत /रिबोर पर नियम विरुद्ध किया गया व्यय-

ग्राम पंचायत का वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में हैन्डपंप मरम्मत /रिबोर पर कुल व्यय ₹0 467000.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र०स०	कार्य आईडी		आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15458481	शिव ट्रेडर्स	30.05.19	20000
			शिव ट्रेडर्स	30.05.19	30000
			शिव ट्रेडर्स	30.05.19	35000

			शिव ट्रेडर्स	02.08.19	60000
			मिस्त्री	09.08.19	20000
			मोहित सिंह	13.12.19	34000
02	हैन्ड पंप रिबोर	15458477	मोहित सिंह	09/03.20	37500
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	96000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	24000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	24000
			मोहित सिंह	12.03.20	7500
03	हैन्ड पंप मरम्मत	21088507	मोहित सिंह	12.03.20	16000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	53000
			मोहित सिंह	27.03.20	10000
	योग				467000

क्रमांक 04 अंकित रिबोर के सापेक्ष कोई मजदूरी दर्शित नहीं। शासनदेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6) पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया -

वर्ष 2018-19 व 2019-20 में करवाए गए कार्यों से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ0प्र0 के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(7) वर्ष 2018-19 में किये कार्यों का माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल ₹0 1287753.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	प्रशासनिक व्यय	7967499	आर के पेंटर	15.06.18	6500
			आर के पेंटर	15.06.18	10000
			राम सिंह	15.06.18	17000
			मजदूरी	15.06.18	18500
			श्याम फोटो कॉपी	15.06.18	13000
			वैभव इंटरप्राइजेज	07.03.19	7645
			राम सिंह	31.03.19	13602
			रुद्र अभिषेक	27.11.18	19500
02	हैन्ड पंप रिबोर	7967531	शिव ट्रेडर्स	15.06.19	95000
			शंकर इन्जिनियरिंग	15.06.19	50000
			शंकर इन्जिनियरिंग	08.02.19	50000

03	हैन्ड पंप मरम्मत	7967510	शिव ट्रेडर्स	15.10.18	30000
			मिस्त्री	15.06.18	90000
			मजदूरी	01.12.18	25000
			मजदूरी	02.02.19	25000
			शंकर इन्जिनियरिंग	08.03.19	30000
04	दीपक के घर से लालता के घर तक खड़जा मरम्मत	7967520	निखिल कॉन्सट्रक्सन	15.06.18	50000
			शिव ट्रेडर्स	18.06.18	70000
			मजदूरी	18.06.18	70000
			मजदूरी	10.12.18	5000
05	ह्यूम पाईप	7967504	अनुज ट्रेडर्स	27.11.18	55000
			अनुज ट्रेडर्स	18.06.18	50000
			अनुज ट्रेडर्स	01.02.19	50000
			विनायक टाईल्स एण्ड पाईप	07.02.19	44506
06	दीपक के घर से लालता के घर तक खड़जा मरम्मत	7967526	शिव ट्रेडर्स	03.08.18	50000
			मजदूरी	08.02.19	25000
			शिव ट्रेडर्स	13.02.19	50000
			शंकर इन्जिनियरिंग	05.03.19	25000
			शिव ट्रेडर्स	05.03.19	40000
07	हैन्ड पंप चबूतरा	7967501	मजदूरी	05.12.18	20000
			शिव ट्रेडर्स	08.03.19	32500
08	अशोक के घर से मोहनलाल के घर तक नाली व खड़जा	7967528	शिव ट्रेडर्स	12.12.18	40000
			शिव ट्रेडर्स	18.12.18	20000
			शिव ट्रेडर्स	02.02.19	70000
			मजदूरी	07.01.19	20000
	योग				1287753

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8) वर्ष 2019-20 में किये कार्यों का माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 738070 .00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	प्रशासनिक व्यय	15458489			354
			आयुष टेक्नोलॉजी	20.04.19	3416
			मोहित सिंह	29.05.19	10000
			मोहित सिंह	27.03.20	9800
			संजय 31070	27.03.20	7500

02	सफाई कार्य	15458476	मोहित सिंह	29.05.19	30000
			मोहित सिंह	29.05.19	30000
			मोहित सिंह	29.05.19	30000
			मोहित सिंह	09.03.20	10000
03	हैन्ड पंप मरम्मत	15458481	शिव ट्रेडर्स	30.05.19	20000
			शिव ट्रेडर्स	30.05.19	30000
			शिव ट्रेडर्स	30.05.19	35000
			शिव ट्रेडर्स	02.08.19	60000
			मिस्त्री	09.08.19	20000
			मोहित सिंह	13.12.19	34000
04	हैन्ड पंप रिबोर	15458477	मोहित सिंह	09/03.20	37500
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	96000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	24000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	24000
			मोहित सिंह	12.03.20	7500
05	हैन्ड पंप मरम्मत	21088507	मोहित सिंह	12.03.20	16000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	53000
			मोहित सिंह	27.03.20	10000
06	तालाब सफाई	21088508	मोहित सिंह	12.03.20	30000
07	ह्यूमपाईप	15458490	मोहित		30000
			मोहित		30000
			साक्षी इंटरप्राइजेज		30000
			मजदूरी		10000
			मोहित		10000
	योग				738070

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(9) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 190000.00 मजदूरी व्यय दर्शित है एवं वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 335000.00 मजदूरी व्यय दर्शित है परन्तु मास्टरोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(10) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 1287753.00 व्यय दर्शित है एवं वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 738070.00 व्यय दर्शित है उक्त कार्यों से संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायती राज नियमावली

1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(11) वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 0 1287753.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	प्रशासनिक व्यय	7967499	आर के पेंटर	15.06.18	6500
			आर के पेंटर	15.06.18	10000
			राम सिंह	15.06.18	17000
			मजदूरी	15.06.18	18500
			श्याम फोटो कॉपी	15.06.18	13000
			वैभव इंटरप्राइजेज	07.03.19	7645
			राम सिंह	31.03.19	13602
			रुद्र अभिषेक	27.11.18	19500
02	हैन्ड पंप रिबोर	7967531	शिव ट्रेडर्स	15.06.19	95000
			शंकर इन्जिनियरिंग	15.06.19	50000
			शंकर इन्जिनियरिंग	08.02.19	50000
03	हैन्ड पंप मरम्मत	7967510	शिव ट्रेडर्स	15.10.18	30000
			मिस्त्री	15.06.18	90000
			मजदूरी	01.12.18	25000
			मजदूरी	02.02.19	25000
			शंकर इन्जिनियरिंग	08.03.19	30000
04	दीपक के घर से	7967520	निखिल कॉन्सट्रक्सन	15.06.18	50000
	लालता के घर		शिव ट्रेडर्स	18.06.18	70000
	तक खड़जा		मजदूरी	18.06.18	70000
	मरम्मत		मजदूरी	10.12.18	5000
05	ह्यूम पाईप	7967504	अनुज ट्रेडर्स	27.11.18	55000
			अनुज ट्रेडर्स	18.06.18	50000
			अनुज ट्रेडर्स	01.02.19	50000
			विनायक टाईल्स एण्ड पाईप	07.02.19	44506
06	दीपक के घर से	7967526	शिव ट्रेडर्स	03.08.18	50000
	लालता के घर		मजदूरी	08.02.19	25000
	तक खड़जा		शिव ट्रेडर्स	13.02.19	50000
	मरम्मत		शंकर इन्जिनियरिंग	05.03.19	25000
			शिव ट्रेडर्स	05.03.19	40000
07	हैन्ड पंप चबूतरा	7967501	मजदूरी	05.12.18	20000
			शिव ट्रेडर्स	08.03.19	32500
08	अशोक के घर से	7967528	शिव ट्रेडर्स	12.12.18	40000
	मोहनलाल के घर		शिव ट्रेडर्स	18.12.18	20000
	तक नाली व		शिव ट्रेडर्स	02.02.19	70000
	खड़जा		मजदूरी	07.01.19	20000
	योग				1287753

क्रमांक 1 पर अंकित प्रशासनिक व्यय रु 0 105747.00 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से व्ययित है।

क्रमांक 05 पर अंकित ह्यूम पाईप क्रय के सापेक्ष न तो कोई मजदूरी व्यय दर्शित है और ना ही अन्य सामग्री जिससे ह्यूम पाईप की स्थापना प्रमाणित हो सके

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1287753.00 (बारह लाख सत्तासी हजार सात सौ तिरपन रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री रमा सिंह से रु0 643876.5 (छ लाख तैतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव श्री सतगुरु से रु0 643876.5 (छ लाख तैतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(12) वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0738070.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	प्रशासनिक व्यय	15458489			354
			आयुष टेक्नोलॉजी	20.04.19	3416
			मोहित सिंह	29.05.19	10000
			मोहित सिंह	27.03.20	9800
			संजय 31070	27.03.20	7500
02	सफाई कार्य	15458476	मोहित सिंह	29.05.19	30000
			मोहित सिंह	29.05.19	30000
			मोहित सिंह	29.05.19	30000
			मोहित सिंह	09.03.20	10000
03	हैन्ड पंप मरम्मत	15458481	शिव ट्रेडर्स	30.05.19	20000
			शिव ट्रेडर्स	30.05.19	30000
			शिव ट्रेडर्स	30.05.19	35000
			शिव ट्रेडर्स	02.08.19	60000
			मिस्त्री	09.08.19	20000
			मोहित सिंह	13.12.19	34000
04	हैन्ड पंप रिबोर	15458477	मोहित सिंह	09/03.20	37500
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	96000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	24000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	24000
			मोहित सिंह	12.03.20	7500
05	हैन्ड पंप मरम्मत	21088507	मोहित सिंह	12.03.20	16000
			बी आर इंटरप्राइजेज	12.03.20	53000
			मोहित सिंह	27.03.20	10000
06	तालाब सफाई	21088508	मोहित सिंह	12.03.20	30000
07	ह्यूमपाईप	15458490	मोहित		30000
			मोहित		30000
			साक्षी इंटरप्राइजेज		30000
			मजदूरी		10000
			मोहित		10000
	योग				738070

क्रमांक 07 पर अंकित ह्यूम पाईप के संबंध में कोई मजदूरी व्यय दर्शित नहीं है और न ही कोई इस्टिमेट ,चरण बद्ध फोटो व एम बी इत्यादि प्रस्तुत किया गया ।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 738070.00(सात लाखअड़तीस हजार सत्तर रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री रमा सिंह से रु0 369035.00 (तीन लाख उनहतर हजार पैंतीस रुपये)और पंचायत सचिव सतगुरु से रु0 369035.00(तीन लाख उनहतर हजार पैंतीस रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -किडौरा विकास खंड -माल जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 26

ग्राम पंचायत- किडौरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे व्यय कुल धनराशि रु0 577081.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 454514.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(2)नियम विरुद्ध भुगतान -

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 27577.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 13788.5 और पंचायत सचिव से रु0 13788.5 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(3) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

30प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	15980461	135934.00
2	पप्पू यादव के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत	15980475	27692.00
3	सुशील के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण	15980464	130750.00
4	अशोक के घर से तुलसी के घर तक नाली निर्माण	20963683	131531.00
5	रामबली के घर से छबिलाल के घर तक खड़जा निर्माण	20963684	39378.00
6	आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत	15980466	34219.00

	योग		499504.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	15980485	27577.00
2	मितिलाल के घर से विमल के घर तक खड़जा	15980472	50000.00
	योग		77577.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(4) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में पंचायत द्वारा रु० 151098.00 मजदूरी पर व्यय किया गया परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(5) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	15980461	135934.00
2	पप्पू यादव के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत	15980475	27692.00
3	सुशील के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण	15980464	130750.00
4	अशोक के घर से तुलसी के घर तक नाली निर्माण	20963683	131531.00
5	रामबली के घर से छबिलाल के घर तक खड़जा निर्माण	20963684	39378.00
6	आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत	15980466	34219.00
	योग		499504.00

उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं

मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा वर्ष 219-20 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	15980485	27577.00
2	मितिलाल के घर से विमल के घर तक खड़जा	15980472	50000.00
	योग		77577.00

उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

वर्ष 2019-20 में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	15980461	135934.00
2	पप्पू यादव के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत	15980475	27692.00
3	सुशील के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण	15980464	130750.00
4	अशोक के घर से तुलसी के घर तक नाली निर्माण	20963683	131531.00
5	रामबली के घर से छबिलाल के घर तक खड़जा निर्माण	20963684	39378.00
6	आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत	15980466	34219.00
	योग		499504.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 499504.00() में से ग्राम प्रधान श्रीमती जया देवी से रु०249752.00 और पंचायत सचिव सतगुरु से रु०249752.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है लेखापरीक्षा वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	15980485	27577.00
2	मितिलाल के घर से विमल के घर तक खड़जा	15980472	50000.00
	योग		77577.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 77577.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती जया देवी से रु० 38788.50 और पंचायत सचिव सतगुरु से रु० 38788.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है अतः लेखा परीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 577081.00 (पाँच लाख सतहत्तर हजार इक्यासी रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती जया देवी से रु० 288540.50 (दो लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ चालीस रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव सतगुरु से रु० 288540.50 (दो लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ चालीस रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(7)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्य से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में

कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

ग्राम पंचायत - मंड़ी निकरोजपुर, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 27

ग्राम पंचायत- मंड़ी निकरोजपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि ₹0 1320748.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है ।

(2)सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹01234734.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(3)शासनादेश के विरुद्ध सोलर लाईट क्रय करना --

33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे । परंतु ग्राम पंचायत द्वारा सचिन इंटरप्राइजेज फर्म से कुल ₹0 245559.00 सोलर लाईट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत नहीं है इसलिए सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है । निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)नियम विरुद्ध हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कराना

ग्राम पंचायत मांड़ी निकरोजपुर के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर ₹0 333490.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र0स0	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
	15129522	किशान ट्रेडर्स	28.06.2019	31120
		किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	71370
	15129498	किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	231000
	योग			333490

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती। शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता

है। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

30प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु0 1320748.00 व्यय दर्शित हैं। विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01		15129522	किशान ट्रेडर्स	28.06.2019	31120
			किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	71370
02		15129498	किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	231000
03	सोलर लाईट	15129517	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.2020	245559
04	इंटरलॉकिंग	15129493	अनामिका इंटरप्राइजेज	04.03.2020	147657
	पूर्व0 वि0		जय अम्बे ट्रेडर्स	05.03.2020	33709
			चंद्रिका ब्रिक	05.03.2020	38302
		15129493	लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	05.03.2020	24400
05	नालीनिर्माण भवानी देवी के घर से नाथा प्रसाद के घर तक	15129506	जय अम्बे ट्रेडर्स	05.03.2020	16783
			चंद्रिका ब्रिक	05.03.2020	24001
		15129506	लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	05.03.2020	10360
06	इंटरलॉकिंग बेचालाल के घर से सुरेन्द्र के घर तक	15129500	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	33684
07	इंटरलॉकिंग प्रमोद के घर से भवानी के घर	15129515	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	43961
08	इंटरलॉकिंग साहबलाल के घर से शिवधर के घर	15129511	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	64300
09	इंटरलॉकिंग मंगला के घर से रामनरेश के घर	15129509	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	59207
10	पूर्व0मा0वि0 दीवाल निर्माण	15129492	जय अम्बे ट्रेडर्स	30.03.2020	85460
			चौहान ब्रिक	30.03.2020	108621
		15129492	लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	30.03.2020	41062
		15129492	अजय कुमार-मजदूरी	30.03.2020	10192
	योग				1320748

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 30प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है । 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा ।निम्न लिखित कार्यो पर कुल रु० 1320748.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01		15129522	किशान ट्रेडर्स	28.06.2019	31120
02			किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	71370
03		15129498	किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	231000
04	सोलर लाईट	15129517	सचिन इंटरप्राईजेज	07.03.2020	245559
05	इंटरलॉकिंग	15129493	अनामिका इंटरप्राईजेज	04.03.2020	147657
06	पूर्व० वि०		जय अम्बे ट्रेडर्स	05.03.2020	33739
07			चंद्रिका ब्रिक	05.03.2020	38302
08			लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	05.03.2020	24400
09	नाली निर्माण भवानी देवी के घर से	15129506	जय अम्बे ट्रेडर्स	05.03.2020	16783
10	नाथा प्रसाद के घर तक		चंद्रिका ब्रिक	05.03.2020	24001
11			लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	05.03.2020	10360
12	इंटरलॉकिंग बेचालाल के	15129500	सचिन इंटरप्राईजेज	30.03.2020	33684
13	घर से सुरेन्द्र केघर तक				
14	इंटरलॉकिंग प्रमोद के घर से भवानी के घर	15129515	सचिन इंटरप्राईजेज	30.03.2020	43961
15	इंटरलॉकिंग साहबलाल के घर सेशिवधर के घर	15129511	सचिन इंटरप्राईजेज	30.03.2020	64300
16	इंटरलॉकिंग मंगला के घर से रामनरेश के घर	15129509	सचिन इंटरप्राईजेज	30.03.2020	59207
17	पूर्व०मा०वि० दीवाल निर्माण	15129492	जय अम्बे ट्रेडर्स	30.03.2020	85460
18			चौहान ब्रिक	30.03.2020	108621
19			लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	30.03.2020	41062
20			अजय कुमार -मजदूरी	30.03.2020	10192
	योग				1320748

लेखापरीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नही हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8)व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्यो पर कुल रु 0 1320748.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01		15129522	किशान ट्रेडर्स	28.06.2019	31120
02			किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	71370
03		15129498	किशान ट्रेडर्स	25.02.2020	231000
04	सोलर लाईट	15129517	सचिन इंटरप्राईजेज	07.03.2020	245559
05	इंटरलॉकिंग	15129493	अनामिका इंटरप्राईजेज	04.03.2020	147657

06	पूर्व0 वि0		जय अम्बे ट्रेडर्स	05.03.2020	33739
07			चंद्रिका ब्रिक	05.03.2020	38302
08			लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	05.03.2020	24400
09	नाली निर्माण भवानी देवी के घर से	15129506	जय अम्बे ट्रेडर्स	05.03.2020	16783
10	नाथा प्रसाद के घर तक		चंद्रिका ब्रिक	05.03.2020	24001
11			लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	05.03.2020	10360
12	इंटरलॉकिंग बेचालाल के	15129500	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	33684
13	घर से सुरेन्द्र के घर तक				
14	इंटरलॉकिंग प्रमोद के घर से भवानी के घर	15129515	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	43961
15	इंटरलॉकिंग साहबलाल के घर से शिवधर के घर	15129511	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	64300
16	इंटरलॉकिंग मंगला के घर से रामनरेश के घर	15129509	सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.2020	59207
17	पूर्व0मा0वि0 दीवाल	15129492	जय अम्बे ट्रेडर्स	30.03.2020	85460
18	निर्माण		चौहान ब्रिक	30.03.2020	108621
19			लक्ष्मी चंद्र -मजदूरी	30.03.2020	41062
20			अजयकुमार-मजदूरी	30.03.2020	10192
	योग				1320748

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि ₹0 1320748.00 (तेरह लाख बीस हजार सात सौ अड़तालीस रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा से ₹0 660374.00 (छ लाख साठ हजार तीन सौ चौहत्तर रुपये) से और पंचायत सचिव श्री आलोक सक्सेना से ₹0 660374.00 (छ लाख साठ हजार तीन सौ चौहत्तर रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - मड़वाना, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ

वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या -28

ग्राम पंचायत- मड़वाना द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में व्यय कुल धनराशि क्रमशः ₹0 9047791.00 व ₹0 4509596.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)सक्षम स्तर से कार्य स्वीकृति नहीं लिया जाना -

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्य आईडी एवं विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट पर कुल व्यय ₹01001300.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र0स0		कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	सोलर लाइट	15454034	सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	114000
2			सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	133000
3	सोलर लाइट	15454005	सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
4			सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
5	सोलर लाइट	15453930	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
6	सोलर लाइट	15454025	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100

7	सोलर लाईट	15454035	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
		योग			1001300

सभी कार्य आईडी 2.5 लाख की लागत से कम की बनायी गई है जिससे अभियंता जिला पंचायत से तकनीकी परीक्षण करवाने से बचा जा सके शासनदेश संख्या 3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2 (ब) के अनुसार 2.00 लाख तक के कार्यो की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को है। अग्रेतर तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्य से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(2)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती न किया जाना

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

(3)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586

दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2018-19 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 7401660.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586

दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2019-20 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 4090624.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)शासनादेश का उल्लंघन कर सोलर लाईट क्रय करना--

ग्राम पंचायत मड़वाना का वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट पर कुल व्यय ₹0 1001300.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र0स0		कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	सोलर लाईट	15454034	सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	114000
2			सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	133000
3	सोलर लाईट	15454005	सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
4			सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
5	सोलर लाईट	15453930	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
6	सोलर लाईट	15454025	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
7	सोलर लाईट	15454035	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100

		योग			1001300

33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता एवं वारंटी सुनिश्चित रहे। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त तालिका में दर्शित फ़र्मों से कुल रु0 1001300.00 भुगतान कर सोलर लाईट का क्रय किया गया जिसमें उक्त शासनदेश का पालन नहीं किया गया इसलिए सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में कोई अभिलेख न तो वेबसाइट पर उपलब्ध था और न ही ऑफ लाईन प्रस्तुत किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(5)नियम विरुद्ध भुगतान -

ग्राम पंचायत मड़वाना का वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में हैण्डपंप मरम्मत/रिबोर पर कुल व्यय रु0 955389.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है

क्र0स0	कार्य आईडी	आहरणकर्ता		दिनांक	धनराशि
01	हैण्ड पंप मरम्मत	15453924	किसान ट्रेडर्स	24.06.19	32320
			किसान ट्रेडर्स	31.07.19	63000
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	32400
			होरीलाल	29.03.20	24500
02	हैण्डपंप रिबोर	15454028	किसान ट्रेडर्स	01.08.19	94062
			किसान ट्रेडर्स	01.08.19	94062
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	31500
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	28000
03	हैण्डपंप रिबोर	154533925	किसान ट्रेडर्स	13.01.20	79485
			किसान ट्रेडर्स	13.01.20	79485
			किसान ट्रेडर्स	13.01.20	26495
04	हैण्डपंप रिबोर	154533927	किसान ट्रेडर्स	10.02.20	92985
			किसान ट्रेडर्स	10.02.20	92985
05	हैण्डपंप रिबोर	15454024	किसान ट्रेडर्स	14.02.20	92055
			किसान ट्रेडर्स	14.02.20	92055
	योग				955389

क्रमांक 1 पर अंकित हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय दिनांक 24.06.19 पुनः 31.07.19 व 28.01.20 को दर्शित है इन तिथियों के बीच में कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया अर्थात बिना प्रयोज्य के ग्राम निधि से व्यय कर वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। मजदूरी भुगतान दिनांक 29.03.20 को किया गया है। क्रमांक 2,3,4 व 5 पर अंकित कार्यों के सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है जिससे कार्य की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। शासनादेश

सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

वर्ष 2018-19 व 2019-20 में करवाए गए कार्यों से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ0प्र0 के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत

नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(7) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 4509596.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15453924	किसान ट्रेडर्स	24.06.19	32320
			किसान ट्रेडर्स	31.07.19	63000
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	32400
			होरीलाल	29.03.20	24500
02	हैंडपंप रिबोर	15454028	किसान ट्रेडर्स	01.08.19	94062
			किसान ट्रेडर्स	01.08.19	94062
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	31500
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	28000
03	हैंडपंप रिबोर	154533925	किसान ट्रेडर्स	13.01.20	79485
			किसान ट्रेडर्स	13.01.20	79485
			किसान ट्रेडर्स	13.01.20	26495
04	हैंडपंप रिबोर	154533927	किसान ट्रेडर्स	10.02.20	92985
			किसान ट्रेडर्स	10.02.20	92985
05	हैंडपंप रिबोर	15454024	किसान ट्रेडर्स	14.02.20	92055
			किसान ट्रेडर्स	14.02.20	92055
06	सोलर लाईट	15454034	सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	114000
			सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	133000
07	सोलर लाईट	15454005	सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
			सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
08	सोलर लाईट	15453930	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
09	सोलर लाईट	15454025	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
10	सोलर लाईट	15454035	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
11	प्रशासनिक व्यय	15453923			47494
12	सा0स्वास्थ्य उपकेन्द्र मरम्मत	7320860	हितासी इंटरप्राइजेज	02.04.19	25975
13	इंटरलॉकिंग	15453971	देव इंटरप्राइजेज	28.01.20	98000
	जु0हाईस्कूल		देव इंटरप्राइजेज	29.02.20	61245
	बसहरी		गुप्ता ट्रेडर्स	29.02.20	33162
			मजदूरी		26936
14	इंटरलॉकिंग देवी दयाल के घर से डामर रोड तक	15454008	देव इंटरप्राइजेज	18.02.20	42275
			देव इंटरप्राइजेज	28.01.20	85750
			गुप्ता ट्रेडर्स	18.02.20	42582
			चौहान ब्रिक फील्ड	14.02.20	15150
			चौहान ब्रिक फील्ड	18.02.20	23693
			मजदूरी		19804

15	मरम्मत जु0हाईस्कूल बसहरी	15453972	किसान ट्रेडर्स	14.02.20	76859
			गुप्ता ट्रेडर्स	14.02.20	16301
			किसान ट्रेडर्स	14.03.20	10052
			गुप्ता ट्रेडर्स	14.03.20	90532
			मजदूरी		62524
16	इंटरलॉकिंग ए एन एम केंद्र	15453978	देव इंटरप्राइजेज	22.02.20	37800
			चौहान ब्रिक फील्ड	22.02.20	8998
			गुप्ता ट्रेडर्स	22.02.20	10356
			मजदूरी	22.02.20	5726
17	बकाया इंटरलॉकिंग प्रा0 वि 0 रघुनाथपुर	15453983	देव इंटरप्राइजेज	02.03.20	72432
			गुप्ता ट्रेडर्स	02.03.20	33162
			देव इंटरप्राइजेज	28.01.20	80200
			मजदूरी	29.02.20	22540
18	नाली ढक्कन निर्माण	15453990	गुप्ता ट्रेडर्स	02.03.20	91822
			गुप्ता ट्रेडर्स	02.03.20	76660
			मजदूरी	02.03.20	25088
19	इंटरलॉकिंग संतोष के घर से गोविंद के घर तक	15454026	देव इंटरप्राइजेज	07.03.20	69760
			चौहान ब्रिक फील्ड	07.03.20	29973
			गुप्ता ट्रेडर्स	07.03.20	23055
			मजदूरी	07.03.20	15092
20	बाउंड्री वाल उच्चीकरण	15454020	किसान ट्रेडर्स	07.03.20	12000
			चौहान ब्रिक फील्ड	07.03.20	12644
			गुप्ता ट्रेडर्स	07.03.20	10031
			मजदूरी	07.03.20	6272
21	प्रा0 वि 0 अटरिया बाउंड्री वाल उच्चीकरण	15453980	चौहान ब्रिक फील्ड	07.03.20	73949
			गुप्ता ट्रेडर्स	14.03.20	68230
			मजदूरी	14.03.20	33628
22	केशव के घर से महेश्वर के घर तक सी सी रोड	20763796	गुप्ता ट्रेडर्स	14.03.20	29489
			चौहान ब्रिक फील्ड	12.03.20	22030
			मजदूरी	12.03.20	15820
23	नंदकिशोर के घर से नहर तक हयूम पाईप	20763789	जय मा इंटरप्राइजेज	12.03.20	68949
24	नंदकिशोर के घर से नहर तक हयूम पाईप	20763788	जय मा इंटरप्राइजेज	12.03.20	62053
25	पुट्टा के घर से गुड्डू के घर तक सी सी रोड	201093561	चौहान ब्रिक फील्ड	14.03.20	39584
			गुप्ता ट्रेडर्स	17.03.20	106833
			गुप्ता ट्रेडर्स	19.03.20	41072
			मजदूरी		31262
26	चंद्रिका के घर से राम गुलाम के घर तक खड़जा	15454018	चौहान ब्रिक फील्ड	31.03.20	36590
			मजदूरी		15092
27	प्रा0 वि 0 रघुनाथपुर बाउंड्री वाल निर्माण	15454027	चौहान ब्रिक फील्ड	17.03.20	27428
			मजदूरी	17.03.20	32900
28		20763806	गुप्ता ट्रेडर्स	21.03.20	20623

	रामसागर के घर से		चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	15473
	महेश्वर के घर तक		मजदूरी	21.03.20	11088
	नाली				
29	महिलाल के घर से	15453947	चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	37756
	देशपाल के घर तक		गुप्ता ट्रेडर्स	21.03.20	31088
	नाली				
30	राजेन्द्र के घर से	15453940	देव इंटरप्राइजेज	21.03.20	56514
	शिव मंदिर तक इंटर		चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	25644
	लॉकिंग		मजदूरी	21.03.20	9996
31	सुरेन्द्र के घर से	15453959	चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	42817
	श्यामलाल के घर तक		गुप्ता ट्रेडर्स	21.03.20	39499
	नाली		मजदूरी	21.03.20	20720
32	सार्वजनिक शौचालय	15453969	किसान ट्रेडर्स	31.03.20	74851
			मजदूरी		39984
	योग				4509596

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि सामग्री की दर निर्धारित करते समय कार्टेज कहाँ से लगाया गया तथा RMR किस स्थान से निर्धारित किया गया। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8) वर्ष 2018-19 में माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 9047791.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	पंचायत घर में विद्युतीकरण	7320795	सचिन इंटरप्राइजेज	19.07.18	26400
02	हैन्डपंप मरम्मत	7320773			243270
03	हैन्डपंप रिबोर	7320796	किशान ट्रेडर्स	21.07.18	99400
			किशान ट्रेडर्स	21.07.18	99600
04	प्रशासनिक व्यय	7320814			172538
05	सोलर लाइट	7320874	सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.19	85600
			सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.19	64200
			सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.19	85600
06	सोलर लाइट	7320822	सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.18	85600
			सचिन इंटरप्राइजेज	07.09.18	64200
			सचिन इंटरप्राइजेज	07.09.18	85600
07	प्रा०वि० मड़वाना मरम्मत	7320811			139415
08	जू० हा० मड़वाना मरम्मत	7320812			232462

09	जू0 हा0 सैदापुर मरम्मत	7320806			241540
10	प्रा0वि0 अटरिया मरम्मत	7320802			201728
11	प्रा0वि0 अटरिया मरम्मत	7320793			133000
12	हैन्डपंप रिबोर	7320823	किशान ट्रेडर्स	30.10.18	59660
			किशान ट्रेडर्स	15.11.18	49570
			किशान ट्रेडर्स	15.11.18	49440
			किशान ट्रेडर्स	29.12.18	45050
13	पंचायत भवन सैदापुर में मरम्मत	7320800			160473
14		12995871			231100
15	प्रा0वि0रघुनाथ खेड़ा प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320801			245342
16	प्रा0वि0 सैदापुर प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320798			142993
17	प्रा0वि0 चकई प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320808			228731
18	जू0 हा0 मड़वाना प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320816			217735
19	प्रा0वि0 मड़वाना प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320815			246461
20	पंचायत भवन सैदापुर में शौचालय निर्माण	7320799			129857
21	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	7320776			14000
22	प्रा0वि0 चकई अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	7320805			64865
23	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	7320813			143342
24	खेल मैदान तार पिलर	12995869			185055
25	नाली मरम्मत	7320859			149710
26	नाली निर्माण	7320842			198845
27	सामुदायिक केंद्र मरम्मत	7320860			178022
28	हैन्डपंप रिबोर	13270004			49540
29	प्रा0वि0 मड़वाना बाउन्ड्रीउच्छिक्करण	129995854			32975
30	आंगनवाड़ी केंद्र मड़वाना प्रांगण में इंटरलॉकिंग	12995853			229791
31	ललित के दुकान से नहर सैदापुर तक पाईप लाइन	7320870			117114
32	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में बोरिंग शेड कार्य	12995874			190885
33	जू0 हा0 मड़वाना शौचालय निर्माण	12995866			165598
34	प्रा0वि0 मड़वानामें अतिरिक्त कक्ष	13270011			37325
35	फकीर के घर से गंगू के घर तक नाली निर्माण	7320783			141028

36	प्रा0वि0 मड़वाना मेंगाई पुताई	12995856			219272
37	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में टीनशेड निर्माण	12995873			221745
38	खेदड़ी के घर से राम सागर सिंह के घर तक नाली	12995897			116231
39	महेन्द्र के घर से राम महेश्वर सिंह के घर तक नाली	12995893			99113
40	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में गेट निर्माण	13269994			190550
41	प्रशासनिक व्यय	13270002			77300
42	पत्थर बेंच	12995888			48870
43	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में सोलर लाईट	12995888			248040
44	सोलर लाईट	12995847			248040
45	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में तार पिलर	12995870			232415
46	नाली सफाई	7320777			39900
47	ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर तार पिलर कार्य	12995878			230600
48	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में मेढबंदी	13269995			242100
49	अशर्फी के घर से हनुमान मंदिर तक इंटर लॉकिंग	7320929			113172
50	प्रा0वि0रघुनाथ खेड़ा में अतिरिक्त कक्ष पर ट्रायल कार्य	12995860			162604
51	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में चरही निर्माण	13270003			247891
52	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में अन्य व्यय	13270012			175000
53	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में चारा काटने की मशीन	13270010			109875
54	जू0 हा0 सैदापुर प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320807			163768
	अन्य व्यय				98645
	योग				9047791

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(9)मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों रु0 9089791.00 से संबंधित व्यय एवं वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों रु0 4509596.00 से संबंधित मास्टरोल लेखा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के

अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(10) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। वर्ष 2018-19 में करवाए गए विभिन्न कार्यों पर कुल रु० 9089791.00 व्यय दर्शित है एवं वर्ष 2019-20 में करवाए गए विभिन्न कार्यों पर रु० 4509596.00 व्यय दर्शित है उक्त कार्यों से संबंधित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नही हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(11) वर्ष 2019-20 के व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया गया-

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु० 4509596.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15453924	किसान ट्रेडर्स	24.06.19	32320
			किसान ट्रेडर्स	31.07.19	63000
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	32400
			होरीलाल	29.03.20	24500
02	हैंडपंप रिबोर	15454028	किसान ट्रेडर्स	01.08.19	94062
			किसान ट्रेडर्स	01.08.19	94062
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	31500
			किसान ट्रेडर्स	28.01.20	28000
03	हैंडपंप रिबोर	154533925	किसान ट्रेडर्स	13.01.20	79485
			किसान ट्रेडर्स	13.01.20	79485
			किसान ट्रेडर्स	13.01.20	26495
04	हैंडपंप रिबोर	154533927	किसान ट्रेडर्स	10.02.20	92985
			किसान ट्रेडर्स	10.02.20	92985
05	हैंडपंप रिबोर	15454024	किसान ट्रेडर्स	14.02.20	92055
			किसान ट्रेडर्स	14.02.20	92055
06	सोलर लाईट	15454034	सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	114000
			सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.19	133000
07	सोलर लाईट	15454005	सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
			सचिन इंटरप्राइजेज	01.01.20	95000
08	सोलर लाईट	15453930	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
09	सोलर लाईट	15454025	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
10	सोलर लाईट	15454035	सचिन इंटरप्राइजेज	07.03.20	188100
11	प्रशासनिक व्यय	15453923			47494
12	सा०स्वास्थ्य उपकेन्द्र मरम्मत	7320860	हितासी इंटरप्राइजेज	02.04.19	25975
13	इंटरलॉकिंग जु० हाईस्कूल बसहरी	15453971	देव इंटरप्राइजेज	28.01.20	98000
			देव इंटरप्राइजेज	29.02.20	61245
			गुप्ता ट्रेडर्स	29.02.20	33162
			मजदूरी		26936
14		15454008	देव इंटरप्राइजेज	18.02.20	42275

	इंटरलॉकिंग देवी दयाल के घर से डामर रोड तक		देव इंटरप्राइजेज	28.01.20	85750
			गुप्ता ट्रेडर्स	18.02.20	42582
			चौहान ब्रिक फील्ड	14.02.20	15150
			चौहान ब्रिक फील्ड	18.02.20	23693
			मजदूरी		19804
15	मरम्मत जु0हाईस्कूल बसहरी	15453972	किसान ट्रेडर्स	14.02.20	76859
			गुप्ता ट्रेडर्स	14.02.20	16301
			किसान ट्रेडर्स	14.03.20	10052
			गुप्ता ट्रेडर्स	14.03.20	90532
			मजदूरी		62524
16	इंटरलॉकिंग ए एन एम केंद्र	15453978	देव इंटरप्राइजेज	22.02.20	37800
			चौहान ब्रिक फील्ड	22.02.20	8998
			गुप्ता ट्रेडर्स	22.02.20	10356
			मजदूरी	22.02.20	5726
17	बकाया इंटरलॉकिंग प्रा0 वि 0 रघुनाथपुर	15453983	देव इंटरप्राइजेज	02.03.20	72432
			गुप्ता ट्रेडर्स	02.03.20	33162
			देव इंटरप्राइजेज	28.01.20	80200
			मजदूरी	29.02.20	22540
18	नाली ढक्कन निर्माण	15453990	गुप्ता ट्रेडर्स	02.03.20	91822
			गुप्ता ट्रेडर्स	02.03.20	76660
			मजदूरी	02.03.20	25088
19	इंटरलॉकिंग संतोष के घर से गोविंद के घर तक	15454026	देव इंटरप्राइजेज	07.03.20	69760
			चौहान ब्रिक फील्ड	07.03.20	29973
			गुप्ता ट्रेडर्स	07.03.20	23055
			मजदूरी	07.03.20	15092
20	बाउंड्री वाल उच्चीकरण	15454020	किसान ट्रेडर्स	07.03.20	12000
			चौहान ब्रिक फील्ड	07.03.20	12644
			गुप्ता ट्रेडर्स	07.03.20	10031
			मजदूरी	07.03.20	6272
21	प्रा0 वि 0 अटरिया बाउंड्री वाल उच्चीकरण	15453980	चौहान ब्रिक फील्ड	07.03.20	73949
			गुप्ता ट्रेडर्स	14.03.20	68230
			मजदूरी	14.03.20	33628
22	केशव के घर से महेश्वर के घर तक सी सी रोड	20763796	गुप्ता ट्रेडर्स	14.03.20	29489
			चौहान ब्रिक फील्ड	12.03.20	22030
			मजदूरी	12.03.20	15820
23	नंदकिशोर के घर से नहर तक ह्यूम पाईप	20763789	जय मा इंटरप्राइजेज	12.03.20	68949
24	नंदकिशोर के घर से नहर तक ह्यूम पाईप	20763788	जय मा इंटरप्राइजेज	12.03.20	62053
25	पुट्टा के घर से गुड्डू के घर तक सी सी रोड	201093561	चौहान ब्रिक फील्ड	14.03.20	39584
			गुप्ता ट्रेडर्स	17.03.20	106833
			गुप्ता ट्रेडर्स	19.03.20	41072
			मजदूरी		31262
26		15454018	चौहान ब्रिक फील्ड	31.03.20	36590

	चंद्रिका के घर से राम गुलाम के घर तक खड़जा		मजदूरी		15092
27	प्रा0 वि 0 रघुनाथपुर बाउंड्री वाल निर्माण	15454027	चौहान ब्रिक फील्ड	17.03.20	27428
			मजदूरी	17.03.20	32900
28	रामसागर के घर से महेश्वर के घर तक नाली	20763806	गुप्ता ट्रेडर्स	21.03.20	20623
			चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	15473
			मजदूरी	21.03.20	11088
29	महिलाल के घर से देशपाल के घर तक नाली	15453947	चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	37756
			गुप्ता ट्रेडर्स	21.03.20	31088
30	राजेन्द्र के घर से शिव मंदिर तक इंटर लॉकिंग	15453940	देव इंटरप्राइजेज	21.03.20	56514
			चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	25644
			मजदूरी	21.03.20	9996
31	सुरेन्द्र के घर से श्यामलाल के घर तक नाली	15453959	चौहान ब्रिक फील्ड	21.03.20	42817
			गुप्ता ट्रेडर्स	21.03.20	39499
			मजदूरी	21.03.20	20720
32	सार्वजनिक शौचालय	15453969	किसान ट्रेडर्स	31.03.20	74851
			मजदूरी		39984
	योग				4509596

क्रमांक 17 पर अंकित कार्य हेतु मजदूरी भुगतान दिनांक 29.02.20 के उपरांत सामग्री क्रय दिनांक 02.03.20 दर्शित है।

क्रमांक 23 व 24 पर अंकित ह्यूम पाईप कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, ह्यूम पाईप के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे सीमेंट, मौरडग, बालू इत्यादि क्रय नहीं किया गया।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्रपंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 4509596.00 (पैतालीस लाख नौ हजार पाँच सौ छियानवे रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से रु0 2254798.00 (बाईस लाख चौवन हजार सात सौ अठ्ठानवे रुपये) और पंचायत सचिव श्री आलोक सक्सेना से रु0 2254798.00 (बाईस लाख चौवन हजार सात सौ अठ्ठानवे रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(12) वर्ष 2018-19 के व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया- वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 9047791.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	पंचायत घर में विद्युतीकरण	7320795	सचिन इंटरप्राइजेज	19.07.18	26400
02	हैन्डपंप मरम्मत	7320773			243270
03	हैन्डपंप रिबोर	7320796	किशान ट्रेडर्स	21.07.18	99400
			किशान ट्रेडर्स	21.07.18	99600
04	प्रशासनिक व्यय	7320814			172538
05	सोलर लाईट	7320874	सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.19	85600
			सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.19	64200
			सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.19	85600
06	सोलर लाईट	7320822	सचिन इंटरप्राइजेज	05.09.18	85600

			सचिन इंटरप्राइजेज	07.09.18	64200
			सचिन इंटरप्राइजेज	07.09.18	85600
07	प्रा0वि0 मड़वाना मरम्मत	7320811			139415
08	जू0 हा0 मड़वाना मरम्मत	7320812			232462
09	जू0 हा0 सैदापुर मरम्मत	7320806			241540
10	प्रा0वि0 अटरिया मरम्मत	7320802			201728
11	प्रा0वि0 अटरिया मरम्मत	7320793			133000
12	हैन्डपंप रिबोर	7320823	किशान ट्रेडर्स	30.10.18	59660
			किशान ट्रेडर्स	15.11.18	49570
			किशान ट्रेडर्स	15.11.18	49440
			किशान ट्रेडर्स	29.12.18	45050
13	पंचायत भवन सैदापुर में मरम्मत	7320800			160473
14		12995871			231100
15	प्रा0वि0रघुनाथ खेड़ा प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320801			245342
16	प्रा0वि0 सैदापुर प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320798			142993
17	प्रा0वि0 चकई प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320808			228731
18	जू0 हा0 मड़वाना प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320816			217735
19	प्रा0वि0 मड़वाना प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320815			246461
20	पंचायत भवन सैदापुर में शौचालय निर्माण	7320799			129857
21	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	7320776			14000
22	प्रा0वि0 चकई अतिरिक्त कक्ष मरम्मत	7320805			64865
23	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	7320813			143342
24	खेल मैदान तार पिलर	12995869			185055
25	नाली मरम्मत	7320859			149710
26	नाली निर्माण	7320842			198845
27	सामुदायिक केंद्र मरम्मत	7320860			178022
28	हैन्डपंप रिबोर	13270004			49540
29	प्रा0वि0 मड़वाना बाउन्ड्रीउच्छिक्करण	129995854			32975
30	आंगनवाड़ी केंद्र मड़वाना प्रांगण में इंटरलॉकिंग	12995853			229791
31	ललित के दुकान से नहर सैदापुर तक पाईप लाइन	7320870			117114
32	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में बोरिंग शेड कार्य	12995874			190885
33	जू0 हा0 मड़वाना शौचालय निर्माण	12995866			165598

34	प्रा0वि0 मड़वानामें अतिरिक्त कक्ष	13270011			37325
35	फकीर के घर से गंगू के घर तक नाली निर्माण	7320783			141028
36	प्रा0वि0 मड़वाना में रंगाई पुताई	12995856			219272
37	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में टीनशेड निर्माण	12995873			221745
38	खेदड़ी के घर से राम सागर सिंह के घर तक नाली	12995897			116231
39	महेंद्र के घर से राम महेश्वर सिंह के घर तक नाली	12995893			99113
40	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में गेट निर्माण	13269994			190550
41	प्रशासनिक व्यय	13270002			77300
42	पत्थर बेंच	12995888			48870
43	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में सोलर लाईट	12995888			248040
44	सोलर लाईट	12995847			248040
45	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में तार पिलर	12995870			232415
46	नाली सफाई	7320777			39900
47	ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर तार पिलर कार्य	12995878			230600
48	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में मेढ़बंदी	13269995			242100
49	अशफी के घर से हनुमान मंदिर तक इंटर लॉकिंग	7320929			113172
50	प्रा0वि0रघुनाथ खेड़ा में अतिरिक्त कक्ष पर ट्रायल कार्य	12995860			162604
51	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में चरही निर्माण	13270003			247891
52	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में अन्य व्यय	13270012			175000
53	पशुआश्रय स्थल मड़वाना में चारा काटने की मशीन	13270010			109875
54	जू0 हा0 सैदापुर प्रांगण में इंटर लॉकिंग	7320807			163768
	अन्य व्यय				97645
	योग				9047791

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखापरीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 9047791.00 (नब्बे लाख सैता लीस हजार सात सौ इक्यानबे) में से ग्राम प्रधान से रु0 4523895.50 (पैतालीस लाख तेईस हजार आठ सौ पंचानबे रुपये

पचास पैसे) और पंचायत सचिव से रु० 4523895.50 (पैंतालीस लाख तेईस हजारआठ सौ पंचानबे रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शाहमऊ नौबस्ता, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 29

ग्राम पंचायत- शाहमऊ नौबस्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि रु० 1244394.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु०100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु०1139335.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(2) शासनादेश के विरुद्ध हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कराना -

ग्राम पंचायत शाहमऊ नौबस्ता के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर रु० 256742.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र०स०	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
	15455155	शंकर इन्जिनियरिंग	20.02.2019	97713
		चंद्र प्रकाश	14.03.2020	62900
	15455154	दयाराम ट्रेडर्स	16.03.2020	96129
	योग			256742

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर हेतु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती। शासनादेश सं०1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30 प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्य से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायती राज लखनऊ 30 प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

30 प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्न लिखित कार्य पर कुल रु० 1244394.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैण्डपंप मरम्मत	15455155	शंकर इन्जिनियरिंग	20.02.2019	97713

			चंद्र प्रकाश	14.03.2020	62900
02	हैन्डपंप रिबोर	15455154	दयाराम ट्रेडर्स	16.03.2020	96129
03	सामुदायिक मिलन	13312232	अनुज ट्रेडर्स	01.04.2019	23157
	केंद्र मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग		मजदूरी	10.05.2019	10000
			अजय ब्रिक	31.07.2019	12000
			विमला इंडस्ट्रीज	31.07.2019	16900
			मजदूरी	31.07.2019	12000
			अनुज ट्रेडर्स	31.07.2019	9212
			अनुज ट्रेडर्स	01.08.2019	40220
04	रामकुमार के घर से	15455162	राधेस्याम -मजदूरी	27.02.2020	11680
	चिरंजीवी बाग तक		अनामिका इंटरप्राइजेज	01.03.2020	71913
	इंटरलॉकिंग		अनामिका इंटरप्राइजेज	04.03.2020	65265
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	12262
			अमृत ब्रिक	14.03.2020	41618
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	31372
05	प्रा0 वि0 नौबस्ता	15455141	अनामिका इंटरप्राइजेज	01.03.2020	80533
	में		राधेस्याम -मजदूरी	04.03.2020	10916
	इंटरलॉकिंग		राज ट्रेडर्स	04.03.2020	35640
			अमृत ब्रिक	14.03.2020	21596
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	10951
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	83310
06	शिवकुमार के घर से	15455159	अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	36835
	मंदिर तक		अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	31735
	इंटरलॉकिंग		अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	98010
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	51118
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	22850
07	नरेश के घर से	15455143	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	14400
	रामऔतार के हैन्ड		अजय ब्रिक	16.03.2020	87159
	पंप तक इंटरलॉकिंग				
08	सुंदर के घर से इंदर के घर तक	15455144	राज ट्रेडर्स	25.03.2020	45000
	योग				1244394

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत शाहमऊ नौबस्ता के वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु0 105059.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	15455159	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	22850

2	13312232	मजदूरी	10.05.2019	10000
3	13312232	मजदूरी	31.07.2019	12000
4	15455162	राधेस्याम -मजदूरी	27.02.2020	11680
5	15455162	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	12262
6	15455141	राधेस्याम -मजदूरी	04.03.2020	10916
7	15455141	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	10951
8	15455143	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	14400
	योग			105059

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है की क्रमांक 1 व 8 पर अंकित कार्य हेतु मात्र एक ही मजदूर राधेस्याम को भुगतान किया गया। मास्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्य पर कुल रु० 1244394.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्डपंप मरम्मत	15455155	शंकर इन्जिनियरिंग	20.02.2019	97713
			चंद्र प्रकाश	14.03.2020	62900
02	हैन्डपंप रिबोर	15455154	दयाराम ट्रेडर्स	16.03.2020	96129
03	सामुदायिक मिलन केंद्र मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग	13312232	अनुज ट्रेडर्स	01.04.2019	23157
			मजदूरी	10.05.2019	10000
			अजय ब्रिक	31.07.2019	12000
			विमला इंडस्ट्रीज	31.07.2019	16900
			मजदूरी	31.07.2019	12000
			अनुज ट्रेडर्स	31.07.2019	9212
			अनुज ट्रेडर्स	01.08.2019	40220
04	रामकुमार के घर से चिरंजीवी बाग तक इंटरलॉकिंग	15455162	राधेस्याम -मजदूरी	27.02.2020	11680
			अनामिका इंटरप्राइजेज	01.03.2020	71913
			अनामिका इंटरप्राइजेज	04.03.2020	65265
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	12262
			अमृत ब्रिक	14.03.2020	41618
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	31372
05	प्रा० वि० नौबस्ता में इंटरलॉकिंग	15455141	अनामिका इंटरप्राइजेज	01.03.2020	80533
			राधेस्याम -मजदूरी	04.03.2020	10916
			राज ट्रेडर्स	04.03.2020	35640
			अमृत ब्रिक	14.03.2020	21596
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	10951
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	83310
06	शिवकुमार के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग	15455159	अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	36835
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	31735

			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	98010
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	51118
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	22850
07	नरेश के घर से	15455143	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	14400
	रामऔतार के हैंड पंप		अजय ब्रिक	16.03.2020	87159
	तक इंटरलॉकिंग				
08	सुंदर के घर से इंदर के	15455144	राज ट्रेडर्स	25.03.2020	45000
	घर तक				
	योग				1244394

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्रा०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु01244394.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्डपंप मरम्मत	15455155	शंकर इन्जिनियरिंग	20.02.2019	97713
			चंद्र प्रकाश	14.03.2020	62900
02	हैन्डपंप रिबोर	15455154	दयाराम ट्रेडर्स	16.03.2020	96129
03	सामुदायिक मिलन केंद्र	13312232	अनुज ट्रेडर्स	01.04.2019	23157
	मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग		मजदूरी	10.05.2019	10000
			अजय ब्रिक	31.07.2019	12000
			विमला इंडस्ट्रीज	31.07.2019	16900
			मजदूरी	31.07.2019	12000
			अनुज ट्रेडर्स	31.07.2019	9212
			अनुज ट्रेडर्स	01.08.2019	40220
04	रामकुमार के घर से	15455162	राधेस्याम -मजदूरी	27.02.2020	11680
	चिरंजीवी बाग तक		अनामिका इंटरप्राइजेज	01.03.2020	71913
	इंटरलॉकिंग		अनामिका इंटरप्राइजेज	04.03.2020	65265
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	12262
			अमृत ब्रिक	14.03.2020	41618
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	31372
05	प्रा० वि० नौबस्ता में	15455141	अनामिका इंटरप्राइजेज	01.03.2020	80533
	इंटरलॉकिंग		राधेस्याम -मजदूरी	04.03.2020	10916
			राज ट्रेडर्स	04.03.2020	35640
			अमृत ब्रिक	14.03.2020	21596
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	10951
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	83310
06	शिवकुमार के घर से मंदिर	15455159	अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	36835
	तक इंटरलॉकिंग		अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	31735
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	98010
			अनामिका इंटरप्राइजेज	14.03.2020	51118
			राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	22850

07	नरेश के घर से रामऔतारकेहैन्ड पंप तक इंटरलॉकिंग	15455143	राधेस्याम -मजदूरी	14.03.2020	14400
			अजय ब्रिक	16.03.2020	87159
08	सुंदर के घर से इंदर के घर तक	15455144	राज ट्रेडर्स	25.03.2020	45000
	योग				1244394

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1244394.00 (बारह लाख चौवालिश हजार तीन सौ चौरानवे रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी से रु0 622197.00 (छ लाख बाईस हजार एक सौ सत्तानवे रुपये) से और पंचायत सचिव श्री सतगुरु से रु0 622197.00 (छ लाख बाईस हजार एक सौ सत्तानवे रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - सालेहनगर, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 30

ग्राम पंचायत- सालेहनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि क्रमशः रु0 4355554.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1) सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु कुल रु0 3609004.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(2) नियम विरुद्ध भुगतान -

लेखा परीक्षा वर्ष में हैंडपंप मरम्मत /रिबोर पर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०स०	कार्य आईडी	तिथि	आहरणकर्ता	धनराशि
01	13969329	03.12.19	कृष्णा इंटर प्राईजेज	170625.00
02	13969329	03.12.19	कृष्णा इंटर प्राईजेज	60375.00
03	20418086	13.01.20	कृष्णा इंटर प्राईजेज	231000.00
04	13969322	09.01.20	शंकर इन्जिनियरिंग	196300.00
05	13969331	29.03.20	शांति w/o मोहनलाल	23100.00
06	13969331	29.03.20	कृष्णा इंटर प्राईजेज	189981.00
	योग			871381.00

उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 04 पर अंकित व्यय पशु आश्रय स्थल में हैंडपंप री बोरिंग से संबंधित है आनलाईन उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने हैंडपंप रीबोर हुआ है। तालिका के क्रमांक 01 से 04 पर अंकित व्यय में मजदूरी व्यय दर्शित नहीं है जो गंभीर आपति का विषय है। शासनादेश सं० 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैंडपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30 प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार

ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 871381.00में से ग्राम प्रधान से रु0 435690.50 और पंचायत सचिव से रु0 435690.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(3) बाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया -

लेखापरीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	पूर्व माध्यमिक एवं प्रा0 वि0 में पेंटिंग	13969332	141364.00
2	डामर रोड से शिवशंकर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969314	248563.00
3	बाबू मियां के घर से सुरेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969317	248563.00
4	छोटने के घर से चंद्रपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969313	232222.00
5	प्रा0 वि0 सालेहनगर में इंटरलॉकिंग कार्य	13969341	242257.00
6	जगदीश के घर से प्रदीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969324	215924.00
7	ठाकुरी के घर से छोटने के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	139693312	237042.00
8	पशुआश्रय स्थल खुदाई कार्य	13969348	230930.00
9	पूर्व माध्यमिक मरम्मत	20418082	216801.00
10	खड़जा कार्य नाला से बुद्धा के घर तक	13969349	220266.00
11	चंदरसेन के घर से महावीर के घर तक नाली निर्माण	13969340	221006.00
12	डामर रोड से बैजनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969334	231716.00
13	डामर रोड बैजनाथ से संदीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969338	216448.00
14	विनोद के घर से मोती के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969327	187218.00
15	प्रशासनिक कार्य	13969330	22500.00
16	लालता के घर से रामदयाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969325	157408.00
17	खड़जा निर्माण डामर रोड से रामदयाल	13969311	213845.00
18	हैंडपंप रिबोर	13969329	170625.00
19	हैंडपंप रिबोर	13969329	60375.00
20	हैंडपंप रिबोर	20418086	231000.00
21	हैंडपंप रिबोर	13969322	196300.00
22	हैंडपंप मरम्मत	13969331	23100.00
23	हैंडपंप मरम्मत	13969331	189981.00
	योग		4355454.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 **4355454.00** में से ग्राम प्रधान से रु0 2177727.00 और पंचायत सचिव से रु0 2177727.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(4) पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब)

तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । चौदहवें वित्त आयोग /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	पूर्व माध्यमिक एवं प्रा० वि० में पेंटिंग	13969332	141364.00
2	डामर रोड से शिवशंकर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969314	248563.00
3	बाबू मियां के घर से सुरेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969317	248563.00
4	छोटने के घर से चंद्रपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969313	232222.00
5	प्रा० वि० सालेहनगर में इंटरलॉकिंग कार्य	13969341	242257.00
6	जगदीश के घर से प्रदीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969324	215924.00
7	ठाकुरी के घर से छोटने के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	139693312	237042.00
8	पशुआश्रय स्थल खुदाई कार्य	13969348	230930.00
9	पूर्व माध्यमिक मरम्मत	20418082	216801.00
10	खड़जा कार्य नाला से बुद्धा के घर तक	13969349	220266.00
11	चंदरसेन के घर से महावीर के घर तक नाली निर्माण	13969340	221006.00
12	डामर रोड से बैजनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969334	231716.00
13	डामर रोड बैजनाथ से संदीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969338	216448.00
14	विनोद के घर से मोती के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969327	187218.00
15	प्रशासनिक कार्य	13969330	22500.00
16	लालता के घर से रामदयाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969325	157408.00
17	खड़जा निर्माण डामर रोड से रामदयाल	13969311	213845.00
18	हैंडपंप रिबोर	13969329	170625.00
19	हैंडपंप रिबोर	13969329	60375.00
20	हैंडपंप रिबोर	20418086	231000.00
21	हैंडपंप रिबोर	13969322	196300.00
22	हैंडपंप मरम्मत	13969331	23100.00
23	हैंडपंप मरम्मत	13969331	189981.00
	योग		4355454.00

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है ।

उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6)मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु० 746550.00 मजदूरी पर व्यय किया गया परंतु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(7)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा ।लेखापरीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग/ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि

1	पूर्व माध्यमिक एवं प्रा0 वि0 में पेंटिंग	13969332	141364.00
2	डामर रोड से शिवशंकर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969314	248563.00
3	बाबू मियां के घर से सुरेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969317	248563.00
4	छोटने के घर से चंद्रपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969313	232222.00
5	प्रा0 वि0 सालेहनगर में इंटरलॉकिंग कार्य	13969341	242257.00
6	जगदीश के घर से प्रदीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969324	215924.00
7	ठाकुरी के घर से छोटने के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	139693312	237042.00
8	पशुआश्रय स्थल खुदाई कार्य	13969348	230930.00
9	पूर्व माध्यमिक मरम्मत	20418082	216801.00
10	खड़जा कार्य नाला से बुद्धा के घर तक	13969349	220266.00
11	चंदरसेन के घर से महावीर के घर तक नाली निर्माण	13969340	221006.00
12	डामर रोड से बैजनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969334	231716.00
13	डामर रोड बैजनाथ से संदीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969338	216448.00
14	विनोद के घर से मोती के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969327	187218.00
15	प्रशासनिक कार्य	13969330	22500.00
16	लालता के घर से रामदयाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	13969325	157408.00
17	खड़जा निर्माण डामर रोड से रामदयाल	13969311	213845.00
18	हैंडपंप रिबोर	13969329	170625.00
19	हैंडपंप रिबोर	13969329	60375.00
20	हैंडपंप रिबोर	20418086	231000.00
21	हैंडपंप रिबोर	13969322	196300.00
22	हैंडपंप मरम्मत	13969331	23100.00
23	हैंडपंप मरम्मत	13969331	189981.00
	योग		4355454.00

उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8) कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती किया जाना अपेक्षित था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके गंभीर अनियमितता की गई है।

ग्राम पंचायत - नवीपनाह, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 31

ग्राम पंचायत- नवीपनाह द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि क्रमशः ₹0 ₹0 4813895.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1) शासनादेश संख्या के विरुद्ध क्रय करना -

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न कार्य आईडी एवं विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट पर कुल व्यय ₹0 493089.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट	19577777	श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	84134
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752

			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
2	स्ट्रीट लाईट	19577784	श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	53139
	योग				493089

सभी कार्य आईडी 2.5 लाख की लागत से कम की बनायी गई है जिससे अभियंता जिला पंचायत से तकनीकी परीक्षण करवाने से बचा जा सके शासनदेश संख्या 3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2 (ब) के अनुसार 2.00 लाख तक के कार्यों की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को है। अग्रेतर तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्य से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। विभागीय वेबसाइट पर फीडिंग करते समय यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त कार्य एलईडी लाईट है अथवा सोलर लाईट। प्रश्नगत कार्य में विभागीय निर्देश, आदेश, नियमों इत्यादि का पालन किया गया अथवा नहीं स्पष्ट नहीं हो सका। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(2) सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनदेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹0 4141569.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(3) पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखा परीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ 30 प्र0 के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(4) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। चौदहवें वित्त आयोग/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15453924	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	210600
			बहादुर को मजदूरी	31.07.2019	27000

02	हैन्ड पंप मरम्मत	15454306	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	11.12.2019	96000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	11.12.2019	128000
03	हैंडपंप रिबोर	1545307	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	35000
04	मुमताज के घर से समसेरी के घर तक इंटर लॉकिंग	15454373	देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	34692
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29880
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	16304
			मजदूरी	31.07.2019	12568
05	तालाब से किशोर के घर तक इंटर लॉकिंग	15454323	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29227
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	26413
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			मजदूरी	31.07.2019	22524
			राजा इंटरप्राइजेज	2.11.2019	21596
			देव इंटरप्राइजेज	2.11.2019	30355
			सुनील मजदूरी हेतु	20.11.2019	8440
06	जब्बार के घर से प्रवेश के घर तक इंटर लॉकिंग	15454336	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	31552
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29910
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	44604
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	44604
			मजदूरी	31.07.2019	22160
			राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	24639
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	35534
			सुनील मजदूरी हेतु	12.12.2019	13114
07	हनीफ़ के घर से विलाश के घर तक इंटर लॉकिंग	15454324	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29227
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	26413
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			मजदूरी	31.07.2019	22524
			राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	23368
			देव इंटरप्राइजेज	2.11.2019	36228
			सुनील मजदूरी हेतु	20.12.2019	9592
08	निर्मल के घर से सिद्दीकी के घर तक इंटरलॉकिंग	15454335	राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	74755
			राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	64350
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	99987
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	99987
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	46041
			रमेश मजदूरी हेतु	12.12.2019	27866
			रमेश मजदूरी हेतु	12.12.2019	27866
09	वंजी डामर रोड से तालाब तक इंटरलॉकिंग	15454330	राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	64150
			राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	74244
			विमला इंडस्ट्री	02.11.2019	49560

			विमला इंडस्ट्री	02.11.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	02.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	11.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	11.11.2019	45840
			रमेश मजदूरी हेतु	20.11.2019	36366
			रमेश मजदूरी हेतु	20.11.2019	36548
10	हयूम पाईप	15454358	राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	74034
			राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	93488
11	बाराती के घर से पुतई के घर तक इंटरलॉकिंग	15454339	राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	72395
			विमला इंडस्ट्री	11.02.2020	111793
			रमेश मजदूरी हेतु	11.02.2020	43992
12	गौशाला पानी चरही	20575481	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	48825
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	20230
13	यूनिस के घर से सिद्धीकी के घर तक इंटरलॉकिंग	19577775	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	28513
			विमला इंडस्ट्री	12.02.2020	58206
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	18270
14	मंदिर से रज्जन के घर तक इंटरलॉकिंग	20575474	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	69480
			विमला इंडस्ट्री	12.02.2020	106191
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	40084
15	स्ट्रीट लाईट	19577777	श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	84134
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
16	डामर रोड से केशन के घर तक इंटर लॉकिंग	15454371	राजा इंटरप्राइजेज	21.02.2020	71762
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	98129
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	27025
			रमेश मजदूरी हेतु	28.02.2020	44968
17	विनोद के घर से शिवलाल के घर तक इंटरलॉकिंग	15454370	राजा इंटरप्राइजेज	21.02.2020	71938
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	98129
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	30116
			सुनील मजदूरी हेतु	28.02.2020	45500
18	स्ट्रीट लाईट	19577784	श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	53139
19	मनोज के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग	15454369	देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	44604
20	विसून के घर से बूते के घर तक इंटरलॉकिंग	15454321	राजा इंटरप्राइजेज	04.03.2020	64855
			देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	46792
21	रंजीत के घर से रामदास के घर तक इंटरलॉकिंग	15454365	राजा इंटरप्राइजेज	04.03.2020	69234
			देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	45318
22	सफाई कार्य	15454359	छोटी बानो	19.03.2020	28000

			छोटी बानो	19.03.2020	28000
	योग				4813895

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु० 672326.00 मजदूरी पर व्यय किया गया जिसमें अधिकतर मजदूरी सुनील और रमेश को भुगतान किया गया परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग/ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15453924	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	210600
			बहादुर को मजदूरी	31.07.2019	27000
02	हैन्ड पंप मरम्मत	15454306	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	11.12.2019	96000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	11.12.2019	128000
03	हैंडपंप रिबोर	1545307	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	35000
04	मुमताज के घर से समसेरी के घर तक इंटर लॉकिंग	15454373	देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	34692
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29880
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	16304
			मजदूरी	31.07.2019	12568
05	तालाब से किशोर के घर तक इंटर लॉकिंग	15454323	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29227
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	26413
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			मजदूरी	31.07.2019	22524
			राजा इंटरप्राइजेज	2.11.2019	21596
			देव इंटरप्राइजेज	2.11.2019	30355
			सुनील मजदूरी हेतु	20.11.2019	8440
06	जब्बार के घर से प्रवेश के घर तक इंटर लॉकिंग	15454336	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	31552
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29910
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	44604
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	44604
			मजदूरी	31.07.2019	22160

			राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	24639
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	35534
			सुनील मजदूरी हेतु	12.12.2019	13114
07	हनीफ के घर से विलाश के घर तक इंटर लॉकिंग	15454324	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29227
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	26413
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			मजदूरी	31.07.2019	22524
			राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	23368
			देव इंटरप्राइजेज	2.11.2019	36228
			सुनील मजदूरी हेतु	20.12.2019	9592
08	निर्मल के घर से सिद्दीकी के घर तक इंटरलॉकिंग	15454335	राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	74755
			राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	64350
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	99987
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	99987
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	46041
			रमेश मजदूरी हेतु	12.12.2019	27866
			रमेश मजदूरी हेतु	12.12.2019	27866
09	वंजी डामर रोड से तालाब तक इंटरलॉकिंग	15454330	राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	64150
			राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	74244
			विमला इंडस्ट्री	02.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	02.11.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	02.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	11.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	11.11.2019	45840
			रमेश मजदूरी हेतु	20.11.2019	36366
			रमेश मजदूरी हेतु	20.11.2019	36548
10	ह्यूम पाईप	15454358	राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	74034
			राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	93488
11	बाराती के घर से पुतई के घर तक इंटरलॉकिंग	15454339	राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	72395
			विमला इंडस्ट्री	11.02.2020	111793
			रमेश मजदूरी हेतु	11.02.2020	43992
12	गौशाला पानी चरही	20575481	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	48825
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	20230
13	यूनिस के घर से सिद्दीकी के घर तक इंटरलॉकिंग	19577775	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	28513
			विमला इंडस्ट्री	12.02.2020	58206
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	18270
14	मंदिर से रज्जन के घर तक इंटरलॉकिंग	20575474	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	69480
			विमला इंडस्ट्री	12.02.2020	106191
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	40084
15	स्ट्रीट लाईट	19577777	श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	84134
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
16		15454371	राजा इंटरप्राइजेज	21.02.2020	71762

	डामर रोड से केशन के घर तक इंटर लॉकिंग		देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	98129
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	27025
			रमेश मजदूरी हेतु	28.02.2020	44968
17	विनोद के घर से शिवलाल के घर तक इंटरलॉकिंग	15454370	राजा इंटरप्राइजेज	21.02.2020	71938
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	98129
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	30116
			सुनील मजदूरी हेतु	28.02.2020	45500
18	स्ट्रीट लाईट	19577784	श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	53139
19	मनोज के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग	15454369	देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	44604
20	विसून के घर से बूते के घर तक इंटरलॉकिंग	15454321	राजा इंटरप्राइजेज	04.03.2020	64855
			देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	46792
21	रंजीत के घर से रामदास के घर तक इंटरलॉकिंग	15454365	राजा इंटरप्राइजेज	04.03.2020	69234
			देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	45318
22	सफाई कार्य	15454359	छोटी बानो	19.03.2020	28000
			छोटी बानो	19.03.2020	28000
	योग				4813895

उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु0 4813895 .00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15453924	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	210600
			बहादुर को मजदूरी	31.07.2019	27000
02	हैन्ड पंप मरम्मत	15454306	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	11.12.2019	96000

			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	11.12.2019	128000
03	हैंडपंप रिबोर	1545307	शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	70000
			शंकर इन्जिनियरिंग वर्क	31.07.2019	35000
04	मुमताज के घर से समसेरी के घर तक इंटर लॉकिंग	15454373	देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	34692
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29880
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	16304
			मजदूरी	31.07.2019	12568
05	तालाब से किशोर के घर तक इंटर लॉकिंग	15454323	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29227
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	26413
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			मजदूरी	31.07.2019	22524
			राजा इंटरप्राइजेज	2.11.2019	21596
			देव इंटरप्राइजेज	2.11.2019	30355
			सुनील मजदूरी हेतु	20.11.2019	8440
06	जब्बार के घर से प्रवेश के घर तक इंटर लॉकिंग	15454336	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	31552
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29910
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	44604
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	44604
			मजदूरी	31.07.2019	22160
			राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	24639
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	35534
			सुनील मजदूरी हेतु	12.12.2019	13114
07	हनीफ के घर से विलाश के घर तक इंटर लॉकिंग	15454324	राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	29227
			राजा इंटरप्राइजेज	31.07.2019	26413
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			देव इंटरप्राइजेज	31.07.2019	49560
			मजदूरी	31.07.2019	22524
			राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	23368
			देव इंटरप्राइजेज	2.11.2019	36228
			सुनील मजदूरी हेतु	20.12.2019	9592
08	निर्मल के घर से सिद्दीकी के घर तक इंटरलॉकिंग	15454335	राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	74755
			राजा इंटरप्राइजेज	12.12.2019	64350
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	99987
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	99987
			देव इंटरप्राइजेज	12.12.2019	46041
			रमेश मजदूरी हेतु	12.12.2019	27866
			रमेश मजदूरी हेतु	12.12.2019	27866
09	वंजी डामर रोड से तालाब तक इंटरलॉकिंग	15454330	राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	64150
			राजा इंटरप्राइजेज	02.11.2019	74244
			विमला इंडस्ट्री	02.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	02.11.2019	49560

			देव इंटरप्राइजेज	02.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	11.11.2019	49560
			विमला इंडस्ट्री	11.11.2019	45840
			रमेश मजदूरी हेतु	20.11.2019	36366
			रमेश मजदूरी हेतु	20.11.2019	36548
10	ह्यूम पाईप	15454358	राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	74034
			राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	93488
11	बाराती के घर से पुतई के घर तक इंटरलॉकिंग	15454339	राजा इंटरप्राइजेज	11.02.2020	72395
			विमला इंडस्ट्री	11.02.2020	111793
			रमेश मजदूरी हेतु	11.02.2020	43992
12	गौशाला पानी चरही	20575481	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	48825
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	20230
13	यूनिस के घर से सिद्दीकी के घर तक इंटरलॉकिंग	19577775	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	28513
			विमला इंडस्ट्री	12.02.2020	58206
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	18270
14	मंदिर से रज्जन के घर तक इंटरलॉकिंग	20575474	राजा इंटरप्राइजेज	12.02.2020	69480
			विमला इंडस्ट्री	12.02.2020	106191
			सुनील मजदूरी हेतु	12.02.2020	40084
15	स्ट्रीट लाइट	19577777	श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	84134
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
			श्री रामरती ट्रेडर्स	12.02.2020	81752
16	डामर रोड से केशन के घर तक इंटर लॉकिंग	15454371	राजा इंटरप्राइजेज	21.02.2020	71762
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	98129
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	27025
			रमेश मजदूरी हेतु	28.02.2020	44968
17	विनोद के घर से शिवलाल के घर तक इंटरलॉकिंग	15454370	राजा इंटरप्राइजेज	21.02.2020	71938
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	98129
			देव इंटरप्राइजेज	21.02.2020	30116
			सुनील मजदूरी हेतु	28.02.2020	45500
18	स्ट्रीट लाइट	19577784	श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	48078
			श्री रामरती ट्रेडर्स	04.03.2020	53139
19	मनोज के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग	15454369	देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	44604
20	विसून के घर से बूते के घर तक इंटरलॉकिंग	15454321	राजा इंटरप्राइजेज	04.03.2020	64855
			देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	46792
21	रंजीत के घर से रामदास के घर तक इंटरलॉकिंग	15454365	राजा इंटरप्राइजेज	04.03.2020	69234
			देव इंटरप्राइजेज	04.03.2020	98129
			सुनील मजदूरी हेतु	04.03.2020	45318
22	सफाई कार्य	15454359	छोटी बानो	19.03.2020	28000

			छोटी बानो	19.03.2020	28000
	योग				4813895

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि ₹0 4813895.00 (अड़तालीस लाख तेरह हजार आठ सौ पंचानवे रुपया) में से ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी से ₹0 2406947.50 (चौबीस लाख छ हजार नौ सौ सैता लीस रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव 1. श्री अमित 2. सतगुरु से ₹0 2406947.50 (चौबीस लाख छ हजार नौ सौ सैता लीस रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - लतीफपुर, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 32

(1)-कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती किया जाना अपेक्षित था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके गंभीर अनियमितता की गई है ।

(2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586

दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹01000000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹0 994405.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(3)नियम विरुद्ध भुगतान -

लेखा परीक्षा वर्ष में हैंडपंप मरम्मत /रिबोर पर विभिन्न तिथियों में निम्नविवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०स०	कार्य आईडी	तिथि	आहरणकर्ता	मद	धनराशि
01	15379071	07.03.20	शंकर इन्जिनियरिंग	सामग्री	105000.00
02	15379071	07.03.20	वासुदेव	मजदूरी	58000.00
03	15379071	07.03.20	सुरेन्द्र कुमार	मजदूरी	32866.00
04	15379047	31.07.19	शंकर इन्जिनियरिंग	सामग्री	87316.00
05	15379047	31.07.19	शंकर इन्जिनियरिंग	सामग्री	76839.00
06	15379047	01.08.19	सुरेन्द्र कुमार	मजदूरी	35000.00
07	19988731	16.12.19	शंकर इन्जिनियरिंग	सामग्री	100000.00
08	19988731	18.12.19	शंकर इन्जिनियरिंग	सामग्री	90000.00
09	19988731	26.12.19	शंकर इन्जिनियरिंग	सामग्री	8000.00
	योग				593021.00

शासनादेश सं० 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति

प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि ₹0 593021.00 में से ग्राम प्रधान से ₹0 296510.5 और पंचायत सचिव से ₹0 296510.5 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(4) पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ 30 प्र0 के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(5) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। चौदहवें वित्त आयोग /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	15379071	195866.00
2	प्रशासनिक कार्य	15379048	119727.00
3	स्मार्ट भवन तिराहा से शिल् के घर तक पक्की सड़क और नाली उच्चीकरण	15379052	199900.00
4	स्मार्ट भवन के सयुक्त परिसर में मिट्टी पटाई	15379067	200000.00
5	स्मार्ट भवन के पार्किंग स्थल का विकास तथा मिट्टी पटाई	15379068	197700.00
6	डामर रोड स्मार्ट भवन से पार्किंग मोड तक इंटरलॉकिंग	19988735	135898.00
7	हैन्डपंप रिबोर	15379047	199155.00
8	हैन्डपंप रिबोर	19988731	198000.00
9	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	19988733	18400.00
10	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	15379080	59600.00
11	अन्य व्यय		2011.00
	योग		1526257.00

30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायतीराज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा ₹0 529841.00 मजदूरी पर व्यय किया गया विवरण निम्नवत है -

क्र0स0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	दिनांक	मजदूरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति	धनराशि

1	हैन्ड पंप मरम्मत	15379071	7.03.20 7.03.20	वासुदेव सुरेन्द्र	58000.00 32866.00
2	प्रशासनिक कार्य	15379048	01.08.19 01.08.19 31.12.19 31.12.19	आलम मुकेश वासुदेव वासुदेव	71727.00 26000.00 20000.00 2000.00
3	स्मार्ट भवन तिराहा से शिल् के घर तक पक्की सड़क और नाली उच्चीकरण	15379052	17.12.19 17.12.19	वासुदेव मुकेश	57300.00 300.00
4	स्मार्ट भवन के सयुक्त परिसर में मिट्टी पटाई	15379067	01.08.19 01.08.19 01.08.19 13.08.19	वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव	26300 17000 30000 29700
5	स्मार्ट भवन के पार्किंग स्थल का विकास तथा मिट्टी पटाई	15379068	13.08.19	वासुदेव	17300
6	डामर रोड स्मार्ट भवन से पार्किंग मोड तक इंटरलॉकिंग	19988735	27.02.20 07.03.20 07.03.20	सुरेन्द्र सुरेन्द्र वासुदेव	34800 42098 9950
7	हैन्डपंप रिबोर	15379047	01.08.19	सुरेन्द्र	35000
8	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	19988733	26.12.19	वासुदेव	6300
9	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	15379080	26.12.19	वासुदेव	13200
	योग				529841

उपरोक्त विवरण के अनुसार मात्र चार मजदूरों वासुदेव, सुरेन्द्र, आलम और मुकेश को ही कुल रु0 529841.00 भुगतान किया गया जिसमें क्रमांक 4,5,8,9 पर अंकित कार्यों की पूर्ण मजदूरी का भुगतान वासुदेव को किया गया जिसकी पुष्टि बिना मस्टररोल के नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(7) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखा परीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग/ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	15379071	195866.00
2	प्रशासनिक कार्य	15379048	119727.00
3	स्मार्ट भवन तिराहा से शिल् के घर तक पक्की सड़क और नाली उच्चीकरण	15379052	199900.00
4	स्मार्ट भवन के सयुक्त परिसर में मिट्टी पटाई	15379067	200000.00
5	स्मार्ट भवन के पार्किंग स्थल का विकास तथा मिट्टी पटाई	15379068	197700.00
6	डामर रोड स्मार्ट भवन से पार्किंग मोड तक इंटरलॉकिंग	19988735	135898.00

7	हैन्डपंप रिबोर	15379047	199155.00
8	हैन्डपंप रिबोर	19988731	198000.00
9	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	19988733	18400.00
10	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	15379080	59600.00
11	अन्य व्यय		2011.00
	योग		1526257.00

उक्त कार्यो से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8)बाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया ।

लेखापरीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	15379071	195866.00
2	प्रशासनिक कार्य	15379048	119727.00
3	स्मार्ट भवन तिराहा से शिलू के घर तक पक्की सड़क और नाली उच्चीकरण	15379052	199900.00
4	स्मार्ट भवन के संयुक्त परिसर में मिट्टी पटाई	15379067	200000.00
5	स्मार्ट भवन के पार्किंग स्थल का विकास तथा मिट्टी पटाई	15379068	197700.00
6	डामर रोड स्मार्ट भवन से पार्किंग मोड तक इंटरलॉकिंग	19988735	135898.00
7	हैन्डपंप रिबोर	15379047	199155.00
8	हैन्डपंप रिबोर	19988731	198000.00
9	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	19988733	18400.00
10	अन्य कार्य (नाम का उल्लेख नहीं)	15379080	59600.00
11	अन्य व्यय		2011.00
	योग		1526257.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु01526257.00(पंद्रह लाखछब्बीस हजार दो सौ सत्तावन रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्वेता सिंह से रु0763128.50 (सात लाख तिरसठ हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव श्री रवींद्र त्रिपाठी व श्री आशीष शुक्ला से रु0 763128.50 (सात लाख तिरसठ हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - शंकरपुर, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 33

ग्राम पंचायत- शंकरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि रु0 577081.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के

लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 454514.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(2) नियम विरुद्ध भुगतान -

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 27577.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 13788.5 और पंचायत सचिव से रु0 13788.5 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(3) बाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया

लेखा परीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	15980461	135934.00
2	पप्पू यादव के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत	15980475	27692.00
3	सुशील के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण	15980464	130750.00
4	अशोक के घर से तुलसी के घर तक नाली निर्माण	20963683	131531.00
5	रामबली के घर से छबिलाल के घर तक खड़जा निर्माण	20963684	39378.00
6	आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत	15980466	34219.00
	योग		499504.00

लेखा परीक्षा वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	हैण्डपंप मरम्मत	15980485	27577.00
2	मितिलाल के घर से विमल के घर तक खड़जा	15980472	50000.00
	योग		77577.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 577081.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 288540.50 और पंचायत सचिव से रु0 288540.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है 30 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य आई0 डी	धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	15980461	135934.00

2	पप्पू यादव के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत	15980475	27692.00
3	सुशील के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण	15980464	130750.00
4	अशोक के घर से तुलसी के घर तक नाली निर्माण	20963683	131531.00
5	रामबली के घर से छबिलाल के घर तक खड़जा निर्माण	20963684	39378.00
6	आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत	15980466	34219.00
	योग		499504.00

लेखापरीक्षा वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	15980485	27577.00
2	मितिलाल के घर से विमल के घर तक खड़जा	15980472	50000.00
	योग		77577.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।
उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5)-मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु० 151098.00 मजदूरी पर व्यय किया गया परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(6) -कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत	15980461	135934.00
2	पप्पू यादव के घर से प्रकाश के घर तक खड़जा मरम्मत	15980475	27692.00
3	सुशील के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण	15980464	130750.00
4	अशोक के घर से तुलसी के घर तक नाली निर्माण	20963683	131531.00
5	रामबली के घर से छबिलाल के घर तक खड़जा निर्माण	20963684	39378.00
6	आंगनवाड़ी शौचालय मरम्मत	15980466	34219.00
	योग		499504.00

लेखापरीक्षा वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य का विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य आई० डी	धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	15980485	27577.00
2	मितिलाल के घर से विमल के घर तक खड़जा	15980472	50000.00
	योग		77577.00

उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)-कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती किया जाना अपेक्षित था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके गंभीर अनियमितता की गई है ।

ग्राम पंचायत - रहटा, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 34

ग्राम पंचायत- रहटा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि रु0 2040558.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है ।

(2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586

दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 01698183.00 की सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(3) शासनादेश के विरुद्ध हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कराना -

1	हैंडपंप मरम्मत/15454698	शंकर इन्जिनियरिंग	10.07.2019	34000
		मो0नाजीम	20.03.2020	20000
		प्रमोद कुमार	27.03.2020	25000
		मो0नाजीम	27.03.2020	30000
	योग			109000

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 109000.00 में से ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार से रु0 54500.00और पंचायत सचिव श्री उबैद सईद से रु0 54500.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

30प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला

पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत रहटा की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 2040558.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं - सामग्री क्रय

क्र0स0	कार्य का नाम /आईडी	आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि
1	अंकित नहीं /15454708	अर्जुन राजपूत ट्रेडर्स	30.06.2019	42000
2		देव इंटरप्राइजेज	01.07.2019	66410
3		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66410
4	अंकित नहीं /15454709	देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
5		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
6		अर्जुन राजपूत ट्रेडर्स	09.07.2019	75000
7	अंकित नहीं /15454710	देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
8		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
9		शंकर इन्जिनियरिंग	09.07.2019	71000
10	अंकित नहीं /15454704	देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	79915
11		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	79915
12		अनुपम ट्रेडर्स	08.07.2019	75000
13	अंकित नहीं /15454707	कृष्णा इंटरप्राइजेज	09.07.2019	40000
14	हैंडपंप मरम्मत/15454698	शंकर इन्जिनियरिंग	10.07.2019	34000
15	अंकित नहीं /15454705	निखिल कॅन्स्ट्रक्सन	10.12.2019	180000
16	प्रा0वि0रहटा में इंटरलॉकिंग /15454714	दीपू कॅन्स्ट्रक्सन	11.02.2020	120389
17	अंकित नहीं /15454703	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	98000
18		अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	60500
19	नाली निर्माण /15454702	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	142500
20	अंकित नहीं /15454703	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	70000
21		अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	70000
22	सफाई कार्य /15454702	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	62000
	योग			1698183

क्रमांक 1,4,7,10,13,15,17,20 पर अंकित कार्यों का नाम अंकित नहीं हैं।

मजदूरी

क्र0स 0	कार्य का नाम /आईडी	आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि
1	अंकित नहीं /15454708	अंकित नहीं	30.06.2019	11375
2		प्रमोद कुमार	08.07.2019	14000
3		प्रमोद कुमार	08.07.2019	25000
4	अंकित नहीं /15454709	अजय	08.07.2019	10000
5		प्रमोद कुमार	08.07.2019	10000
6	अंकित नहीं /15454710	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
7	अंकित नहीं /15454707	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
8	अंकित नहीं /15454704	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
9	अंकित नहीं /15454705	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
10	अंकित नहीं /15454703	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
11	अंकित नहीं /15454696	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
12	हैंडपंप मरम्मत/15454698	मो0नाजीम	20.03.2020	20000
13		प्रमोद कुमार	27.03.2020	25000
14		मो0नाजीम	27.03.2020	30000

15	प्रा0वि0रहटा में इंटरलॉकिंग /15454714	प्रमोद कुमार	11.02.2020	15000
16		मो0नाजीम	08.03.2020	42000
17	नाली निर्माण /15454702	मो0नाजीम	03.03.2020	40000
18	कार्य का नाम /आईडी अंकित नहीं	प्रमोद कुमार	25.01.2020	30000
19		प्रमोद कुमार	25.01.2020	40000
20	सफाई कार्य /15454702	प्रमोद कुमार	08.03.2020	20000
21		मो0नाजीम	20.03.2020	10000
	योग			342375

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत रहटा की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियाँ मजदूरी हेतु कुल रु0 342375.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित -

क्र0स0	कार्य का नाम /आईडी	आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि
1	अंकित नहीं /15454708	अंकित नहीं	30.06.2019	11375
2		प्रमोद कुमार	08.07.2019	14000
3		प्रमोद कुमार	08.07.2019	25000
4	अंकित नहीं /15454709	अजय	08.07.2019	10000
5		प्रमोद कुमार	08.07.2019	10000
6	अंकित नहीं /15454710	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
7	अंकित नहीं /15454707	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
8	अंकित नहीं /15454704	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
9	अंकित नहीं /15454705	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
10	अंकित नहीं /15454703	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
11	अंकित नहीं /15454696	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
12	हैंडपंप मरम्मत/15454698	मो0नाजीम	20.03.2020	20000
13		प्रमोद कुमार	27.03.2020	25000
14		मो0नाजीम	27.03.2020	30000
15	प्रा0वि0रहटा में इंटरलॉकिंग /15454714	प्रमोद कुमार	11.02.2020	15000
16		मो0नाजीम	08.03.2020	42000
17	नाली निर्माण /15454702	मो0नाजीम	03.03.2020	40000
18	कार्य का नाम /आईडी अंकित नहीं	प्रमोद कुमार	25.01.2020	30000
19		प्रमोद कुमार	25.01.2020	40000
20	सफाई कार्य /15454702	प्रमोद कुमार	08.03.2020	20000

21		मो0नाजीम	20.03.2020	10000
	योग			342375

उपर्युक्त व्यय से संबंधित निम्न लिखित न्यूनताएं पाई गई-

1-क्रमांक 6 से 11 पर अंकित कार्यों हेतु किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ।

2-मजदूरी हेतु किये गए कुल व्यय रु0 342375.00 में से रु0 332375.00 केवल प्रमोद और मो 0 नाजीम को भुगतान किया गया । हैन्ड पंप मरम्मत से लेकर इंटरलॉकिंग तक के कार्यों का भुगतान प्रश्नगत व्यक्ति को ही किया गया । उपर्युक्त कार्यों से संबंधित मस्टरोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा ।लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

ग्राम पंचायत रहटा की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 2040558.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं -सामग्री क्रय

क्र0स0	कार्य का नाम /आईडी	आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि
1	अंकित नहीं /15454708	अर्जुन राजपूत ट्रेडर्स	30.06.2019	42000
2		देव इंटरप्राइजेज	01.07.2019	66410
3		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66410
4	अंकित नहीं /15454709	देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
5		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
6		अर्जुन राजपूत ट्रेडर्स	09.07.2019	75000
7	अंकित नहीं /15454710	देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
8		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	66286
9		शंकर इन्जिनियरिंग	09.07.2019	71000
10	अंकित नहीं /15454704	देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	79915
11		देव इंटरप्राइजेज	08.07.2019	79915
12		अनुपम ट्रेडर्स	08.07.2019	75000
13	अंकित नहीं /15454707	कृष्णा इंटरप्राइजेज	09.07.2019	40000
14	हैंडपंप मरम्मत/15454698	शंकर इन्जिनियरिंग	10.07.2019	34000
15	अंकित नहीं /15454705	निखिल कंस्ट्रक्सन	10.12.2019	180000
16	प्रा0वि0रहटा में इंटरलॉकिंग /15454714	दीपू कंस्ट्रक्सन	11.02.2020	120389
17	अंकित नहीं /15454703	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	98000
18		अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	60500
19	नाली निर्माण /15454702	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	142500
20	अंकित नहीं /15454703	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	70000
21		अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	70000
22	सफाई कार्य /15454702	अनुपम ट्रेडर्स	03.01.2020	62000

	योग			1698183

क्रमांक 1,4,7,10,13,15,17,20 पर अंकित कार्यों का नाम अंकित नहीं हैं

मजदूरी

क्र०स०	कार्य का नाम /आईडी	आहरणकर्ता	तिथि	धनराशि
1	अंकित नहीं /15454708	अंकित नहीं	30.06.2019	11375
2		प्रमोद कुमार	08.07.2019	14000
3		प्रमोद कुमार	08.07.2019	25000
4	अंकित नहीं /15454709	अजय	08.07.2019	10000
5		प्रमोद कुमार	08.07.2019	10000
6	अंकित नहीं /15454710	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
7	अंकित नहीं /15454707	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
8	अंकित नहीं /15454704	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
9	अंकित नहीं /15454705	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
10	अंकित नहीं /15454703	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
11	अंकित नहीं /15454696	कोई मजदूरी नहीं दिया गया		
12	हैंडपंप मरम्मत/15454698	मो०नाजीम	20.03.2020	20000
13		प्रमोद कुमार	27.03.2020	25000
14		मो०नाजीम	27.03.2020	30000
15	प्रा०वि०रहटा में इंटरलॉकिंग /15454714	प्रमोद कुमार	11.02.2020	15000
16		मो०नाजीम	08.03.2020	42000
17	नाली निर्माण /15454702	मो०नाजीम	03.03.2020	40000
18	कार्य का नाम /आईडी अंकित नहीं	प्रमोद कुमार	25.01.2020	30000
19		प्रमोद कुमार	25.01.2020	40000
20	सफाई कार्य /15454702	प्रमोद कुमार	08.03.2020	20000
21		मो०नाजीम	20.03.2020	10000
	योग			342375

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 2040558.00 (बीस लाख चालीस हजार पाँच सौ अठ्ठावन रुपये)में से ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार से रु० 1020279.00(दस लाख बीस हजार दो सौ उन्चासी रुपये) और पंचायत सचिव श्री उबैद सईद से रु० 1020279.00(दस लाख बीस हजार दो सौ उन्चासी रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - नरायनपुर, विकास खंड -माल, जनपद -लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या - 35

ग्राम पंचायत- नरायनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में व्यय कुल धनराशि क्रमशः रु० 2568779.00 व रु० 1806230.00 कुल रु० 4372009.00 द्वारा कराए गए कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

(2) वर्ष 2018-19 में क्रय की गई सामग्री हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2018-19 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 2297079.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(3) वर्ष 2019-20 में क्रय की गई सामग्री हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। वर्ष 2019-20 में क्रय की गई सामग्री के संबंध में पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1631432.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4) शासनादेश के विरुद्ध सोलर लाइट क्रय --

ग्राम पंचायत नरायनपुर का वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में सोलर लाइट पर कुल व्यय ₹0 387600.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र०स०	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	सोलर लाइट /7570172	रितिका ट्रेडर्स	29.06.18	48200
		रितिका ट्रेडर्स	29.06.18	48200
		रितिका ट्रेडर्स	29.06.18	24100
		सचिन इंटरप्राइजेज	26.07.18	72100
2	सोलर लाइट /7517199	कृष्णा इंटरप्राइजेज	21.07.18	12000
		सचिन इंटरप्राइजेज	31.07.18	30000
		सचिन इंटरप्राइजेज	31.08.18	30000
		सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.18	40000
		सचिन इंटरप्राइजेज	27.03.19	50000
		सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.19	33000
	योग			387600

33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाइट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाइट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त तालिका में दर्शित फर्मों से कुल ₹0 387600.00 भुगतान कर सोलर लाइट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत नहीं है इसलिए सोलर लाइट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है। निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखा परीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

स्ट्रीट लाइट की कीमत dm की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में स्ट्रीट लाइट कार्य आईडी 7517176 पर सचिन ट्रेडर्स नामक फर्म से कुल ₹ 0192600.00 स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया जिसके लिए निम्न निर्देशों का पालन

नहीं किया गया शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.18 के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से वैध कनेक्शन के बाद ही स्ट्रीट लाईट स्थापित किया जाना चाहिए। स्ट्रीट लाईट का स्थलवार विवरण, चरणबद्ध फोटो इत्यादि लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(5) शासनादेश के विरुद्ध सोलर लाईट मरम्मत कार्य--

ग्राम पंचायत नरायनपुर का वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट मरम्मत पर कुल व्यय रु 117795.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र0स0	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
	सोलर लाईट मरम्मत /7570172	सचिन इंटरप्राइजेज	27.02.20	117795
	योग			117795

प्रश्नगत प्रकरण में मरम्मत की गई सोलर लाईट का स्थलवार विवरण अंकित नहीं किया गया। सोलर लाईट की स्थापना कब किया गया उसकी गारंटी /वारंटी कितनी अवधि की थी यह सब अस्पष्ट रहा। 33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। यदि पूर्व में सोलर लाईट क्रय में उक्त निर्देश का पालन किया जाता तब सोलर लाईट का निशुल्क मरम्मत होता। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6) वर्ष 2018-19 में नियम विरुद्ध हैन्डपंप मरम्मत /रिबोर कार्य -

ग्राम पंचायत नरायनपुर का वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में हैन्डपंप मरम्मत/रिबोर पर कुल व्यय रु 0708150.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र0स0	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	7517170	जगदीश मिस्त्री	06.06.18	10000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	18.06.18	25000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	11.09.18	19000
		जगदीश मिस्त्री	31.10.18	30000
		शंकर इन्जिनियरिंग	02.09.19	5650
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	45000
		शंकर इन्जिनियरिंग	30.03.19	30000
02	7570173	कृष्णा इंटरप्राइजेज	18.06.18	25000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	29.06.18	48000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	29.06.18	100000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	16.03.19	15000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	10000
03	7517197	कृष्णा इंटरप्राइजेज	21.10.18	50000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	25.10.18	70000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	28.12.18	10000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	31.12.18	10000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	50000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	8000
04	7517182	जगदीश मिस्त्री	30.03.19	10000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	07.06.18	45000
		जगदीश मिस्त्री	03.07.18	10500
		जगदीश मिस्त्री	21.07.18	12000

		कृष्णा इंटरप्राइजेज	05.11.18	30000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	27.02.19	20000
		जगदीश मिस्त्री	27.03.19	20000
	योग			708150

क्रमांक 02 व 03 अंकित रिबोर क सापेक्ष कोई मजदूरी दर्शित नहीं । शासनादेश सं०1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)वर्ष 2019-20 में नियम विरुद्ध हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर कार्य -

ग्राम पंचायत नरायनपुर का वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर पर कुल व्यय रु० 698000.00 दर्शित है । जिसका विवरण निम्नावत है -

क्र०स०	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	15829750	मुकेश सिंह	01.06.19	18000
		कृष्णा इंटरप्राइजेज	01.07.19	50000
		अंशु इंटरप्राइजेज	29.03.20	85000
		बच्चा यादव	29.03.20	3000
02	15829765 हैण्डपंप रिबोर	कृष्णा इंटरप्राइजेज	01.07.19	190000
03	15829752 हैण्डपंप प्लेटफॉर्म निर्माण	गोलू इंटरप्राइजेज	04.07.19	40000
		हिमांशु ट्रेडर्स	13.02.20	130000
04	15829754 हैण्डपंप रिबोर	अनामिका इंटरप्राइजेज	21.03.20	93000
		अंशु इंटरप्राइजेज	21.03.20	62000
	योग			698000

क्रमांक 02 व 04 अंकित रिबोर के सापेक्ष कोई मजदूरी दर्शित नहीं ।

क्रमांक 03 पर अंकित कार्य हैण्डपंप प्लेटफॉर्म निर्माण से संबंधित है जिसमे मात्र सामग्री क्रय की गई परंतु मजदूरी पर कोई व्यय दर्शित नहीं है। शासनादेश सं०1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(8)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

वर्ष 2018-19 व 2019-20 में करवाए गए कार्यों से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशों इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(9)वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों का माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब)

तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल ₹0 2565779.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	7517170	जगदीश मिस्त्री	06.06.18	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	18.06.18	25000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	11.09.18	19000
			जगदीश मिस्त्री	31.10.18	30000
			शंकर इन्जिनियरिंग	02.09.19	5650
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	45000
			शंकर इन्जिनियरिंग	30.03.19	30000
02	हैन्ड पंप मरम्मत	7570173	कृष्णा इंटरप्राइजेज	18.06.18	25000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	29.06.18	48000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	29.06.18	100000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	16.03.19	15000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	10000
03	हैन्डपंप रिबोर	7517197	कृष्णा इंटरप्राइजेज	21.10.18	50000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	25.10.18	70000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	28.12.18	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	31.12.18	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	50000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	8000
04	हैन्ड पंप मरम्मत	7517182	जगदीश मिस्त्री	30.03.19	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	07.06.18	45000
			जगदीश मिस्त्री	03.07.18	10500
			जगदीश मिस्त्री	21.07.18	12000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	05.11.18	30000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	27.02.19	20000
			जगदीश मिस्त्री	27.03.19	20000
05	सोलर लाइट	7570172	रितिका ट्रेडर्स	29.06 18	48200
			रितिका ट्रेडर्स	29.06 18	48200
			रितिका ट्रेडर्स	29.06 18	24100
			सचिन इंटरप्राइजेज	26.07.18	72100
06	सोलर लाइट	7517199	कृष्णा इंटरप्राइजेज	21.07.18	12000
			सचिन इंटरप्राइजेज	31.07.18	30000
			सचिन इंटरप्राइजेज	31.08.18	30000
			सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.18	40000
			सचिन इंटरप्राइजेज	27.03.19	50000
			सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.19	33000
07	स्ट्रीट लाइट	7517176	सचिन इंटरप्राइजेज	23.01.19	149800
			सचिन इंटरप्राइजेज	25.01.19	42800
08	प्रशासनिक कार्य	7517181			133261
09	सफाई कार्य	7517201			30000
10	नाली कवर	7517200	सुधांशु ट्रेडर्स	10.10.18	20000

			सुधांशु ट्रेडर्स	11.10.18	8000
			मिस्त्री लेबर	11.10.18	12000
			सुधांशु ट्रेडर्स	05.11.18	40000
			सुधांशु ट्रेडर्स	30.03.19	30000
			मजदूरी	30.03.19	10000
11	प्राथमिक वि० मरम्मत	7517178	सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.18	172468
			सुधांशु ट्रेडर्स	24.10.18	17000
			सुधांशु ट्रेडर्स	26.10.18	28000
			मजदूरी	28.11.18	25000
12		7517180			108200
13	सफाई किट	7517175	रुद्र अभिषेक	06.11.18	19500
14	ह्यूम पाईप	7517174	श्रीराम इंटरप्राइजेज	12.11.18	40000
			श्रीराम इंटरप्राइजेज	12.11.18	30000
			श्रीराम इंटरप्राइजेज	13.11.18	70000
			श्रीराम इंटरप्राइजेज	13.11.18	51000
15		7517185			105000
16		7517186			110000
17		7517188			110000
18		7517194			108000
	योग				2565779

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(10) वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों का माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल ₹0 1806230.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15829750	मुकेश सिंह	01.06.19	18000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	01.07.19	50000
			अंशु इंटरप्राइजेज	29.03.20	85000
			बच्चा यादव	29.03.20	30000
02	हैंडपंप रिबोर	15829765	कृष्णा इंटरप्राइजेज	01.07.19	190000
03	हैंडपंप प्लेटफॉर्म निर्माण	15829752	गोलू इंटरप्राइजेज	04.07.19	40000
			हिमांशु ट्रेडर्स	13.02.20	130000
04	हैंडपंप रिबोर	15829754	अनामिका इंटरप्राइजेज	21.03.20	93000

			अंशु इंटरप्राइजेज	21.03.20	62000
05	सफाई कार्य	15829735	बच्चा यादव	01.06.19	22000
06	ह्यूम पाईप	15829755	गोलू इंटरप्राइजेज	29.06.19	42000
			गोलू इंटरप्राइजेज	01.07.19	150000
07	प्रशासनिक व्यय	15829751	बच्चा यादव	29.06.19	18000
08	इंटरलॉकिंग व	20695882	अनामिका इंटरप्राइजेज	06.02.20	74033
	नालीआंबेडकर मूर्ति		हिमांशु ट्रेडर्स	06.02.20	31966
	सेभोन के घर		अवधेश	06.02.20	10000
			एस आर ब्रिक	10.02.20	29631
			रंजीत कुमार	09.03.20	20000
09	इंटरलॉकिंग कार्य	20695880	अनामिका इंटरप्राइजेज	06.02.20	31659
	रामकिशोर के घर से		हिमांशु ट्रेडर्स	06.02.20	21713
	शिवशंकर के घर तक		विजय	11.02.20	21868
			एस आर ब्रिक	11.02.20	21708
10	इंटरलॉकिंग कार्य	20695886	अनामिका इंटरप्राइजेज	06.02.20	74033
	भाईलाल के घर से रवि		हिमांशु ट्रेडर्स	06.02.20	31832
	के घर तक		अवधेश	06.02.20	34930
			एस आर ब्रिक	10.02.20	29691
11	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	15829773	सचिन इंटरप्राइजेज	11.02.20	160385
12	प्रशासनिक व्यय	15829735	सचिन इंटरप्राइजेज	11.02.20	90854
13	सोलरलाईट मरम्मत	7570172	सचिन इंटरप्राइजेज	27.02.20	117795
14	इंटरलॉकिंग कार्य	20695881	अनामिका इंटरप्राइजेज	27.02.20	74132
	भाईलाल के घर से रवि				
	के घर तक				
	योग				1806230

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(11) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। परन्तु मास्टरोल लेखा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(12) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 0 2565779.00 व्यय दर्शित है एवं वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यों पर कुल रु 0 1806230.00 व्यय दर्शित है उक्त कार्यों से संबंधित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(13) वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यो व्यय प्रमाणक नही प्रस्तुत किया गया

वर्ष 2018-19 में करवाए गए कार्यो पर कुल रु0 2565779.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	7517170	जगदीश मिस्त्री	06.06.18	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	18.06.18	25000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	11.09.18	19000
			जगदीश मिस्त्री	31.10.18	30000
			शंकर इन्जिनियरिंग	02.09.19	5650
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	45000
			शंकर इन्जिनियरिंग	30.03.19	30000
02	हैन्ड पंप मरम्मत	7570173	कृष्णा इंटरप्राइजेज	18.06.18	25000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	29.06.18	48000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	29.06.18	100000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	16.03.19	15000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	10000
03	हैन्डपंप रिबोर	7517197	कृष्णा इंटरप्राइजेज	21.10.18	50000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	25.10.18	70000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	28.12.18	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	31.12.18	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	50000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.03.19	8000
04	हैन्ड पंप मरम्मत	7517182	जगदीश मिस्त्री	30.03.19	10000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	07.06.18	45000
			जगदीश मिस्त्री	03.07.18	10500
			जगदीश मिस्त्री	21.07.18	12000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	05.11.18	30000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	27.02.19	20000
			जगदीश मिस्त्री	27.03.19	20000
05	सोलर लाईट	7570172	रितिका ट्रेडर्स	29.06 18	48200
			रितिका ट्रेडर्स	29.06 18	48200
			रितिका ट्रेडर्स	29.06 18	24100
			सचिन इंटरप्राइजेज	26.07.18	72100
06	सोलर लाईट	7517199	कृष्णा इंटरप्राइजेज	21.07.18	12000
			सचिन इंटरप्राइजेज	31.07.18	30000
			सचिन इंटरप्राइजेज	31.08.18	30000
			सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.18	40000
			सचिन इंटरप्राइजेज	27.03.19	50000
			सचिन इंटरप्राइजेज	30.03.19	33000
07	स्ट्रीट लाईट	7517176	सचिन इंटरप्राइजेज	23.01.19	149800
			सचिन इंटरप्राइजेज	25.01.19	42800
08	प्रशासनिक कार्य	7517181			133261

09	सफाई कार्य	7517201			30000
10	नाली कवर	7517200	सुधांशु ट्रेडर्स	10.10.18	20000
			सुधांशु ट्रेडर्स	11.10.18	8000
			मिस्त्री लेबर	11.10.18	12000
			सुधांशु ट्रेडर्स	05.11.18	40000
			सुधांशु ट्रेडर्स	30.03.19	30000
			मजदूरी	30.03.19	10000
11	प्राथमिक वि० मरम्मत	7517178	सचिन इंटरप्राइजेज	24.10.18	172468
			सुधांशु ट्रेडर्स	24.10.18	17000
			सुधांशु ट्रेडर्स	26.10.18	28000
			मजदूरी	28.11.18	25000
12		7517180			108200
13	सफाई किट	7517175	रुद्र अभिषेक	06.11.18	19500
14	ह्यूम पाईप	7517174	श्रीराम इंटरप्राइजेज	12.11.18	40000
			श्रीराम इंटरप्राइजेज	12.11.18	30000
			श्रीराम इंटरप्राइजेज	13.11.18	70000
			श्रीराम इंटरप्राइजेज	13.11.18	51000
15		7517185			105000
16		7517186			110000
17		7517188			110000
18		7517194			108000
	योग				2565779

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30 प्रपंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0 2565779.00 (पच्चीस लाख पैसठ हजार सात सौ उनयासी रुपये) में से ग्राम प्रधान से रु 01282889.5 (बारह लाख बयासी हजार आठ सौ नवासी रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव से रु 0 01282889.5 (बारह लाख बयासी हजार आठ सौ नवासी रुपये पचास पैसे) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(14) वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यो व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

वर्ष 2019-20 में करवाए गए कार्यो पर कुल रु 0 1806230.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	हैन्ड पंप मरम्मत	15829750	मुकेश सिंह	01.06.19	18000
			कृष्णा इंटरप्राइजेज	01.07.19	50000
			अंशु इंटरप्राइजेज	29.03.20	85000
			बच्चा यादव	29.03.20	30000
02	हैंडपंप रिबोर	15829765	कृष्णा इंटरप्राइजेज	01.07.19	190000
03	हैंडपंप प्लेटफॉर्म निर्माण	15829752	गोलू इंटरप्राइजेज	04.07.19	40000
			हिमांशु ट्रेडर्स	13.02.20	130000
04	हैंडपंप रिबोर	15829754	अनामिका इंटरप्राइजेज	21.03.20	93000

			अंशु इंटरप्राइजेज	21.03.20	62000
05	सफाई कार्य	15829735	बच्चा यादव	01.06.19	22000
06	ह्यूम पाईप	15829755	गोलू इंटरप्राइजेज	29.06.19	42000
			गोलू इंटरप्राइजेज	01.07.19	150000
07	प्रशासनिक व्यय	15829751	बच्चा यादव	29.06.19	18000
08	इंटरलॉकिंग व	20695882	अनामिका इंटरप्राइजेज	06.02.20	74033
	नालीआंबेडकर मूर्ति		हिमांशु ट्रेडर्स	06.02.20	31966
	सेभोन के घर		अवधेश	06.02.20	10000
			एस आर ब्रिक	10.02.20	29631
			रंजीत कुमार	09.03.20	20000
09	इंटरलॉकिंग कार्य	20695880	अनामिका इंटरप्राइजेज	06.02.20	31659
	रामकिशोर के घर से		हिमांशु ट्रेडर्स	06.02.20	21713
	शिवशंकर के घर तक		विजय	11.02.20	21868
			एस आर ब्रिक	11.02.20	21708
10	इंटरलॉकिंग कार्य	20695886	अनामिका इंटरप्राइजेज	06.02.20	74033
	भाईलाल के घर से रवि		हिमांशु ट्रेडर्स	06.02.20	31832
	के घर तक		अवधेश	06.02.20	34930
			एस आर ब्रिक	10.02.20	29691
11	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	15829773	सचिन इंटरप्राइजेज	11.02.20	160385
12	प्रशासनिक व्यय	15829735	सचिन इंटरप्राइजेज	11.02.20	90854
13	सोलरलाईट मरम्मत	7570172	सचिन इंटरप्राइजेज	27.02.20	117795
14	इंटरलॉकिंग कार्य	20695881	अनामिका इंटरप्राइजेज	27.02.20	74132
	भाईलाल के घर से रवि				
	के घर तक				
	योग				1806230

क्रमांक 06 पर अंकित ह्यूम पाईप के संबंध में कोई मजदूरी व्यय दर्शित नहीं है और न ही कोई इस्टिमेट, चरण बद्ध फोटो व एम बी इत्यादि प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 1806230.00 (अठारह लाख छ हजार दो सौ तीस रुपये) में से ग्राम प्रधान से रु० 903115.00 (नौ लाख तीन हजार पंद्रह रुपये) और पंचायत सचिव से रु० 903115.00 (नौ लाख तीन हजार पंद्रह रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -देवरीगजा, विकास खंड -माल, जनपद- लखनऊ वर्ष -2019-20

प्रस्तर संख्या- 36

ग्राम पंचायत- देवरीगजा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय धनराशि रु० 844887.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1) ग्राम पंचायत देवरी गजा की वर्ष 2019-20 की आनलाइन /आफलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कार्य पर कुल रु० 844887.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	प्रशासनिक	154453305	विजय सिंह	09.04.19	6715
02	हैन्डपंप मरम्मत	154453306	शंकर इन्जिनियरिंग	13.12.19	24890
			शंकर इन्जिनियरिंग	14.12.19	13620
			शंकर इन्जिनियरिंग	30.01.20	15685

			शोभित ट्रेडर्स	27.03.20	39854
			कमलेश मजदूरी हेतु	27.03.20	18000
03	प्रा0 वि0 में टाईल्स कार्य	15453304	अनामिका ट्रेडर्स	24.12.19	145774
			अनंत ब्रिक फील्ड	28.12.19	34932
			गोलू इन्टरप्राइजेज	28.12.19	38551
			कोटपाल सिंह	29.12.19	25802
			कोटपाल सिंह	29.12.19	43862
04	प्रा0 वि0 में मरम्मत	15453243	गोलू इन्टरप्राइजेज	28.12.19	50272
			अनंत ब्रिक फील्ड	28.12.19	14964
			प्राची इन्टरप्राइजेज	28.12.19	13506
			कोटपाल सिंह	29.12.19	29750
05	प्रा0 वि0 देवरी गजा में बाउंड्री वाल मरम्मत	15453242	गोलू इन्टरप्राइजेज	28.12.19	47954
			अनंत ब्रिक फील्ड	28.12.19	56030
			प्राची इन्टरप्राइजेज	28.12.19	2748
			कोटपाल सिंह	29.12.19	28840
06	राजू के घर से प्रसाद के घर तक इंटर लॉकिंग	15453256	गोलू इन्टरप्राइजेज	07.03.20	14123
			देव इन्टरप्राइजेज	07.03.20	44506
			अनंत ब्रिक फील्ड	07.03.20	13893
			देव इन्टरप्राइजेज	07.03.20	68151
			मनोज	07.03.20	2400
07	सतलू के घर से महादेव के घर तक इंटर लॉकिंग	15453257	गोलू इन्टरप्राइजेज	07.03.20	23490
			अनंत ब्रिक फील्ड	07.03.20	23575
			मनोज	07.03.20	3000
योग					844887

उपरोक्त व्यय से संबंधित निम्न आपत्तियाँ दर्शित हैं -

क - ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए -1-864/दस -08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु0 100000.00 से अधिक के सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके किया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फ़र्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिए साथ ही आयकर अधिनियम 1961 यथा 1961 यथा संशोधित की धारा 194-सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से स्रोत पर कटौती नहीं किया गया। यह गंभीर अनियमितता हैं।

ख -शासनादेश संख्या 1138/अड़तीस -5-56-सम /2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर -1 के अनुसार इंडिया मार्का -2 हैंडपंप स्थापना के बाद ग्राम पंचायत को रखरखाव हेतु हस्तांतरित किया जाएगा एवं प्रस्तर -2 के अनुसार हस्तांतरित हैंडपंप ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरांत पारी संपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा परंतु लेखा परीक्षा में परीसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो सका की हैंडपंप हस्तांतरित है या नहीं।

ग -उ 0 प्र 0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय -समय पर जारी निदेशक पंचायतीराज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परंतु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

घ- लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार हुआ है या नहीं। उ 0 प्र 0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है।

ड -निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ 0 प्र 0 के पत्रांक 4 /175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर 3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरण बद्ध फ़ोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित रखेगा लेखा परीक्षा में कोई फ़ोटो प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हुआ है या नहीं।

च- 30 प्र 0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर -7 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूप पत्र -25 पर रखी जाएगी जिसमें क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि होगी लेकिन लेखा परीक्षा में स्टॉक रजि0 प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त क्रय की गई सामग्री ग्राम पंचायत में आई या नहीं।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। 30प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 844887.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोज सिंह से रु0 422443.50 और पंचायत सचिव श्री रवि तिवारी से रु0 422443.50 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत -सैदापुर , विकास खंड -माल जनपद -लखनऊ वर्ष- 2019-20

प्रस्तर संख्या -37

ग्राम पंचायत- सैदापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय कुल धनराशि रु0 2595428.00 द्वारा कराए गए कार्य एवं उनसे सम्बन्धित आपति का विवरण निम्नलिखित है-

(1)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 2549072.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(2)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाकर गंभीर अनियमितता की गई है।

(3)शासनादेश संख्या के विरुद्ध क्रय करना -

शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा रामरती ट्रेडर्स फर्म से कुल रु0 132600.00 सोलर लाईट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत नहीं है इसलिए सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है। निदेशक पंचायतीराज 30प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)नियम विरुद्ध भुगतान

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 30प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(5) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।निम्न लिखित कार्यो पर कुल रु० 2595428.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं है	13469869	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	16700
02	अंकित नहीं है	13469867	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	20000
03	अंकित नहीं है	15454947	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	21300
04	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	63808
05	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	80000
06	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	63808
07	अंकित नहीं है	15454952	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	66608
08	अंकित नहीं है	15454952	शंकर इन्जिनियरिंग	15.07.2019	80000
09	अंकित नहीं है	15454952	मजदूरी	23.07.2019	3500
10	अंकित नहीं है	15454952	अनुपम ट्रेडर्स	29.07.2019	50000
11	अंकित नहीं है	15454956	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	11000
12	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	66286
13	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	66286
14	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	16.07.2019	40000
15	अंकित नहीं है	15454956	ट्रेडर्स (नाम अंकित नहीं है)	01.08.2019	57240
16	अंकित नहीं है	15454958	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	66608
17	अंकित नहीं है	15454958	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	73784
18	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	कृष्णा इंटरप्राइजेज	24.07.2019	20000
19	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	देव इंटरप्राइजेज	25.07.2019	73784
20	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	19.11.2019	95000
21	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	कृष्णा इंटरप्राइजेज	19.11.2019	70500
22	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	21.11.2019	95000
23	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	21.11.2019	60000
24	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अंशु इंटरप्राइजेज	16.12.2019	90000
25	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अंशु इंटरप्राइजेज	16.12.2019	94600
26	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	16.12.2019	89000
27	सोलर स्ट्रीट लाइट	154549849	रामरती ट्रेडर्स	05.01.2020	66300
28	सोलर स्ट्रीट लाइट	154549849	रामरती ट्रेडर्स	05.01.2020	66300

29	अंकित नहीं है	15454957	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	170000
30	अंकित नहीं है	15454944	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	168500
31	अंकित नहीं है	15454955	राज ट्रेडर्स	10.01.2020	120000
32	अंकित नहीं है	15454953	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	160000
33	स्ट्रीट लाईट रिपेयर्स	15454960	आलोक ट्रेडर्स	13.01.2020	125000
34	इंटरलॉकिंग	20427009	देव इंटरप्राइजेज	10.02.2020	128000
35	इंटरलॉकिंग	20427009	मानाज़िम -मजदूरी	10.02.2020	42856
36	इंटरलॉकिंग	20427009	देव इंटरप्राइजेज	12.02.2020	27444
	योग				2595428

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मात्र क्रमांक 9 एवं 35 पर अंकित कार्यों के सापेक्ष ही मजदूरी का भुगतान दर्शित है। शेष कार्य मजदूरी विहीन कराया गया अथवा ठेकेदारी से कराया गया स्पष्ट नहीं हुआ।

क्रमांक 18 से 26 पर अंकित कार्यों का कार्य आईडी और कार्य का नाम अंकित नहीं है

क्रमांक 01 से 26 एवं 29 से 32 पर अंकित कार्यों का नाम अंकित नहीं है

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(6) कार्यपूतिप्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है कि कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु0 2595428.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं है	13469869	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	16700
02	अंकित नहीं है	13469867	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	20000
03	अंकित नहीं है	15454947	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	21300
04	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	63808
05	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	80000
06	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	63808
07	अंकित नहीं है	15454952	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	66608
08	अंकित नहीं है	15454952	शंकर इन्जिनियरिंग	15.07.2019	80000
09	अंकित नहीं है	15454952	मजदूरी	23.07.2019	3500
10	अंकित नहीं है	15454952	अनुपम ट्रेडर्स	29.07.2019	50000
11	अंकित नहीं है	15454956	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	11000
12	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	66286
13	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	66286
14	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	16.07.2019	40000
15	अंकित नहीं है	15454956	ट्रेडर्स (नाम अंकित नहीं)	01.08.2019	57240
16	अंकित नहीं है	15454958	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	66608
17	अंकित नहीं है	15454958	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	73784

18	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	कृष्णा इंटरप्राइजेज	24.07.2019	20000
19	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	देव इंटरप्राइजेज	25.07.2019	60000
20	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	अनुपम ट्रेडर्स	19.11.2019	95000
21	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	कृष्णा इंटरप्राइजेज	19.11.2019	70500
22	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	अनुपम ट्रेडर्स	21.11.2019	95000
23	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	अनुपम ट्रेडर्स	21.11.2019	60000
24	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	अंशु इंटरप्राइजेज	16.12.2019	90000
25	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	अंशु इंटरप्राइजेज	16.12.2019	94600
26	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं	अनुपम ट्रेडर्स	16.12.2019	89000
27	सोलर स्ट्रीट लाइट	154549849	रामरती ट्रेडर्स	05.01.2020	66300
28	सोलर स्ट्रीट लाइट	154549849	रामरती ट्रेडर्स	05.01.2020	66300
29	अंकित नहीं है	15454957	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	170000
30	अंकित नहीं है	15454944	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	168500
31	अंकित नहीं है	15454955	राज ट्रेडर्स	10.01.2020	120000
32	अंकित नहीं है	15454953	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	160000
33	स्ट्रीट लाइट रिपेयर्स	15454960	आलोक ट्रेडर्स	13.01.2020	125000
34	इंटरलॉकिंग	20427009	देव इंटरप्राइजेज	10.02.2020	128000
35	इंटरलॉकिंग	20427009	मानाजिम -मजदूरी	10.02.2020	42856
36	इंटरलॉकिंग	20427009	देव इंटरप्राइजेज	12.02.2020	27444
	योग				2595428

लेखापरीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए।

(7)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु० 2595428 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
01	अंकित नहीं है	13469869	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	16700
02	अंकित नहीं है	13469867	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	20000
03	अंकित नहीं है	15454947	कृष्णा इंटरप्राइजेज	30.06.2019	21300
04	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	63808
05	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	80000
06	अंकित नहीं है	15454947	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	63808

07	अंकित नहीं है	15454952	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	66608
08	अंकित नहीं है	15454952	शंकर इन्जिनियरिंग	15.07.2019	80000
09	अंकित नहीं है	15454952	मजदूरी	23.07.2019	3500
10	अंकित नहीं है	15454952	अनुपम ट्रेडर्स	29.07.2019	50000
11	अंकित नहीं है	15454956	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	11000
12	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	66286
13	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	15.07.2019	66286
14	अंकित नहीं है	15454956	देव इंटरप्राइजेज	16.07.2019	40000
15	अंकित नहीं है	15454956	ट्रेडर्स (नाम अंकित नहीं है)	01.08.2019	57240
16	अंकित नहीं है	15454958	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	66608
17	अंकित नहीं है	15454958	कृष्णा इंटरप्राइजेज	12.07.2019	73784
18	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	कृष्णा इंटरप्राइजेज	24.07.2019	20000
19	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	देव इंटरप्राइजेज	25.07.2019	73784
20	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	19.11.2019	95000
21	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	कृष्णा इंटरप्राइजेज	19.11.2019	70500
22	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	21.11.2019	95000
23	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	21.11.2019	60000
24	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अंशु इंटरप्राइजेज	16.12.2019	90000
25	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अंशु इंटरप्राइजेज	16.12.2019	94600
26	अंकित नहीं है	कोई कार्य आईडी अंकित नहीं है	अनुपम ट्रेडर्स	16.12.2019	89000
27	सोलर स्ट्रीट लाइट	154549849	रामरती ट्रेडर्स	05.01.2020	66300
28	सोलर स्ट्रीट लाइट	154549849	रामरती ट्रेडर्स	05.01.2020	66300
29	अंकित नहीं है	15454957	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	170000
30	अंकित नहीं है	15454944	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	168500
31	अंकित नहीं है	15454955	राज ट्रेडर्स	10.01.2020	120000
32	अंकित नहीं है	15454953	गोलू ट्रेडर्स	10.01.2020	160000
33	स्ट्रीट लाइट रिपेयर्स	15454960	आलोक ट्रेडर्स	13.01.2020	125000
34	इंटरलॉकिंग	20427009	देव इंटरप्राइजेज	10.02.2020	128000
35	इंटरलॉकिंग	20427009	मानाज़िम -मजदूरी	10.02.2020	42856
36	इंटरलॉकिंग	20427009	देव इंटरप्राइजेज	12.02.2020	27444
	योग				2595428

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0 2595428 (पच्चीस लाख पंचानवे हजार चार सौ अट्ठाईस रुपये) में से ग्राम प्रधान रु 0 1297714.00 (बारह लाख सत्तानवे हजार सात सौ चौदह रुपये) से और पंचायत सचिव श्री उबैद सईद से रु 0 1297714.00 (बारह लाख सत्तानवे हजार सात सौ चौदह रुपये) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

जनपद-रायबरेली

मण्डल-लखनऊ।

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत-दहिगवां

विकास खण्ड-शिवगढ़

आपति सं०

01 - उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	1/08/19	75644.00
2	ह्यूम पाइप	1/08/19	111786.00
	योग-		187430.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुस्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर

भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि / ₹0 187430.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मीना शुक्ला से ₹0 93715 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री तरुण कुमार सिंह से ₹.93715.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत-बंदीपुर		विकास खण्ड-अमावां	आपति सं०	
क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	15105144	हैण्डपम्प रिबोर	07/01/2020	79975.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प रिबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल ₹.79975.00 व्यय- भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत-बंदीपुर		विकास खण्ड-अमावां	आपति सं०	
क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	15105159	खडंजा मरम्मत (लिक रोड से भारत लाल के घर तक)		
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	15/05/19	5000.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	03/07/19	17010.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	03/07/19	19845.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	03/07/19	22680.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	08/07/19	20000.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	11/07/19	25000.00
		मजदूरी (नकद भुगतान प्रधान को)	15/07/19	17836.00
		मजदूरी (नकद भुगतान प्रधान को)	25/07/19	20020.00
		मिट्टी (नकद भुगतान प्रधान को)	29/07/19	14875.00
		मिट्टी (नकद भुगतान प्रधान को)	29/07/19	525.00
		योग-		162791.00

1- आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में अधिकांश धन राशियों का नकद भुगतान ₹ 162791.00 ग्राम प्रधान / सचिव को किया जाना दर्शित पाया गया जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा (5) के अनुसार ₹ 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जो गंभीर वित्तीय अनिमित्ता को दर्शाता है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा मरम्मत ईंट क्रय हेतु कुल ₹. 162791.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली - यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित

है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत-बंदीपुर		विकास खण्ड-अमावां	आपत्ति सं०	
क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	15105143	स्ट्रीट लाइट (क्रय/मरम्मत)		
		मरम्मत (नकद भुगतान प्रधान को)	11/07/19	23625.00
		लाइट क्रय	06/12/19	99200.00
		योग -		122825.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में अधिकांश धन राशियों का नकद भुगतान 23625.00 ग्राम प्रधान/सचिव को किया जाना दर्शित पाया गया जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा (5) के अनुसार रु 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जो गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- आलोच्य वर्ष में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में- एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु कुल रु. 122825.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। (रु 99200.00 फर्म को वरु 23625.00 नकद भुगतान प्रधान को) किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय- प्रमाणक - बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन /टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. - 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत-बंदीपुर		विकास खण्ड-अमावां	आपत्ति सं०	
क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
7		कूड़ादान क्रय		
		कूड़ादान क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	06/10/18	37200.00
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	01/02/19	34500.00
		कूड़ादान क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	25/02/19	11500.00
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	25/02/19	20000.00
		योग-		103200.00

1- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में अधिकांश धन राशियों का नकद भुगतान ग्राम प्रधान / सचिव को किया जाना दर्शित पाया गया जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा (5) के अनुसार रु 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था । जो गंभीर वित्तीय अनिमित्ता को दर्शाता है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2- - आलोच्य वर्ष 2018-19 में कैशबुक गा. नि. 1के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान कुल रु. 103200.00 धैर्य ट्रेडिंग कंपनी को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूँकि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया हैं । अतएव कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय - भुगतान की कुल धनराशि रु. 103200.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा

स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व गा.पं.वि.अधि. श्री सरवेंद्र सिंह चौहानसे समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		शौचालय निर्माण		
		सुभान अल्लाह ट्रेडर्स	29/05/19	250000.00
		प्रताप ट्रेडर्स ईट क्रय	07/06/18	100000.00
		सामग्री क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	04/08/18	25812.00
		मजदूरी (नकद भुगतान प्रधान को)	05/10/18	60000.00
		दरवाजा कुंडी आदि क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	06/10/18	22215.00
		ईट क्रय (नकद प्रधान को)	26/10/18	60000.00
		सुभान अल्लाह ट्रेडर्स	31/01/19	30000.00
		ईट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	01/02/19	15000.00
		ईट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	01/02/19	30000.00
		निर्माण पर व्यय (नकद भुगतान प्रधान को)	08/02/19	27800.00
		निर्माण पर व्यय (नकद भुगतान प्रधान को)	12/02/19	24000.00
		निर्माण पर व्यय (नकद भुगतान प्रधान को)	25/02/19	20000.00
		अभी इन्टरप्राइजेज	02/03/19	5600.00
		निर्माण पर व्यय (नकद प्रधान को)	19/03/19	18000.00
		निर्माण पर व्यय (नकद प्रधान को)	19/03/19	1573.00
		ग्राम निधि-6 में ट्रांसफर	20/07/18	690000.00
		ग्राम निधि-6 में ट्रांसफर	01/10/18	624000.00
		योग-		2004000.00

1- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान तथ्य प्रकाश मे आया कि विभिन्न तिथियों में अधिकांश धन राशियों का नकद भुगतान रु 304400.00 ग्राम प्रधान / सचिव को किया जाना दर्शित पाया गया जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा (5) के अनुसार रु 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जो गंभीर वित्तीय अनिमित्ता को दर्शाता है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2-आलोच्य वर्ष मे कोषबही/ बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु कुल रु.690000.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। (रु 385600.00 फर्म को व 304400.00 नकद भुगतान) ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 24436 मे स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत दिनांक 26-06-2018 को रु 1032000.00 तथा दिनांक 23-07-18 को रु1032000.00 इसप्रकार कुल रु 2064000.00 शौचालय निर्माण हेतु 172 लाभार्थियों की प्राप्त हुई है जिसके क्रम में ग्राम निधि खाता संख्या 6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलिकमऊ रायबरेली में दिनांक 27-07-18 को रु 690000.00 व दिनांक 01-10-18 को 624000.00 तथा दिनांक 31-07-19 को रु 60000.00 इसप्रकार कुल रु 1374000.00 ट्रांसफर किया गया है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की रु 690000.00 खाता 6 मे ट्रांसफर न करके धनराशि को खर्च किया / कर दिया गया है। संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों मे रु 385600.00 फर्म को व 3044400.00 नकद ग्राम प्रधान को इस प्रकार कुल रु 690000.00 का भुगतान किया गया है। जबकि शौचालय निर्माण की धनराशि लाभार्थियों के खातों मे न ट्रांसफर कर रु 690000.00 का अपहरण किया गया है किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध मे नि. कार्य- पत्रावली - यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा योजनाएं अनुमानित व्यय- प्राकलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र लाभार्थियों की सूची आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा मे जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक मे उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.690000.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है।अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के

पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहानसे समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6(1) ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	15105145	श्री श्याम इंटरप्राइजेज	08/04/19	60220.00
	15105263	मजदूरी नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	03/07/19	19845.00
	15105263	मजदूरी नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	15/07/19	12000.00
	15105263	श्री श्याम इंटरप्राइजेज	25/07/19	45020.00
	15105145	सामग्री क्रय	06/12/19	45250.00
		योग -		182335.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 182335.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय - प्राकलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
6		स्ट्रीट लाइट क्रय		
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	31/07/18	86400.00
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	31/07/18	81600.00
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	25/09/18	198400.00
		योग-		366400.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा0नि0 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वां वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश-व्यवस्था में एल0ई0डी0 स्ट्रीटलाइट हेतु मे0 धैर्य ट्रेडिंग कम्पनी महाराजगंज रायबरेली को कुल रु0 366400.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक बिल बाउचर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/टेण्डर वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना एम बी व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहानसे समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत-बंदीपुर

विकास खण्ड-अमावां

आपति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण		
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	05/11/18	40000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	10/12/18	10000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	04/02/19	10000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	06/02/19	30000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	07/02/19	10000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	08/02/19	30000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	12/02/19	20000.00
		नकद भुगतान (प्रधान आशीष श्रीवास्तव को)	01/03/19	30000.00
		अभी इन्टरप्राइजेज	02/03/19	20000.00
		योग -		200000.00

1- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में अधिकांश धन राशियों का नकद भुगतान रु 180000.00 ग्राम प्रधान / सचिव को किया जाना दर्शित पाया गया जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेख मैन्युअल के अध्याय 5 के पैरा (5) के अनुसार रु 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जो गंभीर वित्तीय अनिमित्त को दर्शाता है इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2-आलोच्य वर्ष में कोषबही/ बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार बाल विकास एवम पुष्टाहार विभाग मद से आंगन बाड़ी निर्माण हेतु कुल रु. 200000.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है (आंगन बाड़ी निर्माण हेतु रु 446000.00 मानरेगा से व 200000.00 आई सी डी एस तथा 106000.00 राजवित्त से इस प्रकार कुल रु 752000.00) किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की रु 106000.00 राज्य वित्त से खर्च नहीं की गई है व मनरेगा रु 446000.00 खर्च की स्थिति अज्ञात रही। ऐसी स्थिति में कैशबुक उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 200000-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैन्युअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत-बंदीपुर

विकास खण्ड-अमावां

आपति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	बिना वर्क आई०डी०	हैण्डपंप मरम्मत		
		आशीष श्रीवास्तव ग्राम प्रधान (नकद भुगतान)	03/02/2016	30000.00

आलोच्य वर्ष 2015-16 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.30000.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आठ. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान

की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैन्युअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा. पं. अधि. श्री सरवेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत-बंदीपुर		विकास खण्ड-अमावां	आपत्ति सं०	
क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	बिना वर्क आई०डी०	ए०एस०आर० इन्टरप्राइजेज (सोलर लाइट)	19/03/2016	164500.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. -1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में सोलर लाइट हेतु मे. ए. एस. आर. इन्टर प्राइजेज को कुल रु. 164500.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट नेडा से क्रय न करते हुए ए. एस. आर. इन्टर प्राइजेज से क्रय किया जाना विभागीय नियमों के विपरीत है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैन्युअल पृ.सं. - 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सरवेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०
वर्ष 2016-17 प्रियासॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार आपत्ति

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	बिना वर्क आई०डी०	आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	01/04/16	29339.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	01/4/16	34191.00
		शशांक	01/04/16	4911.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	01/04/16	34573.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	01/4/16	16190.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	11/04/16	45000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	22/04/16	45000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	12/05/16	45000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	06/06/16	30000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	16/06/16	98000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	02/07/16	49500.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	28/07/16	40000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	03/09/16	48000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	26/12/16	44000.00
		आशीष श्रीवास्तव (ग्रा० प्रधान)	23/03/17	19184.00
		योग -		582888.00

आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है इस प्रकार वर्ष 2016-17 के प्रियासॉफ्ट पर दर्शित कुल रु. 582888-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जबकि बैंक पासबुक के अनुसार वर्ष 2016-17 में आहरित धनराशि कुल रु 463684.00 की निकासी हुई है। अतः रु 119204.00 अधिक से दर्शाया गया है किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में कैशबुक / कोषबही, नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख

बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 582888.00 फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ. स.-36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सरवेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
वर्ष 2016-17 प्रियासॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार आपति

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	4429896	अज्ञात	05/07/17	50000.00
	4429896	अज्ञात	13/07/17	50000.00
	10872256	अज्ञात	19/07/17	56000.00
	4429904	अज्ञात	19/07/17	10000.00
	4429913	अज्ञात	26/07/17	27800.00
	4427896	अज्ञात	28/07/17	5000.00
	4429896	अज्ञात	31/07/17	50000.00
	4429896	अज्ञात	19/08/17	50000.00
	10872255	अज्ञात	24/08/17	31000.00
	4429902	अज्ञात	29/08/17	6000.00
	4429899	अज्ञात	27/10/17	49800.00
	10872256	अज्ञात	02/11/17	49800.00
	10872255	अज्ञात	08/11/17	49800.00
	10872254	अज्ञात	08/11/17	49800.00
	10872254	अज्ञात	08/11/17	49900.00
	4429912	अज्ञात	04/12/17	40000.00
	10872254	अज्ञात	26/12/17	34000.00
	10872253	अज्ञात	19/01/18	49900.00
	4429902	अज्ञात	20/01/18	45000.00
	4429899	अज्ञात	20/01/18	45000.00
	10872252	अज्ञात	14/03/18	50000.00
	10872252	अज्ञात	20/03/18	5000.00
		योग -		853800.00

आलोच्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गई है इस प्रकार वर्ष 2017-18 के प्रियासॉफ्ट पर दर्शित कुल रु853800.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जबकि बैंक पासबुक के अनुसार वर्ष 2017-18 में आहरित धनराशि कुल रु868829.50 की निकासी हुई है। अतः रु 15029.50 कम दर्शाया गया है (रु 15029.50 का अपहरण किया गया है) किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में कैशबुक / कोषबही, नि.कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राकलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रियासॉफ्ट / ई-ग्राम स्वराज में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.853800.00 फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.- 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री सरवेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र० सं०	वर्क आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		इण्टर लकिंग विनोद के घर से मोड तक		
		मजदूरी भुगतान (नकद प्रधान को)	19/04/18	28175.00
		ईंट क्रय (नकद प्रधान को)	27/04/18	171120.00
		सामग्री क्रय सीमेंट मोरंग (नकद प्रधान को)	28/05/18	28835.00
		ईंट मिटटी (नकद प्रधान को)	28/05/18	8032.00
		ईंट क्रय (नकद प्रधान को)	05/6/18	29984.00
		ईंट क्रय (नकद प्रधान को)	07/06/18	39896.00
		ईंट क्रय (नकद प्रधान को)	20/07/18	11250.00
		ईंट गिटटी (नकद प्रधान को)	20/07/18	1417.00
		मजदूरी भुगतान (नकद प्रधान को)	23/07/18	15050.00
		योग-		179751.00
2		चबूतरा निर्माण		
		ईंट क्रय (नकद प्रधान को)	01/06/18	27563.00
		सामग्री क्रय सीमेंट मोरंग (नकद प्रधान को)	01/06/18	11487.00
		मजदूरी भुगतान (नकद प्रधान को)	01/06/18	10850.00
		ईंट क्रय (नकद प्रधान को)	20/07/18	5512.00
		योग -		55412.00
3		खडंजा निर्माण सिया राम के घर से दुखी के घर तक		
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	30/07/18	46305.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	10/08/18	46305.00
		मजदूरी भुगतान (नकद भुगतान प्रधान को)	13/08/18	11900.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	20/08/18	46305.00
		मजदूरी भुगतान (नकद भुगतान प्रधान को)	11/09/18	23100.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	11/09/18	23204.00
4		खडंजा निर्माण राजा राम के घर से पुलिया तक		
		आर्या ब्रिक फील्ड	20/09/18	128625.00
		ईंट क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	25/09/18	12862.00
		मजदूरी भुगतान (नकद भुगतान प्रधान को)	25/09/18	35350.00
		मिटटी (नकद भुगतान प्रधान को)	25/09/18	7529.00
		योग -		381485.00
		कुल योग -		813763.00

1- आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेख परीक्षा के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया की विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान / सचिव को अधिकांश धनराशियों का भुगतान नकद किया गया है जो की विभागी नियमों/ निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय (5) के अनुसार रु 5000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जो कि ऐसा ना करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

2- आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा.नि.-1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से निर्माण कार्य हेतु कुल रु. 813763.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 813763.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सरवेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं०

5	हैण्डपम्प मरम्मत		
	सामग्री क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	28/05/18	49500.00
	मजदूरी भुगतान (नकद भुगतान प्रधान को)	28/05/18	14300.00
	सामग्री क्रय (नकद भुगतान प्रधान को)	11/06/18	49900.00
	मजदूरी भुगतान (नकद भुगतान प्रधान को)	11/06/18	14950.00
	श्याम इन्टर प्राइजेज	24/09/18	99895.00
	मजदूरी भुगतान (नकद भुगतान प्रधान को)	25/09/18	22750.00
	योग -		251295.00

- आलोच्य वर्ष 2018-19 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.251295.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं. आर. जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक गुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सरवेंद्र सिंह चौहान / सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं०

8	अन्य		
	प्रधान मानदेय (2/18 से 1/19 तक) नकद भुगतान	31/01/19	42000.00
	प्रधान मानदेय (2/19 से 3/19 तक) नकद भुगतान	19/03/19	7000.00
	स्टेशनरी क्रय नकद भुगतान प्रधान को	19/03/19	1427.00
	योग -		50427.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतु कुल रु.50427.00 (प्रधान मानदेय-49000.00 स्टेशनरी-1427.00) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय - भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राक्कलन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये

गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 80850-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत-बंदीपुर

विकास खण्ड-अमावां

आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	15105164	ह्यूम पाईप		
		मजदूरी (नकद भुगतान प्रधान को)	10/07/19	20020.00
		अभी इंटरप्राइजेज	23/07/19	99216.00
		योग -		119236.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से ह्यूम - पाइप क्रय हेतु कुल रु. 119236.00 अभी इंटर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - बिल वाउचर, म. रोल, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, तथा स्थलवार - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में ह्यूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 119236.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व गा.पं.वि. अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत-बंदीपुर

विकास खण्ड-अमावां

आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		इंटरलॉकिंग		
	15105176	सामग्री क्रय	13/01/20	28835.00
	15105176	सामग्री क्रय	13/01/20	86730.00
	15105177	सामग्री क्रय	16/01/20	86730.00
	15105177	सामग्री क्रय	16/01/20	20597.00
		योग-		222892.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से इंटरलॉकिंग ईट क्रय हेतु कुल रु. 222892.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली- यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल इंटरलॉकिंग ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री यथा- सीमेंट, मोरंग, व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलॉकिंग ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 222892.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती वक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत-बंदीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
		अन्य		
		डोंगल बनवाई	12/06/19	1100.00
		प्रधान मानदेय (04/19 से 07/19 तक)	29/07/19	14000.00
		प्रियासॉफ्ट आनंद कुमार सिंह को	31/07/19	5000.00
		योग -		20100.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु.20100.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली- यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.20100.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत-चौपुरा विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

6 ग्राम पंचायत चौपुरा की वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्य पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैंडपंप मरम्मत	34570.00
2	ह्यूम पाइप	72156.00
3	सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट	117600.00
4	नाली निर्माण	113055.00
5	प्रशासनिक व्यय	22100.00
6	मार्ग मरम्मत पर मिटटी	7500.00
7	झाड़ी सफाई मजदूरी	14790.00
8	प्रधान मानदेय (जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक)	30000.00
	योग -	411771.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्यास- के अनुच्छेद7- में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्तदायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राक्कलन), तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई० डी०, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र, विद्युत संयोजन, बिल, स्टॉक रजिस्टर आदिएवं उक्त कार्य पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित (बाउचरव्यय/ प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/प0अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेखकार्य पत्रावलियां व्यय प्रमाणक/ प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास (अधिकारी (पंचायत से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया, फिर भी अभिलेख कार्य पत्रावलियांव्यय प्रमाणक/ अप्रस्तुत रहे। दिनांक 12-02-2021 को लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियांव्यय प्रमाणक प्रस्तुत न/ होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः /अभिलेखकार्य पत्रावलियां व्ययप्रमाणक/ प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अभिलेखकार्य पत्रावलियांव्ययप्रमाणक/ प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 411771.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है तथा व्यवस्थानुसार

सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम अंधार व तत्कालीन ग्रा.पं.वि.अधि. से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत-चौपुरा विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से वाउचर. सं. 10 दि. 02-08-2019 चेक सं. 106 द्वारा मे. शाहिल टायल्स उद्योग को इंटरलाकिंग ईट क्रय हेतु कुल रु. 99,120-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउचर भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल इंटरलाकिंग ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री यथा-सीमेंट, मोरंग, ईट-गिट्टी व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलाकिंग ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 99, 120-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम अंधार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री शरीफुल हसन से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत-चौपुरा विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14 वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में एल.ई.डी. स्ट्रीटलाइट हेतु वाउचर. सन.-09 दिनांक 02-08-2019 चेक सं. 105 द्वारा मे. धैर्य ट्रेडिंग कम्पनी महाराजगंज रायबरेली को कुल रु. 97,200-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन /टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ. सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम अंधार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री शरीफुल हसन से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत-बावन बुजुर्ग बल्ला विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
2. आलोच्य वर्ष में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर आदि हेतु क्रमशः रु. 8, 82, 668-00 व रु. 7,83,505-00, इस प्रकार कुल रु. 16,66, 173-00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त के सम्बंध में पत्रावली में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र, तथा इस सम्बंध में शासनादेश सं. आर.जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार अलग-अलग ग्रुप वर्क- आई.डी., खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, जल निगम विभाग की प्रतीक्षा सूची, तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड- स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिनके अभाव में कोषबही में उक्त मद में फर्जी व मनमाने ढंग से दर्शित व्यय- भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि कुल रु. 16,66,173-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि कुल रु. 16,66,173-00 को गबन मानते हुए, जांचोपरान्त इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री केदार कुमार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान/श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। **कटौतरी - 11/12 : सम्यक अभिलेख प्रस्तुत न करके व फर्जी व्यय-भुगतान**

अनुदान / फंड का अपहरण :

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्ड पम्प मरम्मत		
	19247174	मजदूरी (नकद प्रधान को) मिस्त्री	18/07/2019	49140.00
	19247174	मजदूरी (राम कुमार को) महाराजगंज	25/07/2019	24568.00

	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	25/07/2019	68075.00
	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	25/07/2019	85120.00
	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	29/07/2019	62915.00
	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	29/07/2019	79925.00
	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	70118.00
	19247174	मजदूरी मिस्त्री नकद (कमलेश कुमारी को)	03/08/2019	29890.00
	19247174	मजदूरी मिस्त्री (नकद प्रधान को)	03/08/2019	49140.00
	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	07/11/2019	90200.00
	19247174	श्री रामकुमार इन्टरप्राइजेज सामग्री	17/01/2020	33600.00
	19247174	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	08/01/2020	72517.00
	19247174	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज सामग्री	04/02/2020	70120.00
	19396085	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	20/02/2020	68780.00
	19396085	मजदूरी राम कुमार को	20/02/2020	28560.00
2		हैन्डपम्प रिबोर		
	16450330	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	199875.00
	16450330	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	198970.00
	16450330	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	07/11/2019	98200.00
	16450338	साहिल टाइल उद्योग	18/01/2020	25100.00
	16450338	साहिल टाइल उद्योग	18/01/2020	24620.00
	16450338	साहिल टाइल उद्योग	18/01/2020	25480.00
	16450338	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज सामग्री	04/02/2020	76260.00
	19247180	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/03/2020	26200.00
	19247180	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/03/2020	21750.00
	19247180	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/03/2020	24270.00
	19247180	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज सामग्री	30/03/2020	21940.00
	19247180	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज सामग्री	30/03/2020	21850.00
	19247180	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज सामग्री	30/03/2020	18990.00

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत-बावन बुजुर्ग बल्ला विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

1. केटेगरी-11-12 : सम्यक अभिलेख प्रस्तुत न करना एवं फण्ड का दुरुपयोग :-

1. आलोच्य वर्ष में कोषबही/बैंक खाता ग्रा0नि0-1 के अनुसार-राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद से विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार कुल ₹0 41,76,816.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है :- केटेगरी-12

क्र0	बाड.सं./दिनांक	कार्य एवं व्यय-विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलाकिंग-मेन रोड से महेश के घर के आगे तक	1165219.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त/मजदूरी भुगतान नहीं।
2	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलाकिंग-मेन रोड से यादव के घर तक	286108.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
3	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलाकिंग-मेन रोड से हनुमान मंदिर तक	280509.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
4	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलाकिंग-जीत की दुकान से घुरउ के घर तक	281467.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
5	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलाकिंग-हजारी यादव के घर से चंदर पासी के घर तक	289904.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।

6	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलॉकिंग-पक्की सड़क से राम सजीवन के घर तक	227976.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
7	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलॉकिंग-प्रा0वि0 पूरे तिवारी से राज बहादुर के घर तक	247800.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
8	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलॉकिंग-अलागंज मे मैं रोड से चन्नू पासी के घर तक	230454.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त/केवल टायल्स क्रय।
9	संलग्न विवरण के अनुसार	इंटरलॉकिंग-बबुरिहा में खडंजा से मंदिर तक	232932.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त। केवल टायल्स क्रय।
10	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-मैकू के खेत से थुलवासा बार्डर तक	185325.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
11	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-रामजस के खेत से लक्ष्मी के खेत तक	149730.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
12	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-त्रिभुवन के खेत से रामदीन के खेत तक	131250.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त। मजदूरी भुगतान नहीं।
13	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-जानंद के खेत से विजय के खेत तक	131250.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त। मजदूरी भुगतान नहीं।
14	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-पवन के घर से हरिमोहन के घर तक	42000.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त। मजदूरी भुगतान नहीं।
15	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-बल्ला नवोदय लिंक रोड से जंगली बाबा तक	148792.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
16	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-सुखराम के बाग से सोहलिया मजार तक	144130.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
17	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-बल्ला में लखन के खेत से हितकारी के खेत तक	99750.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त/मजदूरी भुगतान नहीं
18	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-पक्की रोड से रवी के घर तक	28634.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
19	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-सेनपुर में लाला बढई घर से स. मार्ग तक	104949.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
20	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-पूरे सहमंत से स.मार्ग से चंद्रिका घर तक	71432.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
21	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-स.मार्ग से श्याम के घर तक	98583.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
22	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-बाबा की कुटी से ढोला तक	131326.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
23	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा मरम्मत-पुलिया से परीदन के अडाना तक	39058.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
24	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-खेलावन पासी के घर से नहर पुलिया तक	120750.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त। मजदूरी भुगतान नहीं

25	संलग्न विवरण के अनुसार	खडंजा निर्माण-मैकू के खेत से तलिया तक	141972.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
26	संलग्न विवरण के अनुसार	नाली निर्माण-बनवारी के घर से घुरउ मौर्य के घर तक	49437.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
27	संलग्न विवरण के अनुसार	कायाकल्प : प्रा0वि0 बल्ला	116079.00	नि.कार्य पत्रावली अप्राप्त।
		सम्पूर्ण योग -	4176816.00	

किन्तु उपरोक्तानुसार कराये गये कार्य एवं दर्शित व्यय - भुगतानो कुल रु. 41,76, 816-00 की पुष्टि मे नि. कार्य-पत्रावलियां- व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, सक्षम अधिकारी से वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका, फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा मे जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सारिणी मे उपरोक्तानुसार क्रमांक- 1,6,7,8,9, 12, 13, 14, 17 व 24पर अंकित निर्माण कार्य हेतु केवल निर्माण सामग्री क्रय / भुगतान होना कोषबही में दर्शित है। उक्त मे किसी भी नि. कार्य मे मजदूरी भुगतान समीक्ष्य वर्ष मे नही हुआ है। बिना मजदूरी के कोई भी निर्माण कार्य होना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्तानुसार क्रमांक-1,6,7,8,9, 12, 13, 14, 17 व 24 पर अंकित नि. कार्य व इन पर दर्शित व्यय-भुगतान की धनराशि रु.16,29,381-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध मे स्थिति स्पष्ट करते हुए, पं. राज नियम 152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि मे उपरोक्तानुसार सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8(क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि कुल रु. 41,76, 816-00 को गबन मानते हुए, ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री केदार कुमार व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान/श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 24 का संलग्न विवरण

क्र.सं.	वर्क आई डी	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5-	19247189	इन्टरलाकिंग- मैन रोड से महेश के घर के आगे तक		
		सिमेन्ट मोरंग आदि क्रय	25-07-2019	18072.00
		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इंलाईट	31-07-2019	123900.00
		तिवारी ब्रिक फील्ड इंलाईट	03-08-2019	23247.00
6-	19247190	इन्टरलाकिंग- मैन रोड से पार समाद तक		
		सिमेन्ट मोरंग आदि क्रय	25-07-2019	16275.00
		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इंलाईट	31-07-2019	74340.00
		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इंलाईट	31-07-2019	49560.00
		तिवारी ब्रिक फील्ड इंलाईट	03-08-2019	22491.00
		वैभव ट्रेडर्स सामग्री सी० मोरंग	28-01-2020	34263.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इंलाईट	28-01-2020	24160.00
		मजदूरी	03-02-2020	39410.00
		कौशल ईट उद्योग	12-02-2020	25609.00
7-	19247191	इन्टरलाकिंग- पक्की रोड से हनुमान मंदिर तक		
		सीमेन्ट मोरंग आदि क्रय	25-07-2019	17076.00
		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इंलाईट	31-07-2019	123900.00
		तिवारी ब्रिक फील्ड इंलाईट	03-08-2019	24192.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इंलाईट	28-01-2020	16107.00
		सेजल ट्रेडर्स सी० मोरंग	28-01-2020	35090.00
		कौशल ईट उद्योग	12-02-2020	26554.00
		मजदूरी	20-02-2020	26390.00
		मजदूरी	20-02-2020	11200.00
8-	19247192	इन्टरलाकिंग- जीत के दुकान से घुरउ के घर तक		
		सिमेन्ट मोरंग आदि क्रय	25-07-2019	16217.00

		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इन्लाईट	31-07-2019	111510.00
		तिवारी ब्रिक फील्ड इन्लाईट	03-08-2019	22963.00
		वैभव ट्रेडर्स सामग्री सी० मोरंग	28-01-2020	38027.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इन्लाईट	28-01-2020	24780.00
		मजदूरी	12-02-2020	37730.00
		कौशल ईट उद्योग	12-02-2020	30240.00
9-	19247193	इन्टरलाकिंग- हजारी यादव के घर से चंदर पासी के घर तक		
		सिमेन्ट मोरंग आदि क्रय	25-07-2019	18970.00
		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इन्लाईट	31-07-2019	49560.00
		आर.एस.इन्टरप्राइजेज सामग्री इन्लाईट	31-07-2019	86730.00
		तिवारी ब्रिक फील्ड इन्लाईट	03-08-2019	23342.00
		सेजल ट्रेडर्स सी० मोरंग	29-01-2020	36110.00
		कौशल ईट उद्योग	12-02-2020	36524.00
		मजदूरी	20-02-2020	27118.00
		मजदूरी	20-02-2020	11550.00
10-	19396054	इन्टरलाकिंग-पक्की सड़क से राम सजीवन के घर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इन्लाईट	06-01-2020	227976.00
11-	19247175	इन्टरलाकिंग-पूरे तिवारी में प्रा०वि० से राज बहादुर के घर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इन्लाईट	06-01-2020	247800.00
12-	19396061	इन्टरलाकिंग- अलागंज मेन रोड से चन्नूपासी के घर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इन्लाईट	06-01-2020	230454.00
13-	19396060	इन्टरलाकिंग- बबुरिहा में मेन खण्डजा से मंदिर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इन्लाईट	06-01-2020	232932.00
14-	19396045	कायाकल्प-प्राथमिक विद्यालय बल्ला		
		भुगतान -(रामू मौर्य)	31-07-2019	25335.00
		(आर.एस.इन्टरप्राइजेज)	31-07-2019	45924.00
		भुगतान (राम नरेश)	03-08-2019	44820.00
15-	19396040	खड़जा निर्माण- मैकू के खेत से थुलवासा बॉर्डर तक		
		मजदूरी एम आर	26-07-2019	41860.00
		मिट्टी	26-07-2019	6440.00
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	137025.00
16-	19396041	खड़जा निर्माण-रामजस के खेत से लक्ष्मी के खेत तक		
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	52500.00
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	78120.00
		मजदूरी(कमलेश कुमारी को) भुगतान	03-08-2019	19110.00

17	19396042	खड़जा निर्माण- त्रिभुवन के खेत से रामदीन के खेत तक		
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	31500.00
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	99750.00
18-	19396044	खड़जा निर्माण-ज्ञानेन्द्र के खेत से विजय के खेत तक		
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	68250.00
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	63000.00
19	19396043	खड़जा निर्माण- पवन के घर से हरिमोहन के घर तक		
		कौशल ईट उद्योग	29-07-2019	42000.00
20 -	19396090	खड़जा निर्माण- बल्ला नवोदय लिंक रोड से जंगली बाबा तक		
		विमला ब्रिक फील्ड	04-12-2019	99750.00
		मिट्टी राममिलन को	07-03-2020	7000.00
		मजदूरी	07-03-2020	42042.00
21-	19396039	खड़जा निर्माण- सुखराम बाबू के बाग से सोहबलिया मज़ार तक		
		विमला ब्रिक फील्ड	04-12-2019	99750.00
		मजदूरी	05-03-2019	3640.00
		मजदूरी	06-03-2019	9464.00
		मजदूरी	07-03-2019	26026.00
		मिट्टी	07-03-2019	5250.00
22 -	19396096	खड़जा निर्माण- बल्ला लखन मौर्य के खेत से हितकारी खेत		
		विमला ब्रिक फील्ड	04-12-2019	99750.00
23-	16450379	खड़जा मरम्मत - पक्की रोड से रवि के घर तक		
		श्री राम केश को मिट्टी	24-01-2020	2678.00
		मजदूरी	24-01-2020	10206.00
		कौशल ईट उद्योग	20-02-2020	15750.00
24-	19396098	खड़जा निर्माण- सेनपुर - लाला बढ़ई के घर से संपर्क मार्ग तक		
		मजदूरी	24-01-2020	21262.00
		मिट्टी रामकेश	24-01-2020	6512.00
		कौशल ईट उद्योग	17-02-2020	77175.00
25-	16450353	खड़जा निर्माण- पूरे सहमत - संपर्क मार्ग से चंद्रिका के घर तक		
		मजदूरी	24-01-2020	14580.00
		मिट्टी रामकेश	24-01-2020	3827.00
		कौशल ईट उद्योग	20-02-2020	53025.00
26-	16450380	खड़जा मरम्मत - सड़कहा में - संपर्क मार्ग से श्याम के घर तक		
		मजदूरी	24-01-2020	19780.00
		मिट्टी रामकेश	24-01-2020	6878.00

		कौशल ईट उद्योग	08-03-2020	71925.00
27-	20961882	खड़जा निर्माण- बाबा की कुटी से ढोला तक		
		कौशल ईट उद्योग	29-02-2020	91875.00
		मजदूरी	29-02-2020	32396.00
		मिट्टी रामकेश	29-02-2020	7055.00
28-	20951347	खड़जा मरम्मत - पुलिया से परीदान के अडाना तक		
		मजदूरी	05-03-2020	32578.00
		मिट्टी रामकेश	30-03-2020	6480.00
29-	19396037	खड़जा निर्माण- अलारगंज - खेलावनपासी के घर से नहर की पुलिया तक		
		कौशल ईट उद्योग	30-03-2020	120750.00
30-	20961883	खड़जा निर्माण- मैकू के खेत से जामुन के पेड़ तक		
		मिट्टी रामकेश	30-03-2020	8731.00
		मजदूरी	30-03-2020	35854.00
		कौशल ईट उद्योग	30-03-2020	97387.00
31-	19396066	नाली निर्माण - बनवारी सोनकर के घर से घूरऊ मौर्य के घर तक		
		मजदूरी	24-01-2020	10132.00
		मजदूरी मिस्त्री	24-01-2020	4375.00
		सेजल ट्रेडर्स- सामग्री	17-02-2020	34930.00

प्रस्तर-
25ग्राम
पंचायत-
बावन
बुजुर्ग
बल्ला

विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14 वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु विभिन्न तिथियों में संलग्न विवरण के अनुसार कुल ₹ 10,05,579-00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक बिल वाउचर्स, म. रोल, अलग-अलग वर्क आई.डी., अनुमानित व्यय प्राक्कन, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व टेण्डर, स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिनके अभाव में उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूंकि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि ₹. 10,05,579- 00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि कुल ₹.10,05,579-00 को गबन मानते हुए, जांचोपरान्त इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री केदार कुमार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान/श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

4-		हयूम पाइप क्रय		
	16450339	अभी इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	196650.00
	19247171	अभी इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	192984.00
	19247195	शिव इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	95676.00
	19247195	इन्टरप्राइजेज सामग्री	03/08/2019	94679.00
	19247195	अभी इन्टरप्राइजेज सामग्री	07/11/2019	98900.00
	19247195	अभी इन्टरप्राइजेज सामग्री	16/11/2019	92180.00
	19247195	साहिल टाइल्स उद्योग	04/02/2020	81210.00
	19247195	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज सामग्री	07/03/2020	72180.00
	19247195	साहिल टाइल्स उद्योग	30/03/2020	81120.00
		योग -		1005579.00

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत-बावन बुजुर्ग बल्ला विकास खण्ड-अमावां आपति सं०

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु. 38200.00 (प्रधान मानदेय 28000.00,, डोंगल- 2200.00, स्वच्छता श्लोगन 8000.00) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक कैशमेमो/बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाजुद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 38200.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा स्थिति में लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री केदार कुमार व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान व श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है

16450333	मानदेय		
	मानदेय प्रधान	31/07/2019	28000.00
16450332	अन्य		
	डोंगल बनवाई-पिन्नाकल फाइन सर्व अडवाइस	08/04/2019	2200.00
	रामफेर को-स्वच्छता श्लोगन	17/01/2020	3000.00
	रामफेर को-स्वच्छता श्लोगन	20/02/2020	5000.00
	योग-		38200.00

प्रस्तर-26

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	16/04/2019	328	पिन्नाकल फाइनसर्व एडवीसो	2200.00
2	18/07/2019	331	केदार कुमार	49140.00
3	25/07/2019	335	राम कुमार	24568.00
4	25/07/2019	334	गुप्ता खाद भंडार	86610.00
5	25/07/2019	333	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	68075.00
6	25/07/2019	332	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	85120.00
7	26/07/2019	336	केदार कुमार	48300.00
8	29/07/2019	337	कौशल ईट उद्योग	189525.00
9	29/07/2019	344	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	99200.00
10	29/07/2019	338	कौशल ईट उद्योग	109620.00
11	29/07/2019	339	कौशल ईट उद्योग	168000.00
12	29/07/2019	340	कौशल ईट उद्योग	105000.00
13	29/07/2019	343	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	62915.00
14	29/07/2019	342	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	79925.00
15	31/07/2019	629121	आर०एस० इन्टरप्राइजेज एफजीआईईटी	198240.00
16	31/07/2019	629122	आर०एस० इन्टरप्राइजेज एफजीआईईटी	173460.00
17	31/07/2019	629123	आर०एस० इन्टरप्राइजेज एफजीआईईटी	161070.00
18	31/07/2019	629124	आर०एस० इन्टरप्राइजेज एफजीआईईटी	86730.00
19	31/07/2019	345	रामू मौर्य	25335.00
20	31/07/2019	629125	मोहम्मद इमरान हार्डवेयर	45924.00
21	31/07/2019	341	केदार कुमार	28000.00
22	31/07/2019	629126	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	99200.00
23	03/08/2019	629127	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	199875.00

24	03/08/2019	629128	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	196650.00
25	03/08/2019	629129	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	198970.00
26	03/08/2019	629130	अभी इन्टरप्राइजेज	192984.00
27	03/08/2019	629162	कमलेश कुमारी	49000.00
28	03/08/2019	629166	राम नरेश	44820.00
29	03/08/2019	629164	केदार कुमार	49140.00
30	03/08/2019	629167	शिव इन्टरप्राइजेज हरचंदपुर	94679.00
31	03/08/2019	629168	शिव इन्टरप्राइजेज हरचंदपुर	95676.00
32	03/08/2019	629163	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	198400.00
33	03/08/2019	629161	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	198400.00
34	03/08/2019	629165	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	70118.00
35	03/08/2019	629169	तिवारी ब्रिक फील्ड (निफ्ट)	116235.00
			योग -	3701104.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपरोक्तानुसार लेखा परीक्षा में उपलब्ध कोषवही / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न तिथियों में रुपया 3701104.00 का भुगतान किया जाना पाया गया है जो अधिकांश फर्मों को भुगतान किया गया है। जो कि रुपये 1 लाख से अधिक है उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा टेन्डर प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्थित अज्ञात रही दिनांक 25-07-2019, 26-07-19 29-07-19, 31-07-19 व 03-08-19 तक इस प्रकार इतने कम दिनों में ही रुपया 3701104.00 का भुगतान संदिग्ध एवं फर्जी व मनमाने ढंग से किया जाना वित्तीय औचित के नियम के विपरीत है। उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है जिससे किए व्यय की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत-बावन बुजुर्ग बल्ला विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित एवं 14 वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में संलग्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों में एल.ई.डी. स्ट्रीटलाइट क्रय हेतु कुल रु. 6,91,200-00 में धैर्य ट्रेडिंग क० को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख- यथा : व्यय-प्रमाणक, बिल वाउचर्स, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिनके अभाव में उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि कुल रु. 6,91,200-00 को गबन मानते हुए, जांचोपरान्त इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री केदार कुमार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान/श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। कटौतरी-11/12 : सम्यक अभिलेख प्रस्तुत न करके व फर्जी व्यय-भुगतान अनुदान / फण्ड का अपहरण :

3-		स्ट्रीट लाइट क्रय			
	19247173	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	29/07/2019	99200.00	
	19247173	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	31/07/2019	99200.00	
	16450349	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	03/08/2019	198400.00	
	19247172	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	03/08/2019	198400.00	
	19247172	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	07/11/2019	96000.00	
		योग -		691200.00	

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र. सं.	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
7	13639042	नाली निर्माण रामकिशोर के घर से सूर्यभान के घर तक		
		मजदूरी	13/01/2020	10038.00
		छवि ट्रेडर्स	13/01/2020	27337.00

		लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	13/01/2020	15025.00
8	13639081	नाली निर्माण रामप्रकाश के घर से मेन नाली तक		
		लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	16/01/2020	18238.00
		मजदूरी	16/01/2020	8568.00
		छवि ट्रेडर्स	16/01/2020	19630.00
		योग -		98836.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा.नि.-1 के अनुसार- राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से नाली निर्माण हेतुकुल रु. 98836.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम औतार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र. सं.	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैंडपम्प मरम्मत		
	13639051	मजदूरी प्रधान को	10/07/2019	12852.00
	13639053	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	10/07/2019	27250.00
	13639051	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	10/07/2019	35700.00
	19727478	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	16/01/2020	32415.00
	19727478	साहिल टाइल्स उद्योग	05/02/2020	29540.00
	19727478	मजदूरी श्रीरामफेर को	10/02/2020	13832.00
		योग -		151589.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि.- 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैंडपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.151589.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैंडपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर.जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैंडपम्पों की एक ग्रुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम औतार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र. सं.	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2		जूनियर स्कूल हिलगी शौचालय निर्माण		
	13639047	मजदूरी प्रधान को	10/07/2019	6230.00

	13639046	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज पानी की टंकी	10/07/2019	28530.00
	13639047	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	12/07/2019	17010.00
	13639047	अंसल ट्रेडर्स	15/07/2019	14990.00
		योग -		66760.00

आलोच्य वर्ष में कोष / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु कुल रु.66760.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली- यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 66760.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम औतार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र. सं.	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2	13639039	खडंजा निर्माज्ञा महेन्द्र के घर से आनंद के घर तक		
		मजदूरी प्रधान को	10/07/2019	19432.00
		लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	12/07/2019	68250.00
5	19727477	खडंजा निर्माण-मेन तिराहा से बिजली के खम्भे तक		
		मजदूरी	16/01/2020	23660.00
		मिटटी प्रधान को	16/01/2020	2754.00
		लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	16/01/2020	74550.00
6	19727484	खडंजा मरम्मत मेनतिराहा से पुलिया तक		
		मजदूरी	18/02/2020	30576.00
		मिटटी ब्रजेश कुमार	18/02/2020	4617.00
		योग -		223839.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा मरम्मत/ खडंजा निर्माण हेतु कुल रु. 223839.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम औतार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र. सं.	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
4	13639060	स्ट्रीट लाइट क्रय		
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	10/07/2019	48000.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु कुल रु. 48000.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख

यथा - व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 पैरा-8 (क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राम औतार व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33		ग्राम पंचायत-हिलगी	विकास खण्ड-अमावां	आपति सं0	
क्र. सं.	वर्क आई.डी.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	
9	13639059	मानदेय प्रधान को	03/02/2020	21000.00	
10		अन्य			
	13639045	पिनिअकल फिनेसर्व एडवाइसो	12/06/2019	1100.00	
	13639045	भूपेन्द्र को प्रियासाफ्ट हेतु	02/08/2019	5000.00	
	13639044	रामफेर को सफाई नारा लेखक	17/01/2020	2000.00	
			योग -	29100.00	

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु. 29100.00 (प्रधान मानदेय 21000.00, डोंगल 1100.00, प्रिया सॉफ्ट-5000.00, स्लोगन-2000.00) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल- वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन, माप-पुस्तिका व

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.405888-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आठ. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रीबोर आदि हेतु 'विभिन्न तिथियों में कुल रु. 506120-00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रीबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा- 8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते

हूए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष मे कोषबही/ बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल शौचालय मरम्मत हेतुकुल रु. 118170-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध मे निकाय - पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा मे जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किये गये। ऐसी स्थिति मे कैशबुक मे उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 118170-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध मे स्थिति स्पष्ट करते हूए, सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्ट करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हूए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष मे कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार राजवित एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत मे प्रकाश व्यवस्था मे - एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु मे धैर्य ट्रेडिंग कम्पनी/अभी इन्टर प्राइजेज महाराजगंज रायबरेली को कुल रु.225600-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि मे अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक-बिल- वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम.बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानो के औचित्य की पुष्टि मे आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हूए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व गा. पं. वि. अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष 2019-20 मे कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 219811-00 अभी/हिंदुस्तान इन्टर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, तथा स्थलवार एम.बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत ही किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत मे आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नही रही। चूंकि आलोच्य वर्ष मे ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो मे किसी भी कार्य मे इनका उपयोग नही किया गया हैं । अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 219811-00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा- 8 (क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हूए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व गा.पं./वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0
आलोच्य वर्ष 2019-20 मे कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान कुल रु. 78000-00 श्री श्याम इन्टर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि मे अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन /टेण्डर, तथा स्थलवार-एम.बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत मे आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नही रही। चूंकि आलोच्य वर्ष मे ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो मे किसी भी कार्य मे इनका उपयोग नही किया गया हैं । अतएव कैशबुक मे क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 78000-00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हूए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद से मे. शाहिल टायल्स उद्योग को इंटरलाकिंग ईट क्रय हेतु कुल रु. 99,120-00 व एस एस ब्रिक फील्ड को रु 78750.00 इस प्रकार कुल रु 177870.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल इंटरलाकिंग ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री यथा-सीमेंट, मोरंग, व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलाकिंग ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 177870-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कोष / बैंकखाता ग्रा.नि.-1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से खड़जा मरम्मत एस एस ब्रिक फील्ड से ईट क्रय हेतु कुल रु. 83396.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो/बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 83396-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. -1 के अनुसार- राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से खड़जा मरम्मत एस एस ब्रिक 'फील्ड से ईट क्रय हेतु कुल रु. 94500.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मागे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार मी वर्ष उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 94500-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व ग्रा.पं.वि. अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत-कोडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु. 80850.00 (प्रधान मानदेय 28000.00, रास्तों की सफाई- 43750.00, डोंगल - 1100.00, प्रिया सॉफ्ट-5000.00, स्लोगन - 3000.00) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में

कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 80850-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व गा. पं. वि. अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	बिना वर्क आई0डी0 के	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	23/04/2019	42310.00
	बिना वर्क आई0डी0 के	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	26/04/2019	39216.00
	बिना वर्क आई0डी0 के	मजदूरी-वासुदेव मौर्य	29/04/2019	24500.00
	13770684	मजदूरी-वासुदेव मौर्य	02/08/2019	25844.00
	13770684	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	02/08/2019	93580.00
	17904588	साहिल टाइल्स उद्योग-सामग्री	21/01/2020	43210.00
		योग -		268660.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 268660.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.-आर.जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार जी. पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीसहजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक गुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्कआई. डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2		हैण्डपम्प रिबोर		
	13770685	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	16/12/2019	49780.00
	13770659	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	24/12/2019	49500.00
	13770685	साहिल टाइल्स उद्योग	18/01/2020	24890.00
	13770685	साहिल टाइल्स उद्योग	18/01/2020	25475.00
	13770685	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	04/02/2020	27035.00
	13770685	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	05/02/2020	26245.00
		योग -		202925.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रिबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 202925.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा व्यय

प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र, रिबोर योग हैण्डपम्पो की सूची तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉकरजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
3		हयूमपाइप		
	बिना वर्क आई0डी0 के	अभी इंटरप्राइजेज	29/04/2019	46225.00
	13770689	शिव इंटरप्राइजेज	20/07/2019	99234.00
	17904586	अभी इंटरप्राइजेज	25/11/2019	72180.00
		योग -		217639.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 217639.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय- प्रमाणक - बिल वाउचर, म. रोल, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन / टेण्डर, तथा स्थलवार - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 217639.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. - 36 के पैरा-8 (क) " में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5	बिना वर्क आई0डी0 के	इन्टरलाकिंग डामर रोड से दीनानाथ के घर तक		
		आर0एस0 इंटरप्राइजेज इ0ला0ईट	22/04/2019	17629.00
		मजदूरी	23/04/2019	8225.00
6	बिना वर्क आई0डी0 के	इन्टरलाकिंग सी0सी0 रोड से अब्दुल्ला के घर तक		
		आर0एस0 इंटरप्राइजेज सामग्री	26/04/2019	7434.00
		आर0एस0 इंटरप्राइजेज इ0ला0 ईट	26/04/2019	99120.00
		आर0एस0 इंटरप्राइजेज इ0ला0 ईट	26/04/2019	50356.00
7	बिना वर्क आई0डी0 के	इन्टरलाकिंग-डामर रोड से श्रीराम पासी के घर तक		
		आर0एस0 इंटरप्राइजेज सामग्री	26/04/2019	16645.00
		मजदूरी	29/04/2019	10850.00

		आर0एस0 इन्टरप्राइजेज सामग्री	30/04/2019	32114.00
8	13770664	इन्टरलाकिंग-नूरमोहम्मद के घर से रामचन्द बनिया के घर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इ0ला0ईट	09/03/2020	123900.00
		साहिल टाइल्स उद्योग सामग्री	09/03/2020	99120.00
9	17905693	इन्टरलाकिंग-इंडिया मार्का से केदार के घर तक		
		मजदूरी	02/08/2019	33992.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ0ला0ईट	02/08/2019	63483.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ0ला0ईट	02/8/2019	63483.00
		लक्ष्मी ट्रेडर्स-सी0 मोरंग	02/08/2019	29539.00
		इन्टरलाकिंग-गौरीगंज में महारानी के चबूतरे से		
10	13770640	मनोज के घर तक		
		मजदूरी	02/08/2019	33992.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ0ला0ईट	02/08/2019	63483.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ0ला0ईट	02/08/2019	63483.00
		लक्ष्मी ट्रेडर्स	02/08/2019	29539.00
		योग -		846387.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से इन्टरलाकिंग निर्माण हेतुकुल रु. 846387.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली- यथा-व्यय- प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राकलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 846387 -00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
11	बिना वर्क आई0डी0 के	नाली निर्माण-सियाराम पासी के घर से नाली तक		
		मजदूरी	29/04/2019	9800.00
12	बिना वर्क आई0डी0 के	नाली निर्माण-जगदीश के घर से महारानी के चबूतरे तक		
		मजदूरी	29/04/2019	33950.00
13	17615070	कच्चा-नाला निर्माण हरदासपुर तालाब से गद्दीखास बाईर तक		
		मजदूरी	19/07/2019	99190.00
14	13770647	नाली निर्माण-जगदीश चौधरी के घर से मिटटी की दुकान तक		
		मजदूरी	02/08/2019	6353.00
		साहिल टाइल्स उद्योग सी0 मोरंग	02/08/2019	12757.00
		लक्ष्मी ट्रेडर्स-सी0मोरंग	02/08/2019	11724.00

15	13770680	नाली निर्माण-बुदि पासी के घर से बबुरिहा तालाब तक		
		मजदूरी	02/08/2019	4312.00
		साहिल टाइल्स उद्योग सी0 मोरंग	02/08/2019	10584.00
		लक्ष्मी ट्रेडर्स-सी0 मोरंग	02/08/2019	7788.00
16	13770679	नाली निर्माण-नरेश पासी के घर से बबुरिहा तालाब तक		
		मजदूरी	02/08/2019	4312.00
		साहिल टाइल्स उद्योग सी0 मोरंग	02/08/2019	10584.00
		लक्ष्मी ट्रेडर्स-सी0 मोरंग	02/08/2019	7788.00
		योग -		219142.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से नाली निर्माण व कच्चा नाला निर्माण हेतु कुल रु. 219142.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 219142.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की कच्चा नाला निर्माण राज्य वित्त व 14 वां वित्त से नहीं कराया जा सकता है कच्चा नाला निर्माण कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा मैनुअल पृ. सं. - 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
17	बिना वर्क आई०डी० के	अभि० इन्टरप्राइजेज फर्नीचर क्रय	23/04/2019	47520.00
18	17904584	अन्य व्यय		
		डोंगल बनवाई	12/06/2019	1100.00
		प्रियासॉफ्ट भूपेन्द्र को	02/08/2019	5000.00
		योग -		53620.00

आलोच्य वर्ष में कोषही/ बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु.53620.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली- यथा-व्यय- प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.53620.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी. जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
4	बिना वर्क आई०डी० के	खंडजा निर्माण-हैदर के घर से पलिया मार्ग तक		

	मजदूरी-वासुदेव मौर्य	10/04/2019	19600.00
	मजदूरी-वासुदेव मौर्य	10/04/2019	11425.00
	मिट्टी वासुदेव मौर्य	10/04/2019	2800.00
	योग -		33825.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से खड़जा निर्माण हेतुकुल रु. 33825.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल मजदूरी व मिट्टी का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित निर्माण में ईंट आदि हेतु कोई भी - भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईंट हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 33825.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री वासुदेव मौर्य व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
7		इन्टरलाकिंग-शंकर दयाल के कुए से सुंदर शुक्ला के घर तक		
	14007096	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	12/07/2019	99120.00
	14007096	साहिल टाइल्स उद्योग सामग्री	02/08/2019	41000.00
		योग -		140120.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से इंटरलाकिंग ईंट क्रय हेतु कुल रु. 140120.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल इंटरलाकिंग ईंट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री यथा- सीमेंट, मोरंग, व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलाकिंग ईंट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 140120.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
11	14007078	मानदेय प्रधान हरिकेश यादव	24/01/2020	21000.00
12		अन्य		
	14007079	पिनाकल फाइन सर्व एडविसो	27/06/2019	1100.00
	14007079	प्रधान के स्टेशनरी	10/07/2019	1800.00
	140070103	श्री आशुतोष यादव-प्रियासॉफ्ट	21/07/019	6000.00

	14007053	श्री रामफेर-श्लोगन	23/12/2019	2000.00
			योग -	31900.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही/बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु. 31900.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा- व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.31900.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
	14007074	खडंजा निर्माण गोहन्ना संपर्क मार्ग से अरविन्द तिवारी के घर तक		
		कान्हा ब्रिक फील्ड	07/01/2020	76125.00
		मिटटी अरविन्द कुमार प्रजापति	24/01/2020	6595.00
		योग -		82720.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा मरम्मत एस एस ब्रिक फील्ड से ईट क्रय हेतु कुल रु. 82720.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान के सम्बंध नि. कार्य-पत्रावली - यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय - भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बुक में उपरोक्तानुसार ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 82720.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	14007101	धनपति ट्रेडर्स	10/07/2019	35390.00
	14007101	मजदूरी प्रधान को (नकद)	10/07/2019	12760.00
	14007075	श्री श्याम इंटरप्राइजेज	12/12/2019	48990.00
		योग -		97140.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.97140.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर.जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा

के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आठ. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय - भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2		हैण्डपम्प रिबोर		
	14007102	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	10/07/2019	28300.00
	14007076	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	12/12/2019	52400.00
	14007076	साहिल टाइल्स उद्योग	18/01/2020	28150.00
	14007076	साहिल टाइल्स उद्योग	18/01/2020	27850.00
		योग -		136700.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रिबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 136700.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
3		प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण -		
	14007088	अभी0 इन्टरप्राइजेज पेंट	10/07/2019	6850.00
	14007088	अभी0 इन्टरप्राइजेज पेंट	10/07/2019	36990.00
	14007088	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	10/07/2019	32500.00
		योग -		76340.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल शौचालय निर्माण हेतु कुल रु. 76340.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली- यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउचर्ड भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 76340.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
8		नाली निर्माण-राम खेलावन के घर से सुन्दर शुक्ला के घर तक		
	14007061	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	07/01/2020	8599.00
	14007061	गुप्ता खाद भंडार सामग्री	07/01/2020	8611.00
		योग -		17210.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से नाली निर्माण हेतुकुल रु. 17210.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईंट व अन्य क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईंट हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 17210.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
4		स्ट्रीट लाइट		
	14007049	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	10/07/2019	48000.00
	14007059	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	24/12/2019	57600.00
		योग -		105600.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु कुल रु. 105600.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय-प्रमाणक- बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. - 36 - 8 (क)" दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5	14007055	कूड़ादान-श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	15/07/2019	91000.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान कुल रु. 91000.00 श्री श्याम इन्टर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय प्रमाणक - बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। अतएव कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 91000.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क) " मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
6	14007054	हयूमपाइप-अभी० इन्टरप्राइजेज	05/12/2019	71521.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 मे कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वा वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 71521.00 अभी/ हिंदुस्तान इन्टर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि मे अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक - बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत मे आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूंकि आलोच्य वर्ष मे ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो मे किसी भी कार्य मे इनका उपयोग नहीं किया गया हैं। अतएव कैश बुक में हयूम पाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 71521.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है । अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा- 8 (क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसनपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
10	14007084	खडंजा निर्माण-मोहन्ना संपर्क मार्ग से गुड्डू यादव से हरदेव लाल के चबूतरे तक		
		कान्हा ब्रिक फील्ड	07/01/2020	28350.00
		मजदूरी	24/01/2020	12852.00
		योग -		41202.00

आलोच्य वर्ष मे कोषबही/बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा निर्माण हेतुकुल रु. 41202.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है । किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद् भी लेखापरीक्षा मे जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उक्त के सम्बंध मे स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखो से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति मे "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" मे दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री हरिकेश यादव व गा. पं. वि. अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
6		हयूमपाइप		
	14524708	हिमांशु कंक्रीट बछरावां	03/07/2019	99216.00
	14524771	शिव इन्टरप्राइजेज	05/12/2019	99086.00
		योग -		198302.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 मे कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 198302.00 को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि मे अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय- प्रमाणक - बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम

पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया हैं। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 198302.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
3	14524780	प्राथमिक विद्यालय पहरेमउ रंगई/पुताई		
		राहुल हार्डवेयर	04/04/2019	66345.00
		नेशनल ट्रेडर्स	06/04/2019	89345.00
4	बिना वर्क आई डी के	जूनियर हाई स्कूल शौचालय मरम्मत		
		शौचालय मरम्मत हेतु भुगतान (नकद अशोक कुमार को)	27/05/2019	30788.00
		योग -		186478.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल शौचालय मरम्मत/ प्राथमिक विद्यालय पहरेमउ रंगई पुताई हेतु कुल रु. 186478.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.186478.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. - 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5		स्ट्रीट लाइट		
	14524762	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी (16नग)	03/04/019	99200.00
	14524707	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी मरम्मत	08/04/2019	55100.00
	14524709	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी (16नग)	16/12/2019	99200.00
		योग -		253500.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु में धैर्य ट्रेडिंग कम्पनी महाराजगंज रायबरेली को कुल रु. 253500-00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय- भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 402932.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है।

क्र० सं०	वर्क आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	14524707	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	03/04/2019	78710.00
	14524707	मजदूरी भुगतान (नकद अशोक कुमार को)	09/05/2019	31850.00
	14524708	मजदूरी भुगतान (नकद अशोक कुमार को)	09/05/2019	16380.00
	14524707	मजदूरी भुगतान (नकद अशोक कुमार को)	27/05/2019	14972.00
	14524707	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	15/06/2019	61020.00
	14524776	राहुल हार्डवेयर	12/12/2019	78710.00
	14524776	श्री राम कुमार मजदूरी	24/12/2019	56440.00
	14524776	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	16/01/2020	64850.00
		योग -		402932.00

किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पो की एक ग्रुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क) " में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व ग्रा. पं. वि. अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आईडी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
8	19411238	खडंजा मरम्मत-राजबहादुर के घर से रामगोपाल के घर तक		
		मजदूरी अशोक कुमार को भुगतान	03/08/2019	25480.00
9	19411237	खडंजा मरम्मत रामदास के घर से रामसुमेर के घर तक		
		मजदूरी अशोक कुमार को भुगतान	03/08/2019	23660.00
		योग -		49140.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा मरम्मत हेतु केवल मजदूरी कुल रु.49140.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउचर्ड भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईट हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 49140.00 सदृग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन

मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व गा.पं. वि. अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रिबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 87510.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2	14524777	हैण्डपम्प रिबोर		
		श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	04/07/2019	87510.00

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
10	14524711	मानदेय प्रधान	08/01/2020	35000.00
11	14524710	अन्य		
		राहुल हार्डवेयर कुर्सी मेज दरा	04/04/2019	42500.00
		डोंगल बनवाई	16/04/2019	1100.00
		योग -		78600.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा.नि.-1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्यों हेतु कुल रु. 78600.00 (प्रधान मानदेय 35000.00, राहुल हार्डवेयर कुर्सी मेज दरा-42500.00, डोंगल - 1100.00) व्यय - भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल- वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाजुद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 78600.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
7	14524775	कूड़ादान-अभी0 इन्टरप्राइजेज	29/07/2019	74400.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान कुल रु. 74400- 00 को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा व्यय-प्रमाणक- बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग

किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूंकि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण-कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 74400-00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जा अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
10	20037490	कूपमरम्मत-पीपल के पास डिडौली में		
		ईट व गिटटी	16/12/2019	24570.00
		सीमेंट मोरंग	16/12/2019	15652.00
		मजदूरी	09/01/2019	8624.00
		योग -		48846.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही/बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद से कूप मरम्मत हेतुकुल रु. 48846.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो/बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 48846.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व ग्रा. पं. वि. अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
11	17448441	खडंजा निर्माण-रामकेल के घर से हिमकर के घर तक		
		ईट क्रय	16/12/2019	160650.00
		मजदूरी	09/01/2020	7196.00
12	20037471	खडंजा निर्माण-रघुनाथन के घर से हृदय के घर तक		
		ईट क्रय	16/12/2019	74025.00
		मजदूरी	09/01/2020	24822.00
		योग -		266693.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा निर्माण हेतुकुल रु. 266693.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 266693.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	14833012	एस0आर0 ट्रेडर्स	13/12/2019	65317.00
		योग -		65317.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.65317.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी. पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक गुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पू. सं. 36 के पैरा-8 (क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व गा.पं. वि. अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2		हैण्डपम्प रिबोर		
	148333011	एस0आर0 ट्रेडर्स	16/01/2020	74340.00
	17448451	एस0आर0 ट्रेडर्स	16/01/2020	21184.00
	17448451	एस0आर0 ट्रेडर्स	16/01/2020	65981.00
	14833011	एस0आर0 ट्रेडर्स	16/01/2020	26067.00
	14833011	एस0आर0 ट्रेडर्स	16/01/2020	76290.00
	14833011	एस0आर0 ट्रेडर्स	16/01/2020	16748.00
		योग -		280610.00

वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रिबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 280610.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, टेन्डर, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र, रिबोर योग हैण्डपम्पों की सूची तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पू.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व गा. पं. वि. अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि

7	20037474	नाली निर्माण-बुढियामाता मंदिर से नाला तक		
		ह्यूम क्रय	13/12/2019	38237.00
		ईट व गिटटी	16/12/2019	17010.00
		सीमेंट मोरंग	16/12/019	17075.00
8	17448430	नाली निर्माण-अवधेश के घर से रघुनाथन के घर तक		
		ह्यूम क्रय	13/12/2019	8528.00
		ईट व गिटटी	16/12/2019	83254.00
		सीमेंट मोरंग	16/12/019	63649.00
		मजदूरी	10/01/2020	36288.00
9	17448426	नाली निर्माण-अनिल दीक्षित के घर से नाला तक		
		ह्यूम पाइप क्रय	13/12/2019	17057.00
		ईट व गिटटी	16/12/2019	22916.00
		सीमेंट मोरंग	16/12/019	20397.00
		मजदूरी	09/01/2020	13482.00
		योग -		337893.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से नाली निर्माण हेतुकुल रु.337893.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय - प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपत्र प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 337893 -00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
3	14832967	इन्टरलाकिंग-देशराज के घर से गुड्डू चौहान के घर तक		
		मजदूरी	03/08/2019	35910.00
		शिव इन्टरप्राइजेज इ0ला0ईट0	03/08/2019	99120.00
4	14832973	इन्टरलाकिंग-बाबूलाल के घर से चौकीदार के घर तक		
		मजदूरी	03/08/2019	35910.00
		शिव इन्टरप्राइजेज इ0ला0 ईट	03/08/2019	49560.00
5	14832972	इन्टरलाकिंग-रामशंकर के घर से बुदी लाल के घर तक		
		शिव इन्टरप्राइजेज इ0ला0 ईट	03/08/2019	99120.00
		मजदूरी	03/08/2019	49938.00
6	20037491	इन्टरलाकिंग-रामपुर रोड से बरगद के पेड तक		
		चौहान इंफ्रा सप्लायर्स	15/01/2020	346920.00
		योग -		716478.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से इंटरलाकिंग निर्माण हेतुकुल रु. 716478.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली- यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल मजदूरी व इंटरलाकिंग ईंट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री यथा- सीमेंट, मोरंग, ईंट आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलाकिंगनिर्माण हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.716478.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
13		अन्य व्यय		
	14833016	ग्राम पंचायत में विज्ञापन हेतु	02/02/2019	5000.00
	14833014	श्लोगन लिखाई (कान्हा गोशाला अन्य)	03/08/2019	30030.00
	14833016	डोंगल बनवाई	12/10/2019	1100.00
		योग -		36130.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु.36130.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली- यथा-व्यय- प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय - भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 36130.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम सिंह व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विज्ञवन विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	15513570	मजदूरी-राम समुझ के	04/05/2019	30000.00
	15513366	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	22/07/2019	78250.00
	20908846	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	26/02/2020	68166.00
	20908846	मजदूरी राम समुझ के	03/03/2020	28560.00
	20908846	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	07/03/2020	52210.00
	20908846	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	30/03/2020	54240.00
		योग -		311426.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.311426.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर.

जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आई. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई. डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विज्ञवन विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2	15513405	इन्टरलाकिंग पक्की रोड से मंदिर तक		
		मजदूरी	03/04/2019	6825.00
		आर०एस० इन्टरप्राइजेज	26/04/2019	13150.00
3	15513396	इन्टरलाकिंग हीरालाल पासी के घर से रघुबर के घर तक		
		मजदूरी	01/08/2019	40950.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ०ला० ईट	01/08/2019	89208.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ०ला० ईट	01/08/2019	89208.00
		मजदूरी	03/08/2019	40950.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ०ला० ईट	03/08/2019	67730.00
		बाबा ब्रिक फील्ड ईट क्रय	03/08/2019	20979.00
4	15513401	इन्टर लाकिंग-नहर से राम केवल के घर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इ०ला० ईट	01/08/2019	54516.00
		साहिल टाइल्स उद्योग इ०ला० ईट	02/08/2019	67022.00
		मजदूरी	03/08/2019	23374.00
5	20908841	इन्टरलाकिंग-नसीर के घर से जुबेर के घर तक		
		साहिल टाइल्स उद्योग इ०ला०ईट	26/02/2020	41630.00
		आदर्श इंजीनियरिंग-सीमेंट मोरंग	26/02/2020	18531.00
		हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज ईट व ईट गिटटी	07/03/2020	15876.00
		योग -		589949.00

आलोच्य वर्ष में कोषही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से हेतुकुल रु. 589949.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक- कैशमैमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 589949.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विज्ञवन विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि

10	बिना वर्क आई0डी0 के	कूड़ादान क्रय		
		वीरेंद्र कुमार को	03/04/2019	38500.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान कुल रु. 38500.00 श्री श्याम इन्टर प्राइजेज को व्यय- भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेखलेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही अतएव कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु.38500.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विझवन विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
6	15513381	खडंजा निर्माण-पक्की सड़क से रज्जनपाल के घर तक		
		बाबा विश्वनाथ ब्रिक फील्ड	23/07/2019	60900.00
		मजदूरी	03/08/2019	9338.00
		योग -		70238.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा मरम्मत एस एस ब्रिक फील्ड से ईट क्रय हेतु कुल रु.70238.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, व्यय-प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाजुद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अ. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विझवन विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
7	17883719	नाली निर्माण-भूमिगत-पक्की रोड से छोटेलाल के घर तक		
		मजदूरी	22/07/2019	18564.00
8	15513397	नाली निर्माण-मंदिर से गंगाराम के घर तक		
		आदर्श इंजीनियरिंग-सीमेंट मोरंग आदि	10/02/2020	31290.00
		मजदूरी	24/02/2020	10920.00
		मजदूरी मिस्त्री	24/02/2020	4900.00
		विमला श्री ब्रिक फील्ड	24/02/2020	32319.00
		हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज हयूम पाइप क्रय	07/03/2020	10719.00
9	20908840	नाली निर्माण-रजुलू के घर से मोती के घर तक		
		मजदूरी	07/03/2020	31472.00
		आदर्श इंजीनियरिंग-सीमेंट मोरंग	07/03/2020	88061.00
		हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज ईट व ईट गिटटी	07/03/2020	78340.00

	योग -	306585.00

-आलोच्य वर्ष में कोषबही/ बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से नाली निर्माण हेतुकुल रु.306585.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 306585.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विझवन विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
11	17883718	गेट-आदर्श इंजीनियरिंग-गौशाला में लगे गेट	01/07/2019	35000.00
18		मानदेय		
	15513376	मानदेय प्रधान	08/05/2019	42000.00
	20908844	मानदेय प्रधान	26/02/2020	21000.00
19	15513365	पिनाकल फाइन सर्व डोंगल बनवाई	12/06/2019	2200.00
20	15513365	प्रियासाफ्ट भूपेन्द्र को	20/08/2019	5000.00
21	15513389	रामफेर को श्लोगन लिखाई	24/02/2020	2500.00
		योग -		107700.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही/ बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु. 107700.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा- व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.107700.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी. जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क) " में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विझवन विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
12	15513406	ह्यूम पाइप क्रय		
		शिव इन्टरप्राइजेज	20/07/2019	73914.00
		शिव इन्टरप्राइजेज	20/07/019	73914.00
		योग -		147828.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से ह्यूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 147828.00 अभी/ हिंदुस्तान इन्टर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय- प्रमाणक - बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही । चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया हैं । अतएव कैशबुक में ह्यूम पाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 147828.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण

धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विज्ञवन विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
13	17883720	जूनियर स्कूल में शौचालय मरम्मत जेतुआ		
		आर०एस० इन्टरप्राइजेज सीमेंट मोरंग	22/07/2019	19256.00
14	15513405	प्राथमिक विद्यालय मरम्मत-जेतुआ		
		बाबा विश्वनाथ ब्रिक फील्ड	23/07/2019	24360.00
		योग -		43616.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही/बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से कुल रु. 43616.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में सामग्री ही क्रय किया जाना दर्शित है तथा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसारनिर्माण कार्य में दर्शितव्य भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 43616.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विज्ञवन विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
15	17883721	कूप मरम्मत		
		आदर्श इंजीनियरिंग सीमेंट मोरंग गिटटी	23/07/2019	41141.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से कूप मरम्मत हेतुकूल रु. 41141.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय- प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईट दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 41141.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे विज्ञवन विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं०

क्र० सं०	वर्क आई०डी०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
16	20908845	सोकपिट-प्राथमिक विद्यालय जेतुआ		
		मजदूरी	07/03/2020	2324.00
		ईट-हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	07/03/2020	6804.00
		सीमेंट मोरंग आदर्श इंजीनियरिंग	07/03/2020	8906.00
17	20908845	सोकपिट-जूनियर स्कूल जेतुआ		

		हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज ईट क्रय	07/03/2020	6804.00
		आदर्श इंजीनियरिंग सीमेंट मोरंग	07/03/2020	8621.00
		मजदूरी	07/03/2020	2324.00
		योग -		35783.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा.नि.-1 के अनुसार-राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद से स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु कुल रु. 35783.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि.कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 35783.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमलता व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2		हैण्डपम्प रिबोर		
	15513428	अभी इन्टरप्राइजेज (रिबोर)	07/11/2019	25900.00
	15513428	साहिल टाइल्स उद्योग (रिबोर)	21/01/2020	25217.00
	15513428	साहिल टाइल्स उद्योग (रिबोर)	21/01/2020	26750.00
	15513428	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज (रिबोर)	04/02/2020	27280.00
	13513444	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज (रिबोर)	07/03/2020	23880.00
	13513444	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज (रिबोर)	07/03/2020	24251.00
		योग -		153278.00

वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रिबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 153278.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय- प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी रिबोर योग हैण्डपम्पों की सूची व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्के हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला व गा.पं. वि. अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5	15513432	खडंजा निर्माण-रामेश्वर के घर से राममिलन के घर तक		
		त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड	16/12/2019	47250.00
		जय प्रकाश को मिटटी	28/01/2020	3500.00
6	15513437	खडंजा निर्माण-गोपाल के घर से विश्वनाथ के घर तक		
		त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड	16/12/2019	21000.00

		जय प्रकाश को मिट्टी	28/01/2020	1500.00
7	15513436	खडंजा निर्माण-मेन रोड से बाउवा चमार के घर तक		
		त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड	16/12/2019	60375.00
		जय प्रकाश को मिट्टी	28/01/2020	4500.00
8	1513434	खडंजा निर्माण-माता प्रसाद के घर से पट्टु के घर तक		
		कान्हा ब्रिक फील्ड	24/01/2020	54600.00
		योग -		192725.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा निर्माण हेतुकुल रु. 192725.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल मिट्टी व ईंट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का व्यय भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार मिट्टी व ईंट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 192725.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला व ग्रा. प. वि. अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	15513427	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	06/07/2019	69920.00
	15513427	जयप्रकाश यादव (प्रधान) मजदूरी	12/07/2019	14280.00
	15513440	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	07/11/2019	19328.00
	19635959	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	16/11/2019	48210.00
	19635959	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	24/12/2019	49510.00
	19635959	श्री दुर्गाशंकर को एच0पी0 मरम्मत मजदूरी	07/03/2020	8568.00
		योग -		209816.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 209816.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पो की एक गुप आठू. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		ह्यूमपाइप क्रय		
	15513426	शिव इन्टरप्राइजेज ह्यूम पाइप	15/07/2019	61678.00
	19635963	अभी इन्टरप्राइजेज	21/11/2019	92180.00
	19635963	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	21/01/2020	72650.00
	19635963	साहिल टाइल्स उद्योग	30/03/2020	21500.00
		योग -		248008.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से ह्यूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 248008.00 अभी/हिंदुस्तान इन्टर प्राइजेज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय-प्रमाणक- बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में ह्यूम पाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 248008.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
4		स्ट्रीट लाइट क्रय		
	15513425	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	18/07/2019	48000.00
	19635965	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	24/12/019	57600.00
		योग -		105600.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश-व्यवस्था में - एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु कुल रु. 105600.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक- बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
9		मानदेय (प्रधान)		
		श्रीमती सुशीला	12/02/2020	21000.00
10	15513420	अन्य व्यय		
		पिनाइकल फाइनसर्व	12/06/2019	1100.00
		प्रियासाफ्ट भूपेन्द्र को	20/07/2019	5000.00
	नोट	कैशबुक में अंकित नहीं	30/03/2020	23750.00

			योग -	50850.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्य हेतुकुल रु.50850.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में पत्रावली- यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाज्जद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये। गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 50850-00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशीला व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5	17492797	नाला सफाई की मजदूरी (प्रधान को) भुगतान	15/07/2019	20020.00
6	15523149	खडंजा निर्माण-मेन रोड से मंदिर तक		
		मजदूरी प्रधान को भुगतान	02/08/2019	26574.00
		मां विंदवासिनी ब्रिक फील्ड	03/08/2019	63000.00
7	15523158	खडंजा निर्माण-डामर रोड से अशोक यादव के घर तक		
		मां विंदवासिनी ब्रिक फील्ड	28/01/2020	63504.00
8	20588720	खडंजा निर्माण-मेन रोड से रामदास के घर तक		
		मां विंदवासिनी ब्रिक फील्ड	28/01/2020	126420.00
		योग -		299518.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से खडंजा मरम्मत/खडंजा निर्माण/ नाला सफाई ईट क्रय हेतु कुल रु. 299518.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म.रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय-प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाज्जद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय - भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईट हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 299518.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2	15523161	हैन्डपम्प रिबोर		
		साहिल टाइल्स उद्योग	21/01/2020	25715.00
		आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	30/03/2020	28600.00
		आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	03/03/020	29260.00
		योग -		83575.00

-आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रीबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु.83575.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राकलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रीबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथास्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	15523141	मजदूरी नकद (प्रधान)	20/07/2019	14560.00
	15523141	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	20/07/2019	52350.00
	15523161	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	12/12/2019	52600.00
	15523160	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	24/12/2019	48990.00
		योग -		168500.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 168500.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राकलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर.जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आठू. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
3		स्ट्रीट लाइट		
	15523144	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	20/07/2019	48000.00
	15523138	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी मरम्मत	24/12/2019	30000.00
		योग -		78000.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में- एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु कुल रु. 78000.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की

पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	15523139	ह्यूम पाइप क्रय		
		अभी0 इन्टरप्राइजेज	09/12/2019	75901.00
		आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	30/03/2019	42648.00
		योग -		118549.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से ह्यूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 118549.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय- प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया हैं। अतएव कैशबुक में ह्यूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 118549.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
9	15523140	अन्य		
		मौर्यी ट्रेडिंग को-कुर्सी मेज	12/07/2019	18000.00
		प्रिया साफ्ट भूपेन्द्र को भुगतान	20/07/019	5000.00
		योग -		23000.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंक खाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्यो हेतुकुल रु. 23000.00 (मौर्यी ट्रेडिंग को कुर्सी मेज हेतु रु० 18000.00, प्रिया साफ्ट (भूपेन्द्र को) -5000.00) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो/बिल- वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय - भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.23000.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2018-19 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 1,56, 115-00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं. आर. जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर

अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आठ. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय-भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीजय प्रकाश तिवारी व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोही प्रा.नि. 1 के अनुसार राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 86135.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं. आर. जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार जी. पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आ. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" यी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीजय प्रकाश तिवारी व गा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

5. आलोच्य वर्ष 2018-19 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार रा. वि./ 14वां वित्त आयोग मद से कायाकल्प हेतु निम्न 'विवरणानुसार कुल रु. 3,39,421-00 व्यय भुगतान दर्शित है:-

क्र.	बाउ./चेकसं./ दिनांक	व्यय-विवरण	धनराशि	अभ्यु.
1		बाउंड्रीवाल मरम्मत-सामग्री क्रय-सतनाम ट्रेडर्स ,, ,, ,,	8560.00	
	34/21-06-18	,, ,, ,,	9610.00	
	40/14-08-18	,, ,, ,,	13150.00	
	41/29-08-18	,, ,, ,,	132850.00	
	42/30-08-18	पेंट्स आदि ए.बी. ट्रेडर्स	72906.00	
	39/13-07-18	टायल्स क्रय-जय ट्रेडर्स	6615.00	
	40/16-07-18	मजदूरी-टायल्स कार्य	39380.00	
	38/19-07-18	मजदूरी-बाउंड्रीवाल	12425.00	
	53/11-02-19	मजदूरी-शौचालय	15750.00	
	54/20-02-19		28175.00	
		कुल योग -	339421.00	

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:- 1. पं. राज अनुभाग-1 के शासनादेश सं. : 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 ब के अनुसार रा. वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के सम्बन्ध में रु. 2.00 लाख की सीमा तक कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, और कार्ययोजनाओं को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रु.2.00 लाख से 2.50 लाख तक सहायक वि.अधि.प.द्वारा, रु. 2.50 लाख से 5.00 लाख तक जि.पं.राज अधि. तथा रु. 5.00 लाख से रु.10.00 लाख या ऊपर जिलाधिकारी/जि.पं. द्वारा होनी आवश्यक है। किन्तु अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्धारित सीमा के अनुसार सक्षम अधिकारी से वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए, कार्ययोजनाओं को टुकड़ों में विभाजित करके, इसे रु. 2.00 लाख की सीमा के अन्दर रखा गया है, तथा सक्षम अधिकारी से वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी है, और इकाई स्तर पर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतएव प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 1 एवं शासनादेश सं.- ए.-1-864/दस-08-015 (1) 86 दिनांक 29.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु किसी भी निर्माण सामग्री क्रय के क्रम में रु. बीस हजार से अधिक व रु. एक लाख तक "कोटेशन" तथा रु. एक लाख से अधिक पर "टेण्डर" प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। किन्तु उक्त की जाच में पाया गया कि निर्माण सामग्री क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन/ टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार इकाई स्तर पर नियमों का पालन न करके, गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतएव प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

वर्ष 2018-19 में कैशबुक ग्रा. नि. -1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश- व्यवस्था मे-एल.ई.डी.- स्ट्रीटलाइट हेतु वाउ. सं. - दिनांक 24-07-2018 चेक सं. 39 द्वारा रु. 48,000-00, वाउ.सं.- / दिनांक 04-08-2018 द्वारा रु. 48,000-00, वाउ.सं.-/ दिनांक 28-09-2018 चेक सं.-43 द्वारा रु. 43,250-00 तथा वाउ.सं.../ दिनांक 08-10-2018 चेक सं. 45 द्वारा रु. 58,000-00 इस प्रकार कुल रु. 1,97,250-00 में धैर्य ट्रेडिंग कम्पनी महाराजगंज रायबरेली को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय प्रकाश तिवारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से इंटरलाकिंग हेतु-2 'विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार कुल रु. 2,49,629-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है:-

क्र.	बाउ./चेकसं./ दिनांक	व्यय-विवरण	धनराशि	अभ्यु
1	पी.एफ.एम.एस./12-12-19	इंटरलाकिंग-पक्की रोड से जागेश्वर के घर तक- सीमेंट-मोरंग क्रय	20764.00	केवल निर्माण
	,, ,, /23-12-19	,, ,, ,, ईट-गिटटी आदि क्रय	13608.00	सामग्री क्रय,
	,, ,, /16-01-20	,, ,, ,, इंटरलाकिंग ईट क्रय	92677.00	मजदूरी भुगतान नहीं
		कुल योग -	127049.00	
2		इंटरलाकिंग-किशन के घर से रज्जोके घर तक- सीमेंट-मोरंग क्रय		केवल निर्माण
	,, ,, /12-12-19	,, ,, ,, ईट-गिटटी आदि क्रय	20597.00	सामग्री क्रय,
	,, ,, /23-12-19	,, ,, ,, ईट-गिटटी आदि क्रय	13891.00	मजदूरी भुगतान नहीं
	,, ,, /12-12-19		88092.00	
		कुल योग -	122580.00	
		सम्पूर्ण योग -	249629.00	

किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतानों के सम्बन्ध में नि. कार्य-पत्रावलियां यथा व्यय प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका, फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजुद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल निर्माण सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में मजदूरी हेतु कोई भी व्यय-भुगतान नहीं हुआ है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलाकिंग हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि कुल रु.2,49,629- 00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय प्रकाश तिवारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक ग्रा.नि.-1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में एल.ई.डी. स्ट्रीटलाइट हेतु वाउ. / चेकसं. - 558963 दिनांक 31-07-2019 द्वारा कुल रु. 20,175-00 में धैर्य ट्रेडिंग कम्पनी महाराजगंज रायबरेली को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उस की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा व्यय-प्रमाणक-बिल वाउपुर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, वारन्टी तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय प्रकाश तिवारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री सतेंद्र सिंह चौहान से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत-परिगवां विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2018-19 में कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु वाउ.--- / दिनांक- 13-08-2018 चेक सं. 45 द्वारा कुल रु. 71,570-00 जे. एम. डी. इंडस्ट्रीज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक- बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार - एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 71,570.00 के औचित्य की पुष्टि की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पृथ्वी सिंह व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1		हैण्डपम्प मरम्मत		
	13819874	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	20/07/2019	58925.00
	13819874	मजदूरी नकर (प्रधान)	18/07/2019	14560.00
	13819874	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	03/08/2019	52000.00
	13819857	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	25/11/2019	42600.00
		योग -		168085.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 168085.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमैमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं.- आर. जी. एस. ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी.पी.डी.पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक गुप आठ. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
2		हैण्डपम्प मरम्मत		
	13819875	संगम हार्डवेयर	15/07/2019	46210.00
	19411235	धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	24/12/019	44000.00
	13819856	एम0एस0 संगम हार्डवेयर	24/01/2020	27750.00
	13819856	एम0एस0 संगम हार्डवेयर	27/01/2020	23650.00
		योग -		141610.00

वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त/14वां वित्त आयोग मदसे हैण्डपम्प रीबोर आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 141610.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रीबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
3	13819845	स्ट्रीट लाइट क्रय		
		धैर्य ट्रेडिंग कंपनी	04/07/2019	48000.00

आलोच्य वर्ष में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त एवं 14वां वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था में- एल.ई.डी. - स्ट्रीटलाइट हेतु कुल रु. 48000.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन / टेण्डर, वारन्टी, तथा स्थलवार स्थापना- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
4	13819879	कूड़ादान क्रय		
		अभी इन्टरप्राइजेज	18/07/2019	65000.00
		अभी इन्टरप्राइजेज	03/08/2019	13000.00
		योग -		78000.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान कुल रु. 78000.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा - व्यय- प्रमाणक - बिल- वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग

किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 78000.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
5	13819873	ह्यूम पाइप		
		अभी इंटरप्राइजेज	28/11/2019	72180.00

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से ह्यूम- पाइप क्रय हेतु कुल रु. 72180.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय- प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर, तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में ह्यूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 72180.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
6	20619573	सोकपिट-जूनियर हाईस्कूल ताजपुर		
		शुभम ट्रेडर्स	29/01/2020	9995.00
		विमला ब्रिक फील्ड	19/02/2019	13203.00
		मजदूरी	26/02/2019	4648.00
10	20619573	सोकपिट-प्राथमिक विद्यालय ताजपुर		
		शुभम ट्रेडर्स	29/01/2020	20904.00
		विमला ब्रिक फील्ड	19/02/2019	26171.00
		मजदूरी	26/02/2020	6776.00
		योग -		81697.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही/बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल सोकपिट हेतु कुल रु. 81697.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली - यथा-व्यय- प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 81697.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व गा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि

7	13819863	कूप मरम्मत-प्राथमिक पाठशाला		
		शुभम ट्रेडर्स	29/01/2020	15833.00
		विमला ब्रिक फील्ड	19/02/2019	12946.00
		मजदूरी	26/02/2020	7812.00
8	13819863	कूप मरम्मत-सादन बाबा		
		शुभम ट्रेडर्स	29/01/2020	19544.00
		विमला ब्रिक फील्ड	19/02/2019	13938.00
		मजदूरी	26/02/2020	7476.00
9	13819863	कूप मरम्मत-सोनार की बाग		
		शुभम ट्रेडर्स	30/01/2020	14069.00
		विमला ब्रिक फील्ड	19/02/2019	11945.00
		मजदूरी	26/02/2020	5390.00
		योग -		108962.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से कूप मरम्मत हेतुकुल रु.108962.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजद भी लेखापरीक्षा में जांच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्यय- भुगतान नहीं हुआ है अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0

क्र0 सं0	वर्क आई0डी0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
11	13819862	मानदेय 9/18 से 2/19 तक	29/01/2020	21000.00
12		अन्य		
	13819858	पिनाकल फाइन सर्व (डोंगल बनवाई)	12/06/2019	1100.00
	13819858	आशुतोष यादव प्रियासाफ्ट	18/07/2019	5000.00
	13819869	वाल पेंटिंग प्रधान को	25/07/2019	10000.00
	13819878	रामफेर श्लोगन लिखवाई	19/02/2019	3000.00
		योग -		40100.00

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्यों हेतुकुल रु. 40100.00 (प्रधान मानदेय 21000.00, वाल पेंटिंग 10000.00, डोंगल - 1100.00, प्रिया साफ्ट-5000.00, स्लोगन - 3000.00) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली - यथा-व्यय- प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन व कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के वाउजद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.40100.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अतीक अहमद से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत-अटौरा खुर्द विकास खण्ड-सतांव आपत्ति सं0-6

6.ग्राम पंचायत अटौरा खुर्द के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रुपये 1229234.00 का व्यय किया गया है।

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत-अटौरा खुर्द विकास खण्ड-सतांव आपति सं0-6

6.ग्राम पंचायत अटौरा खुर्द के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रुपये 1229234.00 का व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राक्कलन), तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि(एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 26.10.2020 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही,बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क के अनुसार (“यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि 1229234.00 की ब्याज सहित वसूली लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार तत्कालीन प्रधान एवं सचिव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत-जगजीवनपुर अमरिया विकास खण्ड-सतांव आपति सं0

6.ग्राम पंचायत जगजीवनपुर अमरिया के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से रुपये 776657.00 का व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राक्कलन), तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि एवं उक्त (कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर उपलब्ध नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी को समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 26.10.2020 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी पंचायत से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों उपलब्ध कराने को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां अनुपलब्ध रहे तत्पश्चात लेखा परीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराय गए इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया व्यय अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8(क के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः /अभिलेख : कार्य पत्रावलियों की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत व्यय/अभिलेख कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय/धनराशि रु0 776657.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत-मनिहरशर्की विकास खण्ड-जगतपुर आपति सं0

1-निम्नानुसार आहरित धनराशियों का रोकड वही में ना तो अंकन ही किया गया है और न ही उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जा सका जो वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के विपरीत रहा।

क्र0 सं0	दिनांक	चेक सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	03/04/19	157	कामटैक्स इंडिया	2200.00
2	06/04/19	160	त्रिभुवन सिंह	25375.00
3	06/04/19	161	अमित इन्टरप्राइजेज	42058.00
4	18/04/19	164	त्रिभुवन सिंह	27515.00

5	18/04/19	163	शिव प्रसाद	22968.00
6	23/04/19	165	जानकी ब्रिक फील्ड	11460.00
7	29/04/19	162	ट्रांसफर	70914.00
8	30/04/19	167	द्विवेदी मशीनरी स्टोर	91500.00
9	02/05/19	166	अमित इन्टरप्राइजेज	31225.00
			योग -	325215.00

स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार व्यक्तियों/फर्मों के माध्यम से धन का अपहरण किया गया है। लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8-क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री अवध विहारी बाजपेई से समान रूप से किए जाने के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

2- माह अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक कुल आहरित धनराशि 861212-00 की प्रविष्टि भी को कोषवही के आय एवं व्यय दोनों पक्षों में नहीं की गई है और न ही आहरित धनराशियों • व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ पत्रावली ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जा सका जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के विपरीत रहा। स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण किया गया है। लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8,क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री चित्रांशु सिंह से समान रूप से किए जाने के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत-मनोहरगंज विकास खण्ड-जगतपुर आपत्ति सं०

1- दिनांक 19-07-2019 को चेक संख्या 130 से रु 10750-00 का आहरण ग्राम प्रधान पिन्की देवी के नाम से हुआ है व उक्त धनराशि कुर्सी मेज दरा खरीद हेतु व्यय कोशांकित किया गया है जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा (5) के अनुसार रु० 5000-00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जो गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत-मनोहरगंज विकास खण्ड-जगतपुर आपत्ति सं०

2- आलोच्य वर्ष 2019-20 में उपरोक्तानुसार कैशबुक ग्रा. नि. 1 के अनुसार- राजवित्त/ 14वां वित्त आयोग मद से हयूम-पाइप क्रय हेतु कुल रु० 96657-00 जे०एम०डी० इण्डस्ट्रीज को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक-बिल-वाउचर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन तथा स्थलवार-एम.बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूँकि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण-कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु० 96657-00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8 क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान पिन्की देवी व ग्रा.पं.अधि. श्री अवध विहारी बाजपेई से समान रूप से किए जाने का प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत-बैरीहार विकास खण्ड-जगतपुर आपत्ति सं०

दिनांक 05.07.2019 को चेक संख्या 43 से रु० 14000.00 प्रधान को मानदेय दिया गया है उक्त मानदेय 14 वे वित्त से वाउचर सं एफएफसी/2019-20/पी/3 से दिया गया है जो गाइडलाइन के विपरीत रहा। मानदेय राज्य वित्त से ही दिये जाने का प्राविधान है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत-शंकरपुर विकास खण्ड-जगतपुर आपत्ति सं०

आलोच्य वर्ष 2019.20 में कैशबुक ग्रा.नि.-1 के अनुसार- राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद से हयूम-पाइप क्रय हेतु कुल रु० 124670.00 को व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक-बिल-वाउचर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार-एम.बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूँ कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में

इनके उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान की कुल धनराशि रु. 124670.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में ब्लेखा मैनुअल पृ.सं.-36के पैरा-8,क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शान्ती व गा.पं.अधि. कौशल कुमार से समान रूप से किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

-आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से खड़जा निर्माण/मरम्मत कुल रु. 1567367.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक- कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन /टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच / पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल श्रम एवं सामग्री पर व्यय किया जाना दर्शित है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार कार्य हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 1567367.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.-36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व गा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-122 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

-आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप क्रय हेतु कुल रु. 230969-00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय- प्रमाणक - बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन/ टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है। अतएव कैशबुक में हयूमपाइप क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 230969.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क) " में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व गा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कैशबुक गा. नि. 1 के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से कूड़ादान एवं सफाई किट पर क्रमश रु. 45500.00 एवं 41250.00 इसप्रकार कुल रु 86750.00 व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- व्यय-प्रमाणक-बिल वाउचर, सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कोटेशन / टेण्डर तथा स्थलवार- एम. बी. व फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसके ग्राम पंचायत में आने व उपयोग किये जाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चूं कि आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में किसी भी कार्य में इनका उपयोग नहीं किया गया है । अतएव कैशबुक में क्रय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि रु. 86750.00 के औचित्य की पुष्टि न की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जयकिशन गा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही गा. नि. 1के अनुसार- राजवित / 14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प रीबोर आदि हेतु. विभिन्न तिथियों में कुल रु. 55150.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक - कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या

51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषबही ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प मरम्मत आदि हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु. 447800.00 का व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं. आर. जी.एस.ए./197/2019 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार - जी. पी. डी. पी. की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु. बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आर्. डी. बनाकर, कार्य सम्पादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों / निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. अथवा इससे अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से वाउ. सं. 10 दि. 02-08-2019 चेक सं. 131,132, 133, 134 व 135 द्वारा इंटरलाकिंग निर्माण सामग्री एवं श्रम हेतु कुल रु. 576191.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य-पत्रावली-यथा-व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो/बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/ टेण्डर, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित निर्माण सामग्री यथा-सीमेंट, मोरंग, ईट-गिट्टी व मजदूरी आदि हेतु व्यय भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलाकिंग कार्य हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 576191.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क) " में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

'आलोच्य वर्ष में कोषबही / बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद प्रशासनिक कार्यों हेतुकुल रु. 35000.00 (प्रधान मानदेय) व्यय-भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में पत्रावली, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच- समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 35000.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व ग्रा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-127(1) ग्राम पंचायत-मेडौली विकास खण्ड-खीरों आपति सं0

आलोच्य वर्ष में कोषबही/ बैंकखाता ग्रा. नि. 1 के अनुसार राजवित्त / 14वां वित्त आयोग मद से स्कूल बेंच / सीमेन्ट बेंच क्रय हेतु कुल रु. 682098.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान के सम्बंध में नि. कार्य- पत्रावली-

यथा-व्यय-प्रमाणक कैशमेमो / बिल वाउचर्स व म. रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर, माप-पुस्तिका व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय- भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 682098.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जय किशन व गा.पं.वि.अधि. श्री पवन कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत-बगहा विकास खण्ड-सलोन आपति सं0

ग्राम पंचायत द्वारा विगत वर्ष 2018-19 में रु 2418000.00 व आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 03.04.19 को चेक संख्या 238 के माध्यम से रु 72000.00 का अंतरण (transfer) एस.बी.एम. के खाता संख्या 01/28008 में किया गया। इसप्रकार कुल रु 2490000.00 खाता प्रथम से एस.बी.एम. के खाते में वापस किया गया किन्तु इकाई द्वारा कुल प्राप्त धनराशि 2586000.00 के सापेक्ष केवल रु 2490000.00 ही एस.बी.एम. के खाते में वापस किया गया। शेष धनराशि रु 96000.00 को आलोच्य वर्ष 2019-20 में एस.बी.एम. के खाते में ना वापस करके खाता प्रथम के विविध मदों में व्यय कर दिया गया। जिला स्वच्छता समिति द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग शौचालय निर्माण में ही किया जाना चाहिए था ना की किसी अन्य मद में। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनेतर व्यय करके शौचालय निर्माण की शेष धनराशि रु 96000.00 का दुर्विनियोग किया गया है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क (" में दी गयी व्यवस्थानुसार धनराशि रु 96000.00 को दुर्विनियोग का प्रकरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती विमला व ग्राम वि अधि श्री सुनील भास्कर के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत-ममुनी विकास खण्ड-सलोन आपति सं0

1- मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट क्रय किसी रजिस्टर्ड फर्म/ इंटरप्राइस या अधिकृत विक्रेता से ना करके संबंधित ग्राम विकास अधिकारी श्री सितांशु प्रकाश से किया गया है। सितांशु प्रकाश न तो कोई रजिस्टर्ड फर्म हैं और ना अधिकृत विक्रेता।
 2- क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका में अंकन नहीं किया गया है।
 3- स्ट्रीट लाइट क्रय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
 4- ग्राम पंचायत द्वारा टेन्डर प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।
 5- अनधिकृत व्यक्ति से क्रय करके जी एस टी के रूप में मिलने वाले राजस्व की भी हानि हुई है।
 6- उक्त की पुष्टि अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा- बिलवाउचर- सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व वारन्टी, तथा स्थलदार स्थापना व एम.बी. फोटोग्राफी व पूर्ति प्रमाणपत्र तथा विद्युत संयोजन आदि सम्बन्धी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि दर्शित व्यय- भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में आवश्यक व अपेक्षित है।
 उपरोक्त से स्पष्ट है कि संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी व ग्राम विकास अधिकारी सितांशु प्रकाश ने मिलीभगत करके रु 257997.00 का फर्जी स्ट्रीट लाइट क्रय किया है। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क (" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिव देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सितांशु प्रकाश से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा रु 884543.00 की ह्यूमपाइप जल निकासी के निमित्त पटेल सीमेन्ट पाइप एण्ड ब्रिक से क्रय की गई इस संबंध में निम्न लिखित आपतियाँ हैं -

- 1- ह्यूमपाइप अधिष्ठापन के मद में वांछित पारिश्रमिक / मजदूरी का व्यय विवरण कोषांकित नहीं है।
- 2- रु884543.00 का पटेल सीमेन्ट पाइप एण्ड ब्रिक का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 3- माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व फोटोग्राफी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।
4. इकाई द्वारा टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- 5- ह्यूमपाइप कहाँ- कहाँ लगवाई गई, स्थल वार विवरण अप्राप्त रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा केवल स्टॉक क्रय करके रु884543.00 का अपहरण किया गया है। लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 'क' में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व गावि अधि श्री सुनील भास्कर से समान रूप से किए जाने के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपति सं0

1- एक ही तिथि में विभिन्न चेकों से एक ही फर्म पटेल सीमेन्ट पाइप एण्ड ब्रिक को रु 1107228.00 का भुगतान किया गया है जिसके प्रोप्राइटर ग्राम प्रधान के पुत्र श्री परमेश पटेल हैं ।

2- ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किस सामग्री व किस कार्य के निमित्त किया गया है का कोषांकन नहीं है

3- उक्त सम्पूर्ण धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक व निविदा पत्रावली भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की जा सकी ।

लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 'क' में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व ग्रावि अधि श्री सुनील भास्कर से समान रूप से किए जाने के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है ।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

ग्राम पंचायत द्वारा रु 345748.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु सिंह मशीनरी स्टोर को भुगतान किया गया है किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा प्रमाणक-व्यय- वाउचर्स- बिल/कैशमेमो, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार- सूची, मरम्मत मजदूरी व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी. फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं / ए. एस. जी. आर/197/2019- 4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- की तैयार जी.पी. डी. पी. कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है . कि (बीस हजार) 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आई कार्य सम्पादित बनाकर. डी. किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई डी से अधिक की वर्क आई.डी. विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्ययभुगतान किये गये हैं। अतएव कैशबुक में दर्शित कुल व्यय भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं.36 के पैरा-8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व ग्रा श्री .अधि.वि. पं. सुनील भास्कर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कोषवही ग्रा. नि. 1के अनुसार- / राजवित्त 14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प रीबोर हेतु 25.07.19 में कुल रु. 109651.00 व्ययभुगतान किया गया जाना दर्शित है। किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख यथा-व्यय- - बिल/ कैशमेमो प्रमाणक वाउचर्स, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवारसूची, रीबोर मजदूरी व प्रार्थनापत्र, जल प्रबन्धन समिति की अनुमानित स्वीकृति, व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, एम.बी., फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 46 / दिनांक 2015 51/2017/1211/33-3-2017- 19.06. इण्डिया 2017 मार्क हैण्डपम्प रीबोर की गाइडलाइन के अनुसार कैशबुक में दर्शित कुल व्यय- भुगतान की धनराशि के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। किसी कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्राक्कलन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व फोटोग्राफी नहीं प्रस्तुत की जा सकी जिसमें उक्त फर्म व धनराशि से क्रय की गई किसी सामग्री की पुष्टि हो सके । (अतएव स्पष्ट है कि बिना कोई कार्य कराये ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी द्वारा अपने पुत्र की फर्म के माध्यम से फर्जी स्टॉक क्रय पूर्वक सम्पूर्ण धनराशि रु 109651.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील भास्कर उत्तरदायी हैं । लेखा मैनुअल पृ. सं. 36 के पैरा- 8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व ग्रा वि अधि श्री सुनील भास्कर से समान रूप से किए जाने के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।)

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

लेखा परीक्षा में कोषवही के अनुसार दिनांक 29.07.2019 को रु0 95760, रु0 55101 एवं रु0 84364 कुल धनराशि रु0 235225 विवरण हीन एवं प्रमाणकहीन कैशबुक में प्रधान को दिया जाना दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा बिना कोई कार्य कराये उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु 235225.00 का आहरण करके अपहरण किया गया है । अतएव लेखा मैनुअल पृ.सं.36 के पैरा- 8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व ग्रा श्री.अधि.वि. पं. सुनील भास्कर से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

इण्टर लॉकिंग मद में (जगदीश के घर से अमृत लाल के घर तक) दर्शित व्ययभुगतान के सम्बंध में नि-पत्रावली कार्य -प्रमाणक-व्यय-यथा वाउचर्स व - बिल / कैशमेमो रोल तथा म कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीयप्रशासनिका स्वीकृति, कोटेशनटेण्डर /, माप- पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के वाउजूद भी समीक्षा लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार इंटरलॉकिंग हेतु दर्शित व्ययभुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु. 187247.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा- 8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व या श्री.अधि.वि. पं. सुनील भास्कर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

आलोच्य वर्ष में कोषबही नि0 बैंक खाता-1 के अनुसार / राज्यवित्ता - 14वां वित्त आयोग मद से गिरधारी के घर से जमुना के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु दिनांक 29-07-19 को चेक संख्या 420 व चेक संख्या 421 के माध्यम से क्रमशः रु. 157390 चंद्र ब्रिक फील्ड से एवं रु 181784.00 राकेश ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय हेतु व्ययभुगतान किया जाना दर्शाया गया है कि उपरोक्तानुसार दर्शित 'कुल रु.339174.00 व्ययभुगतान के सम्बंध में नि-कार्य. प्रमाणक व्यय पत्रावलियां यथा वाउचर्स व बिल / कैशमेमो मस्टर रोल तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीयप्रशासनिक / स्वीकृति, कोटेशनटेण्डर, माप- पुस्तिका व कार्यपूर्ति अभिलेख प्रमाणपत्र आदि बार- बार मांगे जाने के 'वाउजूद भी लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईंट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित अन्य निर्माण सामग्री व मजदूरी आदि हेतु कोई भी व्ययभुगतान नहीं हुआ - है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईंट हेतु दर्शित व्ययभुगतान की सम्पूर्ण - धनराशि रु339174.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गेंदा देवी व हुप् ग्रा श्री .अधि.वि. पं. सुनील भास्कर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत-दुबहन विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

आपत्तियाँ निम्नवत हैं-

1- भूमिगत नाली निर्माण हेतु दर्शित व्ययभुगतान - के सम्बंध में नि-कार्य. -व्यय-यथा- पत्रावली -प्रमाणक वाउचर्स - बिल / कैशमेमो रोल तथा व म कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्यय- प्राक्लन, वित्तीय प्रशासनिक / स्वीकृति कोटेशन टेण्डर /, मापपुस्तिका - व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अभिलेख आदि बार- बार मांगे जाने के वाउजूद भी - लेखापरीक्षा में जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

2- ह्यूमपाइप क्रय का अंकन स्टॉक पंजिका में नहीं किया गया है

3- उक्त भूमिगत नाली निर्माण कार्यों में ह्यूमपाइप के अतिरिक्त अन्य निर्माण सामग्री यथा- सीमेंट, मोरंग, ईंट व कोई भी व्यय भुगतान- कोषांकित नहीं है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार भूमिगत नाली निर्माण हेतु दर्शित ह्यूमपाइप मद में व्ययभुगतान की सम्पूर्ण धनराशि रु.782905.00 का फर्जी स्टॉक क्रय करके स्टॉक का अपहरण किया गया है। अतएव के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शैल कुमारी व ग्रा. अधि.वि.पं. श्री विमलेश मिश्रा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत-दुबहन विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0

आलोच्य वर्ष में राजवित्त- 14वां वित्त आयोग मद से खड़जा निर्माण हेतु राकेश ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय हेतु कुल रु.705862.00 व्ययभुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शितव्यय- भुगतान के सम्बंध में नि-कार्य. -प्रमाणक-व्यय-यथा- पत्रावली मस्टर रोल वाउचर्स व एम बी बिल / कैशमेमो तथा कार्ययोजनाएं, अनुमानित व्ययनप्राक्ल, वित्तीयप्रशासनिक / स्वीकृति, कोटेशन टेण्डर /, माप- पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख बारबार मांगे जाने के वाउजूद भी लेखापरीक्षा समीक्षा हेतु जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैशबुक के अनुसार समीक्ष्य वर्ष में उक्त निर्माण कार्य हेतु केवल ईंट क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त निर्माण कार्य में कार्टेज व मजदूरी आदि हेतु कोई भी भुगतान नहीं हुआ - है। जिसके बिना उक्त निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैशबुक में उपरोक्तानुसार ईंट हेतु दर्शित व्ययभुगतान की सम्पूर्ण - धनराशि रु 705862.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ.सं. 36 के पैरा-8 (क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शैल कुमारी व ग्रा.अधि.वि.पं.श्री विमलेश मिश्रा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-139 ग्राम पंचायत-ओसाह विकास खण्ड-शिवगढ आपत्ति सं0

01 - उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	26/07/19	107012.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	03/08/19	77000.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	23/12/19	72365.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	23/12/19	4750.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	27/12/19	28100.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	27/12/19	27600.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत	27/01/19	27600.00
	योग -		34424.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु0 344424 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती श्रीमती सुनीता से 172212 सचिव अरुण कुमार से रु0 344424 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-140 ग्राम पंचायत-ओसाह विकास खण्ड-शिवगढ आपत्ति सं0

02 - उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	25/07/19	154795.00
2	ह्यूम पाइप	31/07/19	178552.00
	योग -		333347.00

पाइप मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रु0 से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की

स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त 'प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.333347.00 अरुण कुमार . में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती श्रीमती सुनीता से रु. 166673.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार से रु. 166673.50 . की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत-छतौना विकास खण्ड-सरेनी आपत्ति सं०

ग्राम पंचायत छतौना की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षामें ग्रामपंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां अनुपलब्ध रही --

क्र. सं.	दिनांक	चेक संख्या	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय पत्रावली / प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त
1	09-04-2019	133	20720.00	तिवारी आयरन स्टोर भोजपुर	अप्राप्त
2	23-04-2019	546599	44100.00	अफसाना ब्रिक फील्ड भोजपुर	अप्राप्त
3	23-04-2019	546600	63875.00	राजबहादुर	अप्राप्त
4	23-04-2019	546598	22000.00	लालबहादुर	अप्राप्त
5	29-04-2019	151	44625.00	अफसाना ब्रिक फील्ड भोजपुर	अप्राप्त
		योग	195320.00		

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु 195320.00 काव्यय प्रमाणक व किस कार्य में व्यय किया गया इससे सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां)प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्ययप्रमाणकप्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा मेंअप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8)क (के अनुसार"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0195320.00की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-142 ग्राम पंचायत-कंजास विकास खण्ड-सरेनी आपत्ति सं०

ग्राम पंचायत कंजास की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षामें ग्रामपंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां अनुपलब्ध रही --

क्र. सं.	दिनांक	चेक संख्या	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय पत्रावली / प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त
1	31-05-2019	120	16700.00	दया एगो सेंटर गेगासो	अप्राप्त
2	18-06-2019	137	16630.00	दया एगो सेंटर गेगासो	अप्राप्त
3	18-06-2019	138	16680.00	दया एगो सेंटर गेगासो	अप्राप्त
4	02-07-2019	140	16630.00	दया एगो सेंटर गेगासो	अप्राप्त
5	02-07-2019	141	16680.00	दया एगो सेंटर गेगासो	अप्राप्त
6	02-07-2019	139	16580.00	दया एगो सेंटर गेगासो	अप्राप्त
		योग	99900.00		

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु 99900.00 काव्यय प्रमाणक व किस कार्य में व्यय किया गया इससे सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां)प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्ययप्रमाणकप्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा मेंअप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8)क (के अनुसार“यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु099900. 00की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत-दिलावलपुर विकास खण्ड-डीह आपत्ति सं0

वर्ष 2019-20 दिनांक 01-08-2019 को अवध इंटरप्राइजेज से रुपये 59817.00 हयूम पाइप खरीद पर व्यय किये गए हैं लेकिनइस हयूमपाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये / कुछ भी व्यय नहीं कियागया है. मजदूर के अभाव में किसी भीकार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जासकता है. किन स्थानोंपर या किन किन कार्यों में इस हयूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा दुसरेशब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है.स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं करायागया.हयूम पाइपकी स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं कियागया है।

हयूम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहींकिये जा सके, जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 59817 00.पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क (में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल "के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क (, पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रामपंचायत सचिव व प्रधान से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत-घुरौना विकास खण्ड-महराजगंज आपत्ति सं0

--ग्राम पंचायत घुरौना की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षामें ग्रामपंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय घुरौना में मिट्टी ढुलाई कार्य कराया गया जिसके व्यय के सापेक्ष प्रमाणक/मस्टर रोल व पत्रावलियां अनुपलब्ध रही --

क्र. सं.	दिनांक	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय पत्रावली /

					प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त
1	11-07-2019	प्राथमिक विद्यालय घुरौना में मिट्टी ढुलाई	60878.00	सादाब (चेकसंख्या-155)	अप्राप्त
2	15-07-2019	प्राथमिक विद्यालय घुरौना में मिट्टी ढुलाई	54628.00	अमन कुमार (चेकसंख्या-140)	अप्राप्त
3	16-07-2019	प्राथमिक विद्यालय घुरौना में मिट्टी ढुलाई	32500.00	सादाब (चेकसंख्या-156)	अप्राप्त
		योग	148006.00		

उपर्युक्त कार्य प्राथमिक विद्यालय घुरौना में मिट्टी ढुलाई पर व्यय धनराशि रु 148006.00 के सापेक्ष प्रमाणक/मस्टर रोल व पत्रावलियां अनुपलब्ध रही, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8)क (के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु 148006.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत-कुबना विकास खण्ड-महराजगंज आपत्ति सं0

वर्ष 2019-20 दिनांक 17-12-2019 को गया प्रसाद ट्रेडर्स से रुपये 80032.00 हयूम पाइप खरीद पर व्यय किये गए हैं लेकिन इस हयूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये /कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस हयूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। हयूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है।

हयूम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 80032.00. पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) (में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी “ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु “लेखा मैनुअल” के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी”, के अंतर्गत प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-146 ग्राम पंचायत-मटेहना विकास खण्ड-लालगंज आपत्ति सं0

1-लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्रामनिधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किये गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र. सं	दिनांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	27.05.09	स्टेशनरी क्रय हेतु भुगतान	रामबहादुर	5000.00

2	13.06.19	इंडिया मार्का ॥ मरम्मत हेतु भुगतान	प्रधान राजकिशोर	6000.00
3	04.07.19	प्रा० वि० नया पुरवा शौ० मरम्मत हेतु में ईट	दिलीप कुमार मिश्रा ब्रिक फील्ड	4850.00
4	04.07.19	इंडिया मार्का-॥ मरम्मत में सामग्री हेतु भुगतान	रामा मशीनरी स्टोर	58950.00
5	04.07.19	1 नग ठेलिया स्कूटर पहिया हेतु भुगतान	मे० ओम ट्रेडर्स	13500.00
6	04.07.19	ग्राम प्रधान मानदेय फरवरी से जून 2019 तक (5 माह)	प्रधान राजकिशोर	17500.00
7	16.07.19	संतोष के घर से पुलिया तक नाली निर्माण हेतु	दिलीप कुमार मिश्रा ब्रिक फील्ड	13608.00
8	16.07.19	संतोष के घर से पुलिया तक नाली निर्माण हेतु सीमेंट, मौरंग	मे० ओम ट्रेडर्स	9816.00
9	17.07.19	ह्यूम पाइप हेतु भुगतान	जय महाकाल इन्टरप्राइजेज	42643.00
10	17.07.19	स्टेशनरी एवं फोटो क्रय हेतु भुगतान	राज कुमारी	1500.00
11	17.07.19	प्रियासाफ्ट फीडिंग हेतु भुगतान	बृजेश कुमार यादव	5000.00
12	17.07.19	स्टेशनरी क्रय हेतु भुगतान	मान बहादुर	1500.00
13	23.10.19	इंडिया मार्का-॥ मरम्मत में सामग्री हेतु भुगतान	रामा मशीनरी स्टोर	59550.00
14	23.10.19	इंडिया मार्का-॥ रिबोर हेतु भुगतान	मे० ओम ट्रेडर्स	27350.00
15	23.10.19	इंडिया मार्का-॥ रिबोर हेतु भुगतान	मे० ओम ट्रेडर्स	27257.00
16	25.11.19	नेपाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु	श्री बाजा जी ह्यूम पाइप	26799.00
17	25.11.19	नेपाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु	सचिन, सुमन, सूरज, सोमवती	9098.00
18	25.11.19	रामदेव के खेत से बाजपेई के खेत तक खडन्जा निर्माण हेतु मजदूरी	सूरज, सोमवती	3094.00
19	25.11.19	नेपाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु ह्यूम पाइप	श्री बाला जी ह्यूम पाइप	11864.00
20	25.11.19	मटेहना में रामदेव के ट्यूबेल से बाजपेई के खेत तक खडन्जा निर्माण में ईट क्रय	बक्शी ब्रिक फील्ड	10500.00
21	25.11.19	नेपाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय	बक्शी ब्रिक फील्ड	12001.00
22	07.12.19	रेडियम डिस्प्ले बोर्ड	जय महाकाल इन्टरप्राइजेज	75000.00
23	30.12.19	ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार ह्यूम पाइप क्रय	श्री बाला जी ह्यूम पाइप	66999.00
24	31.12.19	राम सिंह के घर से अम्बिका के दरवाजे तक खडन्जा निर्माण में ईट क्रय	राजेन्द्र ब्रिक फील्ड	19950.00
25	31.12.19	जयपाल के खेत से ननकउ के खेत तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय	राजेन्द्र ब्रिक फील्ड	17850.00
26	31.12.19	राम सिंह के घर से अम्बिका के दरवाजे तक खडन्जा निर्माण में मजदूरी	सचिन, सूरज	3822.00

27	31.12.19	प्रशासनिक व्यय हेतु	मिश्रा कन्स्ट्रक्शन एंड सप्लायर	23850.00
28	31.12.19	राम सिंह के घर से अम्बिका के दरवाजे तक खडन्जा निर्माणा में मजदूरी	सूरज	4128.00
29	31.12.19	जयपाल के खेत से ननकउ के खेत तक खडन्जा निर्माण हेतु मजदूरी	सचिन, सुमन, सूरज, सोमवती	5278.00
30	28.01.20	खानपुर में छंगा के दरवाजे से पक्की सडक तक खडन्जा मरम्मत हेतु मिटटी क्रय	प्रधान राज किशोर	21151.00
31	28.01.20	खानपुर में छंगा के दरवाजे से पक्की सडक तक खडन्जा मरम्मत हेतु मजदूरी	सोमवती, सुमन, भरोसे, सुषमा, रामस्वरूप, मनोज, सुरेन्द्र, जगदेव	18018.00
32	28.01.20	नातेदार के घर से तालाब तक खडन्जा निर्माणा हेतु ईंट क्रय	चौहान ब्रिक फील्ड	18900.00
33	28.01.20	नातेदार के घर से तालाब तक खडन्जा निर्माण में मिटटी क्रय हेतु भुगतान	प्रधान राजकिशोर	4721.00
34	28.01.20	नातेदार के घर से तालाब तक खडन्जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	सोमवती, सुमन, संदीप	5096.00
35	28.01.20	लाली के दरवाजे से राजू के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईंट क्रय	चौहान ब्रिक फील्ड	84000.00
36	28.01.20	रमेश के घर से पूती के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु मिटटी क्रय	प्रधान राजकिशोर	5287.00
37	28.01.20	लाली के दरवाजे से राजू के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु मिटटी क्रय	प्रधान राज किशोर	21151.00
38	28.01.20	ग्राम प्रधान मानदेय (6 माह)	प्रधान राज किशोर	21000.00
39	28.01.20	इंडिया मार्का ॥ रिबोर हेतु भुगतान	रामा मशीनरी स्टोर	26186.00
40	28.01.20	रमेश के घर से पूती के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	सोमवती, सुमन, संदीप	5278.00
41	28.01.20	खानपुर में छंगा के दरवाजे से पक्की सडक तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईंट क्रय	चौहान ब्रिक फील्ड	60375.00
42	28.01.20	लाली के दरवाजे से राजू के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	सोमवती, सुमन, सुषमा, राम सिंह, सूरज, सुरेन्द्र, संदीप	22932.00
43	28.01.20	ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार ह्यूम पाइप क्रय	श्री बाला जी ह्यूम पाइप	52202.00
44	28.01.20	रमेश के घर से पूती के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईंट क्रय	चौहान ब्रिक फील्ड	16800.00
45	26.03.20	इंडिया मार्का ॥ रिबोर राजकिशोर के दरवाजे	पवन मशीनरी स्टोर	26925.00
46	30.03.20	प्रियासाफ्ट फीडिंग हेतु भुगतान	बृजेश कुमार यादव	7500.00
			योग -	1001779.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई.डी, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में केवल कैशबुक प्रस्तुत की गई जबकि अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से समस्त वंचित अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 18.12.2020 को ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/सचिव से ऑडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे दिनांक 25.01.2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार - " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। पंचायत द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित सुसंगत अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरणों की फोटो प्रस्तुत ना किए जाने के कारण पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 तथा अनुच्छेद 8 (क) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 1001779.00 की नियमानुसार आधी आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात रुपए 500889.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर तथा रुपए 500889.50 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार पांडे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-147 ग्राम पंचायत-कुम्हरौरा विकास खण्ड-लालगंज आपति सं0

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्रामनिधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों पर धनराशि व्यय की गई है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र. सं	दिनांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	03/06/19	प्रा0वि0 कुम्हरौरा में शौचालय मरम्मत हेतु मजदूरी	प्रधान सीमा को	17675.00
2	03/06/19	उपरोक्त कार्य में ईट गिटटी, मौरंग सीमेंट, लैट्रिन सीट, दरवाजा, टाइल्स, लोहे का दरवाजा आदि	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	64281.00
3	12/06/19	प्रा0वि0 कुम्हरौरा के सामने मिटटी ट्रैक्टर ट्राली द्वारा	शिवेन्द्र सिंह को	22000.00
4	15/06/19	प्रियासाफ्ट फीडिंग एवं सफाईकर्म किट हेतु भुगतान	प्रधान सीमा को	13500.00
5	21/06/19	आंगनबाडी केंद्र में इंडिया मार्का 11 रिबोर हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	26318.00
6	21/06/19	उपरोक्त हैंडपंप में फर्श निर्माण हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	5400.00
7	03/07/19	प्रा0वि0 कुम्हरौरा में इंटरलाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	प्रधान सीमा को	32522.00
8	03/07/19	उपरोक्त कार्य में सीमेंट ईट हेतु भुगतान	बक्शी ऐसटेक को	117159.00
9	03/07/19	उपरोक्त कार्य में सीमेंट, मौरंग, बालू आदि सामग्री हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	49256.00
10	03/07/19	प्रा0वि0कुम्हरौरा में इंटरलाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	प्रधान सीमा को	32340.00
11	03/07/19	उपरोक्त कार्य में सीमेंट ईट हेतु भुगतान	बक्शी ऐसटेक को	123900.00

12	03/07/19	उपरोक्त कार्य में सीमेंट, ब्रिक ब्लास्ट आदि सामग्री हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	42755.00
13	08/07/19	प्रा0वि0 कुम्हारौरा में कायाकल्प हेतु मजदूरी	प्रधान सीमा को	10920.00
14	12/07/19	उपरोक्त कार्य में पुताई, प्लास्टर आदि में भुगतान	प्रधान सीमा को	50400.00
15	15/07/19	उपरोक्त कार्य में सीमेंट हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	34519.00
16	15/07/19	उपरोक्त कार्य में पुट्टी आदि हेतु भुगतान	पाण्डेय पेंट स्टोर	102955.00
17	15/07/19	प्रियासाफ्ट फीडिंग एवं स्टेशनरी हेतु भुगतान	बृजेश कुमार	7000.00
18	25/07/19	इंडिया मार्का-11 मरम्मत हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	48750.00
19	14/09/19	इंडिया मार्का-11 मरम्मत हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	39001.00
20	18/10/19	ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार टूटे फूटे कार्य में ब्रिक ब्लास्ट हेतु भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	46954.00
21	18/10/19	उपरोक्त कार्य में दिया गया भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	11300.00
22	18/10/19	उपरोक्त कार्य में राबिस हेतु दिया गया भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	36848.00
23	28/10/19	ह्यूम पाइप क्रय	नेशनल आरसीसी ह्यूम पाइप को	98041.00
24	25/11/19	प्रा0वि0 कुम्हारौरा कायाकल्प में पेन्ट आदि हेतु भुगतान	पाण्डेय पेंट स्टोर	126888.00
25	25/11/19	स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान	क्लासिक इन्टर प्राइजेज को	99750.00
26	30/11/19	उमादत के घर से छेदी पासी के घर तक नाली निर्माण हेतु सीमेंट, मौरंग	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	37976.00
27	30/11/19	उपरोक्त कार्य में ईट हेतु भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	38178.00
28	04/12/19	उमादत के घर से छेदी पासी के घर तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	सुशील, दिनेश, राहुल, सीमा, केशकुमारी, प्रीतम	18922.00
29	07/12/19	ग्राम पंचायत में नारा लेखन कार्य हेतु भुगतान	मिश्रा कन्स्ट्रक्शन एंड सप्लायर	24900.00
30	10/12/19	खडन्जा निर्माण में खडन्जा से बब्लू के खेत तक मिट्टी हेतु भुगतान	शिवेन्द्र सिंह को	19074.00
31	10/12/19	उपरोक्त कार्य में ईट हेतु भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	37275.00
32	10/12/19	उपरोक्त खडन्जा निर्माण में मजदूरी हेतु भुगतान	सुशीला, दिनेश, अंजना, सीमा केश कुमारी	7280.00
33	16/12/19	सुरेश के घर से तालाब तक नाली मरम्मत में ईट हेतु भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड	11340.00
34	16/12/19	उपरोक्त कार्य में सीमेंट, मौरंग हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	21022.00
35	16/12/19	उपरोक्त कार्य में मजदूरी हेतु दिया गया भुगतान	सुशील, दिनेश, राहुल, सीमा, केशकुमारी, प्रीतम	21688.00
36	26/12/19	राकेश के घर से हरिप्रताप के घर तक नाली निर्माण में सीमेंट, मौरंग हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	12640.00
36	26/12/19	उपरोक्त कार्य में ईट हेतु भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	12379.00

37	26/12/19	केशव पासी के घर से गायत्री स्कूल तक खडन्जा मरम्मत में मजदूरी हेतु दिया गया भुगतान	सुशील, दिनेश, अंजना, सीमा, केश कुमारी, राहुल, जितेन्द्र बहादुर, रामदेई	12379.00
38	26/12/19	केशव पासी के घर से गायत्री स्कूल तक खडन्जा मरम्मत में मजदूरी हेतु दिया गया भुगतान	सुशील, दिनेश, अंजना, सीमा केश कुमारी, राहुल, जितेन्द्र बहादुर, रामदेई	15470.00
39	26/12/19	पक्की नाली निर्माण में मजदूरी हेतु भुगतान	सुशील, अंजना, जितेन्द्र बहादुर, केशकुमारी, प्रीतम	6186.00
40	26/12/19	केशव पासी के घर से गायत्री स्कूल तक खडन्जा मरम्मत में ईंट हेतु दिया गया भुगतान	चौहान ब्रिक फील्ड को	31500.00
41	26/12/19	उपरोक्त कार्य में मिटटी हेतु भुगतान	शिवेंद्र सिंह को	14759.00
42	26/12/19	इंडिया मार्का-11 मरम्मत हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	20460.00
43	26/12/19	इंडिया मार्का-11 मरम्मत हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	16560.00
44	14/01/20	स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान	क्लासिक इन्टर प्राइजेज को	98840.00
45	14/01/20	ग्राम प्रधान मानदेय	प्रधान सीमा	31500.00
46	14/01/20	ह्यूम पाइप क्रय	क्लासिक इन्टर प्राइजेज को	97500.00
47	29/01/20	रामलोचन के घर से अमित पांडे के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईंट क्रय	चौहान ब्रिक फील्ड को	31500.00
48	29/01/20	उपरोक्त कार्य में मिटटी हेतु भुगतान	शिवेंद्र सिंह को	14703.00
49	29/01/20	रामलोचन के घर से अमित पांडे के घर तक खडन्जा मरम्मत में मजदूरी	सुशील, अंजना, सीमा, केशकुमारी, राहुल, रामदेई	21294.00
50	13/02/20	बग्गा के दरवाजे इंडिया मार्का 11 रिबोर हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	26571.00
51	13/02/20	उपरोक्त हैंडपंप में फर्श निर्माण हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	4800.00
52	13/02/20	इण्डिया मार्का 11 मरम्मत हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	22246.00
53	04/03/20	संजय सिंह के दरवाजे से इंडिया मार्का 11 रिबोर हेतु भुगतान	जय दुर्गे बोरिंग को	26682.00
54	04/03/20	उपरोक्त हैंडपंप में फर्श निर्माण हेतु भुगतान	सिंह एंड गुप्ता ट्रेडर्स	4800.00
55	16/03/20	सफाई कर्मी किट रिकशा आदि का भुगतान	ओम ट्रेडर्स	29950.00
56	20/03/20	सीमेंट बेंच क्रय हेतु भुगतान	श्रीराम इन्टरप्राइजेज	99750.00
57	30/03/20	संतू के दरवाजे सुर्जिपुर इंडिया मार्का 11 फर्श निर्माण हेतु भुगतान		5500.00
			योग -	2143677.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई.डी, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में केवल कैशबुक प्रस्तुत की गई जबकि अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से समस्त वंचित अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 27.01.2021 को ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

/सचिव से ऑडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रामाणक अप्रस्तुत रहे दिनांक 06.02.2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रावलियां व्यय प्रामाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार - " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी । पंचायत द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित सुसंगत अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका ,सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरणों की फोटो प्रस्तुत ना किए जाने के कारण पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 तथा अनुच्छेद 8 (क) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 2143677.00 की नियमानुसार आधी आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात रुपए 1071838.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा तथा रुपए 1071838.50 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार पांडे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-148 ग्राम पंचायत-महानंदपुर विकास खण्ड-छतोह आपति सं0

1(क) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों, कार्यों में प्रयुक्त समजदूरी, प्रशासनिक/मानदेय तथा अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	वर्क आई डी	बाउचर दिनांक	बाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	8955341	01/04/18	एफएफसी/2018-19/पी/17	नाली निर्माण	राहुल ट्रेडर्स	62419
2	8955328	01/4/18	एफएफसी/2018-19/पी/8	कार्याकल्प	राहुल ट्रेडर्स	31000
3	8955364	03/04/18	एफएफसी/2018-19/पी/1	हैण्डपम्प मरम्मत	अभय इन्टरप्राइजेज	14752
4	8955362	03/04/18	एफएफसी/2018-19/पी/4	ह्यूम पाइप	दुर्गा ट्रेडर्स	26101
5	8955335	12/06/18	एफएफसी/2018-19/पी/5	हैण्डपम्प रिबोर	मे0 कोमल ट्रेडर्स	59248
6	8955335	12/06/18	एफएफसी/2018-19/पी/6	हैण्डपम्पा रिबोर	कोमल ट्रेडर्स	52409
7	8955360	26/07/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/1	प्रशासनिक व्यय	पंचायत उद्योग भादर	8455
8	8955359	03/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/7	प्रधान मानदेय	ज्ञानवती	35000
9	8955328	09/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/9	कायाकल्प	दुर्गा ट्रेडर्स	20000
10	8955328	30/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/10	कायाकल्प	मे0 सुनीता देवी	20000
11	8955328	11/09/18	एफएफसी/2018-19/पी/11	कायाकल्प	मे0 सुनीता देवी	20000
12	8955364	10/10/18	एफएफसी/2018-19/पी/2	हैण्डपम्प मरम्मत	प्रभा एसोसिएटेड	14750
13	8955328	13/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/12	कायाकल्प	राहुल ट्रेडर्स	20000

14	8955360	03/12/18	4टीएचएसएफसी/ 2018-19/पी/2	प्रशासनिक व्यय	प्रभा एसोसिएट्स	20000
15	8955360	03/12/18	4टीएचएसएफसी/ 2018-19/पी/3	प्रशासनिक व्यय	मेसर्स सुनीता देवी	13855
16	8955328	01/01/19	एफएफसी/2018- 19/पी/13	कायाकल्प	साईनाथ ट्रेडर्स	22048
17	8955328	17/01/19	एफएफसी/2018- 19/पी/14	कायाकल्प	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	43193
18	8955357	11/03/19	4टीएचएसएफसी/ 2018-19/पी/4	स्ट्रीट लाईट	मे0 कोमल ट्रेडर्स	37000
19	8955340	18/03/19	एफएफसी/2018- 19/पी/14	नाली निर्माण	राजू मशीनरी स्टोर	39392
20	8955346	21/03/19	4टीएचएसएफसी/ 2018-19/पी/5	खडंजा मरम्मत	दुर्गा ट्रेडर्स	21878
21	8955369	21/03/19	4टीएचएसएफसी/ 2018-19/पी/6	नाली निर्माण	राहुल ट्रेडर्स	20327
22	8955364	25/03/19	एफएफसी/2018- 19/पी/3	हैण्डपम्प मरम्मत	दुर्गा ट्रेडर्स	50950
23	8955328	27/03/19	एफएफसी/2018- 19/पी/15	कायाकल्प	राजू मशीनरी स्टोर	52800
24	8955328	27/03/19	एफएफसी/2018- 19/पी/16	कायाकल्प	ज्ञानवती	19575
					योग -	725152

1(ख) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वरोज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों में प्रयुक्त मजदूरी, प्रशासनिक/मानदेय तथा अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र. सं.	वर्क आई डी	बाउचर दिनांक	बाउचर	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	13602624	28/06/19	एफएफसी/2019- 20/पी/4	ग्राम प्रधान मानदेय 04 वित्त से 12 महीना	ग्राम प्रधान	17500
2	19094812	20/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/1	खडंजा मरम्मत 14वां वित्त से दीनानाथ के घर से शिव प्रकाश के घर तक 70 मी0	अभय इन्टरप्राइजेज	69382
3	19094813	25/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/2	खडंजा निर्माण 14वां वित्त से शंकर जी के मंदिर से राम सजीवन के घर तक 70 मी0	एसएस ब्रिक फील्ड	34993
4	19094810	26/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/5	ह्यूम पाइप अधिष्ठापन 14 वित्त से	साई ट्रेडिंग कम्पनी	29758
5	19094814	29/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/3	खडंजा मरम्मत 14वां वित्त से मोती के दरवाजे से गणेश के घर तक 6	यादव ब्रिक फील्ड	37235
6	13602638	29/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/6	हैण्डपम्प रिबोर 14 वित्त से 02 नग	मे0 दुर्गा ट्रेडर्स	69480

7	13602636	29/07/19	एफएफसी/2019-20/पी/7	प्रशासनिक खर्चा	जबरैल फोटो स्टेट	12350
8	13602639	11/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/8	हैण्डपम्प रिबोर में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	21016
9	13602640	11/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/9	हैण्डपम्प रिबोर में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	20866
10	13602639	20/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/10	हैण्डपम्प रिबोर में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	26466
11	13602639	20/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/11	हैण्डपम्प रिबोर कार्य में प्लेट फार्म निर्माण	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	5500
12	13602640	20/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/12	हैण्डपम्प रिबोर में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	26466
13	13602640	20/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/13	हैण्डपम्प रिबोर कार्य में प्लेट फार्म निर्माण	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	5500
14	13602650	25/01/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/1	ग्राम प्रधान मानदेय	परमात्मादीन प्रधान	21000
15	19094811	28/01/20	एफएफसी/2019-20/पी/14	ह्यूम पाइप अधिष्ठापन हेतु	आदित्य इन्टरप्राइजेज	74530
16	13602648	11/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/15	हैण्डपम्प मरम्मत में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	14692
17	13602645	15/02/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/2	प्रशासनिक व्यय	आकाश स्टेशनरी 38 डिजिटल सेवा केन्द्र	9480
18	13602645	15/02/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/3	प्रशासनिक व्यय	आकाश स्टेशनरी 38 डिजिटल सेवा केन्द्र	2250
19	13602648	25/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/16	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में मजदूरी भुगतान	दुर्गेश तिवारी	4480
20	13602645	04/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/4	प्रशासनिक व्यय में स्टेशनरी और फोटो कापी पे खर्चा	आकाश स्टेशनरी 38 डिजिटल सेवा केन्द्र	12790
21	20789581	14/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/10	खडंजा निर्माण श्याम लाल के घर में इण्टर भुगतान	जिल्ला ईट उद्योग	7229
22	13602647	14/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/5	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	14870
23	13602647	14/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/6	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में मजदूरी भुगतान	दुर्गेश तिवारी	4480

24	13602649	14/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/7	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में मजदूरी भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	14870
25	13602649	14/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/8	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में मजदूरी भुगतान	दुर्गेश तिवारी	4480
26	20789579	14/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/9	खडंजा निर्माण रामरतन के घर से छोटे लाल के घर तक कार्य में इण्टर लॉकिंग भुगतान	जिल्ला ईट उद्योग	8730
27	20789582	26/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/11	नाली निर्माण सत्तार के दरवाजे से जमील के घर तक कार्य में मजदूरी भुगतान	मजदूरी भुगतान	4858
28	20789580	26/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/12	इण्टर लॉकिंग कार्य इन्द्रपाल के घर से सोनू सरोज के गेट तक कार्य में मजदूरी भुगतान	मजदूरी भुगतान	5390
29	20789579	26/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/13	खडंजा निर्माण रामरतन के घर से छोटे लाल के घर तक कार्य में मजदूरी भुगतान	मजदूरी भुगतान	3052
30	20789579	26/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/14	खडंजा निर्माण राम रामरतन के घर से छोटे लाल के घर तक कार्य में मिटटी ढुलाई भुगतान	दुर्गेश तिवारी	631
31	20789581	26/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/15	खडंजा मरम्मत से श्याम लाल के घर से सुरेश के दरवाजे तक कार्य में मिटटी ढुलाई भुगतान	दुर्गेश तिवारी	1204
32	20789581	26/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/16	खडंजा मरम्मत से श्याम लाल के घर से सुरेश के दरवाजे तक कार्य में मजदूरी भुगतान	मजदूरी भुगतान	6986
33	20789582	30/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/17	नाली निर्माण कार्य सत्तार के घर से जमील के घर तक कार्य में मटेरियल भुगतान	न्यू त्रिपाठी ट्रेडर्स	19467
34	20789580	30/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/18	इण्टर लॉकिंग कार्य इन्द्रपाल के घर से सोनू के घर तक	न्यू त्रिपाठी ट्रेडर्स	28729
35	13602646	30/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/19	हैण्डपम्प मरम्मत में मटेरियल भुगतान	ज्योति आयरन एण्ड मशीनरी स्टोर	13469
36	13602646	30/03/20	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/20	हैण्डपम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान	दुर्गेश तिवारी	4480
					योग -	658659

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है- " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई.डी, माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से समस्त वंचित अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 26/12/2020 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ऑडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे दिनांक 20/03/2021 तक समय देने के बाद अभिलेख न प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार - " दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। पंचायत द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित सुसंगत अभिलेख, कार्य पत्रावलियां व्यय प्रमाणक स्टॉक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका कार्य से संबंधित तीन चरणों की फोटो प्रस्तुत ना किए जाने के कारण पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 तथा अनुच्छेद 8 (क) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उक्त दोनों वर्षों की कुल व्यय धनराशि 1383811.00 (वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 725152.00 एवं वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 658659.00 है) में से नियमानुसार आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात रुपए 691905.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री परमात्मादीन से तथा आधी धनराशि रुपए 691905.50 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री विजय सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-149 ग्राम पंचायत-सुलईपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं0

1 (क) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्यों, कार्यों में प्रयुक्त मजदूरी, प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है ।

क्र. सं.	वर्क आई डी	बाउचर दिनांक	बाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	8206811	04/05/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/1	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	श्रीमती सुमित्रा ग्राम प्रधान	10500
2	8206791	18/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/1	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प की मजदूरी भुगतान	--	19250
3	8206791	28/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/2	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेंट मौरंग बालू आयरन मटेरियल आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	21480
4	8206791	28/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/3	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेंट मौरंग बालू आयरन मटेरियल आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	71600
5	8206791	28/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/4	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेंट मौरंग बालू आयरन मटेरियल आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	21276
6	8206791	05/09/18	एफएफसी/2018-19/पी/5	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प की मजदूरी भुगतान	--	18375
7	8206811	11/09/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/2	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	श्रीमती सुमित्रा ग्राम प्रधान	17500

8	8206791	11/09/18	एफएफसी/2018-19/पी/6	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेन्ट मौरंग बालू आयरन मटेरियल पुट्टी आदि का पेयमेन्ट	भावना ट्रेडर्स	44500
9	8206791	18/09/18	एफएफसी/2018-19/पी/7	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेन्ट मौरंग बालू आयरन मटेरियल टायल पुट्टी आदि का पेयमेन्ट	भावना ट्रेडर्स	14525
10	8206791	20/09/18	एफएफसी/2018-19/पी/8	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प पेंटिंग रंगाई पुताई भुगतान	--	15050
11	8206807	28/09/18	एफएफसी/2018-19/पी/10	अमर उजाला न्यूज पेपर को पेमेन्ट	--	2000
12	8206818	05/10/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/10	खडंजा मेंटीनेन्स की मजदूरी का भुगतान	--	5000
13	8206791	22/10/18	एफएफसी/2018-19/पी/22	प्राथमिक स्कूल का कायाकल्प की मजदूरी भुगतान	--	11375
14	8206791	22/10/18	एफएफसी/2018-19/पी/27	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प की मजदूरी भुगतान	--	5000
15	8206802	24/10/18	एफएफसी/2018-19/पी/21	प्राथमिक स्कूल शौचालय मेंटीनेन्स व मिट्टी पटाई की मजदूरी का भुगतान	--	7000
16	8206791	30/10/18	एफएफसी/2018-19/पी/9	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेन्ट मौरंग बालू आयरन मटेरियल टायल पुट्टी आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	75064
17	8206791	01/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/23	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प की मजदूरी भुगतान	--	5950
18	8206802	01/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/26	प्राथमिक स्कूल में आयरन गेट निर्माण का भुगतान	--	12675
19	8206804	15/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/11	प्राथमिक स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु सीमेंट मौरंग बालू आयरन मटेरियल आयल पुट्टी आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	22912
20	8206807	19/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/24	शौचालय निर्माण में एलजीडी कोड का भुगतान	यादव आर्ट सर्विस	5000
21	4403775	22/11/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/3	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	श्रीमती सुमित्रा ग्राम प्रधान	7000
22	8206802	27/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/12	प्राथमिक स्कूल में मिट्टी पटाई का भुगतान	--	19250
23	8206791	29/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/13	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु पेंटिंग भुगतान	यादव आर्ट सर्विस	8000
24	8206818	20/12/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/12	खडंजा मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	--	11025
25	8206818	29/12/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/11	खडंजा मरम्मत में लगी ह्यूम पाइप का भुगतान	--	15853

26	8206800	29/12/18	एफएफसी/2018-19/पी/14	जल निकासी में लगी पाइप का भुगतान	--	26293
27	8206811	10/01/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/4	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	श्रीमती सुमित्रा ग्राम प्रधान	10500
28	8206813	18/01/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/5	हैण्डपम्प मरम्मत का मजदूरी का भुगतान	रामपाल मिस्त्री	2100
29	8206818	22/01/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/8	खंडजा मरम्मत की मजदूरी का भुगतान	--	18900
30	8206802	22/01/19	एफएफसी/2018-19/पी/15	प्राथमिक स्कूल में गेट निर्माण व मिटटी पटाई हेतु मजदूरी का भुगतान	--	14700
31	8206802	22/01/19	एफएफसी/2018-19/पी/16	प्राथमिक स्कूल शौचालय मरम्मत व टायल हेतु मजदूरी का भुगतान	--	4900
32	8206813	25/01/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/16	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मटेरियल का भुगतान	देवी मशीनरी स्टोर	4481
33	8206815	01/02/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/7	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	अजय आयरन स्टोर	23906
34	8206804	12/02/19	एफएफसी/2018-19/पी/25	प्राथमिक स्कूल में शौचालय मरम्मत हेतु मटेरियल टायल पुट्टी आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	13395
					योग -	586335

1 (ख) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम • पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्य, कार्य में प्रयुक्त मजदूरी, प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्य पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है ।

क्र. सं.	वर्क आई डी	बाउचर दिनांक	बाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	13906526	01/08/19	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/1	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	-	14000
2	13906526	10/02/20	4टीएचएसएफसी/2020-19/पी/3	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	-	17500
3	13906534	03/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/4	हैण्डपम्प मरम्मत का मटेरियल का भुगतान 05 नग	विशाल मशीनरी स्टोर	14267
4	13906535	03/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/5	हैण्डपम्प मेंटेनेन्स की मटेरियल का भुगतान 05 नग	विशाल मशीनरी स्टोर	13989
5	13906534	04/03/20	4टीएचएसएफसी/2020-19/पी/6	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प मरम्मत का मजदूरी का भुगतान 05 नग	रामपाल पुत्र सुखदेव	5390
6	13906535	04/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/7	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान 05 नग	रामपाल पुत्र सुखदेव	5390
					योग -	70536

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई.डी, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से समस्त वंचित अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 28/11/2020 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ऑडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे दिनांक 10/02/2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। पंचायत द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित सुसंगत अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरणों की फोटो प्रस्तुत ना किए जाने के कारण पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 तथा अनुच्छेद 8 (क) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 586335.00 एवं वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 70536.00 हैं । इस प्रकार उक्त दोनों वर्षों की कुल व्यय धनराशि 656871.00 रही। जिसकी नियमानुसार आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात रुपए 328435.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा तथा आधी धनराशि रुपए 328435.50 में से वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित सचिव श्री मनीष श्रीवास्तव से रुपया 293167.50 एवं वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित धनराशि रुपया 35268.00 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-150 ग्राम पंचायत-पदुमपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं0

1 (क) ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से संबंधित आय रुपया 672230.00 एवं व्यय रुपया 602282.85 की धनराशि का विवरण ऑल इंडिया रिपोर्ट के स्टेट वाइज व्यय लेखा पर मात्र माहवार उपलब्ध है किन्तु ऑनलाइन कैश बुक की फीडिंग नहीं की गई एवं उक्त वर्ष से संबंधित कोई भी प्रपत्र अपलोड नहीं है और न ही ऑफलाइन अभिलेख उपलब्ध कराए गए जिसके कारण उक्त वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निर्माण / मरम्मत कार्यों, कार्यों में प्रयुक्त मजदूरी प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यों पर व्यय किये गए कार्यों का प्रमाणकवार विवरण / टिप्पणी दिया संभव नहीं है अतः उक्त वर्ष से सम्बन्धित समस्त आय व्यय अपुष्ट रहा । ई ग्राम स्वराज पर ऑल इंडिया रिपोर्ट स्टेट वाइज पर दर्शित लेखा के अनुसार वर्ष 17-18 के माहवार धनराशि का विवरण निम्नवत है-

माह	आय	व्यय
अप्रैल	361619.00	58.00
मई	0.00	0.00
जून	2543.00	0.00
जुलाई	0.00	0.00
अगस्त	124068.00	0.00
सितम्बर	4101.00	96275.00
अक्टूबर	0.00	13353.00
नवम्बर	0.00	55972.00
दिसम्बर	47258.00	27121.00
जनवरी	0.00	64436.00
फरवरी	86902.00	198496.00
मार्च	45739.00	146571.85
योग -	672230.00	602282.85

1 (ख) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष - 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्य, कार्यों में प्रयुक्त मजदूरी, प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	वर्क आई डी	बाउचर दिनांक	बाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	3420380	03/04/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/1	कूप मेंटीनेन्स की ब्रिक का भुगतान	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	16328
2	3420372	03/04/18	एफएफसी/2018-19/पी/1	जल निकासी में लगी पाइप का भुगतान		83358
3	3420380	06/04/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/2	कूप मेंटीनेन्स की मटेरियल का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	16464
4	8348436	27/06/18	एफएफसी/2018-19/पी/2	प्राथमिक स्कूल में मिट्टी पटाई का भुगतान		30000
5	8348387	12/07/18	एफएफसी/2018-19/पी/3	खडंजा निर्माण हेतु उसे मिट्टी ईट व मजदूरी का भुगतान मय दुलाई		116144
6	8348448	18/07/18	एफएफसी/2018-19/पी/14	खडंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान		23100
7	8348448	18/07/18	एफएफसी/2018-19/पी/15	खडंजा निर्माण हेतु मिट्टी दुलाई का भुगतान		4731
8	8348448	30/07/18	एफएफसी/2018-19/पी/16	खडंजा निर्माण हेतु ईट का भुगतान मय दुलाई		87902
9	8348400	08/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/17	खडंजा निर्माण हेतु मिट्टी दुलाई का भुगतान		2444
10	8348400	08/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/18	खडंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान		10325
11	8348400	08/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/19	खडंजा निर्माण हेतु ईट का भुगतान मय दुलाई		37203
12	8348439	31/08/18	एफएफसी/2018-19/पी/4	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान		5750
13	8348458	30/10/18	4टीएचएसएफसी/2020-18/पी/4	हैण्डपम्प मरम्मत की मटेरियल का भुगतान	अजय आयरन स्टोर	13500
14	8348439	30/10/18	एफएफसी/2018-19/पी/5	हैण्डपम्प मरम्मत की मटेरियल का भुगतान	अजय आयरन स्टोर	13000
15	8348458	31/10/18	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/3	हैण्डपम्प मेंटीनेन्स की मजदूरी का भुगतान		5750
16	8348431	06/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/6	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प की मजदूरी भुगतान		64050
17	8348431	12/11/18	एफएफसी/2018-19/पी/7	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु सीमेन्ट मौरंग बालू आयरन मटेरियल टायल पुट्टी आदि का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	148166
18	12620589	03/12/18	एफएफसी/2018-19/पी/8	खडंजा निर्माण हेतु ईट का भुगतान मय दुलाई		73724

19	12620589	01/01/19	एफएफसी/2018-19/पी/9	खडंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान		18725
20	8348408	07/01/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/12	प्राथमिक स्कूल में मिटटी पटाई का भुगतान		17398
21	12620589	07/01/19	एफएफसी/2018-19/पी/10	खडंजा निर्माण हेतु मिटटी ढुलाई का भुगतान		3250
22	8348415	18/01/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/5	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान	प्रधान राजेन्द्र कुमार	31500
23	8348373	26/02/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/6	खडंजा मरम्मत की मजदूरी का भुगतान		28700
24	8348422	06/03/19	एफएफसी/2018-19/पी/11	स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का भुगतान		84000
25	8348373	18/03/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/7	खडंजा मरम्मत हेतु मिटटी ढुलाई का भुगतान		7000
26	8348373	18/03/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/8	खडंजा मरम्मत हेतु मिटटी ढुलाई का भुगतान	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	27618
27	8348457	29/03/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/10	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान		5250
28	8348408	29/03/19	4टीएचएसएफसी/2018-19/पी/9	ढोंगल का भुगतान		1100
29	13682915	29/03/19	एफएफसी/2018-19/पी/12	इण्टर लॉकिंग निर्माण का मजदूरी का भुगतान		31325
29	13682915	29/03/19	एफएफसी/2018-19/पी/13	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट ब्रिक का भुगतान		109824
					योग -	1117599

1 (ग) लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया सॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण / अनुरक्षण कार्य, कार्य में प्रयुक्त मजदूरी, प्रशासनिक / मानदेय तथा अन्य कार्य पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	वर्क आई डी	बाउचर दिनांक	बाउचर क्रमांक	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	8348457	04/04/19	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/3	हैण्डपम्प मरम्मत का मटेरियल का भुगतान		13063
2	8348380	10/04/19	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/1	खडंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान		11956
3	8348415	10/04/19	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/4	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान 2018-19	प्रधान राजेन्द्र कुमार	10500
4	13682915	10/04/19	एफएफसी/2019-20/पी/2	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईंट का भुगतान मय ढुलाई		28735
5	8348380	12/04/19	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/2	खडंजा निर्माण हेतु ईंट का भुगतान मय ढुलाई		42393
6	8348431	16/04/19	एफएफसी/2019-20/पी/1	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प हेतु पेंटिंग का भुगतान		12000
7	13682915	18/04/19	एफएफसी/2019-20/पी/3	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेन्ट मौरंग बालू मटेरियल का भुगतान	भावना ट्रेडर्स	34613

8	8348380	15/06/19	4टीएचएसएफसी/ 2019-20/पी/5	खण्डजा निर्माण हेतु मिट्टी का भुगतान		2500
9	8348398	15/06/19	एफएफसी/2019- 20/पी/5	खडंजा निर्माण हेतु मिट्टी कोरटीज का भुगतान मय दुलाई		1175
10	8348398	15/06/19	एफएफसी/2019- 20/पी/6	खडंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान		5250
11	8348398	17/06/19	एफएफसी/2019- 20/पी/4	खडंजा निर्माण हेतु ईंट का भुगतान मय दुलाई		19110
12	13638168	26/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/13	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईंट का भुगतान मय दुलाई		27856
13	13638167	26/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/7	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु ईंट का भुगतान मय दुलाई		24456
14	13638168	29/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/14	इण्टर लॉकिंग निर्माण की मजदूरी का भुगतान		35438
15	13638167	29/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/8	इण्टर लॉकिंग निर्माण का मजदूरी का भुगतान		28721
16	13638168	31/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/12	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेंट ईंट का भुगतान		125758
17	13638167	31/07/19	एफएफसी/2019- 20/पी/9	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेंट ब्रिक का भुगतान		99739
18	13638167	01/08/19	एफएफसी/2019- 20/पी/10	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेंट मौरंग बालू मटेरियल का भुगतान		27325
19	13638168	01/08/19	एफएफसी/2019- 20/पी/11	इण्टर लॉकिंग निर्माण हेतु सीमेंट मौरंग बालू मटेरियल का भुगतान		36067
20	13638153	05/01/20	एफएफसी/2019- 20/पी/15	नाली निर्माण जगन्नाथ के घर से राम कुमार के घर तक कार्य में इण्टर लॉकिंग भुगतान	हंस ब्रिक फील्ड	44509
21	13638153	05/01/20	एफएफसी/2019- 20/पी/16	नाली निर्माण जगन्नाथ के घर से राम कुमार के घर तक कार्य में मटेरियल भुगतान	मेसर्स भावना ट्रेडर्स	41409
22	13638153	05/01/20	एफएफसी/2019- 20/पी/17	नाली निर्माण जगन्नाथ के घर से राम कुमार के घर तक कार्य में मजदूरी का भुगतान	मजदूरी का भुगतान	24528
23	20160967	18/02/20	एफएफसी/2019- 20/पी/18	इण्टर लॉकिंग कार्य राम कुमार के दरवाजे तक की ईंट का भुगतान	हंस ब्रिक फील्ड	42174
24	20160967	18/02/20	एफएफसी/2019- 20/पी/19	इण्टर लॉकिंग कार्य राम कुमार के दरवाजे तक की मटेरियल का भुगतान	मेसर्स भावना ट्रेडर्स	58107
25	20160967	18/02/20	एफएफसी/2019- 20/पी/20	इण्टर लॉकिंग कार्य राम कुमार के दरवाजे तक की सीमेन्ट ईंट का भुगतान	मेसर्स मां कृष्णा इण्टर प्राइजेज	222995

26	20160967	20/02/20	एफएफसी/2019-20/पी/21	इण्टर लॉकिंग कार्य राम कुमार के घर तक की मजदूरी का भुगतान	मजदूरी भुगतान	59532
27	13638185	07/03/20	4टीएचएसएफसी/2019-20/पी/7	ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान 11 माह	राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान	38500
28	20160969	07/03/20	एफएफसी/2019-20/पी/22	इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्प रिबोर 02 नग का भुगतान	विशाल मशीनरी स्टोर	52657
29	20160970	07/03/20	एफएफसी/2019-20/पी/23	इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्प रिबोर 01 नग का भुगतान	विशाल मशीनरी स्टोर	26516
					योग	1197582

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट प्रावधान है- " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति आई. डी. माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य योजना, मस्टर रोल, मानदेय पंजिका आदि एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रारंभ किए जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्राम विकास पंचायत अधिकारी से समस्त वंचित अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था दिनांक 29/12/2020 ऑनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ऑडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे दिनांक 22/03/2021 तक समय देने के बाद अभिलेख ना प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षा समाप्त कर दिया गया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त सुसंगत अभिलेख पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " पंचायत द्वारा किये गये व्ययों से संबंधित सुसंगत अभिलेख, कार्य पत्रावलियां व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका 1, सार्वजनिक निर्माण पंजिका, कार्य से संबंधित तीन चरणों की फोटो प्रस्तुत ना किए जाने के कारण पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 तथा अनुच्छेद 8 (क) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उक्त तीनों वर्षों की कुल व्यय धनराशि 2917463.00 (वर्ष 2017-18 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 602282.00, वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 1117599.00 एवं वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रुपए 1197582.00 है ।) में से नियमानुसार आधी ब्याज सहित वसूली अर्थात् रुपए 1458731.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र कुमार तथा आधी धनराशि रुपए 1458731.50 में से वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित सचिव श्री विजय सिंह यादव से रुपया 602282.00 एवं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से सम्बन्धित धनराशि रुपया 856449.50 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-151 ग्राम पंचायत-शहजादपुर विकास खण्ड-उंचाहार आपत्ति सं0

6(क) लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	120266.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	74060.00
3	कूड़ादान क्रय	110617.00
4	ह्यूम पाइप	59518.00
5	प्राथमिक स्कूल कायाकल्प एवं मरम्मत	530866.00
6	प्रधान मानदेय	45500.00
	योग	940827.00

6(ख) लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	20733.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	95110.00
3	सीमेंट की बैच स्थापना	97500.00
4	ह्यूम पाइप	59867.00
5	नाली निर्माण	14965.00
6	प्रियासाफ्ट फीडिंग	5000.00
7	ईट खरीद	186467.00
8	खडंजा निर्माण हेतु मजदूरी एवं मिटटी	38738.00
9	प्रधान मानदेय	10500.00
10	योग	528880.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई० डी०, मापी कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा०वि०/प० अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। तत्पश्चात आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 23.01.2021 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 08-02-21 तक समय देने के बाद अभिलेख न प्रस्तुत करने पर लेखापरीक्षा समाप्त कर दिया गया, इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹ 1469707.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-152 ग्राम पंचायत-सवैया हसन विकास खण्ड-उंचाहार आपत्ति सं०

वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्ट/ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	खडंजा निर्माण कार्य हेतु भुगतान	274147.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	217361.00
3	स्ट्रीट लाइट	183500.00
4	पंचायत घर शौचालय मरम्मत कार्य	44979.00
5	प्रशासनिक व्यय	33375.00
6	प्रधान मानदेय	21000.00
7	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	86830.00
8	स्कूल कायाकल्प हेतु भुगतान	240336.00
9	खडंजा मरम्मत कार्य	251182.00

10	कामता प्रसाद के दरवाजे से राम आसरे के घर तक खडंजा निर्माण	79530.00
11	इंटर लॉकिंग कार्य	23965.00
12	योग	1456205.00

(ख वर्ष (2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रियासाफ्टराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य ई ग्राम स्व/ वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प रिबोर	164364.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	414781.00
3	स्ट्रीट लाइट	63570.00
4	ह्यूम पाइप	89369.00
5	प्रधान मानदेय	56000.00
6	प्रशासनिक व्यय	106250.00
7	नाली निर्माण	150000.00
8	मजदूरी पर व्यय	16198.00
9	योग	1060532.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रथ तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राक्कलन) तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई डी. मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से ग्रा०वि० / पं० अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में माह नवम्बर 2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आफलाइन कोष बही, बैंक स्टेटमेन्ट / अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां प्राप्त नहीं रहे। तत्पश्चात् आनलाइन आडिट व्यवस्था लागू हो जाने पर भारत सरकार की वेबसाइट आडिट आनलाइन पर आडिट हेतु दिनांक 30.12.2020 को आनलाइन प्रोग्राम लगाया गया फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा कराने का अनुरोध किया गया था फिर भी आडिट हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे दिनांक 25-02-21 को लेखा परीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय प्रमाणक में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8 क के अनुसार ("यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः कुल 2516737.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-153 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	21/6/18	14729.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	16/7/18	8325.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	16/7/18	40350.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	16/7/18	45309.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	19/9/18	26820.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	19/9/18	35620.00
	योग -		171153.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित

है, "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्ट्रीट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹0 171153.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से ₹85576.50..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से ₹. 85576.50 . की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं० .)

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट	3/11/18	42000.00
2	स्ट्रीट लाईट	3/12/18	84000.00
	योग -		126000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुस्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्ट्रीट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹0 126000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से ₹.63000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से ₹0 63000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा)

प्रस्तर-155 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

03- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1		15/8/18	14670.00
	योग -		14670.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुस्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत

सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु0 14670.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से रु.....7335.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय से रु.7335.00 . की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं० ..

प्रस्तर-156 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

04- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण/मरम्मत	24/8/18	87447.00
2	नाली निर्माण/मरम्मत	1/11/18	22536.00
3	नाली निर्माण/मरम्मत	17/11/18	31678.00
4	नाली निर्माण/मरम्मत	17/11/18	37218.00
5	नाली निर्माण/मरम्मत	12/2/19	38437.00
6	नाली निर्माण/मरम्मत	14/2/19	43984.00
7	नाली निर्माण/मरम्मत	26/2/19	22044.00
	योग -		283344.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.283344.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज . से रु.141672.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 141672.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०

प्रस्तर-157 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

05- उक्त ग्राम पंचायत में खंडजा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खडंजा निर्माण	18/04/18	28481.00
	योग -		28441.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय विलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की भाषी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 28441.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से ₹.14220.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से ₹. 14220.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-158 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

06-उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	30/08/18	37495.00
2	ह्यूम पाइप	05/03/19	48178.00
		21/03/19	49590.00
	योग -		135263.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख ₹0 से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय

पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 135263.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से रु.67631.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 67631.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

07 - उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	कायाकल्प	15/10/18	30000.00
2	कायाकल्प	31/10/18	35000.00
3	कायाकल्प	22/11/18	39775.00
4	कायाकल्प	22/11/18	65000.00
5	कायाकल्प	12/12/18	71320.00
6	कायाकल्प	27/12/18	50000.00
7	कायाकल्प	31/12/18	96693.00
8	कायाकल्प	1/01/19	89102.00
9	कायाकल्प	26/02/19	98115.00
10	कायाकल्प	26/02/19	29736.00
	योग -		604741.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 604741.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से रु.302370.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव.....से रु० 302370.50..... की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-160 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

08 - उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1	इन्टरलॉकिंग	07/11/18	40072.00
	योग -		40072.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय की सुविधा पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी राशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की मोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹0 40072.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से ₹20036.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से ₹ 20036.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं० .)

प्रस्तर-161 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

09- उक्त ग्राम पंचायत में भवन / आगनवाड़ी / सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	पंचायत भवन	22/11/18	35200.00
	योग -		35200.00

इस मद में एक बड़ी धनराशियों का भुगतान करना, कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹0 35200 में से ग्राम प्रधान श्रीमती

प्रतिभा सरोज से ₹0 17600.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से ₹0 35200.00 ₹0 17600.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-162 ग्राम पंचायत-बेढौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

10-उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	प्रधान मानदेय	16/07/18	14000.00
2	प्रधान मानदेय	20/07/18	21000.00
3	कूप मरम्मत	07/08/18	35620.00
4	प्रशासनिक व्यय	20/07/18	23685.00
5	कूप मरम्मत	11/03/19	84754.00
6	तिवारी ट्रेडर्स	29/03/19	48124.00
	योग -		227183.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा सरोज से रु. 113591.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव.. से रु.113591.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-163 ग्राम पंचायत-बैठौना विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	01/04/19	18459.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	30/05/19	19309.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	10/06/19	18278.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	15/06/19	18772.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	05/07/19	19699.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	23/10/19	14309.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत	31/10/19	5390.00
	योग -		114216.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व

होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- " यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से 114216.00 रु०, में से रु. 57108.00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री 57108.00. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-164 ग्राम पंचायत- बैठौना विकास खण्ड- छतोह आपति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण/मरम्मत	10/10/19	18295.00
2	नाली निर्माण/मरम्मत	31/10/19	15190.00
3	नाली निर्माण/मरम्मत	14/02/20	5983.00
4	नाली निर्माण/मरम्मत	14/02/20	5798.00
5	नाली निर्माण/मरम्मत	14/02/20	2870.00
	योग -		48136.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु० 48136 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से रु.24068.00 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव..... से रु.24068.00 और की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-165 ग्राम पंचायत- बैठौना विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

03-उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1	खडंजा निर्माण	03/01/20	232892.00
2	खडंजा निर्माण	03/01/20	18084.00
3	खडंजा निर्माण	03/01/20	83160.00
4	खडंजा निर्माण	25/01/20	58800.00
5	खडंजा निर्माण	25/01/20	25102.00
6	खडंजा निर्माण	25/01/20	8505.00
7	खडंजा निर्माण	14/02/20	37016.00
8	खडंजा निर्माण	18/02/20	78750.00
9	खडंजा निर्माण	12/03/20	23296.00
10	खडंजा निर्माण	17/03/20	17267.00
11	खडंजा निर्माण	17/03/20	9758.00
12	खडंजा निर्माण	17/03/20	6740.00
योग -			599370.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैषबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ,

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ...599370.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से रु. 299685.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु.299685.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-166 ग्राम पंचायत-बैठौना विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं०

04 - उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	इन्टरलॉकिंग	05/07/19	229888.00
2	इन्टरलॉकिंग	15/11/19	42620.00
3	इन्टरलॉकिंग	15/11/19	36297.00
4	इन्टरलॉकिंग	15/11/19	123602.00
5	इन्टरलॉकिंग	19/11/19	41272.00
6	इन्टरलॉकिंग	17/12/19	143724.00

7	इन्टरलॉकिंग	17/12/19	44017.00
8	इन्टरलॉकिंग	17/12/19	51182.00
9	इन्टरलॉकिंग	17/12/19	2217.00
10	इन्टरलॉकिंग	17/12/19	49238.00
	योग -		764057.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की सुविधा पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹0 764057.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज से ₹382028.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव..... से ₹0 3825028.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत- बैठौना विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं०

05 - उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	प्रधान मानदेय	04/06/19	17500.00
2	मजदूरी	18/10/19	1400.00
3	मजदूरी	23/10/19	5768.00
4	मजदूरी	15/11/19	1894.00
5	प्रशासनिक व्यय	25/01/20	6996.00
6	प्रशासनिक व्यय	31/01/20	4990.00
7	मिट्टी भराई	22/02/20	30000.00
8	सफाई	24/02/20	14700.00
9	प्रधान मानदेय	29/02/20	24500.00
10	मजदूरी	01/02/20	5000.00
11	कूप मरम्मत	17/03/20	21100.00
12	कूप मरम्मत	17/03/20	16244.00
13	कूप मरम्मत	17/03/20	7350.00
14	कूप मरम्मत	17/03/20	14741.00

15	कूप मरम्मत	17/03/20	20302.00
16	कूप मरम्मत	27/03/20	7350.00
17	कूप मरम्मत	30/03/20	15015.00
18	कूप मरम्मत	30/03/20	20932.00
19	कूप मरम्मत	30/03/20	7350.00
योग -			243132.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ..243132.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा सरोज.....से रु0 121566.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव.....से रु0 121566.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1		08/08/18	13650.00
2		11/09/18	32052.00
योग -			45702.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.45702.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई से रु.22851.00..... और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह..... से रु.22851.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-169 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं0

02 - उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1		30/03/19	84000.00
	योग -		84000.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्ट्रीट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 84000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई . से रु. 42000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह... से रु.42000.0 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं० -----)

प्रस्तर-170 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं0

03 - उक्त ग्राम पंचायत में खडंजा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खडंजा निर्माण	19/3/19	125212.00
2	खडंजा निर्माण	20/03/19	35000.00
3	खडंजा निर्माण	29/03/19	28875.00
4	खडंजा निर्माण	30/03/19	132000.00
5	खडंजा निर्माण	30/03/19	132000.00
6	खडंजा निर्माण	30/03/19	38500.00
	योग -		491587.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं

खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 491587.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई से रु0 245793.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह.. से रु. 245793.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

04. उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1		11/04/18	21000.00
2		11/04/18	9470.00
3		02/05/18	7000.00
4		04/01/19	22235.00
	योग -		59705.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 59705.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई से रु 29852.50. और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह से रु0 29852.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-172 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	14/05/19	5250.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	25/07/19	5390.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	30/07/19	12432.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	10/02/20	26516.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	10/02/20	13989.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	10/02/20	26466.00

	योग -	90043.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को न मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 90043.00..... में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई ----- से रु.45021.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह से रु45021.50. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-173 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण/मरम्मत		19808.00
2	नाली निर्माण/मरम्मत		12040.00
3	नाली निर्माण/मरम्मत		7182.00
4	नाली निर्माण/मरम्मत		9156.00
5	नाली निर्माण/मरम्मत		27783.00
6	नाली निर्माण/मरम्मत		13608.00
7	नाली निर्माण/मरम्मत		19278.00
	योग -		108855.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैबुल मे अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन

तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 108855.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई से रु0 54427.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह से रु0 54427.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0.....)

प्रस्तर-174 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं0

03 - उक्त ग्राम पंचायत में खडंजा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खडंजा निर्माण	11/06/19	26433.00
2	खडंजा निर्माण	11/06/19	15562.00
3	खडंजा निर्माण	16/02/20	32487.00
4	खडंजा निर्माण	17/02/20	40666.00
5	खडंजा निर्माण	29/02/20	22113.00
	योग -		137261.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैषबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को न मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु137261.00..... में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई से रु. 68630.50 किया जाना अपेक्षित है। और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह से रु. 68630.50..... की ब्याज सहित वसूली (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-175 ग्राम पंचायत-जगतपुर विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं0

04. उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	इन्टरलाकिंग	31/03/20	56147.00
	योग -		56147.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत

कार्य जिस पर इतनी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को न मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 56147.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेई से रु. 28073.50. और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह से रु.28073.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-176 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

01 - उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	20/06/18	14600.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	13/02/19	14024.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	18/03/19	15994.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	28/03/19	48834.00
	योग -		93452.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 93452.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु.46726.00. और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 46726.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

02 - उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट	12/11/18	83000.00
2	स्ट्रीट लाईट	31/12/18	41500.00
3	स्ट्रीट लाईट	07/01/19	84000.00
4	स्ट्रीट लाईट		
	योग -		208500.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹208500.00 . में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से ₹ 104250.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से ₹ 104250.00 ----- की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

03 - उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	कूड़ादान क्रय	05/11/18	31325.00
	योग -		31325.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि

को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु0 31325.00 . में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु0 15662.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव..... से रु0 15662.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-179 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

04 उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	पंचायत भवन के निर्माण	01/05/18	54600.00
2	पंचायत भवन के निर्माण	01/05/18	72616.00
3	पंचायत भवन के निर्माण	23/05/18	98013.00
4	पंचायत भवन के निर्माण	16/07/18	31500.00
5	पंचायत भवन के निर्माण	29/08/18	14176.00
6	पंचायत भवन के निर्माण	29/10/18	14501.00
7	पंचायत भवन के निर्माण	28/11/18	16170.00
8	पंचायत भवन के निर्माण	30/11/18	20500.00
	योग -		322076.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 322076.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु. 161038.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 161038.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-180 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

05 उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	विद्यालय में कराए गये निर्माण	22/05/18	20000.00
2	विद्यालय में कराए गये निर्माण	10/9/18	60000.00
3	विद्यालय में कराए गये निर्माण	23/10/18	20000.00
4	विद्यालय में कराए गये निर्माण	27/10/18	25000.00
5	विद्यालय में कराए गये निर्माण	31/10/18	60000.00
6	विद्यालय में कराए गये निर्माण	26/12/18	24265.00
7	विद्यालय में कराए गये निर्माण	12/03/19	35714.00

	योग -	244979.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 244979.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु. 122489.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 122489.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-181 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

06. उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	प्रधान मानदेय		30000.00
	प्रशासनिक व्यय		23000.00
	योग -		53000.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित हैं कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 53000.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु 26500.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 26500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-182 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

01 - उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि

1	हैण्डपम्प मरम्मत मद	16/05/19	19930.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत मद	25/07/19	58930.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत मद	25/07/19	19890.00
	योग -		98750.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.98750.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु.49375.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 49375.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-183 ग्राम पंचायत-गढ़ा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण/मरम्मत	04/03/20	32475.00
2	नाली निर्माण/मरम्मत	05/03/20	8260.00
3	नाली निर्माण/मरम्मत	05/03/20	1274.00
4	नाली निर्माण/मरम्मत	05/03/20	23127.00
5	नाली निर्माण/मरम्मत	05/03/20	18516.00
6	नाली निर्माण/मरम्मत	05/03/20	17246.00
7	नाली निर्माण/मरम्मत	05/03/20	10559.00
8	नाली निर्माण/मरम्मत	17/03/20	5894.00
9	नाली निर्माण/मरम्मत	20/03/20	17246.00
10	नाली निर्माण/मरम्मत	27/03/20	32475.00
	योग -		167072.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैशबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त हैं, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 167072.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु. 83536.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 83536.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-184 ग्राम पंचायत-गढ़ा विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

03 - उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खड़जा निर्माण	01/05/19	9723.00
2	खड़जा निर्माण	13/05/19	248000.00
3	खड़जा निर्माण	16/05/19	83000.00
4	खड़जा निर्माण	29/06/19	110000.00
5	खड़जा निर्माण	29/06/19	65000.00
6	खड़जा निर्माण	05/07/19	245000.00
7	खड़जा निर्माण	04/03/20	21477.00
8	खड़जा निर्माण	04/03/20	10556.00
9	खड़जा निर्माण	04/03/20	26390.00
10		04/03/20	10794.00
11	खड़जा निर्माण	05/03/20	10559.00
12	खड़जा निर्माण	05/03/20	11102.00
13	खड़जा निर्माण	05/03/20	2086.00
14	खड़जा निर्माण	05/03/20	5305.00
15	खड़जा निर्माण	05/03/20	27664.00
16	खड़जा निर्माण	05/03/20	26034.00
17	खड़जा निर्माण	05/03/20	5808.00
18	खड़जा निर्माण	05/03/20	10094.00
19	खड़जा निर्माण	05/03/20	14980.00
20	खड़जा निर्माण	05/03/20	8554.00
	योग -		952126.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैषबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व

होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.952126.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु. 476063.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 476063.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-185 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

04 उक्त ग्राम पंचायत में हयूम पाईप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1		04/07/19	73066.00
	योग -		73066.00

पाईप मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी हयूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति हयूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं हयूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से हयूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय हयूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.73066.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु. 36533.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु.36533.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-186 ग्राम पंचायत-गढा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

05. उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण	16/05/19	290000.00

2	स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण	16/05/19	100000.00
	योग -		390000.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 390000.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से रु. 195000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 195000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-187 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	22/05/19	5750.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	22/05/19	6900.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	22/05/19	20916.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	31/11/19	11419.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	26/12/19	10963.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	05/01/20	5890.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	05/01/20	5890.00
	योग -		67728.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक

विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 67728.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 33864.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव 33864.00 रु. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-188 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण	17/11/19	61329.00
2	नाली निर्माण	17/11/19	13658.00
3	नाली निर्माण	17/11/19	25460.00
4	नाली निर्माण	12/12/19	22793.00
5	नाली निर्माण	12/12/19	51581.00
6	नाली निर्माण	12/12/19	22217.00
7	नाली निर्माण	20/12/19	22217.00
8	नाली निर्माण	09/01/20	7154.00
9	नाली निर्माण	09/01/20	11244.00
10	नाली निर्माण	09/01/20	26538.00
11	नाली निर्माण	10/02/20	29516.00
12	नाली निर्माण	10/02/20	29794.00
	योग -		323501.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैषबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्ट्रीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कि गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 323501.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 161750.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 161750.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-189 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

03 - उक्त ग्राम पंचायत में खड्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खड्जा मरम्मत	18/04/19	131175.00

2	खडंजा मरम्मत	17/05/19	52611.00
3	खडंजा मरम्मत	22/05/19	148369.00
4	खडंजा मरम्मत	03/03/19	26129.00
5	खडंजा मरम्मत	03/03/20	7025.00
6	खडंजा मरम्मत	15/02/20	32511.00
7	खडंजा मरम्मत	15/02/20	26298.00
8	खडंजा मरम्मत	19/02/20	71452.00
9	खडंजा मरम्मत	22/02/20	36068.00
10	खडंजा मरम्मत	22/02/20	41346.00
11	खडंजा मरम्मत	22/02/20	8328.00
12	खडंजा मरम्मत	22/02/20	42472.00
	योग -		623784.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय मद एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्कयुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 623784.00 में से ग्राम प्रधान श्री बट्टी विशाल से रु. 311892.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 311892.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-190 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

04 - उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	09/05/19	79932.00
2	ह्यूम पाइप	26/02/20	74230.00
	योग -		154162.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.154162.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 77081.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु.77081.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-191 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपति सं०

05-उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	कायाकल्प	22/05/19	15375.00
2	कायाकल्प	10/02/20	20297.00
3	कायाकल्प	10/02/20	83833.00
		योग -	119505.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 119505.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती श्री बद्री विशाल से रु. 59752.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 59752.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

06-उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	इन्टर लॉकिंग निर्माण	10/02/20	83833.00
2	इन्टर लॉकिंग निर्माण	05/11/19	128856.00
3	इन्टर लॉकिंग निर्माण	17/11/19	34858.00
4	इन्टर लॉकिंग निर्माण	17/11/19	128856.00
5	इन्टर लॉकिंग निर्माण	17/11/19	21970.00
6	इन्टर लॉकिंग निर्माण	03/01/20	109924.00
7	इन्टर लॉकिंग निर्माण	03/01/20	25902.00
8	इन्टर लॉकिंग निर्माण	03/01/20	33521.00
9	इन्टर लॉकिंग निर्माण	15/02/20	97385.00
10	इन्टर लॉकिंग निर्माण	03/03/20	27534.00
11	इन्टर लॉकिंग निर्माण	04/03/20	80411.00
12	इन्टर लॉकिंग निर्माण	04/03/20	10706.00
13	इन्टर लॉकिंग निर्माण	12/03/20	24268.00
	योग -		808024.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी राशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, 'प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 808024.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 404012.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 404012.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट पर निम्ननुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	02/07/18	10350.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	06/07/18	18217.00

3	हैण्डपम्प मरम्मत	26/03/19	19545.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	29/03/19	40425.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	29/03/19	42004.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	29/03/19	41388.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत	29/03/19	41704.00
योग -			213633.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 213633.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 106816.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 106816.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-194 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं० 02

02 - उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्ट्रीट लाइट क्रय	20/03/19	42000.00
2	स्ट्रीट लाइट क्रय	20/03/19	42000.00
3	स्ट्रीट लाइट क्रय	20/03/19	42000.00
योग -			126000.00

स्ट्रीट लाइट मद में एक मुफ्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाइट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- " यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की

जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.126000.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 63000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु... 63000.00. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-195 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

03- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	सफाई किट	18/06/18	18500.00
2	कूड़ादान क्रय	15/02/19	15375.00
3	कूड़ादान क्रय	15/02/19	22375.00
	योग -		56250.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है। , ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैंडमार्ग युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु... 56250.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 28125.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 28125.00. की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-196 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं० 04

04 - उक्त ग्राम पंचायत में खड्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खड्जा निर्माण	02/02/19	27937.00
2	खड्जा निर्माण	02/02/19	1018.00
3	खड्जा निर्माण	02/02/19	5250.00
4	खड्जा निर्माण	02/02/19	83784.00
5	खड्जा निर्माण	04/02/19	1423.00
6	खड्जा निर्माण	04/02/19	14616.00
7	खड्जा निर्माण	04/02/19	1069.00
8	खड्जा निर्माण	13/02/19	143681.00
9	खड्जा निर्माण	14/02/19	139456.00
	योग -		418234.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खड्जा मरम्मत कार्य जिसमें खड्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको

एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैषबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.418234.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 209117.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु.209117.00. वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-197 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपत्ति सं०

05 - उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	30/11/18	33049.00
2	ह्यूम पाइप	15/02/19	81961.00
3	ह्यूम पाइप	22/02/19	79932.00
	योग -		194942.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र

सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 194942.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 97471.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 97471.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-198 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपति सं० 06

06 - उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	इंटर लॉकिंग	29/03/19	348243.00
	योग -		348243.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- " यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मायुक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 348243.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्री विशाल से रु. 174121.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 174121.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-199 ग्राम पंचायत-बारा विकास खण्ड-छतोह आपति सं० 07

07- उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	सामग्री	01/10/18	70000.00
2	सामग्री	05/11/18	40000.00
3	मजदूरी	10/12/18	15475.00
4	खिडकी	12/12/18	9733.00
5	सामग्री	27/12/18	41768.00
6	सामग्री	02/02/19	59512.00
7	डाटा एंट्री	02/02/19	1000.00
8	पेंटिंग	02/02/19	10489.00

9	मजदूरी	02/02/19	5075.00
10	मजदूरी	02/02/19	5075.00
11	सामग्री	02/02/19	44680.00
12	प्रधान मानदेय	22/03/19	31500.00
13	प्रधान मानदेय	08/02/19	10500.00
14	मजदूरी	29/03/19	28000.00
योग -			372807.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- " यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 372807.00 में से ग्राम प्रधान श्री बद्रीविशाल से रु. 186403.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय यादव से रु. 186403.50 की वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-200 ग्राम पंचायत-कोरचन्दा मउ विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

01 - उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	19/06/19	8650.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	16/07/19	36612.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	02/08/19	11925.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	13/02/20	33655.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	17/03/20	9856.00
योग -			100698.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए . इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं

प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 100698.00 में से ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रु. 50349.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 50349.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-201 ग्राम पंचायत-कोरचन्दामउ विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट मद	02/08/19	71050.00
	योग -		71050.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैंडमार्क कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 71050.00 में से ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रु.35525.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरनयादव से रु. 35525.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-202 ग्राम पंचायत-कोरचन्दामउ विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

03- उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	कूड़ादान	13/02/20	21000.00
	योग -		21000.00

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कूड़ादान एवं अन्य कार्यों में, एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कूड़ादान की खरीद की गयी है एवं प्रतिकूड़ादान व्यय कितना है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैंडमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है,

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु... 21000.00 में से ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रु.10500.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.10500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-203 ग्राम पंचायत-कोरचन्दामउ विकास खण्ड-राही आपत्ति सं० 04

04 - उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण	29/02/20	65625.00
2	नाली निर्माण	29/02/20	69079.00
3	नाली निर्माण	29/02/20	38004.00
	योग		172708.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क: युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 172708.00 में से ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रु.86354.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 86354.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-204 ग्राम पंचायत-कोरचन्दामउ विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

05 उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	12/08/19	22500.00
2	ह्यूम पाइप	13/02/20	83507.00
	योग -		106007.00

ह्यूम पाइप मद में एक मुफ्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैंड मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 106007.00 में से ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रु.53003.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.53003.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-205 ग्राम पंचायत-कोरचन्दामउ विकास खण्ड-राही आपति सं0 06

06 - उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	09/07/19	45129.00
2	स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	11/07/19	50017.00
3	स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	17/07/19	24381.00
4	स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	19/07/19	31500.00
5		01/08/19	6426.00
	योग -		157453.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 157453.00 में से ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल से रु. 78726.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 78726.50 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-206 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपति सं0 01

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	11/07/19	4998.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	08/08/19	10710.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	09/12/19	14206.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	09/12/19	32729.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	09/12/19	16128.00
	योग -		78771.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.78771.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु. 39385.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 39385.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-207 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपत्ति सं० 02

02-उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट	29/06/19	49170.00
	योग -		49170.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए राशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, कार्य तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के

अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 49170.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु. 24585.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.24585.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-208 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

03 - उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण/मरम्मत	09/04/19	28262.00
2	नाली निर्माण/मरम्मत	16/07/19	20790.00
3	नाली निर्माण/मरम्मत	31/07/19	67468.00
4	नाली निर्माण/मरम्मत	31/07/19	23246.00
5	नाली निर्माण/मरम्मत	01/08/19	34156.00
	योग -		173922.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैषबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक : में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियाँ जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 173922.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु. 86961.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 86961.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-209 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपत्ति सं० 04

04 - उक्त ग्राम पंचायत में खड्जा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खड्जा निर्माण	31/07/19	23128.00
2	खड्जा निर्माण	31/07/19	73500.00
3	खड्जा निर्माण	31/12/19	19154.00
4	खड्जा निर्माण	03/12/19	27874.00
5	खड्जा निर्माण	03/12/19	17841.00
6	खड्जा निर्माण	03/12/19	32914.00
	योग -		194411.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य खड्जा मरम्मत कार्य जिसमें खड्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड्जा निर्माण एवं

मरम्मत जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैषबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 194411.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु.97205.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 97205.50 की वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-210 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

05 - उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	07/01/20	96643.00
2	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	07/01/20	27236.00
3	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	08/01/20	102721.00
4	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	08/01/20	49758.00
5	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	15/01/20	27236.00
6	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्य	13/02/20	62000.00
	योग -		365594.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण / मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-“यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय

पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.365594.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु. 182797.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 182797.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-211 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपति सं0 06

06 - उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलॉकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	इन्टरलॉकिंग निर्माण	01/08/19	99120.00
	योग -		99120.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय मद एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की सुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलॉकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी राशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाण एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 99120.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु. 49560.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.49560.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-212 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही आपति सं0

07 - उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मिट्टी भराई	11/07/19	8558.00
2	मजदूरी	08/08/19	36148.00
3	नेट कैफे	02/11/19	6500.00
4	मिट्टी भराई	24/12/19	23870.00

5	प्रधान मानदेय	06/04/19	17500.00
6	प्रधान मानदेय	07/01/20	10500.00
7	प्रधान मानदेय	20/01/20	10500.00
8	नेट कैफे	07/01/20	6500.00
	योग -		120076.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । " व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 120076.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकली से रु. 60038.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.60038.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-213 ग्राम पंचायत-कलन्दरपुर विकास खण्ड-राही आपत्ति सं० 01

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत		9450.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत		4998.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत		41180.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत		17400.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत		41256.00
	-		24189.00
	योग -		138473.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, माप कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 138473.00 में से ग्राम प्रधान श्री आदित्य

कुमार से रु.69236.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.69236.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0.....)

प्रस्तर-214 ग्राम पंचायत-कलन्दरपुर विकास खण्ड-राही आपत्ति सं0 02

02- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	नाली निर्माण/मरम्मत	29/06/19	57750.00
2	नाली निर्माण/मरम्मत	22/07/19	42384.00
3	नाली निर्माण/मरम्मत	02/08/19	28470.00
4	नाली निर्माण/मरम्मत	11/12/19	87885.00
5	नाली निर्माण/मरम्मत	11/12/19	65378.00
6	नाली निर्माण/मरम्मत	16/12/19	38700.00
7	नाली निर्माण/मरम्मत	18/12/19	48589.00
8	नाली निर्माण/मरम्मत	18/12/19	63504.00
9	नाली निर्माण/मरम्मत	18/12/19	19571.00
10	नाली निर्माण/मरम्मत	18/12/19	22686.00
11	नाली निर्माण/मरम्मत	20/12/19	11990.00
	योग		486907.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैषबुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है, खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है, जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गवन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोल, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 486907.00 में से ग्राम प्रधान श्री आदित्य कुमार से रु. 243453.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु.243453.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-215 ग्राम पंचायत-कलन्दरपुर विकास खण्ड-राही आपत्ति सं0 03

03 - उक्त ग्राम पंचायत में खडंजा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खडंजा निर्माण	22/07/19	40950.00
2	खडंजा निर्माण	22/07/19	67158.00
3	खडंजा निर्माण	22/07/19	63882.00
4	खडंजा निर्माण	25/07/19	9400.00

5	खडंजा निर्माण	25/07/19	1200.00
6	खडंजा निर्माण	25/07/19	14800.00
7	खडंजा निर्माण	02/08/19	8416.00
8	खडंजा निर्माण	02/08/19	14048.00
9	खडंजा निर्माण	02/08/19	13320.00
10	खडंजा निर्माण	18/12/19	35175.00
11	खडंजा निर्माण	20/12/19	12488.00
	योग -		280837.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय मद एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैषबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए राशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । " व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 280837.00 में से ग्राम प्रधान श्री आदित्य कुमार से रु. 140418.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 140418.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०)

प्रस्तर-216 ग्राम पंचायत-कलन्दरपुर विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

04 - उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	24/07/19	97761.00
	योग -		97761.00

ह्यूम पाइप में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाइप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाइप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्रावधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । " व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.97761.00 में से ग्राम प्रधान श्री आदित्य कुमार से रु. 48880.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 48880.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-217 ग्राम पंचायत-कलन्दरपुर विकास खण्ड-राही आपत्ति सं0 05

05 - उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मजदूरी	20/12/19	30414.00
2	सामग्री क्रय	14/02/20	37650.00
3	प्रधान मानदेय	04/04/19	28000.00
4	प्रधान मानदेय	18/02/20	35000.00
5	ब्रिक का भुगतान	30/03/20	41580.00
6	मजदूरी	30/03/20	15496.00
7	सीमेंट मोरंग का भुगतान	30/03/20	29278.00
8	सीमेंट मोरंग का भुगतान	30/03/20	45742.00
9	ब्रिक का भुगतान	30/03/20	18805.00
10	मजदूरी	30/03/20	14752.00
	योग -		296717.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 296717.00 में से ग्राम प्रधान श्री आदित्य कुमार से रु. 148358.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 148358.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-218 ग्राम पंचायत-आंटीनौगवां विकास खण्ड-राही आपत्ति सं0

01-उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	04/04/19	7000.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	18/04/19	46136.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	13/05/19	14000.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	03/06/19	8400.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	16/07/19	9282.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	26/11/19	22460.00
7	हैण्डपम्प मरम्मत	28/12/19	35206.00
	योग -		142484.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 142484.00 में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रु. 71242.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 71242.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-219 ग्राम पंचायत-आंटीनौगांव विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

02 - उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	स्ट्रीट लाईट मद	06/04/19	33250.00
2	स्ट्रीट लाईट मद	28/12/19	98780.00
	योग -		132030.00

स्ट्रीट लाईट मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, एवं प्रति स्ट्रीट लाईट व्यय कितना है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, 7 प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है,

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 132030.00 में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रु...66015.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु... 66015.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-220 ग्राम पंचायत-आंटीनौगवां विकास खण्ड-राही आपत्ति सं० 03

03 - उक्त ग्राम पंचायत में खडंजा निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	खडंजा निर्माण	20/12/19	28875.00
2	खडंजा निर्माण	20/12/19	21000.00
3	खडंजा निर्माण	24/12/19	99120.00
4	खडंजा निर्माण	07/01/20	13125.00
5	खडंजा निर्माण	07/01/20	18375.00
6	खडंजा निर्माण	20/01/20	22050.00
	योग -		202545.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय मद एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्य तथा खडंजा मरम्मत कार्य जिसमें खडंजे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खडंजा निर्माण एवं मरम्मत जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्रामपंचायत दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं खण्ड 8 में प्रावधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदितकार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु..202545.00 में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रु. 101272.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 101272.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-221 ग्राम पंचायत-आंटीनौगवां विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

04 - उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाइप	18/11/19	55228.00
	योग -		55228.00

हयूम पाईप मद में एक मुष्ट बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी हयूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति हयूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख ₹0 से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं हयूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से हयूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय हयूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि ₹.55228.00 में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से ₹. 27614.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से ₹. 27614.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-222 ग्राम पंचायत-आंटीनौगवां विकास खण्ड-राही आपत्ति सं०

05 - उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	इन्टरलाकिंग	03/04/19	34545.00
2	इन्टरलाकिंग	08/04/19	32142.00
3	इन्टरलाकिंग	13/05/19	19824.00
4	इन्टरलाकिंग	24/12/19	74340.00
5	इन्टरलाकिंग	24/12/19	33927.00
6	इन्टरलाकिंग	24/12/19	86730.00
	योग -		281508.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय मद एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय की सुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैशबुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये " एवं

खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित हैं। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.281508.00 में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रु. 140754.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु. 140754.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०.....)

प्रस्तर-223 ग्राम पंचायत-आंटीनौगवां विकास खण्ड-राही आपति सं० 06

06 - उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	कारटेज भुगतान	20/01/20	10350.00
2	मजदूरी भुगतान	20/01/20	23534.00
3	मजदूरी भुगतान	20/01/20	13342.00
4	ब्रिक ब्लास्ट ईट	06/02/20	27594.00
5	ब्रिक ब्लास्ट ईट	06/02/20	27295.00
6	ब्रिक ब्लास्ट ईट	06/02/20	24570.00
7	ब्रिक ब्लास्ट ईट	06/02/20	27594.00
8	सीमेंट कोरसेंड	03/03/20	20668.00
9	जिग जेग ईट	03/03/20	99120.00
10	मजदूरी	04/03/20	22032.00
11	मजदूरी	17/03/20	1800.00
12	मजदूरी	17/03/20	4560.00
13	मजदूरी	17/03/20	27652.00
14	सीमेंट कोरसेंड	18/03/20	20668.00
	योग -		350779.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु० 350779.00 में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रु० 175389.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवबरन यादव से रु० 175389.50 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०.....)

प्रस्तर-224 ग्राम पंचायत-सिधौरा सोममऊ विकास खण्ड-हरचन्दपुर आपत्ति सं0
ग्राम पंचायत डिघौरा सोममऊ की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	प्राथमिक वि 0डिघौरा सोममऊ में प्लम्बरिंग कार्य)वर्ष 2018-19का अवशेष(	15400.00
2	इंटरलॉकिंग कार्य गंगाराम के घर से पकरिया के पेड़ तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	130545.00
3	खडंजा निर्माण सुरेश अवस्थी के खेत के पास से संतू कुरील के खेत तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	71988.00
4	खडंजा निर्माण संतू कुरील के खेत से तेज सिंह की बाग तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	72548.00
5	इंटरलॉकिंग कार्य सीसी रोड से कल्याण सिंह के घर तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	148757.00
6	इंटरलॉकिंग कार्य इंटरलॉकिंग रोड से पूर्वी के खेत तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	132474.00
7	इंटरलॉकिंग कार्य शिवकुमार के खेत के पास से संतदीन के घर तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	132249.00
8	इंटरलॉकिंग कार्य देवनारायण के घर से रामप्यारे के घर तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	132288.00
9	इंटरलॉकिंग कार्य सीसी रोड से बिन्दा कुमार के घर तक)वर्ष 2018-19का अवशेष(	54149.00
10	हैंडपंप रीबोर	212708.00
11	हैंडपंप मरम्मत	380263.00
12	इंटरलॉकिंग कार्य पक्की रोड से भगवानदास के घर तक	116194.00
13	इंटरलॉकिंग कार्य पकरिया के पेड़ से नहर तक	191631.00
14	इंटरलॉकिंग कार्य सीसी रोड से अश्वनी अवस्थी के घर तक	153144.00
15	इंटरलॉकिंग कार्य इंटरलॉकिंग रोड से जगपाल गोडिया के घर तक	104981.00
16	खडंजा निर्माण राजकुमार के घर से रज्जन के घर तक	75845.00
17	खडंजा निर्माण देवपाल के घर से रामरतन के घर तक	60585.00
18	ह्यूम पाईप क्रय	159208.00
19	इंटरलॉकिंग निर्माण रमेश के घर से संतोष धोबी के घर तक	184256.00
20	इंटरलॉकिंग कार्य महारानी के चबूतरा से रामपाल के घर तक	195348.00
21	इंटरलॉकिंग निर्माण गंगाचरण के घर से पक्की रोड तक	195348.00
22	इंटरलॉकिंग निर्माण रामसेवक के घर से महारानी के चबूतरा तक	193264.00
23	आंगनवाडी केन्द्र रंगाई पुताई कार्य	32500.00
24	प्रशासनिक व्यय	39901.40
25	प्रधान मानदेय	35000.00
26	खडंजा मरम्मत सीसी रोड से गुरुशरण मिस्त्री के घर तक	37419.00
	योग	3257993.40

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखोंको उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 16-01-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया, फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 19-03-21 को लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) (के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 , 3257993.40 की ग्राम प्रधान श्रीमती गिरिजादेवी से तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामाशीष से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-225 ग्राम पंचायत-बाला विकास खण्ड-हरचन्दपुर आपत्ति सं0

04- ग्राम पंचायत बाला की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	इंटरलॉकिंग निर्माण चन्दन के घर से गोपी के घर तक	229934.00
2	इंटरलॉकिंग निर्माण रामनाथ के घर से सुंदरपासी के घर तक	222118.00
3	ह्यूम पाइप क्रय	304439.00
4	हैंडपंप मरम्मत	181573.00
5	हैंडपंप रीबोर	44596.00
6	प्रशासनिक व्यय	9450.00
7	इंटरलॉकिंग निर्माण फूलसिंह के घर से गयादीन के घर तक	96642.00
8	इंटरलॉकिंग निर्माण कल्लू के घर से रवीन्द्र सैनी के घर तक	96164.00
9	इंटरलॉकिंग निर्माण मुकेश के घर से सुन्दर मिस्त्री के घर तक	96164.00
10	इंटरलॉकिंग निर्माण विजय के घर से श्रवण के घर तक	96164.00
11	इंटरलॉकिंग निर्माण पक्की सड़क से सतगुरु के घर तक	193574.00
12	इंटरलॉकिंग निर्माण सीसी रोड से संजय यादव के घर तक	195364.00
13	इंटरलॉकिंग निर्माण रामचंद्र के घर से सुनील यादव के घर तक	194974.00
14	इंटरलॉकिंग निर्माण राकेश के घर से राम औतार के घर तक	193585.00
15	ग्राम प्रधान मानदेय	45500.00
16	सफाई किट	21106.00
17	कटौती	620.00
	योग	2221967.00 (कटौती 620 घटाने पर- 2221347)

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के

समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखोंको उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 18-11-2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया, फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 04-03-21 को लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) (के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 , 2221347.00 की श्रीमती लीलावती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामाशीष से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-226 ग्राम पंचायत-हिलालगंज विकास खण्ड-हरचन्दपुर आपत्ति सं0

ग्राम पंचायत हिलालगंज की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	प्रशासनिक व्यय	30550.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	119692.00
3	प्रधान मानदेय	38500.00
4	आंगनवाडी केंद्र में शौचालय निर्माण कार्य	53790.00
5	रामकुमार के घर से श्रीपाल के घर तक नाली निर्माण	89086.00
6	प्राथमिक विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य	169315.00
7	सूरजपाल के घर से रामलाल के घर तक नाली निर्माण	99578.00
	योग	600511.00

पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखोंको उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 21जनवरी2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी)पंचायत (से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया, फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 20-03-21 को लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) (के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 , 600511.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सुनीता तथा ग्रामपंचायत अधिकारी रामाशीष से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-227 ग्राम पंचायत-चौहनिया विकास खण्ड-हरचन्दपुर आपत्ति सं0

ग्राम पंचायत चौहनिया की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	प्राथमिक विद्यालय चौहनिया में कायाकल्प	119472.00
2	हैंडपंप रिबोर	55286.00
4	हैंडपंप मरम्मत	86485.00
5	ह्यूम पाईप क्रय	93681.00
6	ग्राम प्रधान मानदेय	42000.00
7	प्रशासनिक व्यय	20485.00
8	इंटरलॉकिंग निर्माण कंधई के घर से सीसी रोड तक	190979.00
9	इंटरलॉकिंग निर्माण मस्जिद के पास से राम सिंह के घर तक	195579.00
	बिविध व्यय	177.00
	योग	804144.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 29-12-2020 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत (से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया, फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 18-03-21 को लेखा परीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) (के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 , 804144.00 की नियमानुसार

ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता तथा ग्राम पंचायत अधिकारी रामाशीष से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-228 ग्राम पंचायत-हरचन्दपुर विकास खण्ड-हरचन्दपुर आपत्ति सं0

ग्राम पंचायत हरचंदपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	खड्जा मरम्मत शिवशंकर के घर से पक्की सड़क तक	44596.00
2	नाली मरम्मत शिवशंकर के घर से पक्की सड़क तक	55596.00
3	कूड़ा प्रबंधन	18000.00
4	हैंडपंप मरम्मत	132091.00
5	ह्यूम पाईप क्रय	223890.00
6	ग्राम प्रधान मानदेय	45500.00

7	सामुदायिक शौचालय निर्माण	199693.00
8	इंटरलॉकिंग निर्माण रमेश श्री 0 के घर से कृष्ण कुमार के घर तक	248718.00
9	इंटरलॉकिंग निर्माण आनिल श्री 0 के घर से हरि के घर तक	184653.00
10	इंटरलॉकिंग निर्माण कुंआं से लक्ष्मी के हाता तक	249737.00
11	इंटरलॉकिंग निर्माण पक्की सड़क से लक्ष्मी के हाता तक	246850.00
12	प्रशासनिक व्यय	10150.00
13	इंटरलॉकिंग निर्माण नचई के घर से संजू के घर तक	85790.00
14	इंटरलॉकिंग निर्माण मुकुट वकील के घर से लाल मंदिर तक	412157.00
15	इंटरलॉकिंग निर्माण भोंदू के घर से मुन्ना के घर तक	132037.00
16	नाली निर्माण चुनरी के घर से इस्माइल के घर तक	118804.00
17	नाली निर्माण मुकुट वकील के घर से लाल मंदिर तक	71706.00
18	खडंजा निर्माण इंटरलॉकिंग रोड से बाबूलाल मौर्या के घर तक	66150.00
19	नाली निर्माण गुलाम हुसैन के घर से मन्नी के ताल	145651.00
20	योग	2692769.00

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 02-02-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत (से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया, फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 24-03-21 को लेखा परीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) (के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 , 2692769.00 की नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती मृदुला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी रामाशीष से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-229 ग्राम पंचायत-कुण्डौली विकास खण्ड-बछरावां आपति सं0

अधिभर सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	चेक नं.	दिनांक	धनराशि
1	13520540	हैन्ड पम्पा मरम्मत/रिबोर			
1	„	हैन्ड पम्प मरम्मत	0507	28/06/19	14000.00
2	„	हैन्ड पम्प सामग्री	0508	„	22950.00
3	„	हैन्ड पम्प सामग्री-सरदार मशीनरी स्टोर	पीएफएम एस	24/12/19	47846.00
4	„	हैन्ड पम्प मजदूरी	„	„	13300.00
5	13520541	हैन्ड पम्प रिबोर	0502	29/06/19	39200.00
6	„	हैन्ड पम्प रिबोर	0503	„	60760.00

7	„	हैन्ड पम्प रिबोर	0504	30/06/19	15200.00
8	„	हैन्ड पम्प रिबोर	0505	„	21262.00
9	„	हैन्ड पम्प रिबोर-प्लेटफार्म निर्माण	0506	12/07/19	34250.00
10	„	हैन्ड पम्प सामग्री-सरदार मशीनरी स्टोर	पीएफएम एस	31/03/20	16128.00
11	„	हैन्ड पम्प सामग्री-सरदार मशीनरी स्टोर	पीएफएम एस	„	13200.00
		योग -	--	--	298096.00
2	13520526	प्रशासनिक व्यय			
1	13520526	निविदा विज्ञप्ति-आनंद टाइम्स	0497	07/07/19	3500.00
2	„	स्टेशनरी	0498	„	1000.00
3	„	फोटो कॉपी	0499	12/07/19	16410.00
4	„	निविदा विज्ञप्ति	0500	„	2687.00
5	„	वाल पेंटिंग	0501	„	10200.00
6	„	निविदा विज्ञप्ति-आनंद टाइम्स	पीएफएम एस	23/01/20	3500.00
7	„	निविदा विज्ञप्ति-आनंद टाइम्स	„	14/02/20	3500.00
8	„	निविदा विज्ञप्ति-आनंद टाइम्स	„	16/03/20	3500.00
9	„	डाटा फीडिंग-सुमेश कुमार सिंह	„	28/03/20	5000.00
10	„	स्टेशनरी रवि शंकर	„	31/03/20	5520.00
11	13520527	प्रधान मानदेय दुर्गा देवी	„	27/03/20	35000.00
12	„	प्रधान मानदेय - दुर्गा देवी	„	31/03/20	7000.00
		योग -			96817.00
3	18024951	ह्यूम पाइप			
1	„	ह्यूम पाइप	0496	12/07/19	97349.00
2	„	ह्यूम पाइप-गया प्रसाद ट्रेडिंग	पीएफएम एस	24/12/19	82027.00
		योग -			179376.00
4	13520549	इन्टरलॉकिंग-फूलचंद्र के घर से मंगल के घर तक			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	14/01/20	23464.00
2	„	सामग्री-मे. हिमांशु कान्क्रीट्स	„	„	83632.00
3	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	26989.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	21/01/20	26866.00
		योग -			160951.00
5	13520525	इन्टरलॉकिंग-जगन्नाथ के घर से राजाराम के घर			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	14/01/20	26353.00
2	„	सामग्री-मे. हिमांशु कान्क्रीट्स	„	„	111014.00
3	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	32640.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	21/01/20	33320.00
		योग -			203327.00

6	13520538	इन्टरलॉकिंग-बराती के घर से नाली तक			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	14/01/20	22423.00
2	„	सामग्री-मे. हिमांशु कान्क्रीट्स	„	„	117705.00
3	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	26195.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	21/01/20	32606.00
		योग -			198929.00
7	13520522	इन्टरलॉकिंग-महेश के घर से राजाराम के घर तक			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	14/10/20	19996.00
2	„	सामग्री-मे. हिमांशु कान्क्रीट्स	„	„	21838.00
3	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	93544.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	21/01/20	27412.00
		योग -			162790.00
8	20237566	इन्टरलॉकिंग-जगदीश के घर से प्रेमा के घर तक			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	27/03/20	89853.00
2	„	सामग्री-मे. हिमांशु कान्क्रीट्स	„	„	190632.00
3	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	44246.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	28/03/20	52304.00
		योग -			377035.00
9	20237565	इन्टरलॉकिंग-पक्की रोड से लाल बहादुर के घर तक			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	27/03/20	88506.00
2	„	सामग्री-मे. हिमांशु कान्क्रीट्स	„	„	219277.00
3	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	34186.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	29/03/20	49658.00
5	„	मजदूरी भुगतान	„	31/03/20	1092.00
		योग -			392719.00
10	20237568	नाली निर्माण-राम प्रकाश के घर से तालाब तक			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	27/03/20	49253.00
2	„	सामग्री-मे. नन्हा ब्रिक फील्ड	„	„	38612.00
3	„	सामग्री भुगतान	„	28/03/20	22484.00
4		योग -			110349.00
11	20237560	कायाकल्प-प्राथमिक विद्यालय कुंडौली			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	28/03/20	15278.00
2	„	सामग्री-मे. सरदार मशीनरी	„	„	31512.00
3	„	सामग्री-मे. मौर्या पैंट्स एण्ड हार्डवेयर	„	„	76292.00

4	„	मजदूरी भुगतान	„	„	15652.00
		योग -			138734.00
12	13520551	कायाकल्प-प्राथमिक विद्यालय, सोनहरा			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	28/03/20	73792.00
2	„	सामग्री-मे. मौर्या पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर	„	„	15604.00
3	„	मजदूरी भुगतान	„		16016.00
		योग -			105412.00
13	13520550	कायाकल्प-प्राथमिक विद्यालय सोनहरा			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	28/03/20	17849.00
2	„	सामग्री-वर्मा ट्रेडर्स	„	„	7500.00
3	„	सामग्री-मे. मौर्या पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर	„	„	60291.00
4	„	मजदूरी भुगतान	„	„	24906.00
5	„	पेन्ट्स-रोहित एवं जगदीश	„	31/03/20	3500.00
		योग -			114046.00
14	13520532	कायाकल्प-प्राथमिक विद्यालय, सोनहरा			
1	„	सामग्री-राम कुमार ट्रेडर्स	पीएफएम एस	28/03/20	30690.00
2	„	सामग्री-मे. सरदार मशीनरी	„	„	18628.00
3	„	सामग्री-मे. मौर्या पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर	„	„	33337.00
4	„	मिट्टी भुगतान	„	„	54802.00
5	„	मजदूरी भुगतान	„	29/03/20	23296.00
		योग -			160753.00
		महायोग -			2699334.00

उपरोक्त दर्शित समस्त धनराशि रु 2699334.00 के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, टेण्डर, कोटेशन, अनुमानित व्यय प्राकल्लन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, मस्टर रोल, त्रिस्तरीय फोटो, एम बी, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्माण कार्य संबंधी पत्रावलिआं लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्यक अभिलेखों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुयल के पृष्ठ संख्या-36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिवपती व ग्राम विकास अधिकारी श्री अवध बिहारी वाजपेयी समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-230 ग्राम पंचायत-पण्डरीकला विकास खण्ड-बछरावां आपत्ति सं0

1. आलोच्य वर्ष में इण्टरलाकिंग कार्य- सीसी रोड से प्रेमशंकर के घर तक कराया गया। मस्टर रोल दिनांक 08/03/2020 से 24/03/20 तक दर्शित है। जिसके अनुसार दिनांक 22 मार्च 2020, जनता कर्फ्यू के दिन, ग्यारह (11) अकुशल तथा चार (4) कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य कराया जाना दर्शित है। कोरोना महामारी के दौरान शासकीय आदेशों के विपरीत कार्य कराना दर्शाया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसके लिये रु 3402.00 की मजदूरी का भुगतान किया गया है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम सचिव व प्रधान द्वारा शासकीय आदेशों के विपरीत कार्य प्रारम्भ कर गंभीर अनियमितता बरती गयी है। अतः इस संबंध में जिम्मेदार व्यक्तियों से स्पष्टीकरण नियमों में निर्धारित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धलाल से रु 1701.00 और पंचायत सचिव श्री शिवाकांत से रु 1701.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

प्रस्तर-231 ग्राम पंचायत-पण्डरीकला विकास खण्ड-बछरावां आपत्ति सं0

2. आलोच्य वर्ष में नाला निर्माण कार्य श्रीराम के घर से तालाब तक कराया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष मेसर्स आदित्य इण्टरप्राइजेस के बिल संख्या 41 द्वारा दिनांक 29/03/2020 को ईट तथा ईट गिटटी के कय हेतु रु 58355.64 का व्यय दर्शित है। दिनांक

29/03/2020 को मेसर्स प्रताप इण्टरप्राइजेस के बिल संख्या 173 के द्वारा सीमेंट, बालू, मोरंग तथा पत्थर गिटटी के कय हेतु रु 53438.42 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार कुल रु 111794.06 का व्यय भुगतान दिनांक 29/03/2020 को दर्शाया गया है। दिनांक 29/03/2020 को सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन (25 मार्च से 14 अप्रैल 2020) लगाया गया था। अतः इस स्थिति में कोरोना महामारी के दौरान शासकीय आदेशों के विपरीत व्यय भुगतान दर्शाया जाना काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसके लिये रु 111794.06 का व्यय भुगतान किया गया है। इस संबंध में संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से स्पष्टीकरण नियमों में निर्धारित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धलाल से रु 55897.03 और पंचायत सचिव श्री शिवाकांत से रु 55897.03 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

प्रस्तर-232 ग्राम पंचायत-गंगापुर बरस विकास खण्ड-डलमऊ आपति सं0
आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्य श्याम लाल पुत्र बच्चू के खेत का समतलीकरण में मजदूरी पर व्यय रुपए 65156.00 (मास्टर रोल संख्या 8334 से 8337 तक रुपए 33852.00 व मास्टर रोल संख्या 8159 से 8162 तक रुपए 31304.00) व सामग्री पर व्यय रुपए 3300.00 कुल रुपए 68456.00 व्यय किया गया है, जिसपर निम्न आपतियाँ हैं
(1) उक्त कार्य का प्राक्कलन रुपए 57278.00 (श्रम रुपए 53444.00 व सामग्री रुपए 3300.00) का है, तदनुसृत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 460 दिनांक 24.01.2019 प्रदान की गई है।
(2) उक्त कार्य की माप पुस्तिका में श्रम पर व्यय रुपए 52052.00 व सामग्री पर व्यय रुपए 3300.00 अंकित किया गया है।
इसप्रकार उक्त कार्य पर मजदूरी मद में मापी लागत से रुपए 13104.00 का अधिक भुगतान करके गंभीर अनियमितता की गई है।
जिसके लिए श्री सुरेश कुमार ग्रा० पं० अधि०; श्री राम दास ग्रा० प्रधान तथा तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा व लेखाकार मनरेगा डलमऊ समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी पक्षों से समानुपातिक रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रारूप =04

ग्राम पंचायत सीतापुर सम्बन्धी

ग्राम पंचायत- लौली

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 1 - ग्राम पंचायत लौली की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	761364=00	457480=00
2	2016-17	916431=00	784261=00
3	2017-18	1066340=00	1431028=00
4	2018-19	1927332=00	1584855=00
5			
	योग ---	4671467=00	4257624=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मास्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.4257624=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री शिवराज राजवंशी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल थारू से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मिर्जापुर उत्तरी

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 2 - ग्राम पंचायत मिर्जापुर उत्तरी की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	854901=00	447370=00
2	2016-17	1223273=00	1168460=00
3	2017-18	1349279=00	993141=00
5			
4	2018-19	2205926=00	780600=00
	योग ---	5633379=00	3389571=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप हेतु संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3389571=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लक्ष्मण तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पौडावर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 3 - ग्राम पंचायत पौडावर की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	556247=00	374025=00
2	2016-17	719838=00	737000=00
3	2017-18	1125449=00	736232=00
4	2018-19	1561267=00	1678003=00
5			
	योग ---	3962801=00	3525260=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप हेतु संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3525260=00 की वसूली जिम्मेदारतात्कालिक ग्राम प्रधानश्रीमती सरोज कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

7

ग्राम पंचायत- मछरेहटा

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 4 - ग्राम पंचायत मछरेहटा की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	2512336=00	1832184=00
2	2016-17	5474605=00	6410813=00
3	2017-18	1224175=00	130926=00
4	2018-19	4913435=00	135015=00
5			
	योग ---	14124551=00	8508938=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.8508938=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री मती शन्नों एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव मिश्र से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उत्तरथोक

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 5 - ग्राम पंचायत उत्तरथोक की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	2532682=00	602598=00
2	2018-19	2807531=00	2755662=00
	योग	5340213=00	3358260=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय

8

के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3358260=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री दीनबन्धु एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल थारू से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उमरापुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 6 - ग्राम पंचायत उमरापुर की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	1100975=00	848805=00
2	2018-19	1395820=00	1259644=00
	योग	2496795=00	2108449=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.2108449=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव छाया देवी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सहसापुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 7 - ग्राम पंचायत सहसापुर की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

9

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	831432=00	649044=00
2	2018-19	1521218=00	594375=00
	योग	2352650=00	1243419=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.1243419=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान ऋचा शुक्ला एवं ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मी यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- राठौरपुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 8 - ग्राम पंचायत राठौरपुर की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	91252=00	20000=00
2	2016-17	415273=00	84980=00
3	2017-18	1061645=00	226221=00
4	2018-19	1470432=00	1006239=00
5			
	योग ---	3038602=00	1337440=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.1337440=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक

10

ग्राम प्रधान सुधीर कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव गौरव मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रामपुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 9 - ग्राम पंचायत रामपुर की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	507799=00	45000=00
2	2016-17	456044=00	694510=00
3	2017-18	1069130=00	722828=00
4	2018-19	1618989=00	908924=00
5			
	योग ---	3651962=00	2371262=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.2371262=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनकर यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- परसदा**विकास खंड- मछरेहटा**

प्रस्तर संख्या 10 - ग्राम पंचायत परसदा की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	848388=00	485900=00
2	2016-17	1622944=00	713082=00
3	2017-18	1155613=00	874543=00
4	2018-19	3735316=00	3416945=00
5			
	योग ---	7262261=00	5490470=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप हेतु संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.5490470=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान आकांक्षा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनकर यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बारेपारा**विकास खंड- मछरेहटा**

प्रस्तर संख्या 11 - ग्राम पंचायत बारेपारा की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	492009=00	278710=00
2	2016-17	694895=00	630496=00
3	2017-18	1016692=00	898806=00
4	2018-19	1395797=00	1328997=00
5			
	योग ---	3599393=00	3137009=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप हेतु संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3137009=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती यशोदा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विशाल चंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- निघुवामऊ**विकास खंड- मछरेहटा**

प्रस्तर संख्या 12- ग्राम पंचायत निघुवामऊ की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-2020 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	641108	912040
2	2016-17	913344	732918
3	2017-18	1228445	920705
4	2018-19	1558105	1273420
5	2019-20	1891478	1101786
	योग ---	6232480	4940869

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि ₹4940869=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गढ़ी**विकास खंड- मछरेहटा**

प्रस्तर संख्या 13 - ग्राम पंचायत गढ़ी की वर्ष 2019-2020 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2019-20	3525887	1777499
	योग ---	3525887	1777499

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि ₹ 1777499=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री शिवनंदन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीराम गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भिठौरा**विकास खंड- मछरेहटा**

प्रस्तर संख्या 14 - ग्राम पंचायत भिठौरा की वर्ष वर्ष 2019-2020 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2019-20	809564	1149390
	योग ---	809564	1149390

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 1149390=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती देवयानी पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विशाल चंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दलेलनगर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 15 - ग्राम पंचायत दलेलनगर की वर्ष वर्ष 2019-2020 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2019-20	2903541	793671
	योग ---	2903541	793671

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 793671=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- किन्हौटी

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 16 - ग्राम पंचायत किन्हौटी की वर्ष वर्ष 2019-2020 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2019-20	3052667.85	1698520
	योग ---	3052667.85	1698520

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मास्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 1698520=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री अखिलेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मिर्जापुर दक्षिणी

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 17 - ग्राम पंचायत मिर्जापुर दक्षिणी , विकास खंड मछरेहटा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किया जाना दर्शित है। जिनके व्यय प्रमाणक , मास्टर रोल , कार्यपूति प्रमाणपत्र , माप पुस्तिका, सामग्री क्रय पत्रावलियां लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं । जिससे इन व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी । पंचायतराजविभाग, उत्तरप्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी तात्कालिक ग्राम प्रधान तथा तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी” ।

क्र० सं०	दिनांक	वाउचर सं०	धनराशि	भुगतान की मद
1.	11/07/2019	11	196000=00	मिसा मशीनरी स्टोर को भुगतान इस्टबिन
2.	11/07/2019	12 योग ----	173000=00 369000=00	स्थापना । स्ट्रीट लाईट भुगतान

‘ लेखा मैनुअल अध्याय 8 की धारा (8) क में प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 369000=00 गबन की श्रेणी में आती है । जिसकी वसूली ब्याज सहित सामान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीकुसेन्द्र कुमार व गा० प० अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- सुरजनपुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 18 - ग्रामपंचायत सुरजनपुर, विकासखंड मछरेहटा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किया जाना दर्शित है। जिनके व्यय प्रमाणक , मास्टर रोल , कार्यपूति प्रमाणपत्र , माप पुस्तिका, सामग्री क्रय पत्रावलियां लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं । जिससे इन व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी । पंचायतराजविभाग, उत्तरप्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी तात्कालिक ग्राम प्रधान तथा तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी

क्र० सं०	दिनांक	वाउचर स	धनराशि	भुगतान की मद
1.	7/09/2018	5	19300=00	सिंह ट्रेडर्स हैण्ड पम्प मरम्मत
2	7/09/2018	6	19400=00	सिंह ट्रेडर्स हैण्ड पम्प मरम्मत
3	7/09/2018	7	19300=00	सिंह ट्रेडर्स हैण्ड पम्प मरम्मत
4	18/03/2019	21	17200=00	सिंह ट्रेडर्स हैण्ड पम्प मरम्मत
5	18/03/2019	22	17200=00	सिंह ट्रेडर्स हैण्ड पम्प मरम्मत
6	18/03/2019	23	27200=00	हैण्ड पम्प रिबोर
7	6/03/2020	15	88903=00	प्र०विद्यालय में मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
8	06/03/2020	16	92132=00	प्र० वि० में फर्श,खिड़की,पल्ला,मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
9	24/03/2020	17	37212=00	प्र० वि० में फर्श,खिड़की,पल्ला,मरम्मत हेतु मजदूरी
10	24/03/2020	18	37212=0	भुगतान प्र० वि० में ,मरम्मत वा सौंदर्यीकरण हेतु मजदूरी भुगतान
	योग ---		374859=00	

लेखा मैनुअल अध्याय 8 की धारा (8) क में प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 374859=00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ब्याज सहित सामान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री करण जीत सिंह व गा० प० अधिकारी लक्ष्मी यादव से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- पैदापुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 19 - ग्राम पंचायत पैदापुर विकास खंड मछरेहटा वर्ष 2019-2020 कोषवही में दिनांक 14/08/2019 को माँ दुर्गे कांटेक्टर एंड सप्लायर को इस्टबिन स्थापना कार्य हेतु रु० -242962=00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है ।भुगतान सम्बंधित व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,टेंडर पत्रावलिया ,लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी ।पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क)के अनुसार “यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान व तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी ।”

लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) के प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 242962=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती किरण पाल वा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम गुप्ता से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- केसरा

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 20 - ग्राम पंचायत केसरा विकास खंड मछरेहटा वर्ष 2019-2020 की कैशबुक में वाउचर सं० 9 दिनांक 18/07/2019 को हैण्ड- पम्प मरम्मत हेतु राइन ट्रेडर्स को रु० 95750=00 का सामग्री क्रय का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है । हैण्डपम्प मरम्मत सम्बंधित क्रय सामग्री वाउचर एवं मरम्मत से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कितनी सामग्री क्रय की गयी इसकी पुष्टि न की जा सकी । पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क)के अनुसार “यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान व तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी ।” लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) के प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 95750=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप

से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मती गीता देवी वा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम गुप्ता से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- रमुवापुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 21- ग्राम पंचायत रमुवापुर विकास खंड मछरेहटा वर्ष 2019-2020 कोषवही में दिनांक 17/01/2020 को न्यू शौर्य ट्रेडर्स को इस्टबिन स्थापना कार्य हेतु रु०-98000=00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। भुगतान सम्बंधित व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, टेंडर पत्रावलिया, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे इस व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान व तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी।" लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) के प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 98000=00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली समान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री महेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी छाया यादव से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बेलंदापुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 22- ग्राम पंचायत बेलंदापुर विकास खंड मछरेहटा वर्ष 2019-2020 की कैशबुक में निम्न विवरणानुसार हैण्ड- पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का भुगतान दर्शाया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत सम्बंधित सामग्री वाउचर एवं मजदूरी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे कितनी सामग्री क्रय की गयी, इसकी पुष्टि न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान व तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी।"

क्र०	वाउचर सं /दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	04 3/07/2019	18900=00	दीपक कुमार ट्रेडर्स
2.	05 3/07/2019	18700=00	दीपक कुमार ट्रेडर्स
3.	13 22/07/2019	19100=00	दीपक कुमार ट्रेडर्स
4.	29 26/11/2019	19200=00	दीपक कुमार ट्रेडर्स
5.	30 26/11/2019	19300=00	दीपक कुमार ट्रेडर्स
6.	31 26/11/2019	19100=00	दीपक कुमार ट्रेडर्स
	योग ---	114300=00	

लेखा मैनुअल की धारा 8 (क) के प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 114300=00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली समान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मती रानी ग्राम पंचायत अधिकारी विशाल चंद्रा से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- कन्दुवापुर

विकास खंड- मछरेहटा

प्रस्तर संख्या 23 - ग्राम पंचायत कन्दुवापुर विकास खंड मछरेहटा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषवही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किया जाना दर्शित है। जिनके व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, माप पुस्तिका, सामग्री क्रय पत्रावलियां लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। जिससे इन व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतराज विभाग, उत्तरप्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल में अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली उत्तरदायी तात्कालिक ग्राम प्रधान तथा तात्कालिक ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी"।

क्र० सं०	वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान की मद

1.	30	18/03/2020	177450=00	कुवर ईट को ईट क्रय भुगतान (तेलियनबाग से प्रकाश की बाग तक) मजदूरी भुगतान
2	31	18/03/2020	42528=00	
		योग ----	219978=00	

‘ लेखा मैनुअल अध्याय 8 की धारा (8) क में प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु० 219978=00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ब्याज सहित सामान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रामलली व ग्रा० प० अधिकारी श्री राम गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-भूडकुडी

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 24 - ग्राम पंचायत भूडकुडी की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-2020 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	1272993	419608
2	2016-17	458912	488830
3	2017-18	715754	770691
4	2018-19	1254258	1502589
5	2019-20	943384	1010338
	योग ---	4645301	4192056

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4192056=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती ऐशा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- पुरवादासापुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 25 - ग्राम पंचायत पुरवादासापुर की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-2020 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	1633367	374271
2	2016-17	834822	431050
3	2017-18	972541	636680
4	2018-19	1509919	2051402
5	2019-20	1243736	1259296
	योग ---	6194385	4752699

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4752699=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं ग्राम पंचायत तात्कालिक व वर्तमान सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-जहांगीराबाद

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 26 - ग्राम पंचायत जहांगीराबाद की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-2020 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	814743	2304636
2	2016-17	1436723	1473352
3	2017-18	4420423	1529066
4	2018-19	6864363	10841965
5	2019-20	6250768	381625
	योग ---	19787020	16530644

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 16530644=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती शमा परवीन एवं ग्राम पंचायत तात्कालिक व वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-राजाकरनई

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 27 - ग्राम पंचायत राजाकरनई की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-2020 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	700344	301762
2	2016-17	1300000	504952
3	2017-18	1053033	1184222
4	2018-19	1630992	1472756
5	2019-20	1373254	1286649
	योग ---	6057623	4750341

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान

तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4750341=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती रूहसन एवं ग्राम पंचायत तात्कालिक व वर्तमान सचिव श्री जयसिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- उलरा

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 28 - ग्राम पंचायत उलरा की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-2020 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2019-2020 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	851900	1606503
2	2018-19	2831089	3791459
3	2019-20	3246044	3056034
	योग ---	6929033	8453996

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 8453996=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री तेजपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनेन्द्र कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-बुढानपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 29 - ग्राम पंचायत बुढानपुर की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	1400143	896950
2	2019-20	1117961	1487981
	योग ---	2518104	2384931

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2384931=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मनेन्द्र कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-बन्नीराय

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 30 - ग्राम पंचायत बन्नीराय की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	1355979	994287
2	2019-20	00=00	00=00
	योग ---	1355979	994287

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 994287=00 व वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री ब्रजलाल वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-बजेहरा नसीरपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 31 - ग्राम पंचायत बजेहरा नसीरपुर की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	1367247	1385175
2	2019-20	1113772	1064156
	योग ---	2481019	2449331

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान

तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2449331=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राधेश्याम यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-बसुदहा

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 32 - ग्राम पंचायत बसुदहा की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	2818792	2386323
2	2019-20	2545521	238238
	योग ---	5364313	2624561

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2624561=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम एवं ग्राम पंचायत तत्कालीन व वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत-बम्भौर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 33 - ग्राम पंचायत बम्भौर की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	2878751	3550383
2	2019-20	1563049	347377
	योग ---	4441800	3897760

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएँ, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3897760=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री बलदेवदास एवं ग्राम पंचायत तत्कालीन व वर्तमान सचिव श्री अर्जुन गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- कैमहराखुर्द

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 34 - ग्राम पंचायत कैमहराखुर्द की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	2051686	3011349
2	2019-20	2178536	1725775
	योग ---	4230222	4737124

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएँ, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4737124=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री रामासरे एवं ग्राम पंचायत तत्कालीन व वर्तमान सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- काल्हापुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 35 - ग्राम पंचायत काल्हापुर की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	1088271	1292174
2	2019-20	899675	938779
	योग ---	1987946	2230953

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2230953=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत तत्कालीन व वर्तमान सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिसैंडी

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 36 - ग्राम पंचायत बिसैंडी की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1091385	1059421
	योग ---	1091385	1059421

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1059421=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती अब्बू सशमा एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री मनेन्द्र कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अम्बरपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 37 - ग्राम पंचायत अम्बरपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1026801	1083929
	योग ---	1026801	1083929

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1083929=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन लाल एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री नरेन्द्र सिंह यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सरैया मिर्जापुर**विकास खंड- बिसवां**

प्रस्तर संख्या 38 - ग्राम पंचायत सरैया मिर्जापुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1888059	1835148
	योग ---	1888059	1835148

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1835148=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री नरेन्द्र सिंह यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पेंडरा**विकास खंड- बिसवां**

प्रस्तर संख्या 39 - ग्राम पंचायत पेंडरा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1145227	1084912
	योग ---	1145227	1084912

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1084912=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती शशि देवी एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री राधेश्याम यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भीरा**विकास खंड- बिसवां**

प्रस्तर संख्या 40 - ग्राम पंचायत भीरा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	544906	633214
	योग ---	544906	633214

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 633214=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- बघईया

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 41- ग्राम पंचायत बघईया की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	84110	279038
	योग ---	84110	279038

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 279038=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान भगौती एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्रीमती नेहा सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- पूंजीखेडा

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 42 - ग्राम पंचायत पूंजीखेडा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1261081	1244178
	योग ---	1261081	1244178

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1244178=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान होसराम एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री प्यारेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- बिसैंडा

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 43 - ग्राम पंचायत बिसैंडा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	2713635	2251422
	योग ---	2713635	2251422

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2251422=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान हरगोविंद वर्मा एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री प्यारेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- रुकनापुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 44- ग्राम पंचायत रुकनापुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	506559	614875
	योग ---	506559	614875

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 614875=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान राम अवतार एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री नरेन्द्र सिंह यावद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जलालपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 45 - ग्राम पंचायत जलालपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	2391698	2076334
	योग ---	2391698	2076334

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2076334=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारा एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री नरेन्द्र सिंह यावद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हथिया गाजीपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 46 - ग्राम पंचायत हथिया गाजीपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	2348955	1813840
	योग ---	2348955	1813840

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1813840=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री गजोधर एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्रीमती नेहा सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मरसंडा

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 47 - ग्राम पंचायत मरसंडा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1178459	1668088
	योग ---	1178459	1668088

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1668088=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी देवी एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री मनेन्द्र कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हरिहरपुर जमरखा

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 48 - ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1284302	1096279
	योग ---	1284302	1096279

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1096279=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री राधेश्याम यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शाहजलालपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 49 - ग्राम पंचायत शाहजलालपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	1644234	2135669

	योग ---	1644234	2135669

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2135669=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री राधेश्याम यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- न्योराजपुर

विकास खंड- बिसवां

प्रस्तर संख्या 50 - ग्राम पंचायत न्योराजपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	57984	1036196
	योग ---	57984	1036196

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1036196=00 धनराशि की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री घूरू एवं ग्राम पंचायत वर्तमान सचिव श्री अर्जुन गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- गढ़चपा

विकास खंड- रामपुर मथुरा

प्रस्तर संख्या 51-आलोच्य वर्ष 2019-20 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ/ चौदहवां वित्त में रु 1866591=00 कोशबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए । ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

अतः आलोच्य वर्ष 2019-20 में किया गया व्यय रु 1866591=00 अपुष्टित होने के कारण इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मंजू तिवारी एवं सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- रमुवापुर

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या 52 -आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

ग्राम पंचायत- लैलकला

प्रस्तर संख्या 64-आलोच्य वर्ष 2015-16 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2015-16 में चतुर्थ/ चौदहवां वित्त में रु 444523=00 कोशबाही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए।

अतः आलोच्य वर्ष 2015-16 में किया गया व्यय रु 444523=00 अपुष्टित होने के कारण इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री प्रदीप कुमार वर्मा एवं सचिव श्री शिवकुमार कश्यप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- सुखईपर

प्रस्तर संख्या 65 -आलोच्य वर्ष 2019-20 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ/ चौदहवां वित्त में रु 879304=00 कोशबाही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ।

अतः आलोच्य वर्ष 2019-20 में किया गया व्यय रु 879304=00 अपेक्षित होने के कारण इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं सचिव श्री हरदासी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जयरामपुर

प्रस्तर संख्या 66 -आलोच्य वर्ष 2019-20 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ/ चौदहवां वित्त में रु 446017=00 कोशबाही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ।

अतः आलोच्य वर्ष 2019-20 में किया गया व्यय रु 446017=00 अपेक्षित होने के कारण इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी एवं सचिव श्री हरदासी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- माल सरांय

प्रस्तर संख्या 67 -आलोच्य वर्ष 2019-20 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ/ चौदहवां वित्त में रु 697374=00 कोशबाही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ।

ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” । अतः आलोच्य वर्ष 2019-20 में किया गया व्यय रु 697374=00 अपुष्टित होने के कारण इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं सचिव श्री हरदासी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- मुबारकपुर

विकास खंड- महमूदाबाद

प्रस्तर संख्या 68 -आलोच्य वर्ष 2019-20 में किये गए व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2019-20 में चतुर्थ/ चौदहवां वित्त में रु 679459=00 कोशबाही एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ।

ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

अतःआलोच्य वर्ष 2019-20 में किया गया व्यय रु679459=00 अपुष्टित होने के कारण इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं सचिव श्री अनिरुद्ध सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- हाजीपुर

विकास खंड- महमूदाबाद

प्रस्तर संख्या 69 -ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट/ सोलर लाईट क्रय हेतु अपराजिता पावर इलेक्ट्रॉनिक एवं अक्षय ऊर्जा शाप को कुल रु 766440=00 का भुगतान किया गया ।

उक्त क्रय हेतु कोटेशन / टेंडर एम बी एवं स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु अप्राप्त रही, पुष्टि हेतु प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

अतः वर्ष 2016-17 में स्ट्रीट/ सोलर लाईट क्रय हेतु किया गया भुगतान रु 766440=00 प्रमाणक एवं पत्रावली के अभाव में अपुष्टितहोने के कारण तात्कालीन सचिव श्री ए के गोस्वामी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रकान्ती वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- कन्डौटा

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 70 - ग्राम पंचायत कन्दौरा की 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

	वर्ष	आय	व्यय
1.	2017-18	882498=00	1130257=00
2.	2018-19	1263677=00	1666103=00
3.	2019-20	1325916=00	1222381=00
	योग	3472091=00	4018741=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं एवं खंड 8(क)में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.4018741=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- खालगाँव

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 71- ग्राम पंचायत खालगाँव की वर्ष 2015-16 से 2017- के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2015-16	849884=00	761359=00
2.	2016-17	1238310=00	956725=00
3.	2017-18	1346577=00	1390601=00
	योग	3434771=00	3108685=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क)में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3108685=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश बक्श सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- चांदपुर सेठ

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 72 - ग्राम पंचायत चांदपुर सेठ की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2018-19	922291=00	1005360=00
2.	2019-20	929237=00	845744=00
	योग	1851528=00	1851104=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क)में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त

धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.1851104=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सादिया खां एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- डिकौली

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 73 - ग्राम पंचायत डिकौली की वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2017-18	715632=00	307104=00
2.	2018-19	1169922=00	1684496=00
3.	2019-20	1122246=00	610467=00
	योग	3007800=00	2602067=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.2602067=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दिल्ली आगरा

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 74 - ग्राम पंचायत दिल्ली आगरा की वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2017-18	531546=00	687973=00
2.	2018-19	853678=00	962597=00
3.	2019-20	875224=00	724920=00
	योग	2260448=00	2375490=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.2375490=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान ओमप्रकाश एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नयागांव

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 75 - ग्राम पंचायत नयागांव की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2015-16	755628=00	460783=00
2.	2016-17	1036493=00	835695=00
3.	2017-18	1216325=00	911344=00
4.	2018-19	1931100=00	2633659=00
5.	2019-20	1984490=00	2092630=00
	योग	6924036=00	6934111=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.6934111=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव संदीप कुमार से व्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बजेहरा

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 76 - ग्राम पंचायत बजेहरा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2018-19	3894367=00	3424134=00
2.	2019-20	3928901=00	3524690=00
	योग	7823268=00	6948824=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.6948824=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश तिवारी से व्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भूडकुडा

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 77 - ग्राम पंचायत भूडकुडा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2018-19	2098085=00	2214345=00
2.	2019-20	2236709=00	2327724=00
	योग	4334794=00	4542069=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान

है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.4542069=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कावला देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश तिवारी से मय ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत- मुसैदाबाद

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 78 - ग्राम पंचायत मुसैदाबाद की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2018-19	987533=00	849512=00
2.	2019-20	1087813=00	746044=00
	योग	2075346=00	1595556=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.1595556=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला वर्मा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विमलेश तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मुहम्मदपुर कला

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या 79- ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर कला की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2016-17 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2015-16	658034=00	495333=00
2.	2016-17	879215=00	703157=00
	योग	1537249=00	1198490=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.1198490=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम दुलारी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकिशोर वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रायपुर भुजंग**विकास खंड- पहला**

प्रस्तर संख्या 80 - ग्राम पंचायत रायपुर भुजंग की वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2017-18	751967=00	873703=00
2.	2018-19	1212193=00	1251815=00
3.	2019-20	1348745=00	1366544=00
	योग	3312905=00	3492062=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3492062=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशरण एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार से व्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शिष्टिपुर**विकास खंड- पहला**

प्रस्तर संख्या 81 - ग्राम पंचायत शिष्टिपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2019-20 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2015-16	109262=00	00=00
2.	2016-17	495051=00	377256=00
3.	2017-18	595624=00	602403=00
4.	2018-19	1089130=00	1240359=00
5.	2019-20	1185975=00	1080595=00
	योग	3475042=00	3300613=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3300613=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार से व्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सन्दौर**विकास खंड- पहला**

प्रस्तर संख्या 82- ग्राम पंचायत सन्दौर की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 वर्ष तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	2015-16	890398=00	1168492=00

2.	2016-17	779640=00	1020017=00
3.	2017-18	849386=00	1024598=00
	योग	2519424=00	3213107=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु.3213107=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कांती एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अभय प्रताप से व्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- परेवाजल

विकास खंड- सिधौली

प्रस्तर संख्या 83 - आलोच्य वर्ष 2019-20 में हयूम पाइप पर रुपए 88411=00 जल निकासी कार्य हेतु व्यय किए गए हैं, लेकिन इस हयूमपाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये / कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस हयूम पाइप की स्थापना की गई यह भी अस्पष्ट रहा दूसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराए गए। हयूम पाइप की स्थापना में बालू, सीमेंट, ईट, गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है। कच्ची सड़क या संपर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से हयूम पाइप खरीद के बजाये कार्य के एस्टीमेट में ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्धारित दूरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना नहीं की गयी है ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाद में निर्मित कार्य में तोड़-फोड़ कर इसे स्थापित किया गया है। इस प्रकार स्थापित भौतिक संपत्ति के तोड़ फोड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाणपत्र, स्टीमेट आदि अप्राप्त रहा।

शासनादेश संख्या आरजीएसए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में ऐसे कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है। अतः उपरोक्त ग्राम पंचायत में व्यय नियमों की अनदेखी कर किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्यामस्वरूप व सचिव श्री बृजेश यादव उत्तरदायी हैं। किया गया भुगतान अनियमित एवं गंभीर आपत्ति जनक रहा। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रोहिला

विकास खंड- महौली

प्रस्तर संख्या 84- ग्राम पंचायत रोहिला की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	843141=00	483922=00
	2016-17	1127781=00	323489=00
	2017-18	1384129=00	857980=00
	2018-19	0.00	0.00
	2019-20	1772876=00	2071850=00
	योग	5127927=00	3737241=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3737241=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव पवन जौहरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अढऔरी

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 85 - ग्राम पंचायत अढऔरी की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	625626=00	646245=00
	2016-17	461882=00	241599=00
	2017-18	556860=00	1071995=00
	2018-19	852232=00	925960=00
	2019-20	820522=00	734257=00
	योग	3317122=00	3620056=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3620056=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बढैया

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 86 - ग्राम पंचायत बढैया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	349775=00	227678=00
02	2016-17	495745=00	226146=00
03	2017-18	563756=00	512471=00
04	2018-19	873210=00	1302076=00
05	2019-20	769456=00	682764=00
06	योग	3051942=00	2951135=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2951135=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लव कुश कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भिरिया

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 87 - ग्राम पंचायत भिरिया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	554763=00	408763=00
02	2016-17	746517=00	236501=00
03	2017-18	916410=00	239409=00
04	2018-19	1441898=00	3120239=00
05	2019-20	1163346=00	883252=00
06	योग	4822934=00	4888164=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4888164=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर शुक्ला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत- चौवाबेगमपुर

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 88- ग्राम पंचायत चौवाबेगमपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	633325=00	718262=00
02	2016-17	809080=00	77100=00
03	2017-18	997715=00	455329=00
04	2018-19	1565501=00	2197563=00
05	2019-20	1268214=00	1685057=00
06	योग	5273835=00	5133311=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5133311=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- डाडाबाद

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 89- ग्राम पंचायत डाडाबाद की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	1107323=00	542633=00
	2016-17	1512276=00	186700=00
	2017-18	1853541=00	2879129=00
	2018-19	2833636=00	3589921=00
	2019-20	3687491=00	3910973=00
	योग	10994267=00	11109356=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 11109356=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जावित्री वर्मा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गुजिया

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 90 - ग्राम पंचायत गुजिया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	785831=00	310663=00
	2016-17	1096280=00	303349=00
	2017-18	1347887=00	798822=00
	2018-19	2046323=00	3954235=00

	2019-20	1856119=00	844056=00
	योग	7132440=00	6211125=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 6211125=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री भिखुराम से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मदनिया

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 91- ग्राम पंचायत मदनिया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	679751=00	411773=00
02	2016-17	670304=00	513192=00
03	2017-18	500416=00	965080=00
04	2018-19	1143383=00	1262393=00
05	2019-20	1073735=00	948336=00
06	योग	4067589=00	4100774=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4100774=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- महोली देहात

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 92 - ग्राम पंचायत महोली देहात की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	655484=00	463023=00
	2016-17	866585=00	329926=00
	2017-18	1055662=00	960902=00

	2018-19	1707115=00	2416373=00
	2019-20	1344174=00	1539175=00
	योग	5629020=00	5709399=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5709399=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री भिखुराम से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मुडिया

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 93 - ग्राम पंचायत मुडिया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	439856=00	226934=00
02	2016-17	584119=00	415100=00
03	2017-18	701740=00	882804=00
04	2018-19	1101872=00	1354689=00
05	2019-20	971197=00	556224=00
06	योग	3798784=00	3435751=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3435751=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नवीन कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ननसोहा

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 94 - ग्राम पंचायत ननसोहा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1989872=00	1368935=00

02	2016-17	2645394=00	1178497=00
03	2017-18	2952140=00	1502420=00
04	2018-19	5090118=00	5583404=00
05	2019-20	4263789=00	5167183=00
06	योग	16941313=00	14800439=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 14800439=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- नरनी

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 95 - ग्राम पंचायत नरनी की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	367307=00	260838=00
	2016-17	474932=00	220750=00
	2017-18	581972=00	297889=00
	2018-19	909166=00	965103=00
	2019-20	819537=00	1007562=00
	योग	3152914=00	2752142=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2752142=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-परसेहरा

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 96- ग्राम पंचायत परसेहरा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय

01	2015-16	979985=00	847475=00
02	2016-17	1308752=00	341290=00
03	2017-18	1606254=00	1995129=00
04	2018-19	2506738=00	2661728=00
05	2019-20	934889=00	11699=00
06	योग	7336618=00	5857321=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5857321=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पिपरावां

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 97 - ग्राम पंचायत पिपरावां की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1619700=00	1230785=00
02	2016-17	794766=00	404633=00
03	2017-18	958227=00	1728114=00
04	2018-19	1480410=00	1661571=00
05	2019-20	1239510=00	438699=00
06	योग	6092613=00	5463802=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5463802=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- प्रीतमपुर गंट

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 98 - ग्राम पंचायत प्रीतमपुर गंट की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	652960=00	433272=00
02	2016-17	862661=00	384546=00
03	2017-18	1051692=00	1031626=00
04	2018-19	1646253=00	1797845=00
05	2019-20	696514=00	1100813=00
06	योग	4010080=00	4748102=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4748102=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नवनीत पटेल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रहमतपुर गंट

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 99- ग्राम पंचायत रहमतपुर गंट की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	628026=00	560766=00
02	2016-17	822369=00	539454=00
03	2017-18	991006=00	1435570=00
04	2018-19	1182024=00	1225305=00
05	2019-20	1397850=00	1083353=00
06	योग	5021275=00	4844448=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4844448=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-शील्हापुर

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 100 - ग्राम पंचायत शील्हापुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	623838=00	298027=00
02	2016-17	846428=00	734067=00
03	2017-18	1023858=00	1372003=00
04	2018-19	1244312=00	967071=00
05	2019-20	1346585=00	1439026=00
06	योग	5085021=00	4810194=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4810194=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रमुआपुर

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 101 - ग्राम पंचायत रमुआपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	111920=00	0.00
02	2016-17	656474=00	81495=00
03	2017-18	633334=00	923177=00
04	2018-19	972829=00	1186413=00
05	2019-20	813149=00	900731=00
06	योग	3187706=00	3091816=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3091816=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मधुरानी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नेकपुर

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 102 - ग्राम पंचायत नेकपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	125245=00	0.00
02	2016-17	570528=00	199655=00
03	2017-18	700847=00	428237=00
04	2018-19	1082767=00	1584265=00
05	2019-20	908176=00	663809=00
06	योग	3387563=00	2875966=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2875966=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-इन्द्रौली

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 103 - ग्राम पंचायत इन्द्रौली की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	976667=00	934094=00
02	2016-17	520795=00	422166=00
03	2017-18	621702=00	1101369=00
04	योग	2119164=00	2457629=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2457629=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दया शंकर एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीकांत वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नरहरा

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 104 - ग्राम पंचायत नरहरा की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	120794=00	0.00
	2016-17	708073=00	252305=00
	2017-18	674767=00	1142482=00
	योग	1503634=00	1394787=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1394787=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महादेव प्रसाद एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ईशानगर

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 105- ग्राम पंचायत ईशानगर की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	166830=00	0.00
	2016-17	978867=00	380994=00
	योग	1145697=00	380994=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 380994=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भुङकुड़ी**विकास खंड- महोली**

प्रस्तर संख्या 106 - ग्राम पंचायत भुङकुड़ी की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	94359=00	0.00
02	2016-17	429953=00	190705=00
03	योग	524312=00	190705=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 190705=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश शुक्ला एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीकांत वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- चाउबिरवा**विकास खंड- महोली**

प्रस्तर संख्या 107 - ग्राम पंचायत चाउबिरवा की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	116828=00	0.00
02	2016-17	534130=00	0.00
03	2017-18	662104=00	497575=00
04	योग	1313062=00	497575=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 497575=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेंद्र गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भुङकुड़ा**विकास खंड- महोली**

प्रस्तर संख्या 108 - ग्राम पंचायत भुङकुड़ा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी

। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	86112=00	0.00
02	2016-17	502457=00	260574=00
03	योग	588569=00	260574=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 260574=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कटिघरा

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 109 - ग्राम पंचायत कटिघरा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	883579=00	486559=00
02	2016-17	1249130=00	193088=00
03	योग	2132709=00	679647=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 679647=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बगचन

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 110 - ग्राम पंचायत बगचन की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	547792=00	468762=00
02	2016-17	722153=00	365675=00

03	योग	1269945=00	834437=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप हेतु संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 834437=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुंवरपुर लच्छा

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 111- ग्राम पंचायत कुंवरपुर लच्छा की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	777197=00	466450=00
02	2016-17	1024778=00	326162=00
03	2017-18	1252958=00	1847539=00
	योग	3054933=00	2640151=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप हेतु संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2640151=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुसैला

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 112- ग्राम पंचायत कुसैला की वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2017-18	2478385=00	2546254=00
02	2018-19	0.00	0.00
03	2019-20	1144259=00	1915620=00
	योग	3622644=00	4461874=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 4461874=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आरती एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीकांत वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- देवारिया

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 113 - ग्राम पंचायत देवारिया की वर्ष 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2017-18	626847=00	432060=00
	योग	626847=00	432060=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 432060=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सदानन्द एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेंद्र गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बसवे

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 114 - ग्राम पंचायत बसवे की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2018-19	1450629=00	1653663=00
	2019-20	1402828=00	1223895=00
	योग	2853457=00	2877558=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2877558=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन जौहरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भगवानपुर ग्रंट

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 115 - ग्राम पंचायत भगवानपुर ग्रंट की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2018-19	3478080=00	3991586=00
	2019-20	2596952=00	2628317=00
	योग	6075032=00	6619903=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 6619903=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-चिन्हारा

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 116 - ग्राम पंचायत चिन्हारा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1373262=00	1179673=00
02	2019-20	1128577=00	1251534=00
03	योग	2501839=00	2431207=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2431207=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री निजामुद्दीन एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-दौली

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 117 - ग्राम पंचायत दौली की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1438021=00	1789334=00
02	2019-20	1534888=00	1237770=00
03	योग	2972909=00	3027104=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3027104=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोती लाल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कार्टरगंज

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 118 - ग्राम पंचायत कार्टरगंज की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2018-19	3052255=00	3780095=00
	2019-20	2591627=00	2507627=00
	योग	5643882=00	6287722=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 6287722=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रियासत अली एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय प्रताप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-ब्रम्हावली

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 119 - ग्राम पंचायत ब्रम्हावली की वर्ष 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त

अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2016-17 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2016-17	1165447=00	719234=00
	योग	1165447=00	719234=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 719234=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना मिश्रा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-चमखर

विकास खंड- महोली

प्रस्तर संख्या 120- ग्राम पंचायत चमखर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	1347549=00	1526814=00
	योग	1347549=00	1526814=00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1526814=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री खुशी राम एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सेलूमऊ

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 121 - ग्राम पंचायत सेलूमऊ की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	2238186	2228728
2	2018-2019	3588485	3188653
	योग ---	5826671	5417381

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5417381=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय द्विवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-सकलनपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 122 - ग्राम पंचायत सकलनपुर की वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-2019 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-2019	1514814	1450064
02	योग ---	1514814	1450064

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1450064=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती रामकुमारी मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय द्विवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-रुकनापुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 123 - ग्राम पंचायत रुकनापुर की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-2019 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	1163599	1104445
2	2018-19	1952899	1591084
	योग ---	3116498	2695529

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2695529=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय द्विवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-रायपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 124- ग्राम पंचायत रायपुर की वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-2019 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2016-17	770870	359960
2	2017-18	675013	747250
3	2018-19	1214211	1207111
	योग ---	2660094	2314321

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2314321=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय द्विवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- तुर्तीपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 125 - ग्राम पंचायत तुर्तीपुर की वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-2019 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2016-17	513288	341460
2	2017-18	999134	938030
3	2018-19	970907	1078068
	योग ---	2483329	2357558

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2357558=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती फहीम बानो एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय द्विवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-अर्मी

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 126 - ग्राम पंचायत अर्मी की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	1028100	518080
2	2016-17	2018228	1289738
3	2017-18	2072401	2020600
4	2018-19	2189534	2148280
	योग ---	7308263	5976698

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5976698=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती सलोनी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय द्विवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- सलारपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 127- ग्राम पंचायत सलारपुर की वर्ष 2015-2016 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	1025055	636828
	योग ---	1025055	636828

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 636828=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती सकीना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धनंजय चंद्रपति से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 128 - ग्राम पंचायत सुल्तानपुर की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा

संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	510559	346000
2	2016-17	668016	750765
	योग ---	1178575	1096765

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1096765=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रान्त पाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- कल्यानपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 129 - ग्राम पंचायत कल्यानपुर की वर्ष 2018-2019 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-2019 से 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-2019	2862318	2440424
2	2019-20	3672264	3181262
	योग ---	6534582	5621686

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5621686=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लवकुश से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- नेवादा

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 130 - ग्राम पंचायत नेवादा की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-2016	1028667	490979
2	2016-2017	819582	1089528

	योग ---	1848249	1580507

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1580507=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रान्त पाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- उमरी सलेमपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 131 - ग्राम पंचायत उमरी सलेमपुर की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-2016	1222824	220355
2	2016-2017	2056682	2274942
	योग ---	3279506	2495297

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2495297=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धनञ्जय चंद्रपति से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- कौरैया जगदीशपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 132 - ग्राम पंचायत कौरैया जगदीशपुर की वर्ष 2015-2016 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	647533	463288
2	2016-17	571854	229770
3	2017-18	926358	1204705
4	2018-19	983462	1111182
5	2019-20	806865	662218
	योग ---	3936072	3671163

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3671163=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती शीबा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेयस गहोई से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- खमौना

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 133 - ग्राम पंचायत खमौना की वर्ष 2015-2016 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	662719	326950
2	2016-17	888132	653450
3	2017-18	1324475	1345155
4	2018-19	1663568	1817684
5	2019-20	1457869	1395733
	योग ---	5996763	5538972

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5538972=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्र कली एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिमोहन मौर्य से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- मुम्माताजपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 134 - ग्राम पंचायत मुम्माताजपुर की वर्ष 2015-2016 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	543914	126600
2	2016-17	496881	607285
3	2017-18	606735	721869
4	2018-19	1080142	1036377

5	2019-20	868985	780422
	योग ---	3596657	3272553

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3272553=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गणेश कुमारसे ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- बरियाडीह

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 135- ग्राम पंचायत बरियाडीह की वर्ष 2015-2016 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-2016 से 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	1159442	581400
2	2016-17	1544774	1836180
3	2017-18	2430694	1971282
4	2018-19	2906895	2479448
5	2019-20	2281952	2812216
	योग ---	10323757	9680526

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 9680526=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री सुशिल कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेयस गहोई से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- जरथुआ

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 136 - ग्राम पंचायत जरथुआ की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	477897	253947
2	2016-17	1142375	635649
	योग ---	1620272	889596

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 889596=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रान्त पाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- अमितिया

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 137- ग्राम पंचायत अमितिया की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	853958	549700
2	2016-17	971072	517188
	योग ---	1825030	1066888

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1066888=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रान्त पाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- खेदारापुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 138 - ग्राम पंचायत खेदारापुर की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	103458	अज्ञात
2	2016-17	475831	250000
	योग ---	579289	250000

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 250000=00 व वर्ष 2015-16 में हुआ व्यय की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती मीनू सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रान्त पाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- फतेपुर मातिनपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 139 - ग्राम पंचायत फतेपुर मातिनपुर की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	115326	अज्ञात
2	2016-17	642735	368588
	योग ---	758061	368588

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 368588=00 व वर्ष 2015-16 में हुआ व्यय की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री गंगाराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धनंजय चंद्रपति से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- फिरोजपुर

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 140- ग्राम पंचायत फिरोजपुर की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	549493	277982
2	2016-17	860418	938915
	योग ---	1409911	1216897

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1216897=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रान्त पाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- बेलामऊकला

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 141 - ग्राम पंचायत बेलामऊकला की वर्ष 2015-2016 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-2016 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	458309	212800
2	2016-17	626887	648638
	योग ---	1085196	861438

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 861438=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री धनजय कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धनजय चन्द्रपति से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- जलालीपुर देहात

विकास खंड- हरगांव

प्रस्तर संख्या 142 - ग्राम पंचायत जलालीपुर देहात की वर्ष 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2016-17	2372509	2420553
	योग ---	2372509	2420553

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2420553=00 की वसूली जिम्मेदार तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती शायरा बानो एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धनजय चन्द्रपति से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-बढनापुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 143- ग्राम पंचायत बढनापुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	698715	425910
2-	2016-17	693417	629286
3-	2017-18	766871	1073581
4-	2018-19	1193722	1057492
	योग	3352725	3186269

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3186269=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वहीद खां एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जिंगनिया

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 144 - ग्राम पंचायत जिंगनिया की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	924266	532948
2-	2016-17	564783	617126
3-	2017-18	677298	474864
4-	2018-19	1063351	1424916
	योग	3229698	3049854

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3049854=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनूप सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- तविन्दा नगर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 145 - ग्राम पंचायत तविन्दा नगर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव

नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	562974	346279
2-	2016-17	741545	727287
3-	2017-18	900026	631325
4-	2018-19	1414604	1489131
	योग	3619149	3194022

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3194022=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- छहोलिया

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 146 - ग्राम पंचायत छहोलिया की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	451504	301500
2-	2016-17	724348	463608
3-	2017-18	879193	986969
4-	2018-19	1379735	1575263
	योग	3324480	2427340

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2427340=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम वर्मा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुतुबनगर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 147- ग्राम पंचायत कुतुबनगर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	827423	414100
2-	2016-17	1113621	750295
3-	2017-18	1355486	736835
4-	2018-19	-	-
	योग	3295930	1895230

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1895230=00 तथा वर्ष 2018-19 में हुआ व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सविता यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नेवादा प्रथम

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 148- ग्राम पंचायत नेवादा प्रथम की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	-	-
2-	2016-17	476414	179250
3-	2017-18	471057	307374
4-	2018-19	941308	997762
	योग	1888779	1484386

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1484386=00 व वर्ष 2015-16 में हुआ व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अर्थाना

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 149- ग्राम पंचायत अर्थाना

की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत

नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	677218	1096177
2-	2016-17	1218615	349187
3-	2017-18	1074187	230712
4-	2018-19	1688139	1695664
	योग	4658159	3371800

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3371800=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबोध एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सरोसा

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 150 - ग्राम पंचायत सरोसा की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1961166	662960
2-	2016-17	1457783	1361594
3-	2017-18	1744444	1404775
4-	2018-19	2732180	2983467
	योग	7895514	6412796

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 6412796=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नादन

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 151- ग्राम पंचायत नादन की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी

। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1117306	580430
2-	2016-17	1292516	593445
3-	2017-18	1459519	498898
4-	2018-19	2291445	3539871
	योग	6160786	5212644

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5212644=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिल्लीपति एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण शर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- फखरपुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 152- ग्राम पंचायत फखरपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	953294	654801
2-	2016-17	1235834	1012854
3-	2017-18	1503404	923516
4-	2018-19	2370801	2836145
	योग	6063833	5427416

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 5427416=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बन्धालाल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन वर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ससुर्दीपुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 153 - ग्राम पंचायत ससुर्दीपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	510708	286820
2-	2016-17	729730	351316
3-	2017-18	815803	864995
4-	2018-19	1263969	1627187
	योग	3320210	3130318

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 3130318=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बरगांवा

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 154- ग्राम पंचायत बरगांवा की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1193603	623360
2-	2016-17	1736346	502175
3-	2017-18	1957347	1386981
	योग	4887296	2512516

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2512516=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पम्मी देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- खोजेपुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 155- ग्राम पंचायत खोजेपुर की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1164783	329900
2-	2016-17	712582	1231639
3-	2017-18	824632	579381
	योग	2701997	1843920

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1843920=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिकेश शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बरम्हौला

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 156 - ग्राम पंचायत बरम्हौला की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1220835	383000
2-	2016-17	1083398	1463688
3-	2017-18	1161168	482708
	योग	3465401	2329396

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2329396=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिनाम एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वदानंद गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बहुबनी

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 157 - ग्राम पंचायत बहुबनी की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	692126	919840

2-	2016-17	658586	522066
3-	2017-18	768507	1007595
	योग	1919219	2449501

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2449501=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आर.के. यादव एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पकरिया

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 158- ग्राम पंचायत पकरिया की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	452453	214700
2-	2016-17	627428	620931
3-	2017-18	725620	698171
	योग	1805501	1533809

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2449501=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सूर्य प्रताप सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सलाहपुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 159- ग्राम पंचायत सलाहपुर की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	452453	214700
2-	2016-17	627428	620931
3-	2017-18	725620	698171
	योग	1805501	1533809

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2449501=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वानन्द गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पिपरी शादीपुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 160 - ग्राम पंचायत पिपरी शादीपुर की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	769377	439394
2-	2016-17	1016441	1004256
	योग	1785818	1443650

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1443650=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश वर्मा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नेरी

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 161 - ग्राम पंचायत नेरी की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1066292	1432623
2-	2016-17	1047884	839288
	योग	2114176	2271911

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 2271911=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बिदुर सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सूर्य प्रताप सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गौरा

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 162 - ग्राम पंचायत गौरा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1118225	720950
2-	2016-17	1507224	684005
	योग	2625449	1404955

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - " ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1404955=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती काजल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हरनी

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 163 - ग्राम पंचायत हरनी की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	161798	-
2-	2016-17	741977	77020
	योग	903775	77020

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - " ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 77020=00 व वर्ष 2015-16 में व्यय हुई धनराशि की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राज कुमारी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- इटौवा किशुनपुर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 164 - ग्राम पंचायत इटौवा किशुनपुर की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	577884	486760
2-	2016-17	486760	740881
	योग	1064644	1227641

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1227641=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनीश कुमार सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मूडाकला

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 165 - ग्राम पंचायत मूडाकला की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	673650	796735
	योग	673650	796735

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 796735=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम गुप्ता एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पिसावां

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 166 - ग्राम पंचायत पिसावां की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1130337	540384
	योग	1130337	540384

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 540384=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारी देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वानन्द गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हरैया

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 167- ग्राम पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	445760	311520
	योग	445760	311520

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 311520=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शेर सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- लिंसी

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 168- ग्राम पंचायत लिंसी की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	694850	1826989
	योग	694850	1826989

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1826989=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आदित्य कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वानन्द गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कोठरा

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 169 - ग्राम पंचायत कोठरा की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	811573	815350
	योग	811573	815350

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 815350=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण यादव एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वानन्द गुप्ता से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नौका खेडा

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 170- ग्राम पंचायत नौका खेडा की वर्ष 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2017-18	551787	643858
	योग	551787	643858

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 643858=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हदीरा

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 171 - ग्राम पंचायत हदीरा की वर्ष 2018-19 की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार रु 145788=00 हेतु सामग्री क्रय का भुगतान किया गया। प्रमाणक अप्राप्त रहे, पुष्टि न हो सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”। विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	वाउचर संख्या/ दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	2/ 04-04-18	30660=00	सामग्री क्रय
2-	5/ 06-06-18	38223=00	सामग्री क्रय
3-	14/ 06-06-18	8225=00	मस्टर रोल का भुगतान
4-	7/ 17-07-18	4130=00	ईट क्रय
5-	11/ 02-08-18	52000=00	प्रिया साफ्ट फीडिंग एवं वार्षिक कार्ययोजना फीडिंगभुगतान
6-	17/ 28-08-18	12550=00	हैंडपंप सामग्री क्रय भुगतान
योग =		145788=00	

लेखा मैनुअल अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु. 145788=00 गबन मानते हुए उक्त की वसूली मय ब्याज के समान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती बीमा देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ऋषिकेश शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ताविन्दानगर

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 172- ग्राम पंचायत ताविन्दानगर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2019-20	1401286	1727699
	योग	1401286	1727699

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1727699=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मुहम्मदपुर द्वितीय

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 173 - ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर द्वितीय की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2019-20	1860448	568502
	योग	1860448	568502

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1727699=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सालिक राम एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री ऋचा मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 174 - ग्राम पंचायत गुरसंडा की वर्ष 2019-20 की बैंक स्टेटमेंट में निम्न विवरण के अनुसार रु 170062=00 निकासी की गयी जबकि कैश बुक में दर्शित नहीं किया गया जिसके प्रमाणक अप्राप्त रहे, पुष्टि न हो सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”। विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	वाउचर संख्या/ दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18/02/20	98575	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
2-	18/02/20	71487	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
	योग	170062	

लेखा मैनुअल अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु. 170062=00 गबन मानते हुए उक्त की वसूली मय ब्याज के समान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मो. रसीद तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्र कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अर्थना

विकास खंड- पिसावां

प्रस्तर संख्या 175 - ग्राम पंचायत अर्थना की वर्ष 2019-20 की बैंक स्टेटमेंट में निम्न विवरण के अनुसार रु 647693=00 निकासी की गयी जबकि कैश बुक में दर्शित नहीं किया गया जिसके प्रमाणक अप्राप्त रहे, पुष्टि न हो सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”। विवरण निम्नवत है-

क्र.स.	चेक संख्या/ दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	040902/ 13-06-19	75244	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
2-	040904/13-06-19	223045	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
3-	040905/ 13-06-19	73920	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
4-	040901/13-06-19	90338	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि

5-	040906/13-06-19	67200	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
6-	040903/13-06-19	67200	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
7-	040898/29-06-19	4000	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
8-	040897/29-06-19	4000	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
9-	040899/29-06-19	4000	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
10-	040900/14-06-19	15000	बैंक स्टेट मेंट के अनुसार निकाली गयी धनराशि
11-	043966/13-08-19	23746	इम्तियाज इन्टरप्राइजेज को भुगतान
योग		647693=00	

लेखा मैनुअल अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशि रु. 647693=00 गबन मानते हुए उक्त की वसूली मय ब्याज के समान रूप से उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सुबोध कुमार तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव विवेक कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - धरमपुर

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या-176-ग्राम पंचायत धरमपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	1266084-00	1069386-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1069386-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान सोफिय बानो एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - कंकरकूई

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या 177-ग्राम पंचायत कंकरकूई की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष

2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	2993554-00	2654213-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2654213-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान रामसेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप चौधरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अमिरती

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या 178-ग्राम पंचायत अमिरती की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	834917-00	645745-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 645745-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान उषादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकित तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - वरछता

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या 179-ग्राम पंचायत वरछता की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	1277010-00	1100956-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1100956-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान मंगल प्रताप एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मोहारी**विकास खंड- सकरन**

प्रस्तर संख्या 180- ग्राम पंचायत मोहारी की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2019-20 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	3247510-00	3886053-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3886053-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान चन्द्रभाल यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश कुमार मौर्या एवं निर्मल कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अकसोहा**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 181-ग्राम पंचायत अकसोहा की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	888247-00	535725-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 535725-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सिसैया दरियाना**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 181-ग्राम पंचायत सिसैया दरियाना की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	615344-00	259085-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 259085-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान गोविन्द प्यारे एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप चौधरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - रसूलपुर**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 182-ग्राम पंचायत रसूलपुर की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	849400-00	473371-00
02	2016-17	1132745-00	602000-00
योग			1075371-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1075371-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान त्रिभुवन लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र रावत से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - हरिहरपुर नेवादा**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 183-ग्राम पंचायत हरिहरपुर नेवादा की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1882133-00	1000271-00
02	2016-17	450000-00	195048-00
योग		2332133-00	1195319-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1195319-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान साबिरा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - खनुवापुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 184-ग्राम पंचायत खनुवापुर की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	718466-00	247698-00
02	2016-17	722282-00	250000-00
योग		1440748-00	497698-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 497698-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - गुडरुवा देवरिया

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 185-ग्राम पंचायत गुडरुवा देवरिया की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही -वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1334241-00	625268-00
02	2016-17	1978858-00	1053000-00
	योग		1678268-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1678268-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान राम लखन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - भदमरा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 186-ग्राम पंचायत भदमरा की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	909751-00	580085-00
02	2016-17	1925950-00	821375-00
	योग	2835701-00	1401460-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1401460-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान जैतुन निशा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सुकेठा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 187-ग्राम पंचायत सुकेठा की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	649018-00	288571-00
02	2016-17	779414-00	525227-00
03	2017-18	822302-00	970285-00
योग	-		1784083-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1784083-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान संदीप कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित जोशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - खुखलिया

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 188-ग्राम पंचायत खुखलिया की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	685476-00	354898-00
02	2016-17	866540-00	696408-00
03	2017-18	1042212-00	1122506-00
योग	-	2594228-00	2173812-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2173812-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान नंदरानी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - भिठोली

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 189-ग्राम पंचायत भिठोली की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी

। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	109375-00	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
02	2016-17	505009-00	396120-00
03	2017-18	603757-00	677665-00
योग	-	1218141-00	1073785-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1073785-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान प्रेमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - जमौली

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 190-ग्राम पंचायत जमौली की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	521903-00	210886-00
02	2016-17	703574-00	586236-00
03	2017-18	847940-00	958017-00
योग	-	2073417-00	1755139-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1755139-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान अनिल कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मुजेहना

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 191-ग्राम पंचायत मुजेहना की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	510880-00	210917-00
02	2016-17	562826-00	402061-00
03	2017-18	560446-00	431901-00
योग	-	1634152-00	1044879-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1044879-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित जोशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मानपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 192-ग्राम पंचायत मुजेहना की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	826892-00	522862-00
02	2016-17	874176-00	482400-00
03	2017-18	1008934-00	781594-00
योग	-	2710002-00	1786856-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1786856-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री कैलाश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित जोशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - खरहरा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 193-ग्राम पंचायत खरहरा की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	153014-00	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
02	2016-17	732869-00	228775-00
03	2017-18	837182-00	822484-00
04	2018-19	1328653-00	1328653-00
योग		3051668-00	2418813-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2418813-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बसंत एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सरैया भटपुरवा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 194-ग्राम पंचायत सरैया भटपुरवा की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही वर्ष 2015-16 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1055402-00	452934-00
योग		1055402-00	452934-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 452934-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती नसिमुन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - नगरौली

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 195-ग्राम पंचायत नगरौली की वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	2428796-00	2377087-00
	2019-20	3724410-00	1829306-00
	योग	6153206-00	4206393-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 4206393-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती नसिमुन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अज्जैयपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 196-ग्राम पंचायत नगरौली की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1787269-00	1082126-00
योग		1787269-00	1082126-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1082126-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम स्वरूप व मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - रामीपुर गोडवा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 197-ग्राम पंचायत रामीपुर गोडवा की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1375359-00	596220-00
02	2016-17	1658438-00	1638101-00
03	2017-18	2016594-00	152257-00
योग		5050391-00	3756895-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3756895-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम स्वरूप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सुपौली

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 198-ग्राम पंचायत रामीपुर गोडवा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2016-17 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1139030-00	565151-00
02	2016-17	1572153-00	606170-00
योग		2711183-00	1171321-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1171321-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कुमकुम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - भिठुनाफर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 199-ग्राम पंचायत भिठुनाफर की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	2170582-00	2256744-00
02	2019-20	2111616-00	2257871-00
योग		4282198-00	4514615-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 4514615-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती राम प्यारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - चौसा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 200-ग्राम पंचायत चौसा की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	927433-00	423765-00
02	2016-17	694364-00	417933-00
03	2017-18	966092-00	1481430-00
04	2018-19	1551814-00	922222-00
योग			3245350-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3245350-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सन्तराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - थान गाँव

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 201-ग्राम पंचायत थान गाँव की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय

01	2015-16	1390312-00	701736-00
योग		1390312-00	701736-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 701736-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज सागर से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - गोविन्दापुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 202-ग्राम पंचायत गोविन्दापुर की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1684411-00	1102571-00
योग		1684411-00	1102571-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1102571-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - भिठना कला

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 203-ग्राम पंचायत भिठना कला की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1012586-00	985398-00
	2019-20	824831-00	863064-00
	योग	1837417-00	1848462-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम

पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1848462-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मीरादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - बसंतापुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 204-ग्राम पंचायत बसंतापुर की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1048447-00	1622451-00
	2019-20	472908-00	523001-00
योग		1521355-00	2145452-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2145452-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री उत्कर्ष अवस्थी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - गोलोक कोडर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 205-ग्राम पंचायत गोलोक कोडर की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	7211317-00	9592545-00
	2019-20	6937607-00	5108995-00
योग		14148924-00	14701540-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - “ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 14701540-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री देशराज यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - बेलहा दरियना

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 206-ग्राम पंचायत बेलहा दरियना की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1405008-00	1374249-00
	2019-20	1600052-00	1269888-00
योग		3005060-00	2644137-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - " ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2644137-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री मदन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - कोडवा धमधमपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 207-ग्राम पंचायत कोडवा धमधमपुर की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1237686-00	807591-00
	2019-20	752317-00	438717-00
योग		1990003-00	1246308-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - " ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय

की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1246308-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - बेलौता

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 208-ग्राम पंचायत बेलौता की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1221148-00	1753451-00
	2019-20	1378791-00	1051793-00
योग		2599939-00	2805244-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2805244-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला व पंकज सागर से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - कनकारी

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 209-ग्राम पंचायत कनकारी की वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1562685-00	1654271-00
	2019-20	1802544-00	1353623-00
योग		3365229-00	3007894-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3007894-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम विलास एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभास नारायण वाजपेई से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मल्लापुर**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 210-ग्राम पंचायत मल्लापुर की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	523966-00	422335-00
योग		523966-00	422335-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 422335-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती शिवप्यारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - म्योदी छोलहा**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 211-ग्राम पंचायत म्योदी छोलहा की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	689898-00	420967-00
योग		689898-00	420967-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 420967-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती रीना कुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - काशीपुर**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या 212-ग्राम पंचायत काशीपुर की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय

01	2015-16	1818215-00	898301-00
योग		1818215-00	898301-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 898301-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामस्वरूप से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - सिरसा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 213-ग्राम पंचायत सिरसा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	182716-00	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
02	2016-17	380881-00	391120-00
03	2017-18	437533-00	649050-00
04	2018-19	886939-00	661076-00
05	2019-20	1015244-00	412902-00
योग		2903313-00	2114148-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2114148-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - पुरैनी

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 214-ग्राम पंचायत पुरैनी की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2018-19	1626273-00	1726899-00
	2019-20	1985172-00	1171968-00

योग		3611445-00	2898867-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2898867-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत का नाम - दलपतपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 215-ग्राम पंचायत दलपतपुर की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2018-19	1609732-00	1802719-00
	2019-20	1381078-00	1338588-00
योग		2990810-00	3141307-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3141307-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री अरुण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - थौरा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 216-ग्राम पंचायत थौरा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2018-19	5121884-00	5372096-00
	2019-20	5878698-00	4743566-00
योग		11000582-00	10115662-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 10115662-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कैसर जहां एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभास नारायण व राजकुमार शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - ताहपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 217-ग्राम पंचायत ताहपुर की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	480115-00	381887-00
	2016-17	646634-00	533625-00
योग		1126749-00	915512-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 915512-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - घेवडा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 218-ग्राम पंचायत घेवडा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	813692-00	274081-00
	2016-17	782920-00	541000-00
योग		1596612-00	815081-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय

की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 815081-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री विजय लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - नसीरपुर देवरिया

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 219-ग्राम पंचायत नसीरपुर देवरिया की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	952269-00	723040-00
योग		952269-00	723040-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 723040-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री पुरन लाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - बमभिया

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 220-ग्राम पंचायत बमभिया की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1141825-00	683661-00
योग		1141825-00	683661-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 683661-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सुजातपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 221-ग्राम पंचायत सुजातपुर की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1274085-00	942897-00
योग		1274085-00	942897-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 942897-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - जटपुरवा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 222-ग्राम पंचायत जटपुरवा की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2015-16	776648-00	352544-00
योग		776648-00	352544-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 352544-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती मेहरून निशा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री महेन्द्र रावत से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - रमुवापुर कालिका सिंह

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 223-ग्राम पंचायत रमुवापुर कालिका सिंह की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	1480457-00	753392-00
02	2016-17	1974867-00	982298-00
03	2017-18	2065750-00	3499185-00
04	2018-19	3715672-00	3784249-00
05	2019-20	4364638-00	3552995-00
योग		13601384-00	12572119-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 12572119-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश नाथ त्रिवेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - लालपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 224-ग्राम पंचायत लालपुर की वर्ष 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1678199-00	1075527-00
योग		1678199-00	1075527-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1075527-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम किशोर पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - करसा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 225 -ग्राम पंचायत करसा की वर्ष 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	3056525-00	3462530-00
योग		3056525-00	3462530-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय

की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3462530-00की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती अनवरी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - ईटगाँव

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 226-ग्राम पंचायत ईटगाँव की वर्ष 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1782274-00	2022502-00
योग		1782274-00	2022502-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2022502-00की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बलजीत सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री राम सहारे से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - हुसैनपुरखानी

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 227-ग्राम पंचायत हुसैनपुरखानी की वर्ष 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	911415-00	870220-00
योग		911415-00	870220-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 870220-00की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती जयंती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री राहुल आनन्द से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम - सेवता

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 228-ग्राम पंचायत सेवता की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	2988191-00	1328275-00
02	2016-17	4019348-00	850295-00
04	2018-19	7788415-00	9092321-00
05	2019-20	8160396-00	6702505-00
योग		22956350-00	17973396-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 17973396-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री प्रभास नारायण बाजपाई से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- कोलिया छडिया

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 229-ग्राम पंचायत कोलिया छडिया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	960669-00	692329-00
02	2016-17	1002732-00	578000-00
03	2017-18	1229765-00	1943069-00
04	2018-19	1892826-00	2004592-00
05	2019-20	1187676-00	1119614-00
योग		6273668-00	6337604-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 6337604-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री आशाराम एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री रोहित जोशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- गुरुगुचपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 230-ग्राम पंचायत गुरुगुचपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं

हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2015-16	558801-00	272430-00
02	2016-17	695896-00	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
03	2017-18	920375-00	820516-00
04	2018-19	1451212-00	1108853-00
05	2019-20	1119986-00	481520-00
योग		4746270-00	2683319-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2683319-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सुदामा एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री रोहित जोशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- बिजेहडा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 231- ग्राम पंचायत बिजेहडा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1771529-00	1304137-00
	2019-20	1792453-00	1606108-00
योग		3163982-00	2910245-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2910245-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री हरद्वार सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- बजहा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या 232- ग्राम पंचायत बजहा की वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2018-19	1449610-00	1543253-00

	2019-20	1963551-00	1574877-00
योग		3413161-00	3118130-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3118130-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव तत्कालीन/ श्री राजेश बाबू शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- हमीरपुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 233- ग्राम पंचायत बजहा की वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
	2019-20	3306434-00	2026336-00
योग		3306434-00	2026336-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2026336-00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- मधवापुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 234-ग्राम पंचायत मधवापुर की वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	1299019.00	851478.00
योग		1299019.00	851478.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 851478.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री श्रीमति रूबी वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत का नाम- रेउरी

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 235- ग्राम पंचायत रेउरी की वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2019-20	2329420.00	1273936.00
योग		2329420.00	1273936.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 1273936.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत का नाम- बम्भेरा

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 236- ग्राम पंचायत बम्भेरा की वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2018-19	1824516.00	1157120.00
2	2019-20	1557150.00	971878.00
योग		3081666.00	2128998.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 2128998.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री प्रभाकर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत का नाम जैतनपुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 237- ग्राम पंचायत जैतनपुर की वर्ष 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2017-18 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2017-18	711206.00	905949.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 905949.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय सिंह / जितेंद्र कुमार शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत का नाम जगदीशपुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 238- ग्राम पंचायत जगदीशपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2019-20	2288079.00	631181.00
योग		2288079.00	631181.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 631181.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री कामिनी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोष पाण्डेय से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत का नाम जलालपुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 239- ग्राम पंचायत जलालपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2019-20	493473.00	359121.00
योग		493473.00	359121.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 359121.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री श्री रामेश्वर प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत का नाम- दहवा

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 240- ग्राम पंचायत दहवा की वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2014-15 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2014-15	812608.00	475367.00
2	2015-16	657590.00	444981.00
3	2016-17	1006370.00	866335.00
4	2017-18	1116183.00	1090651.00
5	2018-19	1760822.00	1876779.00
	योग	5353573.00	4754113.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 4754113.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं पूर्व सचिव / तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मेहुल कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- सरैया बलदेव

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 241- ग्राम पंचायत सरैया बलदेव की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2015-16	231882.00	235591.00

2	2016-17	695648.00	398146.00
3	2017-18	846513.00	882173.00
4	2018-19	1290704.00	1069992.00
	योग	3064747.00	2585902.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु **2585902.00** की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री राजबहादुर** एवं पूर्व सचिव/तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री आशुतोष पाण्डेय** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- जगदीशपुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 242- ग्राम पंचायत **जगदीशपुर** की वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
01	2014-15	944767-00	1308009-00
02	2015-16	757545-00	349000-00
03	2016-17	1036814-00	238053-00
04	2017-18	1163291-00	725310-00
05	2018-19	अज्ञात	अज्ञात
06	योग	3902417-00	2406172

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु **2406172** की तथा 2018-19 की व्यय धनराशि सहित वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री श्रीमति कामिनी** एवं पूर्व सचिव/ तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **आशुतोष पाण्डेय** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- खुर्दा

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 243- ग्राम पंचायत **खुर्दा** की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय

1	2015-16	287909.00	301224.00
2	2016-17	876871.00	322591.00
3	2017-18	1032403.00	1373859.00
4	2018-19	अज्ञात	अज्ञात
	योग	2197183.00	1997674.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु **1997674.00** की तथा 2018-19 की व्यय धनराशि सहित वसूली जिम्मेदार पूर्व प्रधान / तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता यादव** एवं पूर्व सचिव / तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **आशुतोष पाण्डेय** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- दाऊदपुर

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 244- ग्राम पंचायत **दाऊदपुर** की वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2014-15	1037717.00	1124596.00
2	2015-16	438510.00	415793.00
3	2016-17	1414987.00	275300.00
4	2017-18	1622947.00	2757610.00
5	2018-19	2517026.00	2245288.00
		7031187.00	6818587.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 6818587.00 की वसूली जिम्मेदार पूर्व प्रधान / तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्री दिलीप कुमार** एवं पूर्व सचिव / तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **दिनेश यादव** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- रेउरी

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 245- ग्राम पंचायत **रेउरी** की वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2014-15	1044430-00	929803-00
2	2015-16	433166-00	671025-00
3	2016-17	1345344-00	1164585-00
4	2017-18	1509460-00	901079-00
5	2018-19	अज्ञात	अज्ञात
	योग	4332400-00	3666492-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 3666492-00 की तथा 2018-19 की व्यय धनराशि सहित वसूली के जिम्मेदार पूर्व प्रधान / तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती कृष्णा देवी** एवं पूर्व सचिव / तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **दिनेश यादव** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- कसमण्डा

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 246- ग्राम पंचायत **कसमण्डा** की वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2014-15	802496-00	35000-00
2	2015-16	430245-00	1790003-00
3	2016-17	477958-00	311494-00
4	2017-18	2305740-00	1964317-00
5	2018-19	अज्ञात	अज्ञात
	योग	4016439-00	4100814-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु 4100814-00 की वसूली के जिम्मेदार पूर्व प्रधान / तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** एवं पूर्व सचिव / तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **आशुतोष पाण्डेय** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- गढ़ी करौंदी

विकास खंड- कसमण्डा

प्रस्तर संख्या 247- ग्राम पंचायत **गढ़ी करौंदी** की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1	2014-15	00.00	00.00
2	2015-16	314958.00	504302.00
3	2016-17	601682.00	407185.00
4	2017-18	743698.00	933191.00
5	2018-19	अज्ञात	अज्ञात
	योग	1660338.00	1844678.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्ययकुल धनराशि रु **1844678.00** की तथा 2018-19 की व्यय धनराशि सहित वसूली के जिम्मेदार पूर्व प्रधान / तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्री उमेश** एवं पूर्व सचिव / तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **दिनेश यादव** से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - तिहार

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-248- ग्राम पंचायत तिहार की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	537439	558226
2-	2016-17	1142915	1029342
3-	2017-18	1299492	979475
4-	2018-19	2094604	1898550
5-	2019-20	1320441	88305
	योग	6394891	4553898

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि ₹4553898 =00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लौंगा देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मुस्तफाबाद

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-249- ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद की वर्ष 2015-16 से 2019-20के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	647284	523900
2-	2016-17	998632	768055
3-	2017-18	1205391	1147538
4-	2018-19	1911065	1599337
5-	2019-20	814645	625462
	योग	5577017	4664292

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि ₹ 4664292=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम शंकर एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शालिनी राजवंशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - नवरंगपुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-250- ग्राम पंचायत नवरंगपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	99730	42980
2-	2016-17	557606	285630
3-	2017-18	539166	309199
4-	2018-19	---	----
5-	2019-20	1358975	619242
	योग	2555477	1257051

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 1257051=00 वर्ष 2018-19 में हुए व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - पसनैका

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-251- ग्राम पंचायत पसनैका की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	3313976	294045
2-	2016-17	663516	732173
3-	2017-18	945812	734600
4-	2018-19	1499520	---
5-	2019-20	830294	869049
	योग	7253118	2329867

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 2329867=00 वर्ष 2018-19 में हुए व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अंगरासी

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-252- ग्राम पंचायत अंगरासी की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	448179	531880
2-	2016-17	423995	333500
3-	2017-18	877669	784010
4-	2018-19	1398984	539613
5-	2019-20	488731	166645
	योग	3637558	2355648

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित

समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 2355648=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अडवानिया गंट

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-253- ग्राम पंचायत अडवानिया गंट की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1276468	585792
2-	2016-17	1195419	525500
3-	2017-18	2033435	2650963
4-	2018-19	3223875	2953647
5-	2019-20	1404882	150288
	योग	9134079	6866190

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 6866190=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चौधरी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - भवानीपुर कलिकाबक्स

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-254- ग्राम पंचायत भवानीपुर कलिकाबक्स की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	163859	130582
2-	2016-17	489395	523110
3-	2017-18	1314951	1244500
4-	2018-19	1652583	917612
5-	2019-20	470719	60400
	योग	4091507	2876204

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 2876204=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तोषवती एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - कुचकापुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-255- ग्राम पंचायत कुचकापुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	583936	437052
2-	2016-17	669798	657017
3-	2017-18	1124212	762240
4-	2018-19	1526750	1105905
5-	2019-20	1098333	1138414
	योग	5003029	4100628

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 4100628=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज राठौर एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - नेरीकला

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-256- ग्राम पंचायत नेरीकला की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	664627	496891
2-	2016-17	569059	480209

3-	2017-18	1155828	1159863
4-	2018-19	1885487	1848933
5-	2019-20	1282802	715488
	योग	5557803	4701384

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 4701384=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला राठौर एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - टिकरा बहादुरपुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-257- ग्राम पंचायत टिकरा बहादुरपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	597644	419992
2-	2016-17	574649	633286
3-	2017-18	917540	527800
4-	2018-19	825569	1084935
5-	2019-20	1036294	398549
	योग	3951696	3064562

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 3064562=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुसमा सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सोहई

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-258- ग्राम पंचायत सोहई की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	574498	993610

2-	2016-17	892635	728655
3-	2017-18	1012983	658552
4-	2018-19	---	---
5-	2019-20	1094066	442541
	योग	3574182	2823358

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 2823358=00 व वर्ष 2018-19 में हुए व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नीतू मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - बम्भौरा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-259- ग्राम पंचायत बम्भौरा की वर्ष 2015-16 से 2019-20के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	546323	298000
2-	2016-17	696264	126300
3-	2017-18	840422	1007415
4-	2018-19	1332433	731440
5-	2019-20	513171	33099
	योग	3928613	2196254

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 2196254=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री के के तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - रामपुर टिकवापारा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-260- ग्राम पंचायत रामपुर टिकवापारा की वर्ष 2015-16 से 2019-20के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव

नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	497329	361300
2-	2016-17	709759	649838
3-	2017-18	838936	736550
4-	2018-19	1460174	1418120
5-	2019-20	622326	---
	योग	4128524	3165808

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 3165808=00 व वर्ष 2019-20 में हुए व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री के के तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सहरोई सिकाटिहा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-261- ग्राम पंचायत सहरोई सिकाटिहा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	693395	365560
2-	2016-17	873260	567518
3-	2017-18	1100308	726060
4-	2018-19	1744465	1833741
5-	2019-20	671860	2761100
	योग	5083288	3768979

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु 3768979=00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशि देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री के के तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -टिकरा खुर्द

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-262- ग्राम पंचायत टिकरा खुर्द की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	536818	420240
2-	2016-17	49611	168563
3-	2017-18	1402727	1184040
4-	2018-19	1604050	1320425
5-	2019-20	1332954	790856
	योग	4926160	3884124

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3884124 रु =00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री के के तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -ढोरहा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-263- ग्राम पंचायत ढोरहा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	460382	178478
2-	2016-17	604105	160404
3-	2017-18	729180	960155
4-	2018-19	1156067	990833
5-	2019-20	445246	845090
	योग	3394980	3134960

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित

समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3134960 =00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीपवन कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यार्थ से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -पारा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-264- ग्राम पंचायत पारा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	728405	382925
2-	2016-17	903161	483383
3-	2017-18	1368452	1518273
4-	2018-19	1728352	862235
5-	2019-20	1455658	1117247
	योग	6184028	4364063

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 4364063 =00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कयूम अली एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अर्थेलिया ग्रन्ट

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-265- ग्राम पंचायत अर्थेलिया ग्रन्ट की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	619747-00	344592-00
2-	2016-17	684421-00	473010-00
3-	2017-18	1466240-00	342300-00
4-	2018-19	1261731-00	645880-00
5-	2019-20	1352530-00	578500-00
	योग	5384669-00	2384282-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2384282-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लज़ीमा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मोहेददीन पुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-266- ग्राम पंचायत मोहेददीन पुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1209136-00	556737-00
2-	2016-17	1371939-00	815075-00
3-	2017-18	1352455-00	887250-00
4-	2018-19	2504942-00	-
5-	2019-20	1148343-00	567422-00
	योग	7586815-00	2826484-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2826484-00 की तथा 2018-19 में हुई व्यय धनराशि सहित वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुबारक एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश मिश्रा उमाकांत तथा राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मल्लिकापुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-267- ग्राम पंचायत मल्लिकापुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	215784-00	151196-00
2-	2016-17	833147-00	578020-00
3-	2017-18	1190055-00	944841-00

4-	2018-19	-	-
5-	2019-20	1142719-00	776642-00
	योग	3381705-00	2450701-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2450701-00 एवं वर्ष 2018-19 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री सत्यार्थ से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - अल्लीपुर अलिरजा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-268- ग्राम पंचायत अल्लीपुर अलिरजा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	127845-00	62080-00
2-	2016-17	256217-00	149576-00
3-	2017-18	812370-00	871419-00
4-	2018-19	1095802-00	795092-00
5-	2019-20	814908-00	-
	योग	3107142-00	1878167-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1878167-00 एवं वर्ष 2019-20 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव शालनी राजवशी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - रामपुर भूडा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-269- ग्राम पंचायत रामपुर भूडा की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	482805-00	226546-00
2-	2016-17	753634-00	464430-00
3-	2017-18	855240-00	846635-00
4-	2018-19	1221114-00	606000-00
5-	2019-20	-	-
	योग	3312793-00	2143611-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2143611-00 एवं वर्ष 2019-20 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ति देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हंसराज से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - पीतपुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-270- ग्राम पंचायत पीतपुर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1194695-00	978169-00
5-	2019-20	-	328794-00
	योग	1194695-00	1306963-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1306963-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नीतू मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - पडरखा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-271- ग्राम पंचायत पडरखा की वर्ष 2015-16/2016-17 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16/2016-17 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	765892-00	354439-00

02-	2016-17	712983-00	714652-00
3-	2019-20	1404486-00	1043723-00
	योग	2883361-00	2112814-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2112814-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक एवं तत्कालीन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नीतू मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - खटकरी तारापुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-272- ग्राम पंचायत खटकरी तारापुर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	862930-00	551489-00
2-	2019-20	1476496-00	578783-00
	योग	2339426-00	1130272-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1130272-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कौशल कुमार एवं तत्कालीन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नीतू मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - बसेती

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-273- ग्राम पंचायत बसेती की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1532996-00	1076203-00
2-	2019-20	1455417-00	1170631-00
	योग	2988413-00	2246834-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2246834-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - छतौना

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-274- ग्राम पंचायत छतौना की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1327486-00	371108-00
2-	2019-20	471663-00	409940-00
	योग	1799149-00	781048-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 781048-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - विशुनपुर सरेली

विकासखंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-275- ग्राम पंचायत विशुनपुर सरेली की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	653047-00	268570-00
2-	2019-20	1534077-00	443210-00
	योग	2187124-00	711780-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 711780-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतीस कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - मिर्जापुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-276- ग्राम पंचायत मिर्जापुर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	676967-00	375140-00
2-	2019-20	1563188-00	800652-00
	योग	2240155-00	1175792-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1175792-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मितलेश एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - दामोदरपुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-277- ग्राम पंचायत दामोदरपुर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	113283-00	48000-00
2-	2019-20	905403-00	358950-00
	योग	1018686-00	406950-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 406950-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सजीवन एवं तत्कालीन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - क्लार्क नगर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-278- ग्राम पंचायत क्लार्क नगर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	682974-00	453815-00
2-	2019-20	965854-00	503600-00
	योग	1648828-00	957415-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 957415-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं तत्कालीन वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - जगना

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-279- ग्राम पंचायत जगना की वर्ष 2015-16 से 2017-18 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 से 2017-18 एवं 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	1305785-00	462072-00
2-	2016-17	967256-00	692980-00
03	2017-18	1120374-00	813245-00
04	2019-20	1288080-00	135284-00
	योग	4681495-00	2103581-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2103581-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान गिरजा दयाल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नीतू मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सलेमपुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-280- ग्राम पंचायत सलेमपुर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	588686-00	337646-00
02	2019-20	1538503-00	464786-00
	योग	2127189-00	802432-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 802432-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री के.के. तिवारी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - चादपुर

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-281- ग्राम पंचायत चादपुर की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। वर्ष 2015-16 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

क्रम सं.	वर्ष	आय	व्यय
1-	2015-16	415641-00	268756-00
	योग	415641-00	268756-00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 268756-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - जारटिकरा

विकास खंड- एलिया

प्रस्तर संख्या-282- ग्राम पंचायत जारटिकरा की वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं